अष्टम माला, खंड 16, अंक 37

सोमवार, 21 अप्रैल 1986
1 वैशाख, 1908 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

पांचवां सत्र
(आठवीं लोक सभा)

(खंड 16 में अंक 31 से 40 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा]

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 16, पांचवां सत्र, 1986/1908 (शक)

अंक 37, सोमवार, 21 अप्रैल, 1986/1 वैशाख, 1908 (शक)

विषय	पृष्ठ
निधन सम्बन्धी उल्लेख	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—39
*तारांकित प्रश्न संख्या : 740, 741, 744, और 746 से 750 तथा 752	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	40—232
तारांकित प्रश्न संख्या : 742, 743, 745, और 753 से 758, 760 से 761	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 7098 से 7238, 7240 से 7252, 7254 से 7310, 7313 से 7317 और 7319 से 7329	
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	237—242
प्राक्कलन समिति	242
28वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही-सारांश	
राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के बारे में वक्तव्य	243
श्रीमती सुशीला रोहतगी	243
नियम 377 के अधीन मामले	243—248
(एक) मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में सरकारी क्षेत्र के उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता	
श्री डाल चन्द्र जैन	243

*किसी नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय पृष्ठ

(दो) बिहार में रोहतास उद्योग समूह को फिर से चालू करने की मांग

प्रो० के० के० तिवारी 244

(तीन) पुरी और नई दिल्ली के बीच चलने वाली 915 और 916 सुपर फास्ट रेलगाड़ियों का निर्धारित समय और मार्ग पहले जैसा करने की आवश्यकता

श्री चिन्तामणि जैना 244

(चार) दिल्ली को अनधिकृत बस्तियों के मकानों में और अनाज की गुहाई के लिए किसानों को बिजली देने की आवश्यकता

श्री भरत सिंह 245

(पांच) अहमदनगर शहर को वायुदुत सेवा से जोड़ने की आवश्यकता

श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल 245

(छः) आंध्र प्रदेश को पोलावरम परियोजना को शीघ्र स्वीकृति देने की आवश्यकता

श्री गोपाल कृष्ण थोटा 246

(सात) बंगलौर में डिजिटल इलैक्ट्रोनिक स्विचिंग एक्विपमेंट फैक्टरी की एक रिकार्ड यूनिट स्थापित करने की आवश्यकता

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर 246

(आठ) राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों की सीमा पर अधूरी बनी सड़कों पर अवरुद्ध मार्गों को खोलने की आवश्यकता

श्री जुझार सिंह 247

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1986-87 ... ... 248—403

(एक) खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय

श्री ए० के० पांजा 248

श्री विजय एन० पाटिल 257

श्री सी० जंगा रेड्डी 259

श्री गिरधारी लाल डोगरा 266

विषय				पृष्ठ
श्री के० एस० राव	...	...	...	268
श्री एन० डेनिस	...	...	...	272
श्री भरत सिंह	...	...	...	275
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	...	...	...	277
श्री पी० शिवशंकर	...	...	...	279
(दो) सूचना और प्रसारण मन्त्रालय				
श्री श्रीहरि राव	...	...	...	303
श्री बालकवि बैरागी	...	...	...	308
श्री एडुआर्डो फैलीरो	...	...	...	315
श्रीमती किशोरी सिंह	...	...	...	322
श्री सुरेश कुरूप	...	...	...	326
श्री सुनील दत्त	...	...	...	330
डा० फूलरेणु गुहा	...	...	...	334
सैयद शाहबुद्दीन	...	...	...	336
श्री बिपिनपाल दास	...	...	...	342
श्रीमती शीला दीक्षित	...	...	...	347
प्रो० एन० जी० रंगा	...	...	...	349
श्री ए० सी० षण्मुख	...	...	...	353
श्री शांताराम नायक	...	...	...	356
श्री सोमनाथ रथ	...	...	...	358
श्री दिनेश गोस्वामी	...	...	...	360
श्री अजीज कुरेशी	...	...	...	361
श्री आर० जीवरत्नम	...	...	...	367
श्रीमती गीता मुखर्जी	...	...	...	369
श्री माणिकराव होडल्या गावीत	...	...	...	372
श्री राधाकान्त डिगाल	...	...	...	373

विषय				पृष्ठ
श्री अब्दुल रशीद काबुली	...	...	...	375
श्री भोलानाथ सेन	...	...	...	387
श्री डाल चन्द्र जैन	...	...	...	389
श्री सी० जंगा रेड्डी	...	...	...	391
श्री के० डी० सुल्तानपुरी	...	...	...	393
श्री एम० रघुमा रेड्डी	...	...	...	396
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	...	...	...	398
श्री के० आर० नटराजन	...	...	...	402
श्री वी० एन० गाडगिल	...	...	...	403

लोक सभा

सोमवार, 21 अप्रैल, 1986/ 1 वैशाख, 1908 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

(निधन सम्बन्धी उल्लेख)

अध्यक्ष महोदय : श्री अतुल्य घोष के दुखद निधन के बारे में मुझे सदन को जानकारी देनी है वे सन् 1952-67 के दौरान पश्चिम बंगाल के बर्दवान तथा आसनसोल निर्वाचन क्षेत्र से पहली, दूसरी तथा तीसरी लोक सभा से सदस्य रहे।

वे एक सुभाग्य संसदविद् थे। उन्होंने संसद की कार्यवाही में काफी रुचि दिखाई। वे एक प्रमुख राजनैतिज्ञ तथा सामाजिक कार्य-कर्त्ता थे। उन्होंने आम आदमियों की भलाई के लिए उत्साह, मनोयोग एवं त्याग की भावना से कार्य किया। राष्ट्रीय स्तर के एक उत्कृष्ट राजनैतिज्ञ होने के अलावा श्री घोष विभिन्न सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्थानों से संबद्ध रहे।

वे एक वयोवृद्ध स्वतन्त्रता सैनानी थे। उन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया तथा लगभग 15 वर्षों तक जेल में भी रहे। 15 वर्ष की आयु में असहयोग आन्दोलन में शामिल होने के लिए उन्होंने स्कूल छोड़ दिया।

वे एक प्रख्यात पत्रकार थे। बंगाली भाषा की कई किताबें उन्होंने लिखीं।

श्री अतुल्य घोष का निधन 82 वर्ष की आयु में 18-4-86 को कलकत्ता में हुआ।

हमें अपने मित्र के निधन पर गहरा दुःख है तथा मेरा विश्वास है कि शोक सन्तप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने में सदन मेरा साथ देगा।

मृतक के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए सदन दो मिनट मौन खड़ा रहे।

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे)

(प्रश्नों के मौखिक उत्तर)

[अनुवाद]

दिल्ली दूरदर्शन पर तेलुगु फिल्मों का प्रसारण

*740. श्री ए० जे० वी० बी० महेश्वर राव : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या दिल्ली दूरदर्शन पर तेलुगु फिल्मों का प्रसारण किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली दूरदर्शन पर तेलुगु फिल्मों के प्रसारण का अन्तराल कितना है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बी०एन० गाडगिल) : (क) जी हां।

(ख) तेलुगु फीचर फिल्मों को दिल्ली दूरदर्शन पर अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की फीचर फिल्मों के साथ बारी-बारी के आधार पर टेलीकास्ट किया जाता है।

श्री ए० जे० वी० महेश्वर राव (अमलापुरम) : महोदय मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं। क्या कर्मचारी दिवसों को भी क्षेत्रीय फिल्में दिखा कर, उनके दूरदर्शन पर प्रदर्शन की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव है ?

श्री बी०एन० गाडगिल : महोदय सदन से मेरा अनुरोध है कि वह उन सीमाओं को समझें जिसके अन्तर्गत मुझे काम करना होता है 14 भाषाएं हैं। मुझे सबके प्रति निष्पक्ष होना पड़ता है। शुरू में क्षेत्रीय फिल्में महीने के पहले रविवार को दिखाई जाती थीं। उसके बाद हम महीने में दो शनिवारों को दिखाने लगे। अब हम हर रविवार को क्षेत्रीय फिल्में दिखाते हैं। इस तरह हम प्रयास करते हैं कि हर भाषा को उपयुक्त प्रतिनिधित्व मिले।

दूसरी कठिनाई यह है कि किसी के द्वारा दूरदर्शन को फिल्म देने की पेशकश की जाए अन्यथा उसे नहीं दिखाया जा सकता। तीसरी बात यह है कि उनमें उपशीर्षक लिखे होना चाहिए। अन्यथा दिखाना ठीक नहीं होगा। चौथी यह है कि अगर फिल्म 'ए' प्रमाण-पत्र प्राप्त अर्थात् केवल व्यस्कों के लिए है तो हम उसे काट छांट कर 'यू' करना चाहेंगे। तभी उसे दिखाना संभव है।

श्री ए० जे० वी० बी० महेश्वर राव : महोदय दिखाई जाने वाली कुछ क्षेत्रीय फिल्मों को बुरी तरह से कांटा-छांटा जा रहा है। क्या यह सच है कि कुछ सप्ताह पूर्व दिखाई गई फीचर फिल्म सप्तपदी जोकि एक अच्छी फीचर फिल्म है को बुरी तरह कांटा-छांटा गया था और सांसदों ने सूचना और प्रसारण मन्त्री से इस बारे में विरोध प्रकट किया था ? अगर हां, तो क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री बी० एन० गाडगिल : मैंने पता लगाया है कि उस फिल्म के साथ क्या हुआ था। 'सप्तपदी' 23 मार्च को दिखाई गई थी। फिल्म 2 घन्टे और चार मिनट की थी। रविवार को क्षेत्रीय वृत्त चित्र के लिए 2 घन्टे निर्धारित हैं। इस तरह 4 मिनट फालतू थे। समय को समायोजित करने के लिए थोड़ी सी काँट-छाँट की गई। जिस हिस्से को काटा गया उसमें एक गाना और एक लम्बा दृश्य शामिल था। लेकिन इस बात को सुनिश्चित किया गया था कि फिल्म की कहानी इसके कलात्मक सौंदर्य और सम्पूर्ण प्रभाव पर असर न पड़े।

श्री ए० जे० वी० बी० महेश्वर राव : बहुत काटी गई थी और सारी कहानी बदल दी गई थी।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

डा० विजय रामा राव : महोदय आन्ध्र में हमें हर हफ्ते तेलगु फिल्म दिखाई जाती है । शनिवार को दिखाई जाने वाली तेलगु फिल्म की घोषणा एक सप्ताह पूर्व कर दी जाती है। लेकिन पिछले शनिवार, सुबह तक दूरदर्शन को पल्लीतूरू पिल्ला नामक तेलुगु फिल्म दिखानी थी । लेकिन कार्यक्रम के आधा घंटा पूर्व अचानक फिल्म बदल दी गई क्योंकि उस फिल्म विशेष में भूतपूर्व प्रसिद्ध अभिनेता श्री एन० टी० रामा राव ने अभिनय किया था·····

एक माननीय सदस्य : वर्तमान मुख्य मन्त्री कौन हैं·····

डा० विजय रामा राव : इस सम्बन्ध में मैं जानना चाहता हूं कि क्या कार्यक्रम प्रस्तावित करने वाले और दूरदर्शन पर दिखाने वाले अधिकारी कांग्रेस दल के मार्गनिर्देशों के अनुसार उनकी उंगलियों पर नाच रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यह बात किसी और लक्ष्य करके कही जानी चाहिए थी ।

श्री वी० एन० गाडगिल : नृत्य का काम दूसरे पक्ष पर छोड़ दिया गया है । जहां तक हैदराबाद का संबन्ध है, मैं एकदम से कुछ नहीं कह सकता । मेरे पास दिल्ली दूरदर्शन पर दिखाई जाने वाली फिल्मों के बारे में पूरी जानकारी है । 11 केन्द्रों से हर शनिवार को क्षेत्रीय फिल्में दिखाई जाती हैं । जहां तक इस फिल्म विशेष का सम्बन्ध है, मैं तथ्यों का पता लगाऊंगा ।

श्री शांताराम नायक : अभी तक दूरदर्शन की नीति संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्में दिखाना रही है । क्या मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध कर सकता हूं कि वह इस नीत का थोड़ा सा विस्तार कर दें और साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय भाषाओं को भी इसमें शामिल कर ली जाए ताकि 4-5 भाषाएं और शामिल हो सकें ।

प्रो० के० के० तिवारी : जी हां, उदाहरण के लिए भोजपुरी ।

श्री राम प्यारे पनिका : आदिवासी भाषाए भी ।

अध्यक्ष महोदय : पनिका जी, मैंने आपको अनुमति नही दी है ।

एक माननीय सदस्य : राजस्थानी फिल्म भी ।

श्री वी०एन० गाडगिल : महोदय, फिल्मों का चुनाव करना एक कठिन काम है । सभी तरह के आरोप लगाए जा सकते हैं । कुछ वस्तुपरक कसौटी भी जरूर होनी चाहिए । इसलिए हमने निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त क्षेत्रीय फिल्में ही दिखाई जाएंगी । अब मैंने थोड़ा-सा संशोधन कर दिया है और एक और श्रेणी जोड़ दी है अर्थात् फिल्म समारोह सिंहावलोकन के लिए चुनी गई क्षेत्रीय फिल्में । भारतीय फिल्म समारोह या अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए 21 फिल्मों का चयन सर्वोत्तम फिल्म के रूप में किया गया है । अगर फिल्म को सिंहावलोकन में शामिल किया गया है तो वह राष्ट्रीय प्रसारण के लिए चुने जाने योग्य है । कुछ वस्तु परक कसौटी अवश्य होनी चाहिए । हमने इन दो कसौटियों के बारे में सोचा है ।

अगर किसी अन्य भाषा की, जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है, कोई फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त है या सिंहावलोकन में शामिल की गई है तो मैं उस पर विचार करने के लिए तैयार हूं।

अध्यक्ष महोदय : बूटा सिंह जी राजस्थानी फिल्म के बारे में पूछ रहे हैं।

मकानों की निर्माण लागत में कमी लाना

*741. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भवन-निर्माण संगठन ने मकानों के निर्माण की लागत के सूचकांक तैयार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन सूचकांकों से पता चलता है कि पिछले पांच वर्षों में दिल्ली और अन्य क्षेत्रों में निर्माण लागत में भारी वृद्धि हुई है; और

(ग) इस लागत को घटाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी हां, इन सूचकांकों में दिल्ली में रिहायशी निर्माण लागत में 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष तथा अन्य महत्वपूर्ण केन्द्रों नामत: अहमदाबाद, इलाहबाद, मद्रास, भुवनेश्वर, पटियाला, पणजी तथा त्रिवेन्द्रम में निम्न आय वर्ग के लिए विशिष्ट टाइप के रिहायशी भवन निर्माण के सम्बन्ध में 11 प्रतिशत से 21 प्रतिशत प्रतिवर्ष के बीच औसत वृद्धि दिखाई गई है।

(ग) केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, संरचनात्मक इंजीनियरिंग अनुसंधान केन्द्र, जैसे राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं ने निर्माण की लागत में कमी करने के साथ-साथ टिकाऊपन तथा बसने लायक मकानों में सुधार करने की नई निर्माण तकनीकियां ढूंढ निकाली हैं।

श्रीमती किशोरी सिंह : महोदय, माननीय मन्त्री के उत्तर से एकदम स्पष्ट है कि रिहायशी मकानों की निर्माण लागत 11% से 21% सालाना बढ़ गई हैं। तथा मैं माननीय मन्त्री से पूछ सकता हूं कि पिछले पांच सालों में कुल कितनी वृद्धि हुई है ? मैंने यह जानकारी मांगी थी।

[हिन्दी]

श्री दलबीर सिंह : सर, पिछले 5 सालों में हाउसिंग कॉस्ट में अत्यधिक वृद्धि हुई है। वर्ष 1980 से 1985 के दौरान विभिन्न भवन-निर्माण सामग्री की लागत में वृद्धि होना ही इसका मुख्य कारण है। जैसे सीमेंट के मूल्यों में इस दौरान 15.8 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है, लकड़ी की कीमतें भी 22 6 परसेंट की दर से बढ़ी हैं, पत्थर की दरें 14.6 परसेंट के हिसाब से बढ़ी हैं, लोहे

की कीमत 13.7 परसेंट के हिसाब से बढ़ी है, रेल की कीमत 13.1 परसेंट के हिसाब से बढ़ी है और ओवरऑल कुल वृद्धि इस तरह से 9·1 परसेंट की दर से हुई है। इसीलिए हाउसिंग कॉस्ट में वृद्धि हुई है। उसके साथ-साथ हमने यह भी प्रयास किए हैं कि एन० बी० ओ० की ओर से लगभग 33 विभिन्न स्थानों पर नई टैकनीक के आधार पर कन्सट्रक्शन का काम किया गया है। वीकर सैक्शन के लिए मकान बनाने हेतु एन० बी० ओ० ने रिसर्च किया गया है। जिसमें वहीं का मैटीरियल प्रयुक्त किया जाए और मकान की लागत कम-से-कम हो। इतना ही नहीं, हमने हर जगह लोगों को एन० बी० ओ० के माध्यम से यह दिखलाने की कोशिश की है कि कम लागत में अच्छे-से-अच्छे मकान कैसे बन सकते हैं।

[अनुवाद]

श्रीमती किशोरी सिंह : मेरे प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं ने ऐसी नई तकनीकी का सुझाव दिया है जिससे मकान-निर्माण की लागत घट सकती है। क्या मैं जान सकती हूं कि इससे निर्माण-लागत में कितने प्रतिशत कमी होगी ?

मैं जानना चाहती हूं कि ईंटों के निर्माण के लिए क्या किसी नई तकनीकी का सुझाव दिया गया है।

माननीय मंत्री ने पटना को छोड़कर सभी महत्वपूर्ण केन्द्रों का उल्लेख किया है। ऐसा क्यों ?

[हिन्दी]

श्री बलबीर सिंह : ऐसी बात नहीं है कि हमने पटना को छोड़ दिया है बल्कि हम सभी स्थानों पर बराबर ध्यान दे रहे हैं, उनमें पटना भी शामिल होगा लेकिन जैसा मैंने विभिन्न भवन निर्माण सामग्री के मूल्यों में पिछले 5 सालों के दौरान मूल्य वृद्धि के बारे में अभी आपको बताया, यदि माननीय सदस्या चाहें तो मैं उनको पूरी जानकारी दे सकता हूं जिसमें हर विषय का विस्तार से उल्लेख होगा : जैसे लो-कॉस्ट मैटीरियल पर फाउन्डेशन के लिए, दूसरे लाइम-डीस्टेबिलाइज्ड मड कन्टैंट्स, लाइम कन्टैन्टस वौल्यूम के लिए, अलग-अलग डिफरैंस के सम्बन्ध में हमारे एन० बी० ओ० ने रिसर्च किया है, कुल मिलाकर ये 25 आइटम्स हैं, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उन सब को सदन में पढ़ देता हूं।

[अनुवाद]

श्री डी० एन० रेड्डी : क्या माननीय मन्त्री जानते हैं कि पश्चिम देशों में बहुत पहले से तैयार सामग्री का बहुत समय से प्रचलन है जिससे मकान निर्माण की लागत और समय में कमी आई है ? हाल ही में दिल्ली में देश भर के इंजीनियरों का एक सेमिनार इसी विषय पर अर्थात् मकानों में इस्तेमाल होने वाली पहले से तैयार सामग्री के बारे में, हुआ था। यदि हां, तो क्या सरकार ने इस

ओर ध्यान दिया है और क्या सिफारिशें की गई हैं तथा क्या सरकार देश में इस नई तकनीकी को इस्तेमाल करने पर विचार करेगी ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : इसी साल हम, पहले से तैयार सामग्री द्वारा मकान तैयार करने की इस नई तकनीकी द्वारा दिल्ली में ही 12,000 मकान बनाने के लिए टेंडर जारी कर चुके हैं। हम दिल्ली में इसका परीक्षण करेंगे और हमें विश्वास है कि अगर यह सफल हो गया तो भारत भर में इस तकनीकी का विस्तार किया जाएगा।

सौराष्ट्र में मूंगफली की फसल का न होना

*744. **श्री एन० टोम्बी सिंह**
श्री आर० एस० माने } : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सौराष्ट्र में गम्भीर सूखा पड़ने के कारण मूंगफली की फसल बिल्कुल भी नहीं हुई है,

(ख) देश में खाद्य तेल निकालने के लिए सौराष्ट्र से कितनी मात्रा में मूंगफली प्राप्त होती है और इस वर्ष मूंगफली का कितना नुकसान हुआ है;

(ग) क्या मूंगफली के उत्पादन में कमी होने के कारण मूंगफली के तेल की कुल उपलब्धता पर कोई कुप्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो इस कमी को किस प्रकार पूरा किया जा रहा है;

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सूखे की स्थितियों के कारण गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में खरीफ, 1985 के दौरान मूंगफली की फसल को प्रत्यक्ष हानि होने का अनुमान है।

(ख) पिछले तीन वर्षों की औसत के आधार पर गुजरात का सौराष्ट्र क्षेत्र खाद्य तेल निकालने के लिए लगभग 11 लाख मीटरी टन मूंगफली मुहैय्या करता है। गुजरात सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 1985-86 में इस क्षेत्र में खरीफ मूंगफली का लगभग 3 लाख मीटरी टन उत्पादन होने का अनुमान है।

(ग) और (घ) : 1985-86 के दौरान सौराष्ट्र क्षेत्र में मूंगफली के उत्पादन में हुए अधिकांश नुकसान की पूर्ति देश में तोरिया-सरसों, सोयाबीन और रबी/ग्रीष्म मूंगफली के अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन से हो जायेगी।

श्री एन० टोम्बी सिंह : उत्तर में दिए गए आंकड़ों के अनुसार इस साल मूंगफली के उत्पादन में 8 लाख मीट्रिक टन का अंतर रहा और सरकार को आशा है कि देश के अन्य भागों में रेपसीड

सरसों, सोयाबीन और रबी की फसल के उत्पादन से इस कमी को पूरा कर लिया जाएगा। इस संदर्भ में क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने सोयाबीन के उत्पादन के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है, सोयाबीन का तेल इस कमी को कितना पूरा करेगा, सोयाबीन तेल, और अन्य रेपसीड तेल तथा सरसों के तेल बाजार में कितने लोकप्रिय हुए हैं और क्या सरकार को मूंगफली के तेल की कमी पूरी होने की आशा है या यह केवल एक सामान्य आशावादी वक्तव्य है अथवा मामले का गहराई से कोई अध्ययन किया गया है? मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं।

श्री योगेन्द्र मकवाना : हमें आशा है कि सोयाबीन तेल और रेप सीड, सरसों और अन्य तेलों से कमी पूरी हो जाएगी। आमतौर पर यह इस बात पर निर्भर करता है कि लोगों को कौन-सा तेल इस्तेमाल करने की आदत है। इसलिए यह कहना और मूल्यांकन करना मुशकिल है कि सोयाबीन, सरसों और अन्य तेल मूंगफली के तेल का कितना स्थान ले सकेंगे।

श्री एन०टोम्बी सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि अब तक सोयाबीन तेल का वास्तव में कितना उत्पादन हुआ है। माननीय मन्त्री ने इसका जबाव नहीं दिया है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : प्रश्न गुजरात में मूंगफली के उत्पादन में कमी के बारे में है।

यह सोयाबीन उत्पादन से सम्बन्धित नहीं है। आपने ठीक ही मुझसे पूछा कि कमी कितनी है तथा क्या सोयाबीन के प्रयोग तथा रेपसीड-सरसों के तेल उत्पादन से इस कमी को पूरा करना सम्भव होगा। इसीलिए मैंने कहा था कि यह सब लोगों की आदतों तथा रुचियों पर निर्भर करता है तथा इस प्रकार से अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : सरकार 13000 से 14000 टन तक मूंगफली के तेल का आयात कर रही है। आयात करने की बजाय सरकार मूगफली के लिए बेहतर लाभकारी मूल्य क्यों नहीं देती ताकि उत्पादकों को अधिक मूंगफली पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। वर्तमान समर्थन मूल्य केवल 350 रुपये प्रति क्विंटल है जबकि बाजार में इसे 450 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बेचा जाता है। वर्तमान समर्थन मूल्य लाभकारी नहीं है। आप समर्थन मूल्य को 450 रुपये प्रति क्विंटल से ऊपर क्यों नहीं कर देते, मान लो 550 रुपये, ताकि यह किसानों को अधिक मूंगफली पैदा करने के लिए प्रेरित कर सके?

अध्यक्ष महोदय : यह एक अच्छा सुझाव नहीं है?

श्री योगेन्द्र मकवाना : यह एक अच्छा सुझाव नहीं है और इससे लाभ नहीं होगा क्योंकि गुजरात के मूंगफली उत्पादक क्षेत्र में, अर्थात्, सौराष्ट्र क्षेत्र में जहां मूंगफली काफी मात्रा में पैदा की जाती हैं, मूल्य ऊंचे हैं और इसी कारण जबकि उत्पादकता कम है और पैदावार बहुत कम हैं उसके बावजूद भी वे मूंगफली की पैदावार कर रहे हैं। उन्हें अन्य फसलों का उत्पादन शुरू करना चाहिए था परन्तु वे ऐसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि यह दूसरी फसलों से अधिक लाभकारी है। अतः मैं नहीं समझता कि यह सुझाव कारगर होगा।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इसे किसी न किसी तरह ले लें ।

अध्यक्ष महोदय : आपने वैराग ले ही लिया है तो प्रश्न करने के लिए इन्कार नहीं करेंगे। ···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : आप तो ऊंगली पकड़ कर पहुंचा पकड़ने को तैयार हैं ।

श्री बालकवि बैरागी : अगर आप हमारी उंगली पकड़ कर पहुंचे को पकड़ने की परमिशन नहीं देंगे तो लोग हमारा गला पकड़ लेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : चाहे गला पकड़ लें या टांग पकड़ लें, परमिशन नहीं दे पायेंगे ।

श्री बालकवि बैरागी : अध्यक्ष महोदय, इसे किसी भी तरह ले लीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : आप दुबारा दे दीजिए तो जमा कर लेंगे ।

[अनुवाद]

दिल्ली में सहकारी गृह-निर्माण समितियों का कार्यकरण

\+

*746. **श्री टी० बशीर**
श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर } : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितनी सहकारी गृह-निर्माण समितियों में इनके अपने विभिन्न ग्रुपों के बीच लगातार मुकदमें बाजी चल रही है जिसके कारण वेतनभोगी लोगों सहित निम्न मध्य वर्ग के हजारों लोगों को बहुत अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) ऐसी समितियों को कारगर बनाने और उनमें स्वस्थ स्थिति बहाल करने तथा उनके सदस्यों को गृह-निर्माण की अनुकूल परिस्थितियां सुनिश्चित कराने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं अथवा उठाने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जैसा कि पंजीकार, सहकारी समितियों, दिल्ली ने सूचित किया है, दिल्ली में ७ सहकारी गृह निर्माण समितियां बारम्बार तथा लगातार मुकद्मे बाजी में शामिल हैं ।

(ख) सहकारी गृह निर्माण समितियों के सदस्यों के मध्य विवाद से सम्बन्धित शिकायतों पर पंजीकार, सहकारी समिति द्वारा तुरन्त कार्रवाई की जाती है तथा कानून के अन्तर्गत समुचित कार्यवाही आरम्भ की जाती है।

श्री टी० बशीर : कई सहकारी गृह-निर्माण समितियों में एक ही प्रबन्ध लगातार दस वर्षों से या इससे अधिक समय से ठीक प्रकार से चुनाव कराये बिना चल रहे हैं, इस तथ्य के बावजूद कि अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित समय अवधि केवल 3 वर्ष है। उदाहरण के तौर पर, 'दिल्ली स्कूल टीचर्स हाऊसिंग कोओपरेटिव सोसायटी' जो 1961 में बनी थी, गत दस वर्षों से एक ही प्रबन्ध के तहत चल रही है; 'परवाना ग्रुप हाऊसिंग सोसायटी तथा आदर्श ग्रुप हाउसिंग सोसायटी' जैसी कुछ अन्य समितियां भी हैं। ये गैर-कानूनी कार्य तथा कानूनों की अवज्ञा प्रबन्ध द्वारा रजिस्ट्रार कार्यालय के अधिकारियों के साथ मिलकर तथा अधिनियम की त्रुटियों का लाभ उठाकर की जाती है। मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार सहकारी गृह-निर्माण समितियों में व्याप्त इन गतिविधियों की जांच कराने के लिए कदम उठायेगी तथा मैं मन्त्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार सहकारी गृह-निर्माण समितियों के अधिनियम की कमियों को समाप्त करने के लिए उपयुक्त संशोधन करने के लिए कार्यवाही करेगी।

शहरी विकास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : इनके प्रश्न का अन्तिम भाग एक सुझाव है और मैं इस पर विचार करूंगा। जहां तक अनुपूरक प्रश्न के प्रथम भाग का सम्बन्ध है, अगर वह समितियों का नाम बतायें तो मैं निश्चित ही रजिस्ट्रार से मामले की जांच करने के लिये कहूंगा।

प्रो० एन० जी० रंगा : वह अधिनियम में संशोधन करने के लिए कह रहे हैं।

श्री अब्दुल गफूर : मैंने उन्हें बताया है कि यह एक सुझाव हैं और इस पर विचार किया जायेगा। जहां तक प्रश्न के प्रथम भाग का सम्बन्ध है, अगर वह ऐसी समितियों के नाम बतायें जहां चुनाव नहीं हुए हैं तो मैं निश्चित ही रजिस्ट्रार से इसका पता लगाने के लिए कहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : केवल अध्यक्ष को 'नाम' लेने का विशेषाधिकार प्राप्त है। सिर्फ वही ऐसा कर सकते हैं।

श्री टी० बशीर : मैं माननीय मन्त्री द्वारा अपना उत्तर संक्षेप में देने के तरीके की प्रशंसा करता हूं। मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है। मैं माननीय मन्त्री से दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास भूमि आवंटन के लिए प्रतिक्षा सूचि में दर्ज सहकारी गृह-निर्माण समितियों की संख्या जानना चाहता हूं तथा मैं माननीय मन्त्री से यह भी जानना चाहूंगा कि सहकारी गृह-निर्माण समितियों द्वारा भवन बनाने के लिए उन्हें भूमि वितरण करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास कितनी भूमि उपलब्ध है और आवंटन में तेजी लाने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है।

श्री अब्दुल गफूर : नयी पंजीकृत समितियों को वास्तव में कितनी भूमि की आवश्यकता का अनुमान अन्तिम रूप से तभी लगाया जा सकता है जब इस ग्रुप की सभी समितियों की कुल

सदस्यता, अगर सत्यापन के आधार पर ज्ञात हों। मोटे तौर पर लगभग 6000 एकड़ भूमि की इसके लिए आवश्यकता पड़ सकती है। भूमि की कमी है। दिल्ली विकास प्राधिकरण भी 6000 एकड़ भूमि देने की स्थिति में नहीं है। अगर इन भूमियों का अधिग्रहण करके विकास किया गया तो निश्चित ही वे सभी समितियों को भूमि उपलब्ध करायेंगे।

श्री टी० बशीर : दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास कितनी भूमि उपलब्ध है। कम से कम आप इतनी तो दीजिए।

श्री अब्दुल गफूर : दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पहले ही बताया है कि भूमि की कमी है और इन समितियों को आवंटन करने के लिए लगभग 6000 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी।

श्री टी० बशीर : इस कार्य के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास कितनी भूमि है ?

श्री अब्दुल गफूर : बहुत से उद्देश्यों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण भूमि आवंटन करता है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण केवल ग्रुप हाऊसिंग सोसायटीज को देने के लिए ही भूमि अधिग्रहण करता है।

श्री टी० बशीर : इस उद्देश्य के लिए कितनी भूमि रखी गयी है। दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास कितनी जमीन है ?

श्री अब्दुल गफूर : इस समय मैं इस उद्देश्य के लिए वास्तव में कितनी भूमि रखी गयी हैं बताने की स्थिति में नहीं हूं। मैं मालूम करके आपको सूचित कर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए कोई निश्चित सीमा नहीं है।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : दिल्ली में 2000 से ज्यादा आवास समितियां हैं। उनमें से बहुत सी मुकदमेबाजी में चल रही हैं। अभी-अभी माननीय सदस्य ने दो नाम दिये थे—'दिल्ली स्कूल टीचर्स सोसायटी' तथा परवाना सोसायटी। इनमें गत दस वर्षों से चुनाव नहीं कराये गये थे। मुकदमे की आड़ में स्वयं प्रबन्ध भी मुकदमेबाजी की स्थिति पैदा करता है क्योंकि वे हमेशा के लिए प्रबन्ध में बने रहना चाहते हैं। अत: मैं माननीय मंत्री से एक विशिष्ट प्रश्न पूछना चाहूंगा। **(व्यवधान)**

आपका इससे क्या मतलब है ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न पूछिए। **(व्यवधान)**···मैंने उन्हें अनुमति नहीं दी है। आप अपने प्रश्न पर ध्यान दें।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : मैं हमेशा सुस्पष्ट और सुसंगत बात कहता हूं, महोदय। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया कोई बातचीत न करें। **(व्यवधान)**···मैंने किसी बात की अनुमति

नहीं दी है। मैंने किसी को अनुमति नहीं दी है, मैं, श्री जंगा रेड्डी, आपको भी अनुमति नहीं दे रहा हूं। मैं आपको उसी पंक्ति में रखता हूं। आप सभी के साथ एक जैसा ही है। (व्यवधान)

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : मैं माननीय मंत्री से सुस्पष्ट उत्तर देने के लिए कहूंगा। क्या आप एक संशोधन पेश करेंगे ताकि आम सभा को प्रति वर्ष बुलाया जाये और अधिनियम के अनुसार प्रतिवर्ष चुनाव हों—चाहे मुकदमा चल रहा हो अथवा नहीं? इसके लिए दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम में एक संशोधन की आवश्यकता है। क्या माननीय मन्त्री एक संशोधन लायेंगे?

श्री अब्दुल गफूर : जहां तक मुकदमेबाजी का प्रश्न है, इसका अर्थ सिर्फ यह नहीं है कि सहकारी समितियों में चुनाव नियमित रूप से अथवा समय पर नहीं कराये जाते है। अन्य प्रकार के मुकदमे भी चल रहे हैं। कुछ लोगों ने उच्च न्यायालयों में मुकदमे दायर किये हैं। अगर भूमि आवंटित कर भी दी जायें वे तब तक निर्माण नहीं कर सकते जब तक कि मुकदमों का फैसला नहीं हो जाता। इस समय 42 मुकदमे चल रहे हैं जिसमें 9 समितियां सदैव किसी न किसी बात पर मुकदमे बाजी करते रहते हैं। न्यायालयों में कुछ मामले लम्बित हैं। इन सब बातों पर ध्यान दिया जा रहा है और हम अन्तिम रूप से कुछ नहीं कह सकते कि उच्च न्यायालय, जहां मामले लम्बित हैं, कब फैसला देंगी। अगर इन बातों को अन्तिम रूप दिया जाये तो, हम निश्चित ही इनके विवरण पर गौर करेंगे।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : टर्म पूरा होने के बाद मैनेजमेंट को रद्द कर के स्पेशल आफिसर एप्वाइंट कर सकते हैं, वह क्यों नहीं कर रहे हैं। यदि चुनाव नहीं करवा सकते हैं और उनका टर्म कम्पलीट हो गया तो उनके मैनेजमेंट को रद्द कर के स्पेशल आफिसर नियुक्त कर सकते हैं।

श्री अब्दुल गफूर : आपका यह जो सजेशन है उसमें जो केसेज कोर्ट में हैं उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं लेकिन जो दूसरी बात है, दूसरे केसेज के बारे में आपने जो जिक्र किया है, मुझे खुशी है मैं आज ही जाकर दफ्तर में कह दूंगा कि इस किस्म के जितने भी केसेज हों उनको रजिस्ट्रार जल्दी से जल्दी डिसाइड कर दें।

[अनुवाद]

श्री सन्तोष मोहन देव : महोदय, कुछ गरीब संसद सदस्यों ने ऐसी ग्रुप हाऊसिंग सोसायटीज बनायी थीं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन समितियों को भूमि आवंटित कर दी गयी हैं अथवा उन्हें भूमि देने की बात विचाराधीन है?

श्री अब्दुल गफूर : महोदय, जहां तक संसद सदस्यों का सम्बन्ध है, सभी समितियों को भूमि आवंटित कर दी गयी है।

भविष्य निधि लेखा पर्चियां

*747. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि विभिन्न प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को उनकी भविष्य निधि का वार्षिक विवरण और लेखा पर्चियां नियमित रूप से नहीं मिल रही है;

(ख) क्या न लौटाये जाने वाले ऋणों के लेखे और भविष्य निधि के अन्तिम भुगतान के लेखे उचित रूप में नहीं रखे जाते हैं;

(ग) क्या सरकार को इसके बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या सुधारात्मक कार्यवाही की गई है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) सरकार को मालूम है कि लेखों के वार्षिक विवरण काफी संख्या में जारी करने के लिए लम्बित पड़े हुए हैं।

(ख) वर्ष 1984-85 के दौरान, 268·27 करोड़ रुपये के 5,02.279 भविष्य निधि दावों तथा 82 40 करोड़ रुपये के धन निकालने के 2,96,360 आवेदन पत्रों का निपटान कर दिया गया था। तथापि, न लौटाये जाने वाले ऋणों के मामले और अन्तिम भुगतान के मामले अधिक संख्या में लम्बित पड़े थे।

(ग) और (घ) जी, हां। कुछ माननीय संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किया गया एक संयुक्त पत्र हाल ही में प्राप्त हुआ था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया था कि कलकत्ते में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय सही ढंग से कार्य नहीं कर रहा था और दावों के भुगतान, लेखों आदि के वार्षिक विवरण जारी करने में विलम्ब हुए थे। कलकत्ता में एक नये क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को तैनात कर दिया गया है और उसे अनुदेश दिए गए हैं कि वह प्रशासन को चुस्त करने के लिए विशेष प्रयास करें तथा लंबित पड़े दावों आदि के शीघ्र भुगतान के लिए कदम उठाएं। इस स्थिति को नियमित रूप से मानीटर किया जाता है और आशा की जाती है कि प्रशासनिक परिवर्तनों और प्रक्रिया को कारगर बनाने के फलस्वरूप स्थिति में पर्याप्त सुधार होगा।

श्री हन्नान मोल्लाह : महोदय, उत्तर में जो स्थिति बताई गई है उससे यह स्थिति कहीं अधिक गंभीर है, क्योंकि बहुत से पुराने मामले पड़े हैं। उदाहरण के तौर पर गिलांडर्स अर्बुथनोट एण्ड कंपनी के कर्मचारियों को 1982-83 से अपने लेखे नहीं मिले हैं। इसी प्रकार क्रामपटन ग्रीव्स के कर्मचारियों को 1979; बंगाल नेशनल चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री के कर्मचारियों को 1980 से; सिनक्लेयर होटल्स एण्ड ट्रान्सपोर्ट के कर्मचारियों को 1981 से और ईस्ट कोस्ट पेपर के कर्मचारियों को 1980 से लेखे के विवरण प्राप्त नहीं हुए हैं। स्थिति यह है। मंत्री महोदय ने वर्ष 1984-85 में निपटाये गये मामले के आंकड़े बताए गए हैं किन्तु यह नहीं बताया गया है कि कुल कितने मामले लम्बित पड़े हैं। निपटान के लिए कुल कितने मामले लम्बित पड़े हैं; यदि उनके आंकड़े पता चल जायें, तभी वास्तविक स्थिति का पता चल सकता है।

श्री पी० ए० संगमा : महोदय, मेरे पास 30-9-1985 तक के आंकड़े हैं। 30-9-1985

को 299.65 लाख रुपये के मामलों को निपटाया जाना शेष था। इसमें से 161.18 लाख रुपये की पर्चियां जारी कर दी गई है और उस तारीख को 138.47 लाख रुपए के मामले लम्बित पड़े थे। जहां तक लेखों के निपटाये जाने का प्रश्न है; उसके आंकड़े ये हैं।

श्री हन्नान मोल्लाह : महोदय, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जो कारखाने बंद हो गए हैं उनके कर्मचारियों के बारे में स्थिति बहुत ही अधिक गंभीर है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में प्रेमचंद जूट मिल नाम का एक कारखाना है। यह कारखाना गत 8-9 वर्ष बंद पड़ा है। उसके अनेक कर्मचारी मर चुके हैं किन्तु उन्हें न तो उनका लेखा प्राप्त हुआ और न धन ही। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसे मामले के संबंध में विशेष कदम उठायेगी ? यदि हां; तो मैं यह जानना चाहूंगा कि इतने पुराने मामलों को निपटाने के लिए क्या प्रबंध किया जाएगा ?

श्री पी० ए० संगमा : महोदय, भविष्यनिधि अंशदान के मामले में पटसन उद्योग सबसे अधिक दोषी है किन्तु वह एक प्रथम मामला है। यदि दावे के कुछ विशिष्ट मामले हैं, तो माननीय सदस्य मुझे बतायें और मैं उन्हें देखूंगा।

श्री मनोरंजन भक्त : महोदय, भविष्य निधि आयुक्त कलकत्ता का क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तक भी बढ़ा दिया गया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जहां नियोक्ता सरकार है, कर्मचारियों की लेखा पर्चियां नियमित रूप से नहीं दी जाती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए पहले श्रम मंत्रालय ने पोर्ट ब्लेयर में एक निरीक्षक तैनात कर दिया था। दुर्भाग्यवश, निरीक्षक कार्यालय ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहा है और जो लेखे कलकत्ता में थे उन्हें अब तक वहां नहीं भेजा गया है। इसलिए, इन बातों को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वह द्वीप समूह के कार्यालय को मजबूत बनाने के बारे में विचार करेंगे जिससे कि वे सभी लेखे पोर्ट ब्लेयर स्थानान्तरित किए जा सकें और जो कर्मचारी नियमित रूप से लेखा पर्चियां प्राप्त नहीं कर रहे हैं वे उन्हें प्राप्त कर सकें तथा क्या दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही भी की जाएगी।

श्री पी० ए० संगमा : मैं इस बात से सहमत हूं कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और हम उन पर ध्यान देंगे।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा उत्पादों के गुण-प्रकार पर निगरानी रखने के लिए एक कार्य-बल की स्थापना

*748. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने अपने उत्पादों के गुण प्रकार पर निगरानी रखने के लिए एक कार्य दल की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) ग्राहकों को किस सीमा तक भारतीय इस्पात प्राधिकरण से अच्छी किस्म का माल मिलेगा ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) प्रौद्योगिकीय प्रक्रिया नियंत्रण मानकों, जांच तथा पैकिंग मानदण्डों आदि का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए 'सेल' के सभी इस्पात कारखानों में क्वालिटी आश्वासन दलों (क्वालिटी एशोरेंस ग्रुप) का गठन किया गया है। क्वालिटी के बारे में ग्राहकों की संतुष्टि करने के कार्य की जिम्मेदारी कारखानों के मुख्य धातु-वैज्ञानिकों को सौंपी गई है।

(ख) और (ग) : राउरकेला, भिलाई तथा बोकारो के इस्पात कारखानों में इस्पात क्वालिटी में सुधार करने के लिए कई उपाय किए गए हैं। इस्पात की क्वालिटी में सुधार के लिए उपाय दुर्गापुर इस्पात कारखाने की आधुनिकीकरण की योजना में शामिल कर लिए गए हैं। हाल के वर्षों में सरकारी क्षेत्र के कुछ इस्पात कारखानों में डी-सिलिकोनाइजेशन, डी-सल्फराइजेशन, लाइम-डस्ट इन्जेक्शन, लेडल रीफाइनिंग तथा क्लोजर प्रौसेस कंट्रोल के उपाय लागू किए गए हैं। राउरकेला इस्पात कारखाने ने अभी हाल में सिलिकान इस्पात का उत्पादन शुरू किया है। इस कारखाने में परीक्षण के तौर पर इस्पात की मजबूती तथा तन्यता (डक्टाइलटी) के लक्षणों में सुधार करने के लिए बेलन की नई तकनीक लागू की गई है जबकि भिलाई ने निरन्तर ढलाई की पद्धति शुरू की है।

इस्पात की क्वालिटी में सुधार करने के लिए 'सेल' द्वारा किए गए उपायों के परिणामस्वरूप देश में इस्पात की बढ़िया क्वालिटी की विभिन्न किस्में तैयार की जा रही हैं। वैद्युतिक इस्पात की चादरों एल० पी० जी० चादरों और डीप-ड्राइंग तथा एक्स्ट्रा डीप-ड्राइंग क्वालिटी की इस्पात की चादरों जैसी इनमें से कुछ मदों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। अब ग्राहकों को बेहतर सतह क्वालिटी तथा बेहतर यांत्रिक गुणों सहित बढ़िया क्वालिटी का इस्पात मिलने लगा है।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : अध्यक्ष जी, बाजार के अन्दर जो स्टील मिलता है, वह काफी सब-स्टैंडर्ड का होता है और ऐसा माल काफी मात्रा में मार्केट में आता है और ग्राहक को उसका पूरा पैसा देना पड़ता है। सब-स्टैंडर्ड से मेरा मतलब यह है कि कुछ स्टील हार्ड हो जाता है और सोफ्ट नहीं रहता है। प्लेट्स और शीट्स जो यूनीफार्म आनी चाहिए, उसका वह साइज नहीं रहता है और ग्राहक को कांट-छांट करने की वजह से महंगा पड़ता है और प्रोडक्शन घट जाता है छोटे-छोटे स्माल सैक्टर यूनिट्स का और इस तरह से वह उन को महंगा पड़ता है। मैं यह पूछता हूं कि आप जब इंस्पैक्शन करते हैं स्टील प्लान्ट से बाहर जाने से पहले, तो उसमें कितने परसैंट रिजैक्ट करते हैं। जो रिजैक्टकिया हुआ माल है, उसको पूरी कीमत पर इन लोगों को ओपन मार्केट में खरीदना

पड़ता है। इस चीज को रोकने के लिए आपने किस प्रकार की व्यवस्था की है और अगर नहीं की है, तो क्या इसकी व्यवस्था आप करेंगे।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : अध्यक्ष जी, जो माल रिजैक्ट होता है, वह कुछ तो बेचा जाता है मगर वह रिजैक्ट के तौर पर बेचा जाता है और अच्छे इस्पात के रूप में नहीं बेचा जाता है और जो उसको खरीदता है, वह यह समझकर खरीदता है कि यह रिजैक्टैड माल है और इसमें कोई बुराई नहीं है।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : इसमें पहचान नहीं होती है कि यह माल रिजैक्टेड है और वह आइटम शार्ट सप्लाई में रहती है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि स्टील प्लांट में कई चीजें बनती हैं, जिनमें दो, दो और तीन-तीन हजार पर टन का प्रीमियम है और कई आपके लोग उसको उठाते नहीं हैं और डीलर को कम्पेल करते हैं कि जो माल नहीं बिकता है, वह भी लो। प्रीमियम लेकर माल को बेचते हैं और इस तरह की स्थिति चल रही है। मैं माननीय मन्त्री जी को कहना चाहता हूं कि आप रिवायरमैंट्स के हिसाब से स्टील प्लांट्स में प्रोडक्शन कराएं। जिस चीज की ज्यादा जरूरत है, उसकी ज्यादा प्रोडक्शन करें और जिस की कम जरूरत है, उसकी कम प्रोडक्शन करें लेकिन हो रहा है इसका उल्टा। जिसकी जरूरत नहीं है, वह ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं और जिसकी शार्टेज है, उसकी प्रोडक्शन कम हो रही है। दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि जो रिजैक्टेड माल होता है, उस पर कोई स्टैम्पिंग नहीं होती है कि यह रिजैक्टेड माल है। इससे लोगों को मालूम नहीं पड़ता है कि यह रिजैक्टेड माल है और उस माल को लोगों को खरीदना पड़ता है। यह वस्तु-स्थिति है। मैं जानना चाहता हूं कि इसको दूर करने के लिए आप क्या व्यवस्था करेंगे।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दो सवाल उठाए हैं। एक तो यह कि रिजेक्टेड माल पर स्टैम्पिंग होती है या नहीं। किस तरह से इनको बेचा जाता है, इसकी मैं जानकारी प्राप्त करूंगा, स्टैम्पिंग करते हैं या नहीं करते हैं। दूसरा सवाल उन्होंने यह उठाया है कि कुछ ऐसे आइटम्स बनते हैं, जिनको स्लो-मूविंग आइटम्स कहते हैं और उनको फास्ट मूविंग आइटम्स के साथ मिला कर बेचा जाता है। यह बात सही है और यह बात इसलिए करनी पड़ती है कि मार्केट बदल जाती है। आज आपने एक प्रोडक्शन कैपेसिटी स्थापित की और मार्केट प्रोजैक्शन जो आज है, वह दो-तीन साल के अन्दर बदल जाती है। उस हद तक उसमें कुछ न कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ता है और मैं यह समझता हूं कि आज की स्थिति इस तरह की नहीं है जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि जिन की अधिक मांग है, वे चीजें नहीं बनती हैं। जिस चीज की मांग है, वही चीज ज्यादा बनती है लेकिन मार्जीनली ऐसी चीजें भी बनती हैं, जिनकी उतनी मांग नहीं है। इसलिए दोनों को मिलाना पड़ता है।

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश में हल्दी केन्द्र की स्थापना

*749. **श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आन्ध्र प्रदेश में एक हल्दी केन्द्र खोलने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो यह किस स्थान पर खोला जायेगा और इससे संबंधित परियोजना का अन्य ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमन्। यह केन्द्र अखिल भारतीय समन्वित मसाला अनुसंधान प्रायोजना के समन्वय का काम करने वाले केन्द्रों में से एक होगा, जो वर्ष 1986-87 से आन्ध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के अन्तर्गत काम करेगा।

(ख) उपरोक्त केन्द्र के लिए अभी कोई स्थान तय नहीं हुआ है। प्रस्तुत योजना में इस केन्द्र के लिए 2.25 लाख रुपये नियत किए गए हैं जिसमें से 1.69 लाख रुपये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् देगी तथा 0.56 लाख रुपये राज्य सरकार देगी। यह केन्द्र आन्ध्र प्रदेश के लिए खासतौर से हल्दी की उपयुक्त किस्मों के चुनाव पर कार्य करेगा।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : महोदय, हल्दी उत्पादन क्षेत्र के मामले में आन्ध्र प्रदेश का क्षेत्र पहले या दूसरे स्थान पर हैं, किन्तु दुर्भाग्यवश, देश में प्रति एकड़ पैदावार के हिसाब से आन्ध्र प्रदेश तीसरे नम्बर पर आता है अर्थात् यहां प्रति हैक्टेयर 27.5 क्विंटल हल्दी पैदा होती है। तमिलनाडु में प्रति एकड़ 52.9 क्विंटल और कर्नाटक में 35.7 क्विंटल हल्दी पैदा होती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अन्ततोगत्वा सरकार ने यह महसूस कर लिया है कि मसालों पर अनुसंधान करने के लिए एक केन्द्र खोलने की आवश्यकता है। क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र की स्थापना कब तक हो जायेगी। केन्द्र गुन्टूर जिले के कुडुपा या दुग्गीराला में खोला जाये जो हल्दी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। क्या सरकार अनुसंधान केन्द्र आरम्भ करने के लिए शीघ्रातिशीघ्र सभी कदम उठायेगी और आंध्र-प्रदेश के विभिन्न भागों की मिट्टी, गर्मी, और सिंचाई साधनों के लिए उपयुक्त सर्वोत्तम किस्म का पता लगायेगी।

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैं पहले हीं कह चुका हूं कि हम केन्द्र स्थापित करने जा रहे हैं और अन्तिम निर्णय शीघ्राति शीघ्र लिया जायेगा।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : हल्दी प्रत्येक परिवार के दैनिक उपयोग की बहुत ही महत्त्वपूर्ण वस्तु है। इसके अलावा निर्यात के लिए भी यह एक महत्त्वपूर्ण वस्तु है और हर वर्ष इसका निर्यात बढ़ रहा है। निर्यात आय, जो 1981-82 में 5 करोड़ रुपये थी, 1984-85 में बढ़ कर 72 करोड़ रुपये हो गई। तथापि किसानों को वास्तविक लाभ नहीं मिल रहा है। अनेक बार, मूल्य कभी बहुत अधिक और कभी बहुत कम रहता है। मूल्य उस समय बहुत कम होता है, जब फसल किसानों के पास रहती है। हल्दी का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या सरकार किसानो के लिए इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए तत्काल कदम उठायेगी जिससे कि मजबूरन बिक्री के समय इन्हें मदद मिल सके।

श्री योगेन्द्र मकवाना : सरकार यह कभी नहीं चाहती है कि किसानों को नुकसान हो । राज्य सरकार से जब कभी अनुरोध किया जाता है तो तत्काल उसे पूरा किया जाता है । खरीददारी के मामले में नाफेड़ मुख्य एजेंसी की भूमिका निभाती है, जब कभी भी अपेक्षित होता है, मूल्यों की घोषणा तत्काल कर दी जाती है । नारियल के मामले में भी हमने यही किया था । मूल्य गिरने पर हमने 1200 रुपये प्रति क्विंटल की दर से नारियल खरीदे थे । हम अन्य मामलों में भी यही करते हैं किन्तु राज्य सरकार को हमसे अनुरोध करना होता है ।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव : मैं यह जानना चाहता था कि क्या सरकार का विचार हल्दी का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने का है ।

श्री योगेन्द्र मकवाना : सभी वस्तुओं के लिए यह आवश्यक नहीं है । आवश्यकता पड़ने पर राज्य सरकार आगे आती है और केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करती है और हम ऐसा करते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : श्री मिश्र ।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र : माननीय मन्त्री जी, उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों, खास तौर से देवरिया और नार्थ बिहार के सीवान जिले में हल्दी की खेती बहुत अच्छी होती है और पैदावार भी बहुत अच्छी होती है । मैं जानना चाहूंगा कि क्या वहां पर भी इस तरह के अनुसंधान केन्द्र खोलने का प्रबन्ध करेंगे ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : आन्ध्र में इसकी जरूरत थी, वहां किया । और जगह भी जब जरूरत होगी तब देखा जायेगा ।

श्री वी० तुलसी राम : अध्यक्ष महोदय, आज हमारे अध्यक्ष जी बहुत खुश हैं । यदि जीरो, आवर में भी अध्यक्ष जी खुश रहें तो हम लोग खुश हो जाते हैं । मैं मंत्री जी को आन्ध्र प्रदेश में हल्दी का सैन्टर देने के लिए बधाई देता हूं । इसके साथ-साथ मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं । इससे कितने किसानों का फायदा होगा ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहां पीने का पानी कम है हम बोरिंग करें तो पानी नहीं निकला कहीं ऐसा तो नहीं है कि आन्ध्र प्रदेश में ही कोई ऐसा सेंटर दें और हिसाब लगा लें कि हमने आन्ध्र प्रदेश को सैन्टर दे दिया । परन्तु जिसके वास्तविक लाभ नहीं हैं ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले ही कहा है कि कन्जक्टर कर रहे हैं ।

श्री योगेन्द्र मकवाना : अध्यक्ष जी, उस सैंटर से पूरे स्टेट के किसानों को काफी फायदा होगा और जगहों के किसानों को भी फायदा होगा ।

खेतड़ी तांबा परियोजना से निकालने वाली गैस, धूंआ और अपशिष्ट पदार्थ

*750. **श्री मौहम्मद अयूब खां :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेतड़ी तांबा परियोजना की चिमनियों से निकलने वाली गैस/धुएं और इकट्ठा हुए पानी/अपशिष्ट पदार्थ बहाये जाने का क्षेत्र में स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य और फसलों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए सरकार का कोई उपाय करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

[अनुवाद]

खान विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख) हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड ने खेतड़ी तांबा परियोजना से निकलने वाली गैस/धुंआं और अपशिष्ट पदार्थों के प्रतिकूल प्रभावों की रोकथाम के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

(1) प्रद्रावक की सल्फ्यूरश गैसों को सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में इस्तेमाल किया जाता है ।

(2) राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरी शोध संस्थान, नागपुर को वायु प्रदूषण के बारे में परामर्शदाता नियुक्त किया गया है और सल्फ्यूरस गैसों को नियन्त्रित करने के लिए एक कार्य योजना बनाई गई है, जिसे राजस्थान के प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है ।

(3) खेतड़ी खान से निकलने वाला खनन पानी पूरी तरह सांद्रक संयंत्र में प्रयुक्त होता है और उसे बाहर नहीं छोड़ा जाता । कोलिहान में खनन पानी की अधिकांश मात्रा की आंतरिक खपत होती है और बहुत कम मात्रा बाहर छोड़ी जाती है । दोनों स्थानों में पानी की क्वालिटी निर्धारित मानकों के अन्तर्गत है ।

(4) सान्द्रक संयंत्र की अपशिष्ट सामग्री (पछोड़न) एक तालाब में डाली जाती है और ठोस अपशिष्ट की निकासी पर पूरा अंकुश है ।

5. अम्ल (एसिड) संयंत्र एवं शोधनशाला के अपशिष्ट को अब चूने से निष्प्रभावी कर दिया जाता है ।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अयूब खां : जनाबे सदर मोहतरिम, खेतड़ी कांपर प्रोजैक्ट से खतरनाक धुआं और गैस चिमनियों के जरिए निकलती है; जिसकी बिना से वहां के किसानों की खेती और कम

मात्रा में जो फसल होती है, वह भी उससे बर्बाद हो जाती है। उसको बचाने के लिए हमारी मन्त्री साहिबा क्या कर रही हैं ? दूसरे उस प्रोजेक्ट से जो पानी निकलता है, जिसको उन्होंने इकट्ठा किया हुआ है, उसकी बिना से नौ किलोमीटर के एरिया में कुवों के पानी का टेस्ट खारा हो गया है। इसको दूर करने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं ?

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, चिमनियों से निकलने वाली गैस से नजदीक के क्षेत्रों में सैम्पल सर्वे और पिरियोडिकल टैस्ट हुए हैं और 1980 से आज तक प्रति महीने जो सर्वे होता है, उससे यह आंका गया है कि हिन्दुस्तान कॉपर प्रोजैक्ट की कार्यवाही के कारण उस क्षेत्र के फसलों की कोई क्षति नहीं हुई है। जहां तक पीने के पानी के प्रदूषण का सवाल है, मैं माननीय सदस्य को बतलाना चाहती हूं कि कन्सनट्रेट से जो मिट्टी, टेलिंग्स निकलती है, उसको पाण्ड में डाला जाता है। वह पांड में जमा कर मिट्टी नीचे बैठ जाती है और उसका पहाड़ जैसा बन जाता है और पानी ऊपर होता है। उस पानी को फिर साफ साफ करके कन्सनट्रेट में खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट में लेजाकर यूटिलाइज करते हैं और उससे किसी तरह का प्रदूषण नहीं होता है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं, जहां तक पीने के पानी का सवाल है, मैंने पहले ही कहा कि उसका सर्वेक्षण होता रहता है। सैन्ट्रल वाटर बोर्ड के जांच के मुताबिक भी खेतड़ी कापर काम्पलैक्स के कारण वहां की फसलों को नुकसान नहीं होता है या यहां के पानी में कोई कमी या बदलाव नहीं आता है। बल्कि वहां का पानी ऐसा है, जो कि खेतड़ी के इर्द-गिर्द के इलाकों में कुवों का पानी अधिक खराब और हार्डनैस है। वहां से 4)-50 किलोमीटर दूर हमारे खेतड़ी कॉपर काम्पलैक्स के सर्वे हुए हैं। उसका पानी और उससे ज्यादा खराब है और मानसून की कमी के कारण कई वर्षों से पानी न बरसने के कारण भी खेतों की फसलों को नुकसान हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : सवाल यह है, उन कुवों के पीने के पानी खराब हो गया है। अगर इसकी वजह से है, तो उसका क्या इलाज है ?

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : खेतड़ी कॉपर कम्पलैक्स की वजह से वहां जो नजदीक के इर्द-गिर्द के कुवों के पीने का पानी है, उसका सर्वेक्षण हुआ है। हम लोगों ने 40-60 किलोमीटर दूर के कुवों का भी सर्वे किया है, वहां का पानी ज्यादा हार्ड है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न नहीं पैदा होता है। उनके प्रश्न करने का अर्थ यह है कि क्या पहले से पानी अब खराब हुआ है ? सवाल यह है कि क्या पहले से पानी खराब हुआ है ?

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : पहले से ही ऐसा है। 1980 से आज तक है। पानी और हवा जो भी वर्तमान स्थिति है वह राजस्थान बोर्ड आफ प्रिवेन्शन और पोल्यूशन कन्ट्रोल के नर्म्स के तहत है जिसे उसने स्वीकार किया है।

श्री मोहम्मद अयूब खां : सदर मोहतरम, हमें उम्मीद थी कि हमारे प्रोजेक्ट के लिए एक बहुत ही काबिल मुतबिर और महिला मिनिस्टर साहिबा लगी हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब हाथ लगे तो पता लगा न।

श्री मोहम्मद अयूब खां : इनकी बदौलत किसानों को काफी राहत मिलेगी। जैसाकि इन्होंने बताया कि वहां पर फसल का कोई नुकसान नहीं होता, अगर वहां जाकर देखें तो पता लगेगा कि, जैसा नुकसान वहां पर फसलों का हुआ है ऐसी मिसाल नहीं मिलती। इसके लिए एक बंदोबस्त किया गया है, इन्होंने एक गैस टरबाइन का बंदोबस्त किया है। क्यों न उस गैस और धुएं को उस गैस टरबाइन में लिया जाए, ताकि खाद का जो कारखाना लगाया गया है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जा सके।

मेरा दूसरा सवाल है कि जो पानी है, इस प्रोजेक्ट की वजह से उसका टेस्ट खराब हो गया है। आप दो किलोमीटर दूर जाकर देखिए तो उस पानी में और इस पानी में जमीन-आसमानका अन्तर है। क्या प्रोजेक्ट इस बात का बंदोबस्त करेगा कि जो पानी खुद प्रोजेक्ट इस्तेमाल करता है, उन इलाके के लोगों को भी वहीं पानी दिया जाएगा ?

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : सवाल तो बहुत लंबा-चौड़ा है, लेकिन मैं एक वाक्य में जवाब दे रही हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप जवाब छोटा दे दीजिए।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : मैं कहना चाहती हूं कि चिमनी से जो गैस निकलती है, उस गैस को टरबाइन में ले जाने की संभावना नहीं है, लेकिन जहां तक चिमनी से निकलने वाली गैस में जो सल्फर डाई आक्साइड है, उसके बारे में मैं यह कहना चाहती हूं कि सल्फर बरनर का काम मई-जून के महीने में स्थापित होने जा रहा है, जिसके जरिए सल्फर डाई आक्साइड निकालेंगे और काफी मात्रा में गैस काम आ जाएगी और उससे सल्फ्यूरिक एसिड हम बनाने लगेंगे और दूसरी बात मैं यह कहना चाहती हूं;

[अनुवाद]

जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण अथवा किसी भी प्रकार के प्रदूषण के लिए एक दीर्घावधि और एक अल्पावधि योजना बनाई गई है। प्रदूषण निरोधक राजस्थान बोर्ड द्वारा इसका अनुमोदन किया गया है। नागपुर में 'नीरी' से उसके बारे में सलाह ली गई है। अतः परियोजना आरम्भ करते समय हर बात को ध्यान में रखा जाएगा। यह पूरी होने वाली है और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि यह परियोजना वर्ष 1987 के अन्त तक पूरी हो जाएगी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा ठेके

*752. **श्री सी० गंगा रेड्डी** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन फर्मों के नाम क्या हैं, जिन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण ने वर्ष 1985 के दौरान मकानों के निर्माण के लिए कुल मिलाकर 2 करोड़ रुपये से अधिक राशि के ठेके दिए हैं और निविदा में दर्शाया गया मूल्य कितना है और प्रत्येक ठेके की आबंटित दर क्या है;

(ख) इन फर्मों द्वारा किए गए निर्माण कार्य के लिए उन्हें प्राप्त होने वाले वास्तविक भुगतान के आधार पर वर्ष 1984 के दौरान प्रत्येक फर्म ने गृह निर्माण का कितना कार्य किया है;

(ग) क्या इन फर्मों के वर्ष 1984 के कार्य-निष्पादन के आधार पर, निविदाओं में उल्लिखित कार्यों को कार्यान्वित करने की इनकी अपेक्षित क्षमता नहीं थी, फिर भी उन्हें वर्ष 1985 में निर्माण कार्य के ठेके दिए गए; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या-क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 1985-86 में 2 करोड़ रुपए से अधिक के कुल मकानों के ठेके 19 फर्मों को आबंटित किए गए हैं। निविदायुक्त लागत सहित उनके ब्यौरे तथा प्रत्येक ठेके के लिए आबंटित दरें विवरण 'क' में दी गई हैं।

(ख) अपेक्षित सूचना विवरण 'ख' में दी गई है।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि केवल फर्मों द्वारा 1984 में किए गए सन्तोषजनक निर्माण कार्यों के आधार पर ही निर्माण कार्य अवार्ड नहीं किया गया था बल्कि इससे पूर्व की अवधि में भी दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा अन्य संगठनों के अन्तर्गत उनके कार्य निष्पादन को ध्यान में रखकर किया गया था।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण 'क'

उन ठेकेदारों के ब्यौरे जिन्हें 85-86 के दौरान 2.00 करोड़ रुपये से अधिक के आवास ठेके दिए गए।

क्रम संख्या	ठेकेदार का नाम	निर्माण कार्य	निविदा की राशि	प्रतिशतता
1	2	3	4	5
1.	मैसर्स अनन्त राज एजैन्सीज	1. त्रिलोकपुरी में स्ववित्त पोषित योजना के 320 मकानों का निर्माण।	2,60,74,500	61.05
		2. पूर्वी लोनी रोड में मध्यम आय वर्ग के मकानों का निर्माण		
		श्रेणी-I	93,54,442	60.20
		श्रेणी-II	93,54,442	60.20
		श्रेणी-III	93,54,442	60 20
		3. पश्चिमपुरी, पाकेट जी० एच०-13, में स्ववित्त पोषित योजना के श्रेणी-II 160 मकानों का निर्माण।	1,61,45,302	55.55
		4. पश्चिमपुरी में पाकेट जी० एच०-13, जी० एच० 6-17 में स्ववित्त पोषित योजना के श्रेणी-II के 160 मकानों का निर्माण।	1,57,67,692	55.55
		5. सैक्टर-15, रोहिणी, पाकेट, ई०-1 में मध्यम आय वर्ग के 288 मकानों का निर्माण।	1,94,51,633	56.00
		6. सैक्टर-15, रोहिणी, पाकेट ई०-11 में मध्यम आय वर्ग के 236 मकानों का निर्माण।	1,72,90,341	56.00

	7. सैक्टर-15, रोहिणी में 8314 मकानों का निर्माण उपकायी पाकेट 8 से 11 में ई० डब्ल्यू० एस० के 448 मकानों का निर्माण ।	1,08,85,687	63.00
	8 ई०-1 एफ० पाकेट 16,17,19 तथा 20 में ई० डब्ल्यू० एस० के 448 मकानों का निर्माण ।	1,08,85,687	63.00
	9. बी०-1 जी० पाकेट 12-15 में ई० डब्ल्यू० एस० के 448 मकानों का निर्माण ।	1,08,8 :,687	63.00
	10. बी०-1, एफ० पाकेट 8-13, में ई० डब्ल्यू० एस० के 704 मकानों का निर्माण ।	1,71,06,080	63.00
	11. बी०-1 सी० पाकेट 6-8, में ई० डब्ल्यू० एस० के 984 मकानों का निर्माण ।	93,39,433	63.00
	12. ब्लाक ए०, पाकेट 5-7 में ई० डब्ल्यू० एस० के 352 मकानों का निर्माण ।	85,92,897	63.00
2 मैसर्स कृष्ण कंस्ट्रक्शन कं०	1. पश्चिम बिहार, ग्रुप IV में मध्यम आय वर्ग के 192 मकानों का निर्माण ।	1,25,85,874	53.53
	2. कोण्डली में श्रेणी I तथा II के मध्यम आय वर्ग के 256 मकानों का निर्माण (आन्तरिक विकास सहित)	2,01,08,240	62.40

1	2	3	4	5
3.	मैसर्स कमल कंस्ट्रक्शन कम्पनी	1. कोण्डली में श्रेणी I तथा II के आन्तरिक विकास सहित मध्यम आय वर्ग के 256 मकानों का निर्माण।	2,01,08,240	61.65
		2. तुगलकाबाद एम० बी० रोड में स्ववित्त पोषित योजना के 108 मकानों का निर्माण।	65.41 लाख	55 00
4.	मैसर्स एस० आर० अशोक एण्ड एसोसिएट्स	कोण्डली में श्रेणी-III तथा IV के मध्यम आय वर्ग के 256 मकानों का निर्माण।	2,01,08,240	61.65
5.	मैसर्स नारायणदास आर० इसरानी	कोण्डली, ग्रुप 6 तथा 7 में मध्यम आय वर्ग के 256 मकानों का निर्माण।	2,00,15,376	61.65
6.	मैसर्स पण्डित कंस्ट्रक्शन कम्पनी	सरित, बिहार में स्ववित्त पोषित योजना के मकानों का निर्माण		
		1. उपकार्य श्रेणी-III के 60 तथा श्रेणी-II के 40, मकानों तथा 60 स्कूटर गराजो का निर्माण, श्रेणी-IV	118,50 लाख	51.50
		2. -वही- श्रेणी-III	118.50 लाख	51.50
		3. अशोक विहार, चरण-4, श्रेणी-5 में स्ववित्त पोषित योजना के 90 मकानों का निर्माण।	90.37 लाख	40.25
		4. अशोक बिहार, चरण-4, में एल० आई० जी० के 180 मकानों का निर्माण।	80.46 लाख	60.34
7.	मोहन कंस्ट्रक्शन कं०	1. रोहिणी के ब्लाक-बी, पाकेट-1, सैक्टर-17 में ई० डब्ल्यू० एस० के 512 मकानों का निर्माण।	141.44 लाख	64.30

	2. रोहिणी के पाकेट-4, सैक्टर-17 में ई० डब्ल्यू० एस० के 512 मकानों का निर्माण।	141.44 लाख	64.30
	3. रोहिणी के सैक्टर-17, ब्लाक बी०, पाकेट-8 में एल० आई० जी० के 288 रिहायशी एककों का निर्माण।	155.11 लाख	62.50
	4. रोहिणी के सैक्टर-16, ब्लाक-एच०, पाकेट-3 में ई० डब्ल्यू० एस० के 512 मकानों का निर्माण।	149.96 लाख	66.05
8. मैसर्स जी० के० गोयल	1. रोहिणी के सैक्टर-11, श्रेणी-6 में निम्न आय वर्ग के 256 मकानों का निर्माण।	104.18 लाख	63.25
	2 रोहिणी के सैक्टर-11, श्रेणी-7 में निम्न आय वर्ग के 256 यकानों का निर्माण।	104.18 लाख	63.25
9. मैसर्स जगत राम ग्रेहन एण्ड सन्स	1. रोहिणी के सैक्टर-16, ब्लाक-जी, पाकेट-5 में ई० डब्ल्यू० एस० के 512 मकानों का निर्माण।	140.75 लाख	63.50
	2. रोहिणी के सैक्टर-16, ब्लाक-जी, पाकेट-6 में ई० डब्ल्यू० एस० के 512 मकानों का निर्माण।	140.75 लाख	63.50
	3. रोहिणी के सैक्टर-16, ब्लाक-जी०, पाकेट-7 में ई० डब्ल्यू० एस० के 512 मकानों का निर्माण।	149.73 लाख	65.80

1	2	3	4	5
10.	मैसर्स ए० एस० सचदेवा	1. रोहिणी के सैक्टर-17, ब्लाक-ए०, पाकेट-6 में ई० डब्ल्यू० एस० के 512 मकानों का निर्माण।	142.30 लाख	65.30
		2. रोहिणी के सैक्टर-17, ब्लाक-ए०, पाकेट 8 में ई० डब्ल्यू० एस० के 512 मकानों का निर्माण।	142.36 लाख	65.30
		3. सरिता विहार के श्रेणी-5 में श्रेणी-III के 72, श्रेणी-II के 46 मकान तथा 72 स्कूटर गराजों का निर्माण।	143.14 लाख	51.50
11.	मैसर्स मधु किशन गुप्ता	1. मसूदपुर, डेरी फार्म में निम्न आय वर्ग के 368 मकानों का निर्माण	1,69,843	64.80
		2. यमुना सामूहिक समिति अलक नन्दा के 164 अतिरिक्त स्ववित्त पोषित योजना के मकानों का निर्माण।	78,60 लाख	59.00
12.	मैसर्स तांतियां कंस्ट्रक्शन कम्पनी	1. रोहिणी के पाकेट-6-11 में निम्न आय वर्ग के 384 तथा ई० डब्ल्यू० एस० के 72 मकानों का निर्माण।	1,63,18,171	59.10
		2. रोहिणी के पाकेट-6-1 में निम्न आय वर्ग के 288 तथा ई० डब्ल्यू० एस० के 160 मकानों का निर्माण।	1,47,45,698	59.80
		3. रोहिणी के पाकेट-3 निम्न आय वर्ग के 144 तथा ई० डब्ल्यू० एस० के 112 मकानों का निर्माण।	81,29,700	59.80

	4. रोहिणी के सैक्टर-7, पाकेट-1 (भाग) में ई० डब्ल्यू० एस० के 576 मकानों का निर्माण।	1,43,13,370	59.05
	5. रोहिणी के सैक्टर-5, पाकेट-9 (भाग) में ई० डब्ल्यू० एस० के 288 मकानों का निर्माण।	55,04,994	59.05
13. मैसर्स पी० एच० पी० बिल्डर्स	1. पाकेट-5 में निम्न आय वर्ग के 368 तथा ई० डब्ल्यू० एस० के 72 मकानों का निर्माण।	1,57,09,202	59.80
	2. सैक्टर-2, पाकेट-7 में निम्न आय वर्ग के 160 तथा डब्ल्यू० एस० के 64 मकानों का निर्माण।	73,88,667	61.00
14. मैसर्स सुकुमार चन्द जैन	1. ब्लाक-एफ०, पाकेट-3-7 में निम्न आय वर्ग के 388 रिहायशी एककों का निर्माण।	2,11,38,066	61.50
	2. ब्लाक-जी०, पाकेट-6-7 में निम्न आय वर्ग के 252 रिहायशी एककों का निर्माण।	90.59,172	61.50
	3. सैक्टर-18, पाकेट-8,9,10, ब्लाक-बी० में निम्न आय वर्ग के 324 रिहायशी एककों का निर्माण।	1,38,22,245	62.75
	4. सैक्टर-18, पाकेट-4,5 तथा 6, ब्लाक-बी० में निम्न आय वर्ग के 324 रिहायशी एककों का निर्माण।	1,38,22,245	62.75

1	2	3	4	5
15.	मैसर्स पी० सी० शर्मा एण्ड कं०	1. रोहिणी के सैक्टर-7, ब्लाक-ए० तथा बी० में 1960 रिहायशी एककों का निर्माण।		
		उपकार्य : ब्लाक-ए०, पाकेट-5,6,7 तथा 8 में निम्न आय वर्ग के 432 रिहायशी एकक	1,85,14,589	63.05
		उपकार्य : ब्लाक-ए०, पाकेट, 1,2,3 तथा 4 में मध्यम आय वर्ग के 320 रिहायशी एकक	2,02,95,294	59.75
16.	मैसर्स चरन जीत कौचर	1. किलोकरी में श्रेणी-2 मध्यम आय वर्ग में स्ववित्त पोषित योजना के 888 रिहायशी एककों का निर्माण (सिद्धार्थ एक्स्टेन्शन, ग्रुप-3, पाकेट-सी० किलोकरी में स्ववित्त पोषित योजना के मध्यम आय वर्ग श्रेणी-2 के 136 रिहायशी एककों का निर्माण)	114.80 लाख	52.95
		2. किलोकरी में मध्यम आय वर्ग 1 श्रेणी-2 में स्ववित्त पोषित योजना के 888 मकानों का निर्माण। उपकार्य: किलोकरी ग्रुप-6 में स्ववित्त पोषित योजना के मध्यम आय वर्ग/ श्रेणी-2 के 240 मकान उपकार्य : किलोकरी पाकेट-सी०, सिद्धार्थ एकस्टेन्शन में स्ववित्त पोषित योजना के मध्यम आय वर्ग 1 श्रेणी-2 के 120 रिहायशी एककों का निर्माण (ग्रुप-9 का शेष कार्य)।	103.77 लाख	52.08

17. मैसर्स हंस कंस्ट्रक्शन कं०	1. पश्चिम विहार, ग्रुप-2 (जी०-17 क्षेत्र) पाकेट-जी० एच० 8 में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत श्रेणी-2 के 152 मकानों का निर्माण।	1,50,58,776	56.25
	2. पश्चिम विहार, ग्रुप-2 (जी०-17 क्षेत्र) पाकेट-जी० एच०-13 में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत श्रेणी-2 के 160 रिहायशी एककों का निर्माण।	1,53,60,883.20	56.25
18. मैसर्स एन० के० कंस्ट्रक्शन कं०	1. पश्चिम विहार, पाकेट-जी० एच०-6 में जलपूर्ति, स्वच्छता सेवाएं तथा आन्तरिक विकास सहित, जनता श्रेणी के 504 मकानों का निर्माण	1,37,92,915.56	59.95
	2. पश्चिम विहार, पाकेट-जी० एच०-5, तथा 7, जोन-जी०-17 में जलपूर्ति स्वच्छता सेवाओं और आन्तरिक विकास सहित निम्न आय वर्ग के 1312 मकानों का निर्माण। उपकार्य : 288 रिहायशी एकक, ग्रुप-1	1,16,09,441	63.50
	3. पश्चिम विहार, जोन-जी० 17, पाकेट-जी० एच० 5 तथा 7 में निम्न आय वर्ग के 256 रिहायशी एककों का निर्माण, ग्रुप-2	1,03,17,016	63.50
19. मैसर्स ईश्वर सिंह एण्ड सन्स	1. पश्चिमपुरी, पावेट-जी० एच०-13, (जी० 17 क्षेत्र) में आन्तरिक विकास सहित श्रेणी-2 में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत 1140 मकानों का निर्माण, उपकार्य : ग्रुप-7 में 160 रिहायशी एकक।	1,54,47,055.75	56.25
	उपकार्य : ग्रुप-6 में 180 रिहायशी एकक	1,73,23,596.66	56.25

विवरण 'ख'

वर्ष 1984-85 के दौरान किए गए आवास निर्माण कार्य तथा विवरण 'क' में बताई गई फर्मों द्वारा प्राप्त भुगतान को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपयों में)

क्रम संख्या	ठेकेदार का नाम	निर्माण कार्य	1984-85 के दौरान प्रगति अधीन कार्य की निविदा राशि	84-85 के दौरान निर्माण कार्य के लिए किया गया भुगतान ।
1	2	3	4	5
1.	मैसर्स अनन्त राज एजेन्सी	1. दिलशाद गार्डन में मध्यम आय वर्ग के 304 मकानों का निर्माण ।	134.31	0.82
		2. त्रिलोकपुरी में स्ववित्त पोषित योजना के 320 मकानों का निर्माण ।	361.00	21.30
		3. सैक्टर-8, पाकेट-बी० में मध्यम आय वर्ग के 768/640 रिहायशी एककों का निर्माण (रोहिणी) ।	345.75	179.50
		4. रोहिणी के सैक्टर-8, पाकेट-3 में 400/352 मध्यम आय वर्ग के रिहायशी एककों का निर्माण ।	180.08	97·46
		5. पीतमपुरा, पाकेट-आर (यू०) में मध्यम आय वर्ग के 504 रिहायशी एककों का निर्माण (शेष कार्य) ।	148.92	46.55

	6. ईस्ट आफ कैलाश में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत 192 बहुमंजिले फ्लैटों का निर्माण	317.40	151.62
	7. कालकाजी में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत आन्तरिक विकास सहित, श्रेणी-2 के 54, श्रेणी-2 के 216 मकानों तथा 216 स्कूटर गराजों का निर्माण ।	210.11	9.63
2. मैसर्स कृष्ण कंस्ट्रक्शन कम्पनी	1. नन्द नगरी में मध्यम आय वर्ग के 960 रिहायशी एककों का निर्माण ।	92 27	7.90
	2. पश्चिम पुरी, जी० 17 क्षेत्र में मध्यम आय वर्ग के 656/672 रिहायशी एककों का निर्माण ।		
	उपकार्य: ग्रुप-2 में 240/288 रिहायशी एककों का निर्माण ।	148.77	6.44
	उपकार्य: ग्रुप-3 में 160/192 रिहायशी एककों का निर्माण ।	96.87	5.82
	3. अलक नन्दा, ग्रुप-3 में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत 144 रिहायशी एककों का निर्माण ।	125.56	11.58
3. मैसर्स कमल कंस्ट्रक्शन कं०	1. मानसरोवर पार्क, ग्रुप-2 में मध्यम आय वर्ग/निम्न आय वर्ग के 240 रिहायशी एककों का निर्माण ।	101.83	61.94
	2. मानसरोवर पार्क, ग्रुप-3 में मध्यम आय वर्ग/निम्न आय वर्ग के 192 रिहायशी एककों का निर्माण ।	83.38	50.62
4. मैसर्स एस० आर० अशोक एण्ड एसोसिएट्स	—	—	—

1	2	3	4	5
5.	मैसर्स नारायण दास आर० इसरानी	1. नन्दनगरी में निम्न आय वर्ग के 414 रिहायशी एककों का निर्माण।	68.30	68.30
		2. नन्द नगरी में निम्न आय वर्ग के 288 रिहायशी एककों का निर्माण।	52.45	52.45
		3. रोहिणी के सैक्टर-6, पाकेट-डी० में ई० डब्ल्यू० एस० के 380 रिहायशी एककों का निर्माण।	76 79	9.17
		4. रोहिणी के सैक्टर-3, पाकेट-15 में मध्यम आय वर्ग के 184/160 रिहायशी एककों का निर्माण :	105.18	68.41
6.	मैसर्स पण्डित कंस्ट्रक्शन कं०	1 अशोक विहार, चरण-III में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत 180 रिहायशी एककों का निर्माण।	169.21	70.18
		2. अशोक विहार, चरण-IV ग्रुप सी० में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत 90 रिहायशी एककों का निर्माण।	85.77	39.00
		3. मदनपुर खादर डेरी फार्म में जनता श्रेणी के 58 मकानों का निर्माण।	19.29	6.81
7.	मैसर्स मोहन कंस्ट्रक्शन कम्पनी	1. ए०-2, पश्चिम विहार में मध्यम आय वर्ग के 585 रिहायशी एककों का निर्माण उपकार्य: ग्रुप-2 में मध्यम आय वर्ग के 249 रिहायशी एककों का निर्माण।	130.31	0.30

	2. ए०-5, पश्चिम विहार में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत 450 मकानों का निर्माण। उपकार्य: स्ववित्त पोषित योजना के ग्रुप-2 के 258 मकान।	175.92	15.20
	3. पीतमपुरा पाकेट 5 (डी), ग्रुप-3 में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत श्रेणी-3 के 96, श्रेणी-3 के 96 मकान तथा 144 स्कूटर गराजों का निर्माण।	152.50	20.92
	4. पीतमपुरा, पाकेट-5 (डी) ग्रुप-2 में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत श्रेणी-2 के 80, श्रेणी-3 के 80 मकान तथा 120 स्कूटर गराजों का निर्माण।	128.60	19.69
	5. पीतमपुरा पाकेट जे० (डी) में मध्यम आय वर्ग के 144 रिहायशी एककों का निर्माण।	75.41	15.64
	6. पीतमपुरा पाकेट-जे० (डी०) में मध्यम आय वर्ग के 152 रिहायशी एककों का निर्माण।	79.59	9.82
8. मैसर्स जी० के० गोयल			
9. मैसर्स जगत राम त्रेहन एण्ड सन्स	1. वसन्त कुंज, सैक्टर-डी०, ग्रुप-1 में श्रेणी-2 तथा 3 के 120, दो कमरे वाले 80 तथा 3 कमरे वाले 60 और 90 स्कूटर गराजों का निर्माण (स्ववित्त पोषित योजना)	150.16	21.56

1	2	3	4	5
		2. अलक नन्दा, पाकेट-डी०, ग्रुप-2 में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत 195 मकानों का निर्माण।	165.55	63.62
		3. अलकनन्दा, पाकेट-बी० तथा सी०, ग्रुप-I में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत 448 मकानों का निर्माण।	125.56	42.19
		4. अलकनन्दा, पाकेट-बी० तथा सी०, ग्रुप-II में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत 448 मकानों का निर्माण।	125.56	56.99
10.	मैसर्स ए० एस० सचदेवा	1. डी०-1/5 जनकपुरी में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत 24 अतिरिक्त मकानों का निर्माण।	24.56	शून्य
		2. बोडेला, पाकेट-ए० में मध्यम आय वर्ग के 320 रिहायशी एककों का निर्माण।	116.00	12.00
		3. पश्चिम विहार, पाकेट-ए०-II ग्रुप-3 में मध्यम आय वर्ग के 201 मकानों का निर्माण।	105.24	0.30
		4. ए०-5, पश्चिम विहार में ग्रुप-I स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत, 192 मकानों का निर्माण।	131.13	17.00
		5. डी० जी०-2, बोडेला में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत 560 मकानों का निर्माण।	221.71	90.14
11.	मैसर्स मधु किशन गुप्ता	—	—	—

12. मैसर्स तांतिया कंस्ट्रक्शन कम्पनी	—	—	—
13. मैसर्स आर० एच० पी० बिल्डर्स	1. वसन्त कुंज के सैक्टर-बी पाकेट-9, ग्रुप-5 ग्रुप-1 में 1008 रिहायशी एककों का निर्माण।	165.45	1.00
14. मैसर्स सुकुमार चन्द जैन	—	—	—
15. मैसर्स पी० सी० शर्मा	1. पश्चिमपुरी, जी० एच०-2 में मध्यम आय वर्ग के 216 रिहायशी एककों का निर्माण।	81.74	1.14
	2. पीतमपुरा, पाकेट-पी (डी) में निम्न आय वर्ग के 480 रिहायशी एककों का निर्माण।	137.82	28.07
	3. कालकाजी, एक्सटेन्शन, पाकेट-ए 13 में मध्यम आय वर्ग के 168 रिहायशी एककों का निर्माण।	79.21	2.79
	4. किशनगढ़, पाकेट-सी, ग्रुप-2 में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत 192 मकानों का निर्माण।	159.60	20.10
	5. वसन्त कुंज (किशनगढ़) में पाकेट-सी, ग्रुप-3 में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत मकानों का निर्माण।	126.58	30.73
	6. सामुदायिक केन्द्र के पश्चिम में कालकाजी में ग्रुप-2 में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत 540 रिहायशी एककों का निर्माण।	137.41	5.37

1	2	3	4	5
		7. सामुदायिक केन्द्र के पश्चिम में कालकाजी में (ग्रुप-III) स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत 540 मकानों का निर्माण।	237.99	74.47
		8. कालकाजी एक्स्टेन्शन, पाकेट-ए०-10 में मध्यम आय वर्ग के 282 मकानों का निर्माण।	141.72	4.87
		9. वसन्त कुंज के सैक्टर-सी० पाकेट-8 में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत 840 रिहायशी एककों का निर्माण। उपकार्य : आन्तरिक विकास सहित श्रेणी-III के 64, श्रेणी-II के 48 मकान तथा 80 स्कूटर गराजों का निर्माण (ग्रुप-II)	107.53	12.31
		10. —वही— उपकार्य : श्रेणी-III के 64, श्रेणी-2 के 48 मकान तथा 80 स्कूटर गराजों का निर्माण आन्तरिक विकास सहित (ग्रुप-III)।	132.57	54.37
		11. —वही— उपकार्य : श्रेणी-III के 104, श्रेणी-2 के 78 मकान तथा 130 स्कूटर गराजों के निर्माण सहित आन्तरिक विकास (ग्रुप-I)।	215.05	12.25
		12. अलकनन्दा, पाकेट-बी तथा सी ग्रुप-III में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत 448 रिहायशी एककों का निर्माण।	125.56	37.35
16.	मैसर्स चरनजीत कोचर	1. सिद्धार्थ एक्स्टेन्शन पाकेट-सी में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत श्रेणी-2 मध्यम आय वर्ग के 388 रिहायशी एककों का निर्माण। उपकार्य : ग्रुप-9 में मध्यम आय वर्ग 1 स्ववित्त पोषित योजना के श्रेणी-2 के 264 रिहायशी एककों का निर्माण।	155.40	23.59

17. मैसर्स हंस कंस्ट्रक्शन कं०	1. पश्चिमपुरी बी० जी०-III में निम्न आय वर्ग के 288 रिहायशी एककों का निर्माण।	108.07	7.25
	2. पश्चिम विहार डी० जी०-II में निम्न आय वर्ग के 160 रिहायशी एककों का निर्माण।	82.47	62.20
	3. जी० एच०-10, जी० 17 क्षेत्र में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत श्रेणी-3 के 96 मकानों का निर्माण।	108.00	35.15
18. मैसर्स एन० के० कंस्ट्रक्शन कं०	1. पश्चिमपुरी में जनता श्रेणी में 1092 रिहायशी एककों का निर्माण। उपकार्य : ग्रुप-1 में 516 रिहायशी एकक।	101.43	23.29
	उपकार्य : ग्रुप-2 में 576 रिहायशी एकक।	113.16	29.07
19. मैसर्स ईश्वर सिंह एण्ड	1. पश्चिम विहार में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत श्रेणी-2 के 528 मकानों का निर्माण। उपकार्य : जी० एच०-10, जी० 17 क्षेत्र में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत श्रेणी-3 के 96 मकानों का निर्माण।	111.39	30.00
	2. पश्चिम विहार, जी० एच०-10, में स्ववित्त पोषिय योजना के अन्तर्गत श्रेणी-3 के 123 मकानों का निर्माण।	148.30	39.85
	3. शालीमार बांग, पाकेट-यू० तथा वी० में मध्यम आय वर्ग के 683 मकानों का निर्माण। उपकार्य : मध्यम आय वर्ग के 320 रिहायशी एकक।		
	उपकार्य : मध्यम आय वर्ग के 368 रिहायशी एकक।	248.08	4.97

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न में "सी" भाग का जो उत्तर दिया गया है वह काफी घुमा-फिराकर दिया गया है। (व्यवधान) 1984 में उनका कितना काम था और कितना उन्होंने कंप्लीट किया था, यह मेरा सीधा प्रश्न था। उनको 1984 की क्वालिफिकेसंस के आधार पर काम नहीं दिया गया, बल्कि 1984 से पहले के काम के आधार पर दिया गया। अगर 1984 में उन्होंने क्वालिफिकेशंस पूरी नहीं की तो 1981 में कैसे करेंगे ? हमारे बाप ने अच्छा काम किया इसलिए हमको भी काम दे दीजिए यह बात समझ में नहीं आती। (व्यवधान)

एक कंपनी का नाम है "अनन्त राज एजेंसीज" सेकण्ड में देखिए बताया गया है कि 1984-85 में उनको 16 करोड़ रुपये का काम दिया गया था, लेकिन उन्होंने केवल 1/3 काम ही कंप्लीट किया और 1985-86 में आकर उनको दोबारा 18 करोड़ का काम दिया गया। यह 18 करोड़ का और बैलेंस 12 करोड़ का काम उनको दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : आप एक सवाल का जवाब दीजिए कि अगर काम न करवाना हो तो किसको दें ?

श्री सी० जंगा रेड्डी : काम न करवाना हो तो उनको दें, ठीक है। इसका जवाब तो मैं ही आपको दे सकता हूं। (व्यवधान)

कृषि मन्त्री सरदार बूटा सिंह : सीधा जवाब तो जंगा देंगे।

श्री सी० जंगा रेड्डी : कुल 55 ठेकेदार हैं इनमें से कितने लोग एग्रीमेंट के अनुसार जो इनको काम दिया है उसको पूरा कर रहे हैं। नौ महीने पूरे होने के बाद भी इन्होंने कितना प्रतिशत कार्य पूरा किया है और नहीं किया तो इसका क्या कारण है। जब इन्होंने 1984-85 में वर्क हाथ में लिए और पूरा नहीं कर पाये तो इनको 1985-86 में अवार्ड देने की क्या जरूरत थी क्या आपको दूसरे ठेकेदार नहीं मिले। इनके रेट में कितना अन्तर है आप यह बतायें ?

श्री बलबीर सिंह : माननीय सदस्य ने जो कहा है कि जवाब टेढ़-मेढ़ा दिया गया है, ऐसा नहीं है। डी० डी० ए० ने सब अखबारों में निविदायें निकालीं और सार्वजनिक स्थानों पर भी नोटिस लगाये गये। इन्होंने, डी० डी०ए० से पहले भी यह जहां रहे हैं वहां इन्होंने अच्छा काम किया है उसी के अनुसार इनको यहां काम दिया गया। हम मानते हैं इसमें कुछ खामियां हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि यह ठेकेदार काम नहीं कर रहे हैं। वह काम कर रहे हैं और जब सलाहकार बोर्ड आखिरी अनुमति देती है तब इनको ठेका दिया जाता है।

श्री सी० जंगा रेड्डी : मैंने यह नहीं पूछा। उन्होंने दूसरी जगह अच्छा काम किया होगा, लेकिन यहां नहीं कर रहे हैं।

आपके डी० डी० ए० के वाइस चेयरमेन ने 1985 में घोषणा की थी कि हम साल में

लाख मकान बनाकर दिल्ली वालों को दे देंगे। इस संदर्भ में उन्होंने दिल्ली वालों से पैसा भी ले लिया और कहा कि सेल्फ फाइनेंस स्कीम के अन्दर हम मकान बनाकर देंगे, लेकिन वह मकान बनाकर नहीं दिये। इस घोषणा को लगभग डेढ़ साल हो गया है। अगर उन्होंने अच्छा काम किया है और जगह तो यह बतायें कि कितने मकान उन्होंने बनाए हैं।

श्री बलबीर सिंह : जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि डी०डी०ए० ने घोषणा की है, हम भी चाहते हैं कि आवास की समस्या है इसको पूरा किया जाए। इसमें कुछ खामियां भी आती हैं, हम उसको दूर करने के लिए···

श्री सी० अंगा रेड्डी : घोषणा करने के बाद एक लाख में से अब तक कितने मकान पूरे किए गए हैं, सीधा सा प्रश्न है यह बता दें।

श्री दलबीर सिंह : यह आंकड़ों से सम्बन्धित है। इसलिए मैं यह बताने में अभी असमर्थ हूं। एक लाख में से कितने मकान बन गए हैं इसके बारे में पूर्ण आंकड़े आपको बाद में बता दूंगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं० 753—श्री गुरुदास कामत—अनुपस्थित।

प्रश्न सं० 754—श्रीमती उषा वर्मा—अनुपस्थित।

प्रश्न सं०755—श्री बलवन्त सिंह रामू वालिया।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : मैं अपने प्रश्न पर जोर नहीं देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं० 756-श्री डी० बी० पाटिल—अनुपस्थित।

प्रश्न सं० 757, श्री एस० जी० घोलप—अनुपस्थित।

प्रश्न सं० 758—श्री सोमनाथ रथ—अनुपस्थित; श्री हुसैन हलवाई—अनुपस्थित।

प्रश्न सं 759—श्री चरनजीत सिंह वालिया—अनुपस्थित।

प्रश्न संख्या 760 श्री सी०डी० पटेल—अनुपस्थित।

प्रश्न सं० 761—श्री हरीश रावत—अनुपस्थित।

अब प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में मत्स्य पालन का विकास

*742- श्री अतीश चन्द्र सिन्हा : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल मत्स्य बीज उत्पादन का कितने प्रतिशत पश्चिम बंगाल में होता है;

(ख) क्या मत्स्य बीज विकास संबन्धी राष्ट्रीय कार्यक्रम से राज्य में कुछ महत्वपूर्ण किस्मों की मछली की वृद्धि में आई गिरावट की प्रवृत्ति को रोकने में अधिक सहायता नहीं मिली है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सन्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है अथवा करने का विचार है ?

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) देश में 1985-86 के दौरान डिम्पोना के कुल उत्पादन का 76.5 प्रतिशत पश्चिम बंगाल में हुआ।

(ख) पश्चिम बंगाल में वाणिज्यिक तौर पर मछली की महत्त्वपूर्ण प्रजातियों के डिम्पोना की वृद्धि दर में गिरावट का रुख नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण और गांवों का विद्युतीकरण

*743. श्री बी० के० गढवी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि ग्रामीण विकास के लिए सड़कों के निर्माण और गांवों के विद्युतीकरण की आवश्यकता प्राथमिक है ;

(ख) क्या सरकार को गांवों में विशेषकर पिछड़े गांवो में, सड़कों और विद्युतीकरण की कमी के कारण रोजगार के अवसर उत्पन्न करने में अत्यधिक रुकावटें पैदा होने की जानकारी है ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई विशेष प्रयास करने का विचार है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार भूलभूत ढांचे की स्थापना के इस पहलू पर निगरानी रखने और दिशानिर्देश देने के लिए मंत्रालय में एक विशेष कक्ष बनाने का है ?

कृषि मन्त्री (सरदार बूटासिंह) : (क) से (घ) सड़कों का निर्माण तथा ग्रामीण विद्युतीकरण ग्रामीण विकास के लिए मूल आवश्यकताएं हैं। तदनुसार, सड़कों के निर्माण तथा गांवों के विद्युतीकरण को पंचवर्षीय योजनाओं में पर्याप्त अग्रता दी गई है तथा पांचवी योजना से इन्हें न्यूनतम

आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों का उद्देश्य 1990 तक 1500 से अधिक की जनसंख्या वाले सभी गांवों तथा 1000-1500 की जनसंख्या वाले 50 प्रतिशत गांवों को जोड़ना है। ग्रामीण सम्पर्क सड़कों के निर्माण का कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत भी आरम्भ किया जा सकता है। यद्यपि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम राज्य क्षेत्र में है फिर भी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत होने वाले व्यय को केन्द्र तथा राज्यों द्वारा बराबर-बराबर के आधार पर वहन किया जाता है। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम का पूरा व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

गांवों के विद्युतीकरण के अन्तर्गत सातवीं योजना में वर्ष 1990 के अन्त तक प्रत्येक राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र में कम से कम 65 प्रतिशत गांवों के विद्युतीकरण की परिकल्पना की गई है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत पिछड़े गये राज्यों के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए विशेष निधियां भी आबंटित की गई हैं। पिछड़े इलाकों में यथाशीघ्र बिजली पहुंचाने के लिए ऋण सहायता के मानदण्डों को उदार बनाने के लिए साथ-साथ और कई नीतियां तैयार की गई हैं। पम्मसेटों को शक्तिचालित करने के कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए भारतीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक तथा वाणिज्य बैंकों द्वारा संयुक्त रूप से वित्तपोषण करने हेतु विशेष कृषि परियोजना की योजना को निरन्तर अपेक्षित प्रोत्साहन दिया जा रहा है, खासतौर पर उन राज्यों में जहां अधिकांश कृषक-वर्ग को लाभ पहुंचाने हेतु-भू-जल क्षमता का पर्याप्त उपयोग करना अभी रहता है।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के ग्रामीण सड़क घटक की प्रगति की निगरानी योजना आयोग तथा ग्रामीण विकास विभाग द्वारा की जाती है। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत सड़क निर्माण के कार्य की निगरानी ग्रामीण विकास विभाग द्वारा की जाती है। ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम की निगरानी विद्युत विभाग द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम तथा राज्य विद्युत बोर्डों के साथ समय-समय पर ही होने वाली पुनरीक्षण बैठकों के द्वारा की जाती है।

किसानों को घटिया किस्म के उर्वरकों का सम्भरण

*745. **श्री सुभाष यादव** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार की जानकारी में आई है कि देश के विभिन्न भागों में घटिया किस्म के उर्वरकों का उत्पादन किया जा रहा है और किसानों को उनका सम्भरण किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप फसलों को भारी नुकसान हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान ऐसे कितने मामले सरकार की जानकारी में आए; और

(ग) घटिया किस्म के उर्वरकों के निर्माताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

निर्धारित मात्रा में उर्वरकों की सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जाती है। उर्वरकों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए उर्वरक नियन्त्रण आदेश के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा उनको प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत नमूने लिए जाते हैं। खपत किए गए उर्वरकों का लगभग 60 प्रतिशत भाग देश में उत्पादित किया जाता है और लगभग 40 प्रतिशत का आयात किया जाता है। राज्य सरकारों द्वारा देश में विनिर्मित उर्वरकों और आयातित उर्वरकों से लिए गए नमूनों के अलग से लेखे नहीं भेजे जाते। घटिया उर्वरकों से सम्बन्धित अपराध उत्पादन के समय अथवा वितरण के समय हो सकते हैं। 1984 और 1985 के के दो पंचांग वर्षों में 83,396 नमूने लिए गए और 6,097 नमूने घटिया पाए गए। 327. उर्वरक व्यापारियों और विनिर्माताओं के विरुद्ध मुकदमे चलाये गये और न्यायालय द्वारा 46 दोषी ठहराये गये। बहुत से मामले न्यायालयों में अब भी लम्बित पड़े हैं। तथापि, 4988 दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकरण के गैर-नवीकरण और पंजीकरण के निलम्बन सहित अन्य कानूनी और प्रशासनिक कार्यवाही की गई। भारत सरकार ने अपनी केन्द्रीय गुणवत्ता नियन्त्रण प्रयोगशाला के जरिए और केन्द्रीय अधिकारों के दलों के जरिए भी 282 नमूने लिए। इन नमूनों में से 66 नमूने घटिया पाए गए। राज्यों को सलाह दी गई है कि वे दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करें।

सामान्यत: यह पाया गया है कि भौतिक और दानेदार मिश्रण पोषक तत्वों के निर्धारित मानकों के अनुरूप होने में प्राय: असफल हुए हैं। इसलिए अपेक्षाकृत बड़ी मात्रा में नमूने ऐसे मिश्रणों के उत्पादकों से लिए जाते हैं जिससे कि किसानों को धोखा देने की प्रवृत्ति को रोका जा सके। राज्यों को राजी करने के भरसक प्रयास किए जाते हैं ताकि वे गुणवत्ता नियन्त्रण प्रयोगशालाओं और प्रवर्तन स्टाफ सहित अपनी गुणवत्ता नियन्त्रण अवसंरचनाओं को सुदृढ़ कर सकें।

बम्बई शहर परिवहन परियोजना

*753. **श्री गुरुदास कामत** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई शहरी परिवहन परियोजना केन्द्रीय सरकार के पास मंजूरी के लिए लम्बित पड़ी है ; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना का ब्यौरा क्या है और परियोजना को कब तक मंजूरी दे दी जायेगी ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) तथा (ख) महाराष्ट्र सरकार से बम्बई शहरी परिवहन प्रणाली पर एक प्रस्ताव हाल ही में केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हुआ है जिसमें विश्व

बैंक की सहायता मांगी गई हैं । इस परियोजना के मुख्य कार्य घटक ये हैं :—

	करोड़ रुपयों में
(क) कम्यूटर रेल	248.00
(ख) बस परिवहन (सड़क परियोजना इत्यादि सहित)	221.06
(ग) जल परिवहन	50.10
(घ) प्रौद्योगिकी अर्जन	3.00
(ङ) तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण	3.50
	525.66

महाराष्ट्र सरकार से कतिपय स्पष्टीकरण मांगे गए हैं । इन स्पष्टीकरणों के प्राप्त हो जाने के बाद ही विश्व बैंक की सहायता के लिए इस परियोजना को लेने की व्यवहार्यता पर विचार किया जायेगा ।

[हिन्दी]

चीनी मिलों में श्रमिकों को अन्तरिम सहायता

*754. **श्रीमती ऊषा वर्मा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी मिलों में काम करने वाले श्रमिकों के वेतन और अंतरिम सहायता की पुनरीक्षा करने और उनका पुनर्निधारण करने के लिए गठित वेतन बोर्ड ने अंतरिम सहायता देने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो अंतरिम सहायता की राशि क्या निर्धारित की गई है; और

(ग) इसे कब स्वीकार करने और कार्यान्ति करने का सरकार का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) सरकार वेतन बोर्ड की सिफारिशों पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है ।

चार्ल्स शोभराज के जेल से भाग जाने के समाचार का दूरदर्शन पर देरी से प्रसारण

*755. श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया
श्री काली प्रसाद पाण्डेय } : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चार्ल्स शोभराज के तिहाड़ जेल से भाग जाने का समाचार दूरदर्शन पर बहुत विलम्ब से प्रसारित किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) दिल्ली पुलिस मुख्यालय से घटना के बारे में सूचना प्राप्त होने पर दिल्ली दूरदर्शन ने भागने के बारे में सूचना, भगौड़े कैदियों के फोटो तथा संगत पुलिस टेलीफोन नम्बरों से युक्त एक विशेष मद तैयार करने का निर्णय लिया। इस विशेष मद को रात 9.30 बजे के अंग्रेजी समाचारों से ठीक पहले राष्ट्रीय संजाल पर टेलीकास्ट किया गया था।

इसके समाचारिक मूल्य को देखते हुए, इसे समाचार बुलेटिनों में भी दोहराना वांछनीय होता। दूरदर्शन से कह दिया गया है कि वह इस प्रकार के मामलों में अधिक सावधान रहे।

[अनुवाद]

खली का उत्पादन

*756. श्री डी० बी० पाटिल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खली का उपोग पशुओं के चारे और उर्वरक के रूप में भी किया जाता है;

(ख) वर्ष 1983-84, 1984-85 और अप्रैल से दिसम्बर, 1985 तक की अवधि में कुल कितनी खली का उत्पादन हुआ;

(ग) कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत खली का निर्यात किया जाता है; और

(घ) देश में ही समूची खली का प्रयोग पशुओं के चारे और उर्वरक के रूप में न किए जाने के क्या कारण हैं;

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) 1983 में 23.7 लाख मीटरी टन, 1984 में 25.5 लाख मीटरी टन तथा 1985 में 25.1 लाख मीटरी टन तेल रहित खली का उत्पादन हुआ।

(ग) तेल रहित खली के कुल उत्पादन में इसके निर्यात का प्रतिशत 1983-84 में 60.7, 1984-85 में 56.8 तथा अप्रैल से दिसम्बर, 1985 तक 29.8 था।

(घ) तेल रहित खली मिले सांद्रित आहार को उन क्षेत्रों में जहां विपणन संबंधी सुविधाएं सुलभता से उपलब्ध हों, अधिक उत्पादन देने वाले पशुओं को खिलाया जाता है। इसके अतिरिक्त अधिकांश पशु मालिकों की क्रय शक्ति कम होने से पशु आहार के रूप में सभी प्रकार की तेल रहित खली का उपयोग करना संभव नहीं है। उर्वरक के रूप में तेल रहित खली के प्रयोग को लोकप्रियता हासिल नहीं है, क्योंकि ये भारी होते हैं और रासायनिक उर्वरकों की तुलना में इनमें पौद पौषक तत्वों की मात्रा बहुत कम होती है।

मछली पकड़े जाने में आई गिरावट

*757. श्री एस० जी० घोलप : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मछली का अभाव है और 1985-86 में वर्ष 1983-84 तथा 1984-85 की तुलना में कम मछली पकड़ी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मछली का अभाव घोषित करने के लिए क्या मानदंड अपनाए जाते हैं;

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) तथा (ख) 1983-84 से 1985-86 तक पकड़ी गई मछलियों का ब्यौरा निम्नवत् है :—

(लाख मीटरी टन में)

वर्ष	समुद्री	अन्तर्देशीय	योग
1983-84	15.19	9.87	25.6
1984-85 (अनंतिम)	17.77	10.82	28.59
1985-86 (अनुमानित)	16.92	11.18	28.10

उपरोक्त सारणी से यह स्पष्ट होगा कि 1985-86 के दौरान पकड़ी गई मछली में कोई खास गिरावट नहीं आई है। तथापि, प्राकृतिक उतार-चढ़ाव के सामान्य परिवर्तनों की वजह से 1985-86 के दौरान पकड़ी गई अनुमानित मछली में मामूली अन्तर आया है।

(ग) उपरोक्त तथ्यों को दृष्टि में रखते हुए, मछली के अभाव की घोषणा करने से सम्बन्धित मानदंड अपनाने का प्रश्न नहीं होता है।

पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने हेतु शहरों में हरित पट्टी

*758. श्री सोमनाथ रथ
श्री हुसैन दलवाई : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विभिन्न शहरों में हरित पट्टी क्षेत्र बनाने की कोई राष्ट्रीय नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार पारिस्थितिक संतुलन बनाये रखने के लिए शहरों में हरित पट्टी क्षेत्रों की घोषणा करने का है; और

(घ) यदि हां, तो भारत के शहरों के कुल क्षेत्र के अनुपात में कितने क्षेत्र को हरित पट्टी क्षेत्र बनाया जाएगा ?

शहरी विकास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) तथा (ख) हरित पट्टियों सहित हरे-भरे स्थानों का प्रावधान शहरी विकास योजना का अनिवार्य भाग होता है। नगर तथा ग्राम आयोजना संगठन द्वारा सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को उनके मार्ग निर्देशन के लिए आदर्श क्षेत्रीय तथा नगर आयोजना तथा विकास कानून परिचालित किया गया है जिसमें इसके महत्व का उल्लेख किया गया है

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) नगर तथा ग्राम आयोजना संगठन द्वारा किए गए अध्ययन में, सम्पूर्ण देश में सम्मिलित 407 शहरों/कस्बों में से, 327 कस्बों/शहरों की बृहद योजनाएं हैं। इन योजनाओं में इस बात पर विचार किया गया था कि आमतौर से लगभग सभी शहरों/कस्बों में पार्कों और खेल के मैदानों के अन्तर्गत 7.3 प्रतिशत भूमि होगी। 10 लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों में यह प्रतिशतता 8 6,5 लाख से 10 लाख की जनसंख्या वाले शहरों में 8.9, एक लाख से 5 लाख की जनसंख्या वाले शहरों में 7.4,50,000 से एक लाख की जनसंख्या वाले शहरों में 6.1, 20,000 से 50.000 की जनसंख्या वाले शहरों में 2.4 और 20,000 से कम जनसंख्या वाले शहरों में 4.0 होगी।

गुजरात में कृषि उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य दिलाना

*760. श्री सी० डी० पटेल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंचाई, कृषि श्रमिकों और आदानों की ऊंची लागत होने के कारण गुजरात राज्य में किसानों को अपने उत्पादों, विशेषकर चावल, गेहूं और कपास के लाभप्रद मूल्य नहीं मिलते हैं; और

(ख) यदि हां, तो कृषि उत्पादन लागत को कम करने और किसानों को उनके उत्पादकों का उचित मूल्य दिलाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) और (ख) धान, और कपास सहित विभिन्न महत्वपूर्ण कृषि जिसों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित किए जाने वाले खरीद/न्यूनतम समर्थन मूल्यों में केवल उत्पादन की लगत ही शामिल नहीं होती, बल्कि उनमें लाभ की पर्याप्त गुंजाइश भी होती है। उत्पादन की लागत में भुगतान वाली लागत के साथ साथ भूमि जैसी परि सम्पत्ति और परिवार के श्रम की निहित कीमत भी शामिल होती है, जिसके लिए किसानों को नकद खर्च नहीं करना होता।

सरकार की नीति ऐसे कार्यक्रमों पर जोर देने की है, जिनसे कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ेगी। इन कार्यक्रमों में अन्य बातों के साथ साथ ये कार्यक्रम शामिल हैं—(1) छह पूर्वी राज्यों में केन्द्रीय प्रायोजित विशेष चावल उत्पादन कार्यक्रम, (2) मिनिकिट की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना जिसमें चावल घी शामिल हैं, (3) गेहूं के मिनिकिट कार्यक्रम की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना और (4) गुरजात सहित कपास उगाने वाले मुख्य राज्यों में एक केन्दीय प्रायोजित गहन कपास विकास कार्यक्रम।

[हिन्दी]

हल्द्वानी (उत्तर प्रदेश) में आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

*761. **श्री हरीश रावत** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में हल्द्वानी में आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो यह संस्थान वहां कब से कार्य कर रहा है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय का विचार इस संस्थान को अन्यत्र स्थानांतरित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पो० ए० संगमा) : (क) से (घ) जी, हां।

जून, 1981 से हल्द्वानी में आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कार्य कर रहा है। आदर्श

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को स्थापित करने की योजना को इस शर्त पर मंजूर किया गया था कि केन्द्रीय सरकार के भार को कम करने के लिए 7वीं योजना अवधि के दौरान संबंधित राज्य सरकारों को उनके स्थानांतरण की संभावना पर विचार किया जाएगा। जहां तक आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हल्द्वानी का संबंध है, मामले पर राज्य सरकार से परामर्श करके विचार किया जा रहा है।

[अनुवाद]

सोप ओपेरा धारावाहिक कार्यक्रमों का दूरदर्शन पर प्रसारण

7098. डा० बी० एल० शैलेश : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन नेटवर्क कार्यक्रम में इस समय कितने धारावाहिक कार्यक्रम (सोप ओपेरा) प्रसारित किए जा रहे हैं तथा उनके लिए कितना समय नियत किया गया है;

(ख) इनमें से प्रत्येक धारावाहिक कार्यक्रमों की कितनी कड़ियां है अथवा होने की संभावना है;

(ग) इन धारावाहिकों के महत्वपूर्ण समय में, विशेषकर उनके प्रसारण से पूर्व, बीच में विज्ञापनों को समय देने के क्या कारण है; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस महत्वपूर्ण समय के बीच में अंग्रेजी समाचारों के पश्चात् दिखाये जाने वाले कुछ कार्यक्रमों को दिखा कर इस महत्वपूर्ण समय का उपयोग करने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) दर्शकों की उपलब्धता को देखते हुए, मुख्य अवलोकन समय केन्द्र-दर-केन्द्र अलग अलग होता है। औसतन यह शाम 7.00 बजे से रात 10.00 बजे के बीच हो सकता है। धारावाहिकों से भिन्न कार्यक्रमों को भी इस समय के भीतर दिखाया जा रहा है।

जैसा कि दर्शकों की प्रतिक्रिया पर किए गए विभिन्न अध्ययनों से पता चला है, धारावाहिकों ने व्यापक स्वीकार्यता और लोकप्रियता प्राप्त की है। दूरदर्शन के अनेक कार्यक्रम अंग्रेजी समाचारों के पश्चात् अथवा हिन्दी समचारों से पहले टेलीकास्ट किए जाते हैं। यदि सामयिकता का तकाजा हो तो रात्रि 9.00 बजे के समय स्लाट को भी दूरदर्शन कार्यक्रम से बदल दिया जाता है।

विवरण

17-4-1986 को दूरदर्शन पर धारावाहिक टेलीकास्ट

दिन	समय	धारावाहिक का शीर्षक	कड़ियों की संख्या दिखाई गई	शेष
1	2	3	4	5
रविवार	प्रात: 10.30 बजे	एक दो तीन चार	7	6
	प्रात: 11.50	पंखों से पंजों तक (20-4-86 से शुरू)	—	13
	दोपहर	रजनी (1,3)	37	2
	12.20 बजे	लेना देना (2,4,5)	3	10
	दोपहर 12.50 बजे	छोटी बड़ी बातें	2	11
	दोपहर 1.20 बजे	खजाना	2	11
	दोपहर 1.50 बजे	कहां गए वो लोग	11	15
	सायं 5.15 बजे	विक्रम और बेताल (1,3,5)	16	9
		दादा-दादी की कहानी	5	10
	रात्रि 10.30 बजे	इंडिया एलाइव	17	9
सोमवार	रात्रि 9.00	नुक्कड़	23	10
बुधवार	रात्रि 10.20 बजे	छपते छपते	3	10
	रात्रि 9.00 बजे	छोटे बड़े	3	10
	रात्रि 10.20 बजे	अजूबे	7	6
बृहस्पतिवार	रात्रि 9.00 बजे	सत्यजीत रे प्रजेन्ट्स	1	12
शुक्रवार	रात्रि 9.00 बजे	कथा सागर	2	11
	रात्रि 9.50 बजे	रिश्ते नाते	6	7
दूरदर्शन द्वारा निर्मित कार्यक्रम				
रविवार	सायं 5.00 बजे	आजादी की कहानी (उपग्रह दूरदर्शन केन्द्र दिल्ली का कार्यक्रम)	11	29

1	2	3	4	5
विदेशी धारावाहिक				
रविवार	प्रातः 10.00 बजे	वाल्ट डिस्नेज मिकी एण्ड डोनाल्ड	17	9
'	प्रातः 11.00 बजे	शैरलक होम्स	5	2
मंगलवार	रात्रि 10.20 बजे	मेकिंग आफ मैनकाइंड	4	3
शनिवार	दोपहर 2.15 बजे	फ्रेगडल राक	22	7

दूरदर्शन कार्यक्रमों के समय में परिवर्तन

7099. **श्री मुल्लापल्ला रामचन्द्रन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी सर्वेक्षण अथवा किसी और बात पर आधारित कोई रिपोर्ट है जिसमें यह पता लगे कि दूरदर्शन के समय और कार्यक्रमों से बच्चों की पढ़ाई पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार दूरदर्शन के समय और कार्यक्रमों के बारे में उपयुक्त परिवर्तन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं। दूरदर्शन द्वारा किए गए सर्वेक्षण से यह पता चला है कि अधिकांश बच्चे अपनी पसन्द के कार्यक्रमों को देखने के लिए अपना टाइम-टेबल समंजित कर लेते हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

विदेशों में भेजे गए भारतीय पत्रकार

7100. **डा० जी० विजयराघव राव** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी संख्या में भारतीय पत्रकारों को प्रशिक्षण तथा कार्यक्रमों के आदान-प्रदान के लिए विश्व के अन्य देशों में भेजा जाता है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान भेजे गए पत्रकारों के नाम तथा प्रायोजित करने वाले अभिकरणों/सरकारों का ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख): पिछले तीन वर्षों के दौरान इस मंत्रालय द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों तथा प्रोतोकालों के अन्तर्गत 17 भारतीय पत्रकारों को विदेशों में भेजा गया था। इन पत्रकारों के नाम तथा इन्होंने जिन देशों की यात्रा की, उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्रम सं०	नाम	उस संगठन/समाचार पत्र का नाम जिसका प्रतिनिधित्व किया	वर्ष	उस देश का नाम जिसकी यात्रा की
1	2	3	4	5
1.	श्री डी० सेन	हिन्दुस्तान टाइम्स	1982-83	इटली
2.	श्री एल० के० शर्मा	टाइम्स आफ इंडिया	तथैव	इटली
3.	श्री एस० प्रभराव	स्टेट्समेन	तथैव	दक्षिण कोरिया
4.	श्री नरेन्द्र मोहन	जागरण	तथैव	दक्षिण कोरिया
5.	श्री वी० पी० रामचन्द्रन	मातृभूमि	तथैव	क्यूबा
6.	श्री एम० वी० गदकारी	सकाल	तथैव	क्यूबा
7.	श्री विजय दत्त	प्रोब इंडिया	तथैव	यूगोस्लाविया
8.	श्री मोहम्मद शमीम	टाइम्स आफ इंडिया	1983-84	मिश्र
9.	श्री एस० भट्टाचार्य	संडे वीकली	तथैव	सोवियत संघ
10.	श्री बी० आई० सैनी	उप प्रधान सूचना अधिकारी, पत्र सूचना कार्यालय।	तथैव	सोवियत संघ
11.	सुश्री मधु जैन	संडे वीकली	1984	सोवियत संघ
12.	श्री माधवन कुट्टी	मातृभूमि	1984-85	जी० डी० आर०
13.	श्री पी० के० कोहली	सूचना अधिकारी, पत्र सूचना कार्यालय।	तथैव	जी० डी० आर०

1	2	3	4	5
14.	श्री विट्ठल भाई पटेल	जय हिन्द	1984-85	बल्गारिया
15.	श्री यू० के० मिश्र	उप प्रधान सूचना अधिकारी, पत्र सूचना कार्यालय ।	तथैव	बल्गारिया
16.	श्री अशोक सी० जैन	महाराष्ट्र टाइम्स	तथैव	चेकोस्लोवाकिया
17.	श्री आर० के० आनंद	उप प्रधान सूचना अधिकारी, पत्र सूचना कार्यालय ।	तथैव	तथैव

विज्ञापन मानक प्राधिकरण की स्थापना

7101. **श्रीमती डी० के० भंडारी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अनेक अनैतिक, भ्रामक तथा लुभावने विज्ञापनों की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सिंगापुर में विद्यमान विज्ञापन प्रथा संहिता के अनुरूप यहां भी ऐसी संहिता बनाने का विचार है; और

(ग) क्या भ्रामक, झूठे तथा घातक विज्ञापनों से जनता को संरक्षण प्रदान करने के लिए एक विज्ञापन मानक प्राधिकरण स्थापित करने का भी सरकार का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) अपने लिए विज्ञापन प्रथा संहिता बनाना विज्ञापन एजेंसियों का काम है ।

(ग) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

आकाशवाणी तथा दूरदर्शन में कलाकारों का वर्गीकरण

7102. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलाकारों (स्टाफ आर्टिस्टों के अलावा) की आकाशवाणी तथा दूरदर्शन की इस समय कितनी श्रेणियां हैं;

(ख) प्रत्येक श्रेणी के लिए क्या मानदंड हैं; और

(ग) उस समिति के कौन-कौन सदस्य हैं जो आकाशवाणी दिल्ली तथा कलकत्ता, कलाकारों की श्रेणियों को निर्धारित करती हैं और वे कब से कार्य कर रही हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) इस समय आकाशवाणी में जो ग्रेड हैं वे हैं "टाप रैंकिंग", "ए", "ब-हाई", और "बी" ग्रेड-1 दूरदर्शन पर टेलीकास्ट करने के लिए कलाकारों की बुकिंग करने के लिए दूरदर्शन द्वारा कोई अलग ग्रेडिंग किए बिना इन ग्रेडों का अनुकरण किया जाता है ।

तथापि, दूरदर्शन में नृत्य कलाकारों की ग्रेडिंग करने के लिए, प्रत्येक दूरदर्शन केन्द्र में एक स्थानीय स्वर परीक्षण समिति गठित की गई है । इस समय दूरदर्शन में नृत्य कलाकारों के लिए चार ग्रेड हैं; अर्थात् सर्वोच्च ग्रेड, द्वितीय ग्रेड, साधारण ग्रेड तथा बाल कलाकार ।

(ख) ग्रेडिंग का मानदण्ड कलाकारों के कार्य निष्पादन की वह गुणवत्ता है जो स्वर परीक्षण में प्रकट होती है । तथापि, आकाशवाणी में सर्वोच्च ग्रेड में अपग्रेडिंग संबंधित कलाकारों, द्वारा प्राप्त की गई लोकप्रियता, ख्याति, मान्यता तथा प्रशंसा के आधार पर की जाती है ।

(ग) आकाशवाणी, दिल्ली, कलकत्ता तथा अन्य केन्द्रों की स्थानीय स्वर परीक्षण समिति के सदस्य अपने जोन के सुगम संगीत कलाकारों का "बी" ग्रेड तक ग्रेडेशन का निर्णय करने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं । महानिदेशालय स्थित संगीत स्वर परीक्षण बोर्ड तथा संगीत यूनिट के सदस्य (1) सभी शास्त्रीय संगीत कलाकारों के किसी भी ग्रेडेशन (2) सभी आकाशवाणी केन्द्रों के सुगम संगीत के कलाकारों के "बी-हाई" और "ए" ग्रेडेशन का निर्णय करने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं ।

स्थानीय स्वर परीक्षण समिति के लिए सदस्यों को 2 वर्ष की अवधि के लिए तथा संगीत स्वर परीक्षण बोर्ड के लिए सदस्यों को 3 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है ।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में पदों का सृजन

7103. श्री हरिहर सोरन : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्षेत्रीय कार्यालयों में भविष्य निधि खातों का अग्रिम मिलान करने के लिए वर्ष 1976 में या उसके आसपास के समय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में लेखा अधिकारियों के कई पदों तथा सैकड़ों अन्य पदों का सृजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या अपेक्षित प्रगति प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या अग्रेतर कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) क्षेत्रीय कार्यालयों में छूट न प्राप्त प्रतिष्ठानों के बारे में लेखों की वार्षिक बकाया राशि का अग्रिम मिलान करने के प्रयोजन हेतु, अप्रैल, 1976 में लेखा अधिकारियों के 9 पद, प्रधान लिपिकों के 10 पद और उच्च श्रेणी लिपिकों के 31 पद (कुल 50 पद) मंजूर किए गए थे।

(ख) से (घ) बकाया राशि का वार्षिक अग्रिम मिलान से संबंधित कार्य एक सतत और विस्तृत प्रक्रिया है। इसमें अत्यधिक कार्य अन्तर्ग्रस्त था। इसके अतिरिक्त, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को वार्षिक लेखा स्लिपों को निकालने, दावों का निपटान करने के लिए कभी-कभी विशेष अभियान चलाने पड़ते हैं ताकि भविष्य निधि अंशदाताओं की तत्काल आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इन कारणों से, अधिक प्रगति नहीं हो सकी।

तथापि, विशेष रूप से स्वीकृत किए गए स्टाफ के नियोजन को मई, 1980 से बंद कर दिया गया।

रोहतास इंडस्ट्रीज, डालमियानगर के श्रमिकों को मजदूरी की अदायगी

7104. **श्री सैयद शाहबुद्दीन :**
श्री ए० जे० वी० बी० महेश्वर राव } : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा
श्री काली प्रसाद पांडेय :

करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने रोहतास इंडस्ट्रीज, डालमिया नगर को अपने कर्मचारियों को मई, 1984 से देय वेतन और मजदूरी की तीन किस्तों में अदायगी करने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो कितने श्रमिकों को अदायगी की जानी है;

(ग) वेतन और मजूरी के रूप में कितनी राशि देय होने का अनुमान है; और

(घ) क्या डालमिया नगर में औद्योगिक इकाइयों में कार्य पुनः प्रारम्भ करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) : जी, हां। उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 5-2-86 के अपने आदेश में प्रबंधतंत्र को निर्देश दिया कि वे श्रमिकों को देय सभी वेतन और मजदूरी का मई, 1984 से तीन किश्तों में भुगतान करें, पहले दूसरी किश्त का भुगतान 15 मार्च, 1986 से पहले, दूसरी किश्त का भुगतान 15 मई, 1986 से पहले और तीसरी किश्त का भुगतान 15 जुलाई, 1986 से पहले करें। बिहार सरकार के अनुसार, इस कम्पनी में 10,000 नियमित श्रमिक और 5000 नैमित्तिक/ठेका श्रमिक नियोजित थे। वेतन और मजदूरी के रूप में श्रमिकों को देय राशि से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) औद्योगिक यूनिटों को पुनः शुरू करने के मामले पर बिहार सरकार विचार कर रही है।

दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले राष्ट्रीय नेटवर्क कार्यक्रम "पनोरमा" को बन्द करना

7105. **श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दर्शकों द्वारा आलोचना किए जाने के कारण दूरदर्शन पर राष्ट्रीय नेटवर्क कार्यक्रम "पनोरमा" को बन्द कर दिया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि औषधियों के संबंध में पिछले कार्यक्रम में इस विषय पर एक प्रतिनिधि साक्षात्कार में फर्मास्यूटिकल उद्योग से विचार मांगे गए थे किन्तु यह साक्षात्कार अन्तिम साक्षात्कार से निकाल दिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं। "पनोरमा" नामक कार्यक्रम को "बिओंड टुमोरो' नामक कार्यक्रम से बदल दिया गया है।

(ख) जी, नहीं। औषधि निर्माण संबंधी उद्योग के दृष्टिकोण को कार्यक्रम में शामिल किया गया था।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

रिहायशी क्षेत्रों से औद्योगिक इकाइयों को हटाना

7106. **श्री बाला साहेब विखे पाटिल** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर कला आयोग ने सुझाव दिया है कि रिहायशी क्षेत्रों में इस समय चल रही औद्योगिक ईकाइयों को वर्तमान नीति को, जिसके अनुसार उन्हें 5 से 10 वर्ष तक वहां कार्य करते रहने की अनुमति है समाप्त करके अथवा उसमें संशोधन करके वहां से हटाया जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली के रिहायशी क्षेत्रों में इस समय ऐसी कितनी औद्योगिक ईकाइयां चल रही है; और

(ग) क्या सरकार उक्त आयोग की सिफारिशों से सहमत है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (ग) दिल्ली नगर कला आयोग ने

जांच की है तथा दिल्ली की वृहद योजना में संशोधन करने के गहन प्रस्ताव किए हैं। ये प्रस्ताव हाल ही में प्राप्त हुए हैं जो जांचाधीन हैं।

मैसर्स हारलिक्स को दिए गए औद्योगिक लाइसेंस में अनुबंद्ध शर्तों का पालन

7107. **श्री आनन्द पाठक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हारलिक्स को राजमुन्द्री (आन्ध्र प्रदेश) में संयंत्र स्थापित करने की अनुमति देते समय एक शर्त यह रखी गई थी कि राजमुन्द्री संयंत्र के चालू होने के एक वर्ष पश्चात् कम्पनी हारलिक्स ब्राण्ड नाम का प्रयोग बंद कर देगी; और

(ख) यदि हां, तो औद्योगिक लाइसेंस में अनुबद्ध शर्त का पालन न किए जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) फरवरी 1971 में कम्पनी को मंजूर किए गए औद्योगिक लाइसेंस में यह व्यवस्था थी कि उत्पादन में लगी नई इकाई के तीन वर्षों के भीतर उत्पादन के लिए एक नए इण्डियन ब्राण्ड नाम का इस्तेमाल किया जाए। तथापि कम्पनी से अभ्यावेदन प्राप्त होने पर जनवरी, 1973 में औद्योगिक लाइसेंस से यह शर्त हटा दी गई थी।

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन

7108. **श्री एस० पलाकोंड्रायुडू** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम स्वनियोजन के लिए ग्रामीण युवकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम और सूखा-प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम जैसी योजनाओं को पंचायतों के माध्यम से कार्यान्वित करने के लिए कोई प्रस्ताव दिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) से (ग) : आन्ध्र प्रदेश सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि भारत सरकार ने राज्यों को लिखा है कि वे ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को तैयार करने तथा उनके कार्यान्वयन में और निर्धनता निवारण एवं रोजगार कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाभार्थियों के चयन हेतु पंचायती राज संस्थाओं को सक्रिय रूप से शामिल करें, ताकि स्थानीय स्तर की आयोजना में क्षेत्र तथा लोगों की आवश्यकताओं को दर्शाया जा सके तथा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में पर्याप्त सुधार लाया जा सके। आन्ध्र प्रदेश सहित सभी राज्यों के उत्तर उत्साहजनक हैं।

प्रकाशम जिले में तम्बाकू में विषाणु रोग

7109. **श्री सी० सम्बु** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रकाशम जिले के अद्दानकी, पेरचुर और ओंगोले क्षेत्रों में तम्बाकू की फसल जीवाणु रोग से प्रभावित हुई है;

(ख) क्या उत्पादन दो क्विंटल प्रति एकड़ से भी कम हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तम्बाकू की फसल पैदा करने वाले किसानों को हानि से बचाने के लिए क्या राहत उपाय किए गए हैं;

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) कुछ क्षेत्रों में तम्बाकू की फसल जीवाणु रोग से प्रभावित हुई है।

(ख) अनुमान है कि ऐसी भूमि में तम्बाकू का उत्पादन 1.5 से 2.00 क्विंटल प्रति एकड़ कम हुआ है।

(ग) कीटों के प्रकोप का पता चलते ही निम्न उपाय किए गए :

(1) विस्तार कर्मचारियों ने किसानों से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क किया और उन्हें नियंत्रण के उपयुक्त उपाय करने की सलाह दी।

(2) कीटों पर काबू पाने के लिए किसानों को अपेक्षित कृमि-नाशी दवाईयां उपलब्ध कराई गईं।

(3) किसानों को कीटों के प्रकोप पर काबू पाने के लिए उपचारात्मक उपाय करने के लिए जन-संचार के माध्यम से व्यापक प्रचार भी किया गया।

लक्ष्मीनारायण मन्दिर न्यास, नई दिल्ली को पट्टे पर दी गई भूमि

7110. **श्री साइमन तिग्गा** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंचकुइयां रोड/आराम बाग लेन के चौहराहे पर स्थित आशा राम माली की बगीची, नई दिल्ली के नाम से जाने जाती वाली शहरी विकास मंत्रालय की भूमि लक्ष्मी नारायण मन्दिर न्यास को पट्टे पर दे दी गई है;

(ख) क्या तीन वर्ष पूर्व पंजीकृत मुंशी पहलवान अखाड़ा नामक एक संगठन ने इस भूमि पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया तथा उस पर अनाधिकृत निर्माण कर दिया;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी अथवा अनधिकृत निर्माण का ब्यौरा क्या है और मंदिर परिसर

से उन्हें हटाने तथा उनके द्वारा निर्मित अनधिकृत निर्माणों को भी हटाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) लक्ष्मी नारायण मन्दिर न्यास को पट्टे पर दिए गए दिल्ली के अन्य मन्दिरों का क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है और उन मन्दिरों का ब्यौरा क्या है जिनका दुरूपयोग किया जा रहा है तथा उनमें किस प्रकार के अवैध क्रियाकलाप हो रहे हैं; और

(ङ) इन अतिक्रमणों को हटाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) यह स्थल श्री सनातन धर्म सभा को पट्टे पर दिया गया था ।

(ख) इस मंत्रालय के पास मुन्नी पहलवान आखाड़ा के संगठन के पंजीकरण के बारे में कोई सूचना नहीं हैं । तथापि, बताया गया है कि सर्वश्री मुन्नी राम, साधू सिंह और मियां पहलवान ने इस मन्दिर की भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा किया है और उस पर एक अखाड़ा चलाना आरम्भ कर दिया है ।

(ग) पंचकुइयां रोड़ पर आबंटित भूमि के दुरुपयोग से निम्नलिखित अनधिकृत निर्माणों का पता चला :—

(1) लगभग 54'×44' क्षेत्रफल में मुन्नी पहलवान का अखाड़ा चलाया जा रहा है ।

(2) 13'×14' क्षेत्र पत्थर की स्लैबों से ढका हुआ है और उसमें मुन्नी पहलवान की प्रतिमा स्थापित की गई है ।

(3) एक वाणिज्यिक विज्ञापन पट्ट भी लगा हुआ है ।

इस प्रकार से, इस सम्पत्ति पर दुबारा कब्जा किया गया है । तथापि बेदखल करने की कार्यवाही पर न्यायालय ने रोक लगा दी है ।

(घ) और (ङ.) : अधिकतर सम्पत्तियां श्री सनातन धर्म सभा को पट्टे पर दी गई हैं । अन्य सम्पत्तियों के सम्बन्ध में निरीक्षण करने के बाद तथा यदि कोई दुरुपयोग ध्यान में आता है तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के कार्यालय पर व्यय

7111. **श्री राज कुमार राय** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकास सदन में उपाध्यक्ष, सदस्य (इंजीनियरिंग), सदस्य (वित्त) और सदस्य (लेखा) के कार्यालय वातानुकूल संयंत्र सहित पिछले तीन महीनों तैयार पड़े हैं परन्तु इन अधिकारियों

के कार्यालय विकास मीनार से अब तक स्थानान्तरित नहीं किए गए हैं; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) उपाध्यक्ष के कार्यालय पर कुल कितना व्यय किया गया है;

(ग) उक्त कार्यालयों का दैनिक कार्यकरण व्यय कितना है; और

(घ) इस व्यय को कम करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) इन अधिकारियों के कार्यालयों का निर्माण कार्य माह अगस्त, 1985 में पूर्ण हो गया था और अग्नि विभाग से अनुमति 24-12-1985 को प्राप्त हुई थी। जहां तक कार्यालयों को विकास सदन में स्थानांतरित करने का सम्बन्ध है, वित्त तथा लेखा सदस्य अपने कार्यालय समय के आधे-दिन विकास सदन में तथा शेष आधे दिन विकास मीनार में बैठते हैं। आगन्तुकों की सुविधा तथा बेहतर प्रशासनिक नियंत्रण के लिए, उपाध्यक्ष का कार्यालय विकास सदन तथा विकास मीनार दोनों में ही होगा।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के इंजीनियर सदस्य, ने अपना कार्यालय हाल ही में विकास मीनार से विकास सदन में स्थानान्तरित किया है।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में भूधृति विनियमन के अन्तर्गत भूमि का सीमांकन

7112. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ राज्य क्षेत्र अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में भूधृति विनियमन के अन्तर्गत भूमि के सीमांकन में असाधारण विलम्ब होने के परिणामस्वरूप कठिनाई हुई है तथा कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा हो गई है;

(ख) यदि हां, तो भूधृति विनियमन के अनुसार तत्काल सीमांकन करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह के संघ राज्य प्रशासन के पास सीमांकन के कितने मामले तहसील-वार छः महीने से अधिक समय से पड़े हुए हैं ?

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) और (ख) भूमि का सीमांकन एक निरन्तर चलने वाला कार्य है। संघ शासित प्रशासन अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह द्वारा यह कार्य कानून के अनुसार समय से किया जा रहा है। सामान्यतः दो या अधिक साथ-साथ लगी भूमि के भू-स्वामियों में विवाद उत्पन्न होने पर ही सीमांकन की मांग की जाती है। कभी-कभी सीमांकन में इसलिए

भी देरी हो जाती है कि भू-स्वामी सीमांकन हेतु आवेदन पत्र देने के पश्चात् अपेक्षित शुल्क जमा नहीं करवाते हैं एवं अपनी भूमि के सीमांकन के लिए निर्धारित दिनों में खेतों पर उपस्थित नहीं होते हैं। सीमांकन के मामलों के कारण कोई कानून और व्यवस्था की समस्या उत्पन्न नहीं हुई है।

(ग) संघ शासित क्षेत्र अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में केवल 26 सीमांकन सम्बन्धी मामले 6 माह से अधिक अवधि से लम्बित पड़े हुए हैं। तहसीलवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

देगलीपुर—16, माई अबून्दर—6,

रंगात—3 और पोर्ट ब्लेयर—1

भारतीय डेरी निगम द्वारा अर्जित लाभ

7113. **डा० टी० कल्पना देवी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय डेरी निगम को 15.25 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है और यदि हां, तो इस लाभ का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह लाभ उपहार में प्राप्त वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त राशि में से राज्यों को दिए गए ऋणों पर ब्याज ही है; और

(ग) उपहार में प्राप्त वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त राशि से इतना अधिक ब्याज प्राप्त होने के क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 1984-85 के 15.25 करोड़ रुपये के लाभ का ब्यौरा इस प्रकार है :

ब्याज से आय, ब्याज के भुगतान को निकाल कर		16.65 करोड़ रु०
अन्य प्राप्तियां, खर्च को निकाल कर		0.80 करोड़ रु०
	कुल :	17.45
घटाएं ह्रास	2.00 करोड़ रुपये	
बट्टे खाते में डाला गया आस्थगित राजस्व व्यय	0.20 करोड़ रुपये	2.20 करोड़ रु०
	शुद्ध आय=	15.25 करोड़ रु०

(ख) अधिकांश लाभ राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा पूंजी पर अर्जित ब्याज और राज्यों को डेरी सहकारी संस्थाओं को दिए गए ऋणों पर ब्याज के रूप में होता है।

(ग) उपहार में मिली जिंसों की बिक्री से प्राप्त हुए धन में से अधिकांश का इस्तेमाल भारतीय डेरी निगम द्वारा डेयरी परियोजनाओं के लिए अनुदान देने तथा डेयरी विकास पर होने वाले सीधे खर्च के लिए किया जाता है। दीर्घावधिक ऋणों पर 8½ प्रतिशत पर ब्याज लिया जाता है जबकि भारतीय डेरी निगम विश्व बैंक (आई० डी० ए०) ऋण में से मिलने वाले कर्ज पर भारत सरकार को 7½ प्रतिशत ब्याज देता है। कार्यकारी पूंजी अग्रिम-धन पर 10½ प्रतिशत ब्याज लिया जाता है। अतः भारतीय डेरी निगम अन्य इसी प्रकार की संस्थाओं द्वारा लिये जा रहे ब्याज की तुलना में उच्चतर दर पर ब्याज नहीं ले रहा है।

कृषि विज्ञान केन्द्र, भंजनगर

7114. **श्री सीमनाथ रथ** : क्या कृषि, मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भंजनगर स्थित कृषि विज्ञान केन्द्र के कार्यकरण के लिए गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उड़ीसा को कितनी धनराशि दी गई हैं और अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) क्या विश्वविद्यालय ने इस योजना के कार्यान्वयन के लिए कोई महत्वपूर्ण कार्य किया है;

(ग) इस परियोजना के लिए वर्ष 1986-87 के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई हैं;

(घ) क्या सरकार को इस योजना के कार्यान्वयन की धीमी प्रगति की जानकारी हैं; और

(ङ.) यदि हां, तो क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) कृषि विज्ञान केन्द्र, भंजनगर, उड़ीसा को 1985 में ही स्वीकृति प्रदान की गई है। उड़ीसा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को आज तक दी गई धनराशि केवल 14.72 लाख रुपये (चौदह लाख बहत्तर हजार रुपये) है। उड़ीसा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने 31 मार्च, 1986 तक कितना राशि खर्च की है। इसकी सूचना अभी परिषद को नहीं मिली है।

(ख) विश्वविद्यालय ने कुछ प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन किया है और कृषि विज्ञान केन्द्र के लिए संरचना सुविधाओं के विकास और स्टाफ की नियुक्ति से सम्बन्धित कार्य में भी पहल की है।

(ग) कृषि विज्ञान केन्द्र, भंजनगर के लिए वर्ष 1986-87 के लिए निर्धारित राशि केवल 2.70 लाख (दो लाख सत्तर हजार) रुपये है।

(घ) भवन जैसी संरचना सुविधाओं के विकास, उपकरणों की खरीद और स्टाफ की भर्ती में सामान्य तौर पर कुछ समय लगता है। कार्य की प्रगति सन्तोषजनक है।

(ङ.) प्रश्न ही नहीं उठता।

चुंगी समाप्त करने की मांग

7115. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनता देश में चुंगी समाप्त करने के लिए काफी समय से मांग कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और अभी तक क्या प्रगति हुई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) तथा (ख) जी, हां। चुंगी समाप्त करने की कुछ मांगें होती रही हैं। कुछ राज्यों ने इसे समाप्त भी कर दिया है तथा कुछ इसे समाप्त करने पर विचार कर रहे हैं। कुछ राज्य इसे समाप्त करने के हक में नहीं हैं क्योंकि इसके फलस्वरूप स्थानीय निकायों की आय के मुख्य स्रोतों में से एक स्रोत की हानि होगी। अतः केन्द्रीय सरकार ने शहरी विकास मंत्रालय में एक समिति गठित की है जो कि चुंगी समाप्त करने की दशा में स्थानीय निकायों के स्रोतों में वृद्धि के प्रश्न की जांच करेगी। इसकी रिपोर्ट लगभग दो महीने के भीतर मिलने की आशा है।

[हिन्दी]

राम कृष्ण पुरम, नई दिल्ली में अनधिकृत निर्माण

7116. **श्री अनूप चन्द शाह** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण दिल्ली में सरकारी भूमि पर अनधिकृत निर्माण रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ख) क्या सरकार द्वारा कार्यवाही करने के बावजूद सरकारी भूमि और दुकानों पर अनधिकृत निर्माण अभी भी हो रहा है;

(ग) क्या सरकार की जानकारी में यह बात लाई गई है कि रामकृष्ण पुरम में विशेष रूप से सेक्टर-चार की मर्किट में अनधिकृत दुकानों का निर्माण किया गया है और अभी भी अनधिकृत रूप से दुकानों का निर्माण जारी है; और

(घ) यदि हां, तो अनधिकृत निर्माण रोकने के लिए सरकार आगे क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) जैसे ही सरकारी भूमि पर अनधिकृत निर्माण का पता चलता है, वैसे ही लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के उपबन्धों के अन्तर्गत तत्काल कार्यवाही की जाती है। इसके अतिरिक्त, अनधिकृत अतिक्रमणों को हटाने के लिए सम्बन्धित पुलिस प्राधिकारियों को कहा जाता है।

(ख) से (घ) : सेक्टर-IV रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली की मार्केट में दुकानों के लाइसेंस धारियों द्वारा कुछ अनधिकृत निर्माण/अतिक्रमण किया गया है। निर्माण/अतिक्रमण को हटाने के लिए नियमों के अधीन कार्यवाही की जा रही है।

[अनुवाद]

सरकारी आवास खाली कराना

7117. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्पदा निदेशालय सरकारी आवासों को, सरकारी कर्मचारियों द्वारा आगे किराये पर दिए जाने के आधार पर खाली करा रहा है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने सरकारी आवासों को खाली कराया गया है और सरकार किस आधार पर यह निष्कर्ष निकालती है कि मकान किसी अनधिकृत व्यक्ति को किराये पर दिया हुआ है;

(ग) क्या कुछ सरकारी कर्मचारियों ने सम्पदा निदेशालय और शहरी विकास मंत्रालय को यह अभ्यावेदन किया है कि सम्पदा निदेशालय द्वारा उनके मकानों को किसी अनधिकृत व्यक्ति के किराये पर दिए जाने का आरोप सिद्ध किए बिना ही खाली कराया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे सरकारी कर्मचारियों की संख्या कितनी है तथा मन्त्रालय ने उनके अभ्यावेदनों पर क्या निर्णय किया गया है; और

(ङ) यदि कोई निर्णय नहीं किया गया है तो उन्हें मकान खाली करने के नोटिस जारी करने के क्या कारण है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री बलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) 1-4-1985 से 31-3-1986 की अवधि के दौरान 205 क्वार्टर बेदखल/खाली किए गए हैं। उप-किरायेदारी की विशेष शिकायतें प्राप्त होने पर राजपत्रित अधिकारी द्वारा क्वार्टर का निरीक्षण करवाया जाता है। यदि निरीक्षण करने वाले अधिकारी द्वारा उप किरायेदारी

का पता लगा दिया जाता है तो आवंटी को राशन कार्ड, सी० जी० एच० एस० कार्ड, क्वार्टर के पते पर प्राप्त पत्रों और बच्चों के स्कूल प्रमाण पत्र इत्यादि जैसी दस्तावेजी प्रमाणों की सहायता से क्वार्टर में अपना सामान्य रहना प्रमाणित करने के लिए निर्णायक अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के लिए एक अवसर दिया जाता है। दस्तावेजों, निरीक्षण रिपोर्ट तथा सुनवाई के समय आवंटी द्वारा दिए गए मौखिक साक्ष्य पर विचार करने के बाद निर्णायक अधिकारी मामले पर गुणावगुण के आधार पर निर्णय लेता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ.) : प्रश्न ही नहीं उठते।

पशुरोग सम्बन्धी जैविक पशु चिकित्सा जैवीय उत्पाद गुण नियंत्रण केन्द्र

7118. **श्री अनादि चरण दास** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नीदरलैंड सरकार के सहयोग से पशु चिकित्सा जैवीय उत्पाद गुण नियन्त्रण केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कौन सा स्थान चुना गया है और क्या क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित करके इसका और आगे विस्तार किया जाएगा;

(ग) क्या इस प्रकार का एक केन्द्र उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) देश में विभिन्न उत्पादन केन्द्रों द्वारा उत्पादित पशु चिकित्सा जैवीय उत्पादों की क्वालिटी को सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय किया गया है कि एक केन्द्रीय संस्थान के रूप में 'राष्ट्रीय पशु चिकित्सा जैवीय उत्पाद गुण नियन्त्रण केन्द्र' की स्थापना की जाए। इस परियोजना में नीदरलैंड का सहयोग प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(ख) इस केन्द्र को गुडगांव या दिल्ली के निकट किसी अन्य स्थान पर स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित करने का विचार नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

'आपरेशन फ्लड' परियोजना को यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सहायता

7119. **श्री के० प्रधानी**
डा० बी० एल० शैलेश } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने भारत की 'आपरेशन फ्लड' परियोजना को वार्षिक आधार पर दी जाने वाली सहायता बंद कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसका 'आपरेशन फ्लड' परियोजना पर क्या प्रभाव पड़ा है और सरकार का इस स्थिति से किस प्रकार निपटने का विचार है;

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सरकार को यूरोपीय आर्थिक समुदाय से इस प्रकार का कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियरों के सेलेक्शन ग्रेड पद

7120. **श्री राम पूजन पटेल** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के जूनियर इंजीनियर्स एसोसिएशन ने 1 जनवरी, 1984 से 31 दिसम्बर, 1985 तक की अवधि के दौरान 'सेलेक्शन ग्रेड' पदों की प्रतिशतता बढ़ाने तथा सेलेक्शन ग्रेड पदों की समीक्षा करने की मांग की है;

(ख) यह मांग किस तारीख से सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) इस मामले पर सरकार का कब तक निर्णय करने का विचार है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) 28 सितम्बर, 1985 से।

(ग) मांग की पहले ही जांच कर ली गई है तथा विद्यमान सरकारी आदेशों के अनुसार इस पर सहमत होना सम्भव नहीं पाया गया है।

हिमाचल प्रदेश में टी० वी० केन्द्र की स्थापना

7121 **प्रो० नारायण चन्द पाराशर** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में केवल 40 प्रतिशत जनसंख्या को दूरदर्शन की परिधि में लाया गया है;

(ख) यदि हां, तो, क्या सरकार का विचार सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक जनसंख्या को राष्ट्रीय औसत के बराबर दूरदर्शन की परिधि में लाना सुनिश्चित करना है;

(ग) क्या राज्य में अनेक टी० वी० ट्रांसमीटर लगाये जायेंगे और सातवीं योजना के दौरान शिमला का 100 वाट क्षमता वाले टी० वी० ट्रांसमीटर के स्थान पर 1 किलोवाट क्षमता वाला ट्रांसमीटर लगाया जायेगा;

(घ) इस बारे में तैयार किये गये चरणबद्ध कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है और हमीरपुर, बिलासपुर, चम्बा, उना, मण्डी, धर्मशाला, केलोंग और काल्पा में टी० वी० ट्रांसमीटर किस तारीख तक स्थापित किए जाने की सम्भावना है और प्रत्येक मामले में अनुमानित खर्च कितना है; और

(ङ) क्या इन ट्रांसमीटरों को स्थापित करने के लिए स्थान का चयन करने हेतु पहले से कोई कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार का लक्ष्य समूचे देश को कवर करने के लिए दूरदर्शन सेवा का विस्तार करने का है । तथापि, धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए इसे केवल चरणबद्ध ढंग से नहीं प्राप्त किया जा सकता है । सातवीं योजना की स्कीमों को कार्यान्वयन से हिमाचल प्रदेश राज्य में दूरदर्शन कवरेज बढ़कर इसकी जनसंख्या का लगभग 64% हो जाने की उम्मीद है।

(ग) और (घ) : शिमला के अल्प शक्ति (100 वाट) वाले मौजूदा दूरदर्शन ट्रांसमीटर के स्थान पर एक स्टूडियो केन्द्र सहित उच्च शक्ति (किलोवाट) वाला एक दूरदर्शन ट्रांसमीटर और मण्डी, धरमशाला तथा बिलासपुर में अल्प शक्ति (100 वाट) वाले तीन अतिरिक्त दूरदर्शन ट्रांसमीटर एवं हमीरपुर, चम्बा, केलोंग, ऊना और कल्पा में अति अल्प शक्ति (2×10 वाट) वाले 5 दूरदर्शन ट्रांसमीटरों को 1670.83 लाख रुपये की अनुमानित लागत से स्थापित करने की स्कीम दूरदर्शन की सातवीं योजना में शामिल की गई हैं। इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन संसाधनों की वर्षवार उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(ङ.) ट्रांसमीटर स्थापित करने के लिए उपयुक्त स्थानों का चयन करने हेतु कार्यवाही शुरू कर दी गयी है।

उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश में चूने के पत्थर के भंडार

7122. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश में चूने के पत्थर के कितने भंडार पाये गये हैं;

(ख) चूने के पत्थर के भंडार किस क्षेत्र में है; और

(ग) उन क्षेत्रों में चूने के पत्थर के भण्डारों से चूना पत्थर निकालने और उसके उचित सन्दोहन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

खान विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) उड़ीसा, बिहार तथा मध्यप्रदेश के विभिन्न भागों में कुल मिलाकर 9731.56 मि० टन विभिन्न ग्रेड चूनापत्थर के कई निक्षेप हैं ।

(ख) उड़ीसा, बिहार तथा मध्य प्रदेश में मुख्य चूनापत्थर निक्षेपों वाले क्षेत्र इस प्रकार हैं :

राज्य	जिला	भंडार (मि० टनों में)
1	2	3
उड़ीसा	सुन्दरगढ़	570.90
	कोरापुट	255.82
	सम्बलपुर	13.96
		840.68
बिहार	रोहतास	289.43
	पलामू	196.52
	सिंहभूम	77.00
	हजारीबाग	67.31
	रांची	42.69
		672.95
मध्यप्रदेश	बस्तर	1698.91
	बिलासपुर	2447.21
	छिंदवाड़ा	1.12
	दमोह	528.48

1	2	3
	धार	17.88
	दुर्ग	294.87
	जबलपुर	224.88
	झाबुआ	0.14
	मन्दसौर	264.39
	मुरेना	295.10
	निमाड़	221.21
	रायगढ़	123.66
	रायपुर	946.24
	रीवा	469.38
	सतना	590.75
	सागर	1.00
	सीहोर	11.35
	होशंगाबाद	80.05
	सीधी	1.31
		8217.93

(ग) तीनों राज्यों में चूनापत्थर पहले से ही निकाला जा रहा है। 1985 के दौरान उड़ीसा, बिहार तथा मध्य प्रदेश में क्रमशः 18, 33 तथा 127 खानों में उत्पादन हो रहा था।

[हिन्दी]

पटना से प्रकाशित होने वाले हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों को दिए गए विज्ञापन

7123. श्री कुंवर राम : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटना (बिहार) से प्रकाशित हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों की संख्या और उनके नाम क्या हैं;

(ख) विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा इन समाचारपत्रों को वर्ष 1982 से फरवरी, 1986 तक कितने मूल्य के विज्ञापन दिए गए;

(ग) क्या यह सच है कि हिन्दी समाचारपत्रों की तुलना में अंग्रेजी समाचार पत्रों को अधिक विज्ञापन दिये जाते हैं; और

(घ) क्या सरकार इस मामले की जांच करेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना संकलित की जा रही है और उसको यथा समय सदन की मेज पर रख दिया जाएगा ।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

[अनुवाद)

पान के पत्ते के लिए लाभकारी मूल्य

7124. **डा० सुधीर राय** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष पान के पत्तों के मूल्यों में भारी गिरावट आई है; और

(ख) यदि हां, तो पान के पत्तों के उत्पादकों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) पान के पत्ते के मूल्यों में मौसमी उतार-चढ़ाव होता है और दिल्ली के बाजार से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार यह पता चलता है कि इस मौसम में मूल्य पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान विद्यमान मूल्यों की तुलना में कुछ कम हैं ।

(ख) सरकार का इस समय कोई कार्यवाही करने का प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि स्थिति को देखते हुए पान के पत्ते के लिए बाजार में दखल देने की जरूरत नहीं है ।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यक्रम के लाभार्थी

7125. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या कृषि मंत्री समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभार्थियों के बारे में 17 मार्च, 1986 के तारांकित प्रश्न संख्या 304 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में भी इस तरह के मूल्यांकन किए गए थे और यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं तथा ऐसे मूल्यांकन कितनी अवधि में किए गए थे;

(ख) केन्द्रीय सरकार के अधीन कौन-कौन से संगठन अथवा विभाग ऐसे सर्वेक्षण और मूल्यांकन करते हैं और ऐसे संगठन द्वारा किस अवधि के लिए ऐसे मूल्यांकन किए जाते हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम से लाभान्वित होने वाले लाभार्थियों का चयन करने के लिए कोई मानदंड निर्धारित किये है और यदि हां, तो ऐसे लाभार्थियों की न्यूनतम वार्षिक आय कितनी है और उन लोगों की अधिकतम वार्षिक आय कितनी है जिन्हें इसमें शामिल नहीं किया जाता है; और

(घ) क्या सरकार राज्यों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत और अधिक धनराशि आबंटित करने पर विचार करेगी ?

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) जी हां। अक्टूबर-दिसम्बर, 1985 की अवधि के समवर्ती मूल्यांकन अध्ययन में 18 राज्यों तथा एक संघ शासित क्षेत्र को शामिल किया गया था। अक्तूबर-दिसम्बर, 1985 की अवधि हेतु राष्ट्रीय स्तर पर हुई समवर्ती मूल्यांकन के मुख्य निष्कर्षों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के समवर्ती मूल्यांकन का कार्य देश के विभिन्न भागों में स्थित 29 ख्याति प्राप्त व्यावसायिक संस्थाओं/संगठनों को सौंपा गया है। यह निर्णय लिया गया है कि 36 जिलों के एक नमूने का सर्वेक्षण प्रतिमाह बारी से किया जाएगा ताकि 12 महीनों की अवधि में देश के सभी जिलों को इसमें शामिल किया जा सके। समवर्ती मूल्यांकन हेतु सर्वेक्षण कार्य अक्तूबर, 1985 में आरम्भ किया गया था।

(ग) सातवीं योजना के दौरान, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत दी जाने वाली सहायता को 4800/-रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों तक ही सीमित करने का प्रस्ताव है। चूंकि कार्यक्रम का उद्देश्य निर्धनतम लोगों को लाभ पहुंचाना है अतः मार्ग—दर्शिकाओं में कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता हेतु न्यूनतम वार्षिक आय निर्धारित नहीं की गई है परन्तु नीति यह है कि निर्धनतम व्यक्तियों को पहले सहायता दी जाए।

(घ) वर्ष 1985-86 के दौरान आवंटित 407.36 करोड़ रुपए के मुकाबले वर्ष 1986-87 के दौरान कार्यक्रम हेतु 543.83 करोड रुपए की धनराशि आबंटित करने का प्रस्ताव है।

विवरण

		समवर्ती मूल्यांकन के महीने अक्तूबर-दिसम्बर, 1985
1. सहायता के समय लाभार्थियों की वार्षिक आय	(1) 1000 रुपए से कम	12 प्रतिशत
	(2) 1000-2000 रुपए	42 प्रतिशत
	(3) 2000-3500 रुपए	46 प्रतिशत

			समवर्ती मूल्यांकन के महीने अक्तूबर-दिसम्बर, 1985
2.	लाभार्थियों के चयन की पद्धति	(1) ग्राम सभा द्वारा	58 प्रतिशत
		(2) अधिकारियों द्वारा	35 प्रतिशत
		(3) अन्य द्वारा (संसद सदस्य/विधायक/भूस्वामी/नियोक्ता/पड़ौसी।	7 प्रतिशत
3.	परिसम्पतियां प्राप्त करने हेतु सहायता (ऋण व आर्थिक सहायता) की पर्याप्तता	(1) जिन्हें सहायता पर्याप्त महसूस हुई	75 प्रतिशत
		(2) जिन्हें सहायता अपर्याप्त महसूस हुई	25 प्रतिशत
4.	बकाया धनराशि	(1) 1000 रुपए से कम	67 प्रतिशत
		(2) 1000-2000 रुपए	25 प्रतिशत
		(3) 2000 रुपए से अधिक	8 प्रतिशत
5.	राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई रख रखाव हेतु बाद में सहायता	(1) जिन मामलों में सहायता उपलब्ध कराई गई	30 प्रतिशत
		(2) जिन मामलों में सहायता उपलब्ध नहीं करायी गयी।	38 प्रतिशत
		(3) जिन मामलों में सहायता की आवश्यकता महसूस नहीं हुई	32 प्रतिशत
6.	परिसम्पतियों से बढ़ी हुई आय	(1) 1000 रुपए से कम	34 प्रतिशत
		(2) 1000-2000 रुपए	27 प्रतिशत
		(3) 2000/-से अधिक	39 प्रतिशत
7.	परिसम्पतियों की स्थिति	(1) मामले जहां परिसम्पतियां सुरक्षित थीं।	72 प्रतिशत
		(2) मामले जहां परिसम्पतियां सुरक्षित नहीं थी।	28 प्रतिशत
8.	मामले जहां वापसी अदायगी की अवधि 3 वर्ष से कम है।		65 प्रतिशत

औद्योगिक विवाद अधिनियम और मजदूर संघ अधिनियम में संशोधन

7126. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 और मजदूर संघ अधिनियम, में संशोधन करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ताकि वे देश में औद्योगिक संबंध अच्छे बनाने के लिए अधिक प्रभावी योगदान प्रदान कर सकें;

(ख) क्या संघों की संख्या में वृद्धि होने के कारण उत्पन्न हुई समस्या के प्रति ध्यान दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) सितम्बर, 1982 में हुए राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन द्वारा स्थापित की गई सनत मेहता समिति ने औद्योगिक विवाद अधिनियम और मजदूर संघ अधिनियम में कुछ संशोधन करने की सिफारिश की थी। संशोधन के प्रस्तावों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

इस्पात के लिए दोहरी मूल्य प्रणाली

7127. **श्री आर० एम० भोये** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक प्रशासनिक सुधार आयोग ने इस्पात के लिए दोहरी मूल्य प्रणाली के सम्बन्ध में कुछ सुझाव दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है तथा इस प्रणाली के अन्तर्गत किस प्रकार के इस्पात उत्पादों को लाए जाने की सम्भावना है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

अन्तर्देशीय जल से मछली उत्पादन की विकास दर

7128. **डा० वी० वेंकटेश** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अन्तर्देशीय जल से मछली उत्पादन की विकास दर क्या है;

(ख) क्या मछली उत्पादन में और अधिक वैज्ञानिक प्रक्रिया अपनाए जाने की जरूरत है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और विभिन्न स्थानों पर समेकित मत्स्यपालन परियोजनाओं में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान अन्तर्देशीय जल से मछली उत्पादन की विकास दर निम्नवत है :

वर्ष	विकास दर
1982 की तुलना में 1983	(+) 5.07
1983 की तुलना में 1984	(+) 9.57
1984 की तुलना में 1985	(+) 3.37

(ख) जी, हां।

(ग) वैज्ञानिक मत्स्य पालन की प्रौद्योगिकी के अन्तरण के लिए छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 147 मछुआ विकास एजेन्सियां स्थापित की गई हैं ताकि मत्स्यपालक अपने जल क्षेत्रों के मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ा सकें।

सातवीं योजना के दौरान पहले से स्थापित 147 मछुआ विकास एजेन्सियों का कार्य जारी रखने के अलावा 37 और मछुआ विकास एजेन्सियां मंजूर की गई हैं। ये मछुआ विकास एजेन्सियों किसानों को निरन्तर आधार पर तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने के अलावा तकनीकी, वित्तीय और आदान आपूर्ति की आवश्यकताओं को समेकित करते हुए मत्स्य पालन योजनायें तैयार करने में मदद करेंगी।

उड़ीसा को क्षेत्रीय दूरदर्शन नेटवर्क के प्रसारण की सुविधा

7129. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार क्षेत्रीय दूरदर्शन नेटवर्क शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में चुने गये राज्यों के नाम क्या है;

(ग) उड़ीसा राज्य में क्षेत्रीय दूरदर्शन नेटवर्क और प्रसारण की सुविधा कब तक उपलब्ध करने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या उड़ीसा सरकार ने भी इस बारे में केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ड.) यदि हां, तो इस संबन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) जी हां। सरकार का देश के सभी राज्यों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर रहते हुए चरणबद्ध ढंग से एक 3-स्तरीय सेवा आरम्भ करने का प्रस्ताव है जिसमें 'प्राथमिक (क्षेत्रीय) सेवा' भी शामिल है।

(ग) से (ङ.) उड़ीसा सरकार ने राज्य में उड़िया कार्यक्रमों का नियमित सम्प्रेषण शीघ्र शुरू करने का सुझाव दिया है। इस प्रयोजन के लिए दूरदर्शन की सातवीं योजना में भुवनेश्वर में एक पूर्णरूपेण टी०वी० स्टूडियो केन्द्र तथा कटक में उपग्रह अपलिंक स्थापित करने की व्यवस्था कर दी गई है ताकि इन्सैट-II उपग्रह में एक ट्रांस्पोन्डर की सहायता से उड़ीसा में सभी ट्रांसमीटरों द्वारा भुवनेश्वर से उड़िया कार्यक्रम रिले किए जा सकें। जबकि सातवीं योजना अवधि के अन्त तक टी०वी० स्टुडियो केन्द्र तथा उपग्रह अपलिंक उपलब्ध होने की आशा है। उपग्रहों के सैटलाइट-II समूह को 1990 के आरम्भ तक चालू किए जाने की उम्मीद है।

लौंग का उत्पादन

7130. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में लौंग का कुल कितना उत्पादन होता है;

(ख) उसकी कुल वार्षिक मांग क्या है; और

(ग) उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ताकि मांग को पूरा किया जा सके ;

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्यमन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) लौंग के उत्पादन के सम्बन्ध में सरकारी तौर पर कोई पूर्वानुमान नहीं लगाया जाता है। तथापि मोटे तौर पर यह अनुमान है कि देश में लौंग का कुल उत्पादन इस समय 1200 टन सालाना है।

(ख) वार्षिक मांग सम्बन्धी अनुमान लगभग 2500 टन का है।

(ग) लौंग का उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(1) केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु की राज्य सरकारें राज्य क्षेत्र के कार्यक्रमों के अन्तर्गत लौंग की पौद तैयार करती है और किसानों को इनका वितरण करती है।

(2) अच्छी किस्म की लौंग की पौद का उत्पादन करने के लिए नीलाम्बूर स्थित बीज उद्यान के परिसर में 10 हैक्टर क्षेत्र में एक बीज उद्यान लगाया गया है।

(3) अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना क्रियान्वित की जा रही है जिसके अन्तर्गत संतति उद्यान और प्रदर्शन प्लाट स्थापित किए गए हैं।

(4) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा लौंग के लिए उन्नत पैकेज पद्धतियां विकसित करने के लिए अनुसंधान किये जा रहे हैं।

सहकारिता को अनुप्राणित करने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की योजनाएं

7131. **श्री के० राममूर्ति** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सहकारिता आन्दोलन को अनुप्रमाणित करने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की योजनाओं का ब्यौरा क्या है, और

(ख) समन्वित सहकारी विकास परियोजनाओं की मुख्य बात क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने किसानों, शिल्पकारों मछुआरों आदि की सहायता देने के लिए ग्रामीण इलाकों में सहकारी ढांचे को अधिक कारगर बनाने की दृष्टि से एक समेकित सहकारी विकास परियोजना तैयार की है। इस योजना में सहकारिता के प्रयासों के माध्यम से चुनिन्दा जिलों के चुनिन्दा ब्लाकों में आर्थिक विकास करने की व्यवस्था है और इस कार्य के लिए सभी सहकारी समितियों को जिनमें प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, प्राथमिक सहकारी विपणन समितियां और क्षेत्र में मात्स्यकी सहकारी समितियां जैसी अन्य क्रियाशील सहकारी समितियां शामिल हैं, सुदृढ़ किया जायेगा और प्राथमिक समितियां और जिला और राज्य स्तर की संस्थाओं के बीच पूर्वापर संयोजन स्थापित किए जायेंगे।

दुग्ध पदार्थों का आयात

7132. **डा० डी० एन० रेड्डी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झा समिति के प्रतिवेदन के अनुसार परि आपरेशन फ्लड-2, काफी सफल रहा है और यदि हां, तो जुलाई मध्य, 1985 तक स्किम्ड मिल्क पाउडर, बटर आयल, मक्खन और घी की सप्लाई के राज्यवार निर्धारित लक्ष्य क्या थे और वर्षवार उपलब्धि क्या रही और सभी स्रोतों से वाणिज्यिक आधार पर और उपहार के रूप में कितनी मात्रा प्राप्त हुई;

(ख) क्या परियोजना के अनुसार 1984-85 के दौरान स्किम्ड मिल्क पाउडर और बटर आयल का कोई आयात नहीं किया जाना था, किन्तु वास्तव में 69,000 मीट्रिक टन स्किम्ड मिल्क पाउडर और 22,000 मीट्रिक टन बटर आयल का आयात किया गया; और

(ग) क्या आपरेशन फ्लड आरम्भ होने से पूर्व 1969-70 में बटर आयल का कोई आयात नहीं किया गया था और 1900 मीट्रिक टन स्किम्ड मिल्क पाउडर का आयात किया था ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (योगेन्द्र मकवाना) : (क) आपरेशन फ्लड-2 में स्किम्ड दुग्ध चूर्ण, बटर आयल और बटर की सप्लाई के राज्यवार लक्ष्यों का प्रावधान नहीं है। भारतीय डेरी निगम उपयोग करने वाली विभिन्न डेरियों को स्किम दुग्ध चूर्ण और बटर आयल/बटर का आबंटन करता है। आबंटन की पद्धति का निर्धारण प्रत्येक वर्ष भारतीय डेरी निगम

द्वारा उपलब्ध जिन्स की मात्रा, सार्वजनिक तथा सहकारी क्षेत्रों में उपयोग करने वाली विभिन्न डेरियों की मांग, इन डेरियों द्वारा दूध की अधिप्राप्ति आदि के आधार पर किया जाता है। आपरेशन फ्लड-2 के अन्तर्गत भारतीय डेरी निगम को प्रारम्भ (1978-79) से 1985-86 (दिसम्बर, 1985) तक यूरोपीय आर्थिक समुदाय से उपहार के रूप में 2,21,958.522 मीटरी टन स्किम दुग्ध चूर्ण, 65,214.560 मीटरी टन बटर आयल, 20,069.050 मीटरी टन बटर और 1497.120 मीटर टन खाद्य तेल प्राप्त हुआ। 1984-85 के दौरान अमरीका की कोआपरेटिव लीग से भी बफर स्टाक बनाने के लिए एकमुश्त उपहार के रूप में 19,834 मीटरी टन स्किम दुग्ध चूर्ण प्राप्त हुआ।

(ख) आपरेशन फ्लड-2 से सम्बन्धित परियोजना के दस्तावेज में यह अनुमान लगाया गया था कि संचालन के सातवें वर्ष में, स्किम दुग्ध चूर्ण और बटर आयल का आयात शून्य हो जायेगा। 1984-85 के दौरान, भारतीय डेरी निगम को यूरोपीय आर्थिक समुदाय से 48,969,278 मीटरी टन स्किम दुग्ध चूर्ण, 15,859'397 मीटरी टन आयल, 6421.050 मीटरी टन बटर और 497.120 मीटरी टन खाद्य तेल उपहार के रूप में प्राप्त हुआ।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

संयुक्त अरब अमीरात में कार्यरत केरल निवासी

7133. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन :** क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास संयुक्त अरब अमीरात में कार्यरत केरल निवासियों की संख्या के बारे में कोई आंकड़े हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) भारतीय श्रमिकों के राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, यह अनुमान है कि संयुक्त अरब अमीरात में केरल के लगभग, 1,44,000 श्रमिक हैं।

[हिन्दी]

सामाजिक संस्थाओं द्वारा प्रकाशित समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं के लिए अखबारी कागज की सुविधा

7134. **श्री बनवारी लाल बेरवा :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सामाजिक संस्थाओं द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को अखबारी कागज का आबंटन करती है और विज्ञापन तथा अन्य सुविधायें प्रदान करती है। और यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस प्रकार की सुविधायें प्राप्त करने के लिए निर्धारित अनिवार्य शर्तें क्या हैं और गत दो वर्षों के दौरान सामाजिक सस्थाओं की वार्षिक पत्रिकाओं को कितने अखबारी कागज का आबंटन किया गया और उन्हें कितने मूल्य के विज्ञापन दिए गए ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) अखबारी कागज सामाजिक संगठनों द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले समाचारपत्रों और पत्रिकाओं सहित उन समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को आबंटित किया जाता है जो भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक के कार्यालय में पंजीकृत होते हैं और जो अखबारी कागज आबंटन नीति में निर्धारित शर्तों को पूरा करने के बाद निर्धारित आवेदन पत्र में उसके आबंटन हेतु आवेदन करते हैं।

इसी प्रकार विज्ञापन और दृश्यप्रचार निदेशालय के माध्यम से सरकारी विज्ञापन उन समाचारपत्रों और पत्रिकाओं क दिए जाते हैं जो विज्ञापन नीति में निर्धारित नीति सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्तों को पूरा करते हैं। ये सिद्धान्त सलग्न विवरण में दिए गए हैं।

जबकि पिछले दो वर्षों के दौरान सरकारी विज्ञापन दिए जाने के लिए सामाजिक संगठनों के किसी भी समाचार पत्र और पत्रिका से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है, इस प्रकार के संगठनों द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले समाचारपत्रों और पत्रिकाओं को आबंटित किए गए अखबारी कागज की मात्रा के बारे में भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय द्वारा अलग से रिकार्ड नहीं रखा जाता।

विवरण

भारत सरकार की विज्ञापन नीति

(अ) प्रस्तावना

1. विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, भारत सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों, और विभागों की ओर से विभिन्न समाचारपत्रों/पत्रिकाओं में विज्ञापन प्रकाशित करवाता है। अनेक स्वायत्तशासी निकाय और सार्वजनिक उदयम भी विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से विज्ञापन देते हैं।

2. सरकारी विज्ञापनों का मूल उद्देश्य समाचार या सामयिक विषयों पर टिप्पणियां छापने वाले समाचारपत्रों तथा विज्ञान, कला, साहित्य, खेल व फिल्मों की मानक पत्रिकाओं के माध्यम से यथासंभव अधिक से अधिक विस्तृत क्षेत्र में प्रचार करना है। सरकारी विज्ञापन देते समय सम्बद्ध प्रकाशन की राजनीतिक प्रतिबद्धता सम्पादकीय नीति पर ध्यान नहीं दिया जाता है। फिर भी ऐसे समाचारपत्रों/पत्रिकाओं को विज्ञापन नहीं दिए जायेंगे, जो सम्प्रदायिक भावना भड़काते हों या हिंसा का प्रचार करते हों अथवा भारत की प्रभुसत्ता और अखडता पर आघात करते हों या सार्वजनिक शालीनता और नैतिक आदर्शों सम्बन्धी सर्वमान्य परम्पराओं पर आघात करते हों।

(ब) नीति निर्देश

1. सरकारी नीति में प्रचार की आवश्यकताओं और धन की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए विज्ञापनों का एक संतुलित और सम्यक आधार पर वितरण का ध्येय रखा जाता है। सरकारी विज्ञापनों का प्रयोजन, किसी समाचारपत्र/पत्रिका की आर्थिक सहायता देना नहीं है। सरकार के व्यापक सामाजिक उद्देश्यों का अनुसरण करते हुए और विभिन्न श्रेणियों की पत्र/पत्रिकाओं के बीच दरों में समानता लाने के उद्देश्य से निम्न प्रकार की पत्र/पत्रिकाओं को उपलक्षवन (वेटेज) दिया जायेगा या उनके प्रति उदारता बरती जा सकती है :—

(अ) छोटे और मझोले समाचार पत्र/पत्रिकाएं।

(आ) विशेष सामग्रीय कक्ष वैज्ञानिक और तकनीकी पत्रिकाएं।

(इ) भाषाई समाचारपत्र/पत्रिकाएं।

(ई) पिछड़े, दूरस्थ एवं सीमावर्ती स्थानों से प्रकाशित पत्र/पत्रिकाएं।

2. छोटे, मझौले व बड़े समाचारपत्रों/पत्रिकाओं का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया गया है :—

(अ) छोटे—जिनकी प्रसार संख्या 15,000 प्रति अंक तक हो।

(आ) मझौले—जिनकी प्रसार संख्या 15,000 से प्रति 50,000 अंक के बीच हो।

(ई) बड़े—जिनकी प्रसार संख्या 50,000 प्रति से अधिक हो।

3. सरकारी विज्ञापन देते समय समाचारपत्र/पत्रिकाओं के चयन में नीचे लिखी बातों का ध्यान रखा जायेगा :—

(अ) समाज के सभी वर्गों के पाठकों तक विशेषत: राष्ट्रव्यापी प्रचार अभियानों को पहुंचाना।

(आ) विज्ञापन में निहित संदेश के आधार पर प्रचार अभियानों की समाज के सम्बद्ध विशिष्ट वर्ग तक पहुंचना। छोटे और मध्यम दर्जे के समाचारपत्रों को प्रेरक तथा शिक्षा प्रद अभियानों के बारे में विज्ञापन देने का विशेष ध्यान रखा जायेगा।

(इ) समाचारपत्र/पत्रिकाएं/प्रकाशन की कोई अन्य श्रेणी जिन्हें सरकार समय-समय पर उचित समझे।

(ई) घरेलू पत्र-पत्रिकाओं तथा स्मारिकाओं को सरकारी विज्ञापनों के लिए आमतौर से इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

4. वि०दृ०प्र०नि० ऐसे समाचारपत्रों/पत्रिकाओं का उपयोग करेगा जिनकी न्यूनतम बिक्री प्रसार संख्या कम से कम 1000 है, फिर भी निम्नलिखित दशाओं में इस सम्बन्ध में छूट दी जा सकती है :—

(अ) विशिष्ट/वैज्ञानिक/तकनीकी पत्र-पत्रिकाएं-जिनकी ग्राहक संख्या कम से कम 500 प्रतियां प्रति अंक हो।

(ब) संस्कृत के समाचारपत्र/पत्रिकाएं और पिछड़े क्षेत्र के साथ ही सीमान्त प्रदेश व दुर्गम क्षेत्र से अथवा जन जातीय भाषा या जन जातीय लोगों के लिए तथा जम्मू और काश्मीर से छपने वाली पत्र/पत्रिकाएं, जिनकी विक्रीत प्रसार संख्या कम से कम 500 प्रति अंक हो।

5 समाचारपत्रों/पत्रिकाओं को सरकारी विज्ञापन दिए जाने पर तभी विचार किया जा सकता है जब उनका 4 महीने तक नियमित और अनवरत प्रकाशन होता रहा त्रैमासिक पत्रिकाओं के विषय में कम से कम 2 अंक प्रकाशित हो जाने के बाद विचार किया जा सकेगा।

6. समाचारपत्रों/पत्रिकाओं को सरकारी विज्ञापन पाने का पात्र बनने के लिए निम्नांकित न्यूनतम मुद्रित स्थान होना चाहिए :—

आवृति	न्यूनतम मुद्रित स्थान
दैनिक	760 मानक कालम से०मी०
साप्ताहिक और पाक्षिक	480 मानक कालम से०मी०
मासिक और अन्य पत्रिकाएं	960 मानक कालम से०मी०

ऐसे समाचारपत्रों/पत्रिकाओं को छूट दी जा सकती है जो जन-जातीय भाषा या मुख्यत: जन-जातीय लोगों के लिए प्रकाशित होते हैं ।

7 सभी समाचारपत्रों/पत्रिकाओं की प्रसार संख्या किसी चार्टर्ड एकाउंटेन्ट या लेखाओं से सम्बन्धित किसी व्यावसायिक और प्रतिष्ठित निकाय या संस्था से प्रमाणित होनी चाहिए । लेकिन समाचारपत्रों की प्रसार संख्या प्रति अंक 2000 प्रतियों तक है वे किसी सनदी लेखापाल (चार्टर्ड एकाउंटेन्ट) या सम्बन्ध जिला दण्डाधिकारी (मजिस्ट्रेट) से प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर सकते हैं । यदि किसी समाचारपत्र/पत्रिका की प्रसार संख्या गलत सिद्ध होगी, तो उसे सरकारी विज्ञापनों के लिए अयोग्य घोषित करने के अलावा सरकार उन पर अलग से भी कोई ऐसी कार्यवाही कर सकती है, जिसे वह उचित समझे ।

(स) विज्ञापन दर :

सरकारी विज्ञापनों के लिए दरों का ढांचा वि०दृ०प्र० निदेशालय द्वारा उन सिद्धान्तों के आधार पर तैयार किया जायेगा, जिनकी व्याख्या ऊपर दी गई हैं । वि०दृ०प्र०नि० अलग-अलग पत्र-पत्रिकाओं के साथ यथोचित दरों पर अनुबंध करेगा ।

उत्तर प्रदेश में तिलहनों के उत्पादन में गिरावट

7135. **श्री कमला प्रसाद रावत:** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में मूंगफली की उत्पादन प्रति वर्षघट रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या उसके कारणों का पता लगा लिया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन कारणों को दूर करने तथा उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) छठी योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में मूंगफली का औसत उत्पादन 1.62 लाख मीटरी टन था । राज्य में 1985-86 के दौरान मूंगफली का उत्पादन 1.21 लाख मीटरी टन होने का अनुमान लगाया गया है । उत्पादन में यह गिरावट, मूंगफली के क्षेत्र में कमी होने तथा सफेद-सूंड़ी की बाधा के कारण आई है । गत वर्षों के दौरान मूंगफली का क्षेत्र अन्य लाभकारी फसलों के अन्तर्गत लाया गया है ।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना के क्रियान्वयन के माध्यम से उत्तर प्रदेश में मूंगफली का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं । इस परियोजना के अन्तर्गत विपणन समर्थन के अलावा, महत्वपूर्ण आदानों पर विभिन्न प्रोत्साहन दिये जाते हैं, ताकि किसानों को मूंगफली की बेहतर खेती करने के लिए प्रेरित किया जा सके ।

[अनुवाद]

मृदा अनुसंधान और कृषि आर्थिक अनुसंधान के लिए नया संस्थान

7136. **श्री जयप्रकाश अग्रवाल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में कुछ और मृदा-अनुसंधान संस्थान और कृषि आर्थिक अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हाँ, श्रीमान। वास्तव में, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान और भारतीय कृषि आर्थिक अनुसंधान संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव छठी योजना (1980-85) में तैयार किया गया था। फिर भी, इन दोनों संस्थानों की स्थापना से संबंधित कार्य छठी योजना में शुरू नहीं किया जा सका क्योंकि इनकी स्वीकृति योजना के आखिर में प्राप्त हुई।

(ख) भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान और भारतीय कृषि आर्थिक अनुसंधान संस्थान के प्रस्तावों को हाल ही में प्रायोजना कार्यान्वयन समिति (डेयर) ने अनुमोदित कर दिया है जिसे 7 वीं योजना (1985-90) में कार्यान्वित किया जाएगा और इन पर क्रमशः 175/ लाख रु० और 150 लाख रु० खर्च किये जायेगे। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान की स्थापना भोपाल में की जाएगी क्योंकि विशेषकर समिति ने इस संस्थान को भोपाल में स्थापित करने की सिफारिश की है। दूसरे संस्थान के स्थान के चयन के लिए नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्टाफ आदि के लिए आवश्यक स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर उक्त संस्थान कार्य करना प्रारम्भ कर देगा।

चावरा, कोल्लम स्थित धातु तथा खान कारखाने का क्लोरिन भंडारण टैंक

7137. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चावरा कोल्लम स्थित धातु तथा खान कारखाने का क्लोरिन भंडारण टैंक जीर्ण-शीर्ण स्थिति में है और उससे गैस रिसने का खतरा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है।

[हिन्दी]

समाचारपत्रों के कार्यालय में पंजीकृत समाचार पत्र और पत्रिकायें

7138. **श्री शांति धारीवाल** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाचार पत्रों के पंजीयक के कार्यालय में दिसम्बर, 1985 तक कितने समाचार पत्र और पत्रिकायें पंजीकृत थी और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) उनमें से कितनी पत्रिकायें नियमित रूप से प्रकाशित हो रही हैं और कौन-कौन सी पत्रिकायें 31 दिसम्बर, 1980 के बाद से प्रकाशित नहीं हो रही हैं;

(ग) क्या नए आवेदकों द्वारा आवेदित नए नाम तत्काल नहीं दिए जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या 31 दिसम्बर, 1980 के बाद जिन पत्रिकाओं का प्रकाशन बन्द हो गया है उनके नाम काटने के लिए सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) 31.12.1985 के दिन की स्थिति के अनुसार समाचार पत्रों का ब्यौरा देने वाली "प्रेस इन इण्डिया" को अभी तक संकलित नहीं किया गया है। तथापि 31 दिसम्बर, 1984 के दिन की स्थिति के अनुसार, भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक की सूची में पंजीकृत समाचार पत्रों और पत्रिकाओं की कुल संख्या 21,784 थी।

(ख) नियमित रूप से प्रकाशित हो रहे समाचार पत्रों और 1980 से 1984 तक की अवधि में बन्द हुए समाचार पत्रों की वर्षवार कुल संख्या इस प्रकार है :

वर्ष	रजिस्टर में पंजीकृत समाचार पत्रों की संख्या	बन्द हुए समाचार पत्रों की संख्या
1980	18140	339
1981	19144	66
1982	19937	164
1983	20784	97
1984	21784	213

(ग) जी, नहीं। उपलब्ध शीर्षक की आवेदक को राय शीघ्र दे दी जाती है।

(घ) और (ङ.) कतिपय कानूनी कठिनाइयों के कारण इस समय उन पत्रिकाओं, जिनका छपना बन्द हो गया है, के नामों को हटाया नहीं जा सकता।

[अनुवाद]

शुष्क भूमि के अधिक क्षेत्र में कृषि करके खाद्यान्नों तथा तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि

7139. **श्री प्रकाश वी० पाटिल**
श्री सोमनाथ रथ } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शुष्क भूमि के एक बड़े क्षेत्र में कृषि करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने अधिक खाद्यान्न के उत्पादन होने का अनुमान है; और

(घ) क्या इसमें तिलहन उत्पादन में वृद्धि भी सम्मिलित है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) प्रधान मंत्री के नये 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत बारानी खेती को उच्च प्राथमिकता दी गई है । अत: इस सम्बन्ध में राज्य और केन्द्रीय क्षेत्र दोनों के अन्तर्गत बारानी क्षेत्रों में अनेक कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे हैं । कार्यक्रम/घटकों का ब्यौरा प्रत्येक राज्य के कृषि जलवायु क्षेत्र की माँग पर निर्भर करता है । सिंचित और बारानी क्षेत्रों के लिए सातवीं योजना हेतु खाद्यान्नों और तिलहन उत्पादन के निर्धारित लक्ष्य नीचे दिये गये हैं :

	यूनिट	1984-85 कल्पित आधार स्तर	सातवीं योजना के लक्ष्य (1989-90)
खाद्यान्न	10 लाख मीटरी टन में	150	178-183
तिलहन		13	18

बैंक द्वारा भवन निर्माण सम्बन्धी क्रियाकलाप

7140. **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में रिहाइशी मकानों कमी को पूरा करने के लिए भवन निर्माण क्रियाकलापों को शुरू करने के लिए राष्ट्रीयकृत और अन्य बैंकों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने उन योजनाओं को अनुमति प्रदान कर दी है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

दूरदर्शन/आकाशवाणी पर कॉफी के विज्ञापन

7141. **डा० चिन्ता मोहन** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे

कि क्या दूरदर्शन/आकाशवाणी पर कॉफी के विज्ञापन पर प्रतिबन्ध लगाने का विचार है क्योंकि कॉफी पीना हानिकारक है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : जी, नहीं । कॉफी पीने के बारे में इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

एसबैस्टो उद्योगों में स्वास्थ्य खतरों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

7142. **श्री सोडे रामैया** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा नियुक्त की गई एसबैस्टो उद्योगों में खतरों संबंधी समिति ने अपने प्रतिवेदन में यह घोषणा की है कि कारखानों में श्रमिकों के संरक्षण के लिए कोई सावधानी नही बरती गई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) एसबैस्टों उद्योग को एक जोखिम वाला व्यवसाय घोषित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) समिति की रिपोर्ट में ऐसा कोई विवरण नहीं है जिससे एसबैस्टास उद्योग में स्वास्थ्य खतरों का अध्ययन किया जा सके ।

(ग) एस्बैस्टास की हैंडलिंग और संसाधन, एसबेस्टास के किसी पदार्थ का विनिर्माण और विनिर्माण या किसी अन्य विधि की कोई और प्रक्रिया को जिसमें एसबैस्टास किसी रूप में प्रयोग किया जाता है, कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 87 के अधीन खतरनाक विनिर्माण प्रक्रिया घोषित किया गया है और राज्य सरकारों को कहा गया है कि वे अपने राज्य कारखाना नियमों में इसे अपनाएं ।

प्रत्येक परिवार के लिए एक मकान की व्यवस्था

7143. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रत्येक परिवार के लिए एक मकान की व्यवस्था करने का है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई योजना तैयार की गई है यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या दिसम्बर, 1985 में "फैमिलीज आन दि फेस ऑफ अर्बेनाइजेशन" विषय पर एक

चार दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था यदि हां, तो उक्त सम्मेलन में किन-किन विषयों पर चर्चा हुई;

(घ) क्या उक्त सम्मेलन में मकान के लिए भूमि उपलब्ध कराने के बारे में भी चर्चा हुई थी; और

(ङ) क्या सरकार ने यह बताया है कि देश में लगभग 240 लाख आवासीय एककों की आवश्यकता है;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) तथा (ख) बेघर लोगों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय आश्रय वर्ष के उद्देश्यों, जिन्हें भारत सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है, के अनुसार, वर्ष 2000 ई० तक सम्पूर्ण आश्रय विहीन जनसंख्या को आवास की सुविधाएं मुहैया की जानी हैं।

(ग) तथा (घ) सम्मेलन में जिन विषयों पर चर्चा की गई, वे इस प्रकार थे :

(i) शहरीकरण तथा पारिवारिक ढांचों पर इसके प्रभाव—भूत, वर्तमान तथा भविष्य।

(ii) परिवार के लिए शहरों की योजना तथा आवास।

(iii) शहरों में यातायात तथा पारिवारिक आवश्यकताएं।

(iv) शहरी संरचना में बच्चे।

(v) महिला कल्याण पर शहरीकरण का प्रभाव।

(vi) शहरी संरचना में वृद्धों का कल्याण।

(vii) शहरी वातावरण में परिवार के कल्याणार्थ नीति तथा कानून।

(viii) अच्छे शहर के लिए गैर सरकारी संगठनों की वैकल्पिक नीति तथा उनकी भूमिका।

(ङ.) जी, हां।

सिस्टर एल्फासा पर फिल्म का दूरदर्शन पर दिखाया जाना

7144. **श्री जार्ज जोसेफ मुंडाकल** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोप की यात्रा के बारे में दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क पर कोई विशेष कार्यक्रम नहीं दिखाया गया;

(ख) क्या सिस्टर एल्फासा, जिन्हें पोप द्वारा परमानन्द की अनुभूति कराई थी, पर फरवरी 1986 के प्रथम सप्ताह में टेलीविजन पर दिखायी जाने वाली फिल्म रद्द कर दी गई थीं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं। पोप की यात्रा का कवरेज राष्ट्रीय कार्यक्रम में किया गया था;

(ख) इस प्रकार की कोई भी फिल्म फरवरी, 1986 के प्रथम सप्ताह में टेलीकास्ट किए जाने के लिए निर्धारित नहीं की गई थी।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

सस्ते मकानों के निर्माण के लिए नई प्रौद्योगिकी

7145. **श्रीमती उषा चौधरी** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंस्टीट्यूशन ऑफ इन्जीनियर्स (इण्डिया) ने लोगों की विशेषकर ग्रामीण लोगों की आवास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बड़े पैमाने पर सस्ते और मजबूत मकान बनाने की प्रौद्योगिकी विकसित की थी; और

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक यह नई प्रौद्योगिकी अपनाई गई है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) यह संदर्भ शायद कम लागत की आवास के डिजायन से है जो कि स्टीटूशन आफ इंजीनियर्स (इंडिया) के सितम्बर, 1985 में छपी पत्रिका में दी गई है।

(ख) सुझायी गई प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए उसकी विस्तृत जांच की आवश्यकता है।

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय, हरियाणा में जाली प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना

7146. **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय, हरियाणा के कुछ कर्मचारियों द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के जाली प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में संसद सदस्यों की शिकायतों सहित शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या कुछ मामलों में शिकायतों की जांच की गई थी और उनको सही पाया गया लेकिन सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी होते हुए आरक्षित पदों पर पदोन्नतियां पाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, हां। ये शिकायतें क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, हरियाणा के दो कर्मचारियों द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के जाली प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बारे में हैं।

(ख) और (ग) शिकायतों की जांच उन्नत अवस्था पर है। जांच पड़ताल के पूरा होने पर संगत नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

टीन की चादरों के आवंटन की नीति

7147. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टीन की चादरों के आवंटन की गत एक वर्ष से चली आ रही नीति की आलोचना की जाती रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में टीन की चादरों की वास्तविक उपलब्धता तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किये जाने वाले आयतित खाद्य तेलों की स्थिति का पता लगाने के लिए इस्पात नियंत्रक ने खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की; और

(ग) यदि हां, तो उस पर किये गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, नहीं। टिन प्लेटों के वितरण पर कोई नियन्त्रण नहीं है।

(ख) जी, हां। लोहा तथा इस्पात नियंत्रक, इस्पात विभाग और खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ आवधिक बैठकें की जाती हैं।

(ग) खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति मंत्रालय के परामर्श से, जिसके अन्तर्गत स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमिटेड (एस० टी० सी०) तथा हिन्दुस्तान वेजीटेबुल ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड (एच० वी० ओ० सी०) द्वारा नामित किए गए टिन प्लेट के डिब्बों के निर्माताओं को डिब्बों के निर्माण के लिए टिन प्लेटें सप्लाई की जाती हैं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण हेतु खाद्य तेल की पेकिंग के लिए ये डिब्बे एस० टी० सी० तथा एच० वी० ओ० सी० को सप्लाई करने की व्यवस्था की गई है।

केन्द्रीय मजदूर संघों का प्रस्तावित आन्दोलन

7148. **श्री पी० एम० सईद** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह मालूम है कि केन्द्रीय मजदूर संघ सरकारी उपक्रमों में वेतन और भत्तों में संशोधन करने हेतु वेतन बोर्डों का गठन करने संबंधी प्रस्ताव के विरुद्ध आन्दोलन करने की तैयारी कर रहे हैं;

(ख) क्या यह सच है कि कतिपय उपक्रमों ने अपना पूंजीनिवेश कम कर दिया है और इसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में श्रमिकों को रोजगार से निकाल दिया है;

(ग) क्या यह बात भी सरकार की जानकारी में आई है कि कोयला उद्योग में श्रमिक असन्तोष बढ़ रहा है क्योंकि यह श्रमिक बड़ी संख्या में फालतू पाये गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ) हालांकि कोयला उद्योग में फालतू श्रमिकों की समस्या है, लेकिन सरकार को इस बाबत श्रमकों के बीच किसी असन्तोष की जानकारी नहीं है ।

[हिन्दी]

पटना में किए गए प्रदर्शन सम्बन्धी समाचारों का प्रसारण न किया जाना

7149. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के ग्यारह विपक्षी दलों ने चावल, गेहूं, उर्वरकों और पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि के विरोध में 20 फरवरी, 1986 को समूचे देश में प्रदर्शन करने का आह्वान किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या पटना के जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय के सामने भी ऐसा ही प्रदर्शन किया गया था;

(ग) यदि हां, तो क्या ऐसे महत्वपूर्ण प्रदर्शन के समाचार आकाशवाणी के पटना केन्द्र के क्षेत्रीय समाचार बुलेटिन में प्रसारित नहीं किए गए थे;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) से (ङ.) 20.2.86 को पटना के जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय के सामने किए गए प्रदर्शनर के बारे में समाचार आकाशवाणी, पटना से रात 7.30 बजे प्रसारित किए गए क्षेत्रीय समाचा, बुलेटिन के बाद प्राप्त हुआ था । किसी भी आयोजक या प्रदर्शन कारी ने इसकी पूर्व सूचना नहीं दी

और न ही उन्होंने बाद में सूचित किया। अतः यह कहानी अगले दिन के सायंकालीन बुलेटिन में शामिल किए जाने के लिए बासी हो गई थी। इस प्रकार के मामले में, कोई आगे कार्रवाई करना आवश्यक नहीं है।

[अनुवाद]

काश्मीर के फल उत्पादकों के राहत दावे

7150. **प्रो० सैफुद्दीन सोज** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काश्मीर के फल उत्पादकों के राहत के कुछ दावे सरकार के विचाराधीन हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें आवश्यक राहत कब तक दिए जाने की आशा है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

वर्ष 1984-85 के दौरान हुई श्रमिक हड़तालें

7151. **श्रीमती वसवराजेश्वरी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 के दौरान देश में कितनी बार श्रमिक हड़तालें हुई हैं;

(ख) इन हड़तालों में कितने श्रमिकों ने भाग लिया है; और

(ग) इससे कुल कितने जनदिवसों और कितने मूल्य के उत्पादन की हानि हुई है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) हड़तालों/तालाबंदियों संबंधी सूचना कैलेण्डर वर्ष के अनुसार ही रखी जाती है। वर्ष 1984 तथा 1985 के दौरान हुई हड़तालों, उनमें शामिल श्रमिकों, क्षति हुए श्रम दिनों की संख्या तथा उत्पादन क्षति के मूल्य संबंधी एक विवरण संलग्न है।

विवरण

	1984 (अ)	1985 (अ)
हड़तालों की संख्या	1,689	1,156
हड़तालों में भाग लेने वाले श्रमिकों की संख्या	17,26,330	8,12,091

	1984 (अ)	1985 (अ)
क्षति हुए श्रम दिनों की संख्या (लाखों में)	399.6	103.2
उत्पादन क्षति का मूल्य (करोड़ रुपयों में)	257.5 (997)*	159.0 (626)*

अ=अनन्तिम

* कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े उन मामलों की संख्या दर्शाते हैं, जिनसे उत्पादन क्षति का मूल्य संबंधित है।

संसद सदस्यों की राज्य स्तरीय बैठक

7152. **श्री ई० अय्यप्पू रेड्डी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्यों की उनके संबंधित राज्यों में प्रसारण और दूरदर्शन की समस्याओं पर एक-दूसरे के विचारों पर चर्चा करने के लिए प्रति वर्ष राज्य स्तरीय बैठक बुलाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या संसद सदस्यों द्वारा दूरदर्शन रिले केन्द्रों के सुधार और उनके स्थान में परिवर्तन करने के संबंध में दिए गए सुझावों को दूरदर्शन ने अभी तक नहीं माना है; और

(ग) क्या दूरदर्शन रिले केन्द्रों के दोषपूर्ण होने के कारण जितनी जनसंख्या के लिए दूरदर्शन सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी थीं उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) दूरदर्शन रिले केन्द्रों के स्थापना स्थलों के बारे में संसद सदस्यों द्वारा सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री को लिखे पत्रों में बड़ी संख्या में सुझाव दिए जाते हैं। इस प्रकार के सुझावों पर हमेशा समुचित विचार किया जाता है।

(ग) ट्रांसमीटर आम-तौर पर सन्तोषजनक रूप से कार्य कर रहे हैं। किन्तु एक या दो मामलों में, यह रिपोर्ट की गई है कि दृष्टि रेखा में भौतिक बाधा और अन्य बातों के कारण ट्रांसमीटर की सेवा परिधि के अन्दर संग्रहण कमजोर था। शिकायतों को दूर करने के लिए इस प्रकार के मामलों में कदम उठाए जाते हैं।

इण्डियन एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड द्वारा अपना 50 प्रतिशत धातु उत्पादन बिया जाना

7153. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एल्यूमिनियम नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत इंडियन एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड के लिए अपना 50 प्रतिशत धातु उत्पादन इलैक्ट्रिकल ग्रेड लेवी धातु के रूप में देना कानूनी रूप से अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो क्या कम्पनी पिछले दो वर्षों से इस अपेक्षा का पालन नहीं कर रही है और अधिक लाभ कमाने के लिए उसके द्वारा तैयार की गई धातु अपने ही सेमी-फैबरिकेटिंग यूनिटों को दे रही है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसा न करने के लिए इस कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) 1,17,000 टन की स्थापित वार्षिक क्षमता की तुलना में, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी द्वारा 1984 में 51,101 टन तथा 1985 में 37,456 टन प्राथमिक एल्यूमिनियम धातु का उत्पादन किया गया, जो 50 प्रतिशत क्षमता उपयोग से काफी कम है। इस कम उत्पादन का कारण उनके बेलगाम (कर्नाटक) स्थित प्रद्रावक तथा उड़ीसा में हीराकुण्ड (उड़ीसा) प्रदावक को भारी बिजली कटौतियां हैं। इसलिए अपर्याप्त बिजली पूर्ति के कारण वह कंपनी विद्युत कन्डक्टर ग्रेड एल्यूमिनियम पूर्ति की बचनबद्धता को पूरा नहीं कर सकी है। चूंकि मांग और पूर्ति के समग्र अन्तर को कम करने के लिए एल्यूमिनियम का आयात किया जा रहा है, इसलिए विद्युत कन्डकटर्स ग्रेड तथा वाणिज्यिक ग्रेड दोनों प्रकार के एल्यूमिनियम के उत्पादन में कमी को आयातों द्वारा पूरा किया जा रहा है।

केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड द्वारा जारी किए गए रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्रों की पुनरीक्षा

7154. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत स्थापित की गई रजिस्ट्रेशन समिति ने 130 मूल रसायनों और 400 फार्मूलेशनों की विषाक्तता के सम्बन्ध में आंकड़े प्राप्त किए बिना, जो अब मानव जीवन के लिए हानिकारक सिद्ध हो रही हैं, कइ निर्माताओं को स्थायी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र दिए थे; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले की पुनरीक्षा करने और रजिस्ट्रेशन पत्र वापस लेने तथा सुरक्षित सीमा और तनुकरण (डाइलूशन) स्तर निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं। यह कहना ठीक नहीं है कि विषाक्तता के सम्बन्ध में ब्योरा/सूचना प्राप्त किए बगैर ही विनिर्माताओं को बड़ी संख्या में स्थायी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर दिए गए हैं। पंजीकरण समिति किसी उत्पाद

की क्षमता और मानव जीवन और पशुओं के लिए इसकी सुरक्षा के सम्बन्ध में संतुष्ट होने के बाद ही पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करती है।

कीटनाशी अधिनियम 1971 से लागू हुआ। उस समय भारत में बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार की कृमिनाशी दवाईयां इस्तेमाल की जा रही थीं। पंजीकरण समिति ने, इनके सम्बन्ध में विस्तृत समीक्षा की और भारत में इनके इस्तेमाल, अनुभव तथा साथ ही साथ इन उत्पादों से संबंधित उपलब्ध अन्तर्राष्ट्रीय आंकड़ों के आधार पर पूछताछ करने के बाद तथा अपने आपको इस सम्बन्ध में सन्तुष्ट करने के बाद कि ये कृमिनाशी दवाईयां कारगर हैं और मानव जीवन और पशुओं के लिए सुरक्षित हैं, इनमें से केवल 92 कृमिनाशी दवाईयां भारत में उपयोग किए जाने की अनुमति दी। आज तक, कुल 122 तकनीकी श्रेणी की कृमिनाशी दवाईयां पंजीकृत की जा चुकी हैं।

चूंकि "कृमिनाशी दवाई" प्रकृति से ही विषाक्त है, इसलिए यदि इसका विवेकपूर्वक इस्तेमाल न किया जाए तो इसमें मानव-जीवन को नुकसान पहुंचाने की विशेषता अन्तर्निहित रहती है।

(ख) पंजीकरण समिति किसी भी पंजीकृत की गई कृमिनाशी दवाई के नुकसानदायक प्रभावों के प्रति सदा सजग रहती है। यह मामले की पुनः समीक्षा करती है और पंजीकरण प्रमाण पत्रों को वापस ले लेती है ताकि जैसा भी यह उपयुक्त समझे उसी प्रकार की यथोचित शर्तें लगा सके। 1971 से कृषि मंत्रालय ने 18 कृमिनाशी दवाईयों का पंजीकरण नामजूर किया है। 2 कृमिनाशी दवाइयों के आयात पर रोक लगाई है, 2 कृमिनाशी दवाइयों का इस्तेमाल चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया है और 2 कृमिनाशी दवाइयों के इस्तेमाल पर प्रतिबन्ध भी लगाया है।

इस मंत्रालय द्वारा सभी कृमिनाशी दवाइयों के, जिन पर अन्य देशों में रोक अथवा प्रतिबन्ध लगाया गया है, भारत में इस्तेमाल करने के बारे में समीक्षा करने के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन भी किया गया है।

निर्माण, आवास और पूर्ति मंत्रालय की सहकारी आवास निर्माण समिति को धनराशि वापस करना

7155. **श्री कमल नाथ** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984 के दौरान सरकारी भूमि पर कब्जा करने वाले व्यक्तियों को जारी किए गए नोटिसों के अनुसरण में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) निर्माण, आवास और पूर्ति मंत्रालय की सहकारी आवास निर्माण समिति के अधिकार में न दी गई उस तीन एकड़ भूमि के लिए सरकार द्वारा वसूली गई धनराशि के वापस न करने के क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) जब-कभी अतिक्रमणों का

पता चलता है तो दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विद्यमान नीति के अनुसार सरकारी भूमि पर अनधिकृत दखलकारों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है।

(ख) जैसा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है, निर्माण आवास तथा आपूर्ति सहकारी गृह निर्माण समिति से कोई अतिरिक्त राशि वसूल नहीं की गई है।

आन्ध्र प्रदेश में अमलपुरम् में मछुआरों के लिए घाट का निर्माण

7156. **श्री ए० जे० वी० बी० महेश्वर राव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में वोडालरेवु गांव में अमलपुरम के तटवर्ती क्षेत्र में मछुआरों की सुविधा के लिए एक घाट का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) वोडालरेवु में मत्स्य घाट की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सितम्बर, 1984 में राज्य सरकार का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, जो विस्तृत इंजीनियरी जांच और डिजाइन पर आधारित नहीं था। अतः नवम्बर, 1984 में आन्ध्र प्रदेश सरकार को सूचित किया गया कि प्रस्ताव पर्याप्त न होने की वजह से भारत सरकार के लिए पूंजी निवेश करने का निर्णय लेने के मामले पर कार्यवाही करना सम्भव नहीं है।

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों के लोगों के लिए मकानों का प्रावधान

7157. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के श्रमिकों सहित समाज के कमजोर वर्गों के लोगों के लिये मकानों की व्यवस्था करने हेतु नई योजनाएं प्रारम्भ कर रही है;

(ख) क्या शहरी सीवेज एण्ड सेनिटेशन बोर्ड का गठन किया जायेगा जिसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के लिये भी ऐसा बोर्ड गठित किया जायेगा; और

(ग) क्या इस योजना के एक अंग के रूप में लोगों को सामान्यतः कम मूल्य के विकसित प्लांट बेचे जायेगें ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) शहरी क्षेत्रों के आर्थिक

दृष्टि से कमजोर वर्गों के लोगों के लिए आवास योजना तथा भूमिहीन कामगारों के लिए ग्रामीण आवास स्थल एवं निर्माण सहायता योजना को पहले ही 20 सूत्री कार्यक्रम में शामिल किया गया है।

(ख) जल पूर्ति तथा मल निर्यात बोर्ड की स्थापना राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा की जाती है। जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इस प्रकार के बोर्ड नहीं हैं, उन्हें इनकी स्थापना के लिये कहा गया है।

(ग) आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों की आवास योजना के अन्तर्गत, स्थल तथा सेवाएं लागत मूल्य पर मुहैया कराई जाती हैं और ग्रामीण क्षेत्रों मे भूमिहीन कामगारों को आवास स्थल निःशुल्क आबंटित किये जाते हैं।

खेतिहर मजदूरों के लिए मजूरी

7158. **श्री चन्द्र किशोर पाठक** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेतिहर मजदूरों की मजूरी बढ़ाने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ख) क्या किसानों की दयनीय आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार का खेतीहर मजदूरों के चिकित्सा खर्चों का भार वहन करने का कोई प्रस्ताव है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) वर्ष 1980 से, केन्द्रीय सरकार ने कृषि में न्यूनतम मजदूरी में पांच बार संशोधन किया है। अन्तिम संशोधन फरवरी, 1985 में किया गया था। इस समय केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई और संशोधन किया जाना अपेक्षित नहीं है।

(ख) जी, नहीं। प्रशासनिक कारणों से ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार करना केन्द्रीय सरकार के लिए सम्भव नहीं रहा है।

कर्नाटक गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र

7159. **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कर्नाटक में गैस पर आधारित एक उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कौन से स्थान का चयन किया गया है;

(ग) इस संयंत्र की अनुमानित कीमत क्या है; और

(घ) प्रस्तावित संयंत्र की स्थापना कब तक की जायेगी ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

हरिनगर तथा मायापुरी में हरित क्षेत्र

7160. **प्रो० राम कृष्ण मोरे** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बृहद योजना का उल्लघन करते हुए मायापुरी, नई दिल्ली में हरित क्षेत्र एक पब्लिक स्कूल को दिया गया है और हरिनगर में पार्क बनाने के लिए निर्धारित स्थान पर स्ववित-पोषित योजना के अन्तर्गत फ्लैट बनाये जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार का इस मामले में क्या कदम उठाने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

महरौली में भूमि की धोखाधड़ी

7161. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के कुछ उच्च पदस्थ अधिकारी, इंजीनियर और नगर आयोजक (टाउन प्लानर्स) दिल्ली के महरौली क्षेत्र में भूमि पर गैर-कानूनी कब्जे के मामलों में शामिल हैं; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) भूमि के संदिग्ध सौदों में शामिल अधिकारियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

[हिन्दी]

जबलपुर शहर को जलपूर्ति

7162. **श्री अजय मुशरान** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को जबलपुर शहर को 12 एम० जी० डी० जलपूर्ति के लिये विश्व बैंक से सहायता लेने हेतु मध्य प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में लिए गए निर्णय का ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) मध्य प्रदेश सरकार ने 10 कस्बों में जलपूर्ति बढ़ाने के लिए विश्व बैंक सहायता प्राप्त करने हेतु एक प्रस्ताव भेजा है। इसमें जबलपुर शहर में 12 मिलियन गैलन प्रतिदिन अतिरिक्त पानी मुहैया करके जलपूर्त्ति बढ़ाने का एक प्रस्ताव भी शामिल है।

(ख) तथा (ग) विश्व बैंक परियोजना आयोजन मिशन ने मध्य प्रदेश का दौरा किया है। उन्होंने परियोजना से सम्बन्धित कुछ पहलुओं का पता लगाया है। मुख्य पहलू इस प्रकार है :

(क) सांस्थानिक प्रबन्ध, (ख) क्षेत्र के लिए योजना नियतन तथा परियोजना को कम करने की व्यवहार्यता तथा (ग) जल प्रभार की दर सूची का संशोधन। मध्य प्रदेश सरकार ने उपर्युक्त पहलुओं पर अपना निर्णय अभी तक नहीं दिया है। उपर्युक्त पहलुओं पर मध्य प्रदेश सरकार के विचार होने के पश्चात ही विश्व बैंक के साथ अनुवर्ती कार्यवाही की जा सकती है।

[अनुवाद]

भूतपूर्व संसद सदस्यों का बंगलों/फ्लैटों पर कब्जा

7163. **श्री एम० आर० सैकिया** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सातवीं लोक सभा के अनेक भूतपूर्व संसद सदस्यों ने संसद सदस्य के रूप में उन्हें आबंटित किये गये बंगलों तथा फ्लैटों को अब तक खाली नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि भूतपूर्व संसद सदस्यों को उस तारीख से बाजार दर पर किराया देना पड़ता है जिस तारीख से वह संसद सदस्य के रूप में आवास का हकदार नहीं होता;

(घ) यदि हां, तो सातवीं लोक सभा के भूतपूर्व सदस्यों पर कितना किराया बाकी है; और

(ङ.) ऐसे बंगलों तथा फ्लैटों को खाली करवाने तथा किराये की बकाया राशि को वसूल करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं। सातवीं लोक

सभा के उन सभी सदस्यों ने जो सामान्य पुल के बंगलों/फ्लैटों में रहते थे, सभी रिहायशी एकक पहले ही खाली कर दिये हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, हाँ। भूतपूर्व संसद सदस्यों को एक माह की सामान्य धारण (रिटेंशन) अवधि के बाजार किराये का भुगतान करना अपेक्षित है।

(घ) यद्यपि सातवीं लोक सभा के भूतपूर्व सदस्यों ने सामान्य पूल के बंगले/फ्लैट खाली कर दिये हैं, फिर भी उनमें से किसी-किसी के ऊपर किराया बाकी है। बकायों का एक विवरण संलग्न है।

(ङ.) सातवीं लोक सभा के ऐसे भूतपूर्व सदस्यों से सरकारी बकायों की वसूलियों के लिए उचित कदम उठाये गये हैं।

विवरण

क्र० सं०	भूतपूर्व संसद सदस्यों का नाम	31-3-86 को बकाया राशि (रुपयों में)
1	2	3
1.	स्व० श्री बी० आर० नाहटा	97,383.75
2.	श्री जे० बी० घोते	25,305.85
3.	श्री एस० डी० सिंह	18,300.45
4.	श्री एस० पी० सिंह	10,925.95
5.	श्री आर० वाई० घोरपड़े	21,255.30
6.	श्री सोमनाथ चटर्जी	5,788.50
7.	श्री समर मुखर्जी	11,474.10
8.	श्री राम किंकर	4,288.60
9.	श्री एम० रामगोपाल रेड्डी	2,157.90
10.	श्री मगन भाई बारोट	16,367.40
11.	श्री के० सी० पाण्डेय	14,079.39

1	2	3
12.	श्री ए० आर० मल्लू	5,611.30
13.	श्री के० पी० तिवारी	4,908.40
14.	श्री बालेश्वर राम	28,431.67
15.	श्री रसीद मसूद	31,743.65
16.	श्री आर० सी० रथ	32,326.55
17.	श्री चरणजीत सिंह	15,590.95
18.	श्री डी० डी० शास्त्री	17,863.10
19.	स्व० श्री सी० एम० स्टीफन	10,166.60
20.	श्री एम० एच० खान	16,922.10
21.	श्री आर० वी० स्वामी नाथन	11,653.45
22.	श्री सज्जन कुमार	1,521.60
23.	श्री एन० आर० लसकर	22,833.40
24.	स्व० श्री केदार पाण्डेय	7,534.15

प्राकृतिक खनिज संसाधनों का उपयोग

7164. **श्रीमती प्रभावती गुप्ता :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार तथा देश के अन्य भागों में उपलब्ध प्राकृतिक खनिज संसाधनों के सही उपयोग का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सिलिकोन की खान में काम करने वाले श्रमिकों के स्वास्थ्य को खतरा

7165. **श्री मधु दण्डवते :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया गया है कि मध्यप्रदेश में सिलिकोन की खानों में काम करने वाले श्रमिकों के स्वास्थ्य को गम्भीर खतरा रहता है और इसके परिणामस्वरूप उनका जीवन काल काफी कम हो जाता है; और

(ख) यदि हां, तो स्वास्थ्य सम्बन्धी इन खतरों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है।

पोत विखंडन एकक

7166. डा० के० जी० आदियोडी : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने पोत विखंडन एकक हैं और गत तीन वर्षों के दौरान कितने पोतों को विखंडन के लिए लिया गया और कुल कितनी धनराशि का कार्य किया गया और कितना लाभ प्राप्त हुआ; और

(ख) क्या चालू वर्ष में पोत में विखंडन के लिए केरल में बेपुर पत्तन के विस्तार करने का कोई विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मन्त्री, (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जानकारी नीचे दी गई है :

	1983-84	1984-85	1985-89
(1) देश में जहाज तोड़ने वाली इकाइयों की संख्या	64	91	91
(2) तोड़ने हेतु लिए गए जहाजों की संख्या (कोर्ट आर्डर सेल्स भी शामिल हैं)	93	74	120
(3) किए गए कार्य की मात्रा (लगभग)			
(i) भार (लाख/एल० डी० टी०) के सन्दर्भ में	4.31	3.32	6.15
(ii) धन (करोड़ रुपयों में) के सन्दर्भ में	35.80	44.73	87.41

इसके अलावा बम्बई तथा कलकत्ता में जहाज तोड़ने की क्रमशः 56 तथा 33 इकाइयां हैं जो मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन के पास पंजीकृत हैं। इन इकाइयों को जहाज तोड़ने के लिए बम्बई तथा कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट द्वारा पट्टे पर स्थान उपलब्ध कराए जाते हैं।

जहाज तोड़ने वाली इकाइयों द्वारा अर्जित किए गए लाभ के आंकड़े इस्पात मंत्रालय द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

(ख) जी, नहीं। किसी भी वर्तमान इकाई के विस्तार अथवा बेपुर में किसी अतिरिक्त इकाई के स्थल के बारे में कोई भी प्रस्ताव भारत सरकार के पास बकाया नहीं पड़ा है।

ईंधन की घरेलू आवश्यकताओं के लिए बायो गैस का प्रयोग

7167. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ईंधन की घरेलू आवश्यकताओं के लिए बायो-गैस का प्रयोग करने वाले ग्रामीण परिवारों में आये परिवर्तनों की जानकारी है;

(ख) क्या परिवारों में महिलाओं को ईंधन इकट्ठा करने में जो बहुत अधिक समय लगाना पड़ता था अब बायो-गैस के प्रयोग के कारण वह नहीं लगाना पड़ता;

(ग) यदि हां, तो क्या ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में इस पहलू पर ध्यान दिया गया है और महिलाओं के इस फालतू समय का उपयोग उनके लिए उत्पादक कार्यों का आयोजन करके किया गया है; और

(घ) क्या ग्रामीण विकास विभाग का महिलाओं को नीरस कार्यों से छुटकारा दिलाने और उनकी शक्ति का उत्पादक कार्यक्रमों में उपयोग करने के लिए कोई अन्य कार्यक्रम है ?

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 1974-75 से देश में 6 लाख से अधिक बायो गैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं। वर्ष 1981-82 में बायो गैस विकास हेतु एक राष्ट्रीय परियोजना शुरू की गई थी।

बायोगैस एक साफ सुथरा तथा सस्ता ईंधन है। इससे महिलाओं तथा बच्चों को प्रतिदिन ईंधन की लकड़ियां एकत्रित करने तथा उनके भारी गठरों को ढोने के कठिन कार्य से मुक्ति मिलती है। इससे इनका रसोई में धुंए के कष्ट से भी बचाव होता है जिससे कि आंखों व फेफड़ों के रोग हो सकते हैं। इससे खाना पकाने में कम समय लगता है तथा बर्तन भी सरलता से साफ किए जा सकते हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि एक औसत ग्रामीण परिवार द्वारा लकड़ी एकत्रित करने में लगभग 200 से 300 श्रमदिन लगते हैं तथा बायोगैस के उपयोग से इसकी काफी बचत हो सकती है।

(ग) व (घ) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं को सहायता उपलब्ध कराने पर अधिक ध्यान देने के उद्देश्य से वर्ष 1982 में एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं तथा बच्चों के विकास की एक योजना आरम्भ की गई थी। वर्ष 1985 से सरकार ने समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कम से कम 30 प्रतिशत महिलाओं को उत्पादी स्वरूप की परिसम्पतियों द्वारा लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं को भी मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। इन मुख्य निर्धनता निवारण कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को उत्पादी स्वरूप की गतिविधियां आरम्भ करने में सक्षम बनाने के प्रयास किए जाएंगे।

ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत गांवों में नए जल स्त्रोतों की व्यवस्था करने से ग्रामीण महिलाओं को सरलता से जल उपलब्ध हो सकेगा तथा उन्हें काफी दूरी से पानी लाने में अधिक समय लगाना नहीं पड़ेगा। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत तैयार किए जा रहे मकानों में उन्नत किस्म के चूल्हों का प्रावधान करना अपेक्षित है। गैर-पारस्परिक ऊर्जा स्त्रोत विभाग द्वारा चूल्हों की सुधरी हुई किस्म पर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। दो वर्षों की अल्प अवधि में 18 लाख से अधिक सुधरे किस्म के चूल्हे स्थापित किए गए हैं। इससे महिलाओं को कड़ी मजदूरी से मुक्ति दिलाने तथा खाना पकाने तथा ईंधन की लड़की एकत्रित करने में समय की बचत करने में सहायता मिली है।

राष्ट्रीय और स्थानीय कार्यक्रमों का समय निर्धारण

7168. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूरदर्शन द्वारा स्थानीय तथा राष्ट्रीय कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए समय का निर्धारण संतुलित नहीं है;

(ख) क्या प्रत्येक राज्य की यह मांग है कि स्थानीय कार्यक्रमों को अधिक समय दिया जाये;

(ग) क्या दूरदर्शन प्रसारण के लिए दूसरा चैनल चालू किये जाने के बाद राष्ट्रीय प्रसारण के दौरान भी दूसरे चैनल पर और अधिक स्थानीय कार्यक्रम प्रसारित करने का सरकार का विचार है; और

(घ) यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं। नीति के रूप में, दूरदर्शन क्षेत्रीय केन्द्रों को अपने-अपने क्षेत्र की भाषाओं में कार्यक्रमों का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित करता है। सभी पूर्णरूपेण दूरदर्शन केन्द्र प्रतिदिन लगभग तीन घंटे की अवधि के लिए अधिकांशतया अपनी-अपनी भाषाओं में सेवाएं प्रस्तुत करते हैं। इस समय राष्ट्रीय कार्यक्रम रात 8.40 बजे शुरू होता है और इसकी अवधि 2 घंटे 35 मिनट है। दूरदर्शन केन्द्र, मद्रास, जो राष्ट्रीय कार्यक्रम में रात 9.00 गजे शामिल होता है, को छोड़कर शेष सभी पूर्णरूपेण दूरदर्शन

केन्द्र राष्ट्रीय कार्यक्रम को भी रात 8.40 से रात 11.15 बजे तक रिले करते हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) इस समय दूसरा चैनल केवल दिल्ली और बम्बई में ही है, जो प्रतिदिन दो घण्टे के लिए मुख्यतया स्थानीय भाषा में कार्यक्रम टेलीकास्ट करते हैं और यह प्रेषण उस समय समाप्त हो जाता है जब राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू होता है। राष्ट्रीय कार्यक्रम का वैकल्पिक अवलोकन उपलब्ध करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संघ के सहयोग से कृषि मशीन उद्योग का विकास

7169. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संघ के प्रमुख ने यह विचार व्यक्त किया है कि अधिकांश विकासशील देशों में कृषि की खराब हालत को सुधारने का सर्वोत्तम तरीका त्वरित पूंजी निवेश के द्वारा कृषि से सम्बन्धित उद्योगों का विकास करना है;

(ख) यदि हां, तो क्या विकासशील देशों में कृषि मशीन उद्योगों के विकास के लिए भारत और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संघ के बीच और अधिक तकनीकी तथा औद्योगिक सहयोग की काफी गुंजाइश है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। विकास एक निरन्तर प्रक्रिया है; अतः भारत और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संघ के बीच तकनीकी सहयोग की गुंजाइश हमेशा बनी हुई है।

(ग) इस समय कृषि मशीनरी सम्बन्धी सहयोग के तहत संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संघ का कोई कार्यक्रम नहीं है। तथापि, विभिन्न अन्य क्षेत्रों में निम्नलिखित कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं :

1. आई० एन० डी०/80/037 — कृषि नाशक विकास कार्यक्रम, भारत।

2. आई० एन० डी०/81/018 — अमझोर पहराइटस से सल्फर तथा सल्फ्यूरिक एसिड का उत्पादन करने से सम्बन्धित अनुसंधान।

3. आई० एन० डी० आई०/81/019 — मसूरी—डिपाजिट से निम्न ग्रेड की राक फोस्फेट का उपयोग करने से सम्बधित अनुसंधान।

4. आई० एन० डी०/85-006 — उर्वरक संयंत्र प्रचालनों में विशेषज्ञता का विकास।

5. आई० एन० डी०/85/007 — उर्वरक उद्योग की उत्पादकता बनाए रखने हेतु प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण।

उर्वरक उद्योग में संकट

7170. **डा० गौरी शंकर राजहंस** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि आयाति उर्वरक को उपभोग के लिए अव्यवस्थित तरीके से जारी करने के कारण देश में उर्वरक उद्योग को भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या आयातित उर्वरक के जारी करने के कारण अनेक उर्वरक एककों के बन्द होने की आशंका है; और

(ग) स्थिति सामान्य बनाने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

उर्वरक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख) उर्वरकों का स्वदेशी उत्पादन मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अत: उर्वरकों के आयात की व्यवस्था हर वर्ष की जाती है जिस में आदि लेख तथा स्वदेशी उत्पादन के अनुमानों तथा राज्य सरकारों द्वारा लगाये गए उर्वरकों की मांग के अनुमानों को ध्यान में रखा जाता है। प्रत्येक फसल मौसम के लिए तैयार की जाने वाली उर्वरक आपूर्ति योजना इस धारणा पर आधारित होती है कि वर्षा सामान्य होगी तथा राज्यों द्वारा उर्वरक खपत का लगाया गया अनुमान पूरा होगा। तथापि, वर्ष 1985-86 के दौरान देश के कुछ भागों से वर्षा सामान्य न थी। इसके परिणामस्वरूप उर्वरक खपत ने अन्य देश कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात जैसे राज्यों में गम्भीर सूखे की स्थिति के कारण नकारात्मक वृद्धि दर्ज की। चूंकि इन राज्यों में अनुमानित खपत स्तर प्राप्त नहीं किया जा सका, कुछ उर्वरक संयंत्रों में भंडारों का स्तर बहुत बढ़ गया।

(ग) आयात कम करने के अलावा पश्चिमी क्षेत्र में अधिक भंडार वाले निर्माताओं को यथा सम्भव सीमा तथा वैकल्पिक विकास प्रदान किए गए ताकि वे अपने मूल विपणन क्षेत्र के अन्तर्गत न आने वाले नए क्षेत्रों को अपनी सामग्री की आपूर्ति कर सके। रेल द्वारा यथा-सम्भव अधिकतम मात्रा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए रेलवे द्वारा विशेष प्रयास किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप 1985-86 में रेल द्वारा उर्वरकों का संचालन लगभग 13 मिलियन टन के स्तर तक पहुंचा जब कि लैस 10.5 मिलियन टन था।

छठी और सातवीं योजना अवधियों के दौरान केरल में नारियल उत्पादकों को सिंचाई सुविधाएं

7171. **श्री वी० एस० विजय राघवन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना अवधि के दौरान केरल में नारियल उत्पादकों को सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए केरल को कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है और कितने क्षेत्र में सिंचाई की गई है;

(ख) सातवीं योजना अवधि के दौरान इसके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) सातवीं योजना के दौरान इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि खर्च करने का प्रस्ताव है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान सिंचाई के लिए सहायता के रूप में किसानों को 5 लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध करायी गई थी। किसानों द्वारा 1000 पम्प सैट लगाए गए और 2000 हैक्टार क्षेत्र कवर किया गया।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 2500 पम्प सैट और सिंचाई साधनों के विकास के लिए राजसहायता उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

(ग) इस कार्यक्रम के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नारियल विकास बोर्ड के 50 प्रतिशत शेयर से 50 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है।

राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन द्वारा नमूने

7172. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए विकसित मकान के नए नमूने भारत की आर्थिक और जलवायु सम्बन्धी परिस्थिति के लिए उपयुक्त हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन नए नमूनों को अन्तिम रूप देने से पहले नई प्रौद्योगिकी पर विचार किया गया था ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीरसिंह) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) कम लागत के मकानों का डिजाइन बनाने से पहले स्थानीय सामग्रियों के उन्नत उपयोग, उचित श्रमिक, गहन निर्माण तकनीकियों तथा मौसमी परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाता है।

गोवा, दमन और द्वीव में बागवानी फसलें

7173. **श्री शांताराम नायक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोवा, दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र की प्रमुख बागवानी फसलें कौन-कौन सी है,

(ख) इन फसलों को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा गोवा, दमन और दीव का सरकार को क्या प्रोत्साहन दिए गए हैं; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) गोवा, दमन तथा दीव की प्रमुख बागवानी फसलें नारियल, काजू, केला और आम हैं।

(ख) तथा (ग) 1985-86 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत इन फसलों का विकास करने के लिए गोवा, दमन तथा दीव सरकार को निम्नलिखित वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

1. नारियल

नारियल विकास बोर्ड ने क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत और क्षेत्रीय पौधशाला स्थापित करने के लिए 2.834 लाख रुपये निर्मुक्त किए। इसके अतिरिक्त, पैकेज पद्धतियों के तहत क्षेत्र लाने तथा प्रदर्शन भूखण्डों के लिए 1.00 लाख रुपये निर्मुक्त किए गए।

2. काजू

काजू विकास की पैकेज कार्यक्रम सम्बन्धी केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के तहत पौध संरक्षण उपाय करने, प्रदर्शन करने और कलम बैंक स्थापित करने के लिए 2.369 लाख रुपए की रकम मंजूर की गई थी।

3. केला

केला सम्बन्धी पैकेज कार्यक्रम की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के तहत उन्नत पैकेज की पद्धतियां लोकप्रिय बनाने और प्रदर्शनों का आयोजन करने के लिए 1.03 लाख रुपए की सहायता मंजूरी की गई थी।

आदिवासी नृत्य और गीतों का दूरदर्शन पर प्रसारण

7174. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आदिवासी नृत्यों और गीतों की परम्परा के अनुरक्षण की दृष्टि से इनके दूरदर्शन पर प्रसारण को प्रोत्साहन दे रही है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान ऐसे कितने कार्यक्रम प्रसारित किये जायेंगे ; और

(ग) क्या सरकार का विचार आदिवासियों के विभिन्न त्यौहारों के अवसरों पर केवल आदिवासी नृत्यों और गीतों की रिकार्डिंग के लिए विभाग के अन्तर्गत कोई अलग एजेन्सी गठित करने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (ग) : आदिवासी गीतों और नृत्यों के कार्यक्रम विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा तथा दूरदर्शन के राष्ट्रीय कार्यक्रम में भी टेलीकास्ट किए जाते हैं। उनको टेलीकास्ट करना कार्यक्रम की उपलब्धता तथा सम्बन्धित केन्द्रों की कार्यक्रम आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। वर्ष में आदिवासी नृत्यों और गीतों सहित किसी भी विषय वस्तु पर टैलीकास्ट किए जाने वाले कार्यक्रमों की संख्या बताना सम्भव नहीं है, क्योंकि दर्शकों की रुचि बनाए रखने के लिए कार्यक्रम आवश्यकता की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। दूरदर्शन द्वारा उपलब्ध संसाधनों के भीतर आदिवासी नृत्यों और गीतों को कवर करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। दूरदर्शन अभिलेखागारों में दुर्लभ और श्रेष्ठ निर्माणों को सुरक्षित रखा जाता है। दूरदर्शन ने आदिवासियों के विभिन्न त्यौहारों के अवसरों पर विभिन्न जनजातियों के आदिवासी नृत्यों और गीतों की विशेष रूप से रिकार्डिंग करने के लिए कोई अलग एजेन्सी न तो स्थापित की है और न ही स्थापित करने का प्रस्ताव है।

करीमगंज, असम का दूरदर्शन नेटवर्क की परिधि में न आना

7175. **श्री सुदर्शन दास** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री करीमगंज, असम के दूरदर्शन नेटवर्क की परिधि में न आ पाने के बारे में 10 मार्च, 1986 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2036 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सिल्चर में विद्यमान लो पावर टी० वी० ट्रांसमीटर के स्थान पर हाई पावर (10 किलोवाट) ट्रांसमिटर लगाने की योजना को कार्यान्वित करने में क्या प्रगति हुई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : सिल्चर में उच्च शक्ति (10 किलोवाट) वाले टी० वी० ट्रांसमीटर के लिए भवन और टावर का निर्माण कार्य चल रहा है। इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित अधिकांश उपकरण प्राप्त हो चुके हैं। ट्रांसमीटर के 1987-88 के दौरान चालू हो जाने की उम्मीद है।

भारतीय रिजर्व बैंक/राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक से ऋण की उपलब्धता

7176. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अपात्र जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों के क्षेत्र में किसानों को ऋण की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक का विचार क्या उपाय करने का है;

(ख) क्या प्राथमिक समितियों के सदस्यों को और उन व्यक्तियों को भी जिन्होंने ऋण वापस कर दिया है, ऋण की उपलब्धता बनाए रखने की दृष्टि से अपात्र जिला केन्द्री यसहकारी बैंक

के क्षेत्र के सम्बन्ध में राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक द्वारा विशेष ऋण सीमा मंजूर की जा रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 1974-75 से भारत सरकार द्वारा लागू किए गए गैर-आतिदेय व्यवस्था की योजना के अधीन उन केन्द्रीय सहकारी बैंकों के लिए सहायता की व्यवस्था की जाती है जिनके आन्तरिक संसाधन अतिदेय की व्यवस्था के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक/राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं ताकि अपात्र जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों के क्षेत्रों में किसानों के लिए निर्बाध ऋण का प्रवाह सुनिश्चित किया जा सके :

(1) सहकारी समितियों के पंजीकारों को सलाह दी गई है कि राज्य सहकारी बैंक अपने निजी संसाधनों से उन केन्द्रीय सहकारी बैंकों के लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था करें जो राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक से अल्पावधि ऋण सीमाओं की मंजूरी के लिए पात्र नहीं हैं।

(2) सहकारी समितियों के पंजीकारों को यह भी सलाह दी गई है कि प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के न्यूनतम वसूली निष्पादन सम्बन्धी यदि कोई मानदण्ड निर्धारित किये गए हैं तो उनकी समीक्षा करें और समुचित रूप से उन्हें शिथिल करें जिससे उनके प्रवर्तन के परिणामस्वरूप नये और गैर-चूककर्त्ता सदस्यों के लिए वित्त व्यवस्था करने हेतु प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को ऋण से वंचित न होना पड़े। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के लिए न्यूनतम वसूली सम्बन्धी मानदंड अधिकांश राज्यों में हटा दिये गये हैं।

(3) उन राज्यों में जहां अपात्र केन्द्रीय सहकारी बैंकों की संख्या अधिक है और उनकी नये वित्त पोषण तथा गैर-चूककर्त्ता सदस्यों की अनुमानित मांगे इतनी अधिक हैं कि इसकी पूर्ति राज्य सहकारी बैंकों, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक निम्नलिखित ऋण सुविधाएं, प्रत्येक मामले के गुणानुगुण के आधार पर विस्तार करने के लिए पहले ही मंजूरी दी गई है :

(1) राज्य सहकारी बैंकों को पात्र केन्द्रीय सहकारी बैंकों की ओर से प्रेक्ष मौसमिक कृषि कार्यों के लिए अतिरिक्त अल्पावधि ऋण सीमाओं की स्वीकृति।

(2) फसलों का विपणन, उर्वरकों की खरीद तथा वितरण आदि जैसे अन्य स्वीकृत अल्पकाली प्रयोजनों के लिए आवश्यक ऋण की व्यवस्था करना। ये सीमाएं राज्य सहकारी बैंकों के संसाधनों को निर्मुक्त करने में सहायक होती हैं और वे अपात्र केन्द्रीय सहकारी बैंकों को वित्तीय सहायता देने के लिए समर्थ बनाते हैं।

(3) अत्यधिक मामलों में, यदि राज्य सहाकारी बैंक अपात्र केन्द्रीय सहकारी बैंकों के क्षेत्रों में किसी विशेष प्रबन्ध के तहत प्रत्यक्ष रूप से प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को वित्तीय सहायता देते हैं तो राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए बैंक द्वारा राज्य सहकारी बैंकों को ऋण की अलग व्यवस्था की मंजूरी दी जा सकती है।

राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक द्वारा समय-समय पर इस बात पर बल दिया गया है कि राज्य सहकारी बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपात्र केन्द्रीय सहकारी बैंकों के इलाकों में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के नये तथा गैर-चूककर्त्ता सदस्यों की ऋण की आवश्यकतायें समूचे रूप से उनके द्वारा पूरी की जायें।

(ख) तथा (ग) उक्त व्यवस्था में सन्तोषजनक ढंग से कार्य किया जा रहा है और अब तक ऐसा कोई मामला राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को नहीं भेजा गया है, जहां संसाधन सम्बन्धी अड़चनों के कारण प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के नये तथा गैर-चूककर्त्ता सदस्यों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताएं समूचे रूप से न की गई हो। इस प्रकार इस प्रयोजन के लिए ऋण की पृथक व्यवस्था मंजूर करने की कोई आवश्यकता नहीं समझी गई है।

चावल और गेहूं का उत्पादन

7177. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर-पश्चिमी राज्यों की तुलना में पूर्वोत्तर और दक्षिण राज्यों में चावल और गेहूं का प्रति हैक्टेयर उत्पादन बहुत कम है; और

(ख) यदि हां, तो सभी राज्यों में प्रति हैक्टेयर खाद्यान्न उत्पादन के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) पूर्वोत्तर और दक्षिणी राज्यों के लिए गेहूं कोई महत्वपूर्ण फसल नहीं है। इस प्रकार इन राज्यों की उत्पादकता की तुलना, उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के साथ करना उचित नहीं है। जहां तक चावल का सम्बन्ध है, पूर्वोत्तर तथा दक्षिणी राज्यों में उत्पादकता उत्तर-पश्चिमी राज्य पंजाब और हरियाणा में उपलब्ध उपज की दरों की तुलना में सामान्य रूप से कम है।

(ख) विभिन्न राज्यों में 1984-85 के दौरान चावल, गेहूं तथा खाद्यान्नों की उत्पादकता दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राज्य	प्रति हैक्टार उत्पादन		(कि० ग्रा०)
	चावल	गेहूं	खाद्यान्न
1	2	3	4
पूर्वोत्तर क्षेत्र			
1. असम	1042	1289	1013
2. मणिपुर	1989	—	1998
3. मेघालय	1115	1378	1146
4. नागालैंड	847	—	859
5. सिक्किम	1000	1594	1140
6. त्रिपुरा	1321	1619	1305
दक्षिण क्षेत्र			
7. आन्ध्र प्रदेश	1978	660	1209
8. कर्नाटक	2053	577	940
9. केरल	1675	—	1628
10. तमिलनाडु	2140	750	1437
उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र			
11. पंजाब	3074	3289	3006
12. हरियाणा	2447	2593	1722
13. राजस्थान	1253	1626	684
अन्य राज्य			
14. बिहार	1029	1617	1110
15. गुजरात	1481	2087	1109

1	2	3	4
16. हिमाचल प्रदेश	1236	695	1168
17. जम्मू एवं कश्मीर	2069	840	1466
18. मध्य प्रदेश	759	1055	735
19. महाराष्ट्र	1274	866	688
20. उड़ीसा	1035	1948	931
21. उत्तर-प्रदेश	1297	1867	1452
22. पश्चिम बंगाल	1557	2418	1538

—उत्पादकता नहीं निकाली गई है क्योंकि राज्य के लिए फसल उत्पादन शून्य अथवा नगण्य है।

पूर्वी तट पर मत्स्य पत्तनों को सुविधाएं

7178. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मोंथ नदी के निकट पूर्वी तट पर कितने मत्स्य पत्तन हैं; और

(ख) मछुओं को क्या सुविधाएं दी गई हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) ग्यारह।

(ख) मछुए आश्रय स्थलों, घाट, जेटी, स्लिपवे के रूप में सुविधाओं और बिजली की आपूर्ति, जल, बर्फ आदि सहायक सुविधाएं, जिस किसी भी मत्स्यन बन्दरगाह में उपलब्ध हों, उनका उपयोग कर सकते हैं।

केरल में दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना

7179. **श्री आई० रामा राय** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के पिछड़ेपन तथा विशालता को देखते हुए सरकार का विचार सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम एक स्थान पर दूरदर्शन लो पावर ट्रांसमीटर सेन्टर अधिष्ठापित करने का है; और

(ख) इस समय केरल में लो पावर तथा हाई पावर के कितने ट्रांसमीशन केन्द्र हैं तथा सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केरल में कितने केन्द्र स्थापित करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बी० एन० गाडगिल) : (क) दूरदर्शन की सातवीं योजना की स्कीमों के कार्यान्वित हो जाने के बाद, दूरदर्शन सेवा देश के सभी जिलों में, पूर्णतः या अंशतः उपलब्ध होने की उम्मीद है।

(ख) अपेक्षित सूचना इस प्रकार है :

	दूरदर्शन ट्रांसमीटरों की संख्या	
	उच्च शक्ति वाले (10 किलोवाट)	अल्प शक्ति वाले (100 वाट)
मौजूदा	2	3
सातवीं योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित	शून्य	4

रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए धनराशि का आवंटन

7180. **श्री बी० एन० रेड्डी** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 से अब तक देश में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) वर्ष 1980 से लेकर अब तक बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या कितनी है; और

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) में रोजगार पाने वाले व्यक्तियों का अनुपात कितना है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) पंचवर्षीय योजनाओं का एक मुख्य उद्देश्य रोजगार के अवसर उत्पन्न करना है। इस प्रयोजन के लिए आवंटित धनराशि के ब्यौरे उपलब्ध नहीं है।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना प्रलेख के अनुसार मार्च, 1980 में 5+ के आयु ग्रुप में लगभग 120 लाख व्यक्ति सामान्यतः बेरोजगार थे। सातवी योजना प्रलेख में मार्च, 1985 में इसी आयु ग्रुप में सामान्य स्तर की बेरोजगारी का अनुमान 92 लाख दर्शाया गया है। ये दो अनुमान तुलनात्मक नहीं है क्योंकि 92 लाख का अनुमान राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के 38वें राउंड सर्वेक्षण के आंशिक परिणामों पर आधारित है।

(ग) चूंकि रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए आवंटित धनराशि के बारे में पूरे ब्यौरे उपलब्ध नहीं है इसलिए इसका अनुपात नहीं निकाला जा सकता।

मध्य प्रदेश में आदिवासी जिलों में भंडारण सुविधाएं

7181. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्यप्रदेश के आदिवासी जिलों में भंडारण सुविधा, विशेषकर शीतागार सुविधा अत्यन्त अपर्याप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश के ऐसे क्षेत्रों में सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने नये शीतागारों की और अन्य भंडारण सुविधाएं उपलब्ध कराने का विचार है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इसके लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) : आदिवासी जिलों में भंडारण तथा शीतागारों की वर्तमान स्थिति के बारे में राज्य सरकार से मांगी गई जानकारी अभी प्राप्त होनी है। अपेक्षित जानकारी प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के अन्तर्गत कोचीन में मुद्रण केन्द्र

7182. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या **सूचना और प्रसारण** : मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के अन्तर्गत कोचीन में एक मुद्रण केन्द्र खोला गया था;

(ख) क्या यह मुदण केन्द्र अपनी पूरी क्षमता के अनुसार कार्य कर रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस मुद्रण केन्द्र को इसकी पूरी क्षमता के अनुसार चलाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) तक : मुद्रण और ग्राफिक आर्ट उद्योग के बारे में अपर्याप्त औद्योगिक अवस्थापना होने के कारण, कोचीन स्थित विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के मुद्रण केन्द्र का इष्टतम उपयोग करना सम्भव नहीं हुआ है। तथापि, स्थानीय मुद्रण उद्योग की सहायता लेकर इस केन्द्र का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

दूरदर्शन पर विज्ञापनों के प्रसारण के लिए संहिता

7183. **श्री निर्मल खत्री** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन कार्यक्रमों के दौरान विज्ञापनों के प्रसारण के लिए कोई संहिता तैयार की गई है, और यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस संहिता में न्यायालय की पवित्रता के प्रति सम्मान को शामिल किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या गोदरेज बेस्टों द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम, जिसमें न्यायालय और न्यायाधीश का दृश्य दिखाया गया है वह न्यायपालिका का अपमान नहीं है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां। संहिता की मुख्य बातें दर्शाने वाले विवरण संलग्न है।

(ख) जी, नहीं। दूरदर्शन वाणिज्यिक विज्ञापन संहिता में न्यायपालिका के बारे में कोई सीधा सन्दर्भ नहीं है।

(ग) इस भावना को देखते हुए कि "गोदरेज बेस्टो" द्वारा प्रायोजित विज्ञापन को न्याय-पालिका के असम्मान के रूप में गलत समझा जा सकता है, इस विज्ञापन का प्रदर्शन बन्द कर देने के लिए दूरदर्शन द्वारा एक परिपत्र जारी किया गया है।

विवरण

दूरदर्शन वाणिज्यिक विज्ञापन संहिता की मुख्य बातें

1. विज्ञापनों का आकल्पन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि वे देश के कानूनों के अनुरूप हों तथा वे लोगों की नैतिकता, शालीनता और धार्मिक भावनाओं को क्षुब्ध नहीं करें।

2. ऐसे किसी भी विज्ञापन के लिए अनुमति नहीं दी जानी चाहिए :

(1) जो किसी भी वर्ग, जाति, वर्ण, पन्थ, राष्ट्रीयता का उपहास करता हो सिवाय वहां के जहां इस तरह का प्रयोग प्रभावकारी प्रदर्शन के विशिष्ट प्रयोजन के लिए हो जैसा कि पूर्वाग्रह का विरोध करना।

(2) जो किसी भी मूल सिद्धांत या भारत के उपबंध के विरुद्ध हो।

(3) जो लोगों को अपराध करने, या अव्यवस्था, हिंसा करने या कानून का उल्लघंन करने के लिए उकसाता हो।

(4) जो अपराध को वांछनीयता के रूप में प्रस्तुत करता हो या अपराध या उसकी सीमा के ब्यौरों को देता हो।

(5) जो विदेशों के साथ मैत्री संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले ।

(6) जो राष्ट्रीय एम्बलेम या संविधान के किसी भी भाग या किसी व्यक्ति या राष्ट्रीय नेता के व्यक्तित्व या राज्य के पदाधिकारी का अनुचित लाभ उठाता हो ।

(7) सिगरेट तथा तम्बाकू उत्पादों पर ।

(8) ऐसे किसी भी विज्ञापन के लिए अनुमति नहीं दी जायेगी जिसका उद्देश्य पूर्णतया या मुख्यतया धार्मिक या राजनीतिक स्वरूप का है । विज्ञापनों को किसी भी धार्मिक या राजनैतिक उद्देश्य के लिए निदेशित नहीं किया जाना चाहिए या उसका किसी भी औद्योगिक विवाद से संबंध नहीं होना चाहिए ।

(9) निम्नलिखित से संबंधित सेवाओं के लिए विज्ञापन स्वीकार्य नहीं है : (क) धन उधार देने वाले, (ख) राष्ट्रीयकृत या मान्यता प्राप्त बैंकों के द्वारा संचालित स्कीमों से भिन्न चिट फंड और बचत योजनाएं, (ग) विवाह संबंधी एजेंसियां, (घ) गैर लाइसेंस शुदा रोजगार सेवाएं, (ङ) ज्योतिषी या भविष्यवकता आदि और हिप्टो-निजम के दावों वाली सेवाओं को दूरदर्शन पर विज्ञापित नहीं किया जायेगा ।

(10) घुड़दौड़ और चांस के अन्य खेलों से संबंधित शर्त लगाने की टिपों और मागदर्शी पुस्तकों आदि को स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

(11) किसी भी विज्ञापन में ऐसे संदर्भ नहीं होंगे जिनसे जनता के इस नतीजे पर पहुंचने की संभावना हो कि विज्ञापित उत्पाद अथवा इसके किसी भी घटक में कुछ ऐसे विशेष गुण हैं जो प्रमाणित न हो सकें, जैसे गंजेपन की दवाई ।

(12) तकनीकी साहित्य आदि से वैज्ञानिक अथवा सांख्यिकीय उद्धरणों का उपयोग केवल साधारण दर्शक के लिए उत्तरदायित्व की उपयुक्त भावना के साथ ही किया जाना चाहिए । असंगत आंकड़ों और वैज्ञानिक अनर्गलता का प्रयोग यह बताने के लिए कि इसका वैज्ञानिक आधार है, जो नहीं होता है, नहीं किया जाना चाहिए । सीमित वैधता वाले आकड़ों को इस तरह से प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए कि इससे लगे कि वे सर्वव्यापी सत्य है ।

(13) विज्ञापनदाताओं अथवा उनके एजेंटों को किसी दावे अथवा उदाहरण की पुष्टि करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु तैयार रहना चाहिए ।

(14) विज्ञापनों में दूसरे उत्पाद अथवा सेवा के बारे में उपेक्षित संदर्भ नहीं होने चाहिए ।

(15) ऐसे किसी भी विज्ञापन के अनुकरण से बचा जाना चाहिए जिससे दर्शकों के गुमराह होने की संभावना हो, यद्यपि यह उस प्रकार का न हो जिससे कानूनी कार्रवाई की गुंजाइश हो अथवा उससे कापी राइट का उल्लंघन होता हो।

(16) वास्तविक और तुलनात्मक मूल्यों और लागतों का दार्ष्टिक तथा मौखिक प्रस्तुतीकरण यथार्थ होना चाहिए और अनुचित बल या गलत बयानी के कारण गुमराह करने वाला नहीं होना चाहिए।

(17) प्रमाणपत्र असली होने चाहिएं और इनका इस ढंग से प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए जिससे दर्शकों के गुमराह होने की संभावना हो। विज्ञापनदाताओं अथवा एजेंसियों को ऐसे किसी भी प्रमाण पत्र और किसी भी दावे के समर्थन में, साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

3. अन्य सभी बातों में, दूरदर्शन पर वाणिज्यिक टेलीकास्टिंग के लिए महानिदेशक, दूरदर्शन का मार्ग दर्शन समय-समय पर यथा संशोधित भारत में विज्ञापन के लिए आचार संहिता से होगा।

4. इसमें किसी बात के होते हुए भी, यह संहिता उन संशोधनों/निर्देशों के अधीन है जो भारत सरकार द्वारा समय-समय पर किए जाएं/जारी किए जाएं।

[अनुवाद]

ग्रामीण जल पूर्ति परियोजनाओं के लिए उड़ीसा को डेनमार्क से सहायता

7184. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में डेनमार्क से सहायता प्राप्त ग्रामीण जल पूर्ति परियोजनाओं में क्या प्रगति हुई है और पहला चरण कब पूरा हो जाएगा;

(ख) क्या परियोजना के द्वितीय चरण को अंतिम रूप दे दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी परिमाप का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या द्वितीय चरण को डेनमार्क द्वारा पूर्ण सहायता दी जाएगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) उड़ीसा में डेनमार्क से सहायता प्राप्त ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजना पहला चरण 1 अप्रैल, 1987 तक समाप्त होने की आशा है। मार्च, 1986 तक कुल 1238 हैण्डपम्पों/ट्यूबवैलों में से 200 गांवों में 501 हैण्डपम्प/ट्यूबवैल पूरे किए गए हैं।

नए हैण्डपम्पों/ट्यूबवैलों से संबंधित कार्य, पुराने हैण्डपम्पों की मरम्मत, मंडलीय तथा खण्ड स्टोरों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम तथा अनुसंधान एव विकास कार्यक्रम आरम्भ किए गए हैं। एक प्रशिक्षण केन्द्र भी पूरा हो गया है।

(ख) और (ग) परियोजना के दूसरे चरण को आयोजना तथा बजट सम्बन्धी कार्य परियोजना के पहले चरण के मूल्यांकन के पश्चात् ही आरम्भ किए जाएगे। इसे परियोजना अवधि के अन्त में ही आरम्भ किया जायेगा।

[हिन्दी]

झामरकोटडा, उदयपुर में राक-फास्फेट के भंडार

7185. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उदयपुर के पास झामरकोटडा में राक फास्फेट काफी मात्रा में उपलब्ध है;

(ख) क्या वहां उपलब्ध राक फास्फेट से रसायन उर्वरक बनाकर उर्वरकों में आत्म निर्भरता प्राप्त की जा सकती है;

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार वहां उपलब्ध राक फास्फेट से रसायन उर्वरक बनाने के लिए कारखाना स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त कारखाना स्थापति करने के लिए स्थान का चयन कर लिया गया है?

खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां। राजस्थान में उदयपुर जिले के झामरकोटरा में सभी ग्रेड के राक फास्फेट के (12 से+30% एवं अधिक फास्फोरस पेटंआक्साइड) के कुल 73.3 मिलियन टन भंडार होने का अनुमान है।

(ख) राक फास्फेट का उपयोग फास्फोरिक एसिड बनाने में हो सकता है जिसके लिए सल्फ्यूरिक संयंत्र लगाने होंगे। इसके अलावा भी राकफास्फेट निक्षेपों का काफी महत्व हैं। राक फास्फेट का प्रयोग डी० ए० पी० (डाई अमोनियम फास्फेट) आदि जैसे फास्फोरस युक्त उर्वरक बनाने में किया जा सकता है। डी० ए० पी० बनाने में फास्फोरिक एसिड के साथ-साथ काफी मात्रा में अमोनिया की भी आवश्यकता होती है। तथापि, अभी यह नहीं कहा जा सकता कि इन राक फास्फेट निक्षेपों से फास्फोरस युक्त उर्वरकों में आत्म निर्भरता प्राप्त की जा सकती है।

(ग) और (घ) इन प्रश्नों का अभी कोई उत्तर देना असामयिक होगा।

[अनुवाद]

भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड को घाटा

7186. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड ने जिसको लगातार घाटा हो रहा है आन्ध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में रामगिरि सोना क्षेत्र के येप्पामाना खान से सोना निकालना आरम्भ किया है; यदि हां, तो उक्त नये सोना क्षेत्र का ब्यौरा क्या है तथा उस पर कितनी लागत आएगी, उसे कब पूरा किया जाएगा तथा उसमें कितना उत्पादन होगा;

(ख) कोलार सोना क्षेत्र तथा येप्पामाना सोना क्षेत्र से निकाले गये स्वर्ण अयस्कों में क्रमशः कितना प्रतिशत सोना उपलब्ध है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड को कितना घाटा हुआ है तथा घाटे के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड के कर्मचारियों को येप्पामाना सोना खान में स्थानान्तरित किया जा रहा है, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) भारत गोल्ड माइन्स लि० ने मई, 1984 में अनन्तपुर जिला (आंध्र प्रदेश) के रामगिरि गोल्ड फील्ड में येप्पामाना खान चालू की है। 5.77 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 75000 टन अयस्क और 287 कि० ग्रा० स्वर्ण उत्पादन का लक्ष्य है। गत दो वर्षों के दौरान येप्पामाना खान में स्वर्ण उत्पादन इस प्रकार है :—

	(कि० ग्रा० में)
1984 85	25.66
1985-86	68.80

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कोलार गोल्ड फील्ड और येप्पामाना खान परियोजना के रामगिरि गोल्ड फील्ड में प्राप्त ग्रेड इस प्रकार हैं :—

			(ग्राम/टन में)
	1983-84	1984-85	1985-86 (प्राक्कलित)
कोलार गोल्ड फील्ड	3.47	3.28	3.16
रामगिरि गोल्ड फील्ड	—	1.14	2.83

(ग) गत तीन वर्षों में हुआ घाटा इस प्रकार है :—

	करोड़ रुपए में
1983-84	5.69
1984-85	12
1985-86 (प्राक्कलित)	17

घाटे के कारण ये रहे हैं :—

(1) कोलार गोल्ड फील्ड खानों में उच्च ग्रेड अयस्कों की समाप्ति ।

(2) मजूरी सामान और बिजली जैसी आदान सामगी के लागत व्यय में वृद्धि ।

(3) अत्यधिक गहराई में खनन के कारण कम उत्पादकता ।

(4) भू-नियंत्रण समस्याएं और चट्टानों का टूटना ।

(5) येप्पामाना खान में कम विद्युत दाब, बार-बार बिजली रुकावटें और पानी की कमी ।

(घ) इस समय येप्पामाना खान में नियुक्त 402 व्यक्तियों में से 98 कोलार गोल्ड फील्ड से स्थानांतरित किए गए हैं । कोलार गोल्ड फील्ड से और अधिक कुशल और अर्द्ध-कुशल कर्मचारियों को स्थानांतरित किए जाने पर इस आधार पर विरोध किया जा रहा है कि इससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर नहीं मिलेंगे । इस मामले पर कार्यवाही की जा रही है ।

लोहा तथा इस्पात के लिए माल-भाड़ा समकरण नीति

7187. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोहा तथा इस्पात के लिए माल भाड़ा समकरण नीति को समाप्त करने का कोई निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या कदम उठाये गये हैं तथा किस तारीख से उक्त नीति को समाप्त किया जाएगा; और

(ग) माल-भाड़ा समकरण नीति को समाप्त करने के संबंध में मराठे समिति तथा पान्डेय समिति और केन्द्रीय वाणिज्य मंत्रालय के अध्ययन दल के क्या विचार हैं और उन पर सरकार की क्या प्रति-क्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति (पाण्डे समिति) ने सरकार को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि भाड़ा समीकरण योजना को समाप्त कर दिया जाए। सरकार ने सिद्धांत रूप से सिफारिश मान ली थी।

(ख) इस योजना को समाप्त करने की प्रक्रिया को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। हमने सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों से विचार-विमर्श किया है; इस्पात कारखानों से दूर स्थित राज्यों से इस योजना को समाप्त करने के विरुद्ध अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इन सभी विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार किया जा रहा है। यह बताना कठिन है कि यह योजना किस तारीख से समाप्त की जाएगी।

(ग) श्री मराठे की अध्यक्षता में अन्तर-मंत्रालय दल ने कच्ची कपास के लिए भाड़ा समीकरण योजना को पुन: लागू करने तथा किसी अन्य सामग्री के लिए भाड़ा समीकरण योजनाओं के विस्तार के विरुद्ध विचार व्यक्त किए तथा यह भी विचार व्यक्त किए कि भाड़ा समीकरण की वर्तमान योजनाओं को कुछ समयावधि में समाप्त कर दिया जाए। पाण्डेय समिति की सिफारिशों की स्थिति का उल्लेख उपयुक्त (क) में कर दिया गया है।

असम में विदेशी सहायता प्राप्त विकास परियोजनाएं

7188. श्री अताउर्रहमान : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत के विभिन्न राज्यों में कार्यान्वित की गई विदेशी सहायता प्राप्त विकास परियोजनाओं की राज्यवार कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या असम के पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए वहां पर पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई विदेशी सहायता प्राप्त विकास परियोजना कार्यान्वित की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र मकवाना) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत के विभिन्न राज्यों में कृषि मंत्रालय के तहत कार्यान्वित की गई विदेशी सहायता प्राप्त विकास परियोजनाओं की कुल संख्या राज्यवार निम्नलिखित है :—

1. आंध्र प्रदेश	15	7. जम्मू व कश्मीर	8
2. असम	6	8. कर्नाटक	18
3. बिहार	11	9. केरल	17
4. गुजरात	13	10. मध्य प्रदेश	18
5. हरियाणा	11	11. महाराष्ट्र	14
6. हिमाचल प्रदेश	6	12. मणिपुर	1

13. मेघालय	1	18. सिक्किम	1
14. नागालैंड	1	19. तमिलनाडु	8
15. उड़ीसा	15	20. त्रिपुरा	1
16. पंजाब	6	21. उत्तर प्रदेश	16
17. राजस्थान	11	22. पश्चिम बंगाल	12

संघ राज्य क्षेत्र

1. दिल्ली	2	4. पांडिचेरी	1
2. लक्षद्वीप	1	5. अरुणाचल प्रदेश	1
3. गोवा, दमन तथा दीव	1	6. मिजोरम	1

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान असम में विदेशी सहायता प्राप्त छह विकास परियोजनाएं कार्यान्वित की गई हैं। इन परियोजनाओं के अतिरिक्त, असम सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी द्वारा वित्तपोषित दो और बहु-राज्यीय परियोजनाएं हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दूरदर्शन को विज्ञापनों से आय

7189. श्री बाई० एस० महाजन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन को विज्ञापनों से हुई आय वर्ष 1976 में 80 लाख रुपए से बढ़कर वर्ष 1984-85 में 35 करोड़ रुपए हो गई है और यह आय चालू वित्तीय वर्ष में 60 करोड़ रुपए से भी अधिक होने की आशा है;

(ख) दूरदर्शन को आगामी पांच वर्षों में विज्ञापनों से कितनी आय होने का अनुमान है; और

(ग) दूरदर्शन का आय के अनुरूप अपने विस्तार पर नए कार्यक्रम शुरू करने पर क्या सुधार लाने का विचार हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां।

(ख) दूरदर्शन के कार्यक्रमों से प्राप्त होने वाला वाणिज्यिक राजस्व आकस्मिक है और यदि वर्तमान स्थिति जारी रही तो यह उम्मीद की जाती है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों के दौरान विज्ञापनों से होने वाली सकल आय उतनी ही बनी रहने की आशा है जितनी कि इस समय है।

(ग) दूरदर्शन अपने कार्यक्रम में सुधार करने के लिए अनेक कदम उठा रहा और समय समय पर नये कार्यक्रम भी आरम्भ किए जा रहे हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है।

बम्बई में अतिरिक्त भूमि का उपयोग

7190. **श्री गुरुदास कामत** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में साल्ट कमिश्नर की भूमि महाराष्ट्र सरकार को अन्तरित करने के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में औपचारिकताएं कब तक पूरी होने की सम्भावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) इस भूमि के एक भाग को महाराष्ट्र सरकार को अन्तरित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) इस भूमि का संयुक्त सर्वेक्षण शीघ्र कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।

यूरिया का आयात

7191. **श्री बी० तुलसी राम** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत चिकोस्लोवाकिया यूरिया का आयात कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष में कितना यूरिया आयात करने का विचार है और उसका मूल्य कितना है;

(ग) राज्यों को इसके वितरण का ब्यौरा क्या है और आन्ध्र प्रदेश में मौजूदा सूखे की स्थिति को देखते हुए आन्ध्र प्रदेश को कितना यूरिया मिलेगा;

(घ) इसके भारत में कब तक पहुचने का आशा है; और

(ङ) यूरिया आयात करने के क्या कारण हैं जबकि देश में इसका पर्याप्त मात्रा में उत्पादन होता है ?

उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) एम० एम० टी० सी० ने वर्ष 1986 के दौरान 40-45,000 टन यूरिया का आयात करने के लिए एक करार को अन्तिम रूप दिया है परंतु आयात की सही मात्रा देश में समग्र आवश्यकता तथा इस स्रोत एवं अन्य स्रोतों से उपलब्धता पर निर्भर करेगी। चेकोस्लोवाकिया से आयात किए जाने वाले यूरिया की प्रति टन एफ० ओ० की लागत लगभग 1043.00 रुपये होगी।

(ग) स्वदेशी उपलब्धता तथा कुल मांग के मध्य अन्तर को पूरा करने के लिए आयातित उर्वरक राज्यों में बांटा जाता है। आयातित उर्वरक एक साथ रखे जाते हैं तथा उसे वितरित करते समय मूल देश की पहचान समाप्त हो जाती है। उर्वरक की विशिष्ट किस्म की वितरण योजना मूल देश के आधार पर तैयार नहीं की जाती।

(घ) चेकोस्लोवाकिया से जुलाई तथा नवम्बर 1986 के मध्य यूरिया के आने की संभावना है।

(ङ.) यूरिया का स्वदेशी उत्पादन मांग को पूरा करने के लिए अभी भी पर्याप्त नहीं है अत: आयातों की आवश्यकता है।

भेड़ों की नस्ल सुधारने के लिए विशेष योजना

7192. **श्रीमती शीला दीक्षित** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भेड़ों की नस्ल और किस्म सुधारने के लिए क्या विशेष योजना है; और

(ख) इस संबंध में अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं और इस प्रयोजन हेतु किन-किन स्थानों को चुना गया है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) महत्वपूर्ण स्वदेशी नस्ल की बकरियों की उत्पादकता को बनाये रखने और उसमें सुधार करने की दृष्टि से केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना के तहत सातवीं पंच-वर्षीय योजना में उनके अपने गृह-स्थलों में बकरी प्रजनन फार्म स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है।

(ख) बकरी प्रजनकों को अपने बकरी झण्डों का सुधार करने के लिए संकर प्रजनित नर की उत्पत्ति और सप्लाई के लिए अजमेर जिले के रामसर में एक भारतीय-स्विस बकरी विकास परियोजना की स्थापना की गई है।

पेन्टो प्रोजेक्ट लिमिटेड के अन्तर्गत लीबिया में स्कूल भवन का निर्माण

7193. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ने "पेन्टो-प्रोजेक्ट लिमिटेड" नाम से लीबिया में स्कूल भवनों का निर्माण शुरू किया था;

(ख) क्या कुछ श्रमिकों का 2 वर्ष के श्रम ठेके के लिए वेतन नहीं दिया गया है; और

(ग) क्या श्रम मंत्रालय इस कम्पनी के श्रमिकों को ठेके के अनुसार वेतन देने के बारे में पहले ही निदेश दे चुका है; और यदि हां, तो यह कब लागू होगा।

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एच० एस० सी० एल०) ने अप्रैल, 1982 में मैसर्स पेंटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को लीबिया में स्कूल के भवनों के निर्माण के लिए एक उप ठेका दिया था, जो दो वर्ष में पूरा किया जाना था।

(ख) मैसर्स पेंटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के सभी कर्मचारियों को मैसर्स पेंटा प्रोजेक्ट्स की ओर से एच० एस० सी० एल० द्वारा भारत में (रुपए में) उनकी मजूरी दे दी गई है। यह भुगतान ब्याज के रूप में माना गया है जो ठेकेदार अर्थात् मैसर्स पेंटा प्रोजेक्ट्स को अग्रिम पर वहन करना होता है और उनको अन्तिम रूप से भुगतान करते समय इसे समायोजित किया जाएगा।

(ग) जी, नहीं।

आन्ध्र प्रदेश में सोना खानों के संचालन के लिए आबंटन

7194. **श्री एम० रघुमा रेड्डी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में सोने के खानों में खनन कार्य हेतु कोई धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख)भारत गोल्ड माइन्स लि० आंध्र प्रदेश में अनन्तपुर जिले के येप्पामाना में रामगिरि स्वर्ण क्षेत्र में खनन कर रही है। यह परियोजना 5.77 करोड़ रु० की लागत से मई, 1984 में शुरू की गई थी और इससे 75,000 टन अयस्क और लगभग 287 किलोग्राम स्वर्ण का वार्षिक उत्पादन होगा। वर्ष 1986-87 में येप्पामाना खान के परिचालन पर 253 लाख रुपए व्यय होने का अनुमान है।

खान विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र का एक अन्य उपक्रम खनिज गवेषण निगम लिमिटेड, आंध्र प्रदेश में स्वर्ण हेतु विस्तृत गवेषण कर रहा है। आठ स्कीमों के लिए अब तक 1506.83 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की जा चुकी है, ब्यौरा इस प्रकार है :—

स्कीम का नाम	स्वीकृत राशि (लाख रुपए)
(1) चिगारगुंटा (भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की ओर से), चित्तूर जिला	46.68
(2) चिगारगुंटा प्रखण्ड-1 और 3, चित्तूर जिला	134.18
(3) रामगिरि स्वर्ण क्षेत्र, अनंतपुर जिला	265.35
(4) चिगारगुंटा (सेन्टीनरी प्रखण्ड) चित्तूर जिला	193.14

स्कीम का नाम	स्वीकृत राशि (लाख रुपये)
(5) चिगारगुंटा V-ई प्रखण्ड, चित्तूर जिला	217.00
(6) चिगारगुंटा सीमा प्रखण्ड, चित्तूर जिला	197.53
(7) मलापकोंडा-चिगारगुंटा	175.45
(8) ई-2 लोड का उत्तरी विस्तार, चिगारगुंटा प्रखण्ड-3 और 4	277.50
	1506.83

हिन्दुस्तान उर्वरक निगम (एच० एफ० सी०) का मुख्यालय कलकत्ता में ले जाना

7195. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान उर्वरक निगम (एच० एफ० सी०) का मुख्यालय कलकत्ता में ले जाने का विचार त्याग दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि० सहित कुछ कंपनियों के मुख्यालयों को पुन: स्थान आबंटित करने सहित उर्वरक कंपनियों के पुनर्गठन संबंधी एक प्रस्ताव सरकार में उच्चतर स्तर पर विचार की अग्रिम अवस्था में है । शीघ्र ही अन्तिम निर्णय लिए जाने की संभावना है । इस संबंध में प्रगति पर पहले ही एक संसदीय समिति द्वारा निगरानी रखी जा रही है ।

शहरी विकास के लिए राज्यों को निधि का आबंटन

7196. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** :
श्री सुरेश कुरूप : } क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शहरी विकास के लिए कितनी राशि (राज्यवार) आबंटित की गई; और

(ख) वर्ष 1986-87 में शहरी विकास के लिए कितनी राशि (राज्यवार) आबटित की गई;

शहरी विकास राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) तथा (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

(लाख रुपयों में)

राज्य	सातवीं योजना (1985-90)	वार्षिक योजना (1986-87)
1	2	3
1. आन्ध्र प्रदेश	9000	1650
2. असम	1200	230
3. बिहार	1900	350
4. गुजरात	13105	1534
5. हरियाणा	2000	400
6. हिमाचल प्रदेश	925	165
7. जम्मू तथा कश्मीर	3907	766
8. कर्नाटक	3000	494
9. केरल	2500	340
10. मध्य प्रदेश	7766	1850
11. महाराष्ट्र	16000	3170
12. मणिपुर	755	180
13. मेघालय	500	53
14. नागालैण्ड	800	177
15. उड़ीसा	2150	720
16. पंजाब	4075	911
17. राजस्थान	2371	128
18. सिक्किम	150	49
19. तमिलनाडु	16000	3300
20. त्रिपुरा	700	171

1	2	3
21. उत्तर प्रदेश	24700	2500
22. पश्चिम बंगाल	23220	6015
योग : राज्य	1,36,718	25,153
संघ राज्य क्षेत्र		
1. अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	300	30
2. अरूणाचल प्रदेश	50	2
3. चण्डीगढ़	6113	1135.50
4. दादर तथा नागर हवेली	7	1
5. दिल्ली	19770	4562
6. गोवा दमण तथा द्वीव	655	135
7. लक्षद्वीप	—	—
8. मिजोरम	550	208
9. पाण्डिचेरी	655	145
योग : सभी संघ राज्य क्षेत्र	28110	6218.50
कुल योग	1,64,828	31,371.50

भविष्य निधि की बकाया राशि का भुगतान

7197. **श्री हरूभाई मेहता** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भविष्य निधि की बकाया राशि के भुगतान न किए गए ऐसे मामलों की संख्या क्या है जिन्हें देय तारीख से तीन महीने से भी अधिक हो चुके हैं;

(ख) भुगतान में विलंब होने के क्या कारण हैं; और

(ग) भविष्य निधि की राशि का तुरन्त भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 31 मार्च, 1985 को 5494 भविष्य निधि मामले तीन माह से अधिक समय से भुगतान के लिए लंबित पड़े थे।

(ख) दावों के लंबित पड़े रहने के मुख्य कारण नीचे दिए गए हैं :—

(i) दावेदारों द्वारा दायर किए गए दावा कागजात में सभी अपेक्षित सूचना नहीं होती है; या

(ii) सहायक दस्तावेज जैसे मृत्यु प्रमाणपत्र, कानूनी वारिस उत्तराधिकार प्रमाणपत्र दावों के साथ नहीं भेजे गए हैं; या

(iii) इन दावों को नियोजकों या अन्य प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा अनुप्रमाणित नहीं किया गया है;

(ग) क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों को निर्देश दिया गया है कि वे अपेक्षित सूचना को प्राथमिकता आधार पर प्राप्त करें और लंबित पड़े दावों का निपटान करें। उन्हें यह अभी अनुदेश दिया गया है कि वे दावों के निपटान का उचित ढंग से मानीटर करें ताकि अनावश्यक विलम्ब से बचा जा सके।

श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए बोर्ड का गठन

7198. **श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम का व्यावसायिक बीमारियों और औद्योगिक श्रमिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए एक बोर्ड गठित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) व्यावसायिक रोगों का पता लगाने और उनके इलाज के लिए कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन चार जोनल केन्द्रों को स्थापित करने के प्रस्ताव पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम विचार कर रहा है।

लार्ड माउन्टबेटन दि लास्ट वायसराय शीर्षक ब्रिटिश टी० वी० धारावाहिक

7199. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान लार्ड माउन्बेटन दी लास्ट वायसराय, शीर्षक ब्रिटिश टी० वी० धारावाहिक की ओर दिलाया गया है, जिसमें स्वतन्त्रता संग्राम के अग्रणी व्यक्तियों की छवि को धूमिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस बारे में कोई विरोध प्रकट किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें यह आरोप लगाया गया है कि इस निर्माण में हमारे राष्ट्रीय नेताओं का चित्रण सही रूप से नहीं किया गया है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आन्ध्र प्रदेश में दूरदर्शन सेवा उपलब्ध कराना

7200. **श्री एन० वेंकटरत्नम** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में दूरदर्शन सेवा की उपलब्धता के बारे में दिल्ली में आयोजित हाल की बैठक में आन्ध्र प्रदेश के सूचना मन्त्री द्वारा की गई मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त मांगों को पूरा करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) हाल ही में दिल्ली में ऐसी कोई बैठक नहीं हुई है जिसमें आन्ध्र प्रदेश सरकार के सूचना मंत्री ने आन्ध्र प्रदेश में दूरदर्शन सेवा की उपलब्धता में मांग की हो । तथापि, 19 जुलाई, 1985 को हुए राज्यों के सूचना मंत्रियों के 18वें सम्मेलन में आन्ध्र प्रदेश के प्रतिनिधि द्वारा आन्ध्र प्रदेश में दूरदर्शन सेवा की उपलब्धता के सम्बन्ध में की गई मांगों के बारे में स्थिति संलग्न विवरण में दर्शायी गई है ।

विवरण

राज्य के सूचना मंत्रियों के 19 जून, 1985 को नई दिल्ली में आयोजित 18वें सम्मेलन में आन्ध्र प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा आन्ध्र प्रदेश में दूरदर्शन कवरेज से सम्बन्धित विभिन्न मागों के बारे में बनाई गई स्थिति इस प्रकार है :

(क) मौजूदा अल्प शक्ति वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटरों की वर्जा बढ़ाना या आदिलाबाद, श्रीकाकुलम और भद्राचलम में नये ट्रांसमीटर स्थापित करना

दूरदर्शन की सातवीं योजना में श्रीकाकुलम और आदिलाबाद में अल्प शक्ति (100 वाट) वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने की स्कीम शामिल है। इसके अलावा, विजयवाड़ा के उच्च शक्ति वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटर जो दूरदर्शन टावर का निर्माण लम्बित होने के कारण इस समय 1 किलोवाट की घटी शक्ति पर चल रहा है, की पूरी शक्ति बढ़ाकर 10 किलोवाट की जा रही है। इस ट्रांसमीटर के पूरी शक्ति पर चालू हो जाने पर इससे भद्राचलम को उपांत सेवा उपलब्ध होगी।

(ख) हैदराबाद से आरम्भ होने वाले तेलुगु कार्यक्रम रिले करने के लिए राज्य में सभी अल्प शक्ति वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटरों को समर्थ बनाने के लिए तथा दूरदर्शन केन्द्र हैदराबाद को इनसैट-1-बी से जोड़ने के लिए व्यवस्था की जाये ताकि इसके कार्यक्रमों को बाया दिल्ली समूचे देश के अन्य केन्द्रों को प्रेषित किया जा सके।

उपग्रहों के इनसैट-11 समूह की उपलब्धता तथा हैदराबाद सहित विभिन्न स्थानों में स्थायी अपलिक के लम्बित होने के कारण इनसैट-1-बी के एफ० सी० बैंड का उपयोग तथा एक मोबाइल अपलिंक द्वारा आन्ध्र प्रदेश में क्षेत्रीय सेवा चबा चालू करने के लिए एक स्कीम को सिद्धान्ततः अनुमोदित कर दिया गया है।

(ग) रविवार को तेलुगु फीचर फिल्मों तथा शनिवार को हिन्दी फीचर फिल्मों का टेलीकास्ट किया जाना

सम्पूर्ण देश के दर्शकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, ऐसा करना व्यावहारिक नहीं समझा जाता है।

(घ) राज्य में समुदायिक अवलोकन टी० वी० सैट लगाने में निहित व्यय को केन्द्रीय सरकार द्वारा उदारता से वहन करना

केन्द्रीय सरकार द्वारा पोस्ट-साइट स्कीम के अन्तर्गत अर्थात् छठी योजना शुरू होने के पूर्व आन्ध्र प्रदेश राज्य में 417 वी० एच० एफ० सामुदायिक अवलोकन टी० वी० सैट उपलब्ध कराए गए थे। छठी योजना के दौरान केन्द्रीय सरकार ने 'इंसैट यूटिलाइजेशन स्कीम' के अन्तर्गत 400 डी० आर० सैट उपलब्ध कराए गए हैं। तथापि, वित्तीय संसाधनों पर दबाव होने के कारण, केन्द्रीय सरकार के लिए राज्य में अतिरिक्त सामुदायिक अवलोकन टी० वी० सैट लगाने के लिए धनराशि, उपलब्ध कराते रहना संभव नहीं है। यह बात सम्मेलन के दौरान ही स्पष्ट हो गई थी।

आन्ध्र प्रदेश में ग्रामीण रोजगार योजनाएं

7201. श्री सी० माधव रेड्डी: क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 में आन्ध्र प्रदेश में ग्रामीण रोजगार योजनाओं के अन्तर्गत कितने जन-दिवस पैदा करने का विचार है; और

(ख) क्या इससे आन्ध्र प्रदेश सरकार की मांग पूरी हो जायेगी ?

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) और (ख) ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों अर्थात् राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत संसाधनों का आवंटन एक निश्चित मानदण्ड के आधार पर किया जाता है जिसमें 50 प्रतिशत बल कृषि मजदूरों, सीमान्त मजदूरों और सीमान्त किसानों की संख्या पर तथा 50 प्रतिशत बल निर्धनता के प्रभाव पर दिया जाता है। ये आवंटन राज्य सरकारों की किसी मांग पर आधारित नहीं होते हैं। रोजगार सृजित करने का लक्ष्य इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए उपलब्ध कुल संसाधनों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार सृजित करने के अनन्तिम लक्ष्य 441 लाख श्रम-दिवस (राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 235 लाख श्रम-दिवस तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत 206 लाख श्रम-दिवस) है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय को कार्यकुशल बनाना

7202. **श्री के० सी० शंकर गौड** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्दी को छोड़कर अन्य सभी भाषाओं में 'आकाशवाणी' पत्रिका का प्रकाशन बन्द करने का भी निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) जी, नहीं। आकाशवाणी आठ पाक्षिक पत्रिकाओं में से, निम्नलिखित चार पत्रिकाएं प्रकाशित की जा रही हैं :

1. आकाशवाणी (अंग्रेजी)
2. आकाशवाणी (हिन्दी)
3. आवाज (उर्दू) और
4. बनोली (तमिल)

केवल चार पत्रिकाएं अर्थात् आकाशी (असमिया), बेतार जगत (बंगला), नभोवाणी (गुजराती) तथा वाणी (तेलुगु) बंद की गई थीं, क्योंकि ये पत्रिकाएं वर्षों से घाटे में चलती रही हैं और इनके आत्मनिर्भर होने की सम्भावना नहीं थी।

'नाफेड' द्वारा हल्दी की खरीद

7203. **श्री टी० बाल गौड़** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुंटूर तथा निजामाबाद जिलों एवं पूर्वी तथा पश्चिमी गोदावरी जिलों के तालुकों में बहुत बड़ी मात्रा में हल्दी उगाई जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या बिचौलियों के कारण हल्दी उत्पादकों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है;

(ग) क्या किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए 'नाफेड' को उनसे हल्दी खरीदने के लिए कहा जा सकता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार ने हल्दी के उत्पादकों की सहायता एक उपाय के रूप में नाफेड की मदद से मण्डी में दखल देने के कार्य हेतु केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति नहीं मांगी है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सार्वजनिक डिबैन्चर जारी करना

7204. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने हुडको योजना 1979 के अन्तर्गत पंजीकृत शेष सभी व्यक्तियों को मकान देने के लिए 150 करोड़ रुपये के मूल्य के सार्वजनिक डिबेन्चर जारी करने हेतु सरकार से अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसकी अनुमति दे दी है;

(ग) क्या सरकार का विचार फ्लैटों के लिए पंजीकृत शेष व्यक्तियों को अच्छी किस्म के फ्लैट देने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित करने का है;

(घ) क्या मार्च, 1986 में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्लाटों/फ्लैटों के निकाले गए ड्रा के परिणामों को महत्वपूर्ण समाचार पत्रों में प्रकाशित करने के बजाये दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जनता से तत्सम्बन्धी जानकारी उनके कार्यालय से प्राप्त करने के लिए कहा जा रहा है; और

(ङ.) यदि हां, तो अन्तिम ड्रा कब निकाला गया था और उसके परिणामों को समाचार पत्रों में प्रकाशित न किये जाने के क्या कारण हैं, जिसके कारण सामान्य जनता को व्यर्थ में असुविधा हो रही है ?

शहरी विकास मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) मामला विचाराधीन है।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण को आशा है कि पिछला बकाया लगभग 3-4 वर्षों में निपटा दिया जाएगा।

(घ) तथा (ङ.) इस योजना के अन्तर्गत फ्लैटों के आवंटनार्थ अन्तिम ड्रा मार्च, 1986 के अन्त में निकाला गया था तथा उसका परिणाम शीघ्र ही प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जा रहा है।

प्रचालन अनुसंधान दल (आपरेशन स्टडी ग्रुप) द्वारा किया गया अध्ययन

7205. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रचालन अनुसंधान दल आपरेशंस रिसर्च ग्रुप, द्वारा हाल में किए गए एक अध्ययन से यह पता लगा है कि टी० वी० पर "सुपर 'ए' श्रेणी" के माध्यम से आने वाली धनराशि की प्रतिशतता जो मई में 86.4 प्रतिशत थी, घटकर नवम्बर, 1985 में 54.4 प्रतिशत हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) हमें प्रचालन अनुसंधान दल के निष्कर्षों की जानकारी नहीं है। जबकि मई और नवम्बर, 1985 में "सुपर 'ए' श्रेणी" से प्राप्त राजस्व प्रायः उतना ही रहा है, इसी अवधि के दौरान इस श्रेणी से प्राप्त राजस्व की प्रतिशतता में कमी हुई है। इस कमी का कारण प्रायोजित कार्यक्रमों जो पहली नवम्बर 1985 से प्रायोजकों को दिए गए प्रोत्साहनों के कारण बहुत बढ़ गए से अर्जित राजस्व में भारी वृद्धि होना था।

ग्रामीण संमरक डेरियों (रूरल फीडर डेयरीज) द्वारा महानगरों को अतिरिक्त दूध की सप्लाई

7206. **डा० जी० विजय रामा राव** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमूल और मेहसाणा गुजरात डेरियां संतुलन संमरक डेरियां हैं और उनकी स्थापना बम्बई को तरल दूध सप्लाई करने और फालतू दूध का दुग्ध चूर्ण बनाकर कमी वाले महानगरों को इसकी सप्लाई करने के लिए आपरेशन फ्लड-1 और 2 के अन्तर्गत की गई है; और

(ख) क्या इन संमरक डेरियों द्वारा स्पष्ट निदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है और इसके बजाय दिल्ली और कलकत्ता को तरल दूध सप्लाई किया जा रहा है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) आपरेशन फ्लड के तहत गुजरात में सन्तुलन सम्भरक डेरियों की स्थापना केवल बम्बई को तरल दूध की सप्लाई करने के लिए नहीं की गई थी। ऐसी संतुलन सम्भरक डेरियों की स्थापना शहरी डेरियों, विशेषकर महानगरों को तरल दूध की सप्लाई करने के लिए की गई थी। फालतू ताजा दूध का दुग्ध चूर्ण और मक्खन बनाकर उन्हें संरक्षित करने के लिए संतुलन सुविधाएं मुहैया की गई थीं, जिससे कि कमी के मौसम में इन जिंसों से पुनः तरल दूध बनाया जा सके।

सी० जे० इन्टरनेशनल होटल्स के साथ भुगतान की शर्तों में संशोधन

7207. **श्री आनन्द पाठक** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली नगरपालिका ने सी० जे० इन्टरनेशनल होटल्स के साथ भुगतान की शर्तों में कितनी बार संशोधन किया है;

(ख) अब तक इसे कितनी राशि प्राप्त हुई है और कितनी राशि बकाया है; और

(ग) देय राशि वसूल करने के लिए क्या कदम उठाने की योजना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) नई दिल्ली नगरपालिका ने सूचित किया है कि मैसर्स सी० जे० इन्टरनेशनल होटल्स को वार्षिक लाइसेन्स फीस के भुगतान के लिए दो बार की विलम्ब अवधि दी गई है।

(ख) और (ग) प्रथम वर्ष के लिए 268 लाख रुपये की अग्रिम लाइसेन्स फीस नई दिल्ली नगरपालिका को प्राप्त हो गई है। वर्ष 1982, 1983, 1984 तथा 1985 की संचित लाइसेन्स फीस जिसके लिए विलम्ब अवधि दी गई, का भुगतान बीस अर्द्धवार्षिक किस्तों में किया जाना है, पहली किस्त सितम्बर, 1986 के माह में अदा की जानी है। ब्याज तथा अन्य प्रभारों के लिए 37,29,331.89 रुपये की राशि देय है जिसके लिए लाइसेन्स करार की शर्तों के अनुसार नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

आयल पाम और नारियल में नया रोग प्रकट होना

7208. **श्री माणिक रेड्डी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयल पाम के पौधों में "स्पीयर राट कम्पलैक्स" नामक एक नया रोग प्रकट हुआ है, यदि हां, तो इसके प्रकट होने और खोजे गए उपचारों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या नारियल के मामले में भी 'कोकोनट रूट' के अतिरिक्त क्विक येल्लों डिक्लाइन, नामक एक नया रोग प्रकट हुआ है जिसकी अभी रोकथाम की जानी है; और

(ग) क्या केरल तथा अन्य राज्यों में नारियल की उत्पादकता में तेजी से गिरावट आ रही है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान । आयल पाम की नई बीमारी स्पीयर रॉट कम्प्लैक्स है । यह बीमारी निचले क्षेत्रों में कहीं-कहीं पर पैदा होती है । इस बीमारी के लगने पर पत्तियों का भीतरी हिस्सा पीला हो जाता है जिससे पाम के वृक्ष कमजोर हो जाते हैं और उनकी उत्पादकता कम हो जाती है । बीमारी के अधिक प्रकोप होने पर स्पीयर रॉट आरम्भ हो जाता है । इस बीमारी का प्रकोप 1985 से प्रारम्भ हुआ है । इस बीमारी के कारणों का पता लगाया जा रहा है और कारणों का पता चल जाने पर उनके नियन्त्रण की उपयुक्त विधि विकसित की जाएंगी ।

(ख) जी हां, श्रीमान् । कोकोनट की दूसरी बीमारी की जो रिपोर्ट मिली है उसका नाम 'क्विक येलो डिक्लाइन' है जो मौजूदा समय में आमतौर पर जड़ मुरझान रोग से ग्रस्त क्षेत्रों में पाई जाती है ।

(ग) 1983-84 तक केरल में कोकोनट के उत्पादन में कमी हुई थी । लेकिन वर्ष 1984-85 के दौरान प्रति हैक्टेयर गिरी के उत्पादन में वृद्धि हुई और उसकी संख्या बढ़कर 4,925 गिरी हो गई जबकि पिछले वर्ष इसकी संख्या प्रति हैक्टेयर 3,815 गिरी थी । कोकोनट के कम उत्पादन का कारण, पुराने वृक्ष, बुरी व्यवस्था, कोकोनट के जड़-मुरजान जैसे रोग और वृक्षों की अधिक संख्या (प्रति हैक्टेयर 225 वृक्ष जबकि अनुशंसित सख्या-175 है) है । अन्य राज्यों में कोकोनट के उत्पादन में इस तरह की कमी नहीं आई है । इस राज्य में नारियल का उत्पादन बढ़ाने के लिए मौजूदा समय में कुछ उपाय किए जा रहे हैं—जो इस प्रकार है—उर्वरकों का प्रयोग, सिंचाई, मिश्रित खेती के द्वारा जैविक पुनर्चक्रण, अन्त: और मिश्रित फसल उगाना, पुराने और अनुत्पादक वृक्षों के स्थान पर अधिक पैदावार वाले तथा संकर प्रजाति के वृक्षों को उगाना, एक प्रतिशत बोर्डेक्स मिक्सचर के छिड़काव द्वारा पत्ती गलन रोग का नियंत्रण, रोग से कम प्रभावित क्षेत्रों में रोगी नारियल के वृक्षों को निकालकर जड़ मुरझान रोग का नियंत्रण आदि ।

'हुडको पैटर्न योजना,' 1979 के अन्तर्गत फ्लैटों के आवंटन में विलम्ब

7209. **श्री के० प्रधानी** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 'हुडको' पैटर्न योजना, 1979 के अन्तर्गत पंजीकृत व्यक्तियों को फ्लैटों के आवंटन में हुए अत्यधिक विलम्ब को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार किस्तों पर फ्लैट खरीदने वालों के मामलों में ब्याज की दर कम करने और किस्तों में भुगतान की अवधि बढ़ाने पर विचार करेगी जिससे अलाटी अपनी किस्तों का भुगतान बिना किसी कठिनाई के कर सकें

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : योजना के अन्तर्गत आवंटन के मामले में अवधि या किस्तों को मध्यम आय वर्ग, निम्न आय वर्ग तथा जनता वर्ग के मामले में क्रमश: 7,10,15 वर्षों को बढ़ा कर 10, 15 तथा 20 वर्ष कर दिया गया है। किस्त की अवधि को और आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बाल श्रम के सम्बन्ध में प्रायोगिक परियोजना

7210. डा० वी० एल० शैलेश
श्री के० प्रधानी } : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की सहायता से बाल श्रम के सम्बन्ध में तैयार की गई एक प्रायोगिक परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) बाल श्रमिकों की दशा में सुधार करने, बच्चों को शोषण से बचाने तथा बाल श्रमिक उत्पन्न करने वाली तथा उन्हें बनाये रखने वाली परिस्थितियों के विरुद्ध उपाय करके धीरे-धीरे बाल श्रम के उत्मूलन के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन तकनीकी मिशान की सिफारिशों का अनुसरण करते हुये और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के समर्थन से बाल श्रम दशाओं को मानवीय बनाने और बाल श्रम को धीरे-धीरे समाप्त करने के लिए एक प्रायोगिक कार्यक्रम तैयार किया गया था। प्रस्तावित मूल परियोजना में विदेशी दाताओं से अंशत: वित्तीय सहायता की परिकल्पना की गई थी। सावधानी-पूर्वक विचार करने के बाद सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए अपने स्त्रोतों से धन देने का और इसलिए राज्य सरकारों को घनिष्ट रूप से शामिल करते हुए इसमें थोड़ा सा सुधार करने का निर्णय किया। उन दो क्षेत्रों में, जहां बाल श्रमिकों की संख्या अधिक है, अर्थात् शिवाकासी, तमिलनाडु में माचिस और आतिशबाजी उद्योग, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर भदोही क्षेत्र में कालीन बुनने वाले उद्योग, बाल श्रमिकों के कल्याण के लिए दो पृथक प्रायोगिक परियोजनाएं तैयार की गई हैं।

शिवाकासी परियोजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है और इसके शीघ्र शुरू होने की आशा है। मिर्जापुर-भदोही परियोजना को उत्तर प्रदेश सरकार के साथ परामर्श करके अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

आकाशवाणी केन्द्रों के लिए सलाहकार समितियों का गठन

7211. प्रो० नारायण चन्द्र पराशर : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री आकाशवाणी केन्द्रों

के लिए सलाहकार समितियों के गठन के बारे में 17 मार्च, 1986 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2984 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय राज्य सलाहकार समितियों का गठन करने का प्रस्ताव है ताकि प्रत्येक राज्य में आकाशवाणी केन्द्रों के कार्यक्रमों का बेहतर समन्वय और एकीकरण किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इन समितियों का गठन किए जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं। राज्य के अन्दर कार्यक्रमों का समन्वय और उनका आदान-प्रदान करने के लिए राज्य के सभी केन्द्रों के केन्द्र निदेशकों की क्षेत्रीय कार्यक्रम समन्वय समितियां विद्यमान हैं। इसके अलावा, राज्य स्तर पर अधिकारियों और गैर-सरकारी व्यक्तियों की तीन परामर्शदात्री समितियां हैं, जिनमें राज्य के सभी आकाशवाणी केन्द्रों के प्रतिनिधि होते हैं, इससे कार्यक्रमों के नियोजन और समन्वय में सहायता मिलती है। ये हैं : (1) विश्वविद्यालय-व-विज्ञान तथा टेक्नोलोजी प्रसारण के लिए परामर्शदात्री समिति; (2) स्कूल प्रसारण के लिए परामर्शदात्री पैनल और (3) औद्योगिक कार्यक्रमों के लिए परामर्शदात्री समिति।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

विभिन्न भाषाओं और बोलियों में कार्यक्रमों का दूरदर्शन, आकाशवाणी द्वारा प्रसारण

7212. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न आकाशवाणी केन्द्रों के सम्बन्ध में उन भाषाओं और बोलियों के नाम क्या हैं जिनमें इस समय आकाशवाणी दूरदर्शन द्वारा कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है;

(ख) क्या संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की तुलना में विकासशील भाषाएं विशेष कर पहाड़ी और जनजातीय बोलियों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या उन भाषाओं और बोलियों, जिनके बोलने वालों की संख्या 1981 की जनगणना के अनुसार पांच लाख से अधिक है को कोई अधिक महत्व दिया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (ग) आकशवाणी केन्द्रों से जिन भाषाओं और बोलियों में उच्चरित शब्द कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं, उनका ब्योरा संलग्न विवरण में देखा जा सकता है। इस समय भी विभिन्न बोलियों में पर्याप्त संख्या में कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं।

दूरदर्शन के प्रेषण घण्टे सीमित हैं। इसलिए केन्द्रों द्वारा कार्यक्रम मुख्यतया केन्द्र विशेष के सेवा क्षेत्र में व्यापक रूप से बोली और समझे जाने वाली भाषा में प्रसारित किये जाते हैं।

वर्ष 1981 जनगणना के आंकड़ों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं हुआ है। यदि अतिरिक्त प्रसारण समय के आबंटन की कोई जरूरत हुई तो उसकी जांच इन ब्यौरों के उपलब्ध होने के बाद की जायेगी।

विवरण

(क) उन भाषाओं की सूची जिनमें आकाशवाणी केन्द्रों द्वारा उच्चरित शब्द कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं।

1. हिन्दी
2. असमिया
3. बंगला
4. गुजराती
5. कन्नड़
6. कश्मीरी
7. मलयालम
8. मराठी
9. नेपाली
10. उड़िया
11. पंजाबी
12. सिन्धी
13. तमिल
14. तेलुगू
15. उर्दू
16. डोगरी
17. संस्कृत
18. कोकणी
19. अंग्रेजी
20. फ्रांसीसी
21. पुर्तगाली

(ख) आदिवासी बोलियों सहित उन बोलियों की सूची जिनमें आकाशवाणी केन्द्रों द्वारा कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं।

बोली

1. आदि
2. अपरानी
3. भाव
4. अंगामी

5. अवधि
6. अनल
7. अंगिका
8. ऐमोस
9. बागरी
10. बागादी
11. बघोती
12. बुन्देली
13. भोजपुरी
14. भुतानसे
15. बिलासपुरी
16. ब्रज
17. कोडो
18. भदरवाही
19. बाल्टी
20. भत्री
21. मिली
22. चम्बा
23. चंग
24. चयाकेसंग
25. छत्तीसगढ़ी
26. चिरू
27. चोथो
28. दिगारू मिश्मी
29. दिमासा
30. गंगारी
31. गढ़वाली
32. गारो
33. गोन्डी
34. गोजरी
35. हल्बी
36. हरयाणवी
37. हो
38. ह्भार
39. इदु
40. जैंतियो
41. काबुई
42. कच्छी
43. कांगडी
44. कार्बी
45. कश्मीरी
46. खोर्था
47. खाम्पटी
48. खासी

49. खैमुंगन
50. किन्नौरी
51. कोइरंग
52. कुमायुंनी
53. कोन्यक
54. कोड
55. कंचंनगा
56. खारिया
57. कुरमकली
58. कुकी
59. कुल्वी
60. लद्दाखी
61. लमकांग
62. लेप्चा
63. लोथा
64. लाछुली
65. माह्ल
66. महासुवी
67. मगही
68. मणिपुरी
69. मैथिली
70. माल्वी
71. मंडियाली
72. मावो
73. मायोन
74. मेवाड़ी
75. मिश्मि
76. मिजो
77. मिजुमिश्मी
78. मुंडारी
79. मोंपा
80. मरिंग
81. मारोम
82. मोनसांग
83. नागामी
84. नागपुरी
85. मिशी
86. निमाड़ी
87. नोक्टे
88. निकोबारी
89. उरांव
90. पहाड़ी
91. पांगी
92. फोम

93. फाइते
94. पंच परगनिया
95. राजस्थानी
96. रेंगमा
97. सांगरम
98. सम्बलपुरी
99. संथाली
100. सरगुजिया
101. सेमा
102. सिरमौरी
103. स्पीति
104. सिक्किमी
105. सिमटे
106. टागिन
107. थाड़ो
108. थांखुल
109. तिब्बती
110. टांग्शा
111. तुलु
112. त्रिपुरी
113. वैदहेली
114. वोंचू
115. यमचुंगर
116. जीलांग
117. जोऊ

आवासीय कालोनियों के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश को राशि आबंटन

7213. **प्रो० नारायण चन्द्र पाराशर** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने हिमाचल प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में आवासीय कालोनियों के निर्माण के लिए राज्य सरकार को राशि को आबंटन करने/वित्तीय सहायता देने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में कोई प्रावधान किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या हिमाचल प्रदेश को छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शहरी आवास के लिए हिमाचल प्रदेश को राशि/वित्तीय सहायता दी गई थी ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (ग) आवास राज्य का

विषय है तथा राज्य सरकारें एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अपनी स्थानीय आवश्यकताओं तथा योजना की प्राथमिकताओं के अनुसार सामाजिक आवास योजनाओं का कार्यान्वयन करते हैं। केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता समेकित ऋणों एवं समेकित अनुदानों के रूप में दी जाती है जो किसी विशेष योजना अथवा विकास शीर्ष से जुड़ी नहीं होती है।

उड़ीसा में आवासीय तथा शहरी विकास निगम और राष्ट्रीय भवन संगठन के कार्यालय

7214. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रत्येक राज्य में आवास तथा शहरी विकास निगम और राष्ट्रीय भवन संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) क्या सरकार का विचार उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों के कल्याण के लिए उड़ीसा राज्य में ऐसे क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) तथा (ख) प्रत्येक राज्य में आवास तथा नगर विकास निगम तथा राष्ट्रीय भवन (निर्माण) संगठन के क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, हुडको का एक क्षेत्रीय कार्यालय कलकत्ता में स्थापित किया गया है जो कि उड़ीसा राज्य की आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। राष्ट्रीय भवन (निर्माण) संगठन ने विभिन्न राज्यों में 14 ग्रामीण आवास स्कन्ध स्थापित किए हैं जिसमें एक हावड़ा में स्थित स्कन्ध भी शामिल हैं जो उड़ीसा राज्य का भी प्रबन्ध करता है।

[हिन्दी]

दूरदर्शन कार्यक्रमों के संबंध में विशेषज्ञ समिति

7215. **श्री आर०एम० भोये** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि आजकल दूरदर्शन पर प्रसारित किए जा रहे अजूबे जैसे बहुत से कार्यक्रमों की आम आदमी पसन्द नहीं करता क्योंकि उनका कोई शैक्षिक मूल्य नहीं है और उससे व्यर्थ में समय नष्ट होता है;

(ख) क्या सरकार ऐसे कार्यक्रम प्रसारित करने से पहले किसी विशेषज्ञ समिति से सुझाव आमन्त्रित करती है अथवा उनकी स्वीकृति लेती है; और

(ग) यदि हां, तो इस समिति के कितने सदस्य हैं और इस बारे में क्या प्रक्रिया का पालन किया जाता है और इस प्रक्रिया सम्बन्धी निर्देश क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी०एन० गाडगिल) : (क) कार्यक्रमों को दर्शक अपनी अभिरुचियों, प्राथमिकताओं और बोध के अनुसार पसन्द या नापसन्द करते हैं। "अजूबे" फ्रांसीसी नाटककार मोलाइरे के विभिन्न पात्रों पर आधारित एक सुखान्त नाटक है जिसको भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल रूपांतरित किया गया है।

(ख) और (ग): प्रायोजित कार्यक्रमों के चयन के लिए दूरदर्शन में कोई विशेषज्ञ समिति कार्य नहीं कर रही है। इस समय, राष्ट्रीय संजाल के लिए प्राप्त प्रस्तावों पर दूरदर्शन के मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा तीन विभिन्न स्तरों पर, जिनमें दूरदर्शन महानिदेशक भी शामिल हैं, विचार किया जाता है।

तथापि, सरकार ने अब एक पैनल का गठन करने के लिए नियम बना लिए हैं, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, शिक्षा, कला और संस्कृति, महिला और बाल कल्याण, युवा मामलों तथा खेल-कूद और विज्ञान के क्षेत्रों के अधिक से अधिक दो गैर-सरकारी सदस्य शामिल होंगे। यह पैनल अब के बाद राष्ट्रीय संजाल पर प्रायोजित कार्यक्रमों के प्रस्तावों पर विचार करेगा।

[अनुवाद]

तिलहनों में प्रोटीन और तेल की मात्रा का अनुमान लगाने का नया तरीका

7216. **श्री आर०एन० भोये**
श्री एन० डेनिस
डा० टी० कल्पना देवी } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली की परमाणु अनुसंधान प्रयोगशाला ने तिलहनों में प्रोटीन और तेल मात्रा का पता लगाने का तरीका विकसित किया है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस न्यूक्लियर मैगनेटिक रिजोनेंस की तकनीकी जानकारी ने तिलहनों की अच्छी किस्मों का विकास करने के लिए उच्च तेल मात्रा को बीजों के चयन में होने वाली मुख्य त्रुटियों को दूर कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर किये जा रहे अध्ययन सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) जी हां, श्रीमान्। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की परमाणु अनुसंधान प्रयोगशाला ने तिलहनों में तेल की मात्रा का शीघ्र पता लगाने का तरीका विकसित किया है। यह तरीका "फील्ड न्यूक्लियर मैगनेटिक रिसोनेन्स" पर आधारित है जो कि बीज की अंकुरण क्षमता को हानि पहुंचाये बिना अकेले बीजों की तेल की मात्रा का निर्धारण करने में सहायता देता है।

एन० एम० आर० स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा पौध प्रजनक पौधों की हजारों प्रजातियों में से

छटाई कर सकती है ताकि शीघ्र ही अधिक तेलांश वाले पौधों/बीजों को जल्दी ही अलग कर सकें और इस प्रक्रिया में रसायनिक विश्लेषण, जिसमें कि पहले बीज को मसलना पड़ता है, नहीं करना पड़ता। इसके अतिरिक्त रासायनिक विश्लेषण में समय भी अधिक लगता है। रासायनिक विश्लेषण के द्वारा तेल वाले बीजों की सुधरी हुई किस्मों के विकास की प्रगति भी कम होती है, विशेष रूप से जबकि बीज बहुत थोड़ी मात्रा में उपलब्ध हो और उसमें से कुछ भाग को रासायनिक विधि के द्वारा तेल का पता लगाने हेतु नष्ट करना पड़ता है। इसलिए विनिष्ट न होने के गुण के कारण एन०एस० आर० स्पेक्ट्रोस्कोपी उपयोगी पाई गई है, क्योंकि तेल का अंश का पता लगाने के बाद उत्तम किस्म के बीज सीधे ही संवर्धन के लिए और प्रजनन कार्यक्रमों में भी इस्तेमाल किये जा सकते हैं।

एन० एम० आर० तकनीक को अब प्रोटीन की मात्रा का अध्ययन करने के लिए विकसित किया जा रहा है लेकिन अभी इस तरीके को पूर्णतः कारगर बनाने हेतु समय लगेगा।

दूरदर्शन पर विभिन्न भाषाओं के लिए आबंटित समय

7217. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1985 को प्रत्येक दूरदर्शन केन्द्र का प्रसारण का एक सप्ताह का कुल समय कितना था;

(ख) 31 दिसम्बर, 1985 को प्रसारण समय (भाषावार) के आंकड़े क्या हैं; और

(ग) विभिन्न भाषाओं के लिए समय आबंटित करने की नीति क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और उसको सभा की मेज पर रख दिया जायेगा।

(ग) नीति के रूप में, दूरदर्शन क्षेत्रीय केन्द्रों को अपने-अपने क्षेत्रों की भाषाओं में कार्यक्रमों का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित करता है। सभी पूर्ण रूपेण दूरदर्शन केन्द्र प्रतिदिन लगभग तीन घण्टे की अवधि के लिए मुख्यतया अपनी-अपनी भाषाओं में सेवा प्रस्तुत करते हैं।

पश्चिम बंगाल में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसंधान और विकास प्रयासों का विफल होना

7218. **श्री अतीश चन्द्र सिन्हा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने एक शीर्ष संगठन के रूप में पश्चिम बंगाल में विभिन्न कृषि क्रियाकलापों में प्रायोजित करने उन्हें समन्वित करने और अनुसंधान को और

शिक्षा विस्तार सेवाओं के लिए विकास करने के किए ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जो प्रभावकारी हो;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पश्चिम बंगाल में ऊंची भूमि और निचली भूमि क्षेत्रों में चावल का उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद देशभर में एक शीर्ष संगठन के रूप में कार्य कर रहा है । इसने पश्चिम बंगाल में अनुसंधान को प्रायोजित, समन्वित और प्रोत्साहित करके प्रभावकारी कार्य किया है । यह कार्य केन्द्रीय संस्थानों, क्षेत्रीय, स्टेशनों/केन्द्रों के माध्यम से तथा राज्य कृषि/सामान्य विश्वविद्यालयों, कृषि विभाग के सहयोग से अखिल भारतीय समन्वित सफल सुधार परियोजनाओं/तदर्थ योजनाओं को कार्यान्वित करने और राष्ट्रीय प्रदर्शन परियोजना, परिचालनात्मक अनुसंधान परियोजनाओं, कृषि विज्ञान केन्द्रो और "प्रयोगशाला से खेत तक" कार्यक्रमों के माध्यम से विस्तार शिक्षा द्वारा किया जाता है ।

(ख) पश्चिमी बंगाल में चलने वाली परियोजनाओं व केन्द्रों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है ।

(ग) राज्य में ऊंची भूमि और निचली भूमि वाली स्थितियों के अन्तर्गत के उत्पादन को बढ़ाने हेतु उन्नत प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है, जैसे मिनी किट कार्यक्रम के लिए अच्छी पैदावार देने वाली किस्मों की पहचान/वृद्धि । उदाहरण के लिए आई० ई० टी० 7259 (बारानी ऊंची भूमि), आई०ई०टी० 7590 (बारानी निचली भूमि), आई० ई० टी० 8967 (अर्ध-गहन जल), एन० डी० आर० 501 (लवण-क्षारीय क्षेत्र) तथा जी०एस० 302 (100 से०मी० गहराई से अधिक गहन जल क्षेत्र) उर्वरक के उपयोग को बढ़ाने हेतु मसूरी फोस्फोटेड यूरिया जैसे आवृत छीजन के प्रभावी प्रयोग तथा ऐंजोला और नीले हरे शैवाल जैसे जैव उर्वरक को लोकप्रिय बनाया जायेगा। 1986-87 के दौरान सी०आर०आर०आई०, कटक में समन्वित सेल वाली अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान कार्यक्रम के अन्तर्गत शान्तिनिकेतन में खरपतवार नियन्त्रण अनुसंधान किया जा रहा है ।

भारत सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल सहित पूर्वी भारत में चावल का उत्पादन बढ़ाने हेतु अनुसंधान कार्यक्रमों के अन्तर्गत विकसित व्यवहार्य प्रौद्योगिकियों पर आधारित व्यापक स्तर पर एक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है । इस कार्यक्रम में ऊंची भूमि और निचली भूमि वाली चावल की फसल की उत्पादकता में वृद्धि लाने हेतु विशेष प्रयासों पर बल दिया जाता है ।

विवरण

पश्चिमी बंगाल में चालू संस्थान, अनुसंधान केन्द्र, प्रायोजनाओं की सूची

कृषि

1. जूट कृषि अनुसंधान संस्थान. बैरकपुर।
2. जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान प्रयोगशाला, कलकत्ता।

मात्स्यिकी

1. केन्द्रीय अन्तः स्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान, संस्थान, बैरकपुर।

क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र

कृषि

1. भा०कृ०अ०सं०, क्षेत्रीय केन्द्र, दार्जिलिंग।
2. केन्द्रीत नाभिक जूट बीज संवर्धन फार्म- जू०कृ०अ०सं०, बूद-बूद बरद्वान।
3. सी०पी०सी०आर०आई०, क्षेत्रीय केन्द्र, मोहितनगर।
4. केन्द्रीय आलू अनुसंधान केन्द्र-के०आ०अ०सं०, दार्जिलिंग।
5. केन्द्रीय बारानी चावल अनुसंधान केन्द्र, के०बा०चा०अ०के० पानसुकरा।
6. सी०टी०आर०आई, अनुसंधान केन्द्र, दीनहट्टा।
7. सी०एस०एस०आर०आई० अनुसंधान केन्द्र, कैनिंग टाउन।
8. एन०बी०एस०एस० एण्ड एल०यू०पी० क्षेत्रीय केन्द्र, कलकत्ता।

पशु विज्ञान

1. रा०डे०अ०सं० पूर्वी क्षेत्रीय केन्द्र, कल्याणी।
2. भा०प०अ०सं० क्षेत्रीय केन्द्र, कलकत्ता।

मात्स्यिकी

1. सी०आई०एफ०आर०आई० अनुसंधान केन्द्र, काकद्वीप।
2. सी०आई०एफ०आर०आई० अनुसंधान केन्द्र, कल्याणी।

3. सी०आई०एफ०आर०आई० अनुसंधान केन्द्र, राहडा ।

4. अतःस्थलीय मात्स्यिकी प्रशिक्षण केन्द्र सी०आई०एफ०ई०, बैरकपुर ।

5. सी०आई०एफ०आर०आई०, बैरकपुर, मुख्यालय ।

6. बैरकपुर में एस्ट्यूरिन फिशरिज डिवीजन ।

7. कलकत्ता बेहव फिशरीज रिसर्च सेंटर ।

अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजनाएं

कृषि

कृषि विश्वविद्यालय

विधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, मोहनपुर

1 गेहूं, माल्दा

2. गेहूं, कल्याणी

3. जौ, कल्याणी

4. मक्का, कलीमपोंग

5. दालें, बेरहमपुर

6. चारे वाली फसलें, कल्याणी

7. राष्ट्रीय बीज प्रायोजना, हरिनघट्टा

8. तिलहन, बेरहमपुर

9. पुष्पोत्पादन. कल्याणी

10. पुज्पोत्पादन, कालिमपोंग

11. आलू, कल्याणी

12. कंदवर्गीय फसल, कल्याणी

13. सब्जियां, कल्याणी

14. जल प्रबन्ध, झडग्राम

15. फार्म एण्ड सिटी वेस्ट, कल्याणी

16. जैविक नेत्रजन स्थिरीकरण, कल्याणी

17. कृषि जल निकास, कल्याणी

18. सस्य विज्ञान अनुसंधान, कल्याणी

19. सत्य विज्ञान अनुसंधान (ई०सी०एफ) मुर्शिदाबाद

20. कृषि वानिकी, कल्याणी

21. कृषि मौसम विज्ञान, हरिनघट्टा

व्यावसायिक/माम्य विश्वविद्यालय

1. चावल, कलकत्ता विश्वविद्यालय

2. सोयबीन, कल्लाणी विश्वविद्यालय

3. जल प्रबन्ध, आई०आई०टी० खड़गपुर

4. मृदा भौतिक दशाओं में सुधार, आई०आई०टी०, खड़गपुर

5. सस्य विज्ञान अनुसंधान, आई०आई०टी०, खड़गपुर

6. फार्म कार्यान्वियन तथा मशीनरी आई०आई०टी०, खड़गपुर

7. कृषि क्षेत्र में ऊर्जा आवश्यकताएं आई,०टी० आई० खड़गपुर

8. फसल कटाई तथा फसल कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी, आई०आई०टी०, खड़गपुर

9. खरपतवार नियन्त्रण, आई०आई०टी०, खड़गपुर।

भा०कृ०अ०प० के संस्थान

1. राष्ट्रीय बीज प्रायोजना, जे०ए०आर०आई०, बेरहमपुर

2. जूट तथा सम्बद्ध रेशे, जे०ए०आर०आई०, बैरकपुर

3. जूट तथा सम्बद्ध रेशे, जे० आर०एस०, कूचबेहर

4. जूट तथा सम्बद्ध रेशे, जे० आर०एस०, नाडिया

5. तम्बाकू, सी०टी०आर०आई० अनुसंधान केन्द्र, दीनहट्टा

6. सफल अनुक्रिया के साथ मुद्रा परीक्षणों का सहसम्बन्ध, जे०ए०आर०आई०, बैरकपुर

7. दीर्घ अवधि उर्वरक परीक्षण, जे०ए०आर०आई, बैरकपुर

केन्द्रीय/राज्य सरकार

1. चावल, चिनसूराह

2. चावल, कालिमपोंग

3. चावल, हटवोर

4. चावल, बाकुरा

5. गन्ना, बेथुआधारी

6. मसाले तथा काजू, अगरन फार्म, मिदीनीपुर

7. जल प्रबन्ध, कालिमपोन्ग

8. फसल प्रक्रिया के साथ मुद्रा परीक्षण के सहसम्बन्ध, कलकत्ता
9. गोलकृमि कीट भारतीय प्राणिविज्ञान सर्वेक्षण, कलकत्ता

10. प्रारम्भिक आंकड़े संग्रह-कृषि दशाओं के अन्तर्गत नई प्रौद्योगिकी के तबादले में बाधाओं के अध्ययन के लिए नमूना सर्वेक्षण।

पशु विज्ञान

राज्य सरकार

1. खुरपा तथा मुंहपका रोगों का मरक विज्ञान सम्बन्धी अध्ययन, कलकत्ता

मात्स्यिकी

राज्य सरकार

1. दलदल (स्वाम्प) में हवा में सांस लेने वाली मछली का पालन, कल्याणी

2. ताजे पानी के जलाश्यों की पारिस्थितिकी तथा मात्स्यिकी, कन्गसाब्ची जलाशय।

तदर्थ अनुसंधान योजनाएं

कृषि

1. विधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, मोहनपुर

2. बुरद्वान विश्वविद्यालय, बुरद्वान

3. कलकत्ता विश्वविद्यालय , कलकत्ता

4. जादवपुर, विश्वविद्यालय, जादवपुर

5. उत्तरी बंगाल विश्वविद्यालय, राजाराममोहनपुर

6. विश्वभारती, शान्ति निकेतन

7. बोस संस्थान, कलकत्ता

8. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर

9. राज्य सरकार

पशु विज्ञान

1. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर

मास्स्यिकी

1. विश्व भारतीय विश्वविद्यालय, शान्ति निकेतन

2. कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता

3. कल्याणी विश्वविद्यालय

4. सी०आई०एफ०आर०आई०, बैरकपुर

5. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर

6. जदावपुर विश्वविद्यालय, कलकत्ता

शिक्षा

कृषि विश्वविद्यालय

1. विधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, मोहनपुर नादिया

अनुसंधान संस्थान/केन्द्र

1. अनुसंधान केन्द्र, भड़ग्राम

महाविद्यालय/परिसर

1. कृषि महाविद्यालय, कूचबिहर

2. कृषि महाविद्यालय, मोहनपुर

3. पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, मोहनपुर

4. डेरी विज्ञान महाविद्यालय, मोहनपुर

कृषि विस्तार

राष्ट्रीय प्रदर्शन प्रायोजनाएं

कृषि

कृषि विश्वविद्यालय

विधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, मोहनपुर

1. हरिनघट्टा, नाडिया

2. रघुनाथपुर, पुरुलिया

परिचालन अनुसंधान प्रायोजनाएं

भा०कृ०अ०प० के संस्थान

1. जूट, मेस्टा अन्य कृषि फसल तथा मात्स्यिकी उत्पादन बढ़ाने के लिए परिचालन अनुसंधान प्रायोजना, जे०ए०आर०आई०, बैरकपुर

2. मिश्रत मछली पालन पर परिचालन अनुसंधान प्रायोजना, सी०आई०एफ०आर०आई० बैरकपुर

3. सुन्दरबन क्षेत्र में फसल तथा मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिए परिचालन अनुसंधान प्रायोजना, सी०एस०एस०आर०आई०, करनाल

कृषि विश्वविद्यालय

विधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, मोहनपुर

1. जलसंभर आधार पर संसाधन विकास के लिए परिचालन अनुसंधान प्रायोजना, बांकुरा

2. जलसंभर आधार पर संसाधन विकास के लिए परिचालन अनुसंधान प्रायोजना, पुरुलिया

3. जलसंभर आधार पर वास्तविक फार्म दशाओं के अन्तर्गत कृषि जल निकासी पर परिचालन अनुसंधान प्रायोजना, बराईचुका, मिदीनीपुर

4. माल्दा जिले में दियारा तथा चारलैण्ड के लिए परिचालन अनुसंधान प्रायोजना

राज्य सरकार

1. चावल कीटों के समाकलित नियन्त्रण पर परिचालन अनुसंधान प्रायोजना, हुगली, कृषि विभाग

कृषि विज्ञान केन्द्र

भा०कृ०अ०प० के संस्थान

1. कृषि विज्ञान केन्द्र, खारापानी से सम्बन्धित परीक्षणात्मक मछली फार्म, केन्द्रीय अन्तः स्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर 24 परगना

गैर सरकारी संगठन

1. कृषि विज्ञान केन्द्र, सेवा भारती, कपगरी मिदीनीपुर

2. कृषि विज्ञान केन्द्र, पश्चिमी बंगाल व्यापक क्षेत्र विकास निगम, सोनामुखी, बांकुरा
3. कृषि विज्ञान केन्द्र श्रीराम कृष्ण आश्रम, नीमपीठ, 24 परगना

4. कृषि विज्ञान केन्द्र रामकृष्ण सेवा केन्द्र रामसाही, जलपाईगुडी

प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम

भा०कृ०अ०प० संस्थान

1. केन्द्रीय आलू अनुसंधान, सी०पी०आर०एस०, दार्जिलिंग

2. जूट कृषि अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर

3. जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान प्रयोगशाला, कलकत्ता

4. केन्द्रीय अन्तःस्थलीय अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर

5. कृ०वि० केन्द्र, केन्द्रीय अन्तः स्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान केन्द्र, कांकद्वीप

कृषि विश्वविद्यालय

1. विधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, मोहनपुर, नाडिया

व्यावसायिक विश्वविद्यालय

1. पाली शिक्षा सदन, विश्वभारती, शान्तिनिकेतन

गैर सरकारी संगठन

1. कृ० वि०के० सेवा भारतीय, कापगरी, मिदीनीपुर

2. मुद्रा उनयन संसद मुद्रा, हुगली

3. लोक शिक्षा परिषद, ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र, नरेन्द्रपुर 24 परगना

4. कृ०वि०के० रामकृष्ण सेवा केन्द्र रामसहाई, जलपाई गुडी

5. कृ०वि०के० पश्चिम बंगाल व्यापक क्षेत्र विकास निगम, सोनामुखी, बांकुरा

6. कृ०वि०के० श्रीरामकृष्ण आश्रम, नीमपीठ, 24 परगना

जनजाति, अनूसूचित जाति तथा पिछड़े वर्गों का विकास कार्यक्रम

1. सामजिक-आर्थिक उत्थान—विधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, मोहनपुर

लघु इस्पात संयंत्रों की स्थापना

7219. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने जनवरी 1983 से अब तक देश में कितने लघु इस्पात संयंत्र स्थापित किए हैं, और कहां स्थापित किए हैं; और

(ख) स्वदेशी उत्पादन से इस्पात की मांग कितने प्रतिशत तक पूरी होती है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) भारत सरकार ने कोई लघु इस्पात कारखाना स्थापित नहीं किया है ।

(ख) प्रत्येक वर्ष प्रतिशतता की दर भिन्न-भिन्न होती है और यह प्रतिशतता मांग तथा देशीय उपलब्धि पर निर्भर करती है । वर्ष 1986-87 में तैयार इस्पात के संदर्भ में लगभग 90% आवश्यकताओं की पूर्ति देशीय उत्पादन से करने की संभावना है ।

"आपरेशन फ्लड" योजना के अन्तर्गत डेरी सहकारी समितियां

7220. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1985 के मध्य तक आपरेशन फ्लड-2 के अंतर्गत 1.10 करोड़ की सदस्यता वाली 33900 सहकारी समितियां स्थापित की जानी थीं और यदि हां, तो दुधारु पशुओं की संख्या और दुग्ध उत्पादन के लक्ष्यों को दर्शाते हुए वास्तविक उपलब्धियां क्या रही;

(ख) क्या 155 सहकारी संघों और 25 समूह परिसंघों की भी स्थापना की जानी थी और यदि हां, तो वास्तव में कितनों की स्थापना की गई;

(ग) क्या कृत्रिम गर्भाधान के अंतर्गत 102.4 लाख पशुओं को लाया जाना था और यदि हां, तो वास्तव में कितनों को शामिल किया गया;

(घ) क्या वर्ष 1985 के मध्य तक 15.2 लाख गायों और उन्नत नस्ल की भैंसों की योजना थी और यदि हां, तो वास्तविक उपलब्धि क्या रही; और

(ङ.) 1985 के मध्य तक कितने पशुओं की स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की जानी थी और कितने पशुओं को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की गई ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

त्रिवेन्द्रम में मुथलापोझी में मछली पकड़ने की बन्दरगाह

7221. **श्री टी० बशीर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिरयिकिल, त्रिवेन्द्रम में मुथलापोझी में मछली पकड़ने की बन्दरगाह बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) केरल सरकार एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए चिरयिकिल के मुथलापोझी में मछली पकड़ने की बन्दरगाह बनाने की सम्भाव्यता का निर्धारण करने के लिए स्थान की जाँच की जा रही है ।

आयातित/देश में बनाए गए टी० वी० ट्रांसमीटरों की स्थापना

7222. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितने टी० वी० रिले ट्रांसमीटर अब तक स्थापित किए गए हैं;

(ख) उनमें से कितने केन्द्रों में आयातित ट्रांसमीटर और कितने केन्द्रों में स्वदेशी ट्रांसमीटर हैं;

(ग) उन कंपनियों के नाम क्या हैं जिनसे स्वदेशी ट्रांसमीटर खरीदे गए हैं; और

(घ) क्या स्वदेशी ट्रांसमीटरों के कार्यकरण के बारे में कोई शिकायत है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) देश में इस समय कार्य कर रहे टी० वी० ट्रांसमीटरों की कुल संख्या, उन दो ट्रांसमीटरों को मिला कर जो दिल्ली और बम्बई में दूसरी चैनल सेवा के लिए हैं, 181 है।

(ख) स्थापित 181 ट्रांसमीटरों में से 23 टी० वी ट्रांसमीटरों का आयात किया गया है।

(ग) स्वदेशी खरीदे गये ट्रांसमीटर मैसर्ज भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड, बंगलौर तथा मैसर्ज गुजरात कम्युनिकेशन एन्ड इलैक्ट्रानिक्स लि० बड़ौदा द्वारा सप्लाई किए गए हैं।

(घ) देश में निर्मित ट्रांसमीटर कुछ जगह पर कभी-कभी खराब हो जाने को छोड़कर संतोषजनक रूप से कार्य कर रहे हैं।

सिक्किम को अखबारी कागज का आबंटन

7223. **श्रीमती डी० के० भंडारी** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक समाचार एजेंसियों द्वारा टेलीप्रिंटर पर समाचार पत्रों द्वारा परीक्षण मुद्रण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कम मूल्य की पुस्तकें छापने और कालेज और स्कूलों की पत्रिकाएं छापने और कालेज और स्कूलों की पत्रिकाएं छापने के लिए अखबारी कागज का आबंटन प्राधिकृत करता है;

(ख) क्या सिक्किम राज्य को उक्त लाभ प्राप्त हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न समाचार पत्रों/पत्रिकाओं आदि को आबंटित किए गए अखबारी कागज का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) मौजूदा व्यवस्था के अन्तर्गत, इस प्रकार के प्रयोजनों के लिए अखबारी कागज के आबंटन का प्रावधान है।

(ख) और (ग) कतिपय प्रकाशित करने में सिक्किम सरकार की मदद करने के लिए

भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक द्वारा वर्ष 1981-82 के दौरान उक्त सरकार को 35 टन अखबारी कागज का विशेष आबंटन किया गया था। प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम को सिक्किम राज्य पर 22-8-1984 को ही लागू किया गया है। गंगटोक से प्रकाशित होने वाले एक नेपाली द्वि-साप्ताहिक "आज का सिक्किम" को वर्ष 1986-87 के लिए इसकी हकदारी के अंग के रूप में 4.33 टन अखबारी कागज रिलीज किया गया है।

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में उर्वरकों का उपयोग

7224. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उर्वरकों की कुल कितनी मात्रा प्रयोग की गई और आगामी कृषि मौसम के लिए कुल कितनी आवश्यकता होगी;

(ख) क्या अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के कृषि विभाग के उर्वरकों की उक्त मात्रा खरीद ली है; यदि नहीं, तो यह कब तक खरीद ली जाएगी और किसानों को वितरण के लिए सम्बन्धित द्वीपों को भेजी जाएगी; और

(ग) क्या आगामी वर्ष के लिए कीटनाशक खरीद लिए गए हैं और वितरण के लिए सम्बन्धित क्षेत्रों को भेज दिए गए हैं, यदि नहीं, तो इनके कब तक खरीदे जाने की सम्भावना है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) संघ राज्य क्षेत्र अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह में पिछले तीन वर्षों में हुई उर्वरकों की खपत की कुल मात्रा और 1986 के खरीफ मौसम के कुल जरूरत का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) 1986 के खरीफ के दौरान इस संघ राज्य क्षेत्र की उर्वरक पोषकों की 200 मीटर टन की कुल जरूरत में से इस संघ राज्य क्षेत्र के कृषि विभाग के पास पहली अप्रैल 1986 को अनुमानत: 56 मीटरी टन का पिछला भंडार पड़ा हुआ है। उन्हें शेष उर्वरकों का आवंटन पहले ही दिया जा चुका है और संघ राज्य के किसानों की मांग पूरी करने के लिए कोई कठिनाई दिखाई नहीं देती।

(ग) अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह में कृमिनाशी दवाइयों की जरूरतों का मूल्यांकन करने का कार्य कर लिया गया है। वहां पर कृमिनाशी दवाइयों की कोई कमी नहीं है और संघ राज्य क्षेत्र की मांग पूरी करने में कोई कठिनाई दिखाई नहीं देती।

विवरण

वर्ष	नाइट्रोजन	फास्फोरस	पोटाशियम	कुल
1983-84	59	8	37	104
1984-85	32	19	27	78
1985-86	43	26	23	92
1986 के खरीफ के लिए मूल्यांकित कुल जरूरत	100	50	50	200

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कृषि फार्म

7225. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कृषि विभाग के पास कितने कृषि फार्म हैं और वे कहां कहां पर स्थित हैं, एकड़ों में उनका क्षेत्रफल कितना है और इन प्रत्येक फार्मों पर कितना वार्षिक व्यय होता है; और

(ख) प्रत्येक फार्म से कुल कितनी आय होती है और उस पर प्रति हैक्टेयर कितना कृषि उत्पादन होता है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) अन्दमान तथा निकोबार प्रशासन से जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

अन्डमान-निकोबार द्वीप समूह में कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय

7226. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का कार्यालय खोला गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कलकत्ता के भविष्य निधि लेखाओं को इस कार्यालय में भेज दिया गया है; यदि नहीं, तो कब तक ऐसा किए जाने की संभावना है; और

(ग) क्या कर्मचारियों को नियमित रूप से लेखा स्लिपें दी जाती है, यदि नहीं, तो अन्डमान-निकोबार द्वीप समूह में भविष्य निधि लेखा रखने वाले कर्मचारियों की किस तिथि तक लेखा स्लिप दी गई है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) मई, 1984 में पोर्ट ब्लेयर में एक उप-क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया था। इसके क्षेत्राधिकार में 34 प्रतिष्ठान हैं जिनके अंशदाताओं की संख्या 9650 हैं।

(ख) भविष्य निधि प्राधिकरणों के अनुसार, सभी लेखाओं को उप क्षेत्रीय कार्यालय में पहले ही भेज दिया गया है।

(ग) अधिकांश कर्मचारियो को वर्ष 1981-82 तक की लेखा-स्लिपें जारी की जा चुकी हैं।

अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

7227. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आई० टी० आई० प्रशिक्षण के लिए छात्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से यहां आते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उनकी भारी संख्या को ध्यान में रखते हुए सरकार अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह में एक आई० टी० आई० खोलने पर विचार कर रही और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या करण हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलना संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में आता है। तदनुसार, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ शासित क्षेत्र प्रशासन ने योजना आयोग के विचारार्थ एवं अनुमोदन के लिए द्वीप समूह में एक लघु आई० टी० आई० खोलने का प्रस्ताव किया है। योजना सहित प्रस्ताव रो० एवं प्रशि० महा०, श्रम मंत्रालय द्वारा योजना आयोग को भेज दिया गया है। प्रस्तावित आई० टी० आई० के ब्यौरे नीचे दिए गए है :—

(i) आई० टी० आई० का नाम — लघु आई० टी० आई०

(ii) प्रतिष्ठान का स्थान — पोर्ट ब्लेयर

(iii) व्यवसाय, जिन्हें शुरू किया जाना है :—

बढ़ई	:	16 (एक एकक)
बिजली मिस्त्री	:	16 (एक एकक)
फिटर	:	16 (एक एकक)
नक्शानवीस (सिविल)	:	16 (एक एकक)
टर्नर	:	12 (एक एकक)
वेल्डर	:	12 (एक एकक)
मिलराइट मैकेनिक	:	16 (एक एकक)
मैकेनिक (डीजल)	:	16 (एक एकक)

संघ लोक सेवा आयोग के विज्ञापनों के लिए समाचार पत्रों की सूची

7228. **श्री आनन्द पाठक** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग के विज्ञापनों के लिए समाचार पत्रों की सूची में संशोधन किया है और इस सूची में समाचार पत्रों के नाम जोड़े हैं, यदि हां, तो कब;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार का विचार इस सूची में कब तक संशधन करने का है; और

(ग) क्या विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय का विचार इस सम्बन्ध में समाचार पत्रों से आवेदन आमंत्रित का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) संघ लोक सेवा आयोग सम्बन्धी माध्यम सूची में समय समय पर सशोधन किया जाता है। इसे पीछे 1979 में तैयार किया गया था। वर्ष 1980 और 1984 में इस सूची में कुछ नाम जोड़े गए थे। सूची में संशोधन विचाराधीन है।

(ग) सघ लोक सेवा आयोग सम्बन्धी माध्यम सूची को विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय की माध्यम सूची में शामिल दैनिक समाचार पत्रों में से तैयार किया जाता है। इस प्रयोजन के लिए समाचार पत्रों से आवेदन-पत्र आमंत्रित नहीं किए जाते हैं।

दूध और दूध के उत्पादकों का आयात तथा चारे का निर्यात

7229. **श्री साइमन तिग्गा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरो में सप्लाई किया जा रहा अधिकांश दूध आयातित दुग्धपूर्ण और बटर ऑयल का मिश्रण है जो मुख्यतः यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों से आता है;

(ख) यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों से वर्ष 1980 से कितना दुग्ध और दुग्ध चूर्ण प्रतिवर्ष आयात किया जाता है;

(ग) दूध और दुग्ध चूर्ण का आयात कम करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है;

(घ) क्या भारत यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों को भारी मात्रा में पौष्टिकता से भरपूर पशु चारे का निर्यात कर रहा है जबकि इसकी देश में भारी कमी है और भारत इस चारे को देश में ही उपयोग कर आयात किए जा रहे दुग्ध और दुग्ध चूर्ण की मात्रा से कई गुना अधिक दूध का उत्पादन कर सकता है; और

(ङ) यदि हां, तो पशु चारे का निर्यात करने के क्या कारण है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं।

(ख) यूरोपीय आर्थिक समुदाय से दूध का आयात नहीं किया गया है। आपरेशन फ्लड 2 परियोजना के लिये 1980-81 से 1985-86 (दिसम्बर, 1986) तक यूरोपीय आर्थिक समुदाय से स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण की निम्न मात्रा प्राप्त की गई :

		(आँकड़े मीटरी टन में)
1980-81	...	13,531.025
1981-82	...	73,643.772
1982-83	...	37,572.528
1983-84	...	7,694.700
1984-85	...	48,969.278
1985-86	...	5,374.725

(दिसम्बर 1985 तक)

(ग) विभिन्न केन्द्रीय, केन्द्रीय प्रायोजित और राज्य प्लान योजनाओं, जिसमें आपरेशन फ्लड कार्यक्रम भी शामिल है, के कारण देश में दूध का अनुमानित उत्पादन 1969-70 के 216.0 लाख मीटरी टन से बढ़कर 1984-85 में 401.7 लाख मीटरी टन हो गया है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोगताओं की तरल दूध की आवश्यकताओं को पूरा करने के पश्चात दुग्ध चूर्ण और अन्य दुग्ध उत्पादों के विनिर्माण का कार्य व अवशेष दूध की उपलब्धि से निकट से जुड़ा होता है। आपरेशन फ्लड 2 कार्यक्रम में सम्भरक सन्तुलन डेरियों की स्थापना के जरिए ऐसे अवशेष दूध का दुग्ध उत्पादों में संरक्षण करने की व्यवस्था की जाती है।

(घ) और (ङ) आंशिक रूप से कोटा का सख्त प्रतिबन्ध लगाने की दृष्टि से तथा आंशिक रूप से यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों द्वारा विशेषकर एफ्लाटाक्सिन के स्तर के सम्बन्ध में निर्धारित किए गए सख्त मानकों के फलस्वरूप, लगभग पिछले दशक के भीतर पशु आहार संघटकों के निर्यात में काफी कमी आई है। निर्यात की अधिकतम सीमा का निर्धारण उच्च अधिकार प्राप्त समिति द्वारा देशी आवश्यकताओं, उपलब्धि आदि सहित विभिन्न घटकों के आधार पर किया जाता है। आहार के निर्यात का वर्तमान स्तर देश के भीतर कुल उपलब्धि का लघु अंश ही है। सान्द्रित आहार की सही आवश्यकताओं और उपलब्धि का मूल्यांकन करना कठिन है क्योंकि किसान अपने स्टाक (दुधारु, शुष्क और क्रमयोग्य पशुओं) को आहार दूध, मांस कार्य आदि के बारे में पशुओं से होने वाले आर्थिक लाभ को ध्यान में रखकर देते हैं। मुख्य रूप से शुष्क स्टाक और श्रम योग्य पशुओं को जब वे बेकार होते हैं, सान्द्रित आहार नहीं दिया जाता अथवा उन्हें अनुरक्षण राशन के रूप में आहार की कुछ मात्रा ही दी जाती है।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन

7230. डा० डी० एन० रेड्डी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन करने पर अपर्याप्त पशु चिकित्सा सहायता सहित विभिन्न पशु जनन और विकास कार्यक्रमों में गम्भीर कमियों का पता चला है;

(ख) क्या आप्रेशन फ्लड अधिकारियों द्वारा किए गए दावों के बावजूद दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां नहीं बनाई गई थीं;

(ग) क्या समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध कराए गए विदेशी पशुओं और पक्षियों को सम्भालने के लिए लाभान्वितों को उचित ढंग से प्रशिक्षित नहीं किया गया;

(घ) क्या अनेक मामलों में बीमा कवर भी प्रदान नहीं किया और कुछ मामलों में बीमे के दावों का शीघ्र निपटारा नहीं किया गया; और

(ङ) क्या पूरे कार्यक्रम का नवीनीकरण किया गया है और उसमें सुधार किया गया है ?

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पशुपालन योजनाओं के लिए अपर्याप्त पशु चिकित्सा सहायता सहित आधार भूत सुविधाओं की कमी के बारे में विभिन्न मूल्यांकन अध्ययनों में प्रकाश डाला गया है ।

(ख) आपरेशन फ्लड कार्यक्रम के अन्तर्गत इसके आरम्भ से लेकर नवम्बर, 85 तक 39,490 सहकारी सोसायटियां गठित की गई हैं ।

(ग) अक्तूबर-दिसम्बर, 1985 की अवधि के लिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के समवर्ती मूल्यांकन के अनुसार विभिन्न गतिविधियों के अन्तर्गत सहायियत 23 प्रतिशत नमूना लाभर्थियों जिन्हें परिसम्पत्तियों को संभालने के लिए प्रशिक्षण देना आवश्यक था, के मुकाबले केवल 4 प्रतिशत को ही इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया गया था । 77 प्रतिशत लाभार्थियों ने सूचित किया था कि उन्हें इस प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है ।

(घ) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के समवर्ती मूल्यांकन से पता चलता है कि लगभग 50 प्रतिशत नमूना लाभार्थियों की परिसम्पत्तियों का बीमा किया गया था । जहां तक बीमे के दावों को निपटाने का प्रश्न है, इस प्रकार की सूचना केन्द्रीय स्तर पर संकलित नहीं की जाती है । तथापि, दावों की प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है ताकि दावों का शीघ्र निपटान हो सके ।

(ङ) सातवीं पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सुधार लाने हेतु कई कदम उठाए गए हैं । यह संलग्न विवरण में दर्शाये गए हैं ।

विवरण

सातवीं पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सुधार लाने के लिए उठाये गये कदम :

1. गरीबी की रेखा 6,400 रुपये निर्धारित की गई है। लाभान्वित परिवारों की आय इस स्तर तक बढ़ानी है।

2. लाभार्थियों के चयन के लिए अन्तिम सीमा बढ़ाकर 4800 रुपए प्रति परिवार निर्धारित कर दी गई है। तथापि, 3500 रुपये तक की आय वाले सभी परिवारों को इससे अधिक आय वाले परिवारों से पहले शामिल किया जाना है।

3. प्रति परिवार अधिक पूंजी निवेश देना जिसमें एक से अधिक योजनाएं शामिल हों ताकि नए लाभार्थियों को उनके निवेश पर उचित लाभ मिल सके।

4. छठी योजना के दौरान सहायता प्राप्त उन परिवारों को पूरक सहायता प्रदान करना जो उन कारणों से गरीबी की रेखा पार नहीं कर सके हैं जिनके लिए वे स्वयं जिम्मेदार नहीं हैं।

5. निधियों का आबंटन समानता की पद्धति को बदलकर निर्धनता में विविधता के आधार पर किया जाना है।

6. लाभार्थियों के चयन में जन प्रतिनिधियों को और अधिक शामिल करना।

7. इस कार्य हेतु जिला स्तर पर संस्थाओं का चयन करके अथवा जिला आपूर्ति और विपणन सोसायटियों को स्थापना करके सम्पर्कों के सुधारने के प्रयास करना।

8. कार्यक्रम में 30 प्रतिशत तक महिला लाभार्थियों को शामिल करना।

9. संयुक्त ग्रामीण प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी केन्द्रों को स्थापित करके प्रशिक्षण के प्रयासों का उपयुक्त समन्वय करने के लिए एक नई योजना प्रारम्भ करना। यह भारत सरकार के विचाराधीन है और मार्गदर्शिकाएं अलग से जारी की जा रही हैं।

10. खण्ड, जिला और राज्य स्तर पर आवश्यकतानुसार प्रशासनिक ढांचे को कारगर तथा मजबूत बनाना। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु वर्तमान प्रशासनिक प्रबन्धों की समीक्षा करने के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसकी जाँच की जा रही है।

11. विशेषकर नीचे के स्तर पर बैंकों की कार्य प्रणाली में सुधार करना।

12. लाभार्थियों में जागरूकता का अच्छा वातावरण तैयार करना और उनका उचित संगठन बनाना ।

13. ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देने की योजना (ट्राइसेम) सहित समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों को अधिक से अधिक शामिल करना ताकि नये प्रकार की परिवारोन्मुख परियोजनाएं अधिक कारगर ढंग से कार्यान्वित की जा सकें ।

14. कार्यक्रम की निकट से मानिटरिंग करने के लिए प्रतिमाह 36 जिलों, 72 खण्डों और 10 नये लाभार्थियों और 10 पुराने लाभार्थियों जिन्होंने 2 वर्ष पहले सहायता प्राप्त की थी, के आधार पर समवर्ती मूल्यांकन की एक नई पद्धति आरम्भ की गई है ।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन

7231. **डा० डी० एन० रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत मार्ग निदेश जारी किए जाने के बावजूद सभी स्तरों पर निगरानी मूल्यांकन और कार्यक्रम के चलते हुए उसमें बीच में सुधार करने के तरीके पूरी तरह से विफल रहे हैं और यदि हां, तो क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं/उठाने का विचार है;

(ख) क्या सरकार का विचार विकास पत्रिका शुरू का है जैसा कि कुछ राज्यों द्वारा शुरू की गई है; और

(ग) क्या मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक आधार पर कार्यक्रम की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए प्रोफार्मा भरवाए जाएंगे और 21 वी सदी शुरू होने से पहले समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के द्वारा गरीबी हटाने के लिए शीघ्रातिशीघ्र कम्प्यूटरीकरण अपनाया जाएगा ?

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) से (ग) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की निगरानी मासिक, तिमाही तथा वार्षिक आधार पर निर्धारित प्रोफार्मा में कार्य निष्पादन सूचित करने की प्रक्रिया के माध्यम से की जाती है । विभिन्न स्तरों पर समय-समय पर बैठकें तथा विचार गोष्ठियां भी आयोजित की जाती हैं । कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए भारत सरकार व राज्यों के अधिकारी तथा जिला अधिकारी क्षेत्रीय दौरे भी करते हैं ।

कार्यक्रम का मूल्यांकन करना इसके कार्यान्वयन का ही एक अभिन्न अंग है । केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों ने कई मूल्यांकन अध्ययन आयोजित किए हैं । भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक जैसी संस्थाओं तथा अन्य गैर-सरकारी संस्थाओं ने भी मूल्यांकन अध्ययन आयोजित किए हैं । इन अध्ययनों में दिए गए सुझावों के आधार पर संलग्न विवरण में दिए अनुसार कार्यक्रम में संशोधन किए गए हैं ।

मार्गदर्शिकाओं में "विकास पत्रिका" का प्रावधान है हाल ही में इस फार्म में संशोधन किया गया है।

अक्तूबर, 1985 से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का एक मासिक समवर्ती मूल्यांकन 29 ख्याति प्राप्त संस्थाओं के माध्यम से आयोजित कराया गया है। इस समवर्ती मूल्यांकन में 36 जिलों, 72 खण्डों तथा 1440 परिवारों को शामिल किया गया है। इसका दोहरा उद्देश्य है; पहले दो वर्ष पुराने परिवारों पर कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन करना तथा दूसरे, नये परिवारों के लिए निर्धारित पद्धतियों की अनुपालना का मूल्यांकन करना। यह मूल्यांकन कम्पयूटराइज्ड है।

विवरण

सातवीं पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वय में सुधार लाने के लिए उठाये गये कदम :

1. गरीबी की रेखा 6,400 रुपए पर निर्धारित की गई है। लाभान्वित परिवारों की आय इस स्तर तक बढ़ानी है।

2. लाभार्थियों के चयन के लिए अंतिम सीमा 4800 रुपये प्रति परिवार निर्धारित कर दी गई है। तथापि, 3500 रुपए तक की आय वाले सभी परिवारों को इससे अधिक आय वाले परिवारों से पहले शामिल किया जाना है।

3. प्रति परिवार अधिक पूंजी निवेश देना जिसमें एक से अधिक योजनाएं शामिल हों ताकि नए लाभार्थियों को उनके निवेश पर उचित लाभ मिल सके।

4. छठी योजना के दौरान सहायता प्राप्त उन परिवारों को पूरक सहायता प्रदान करना जो उन कारणों से गरीबी की रेखा पार नहीं कर सके हैं जिनके लिए वे स्वयं जिम्मेदार नहीं हैं।

5. निधियों का आबंटन समानता की पद्धति को बदल कर निर्धनता में विविधता के आधार पर किया जाना है।

6. लाभार्थियों के चयन में जन प्रतिनिधियों की और अधिक शामिल करना।

7. इस कार्य हेतु जिला स्तर पर संस्थाओं का चयन करके अथवा जिला आपूर्ति और विपणन सोसायटियों की स्थापना करके सम्पर्कों को सुधारने के प्रयास करना।

8. कार्यक्रम में 30 प्रतिशत तक महिला लाभार्थियों को शामिल करना।

9. संयुक्त ग्रामीण प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी केन्द्रों को स्थापित करके प्रशिक्षण के प्रयासों

का उपयुक्त समन्वय करने के लिए एक नई योजना प्रारम्भ करना। यह भारत सरकार के विचाराधीन है और मार्गदर्शिकाएं अलग से जारी की जाएंगी।

10. खण्ड, जिला और राज्य स्तरों पर आवश्यकतानुसार प्रशासनिक ढांचे को कारगर तथा मजबूत बनाना। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु वर्तमान प्रशासनिक प्रबंधों की समीक्षा करने के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति भी नियुक्त की गई थी। इस समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसकी जांच की जा रही है।

11. विशेषकर नीचे के स्तर पर बैंकों की कार्य प्रणाली में सुधार करना।

12. लाभार्थियों में जागरुकता का अच्छा वातावरण तैयार करना और उनका उचित संगठन बनाना।

13. ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देने की योजना (ट्राइसेम) सहित समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए स्वैच्छिक एजेन्सियों को अधिक से अधिक शामिल करना ताकि नये प्रकार की परिवारोन्मुख परियोजनाएं अधिक कारगर ढंग से कार्यान्वित की जा सकें।

14. कार्यक्रम की निकट से मानिटरिंग करने के लिए प्रतिमाह 36 जिलों, 72 खण्डों और 10 नए लाभार्थियों और 10 पुराने लाभार्थियों और जिन्होंने 2 वर्ष पहले सहायता प्राप्त की थी, के एक ग्रुप को शामिल करने के आधार पर समवर्ती मूल्यांकन की एक नई पद्धति आरम्भ की गई है।

समन्वित ग्रामीण विकास के अन्तर्गत प्रशासनिक ढांचा

7232. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य को सुझाव दिया है कि वे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न स्तरों पर प्रशासनिक ढांचा तैयार करें;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अधिकांश राज्यों ने इसका पालन नहीं किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उनके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार यह कार्य सरकार में पेशेवरों तथा स्वैच्छिक एजेंसियों को सौंपने का है; और

(च) यदि हां, तो प्रभावशाली कार्यान्वयन के लिए सरकार की नीतियां और कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) से (च) ग्रामीण विकास विभाग ने शुरू से ही राज्य सरकारों पर यह जोर डाला कि वे विभिन्न स्तरों पर प्रशासनिक ढांचे को उपयुक्त रूप से सुदृढ़ बनाएं तथा संगठनात्मक समन्वय हेतु आवश्यक प्रणाली विकसित करें। इसमें राज्य मुख्यालय में एक निगरानी (मानिटरिंग) सैल, की स्थापना करना, आयोजना तथा कार्यान्वयन के लिए विषय विशेषज्ञों के एक अन्तर विशेषज्ञ दल वाली एक जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी का गठन करना तथा प्रत्येक विषय के लिए विस्तार अधिकारी और उपयुक्त संख्या में ग्राम सेवक उपलब्ध करा कर खंड प्रशासन को मजबूत बनाना शामिल है।

यद्यपि आमतौर पर प्रशासनिक ढांचे को मजबूत बनाने का कार्य किया गया है फिर भी, योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा आयोजित मूल्यांकन अध्ययन में यह उल्लेख किया गया है कि कार्मिकों की संख्या, रिक्त पदों प्रशिक्षण तथा बार-बार स्थानान्तरण जैसी कुछ कमियां अभी भी हैं।

मार्ग-दर्शिकाओं में राज्य तथा जिला स्तरों पर अन्तर-विशेषज्ञ दलों तथा स्वैच्छिक संगठनों को शामिल करने का पहले ही प्रावधान है। सातवीं योजना में भारतीय विकास लोक कार्यक्रम के माध्यम से स्वैच्छिक एजेन्सियों को और अधिक शामिल करने की अपेक्षा की गई है।

राज्य, जिला एवं खंड स्तरों पर ग्रामीण विकास हेतु वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था तथा निर्धनता निवारण कार्यक्रमों की पुनरीक्षा करने के लिए श्री जी० वी० के० राव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट हाल ही में प्रस्तुत की है जो कि विचाराधीन है।

इस्पात के मूल्यों में वृद्धि

7233. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान इस्पात के मूल्यों में कितनी बार वृद्धि हुई है।

(ख) 1 जनवरी, 1981 को इसका मूल्य क्या था और वर्तमान मूल्य क्या है;

(ग) विभिन्न प्रकार के इस्पात के मूल्यों में संशोधन करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है;

(घ) क्या इस्पात के मूल्यों में लगातार वृद्धि होने के बावजूद यह उद्योग घाटे में चल रहा है और यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(ङ) इस्पात उद्योग की कठिनाई के समाधान के लिए इस उद्योग को लाभकारी बनाने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

इस्पात और खान मंत्री, (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) पिछले पांच वर्षों के दौरान संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा इस्पात के मूल्यों में 10 बार वृद्धि की गई। इन वृद्धियों में लोहा तथा इस्पात के मुख्य उत्पादकों को पांच अवसरों पर कोई अतिरिक्त वसूली नहीं हुई क्योंकि इन अवसरों पर समीकृत रेल-भाड़े, इस्पात विकास निधि तथा इंजीनियरी साज-समान निर्यात सहायता निधि के लिए अतिरिक्त आवश्यक धन-राशि को पूरा करने के लिए मूल्यों में वृद्धि की गई थी। शेष पांच मूल्य वृद्धियों में से वर्ष 1984 की मूल्य-वृद्धि पर भी इन उत्पादकों को पूर्णतः कोई वसूली नहीं हुई क्योंकि यह वृद्धि भी इंजीनियरी साज-सामान निर्यात सहायता निधि, समीकृत रेल-भाड़े के अंशदान तथा संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा लगाए गए करों के अगले समायोजन के कारण हुई मूल्य वृद्धि में शामिल करनी पड़ी।

(ख) एक विवरण संलग्न है, 21 फरवरी, 1985 के बाद इस्पात के मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं की गई है।

(ग) मुख्य उत्पादकों की संयुक्त संयंत्र समिति इस्पात के मूल्यों में वृद्धि करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखती है :—

(i) इस्पात की विभिन्न श्रेणियों के उत्पादन की लागत;

(ii) इस्पात विकास निधि, भाड़ा समीकरण निधि, संयुक्त संयंत्र समिति के उपकर, इंजीनियरी साज-सामान निर्यात सहायता निधि के लिए अंशदान;

(iii) देश में सामान्य मूल्य स्तर पर प्रभाव।

(घ) 'इस्को' को छोड़कर सरकारी क्षेत्र का इस्पात उद्योग लाभ कमा रहा है। जहां तक 'इस्को' का सम्बन्ध है अप्रचलित प्रौद्योगिकी तथा पुराने उपस्करों के कारण इसे घाटा हो रहा है।

(ङ) सरकार कोयले और बिजली सहित अपेक्षित मात्रा में बढ़िया किस्म के आदानों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रयास कर रही है। मशीनों के उचित रख-रखाव, प्रौद्योगिकीय निष्पादन में सुधार, क्षमता का समुचित उपयोग तथा उत्पादकता में वृद्धि करने की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है।

विवरण

इस्पात के संयुक्त संयंत्र समिति के रेल पर्यन्त निष्प्रभार मूल्य

(रुपये/टन)

	से लागू	
	1-1-1981	21-2-1985
1	2	3
प्लेटें		
5-10 मि० मी० तक	2813	6360
10 मि० मी० से अधिक	2813	6780

1	2	3
संरचनात्मक	2476	6030
बिलेट/आर० सी० स्क्वेयर	2229	4200
ब्लूम	2171	3840
स्लैब	2171	4040
छड़ें तथा गोल छड़ें		
12 मि० मी० तक	2689	5150
12 मि० मी० से अधिक 25 मि० मी० तक	2689	4900
जस्ती सादी चादरें/क्वायल		
1.6 मि० मी० से 1.0 मि० मी०	4706	7890
1.0 मि० मी० से 0.63 मि० मी० से पतली	5584	8900
जस्ती नालीदार चादरें/क्वायल		
1.6 मि० मी० से 1.0 मि० मी०	4735	7940
1.0 मि० मी० से 0.63 मि० मी० से पतली	5612	8950
गर्म बेलित क्वायल		
3.15 मि० मी० तथा उससे कम	3068	6190
3.15 मि० मी० से अधिक तथा 5 मि० मी० से कम	3068	6030
गर्म बेलित चादरें		
1.6 मि० मी० से 10.0 मि० मी०	3853	6790
1.0 मि० मी० से पतली	4267	7290
ठंडे बेलित क्वायल		
1.6 मि० मी० से 1.0 मि० मी०	4321	8000
1.0 मि० मी० से पतली	4551	8330
ठंडी बेलित चादरें		
1.6 मि० मी० से 1.0 मि० मी०	4379	8070
1.0 मि० मी० से पतली	4609	8400

नोट—स्टाक यार्ड मूल्य (समीकृत भाड़ा समेत) 300/-रुपये प्रतिटन अधिक होगा ।

इस्पात सम्बन्धी नीति

7234. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे सहित सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में प्रमुख भारी इंजीनियरिंग परियोजनाओं के कार्यान्वयन की गति पिछले कुछ समय से बहुत कम हो गई है क्या इसका कारण बाजार में खराब इस्पात की बिक्री है;

(ख) क्या सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के विशाल एककों द्वारा स्टाकयार्डों से इस्पात का भारी भण्डार नहीं उठाया जा रहा है जो वास्तविक उपभोक्ताओं के लिए है;

(ग) क्या वहां से उठाया गया भंडार खुले बाजार में जमा हो रहे हैं जिसके कारण मूल्य कम हो रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) ऐसे कुछ उदाहरण हैं जहां मुख्य उत्पादकों द्वारा पेशकश करने के बावजूद भी उपभोक्तामाल उठाने में असफल रहे हैं। परन्तु 'सेल' के स्टाकयार्डों में 1-4-85 के स्टाक की तुलना में 31-3-86 के स्टाक में मात्र सीमांत वृद्धि हुई है।

(ग) स्टाकयार्डों से उठाये गए स्टाक के खुले बाजार में जमा होने के बारे में सरकार को कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। वर्ष 1985-86 के दौरान मुख्यतः बेहतर उपलब्धता के कारण इस्पात की अधिकांश श्रेणियों के बाजार मूल्य में कमी का रुख दिखाई दिया है।

(घ) उत्तर के भाग (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

बम्बई के विकास के लिए विश्व बैंक से सहायता

7235. **श्री डी० बी० पाटिल** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक ने फरवरी, 1985 में बम्बई के विकास कार्यक्रम के लिए 138 मिलियन डालर का 50 वर्षीय ब्याज-मुक्त ऋण देना स्वीकार किया था;

(ख) यदि हां, तो विश्व बैंक से जनवरी 1986 तक कितनी राशि प्राप्त हो चुकी है;

(ग) इस प्रकार से प्राप्त राशि में से बम्बई के लिए कितनी राशि दी गई है; और

(घ) इन राशियों का प्रयोग करने सम्बन्धी नियम क्या हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) बम्बई नगर विकास परियोजना के लिए 138 मिलियन डालर के ऋण के लिए 1-3-85 को एक करार हुआ था। परियोजना के विशिष्ट घटकों तथा उप-घटकों पर अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (आई० डी० ए०) द्वारा किए गए व्यय की विनिर्दिष्ट प्रतिशतता इस ऋण में शामिल है। करार में विनिर्दिष्ट मदों के अतिरिक्त अन्य मदों पर निधियों के उपयोग करने की सम्भावना नहीं है।

(ख) जनवरी के अन्त तक, परियोजना प्राधिकरणों द्वारा भेजे गए व्यय दावों के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (आई० डी० ए०) ने 2 85 मिलियन डालर की राशि का वितरण किया है।

(ग) तथा (घ) बाहर से सहायतित परियोजनाओं के लिए सहायता अतिरिक्त रूप से केन्द्रीय सहायता के जरिये हस्तान्तरित की जाती है। दिसम्बर, 1985 के अन्त तक भारत सरकार ने अब तक 3.03 करोड रुपये की राशि (तिमाही आधार पर अतिरिक्त रूप से रिलीज की जाती है) इस सिद्धान्त के अन्तर्गत महाराष्ट्र सरकार को दी है।

[हिन्दी]

अपराध सम्बन्धी घटनाओं का दूरदर्शन/आकाशवाणी पर प्रसारण

7236. **श्री बलवंत सिंह रामूवालिया** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब में उग्रवादियों द्वारा किए जा रहे अपराधों की घटनाओं पर दूरदर्शन/आकाशवाणी पर प्रसारण किया जा रहा है;

(ख) क्या पंजाब के अतिरिक्त दिल्ली तथा अन्य स्थानों पर हो रहे अपराधों सम्बन्धी ऐसी ही घटनाओं का प्रसारण या तो सामान्य अपराध के रूप में किया जाता है या बिल्कुल ही नहीं किया जाता हैं; और

(ग) यदि हां, तो अपराध सम्बन्धी घटनाओं का इस प्रकार का वर्गीकरण करने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (ग) तक : जी, नहीं। आकाशवाणी/दूरदर्शन अपने बुलेटिनों में विषयों को उनके समाचारिक मूल्य के आधार पर शामिल करते हैं। सामान्य अपराध सम्बन्धी कहानियों को समाचार बुलेटिनों में नहीं दिया जाता है। आम लोक रुचि के अपराधों सम्बन्धी कहानियों को समाचार बुलेटिनों में कवर किया जाता है। इस तरह के बुलेटिनों को यथासम्भव संक्षिप्त रखा जाता है। यह भी ध्यान रखा जाता है कि इससे किसी भी तरह से भावनाएं या मनोभाव उत्तेजित न हों, जिससे कानून व्यवस्था नियन्त्रण से बाहर हो जाए। इस प्रकार की कहानियां हमेशा प्राधिकृत स्रोतों से विशेष कर सरकारी प्रवक्ताओं

से ली जाती हैं। इस प्रकार के समाचारों को कवर करने में आकाशवाणी/दूरदर्शन सरकारी प्रवक्ताओं द्वारा प्रयुक्त की गई शब्दावली का ही उपयोग करते हैं। सभी कहानियों के मामले में, कानून और व्यवस्था की स्थिति, चाहे वह पंजाब की से या देश के किसी भी अन्य भाग की से सम्बन्धित सभी कहानियों के मामले में समाचार देने के इन्हीं सिद्धान्तों का अनुकरण किया जाता है। रिमोटिंग के सिद्धान्तों का पालन किया जाता है।

[अनुवाद]

दैतारी इस्पात परियोजना का विकास

7237. **श्री अनादिचरण दास :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दैतारी इस्पात परियोजना के आधारभूत व्यवस्था के विकास पर केन्द्र और उड़ीसा सरकार द्वारा अब तक कितनी राशि व्यय की गई है;

(ख) क्या राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सहायता से संयंत्र के लिए विद्युत सम्बन्धी आवश्यकता की पूर्ति की व्यवस्था कर दी गई है/मंजूर कर दी गई है; और

(ग) चालू वर्ष के लिए कितनी सहायता राशि निर्धारित की गई है तथा इस समय उपलब्ध आधारभूत व्यवस्था तथा इस्पात खान के लिए माल का किस प्रकार सर्वोत्तम उपयोग करने का विचार है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) मार्च, 1986 तक केन्द्र सरकार द्वारा उड़ीसा में दैतारी इस्पात कारखाने के अवस्थापना सम्बन्धी विकास/व्यवस्था के लिए लगभग 532 लाख रुपये की राशि खर्च की गई है। राज्य सरकार द्वारा अवस्थापना सम्बन्धी कार्यों के लिए लगभग 25.5 लाख रुपये की राशि खर्च की गई है।

(ख) राज्य सरकार इस इस्पात कारखाने तथा बम्नीपाल में चार्ज क्रोम संयंत्र, भद्रक में फेरो अलायस कारपोरेशन लि० सहित न्य इकाइयों तथा अन्य विविध उपभोक्ताओं के लिए 132 के० वी० क्षमता के एक उप-स्टेशन की स्थापना कर रही है। इस कारखाने की कितनी आवश्यकता की पूर्ति उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड के ग्रिड से की जाती है।

(ग) 1986-87 के चालू वर्ष के दौरान इस परियोजना के लिए 61 लाख रुपये की धनराशि की व्यवस्था की गई है। पहले से ही उपलब्ध अवस्थापना सुविधाओं तथा इस क्षेत्र में उपलब्ध कच्ची सामग्री के उपयोग के प्रस्ताव पर यथा-समय पर विचार किया जाएगा।

फिल्म और दूरदर्शन संस्थान के निदेशक के पद पर एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को नियुक्त करना

7238. डा० जी० विजयरामा राव
डा० डी० एन० रेड्डी } : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय फिल्म और दूरदर्शन संस्थान के निदेशक के पद पर एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को नियुक्त करने के कारण व्यावसायिक कलाकारों में फैले भारी असन्तोष और रोष की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) क्योंकि भारतीय फिल्म और टेलीजिन संस्थान, जो एक स्वायत्त निकाय है, के निदेशक के पद पर नियुक्ति अभी तक नहीं की गई है और उपयुक्त अधिकारी के चयन की कार्रवाई अभी चल रही है, अतः एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की कथित नियुक्ति के कारण व्यावसायिकों में असन्तोष और रोष का कोई कारण नहीं होना चाहिए।

कृत्रिम पइरेथ्रोइड्स के प्रयोग का कपास की फसल पर प्रभाव

7240. **श्री बी० शोभानाद्रीश्वर राव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृत्रिम पइरेथोइड्स के प्रयोग के कारण कपास की फसल पर अनेक प्रभाव देखने में आए हैं;

(ख) क्या अनेक उन्नत देशों में कृत्रिम पइरेथोइड्स के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है;

(ग) क्या सरकार का विचार अपने देश में भी कृत्रिम पाइरेथ्रोइड्स के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने का है; और यदि हां, तो कब से; और

(घ) यदि नहीं; तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) कृत्रिम पाइरेथ्रोइड्स के विवेकपूर्ण इस्तेमाल से कपास के डोडे के कृमि (बोलवर्म) पर नियंत्रण हो जाने और कपास के बीजों की क्वालिटी में सुधार होने से भारत में कपास की पैदावार काफी बढ़ी है। लेकिन इसके परम्परागत कृमिनाशी दवाइयों से दोगुने प्रभावशाली होने के कारण कृत्रिम पाइरेथ्रोइड्स का छिड़काव केवल 2 से 3 बार तक सीमित रखा जाता है जिसके फलस्वरूप कृमिनाशी दवाइयों के

उपयोग और उनकी लागत में बचत होती है। इसके अलावा, कृत्रिम पाइरेथ्रोइड्स के कारण फसल जल्दी पक जाती है और कपास के फूल समान रूप से खिलते हैं, जिससे कपास में बहुत वृद्धि होती है। लेकिन उनका उपयोग बहुत विवेकपूर्वक और संस्तुत मात्रा तथा अन्तराल में और सम्पर्क एवं व्यवस्थित कृमिनाशी दवाइयों के प्रयोग के बीच-बीच करना होता है ताकि चूषक-कृमि फिर से पैदा न हों।

(ख) जी, नहीं। कृत्रिम पाइरेथ्रोड्इस का उपयोग अमेरिका, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों जैसे कई विकसित देशों में किया जा रहा।

(ग) कृत्रिम पाइरेथ्रोइड्स के उपयोग पर रोक लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) कृत्रिम पाइथ्रोइड्स पर रोक न लगाने के कारण इस प्रकार हैं :—

(1) कृत्रिम पाइरेथ्रोइड्स का उपयोग परंपरागत कृमिनाशी दवाइयों की तुलना में कम मात्रा में किया जाता है जिसके कारण पर्यावरण का दूषण कम होता है;

(2) कृत्रिम पाइरेथ्रोइड्स कपास के डोडे के कृमि (बोलवर्म) पर नियंत्रण के लिए बहुत प्रभावी हैं, जिसके कारण कपास की पैदावार बढ़ती है और कपास के बीज की क्वालिटी में सुधार हो जाता है; और

(3) उनकी "ममलियन" विषाक्तता कम है और जैव-प्रभावकारिता अधिक है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पब्लिक स्कूलों को भूमि की बिक्री

7241. **श्री प्रकाश वी० पाटिल**
प्रो० राम कृष्ण मोरे } : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने एक पब्लिक स्कूल को एक एकड़ भूमि 120 रुपये प्रति वर्ग मीटर के मूल्य पर 6 लाख रुपयों में बेची है;

(ख) इस प्लाट के विकास पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कितनी राशि खर्च की गई; और

(ग) यदि प्लाट खुले बाजार में बेचा जाता तो इसकी क्या कीमत मिलती ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (ग) : तक चूंकि जिस समिति/स्कूल को भूमि आबंटित की गई है उसके नाम आदि तथा इस क्षेत्र के बारे में अन्य ब्यौरे

नहीं बताये गये हैं, इसलिए प्रश्न का विशिष्ट उत्तर नहीं दिया जा सकता है। तथापि, सरकार की नीति के अनुसार, स्कूल के निर्माण.र्थ आबंटित भूमि के लिए 1-4-85 से पूर्व 6 लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से वसूल किया जा रहा था। 1-4-1985 से इस दर को 8 लाख रुपये प्रति एकड़ तक संशोधित किया जा चुका है।

व्यवसाय-जनित रोग का प्रभाव क्षेत्र

7242. **डा० डी० एन० रेड्डी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक श्रमिकों में डर्मेटिटीज सहित, एसबेस्टोसिस, बाइसिनोसिस, नेसिमोकोनिओसिस, सिलिकोसिस जैसे व्यवसायजनित रोग बड़े पैमाने पर हो रहे हैं और यदि हां, तो इन रोगों से पीड़ित लोगों की वार्षिक संख्या क्या है;

(ख) इस स्थिति का सामना करने के लिए क्या निवारात्मक और उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) क्या किसी श्रमिक के अयोग्य हो जाने या मृत्यु हो जाने के मामले में आश्रितों को कोई मुआवजा दिया जाता है और यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है और जिन्हें वास्तव में मुआवजा दिया गया है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) इन बीमारियों के प्रभाव क्षेत्र संबंधी कोई सांख्यिकी सूचना उपलब्ध नहीं है। कारखाना अधिनियम, 1948 की अनुसूची में 22 अधिसूचित बीमारियां सूचीबद्ध है, जिनमें एसबेस्टोसिस, बाइसिनोसिस, सिलिकोसी और डर्मेटिटीज बीमारियां शामिल हैं।

(ख) कारखाना अधिनियम, 1948 का प्रवर्तन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है और कारखाना नियमों से ऐसी बीमारियों से श्रमिकों को रोग ग्रस्त होने से बचाने की व्यवस्था है।

(ग) कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1929 के उपबन्धों के अधीन श्रमिकों को प्रतिकर देय है। ऐसे मामलों के ब्यौरे की कोई सूचना उपलब्ध नहीं है जिनमें पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिकर का भुगतान किया गया था।

गैर सरकारी निर्माणकर्त्ताओं के मामलों का निपटारा करने के लिए न्यायाधिकरण आयोग अथवा न्यायालयों की स्थापना

7243. **श्री रामपूजन पटेल** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार महानगरों में सरकार द्वारा नीलाम की गई भूमि पर बनाये जाने वाले व्यवसायिक केन्द्रों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए गैर-सरकारी निर्माणकर्त्ताओं की सहायता कर रही है;

(ख) क्या सरकार को दुकानों का अत्यधिक बिक्री मूल्य लिए जाने और इन सौदों में अनुचित शर्तें लगाये जानने की जानकारी है जिनके फलस्वरूप निम्न/मध्यम वर्गीय खरीददार फंस जाते हैं और उन्हें न्यायालयों में जाना पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा कुछ विशेष न्यायाधिकरणों, न्यायालयों और आयोग स्थापित करने सहित गरीब और मध्यम वर्गीय निवेशकर्ताओं को बचाने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए हैं अथवा उठाये जाने का विचार है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) आवश्यक सामग्री एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उड़ीसा की घटनाओं के परिणामस्वरूप प्रेस और पत्रकारों की स्वतन्त्रता को जोखिम

7244. **श्री राजकुमार राय**
श्री चित्त महाता } **क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रेस परिषद् ने उड़ीसा की घटनाओं पर, जिनके परिणामस्वरूप प्रेस और पत्रकारों की स्वतन्त्रता जोखिम में पड़ गई है, गहरी चिंता व्यक्त की है;

(ख) क्या प्रेस परिषद् ने यह आरोप लगाया है कि सरकार द्वारा विज्ञापन जारी करने के मामले में दैनिक समाचार पत्र "समाज" के साथ भेद-भाव बरता जाता है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार प्रेस की किस प्रकार सहायता करने का है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय प्रेस परिषद् के ध्यान में यह बात लाई गई थी कि विज्ञापन देने के मामले में उड़ीसा के एक दैनिक समाचार पत्र "समाज" के साथ राज्य सरकार द्वारा भेदभाव बरता गया था। तथापि, राज्य सरकार द्वारा दिए गए इस आश्वासन को देखते हुए कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि राज्य में प्रेस की स्वतन्त्रता पूरी तरह बनी रहे तथा राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाएगी कि राज्य में किसी भी पत्रकार तथा विशेषकर, "समाज" से सम्बद्ध पत्रकार को अपने उचित कर्त्तव्यों का निर्वाह करने में किसी भी तरह की असुविधा न हो, परिषद् ने मामले में कोई आगे कार्रवाई न करने का निर्णय लिया।

(ग) प्रेस की स्वतन्त्रता के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता के कारण, सरकार गैर-सहायता प्राप्त प्रेस के संवर्धन के पक्ष में है। सरकारी विज्ञापनों को इस विषय से संबंधित नीति के अनुसार जारी किया जाता है। तथापि, यदि सरकार के ध्यान में भेदभाव का कोई मामला लाया जाए तो उपयुक्त कार्रवाई की जायेगी।

आधुनिक इस्पात प्रौद्योगिकी का आयात

7245. **श्री पी० एम० सईद** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात की किस्म में सुधार करने और उसे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक लाने के लिए इंजीनियरिंग उद्योग के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी का आयात किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र के उद्योगों ने इस्पात की किस्म को जापान के स्तर तक अधुनातन बना दिया है;

(ग) क्या स्वदेशी प्रौद्योगिकी ने तांबा, जिंक आदि जैसे अन्य धात्विक आदानों की किस्म अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक बढ़ा दी है; और

(घ) भारतीय प्रौद्योगिकी को विशेष रूप से हल्के मोटर-वाहनों के निर्माण के उपयोग में लाने के लिए इस्पात की किस्म में सुधार करने के लिए अनुमानत: कितना समय लग जाने की सम्भावना है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) इंजीनियरी उद्योग प्रौद्योगिकी का लगातार आयात करता है। इस्पात की क्वालिटी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इंजीनियरी उद्योग तथा इस्पात के घरेलू उत्पादों के बीच सतत् अन्तर-कार्रवाई भी की जाती है।

"सेल" ने एन० के० के० द्वारा विकसित अनुभव तथा विशेषज्ञता के आधार पर दुर्गापुर, राउरकेला तथा "इस्को" के प्रौद्योगिकीय उन्नयन तथा आधुनिकीकरण के लिए जापान की एन० के० के० के साथ एक सहयोग समझौता किया है। इस समझौते से इस्पात की क्वालिटी में सुधार करने में मदद मिलने की सम्भावना है।

(ग) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) आशा है "सेल" के इस्पात कारखाने अगले दो से तीन वर्षों में हल्के मोटर वाहनों के लिए चादर उत्पादों तथा फोर्जिंग की क्वालिटी में अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सुधार करने में सक्षम होंगे।

दिल्ली में जनसंख्या का घनत्व

7246. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली (डी० आई० जैड०) दिल्ली छावनी और सिविल लाइन क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या यह उपाय दिल्ली मास्टर प्लान, 1962 को अन्तिम रूप दिए जाने के तुरन्त बाद किए गए थे; और

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिए आस-पास के गांवों के लोगों को विस्थापित करना अति आवश्यक था ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) तथा (ख) जैसा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है, कि नई दिल्ली की (डी० आई० जैड०), दिल्ली छावनी तथा सिविल लाइंस क्षेत्र में घनत्व की वृद्धि जैसा कि दिल्ली की बृहत योजना, 1962 में बताया गया है, का विभिन्न अभिकरणों द्वारा इन क्षेत्रों में परियोजनाओं का कार्यान्वयन करते समय अनुपालन किया जा रहा है। जहां तक दिल्ली छावनी क्षेत्र का सम्बन्ध है, रक्षा प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई योजनाओं के अनुसार योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाता है। दिल्ली छावनी बोर्ड ने सूचित किया है कि छावनी के सिविल क्षेत्रों में जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि करने के लिए उन्होंने कोई प्रयास नहीं किए हैं क्योंकि इस क्षेत्र में भूमि सरकारी है।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि आस-पास के गांवों के लोगों को विस्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है तथापि, दिल्ली की बढ़ती हुई जनसंख्या को समायोजित करने और इस जनसंख्या को मूलभूत आवश्यकताएं प्रदान करने के लिए शहरी सीमा में विस्तार करने पर सरकार को विचार करना है।

उड़ीसा में ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पर्क सड़कें

7247. **श्री अनादि चरण दास** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "नदियों पर सम्पर्क सड़कों/पुलों" तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पर्क सड़कों, विशेषकर जिन क्षेत्रों में कमजोर वर्ग के लोग रहते हों, की व्यवस्था करने के लिए सरकार कितनी सहायता देती है;

(ख) उड़ीसा में ऐसी सड़कों की संख्या कितनी है तथा कहां-कहां है जहां ऐसा कार्य आरम्भ किये जाने अथवा इसके लिए सहायता दिये जाने का विचार है;

(ग) कुआखिया में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 को जाजपुर (बरस्ता बरूआन हरिपुर) से जोड़ने वाली सम्पर्क सड़क पर दो ऊंचे नदी पुलों की व्यवस्था करने तथा उक्त सम्पर्क सड़क का निर्माण करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है/किये जाने का विचार है; और

(घ) क्या राज्य सरकार को उपर्युक्त परियोजना के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार करने तथा उसके लिए सामग्री जुटाने में सहायता दी जा रही है ?

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) ग्रामीण सम्पर्क सड़कों/नदियों पर पुलों के निर्माण

के कार्य मुख्यतः राज्य योजना में किए जाते हैं। तथापि, इस प्रकार के कार्य केन्द्र द्वारा प्रायोजित ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (रोजगार सृजन हेतु एक कार्यक्रम) तथा आदिवासी क्षेत्रों में सड़कों का विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भी आरम्भ किए जा सकते हैं। इन दोनों योजनाओं पर होने वाले व्यय को पूर्णतया भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

(ख) उड़ीसा के सभी जिलों में 2305.90 कि० मी० सड़कों के निर्माण वाले 458 निर्माण कार्य ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत मंजूर किए गए हैं जबकि जनजाति क्षेत्रों में सड़कों के विकास की योजना के अन्तर्गत दो सड़क निर्माण कार्य—(1) पुंकोन से संसारापल्ली तक (2) कुली से कोरापुट जिले के आदिवासी क्षेत्रों से गुजरती हुई आन्ध्र प्रदेश सीमा तक—मंजूर किए गए हैं।

(ग) और (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार ग्रामीण विकास विभाग में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

दिल्ली जल प्रदाय एवं मल व्ययन संस्थान में कथित अनियमितताएं

7248. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली जल प्रदाय एवं जल व्ययन संस्थान में अनियमितताओं का कोई मामला जिसमें बहुत बड़ी राशि अन्तःनिहित है, प्रकाश में आया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कितनी राशि अन्तर्निहित है;

(ग) क्या इस मामले की जांच की गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

शहरी विकास राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) 15-2-1986 को लगभग 3.59 लाख रुपये की सामग्री ले जानी थी तथा इन्हें मांगपत्र पर ट्रकों में ले जाया गया था, जिसे उन मण्डलीय कार्यालय के मांगपत्र पुस्तिका से निकाला गया था। तथापि, सामग्री को भण्डार से हटाने की अनुमति नहीं दी गई थी तथा तत्काल जांच शुरू की गई थी। इस समय सही-सही राशि देना सम्भव नहीं है।

(ग) तथा (घ) इस मामले को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंप दिया गया, जो इसकी जांच कर रहा है। कुछ संदिग्ध कर्मचारियों को भी निलम्बित कर दिया गया है।

[अनुवाद]

बम्बई में सासों डॉक का विस्तार कार्य

7249. **श्री डी० बी० पाटिल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई पत्तन पर सासों डॉक का विस्तार कार्य शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस डॉक पर बड़ी संख्या में आने वाली मत्स्य पकड़ने की नौकाओं के ठहरने के लिये क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सैसून मत्स्यन बन्दरगाह परियोजना पर जुलाई, 1979 में कार्य शुरू हुआ था। लेकिन, उसके कुछ समय बाद मत्स्यन बन्दरगाह के निर्माण के विरुद्ध स्थानीय लोगों के आन्दोलन के कारण कार्य बंद कर दिया गया। उसके बाद अनुबंध से संबंधित विवाद के कारण कार्य की प्रगति अब तक रुकी हुई है।

(ख) बम्बई पत्तन न्यास ने अनुमान लगाया है कि मध्यस्था के सम्भावित अधिनिर्णय के कार्यान्वयन के माध्यम से प्रतिपूर्ति मिलने के बाद ठेकेदार कार्य को पूरा करने के लिए लगभग 18 मास का समय लगायेगा।

(ग) कार्य शुरू करने में विलम्ब अनुबंध संबंधी विवाद के कारण हो रहा है।

(घ) इस समय, मत्स्यन जलयान सैसून गोदी पर सीमित मौजूदा सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं।

वोट क्लब, नई दिल्ली में नौका-चालन सेवाओं का प्रबन्ध

7250. **श्री अनूप चन्द शाह** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को वोट क्लब, नई दिल्ली में नौका चालन के प्रबन्ध में घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो घाटे को रोकने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार का विचार वोट क्लब, नई दिल्ली में नौका चालन के प्रबन्ध को वार्षिक ठेके के आधार पर किसी गैर सरकारी उद्यमी को देने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग वोट क्लब, नई दिल्ली में नौका चालन का प्रबन्ध नहीं संभाल रहा है तथा इसलिए उनको हानि होने का प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) तथा (घ) ये सेवाएं एक स्वैच्छिक संगठन बाल सहयोग द्वारा प्रदान की जाती हैं जो कि अपनी गतिविधियां जारी रखने के लिए समिति पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है।

वोट क्लब, नई दिल्ली के तालाबों के पानी को साफ करना

7251. **श्री अनूप चन्द शाह** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वोट क्लब, नई दिल्ली के तालाबों का पानी हानिकारक है, क्योंकि इससे बदबू आती है;

(ख) यदि हां, तो उस पानी को प्रतिवर्ष साफ करने के स्थान पर प्रति मास साफ करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) दुर्गन्ध को रोकने के लिए वोट क्लब पर नहरों का पानी नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा समय-समय पर बदल दिया जाता है।

(ख) जब आवश्यकता होती है प्राय: पानी को साफ किया जाता तथा उसे बदल दिया जाता है।

सरकारी कारों के उपयोग के बारे में धारावाहिक कार्यक्रम 'रजनी' का प्रसारण न करना

7252. **श्री सुभाष यादव**
श्री एम० रघुमा रेड्डी } : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 मार्च, 1986 के 'नवभारत टाइम्स' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें बताया गया है कि दिल्ली दूरदर्शन द्वारा सरकारी कारों के उपयोग के बारे में धारावाहिक कार्यक्रम 'रजनी' का प्रसारण नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) जी, हां। एक विवरण संलग्न है।

विवरण

16 मार्च, 1986 को टेलीकास्ट करने के लिए निर्धारित 'रजनी' कार्यक्रम में सरकारी अधिकारियों द्वारा सरकारी वाहनों के दुरुपयोग के विषय से सम्बन्धित था। कार्यक्रम में दिखाए गए वाहनों में तीन विशिष्ट विभागों के नाम पट्ट थे। यह महसूस किया गया कि जबकि ऐसी समस्या किसी भी विभाग में हो सकती है तीन विशिष्ट विभागों पर बल को उनके साथ भेदभाव और उनके लिए हानिकारक समझा जा सकता है, क्योंकि उनको अलग सा कर दिया गया है। इसके अलावा कतिपय वाहनों पर विशिष्ट मोनोग्रामों जिनमें उनके मेक और निर्माता का नाम दिया हुआ था, को भी तेज फोकस में दिखाया गया था। इन विशिष्ट मेकों के प्रचार के रूप में समझा जा सकता था। इन्हीं कारणों से इस कार्यक्रम के निर्माता को उपरोक्त टिप्पणियों के अनुसार कार्यक्रम में संशोधन करने की सलाह दी गई थी। आवश्यक संशोधन कर दिए गए हैं और इस कार्यक्रम को टेलीकास्ट करने का कार्यक्रम पुनः बनाया गया है : इस कार्यक्रम में भूल विषय को अर्थात् अधिकारियों द्वारा सरकारी वाहनों का दुरुपयोग बनाए रखा गया है।

औद्योगिक एककों में शिक्षु अधिनियम का कार्यान्वित न किया जाना

7254. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह**
श्री आर० एस० माने
श्री एन० टोम्बी सिंह : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक एककों में शिक्षु अधिनियम 1961 को ठीक तरह से कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप तकनीकी और व्यावसायिक विद्यालयों से उत्तीर्ण होकर निकलने वाले व्यक्तियों में निराशा व्याप्त है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, नहीं।

तकनीकी तथा व्यावसायिक विद्यालयों से उत्तीर्ण होकर निकलने वाले विद्यार्थियों के लिए शिक्षुता प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए इस समय शिक्षु अधिनियम, 1961 में कोई प्रावधान नहीं है।

(ख) शिक्षु अधिनियम, 1961 में संशोधन करके 10+2 व्यावसायिक पद्धति से उत्तीर्ण होकर निकलने वाले विद्यार्थियों को शिक्षुता प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 'तकनीशियन (व्यावसायिक) शिक्षुओं' के रूप में ज्ञात शिक्षुओं की अतिरिक्त श्रेणी शामिल करने का प्रस्ताव है।

व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड

7255. **डा० जी० विजय रामा राव** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार व्यावसायिक स्वास्थ्य और कर्मचारियों की सुरक्षा के सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड स्थापित करने के लिए उपयुक्त कानून बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या प्रस्तावित बोर्ड में कर्मचारियों को प्रभावशाली प्रतिनिधित्व दिया जायेगा और क्या इस कार्य में स्वैच्छिक संगठनों को शामिल किया जाएगा ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

सीमेंट के बोरों पर स्पष्ट दिखाई देने वाले लेबल लगाना

7256. **श्री बी० के० गढवी** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और दिल्ली विकास प्राधिकरण सीमेंट की खुले बाजार में बिक्री की जा रही है; और

(ख) क्या सरकार इस प्रकार के सभी सरकारी निकायों के सीमेंट के बोरों पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले ऐसे लेबल लगाना चाहती है, जिससे यह पता चले कि सीमेंट के वे बोरे सरकारी हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) तथा (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दूरदर्शन के कार्यक्रमों को सुधारने के उपाय

7257. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन के कार्यक्रमों में सुधार और विविधता लाने के उपाय सुझाने के लिए 22 मार्च, 1986 को नई दिल्ली में पत्रकारों, कलाकारों और कला समीक्षकों की एक बैठक आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो दूरदर्शन के वर्तमान कार्यकरण की क्या मुख्य आलोचना की गई है;

(ग) दूरदर्शन के वर्तमान कार्यक्रमों में सुधार लाने के लिए क्या विशेष सुझाव दिए गए थे; और

(घ) क्या सरकार ने सुझाव स्वीकार कर लिए हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां। नामीडिया फाउंडेशन के तत्वावधान में दिल्ली में 22 मार्च, 1986 से "टेलीविजन टू डे एण्ड टू मारो" पर एक त्रि-दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। माध्यम गतिविधियों में रुचि रखने वाले तथा उनसे सम्बद्ध विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों (कुछ पत्रकारों सहित) को इसकी कार्यवाहियों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था।

(ख) रिपोर्टों के अनुसार, दूरदर्शन के कार्यकरण के विभिन्न पहलुओं, कार्यक्रम गतिविधियों, अड़चनों और समस्याओं, आदि पर स्वतंत्र और स्पष्ट चर्चा हुई थी।

(ग) राष्ट्रीय सम्मेलन के कोई विशिष्ट सुझाव सरकार को प्राप्त नहीं हुए हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

फसल बीमा दावों का भुगतान

7258. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक**
श्री सुभाष यादव } : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 अप्रैल, 1986 से किसानों को नये ऋण दिए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो साधारण बीमा कम्पनी द्वारा दावों का भुगतान न किये जाने के कारण किसानों को अपनी आगामी फसल बोने के लिए नये ऋण लेने में कठिनाई होगी;

(ग) यदि नहीं, तो और उसके क्या कारण हैं; और

(घ) साधारण बीमा कम्पनी द्वारा किसानों के दावों का शीघ्र भुगतान किए जाने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) गुजरात जैसे कुछ राज्यों में बहुत अधिक दावे किए गए और इनकी जांच की गई है। इन दावों का निपटान नहीं किया गया है। गुजरात राज्य सहकारी बैंक के अनुरोध पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने उसे पहले ही यह सलाह दे दी है कि वह ऐसे क्षेत्रों में अदायगी की निर्धारित तिथि की अवधि बढ़ाये। यह भारतीय सामान्य बीमा निगम द्वारा दावों के निपटान में सहायता करने और ऋण की बकाया धनराशि के बदलने हेतु औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए किया गया था। इस प्रक्रिया में प्रभावित किसान नए ऋण के पात्र होंगे।

(घ) भारतीय सामान्य बीमा निगम ने छः राज्यों में किसानों के दावों का पहले ही निपटान कर दिया है और लम्बित दावों के शीघ्र निपटान के लिए कार्यवाही शुरू कर दी है।

कृषि के क्षेत्र में सुधार

7259. **श्री सुभाष यादव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारे देश की कुल राष्ट्रीय आय का चालीस प्रतिशत भाग कृषि से प्राप्त होता है और 75 प्रतिशत लोग केवल कृषि से अपना जीवकोपार्जन करते हैं, कृषि के क्षेत्र में भारत का स्थान ऊंचा उठाने के लिए केन्द्रीय सरकार का क्या उपाय करने का विचार है; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) कृषि के क्षेत्र में भारत का स्थान ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :—

(1) सिंचित क्षेत्रों में उत्पादकता को अधिकतम बढ़ाना;

(2) तकनीकी, बीज, उर्वरकों, उपस्करों, पौध संरक्षण रसायनों, ऋण, आदि जैसे कृषि आदानों की ठीक समय पर सुगमता से पर्याप्त आपूर्ति करना;

(3) अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम के तहत क्षेत्र बढ़ाना;

(4) पनधारा प्रबन्ध, बीज एवं उर्वरक ड्रिल के उपयोग, उर्वरक-ड्रिलों के अधिक उपयोग, उर्वरक एवं अल्पकालीन किस्मों के बीजों के उपयोग तथा मोटे अनाजों, दलहनों और तिलहनों को खेती के जरिए बारानी खेती पर अधिक ध्यान दिया जाना;

(5) प्रजनक बीज, आधारी बीज और प्रमाणीकृत बीज जैसे विभिन्न श्रेणियों के बीजों का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन करना; ताकि अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम के तहत लक्षित क्षेत्र कवर किया जा सके;

(6) विभिन्न फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्षमता वाले जिलों में क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाना;

(7) समेकित पौध संरक्षण उपाय अपनाना;

(8) दोहरी, बहु-फसली पद्धति के माध्यम से सस्य सघनता बढ़ाना तथा अन्तःफसली पद्धति अपनाना;

(9) किसानों को विभिन्न फसलों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना और बुवाई के मौसम से पहले उनकी घोषणा करना और इन मूल्यों पर जिंसों की खरीद के लिए समर्थन कार्य भी करना; और

(10) अनुसंधान प्रयासों को तेज करना, ताकि अधिक-से-अधिक किसानों को नयी प्रौद्योगिकी से लाभ मिल सके और सस्य पद्धति तथा क्षेत्रों में इन अनुसंधान प्रयासों का लाभ उठाया जा सके।

कोचीन में प्रसारण केन्द्र

7260. **श्री टी० बशीर** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में कोचीन में एक प्रसारण केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिए कोई भूमि अर्जित की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो कब तक भूमि अर्जित कर ली जायेगी; और

(घ) इस केन्द्र में प्रसारण कब तक आरम्भ होने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां। यह 2×3 किलोवाट ट्रांसमीटरों के साथ एफ० एम० स्टेशन होगा;

(ख) और (ग) भूमि का अभी अधिग्रहण नहीं किया गया है। तथापि, स्थान चुन लिया गया है तथा राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह स्थान को आकाशवाणी को शीघ्र हस्तांतरित कर दे।

(घ) कोचीन में आकाशवाणी केन्द्र के सातवीं योजना के अन्तिम वर्ष के दौरान तैयार हो जाने की उम्मीद है।

दिल्ली में सहकारी गृह-निर्माण समितियों द्वारा मकानों का निर्माण

7261. **श्री टी० बशीर**
श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर } : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितनी सहकारी गृह-निर्माण समितियां हैं, तथा उनके पंजीकरण की तारीखें क्या हैं;

(ख) उनमें से कितनी सहकारी ग्रुप हाउसिंग (सामूहिक गृह-निर्माण) समितियां हैं;

(ग) प्रत्येक श्रेणी की कितनी सहकारी समितियों ने मकानों का निर्माण किया है;

(घ) किन-किन सहकारी समितियों ने मकानों का निर्माण नहीं किया है, इसके क्या कारण है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये समितियां अविलम्ब अपना लक्ष्य प्राप्त करें, केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं या उठाए जाने का विचार है;

(ङ) क्या सरकार इस प्रकार से दोषी सभी समितियों के कार्यों की जांच करने के लिए समितियों के पंजीयक से कहेगी और दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक प्रशासक नियुक्त करने हेतु कार्यवाही करेगी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ङ) तक : सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड द्वारा उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने हेतु प्रस्तावित उपाय

7262. **श्री बनवारी लाला पुरोहित** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड का अपने एककों में उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है;

(ख) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान महाराष्ट्र में और उर्वरक एकक स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) 1983-84, 1984-85 तथा 1985-86 के दौरान नेशनल फर्टिलाईजर लि० का उत्पादन निष्पादन प्रमशः 4.98, 5.01 तथा 5.57 लाख मी० टन नाइट्रोजन था। उत्पादन स्तर में और सुधार लाने के लिए एन० एफ० एल० निम्न कदम उठाने का प्रस्ताव रखता है :—

(1) भटिण्डा तथा पानीपत एककों में कैप्टिव पावर संयंत्रों की स्थापना।

(2) नांगल स्थित पुराने अमोनिया संयंत्र का आधुनिकीकरण।

(3) भटिण्डा तथा पानीपत एककों में अतिरिक्त अमोनिया भण्डारण।

(4) अपने भटिण्डा एवं पानीपत एककों में अतिरिक्त जल शीतलन सुविधाएं।

(ख) एवं (ग) : नए मुख्य उर्वरक संयंत्रों, जिन से संबद्ध प्रारम्भण कार्य 7 योजनावधि के दौरान शुरू किया जाना चाहिए, की संख्या तथा उनमें स्थान के बारे में अभी निर्णय नहीं लिया गया है। तथापि महाराष्ट्र के जलगांव जिले में एक एस० एस० पी० संयंत्र (10,000 टन प्रति वर्ष $पी_2 ओ_5$) की स्थापना के लिए सितम्बर, 1985 में एक आशयपत्र जारी किया गया है।

किसानों को मुआवजे की अदायगी

7263. **श्री मोहम्मद अयूब खां** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खेतड़ी ताम्बा परियोजना की खेतड़ी नगर कालोनी बनाने के लिए किसानों से अधिग्रहीत की गई भूमि के मुआवजे की अदायगी से सम्बन्धित कितने मामले न्यायालयों में लम्बित पड़े हैं; और

(ख) प्रत्येक मामले में अभी कितनी धनराशि का भुगतान किया जाना शेष है ?

खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) तथा (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियंताओं की पदोन्नति

7264. **श्री राम पूजन पटेल** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कितने कनिष्ठ अभियन्ता पिछले कई वर्षों से सहायक अभियन्ता के पद पर तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे हैं;

(ख) विभाग द्वारा अब तक उनकी नियमित पदोन्नति न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का सहायक अभियन्ता के रूप में उनकी पदोन्नति को निकट भविष्य में नियमित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) 608

(ख) तदर्थ पदोन्नतियां 1973 से की गई थी चूंकि पदोन्नति नीति की पुनरीक्षा की जा रही थी । तथापि, तदर्थ पदोन्नतियों को नियमित नहीं किया जा सका क्योंकि संशोधित नियमों को लागू करने के विरुद्ध कुछ अधिकारियों ने 1978 में दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की थी । याचिकादाताओं की मांग को पहले ही मान लिया गया है और उन्होंने न्यायालय से मामले को वापिस ले लिया है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) यथाशीघ्र ।

हैदराबाद दूरदर्शन के लिए सूक्ष्म तरंग की सुविधा

7265. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लोकहित के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण करने के उद्देश्य से हैदराबाद दूरदर्शन को सूक्ष्म तरंग की सुविधा उपलब्ध कराने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) महत्वपूर्ण बाहरी घटनाओं के सजीव कवरेज के लिए, दूरदर्शन केन्द्र, हैदराबाद में एक रंगीन बाहरी प्रसारण (ओ० बी०) वैन का प्रावधान दूरदर्शन की सातवीं योजना में शामिल किया गया है। सातवीं योजना के दौरान हैदराबाद में उपग्रह अपलिंक की भी व्यवस्था की गई है ताकि राज्य के सभी ट्रांसमीटर उपग्रहों के इनसेट-2 समूह में समर्पित ट्रांसपोंडर का उपयोग करते हुए हैदराबाद के कार्यक्रमों को रिले कर सकें।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

करीमनगर, आन्ध्र प्रदेश में एक कम्पनी को राज-सहायता

7266. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जिला करीमनगर (आन्ध्र प्रदेश) में हजूराबाद स्थित एक कम्पनी क निर्धन किसानों के हितार्थ कोई राज-सहायता मंजूर की है;

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि मंजूर की गई; और

(ग) क्या सरकार को उक्त कम्पनी के लेखाओं में घोर अनियमितताओं और उसमें व्याप्त कुप्रबन्ध के बारे में जानकारी है, यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

चन्द्रपुर (महाराष्ट्र) में केन्द्रीय कर्मशाला की स्थापना

7267. **श्री डी० बी० पाटिल** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र राज्य में चन्द्रपुर में खुले मुहाने वाली खानों और भूमिगत यंत्रीकृत खानों के लिए खनन उपकरणों की मरम्मत करने हेतु एक केन्द्रीय कर्मशाला स्थापित की जायेगी;

(ख) यदि हां, तो इस कर्मशाला में कितने व्यक्तियों को रोजगार मिल सकेगा;

(ग) क्या इस परियोजना में कुशलता वाले कार्यों के लिए बनाये जाने वाले पदों पर नियुक्ति करने के लिए स्थानीय व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने की योजना शामिल की जायेगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ.) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में मुनस्यारी, धारचूला और डीडीहाट खण्डों के लिए टेलीविजन सुविधा

7268. श्री हरीश रावत : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में भारत चीन-नेपाल सीमा से लगे मुनस्यारी, धारचूला और डीडीहाट विकास खण्डों में दूरदर्शन द्वारा प्रसारित कार्यक्रम देखे नहीं जा सकते;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि इन विकास खण्डों में पर्वतीय और आदिवासी लोगों की बहुलता है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की नीति के अनुसरण में इन क्षेत्रों को टेलीविजन की उपलब्ध कराने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार द्वारा उठाये जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) अल्प शक्ति (100 वाट) वाला एक दूरदर्शन ट्रांसमीटर पिथौरागढ़ में पहले ही कार्य कर रहा है। तथापि, संसाधनों की कमी के कारण सातवीं योजना अवधि के दौरान जिले में दूरदर्शन सेवा का और विस्तार करना संभव नहीं है। उल्लिखित क्षेत्रों सहित पिथौरागढ़ जिले के कवर न हुए भागों में दूरदर्शन सेवा का विस्तार करना दूरदर्शन के विस्तार की भावी योजनाओं के अंतर्गत संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

दूरदर्शन पर दिखाई जाने वाली फिल्मों का चयन

7269. श्री हुसैन दलवाई : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन पर दिखाई जाने वाली फिल्मों के चयन सम्बन्धी निर्देश क्या हैं;

(ख) क्या दूरदर्शन के लिए फिल्मों का चुनाव करते समय इन दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाता है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल): (क) दूरदर्शन पर टेलीकास्ट करने के लिए फीचर फिल्मों का चयन निम्नलिखित मानदण्डों के आधार पर किया जाता है :

(1) अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय पुरस्कार विजेता;

(2) विषयात्मक महत्व

(3) सिनेमेटिक महत्व

(4) मनोरंजन महत्व

(5) निर्माण वर्ष

(6) परिवार के साथ देखने के लिए उपयुक्तता ।

संबंधित भाषाओं की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता उत्कृष्ट फिल्में भी दूरदर्शन के राष्ट्रीय संजाल पर टेलिकास्ट करने हेतु विचार किए जाने के लिए पात्र हैं ।

(ख) जी हां ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

रोक फास्फेट का बिक्री पर राजसहायता की योजना

7270. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1976 में रोक फास्फेट का बिक्री पर राज सहायता देने की एक योजना शुरू की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या पश्चिमी बंगाल खनिज विकास और प्रशिक्षण निगम ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि रोक फास्फेट की बिक्री पर राज सहायता भूतलक्षी प्रभाव से, अर्थात् 1 अप्रैल 1986 से मंजूर की जाये;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उर्वरक उद्योग समन्वय समिति ने सिफारिश की है कि निगम को रोक फास्फेट की बिक्री पर खरीफ की फसल 1981 से 200 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से राज सहायता मंजूर की जाए; और

(ङ.) यदि हां, तो क्या सरकार का भूतलक्षी प्रभाव से अर्थात 1 अप्रैल, 1981 से राज सहायता मंजूर करने का विचार है ?

उर्वरक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवरसिंह) :(क) 1976 में, सरकार मे फास्फेटिक उर्वरकों पर आर्थिक सहायता की योजना आरम्भ की जिसमें मसूरी राक फास्फेट शामिल था जिसे सीधे उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था।

(ख) और (ग) पश्चिम बंगाल मिनरल डेवलपमेंट एण्ड ट्रेडिंग कार्पोरेशन अनुरोध कर रही है कि उन्हें पुरुलिया राक फास्फेट पर आर्थिक सहायता कमसे कम खरीफ, 1981 से स्वीकृत की जाए जिस अवधि के बाद उनका नियमित इ०सी०ए० आबंटन किए जा रहे हैं।

(घ) जी हां।

(ङ.) आर्थिक सहायता की स्वीकृति के लिए दो मूल शर्तों को पूरा करना पड़ता है । एक तो यह है कि उर्वरक का बिक्री मूल्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए और दूसरी यह कि उचित इ०सी०ए० आबंटन होना चाहिए जिसके अधीन सामग्री को उर्वरक के रूप में वितरित किया जाता है। पुरुलिया राक फास्फेट के मामले मे बाद वाली शर्त खरीफ 1981 से पूर्ण की गयी परन्तु पहली शर्त केवल 9 फरवरी, 1984 से पूर्ण की गई। तदनुसार, पुरुलिया राक फास्फेट पर आर्थिक सहायता का भुगतान केवल 9 फरवरी 1984 से किया जा रहा है।

भारतीय चारा निगम की स्थापना

7271. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या कृषि, मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय चारा निगम की स्थापना करने का है ताकि पशुओं को चारा उपलब्ध कराया जा सके और राज्यों की विशेष रूप से सूखे से प्रभावित राज्यों की चारा सम्बन्धी सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) को दृष्टि में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

शास्त्रीय संगीत में प्रतिभावान किशोर लड़के-लड़कियों का चयन

7272. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने राष्ट्र के लिए संगीत में भारतीय शास्त्रीय घरानों की परम्परा सुरक्षित रखने की दृष्टि से गजल, भजन और शास्त्रीय संगीत गायकों और सरोद तथा सितार वादकों का पता लगाने के लिए प्रतिभावान किशोर लड़के-लड़कियों की खोज करने हेतु कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या ऐसा कोई प्रस्ताव आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के विचाराधीन है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी०एन० गाडगिल) : (क) जी, हां।

(ख) ब्योरा संलग्न विवरण में देखा जाए ।

(ग) प्रश्न ही उठता ।

विवरण

नई प्रतिभाओं का पता करना आकाशवाणी की एक सतत प्रक्रिया और नियमित कार्य है । नई प्रतिभाओं का पता निम्नलिखित ढंग से किया जाता है—

1. बाल कार्यक्रमों के लिए उन बाल कलाकारों, जो शास्त्रीय, सुगम शास्त्रीय संगीत, गायन अथवा वाद्य, में अच्छे हैं, को उन कार्यक्रमों में वैयक्तिक कलाकारों के रूप में भाग लेने के लिए आमन्त्रित किया जा रहा है । कभी-कभी इन कार्यक्रमों में दो अथवा तीन बच्चों की छोटी मंडलियों को शामिल किया जाता है।

2. युवा कार्यक्रम (युववाणी) में, युवा कलाकारों का, इन कार्यक्रमों में प्रसारण के लिए अवसर देने सम्बन्धी मानकों में छूट दे कर आकलन किया जाता है

3. 16 से 24 वर्ष के आयु-वर्ग युवकों के लिए संगीत की विभिन्न श्रेणियों में दो अवस्थाओं अर्थात् प्राथमिक और अन्तिम, में एक वार्षिक संगीत प्रतियोगिता होती हैं। उन लोगों, जो केवल प्राथमिक अवस्था पर ही उत्तीर्ण होते हैं, को भी युववाणी कार्यक्रम में प्रसारण हेतु अवसर दिया जाता है । पूरे अर्हता प्राप्त व्यक्तियों को आकाशवाणी पर नियमित प्रसारण के लिए वर्गीकृत किया जाता है और उन्हें सामान्य रूप से कार्यक्रम दिए जाते हैं ।

4. आकाशवाणी के नियमित स्वर परीक्षणों का आयोजन कर के 16 से ऊपर के आयु वर्ग के किशोर लड़के और लड़कियों में भी प्रतिभा की खोज की जाती है।

2. दूरदर्शन में संगीत कलाकारों के वर्गीकरण की अलग प्रणाली नहीं है और वह आकाशवाणी द्वारा चुने गए और वर्गीकृत किए गए कलाकारों को ही बुक करता है। तथापि दूरदर्शन केन्द्र उदीयमान युवा कलाकारों को भी उनके कार्यनिष्पादन की गुणवत्ता का पता कर लेने के बाद अपने युवा कार्यक्रमों में समय-समय पर बुक करते हैं। युवा वर्ष के दौरान दूरदर्शन केन्द्रों ने युवा कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए आमंत्रित दर्शकों के समक्ष विशेष कार्यक्रम आयोजित किए।

कम लागत वाले मकानों का निर्माण

7273. **डा० गौरी शंकर राजहंस** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा कुछ कम लागत की आवास परियोजनाओं को परीक्षण के तौर पर हाल ही में अपने अधीन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा वे किन-किन स्थानों पर स्थित हैं;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी परियोजनाओं को अपने हाथ में लेने से पहले लागत तथा सामग्री की खपत कम करने के बारे में कोई अध्ययन किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) राष्ट्रीय भवन (निर्माण) संगठन प्रयोगात्मक आवास योजना के नाम से जानी जाने वाली एक योजना पहले ही चला रहा है। इस योजना के अन्तर्गत 43 निम्न लागत आवास परियोजनायें या तो पहले ही पूर्ण हो गई हैं या निष्पादनाधीन हैं।

(ख) परियोजनाओं के ब्यौरों का विवरण संलग्न है।

(ग) ऐसी किसी भी परियोजना को आरम्भ करने से पूर्व लागत में कमी तथा सामग्री की खपत में किफायत के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन "प्रयोगात्मक आवास मूल्यांकन समिति" के नाम से गठित एक समिति द्वारा किया जाता है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

प्रयोगात्मक आवास योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय भवन (निर्माण) संगठन द्वारा आरम्भ की गई परियोजनाओं की सूची

क्रम सं० कार्य/प्रवर्तित प्राधिकरण का नाम

1. भोपाल की राजधानी परियोजना के अन्तर्गत चौकीदारों के लिए 2 क्वार्टरों का निर्माण/सार्वजनिक निर्माण विभाग (बी०ओ०आर०) मध्य प्रदेश, भोपाल ।

2. पटियाला में सहायक प्रोफेसरों के लिए 10 क्वार्टरों का निर्माण/थापर प्रौद्योगिकी संस्थान ।

3. दिल्ली नगर निगम की मलिनबस्ती उन्मूलन योजना के अन्तर्गत पूर्वचलित 992 मकानों का निर्माण/दिल्ली नगर निगम, दिल्ली तथा हिन्दुस्तान प्रोफैब लिमिटेड, पहले हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्ट्री, नई दिल्ली ।

4. रुड़की में 16 बिस्तर वाले एक होस्टल का निर्माण/सी०बी०आर०आई०, रुड़की ।

5. हिन्दुस्तान हाउसिंह फैक्टरी, नई दिल्ली, के स्टाफ के लिए 32 क्वार्टरों का निर्माण/हिन्दुस्तान प्रोफैब लिमिटेड, पहले हिन्दुस्तान हाउसिंह फैक्टरी, जंगपुरा, नई दिल्ली ।

6. एन०एच०7, आर०के० पुरम, नई दिल्ली दुमंजिले प्रयोगात्मक टाइप-II के 8 क्वार्टरों का निर्माण/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली ।

7. सेक्टर-8, आर०के० पुरम, नई दिल्ली के समीप चार मंजिले ब्लाकों में टाइप-III के 96 क्वार्टरों का निर्माण/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली ।

8. बंगाल इंजीनियरिंग कालिज बंगाल के विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक एवं मनोरंजन हेतु एक भवन का निर्माण/हावड़ा इंजीनियरिंग कालिज, हावड़ा, पश्चिमी बंगाल ।

9. केनजोर, उड़ीसा में टाइप आर०ए०एवं आर०बी०के० दो-दो क्वार्टरों का निर्माण/सार्वजनिक निर्माण विभाग (बी०एण्ड आर०) उड़ीसा ।

10. चार मंजिले आर-सी०सी० ढांचा निर्माण में टाइप-II के 8 क्वार्टरों के एक ब्लाक का निर्माण/सार्वजनिक निर्माण विभाग, मद्रास ।

11. गांधीनगर टाउनशिप, गुजरात में दुमंजिले 10 ब्लाक (प्रत्येक ब्लाकों में चार क्वार्टर) का निर्माण । (गुजरात राजधानी परियोजना, अहमदाबाद-1) ।

क्र० सं० कार्य/प्रवर्तित प्राधिकरण का नाम

12. ढांचा इंजीनियरिंग अनुसंधान के लिए भण्डार का निर्माण (क्षेत्रीय केन्द्र, मद्रास/ ढांचा इंजीनियरिंग अनुसंधान केन्द्र, रुड़की)।

13. धौला कुंआ, नई दिल्ली में टाइप-III के 16 क्वार्टरों के चार मंजिले एक ब्लाक का निर्माण/मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसिस, सेना मुख्यालय, नई दिल्ली।

14. कर्जन रोड होस्टल में प्लास्टिक रस का प्रावधान (केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली)।

15. सेम्पो, पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा मलिकताला कार्य तथा आवास केन्द्र के लिए 50 रिहायशी एककों के पांच मंजिले ब्लाक का निर्माण/कलकत्ता महानगर योजना संगठन।

16. कश्मीर हाउस, नई दिल्ली में एक मंजिले भवन का निर्माण/एन० ई० एस० सेना मुख्यालय, नई दिल्ली।

17. सी०एम०ई० दपोदी, पूना में एक एक मंजिले भवन का निर्माण/मिलिट्री इंजीनियरिंग कालेज, रक्षा मंत्रालय, पूना।

18. शिमला में टाइप-III के 16 क्वार्टरों का निर्माण/हिमाचल प्रदेश, सार्वजनिक निर्माण विभाग, शिमला।

19. मद्रास में आई०एस०आई० के लिए एक कार्यालय भवन का निर्माण/भारतीय मानक संस्थान, नई दिल्ली।

20. गांधी वाटिका, रुड़की में चार मंजिले ब्लाक में 16 एकक/पालिका बोर्ड, रुड़की।

21. ढांचा इंजीनियरिंग रिसर्च केन्द्र, मद्रास में दो-मंजिलें भवन का निर्माण/एस०ई०आर० सी०, मद्रास।

22. पंखा रोड दिल्ली में दो मंजिले ब्लाक में निम्न आय वर्ग के लिए 50 रिहायशी एकक/दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली।

23. हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्ट्री कालोनी में टाइप-1 के 32 क्वार्टरों का निर्माण/ हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्ट्री, नई दिल्ली।

अब हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड।

24. मद्रास में पूर्ववलित की बड़े पैनल प्रणाली का प्रयोग करते हुए 144 मध्यम आय वर्ग के फ्लैटों का निर्माण, तमिलनाडु आवास बोर्ड, मद्रास।

क्र० सं० कार्य/प्रवर्तित प्राधिकरण का नाम

25. डी०आई०जैड०, क्षेत्र, विडला मन्दिर के समीप, नई दिल्ली में एक पांच मंजिलें ब्लाक के 20 एककों का निर्माण/राष्ट्रीय भवन (निर्माण) संगठन तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली ।

26. वास्तुकला स्कूल, असमदाबाद में ढांचा कार्यशाला तथा प्रयोगशाला के लिए एक भवन का निर्माण/वास्तुकला स्कूल, अहमदाबाद ।

27. नेवेली में कम लागत के 200 मकानों का निर्माण/नेवेली लिगनाइट कार्पोरेशन ।

28. सैक्टर 23, फरीदाबाद में निम्न आय वर्ग के 50 तथा आर्थिक दृष्टि से कम कमजोर वर्ग के 48 मकानों का निर्माण/हरियाणा आवास बोर्ड, चण्डीगढ़ ।

29. काम्पटी कोयला खान में कर्मचारियों के लिए 20 रिहायशी एककों का निर्माण/ वैस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, नागपुर ।

30. लुधियाना में (i) निम्न आय वर्ग के 44 मकान तथा (ii) आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर वर्ग के 24 मकानों का निर्माण/पंजाब आवास विकास बोर्ड, चण्डीगढ़ ।

31. एल पैन प्रयोग करते हुए कम्पटी कोयला खान में कर्मचारियों के लिए 20 रिहायशी मकानों का निर्माण/वैस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, नागपुर ।

32. ऐस बाग, लखनऊ में 80 मकानों का निर्माण/उत्तर प्रदेश, सार्वजनिक निर्माण विभाग, लखनऊ ।

33. परवान (हिमाचल प्रदेश) में 48 मकानों का निर्माण/हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड, शिमला ।

34. कर्नाटक राज्य के कोण्डाजी में प्रयोगात्मक भवनों का निर्माण/भारत स्काउटस एवं गाइडस, कर्नाटक राज्य ।

35. "एल" पैन छत का प्रयोग करते हुए नवेली लिगनाइट कार्पोरेशन ने 40 स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण/नेवेली लिगनाइट कार्पोरेशन, नेवेली ।

36. अन्तोदया नगर भोपाल में ई-डब्ल्यू, एस० के 40 तथा निम्न आय वर्ग के 40 मकानों का निर्माण/भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल ।

37. 4-5 मंजिलें ईटों के भार वाली बिल्डिंग का भूकम्प डिजाइन तथा निष्पादन का मूल्यांकन/भूकम्प इंजीनियरिंग विभाग रुड़की ।

38. उड़ने वाली राख से माइक्रोपोरेटिस का विकास/तमिलनाडु आवास बोर्ड, गुण्डी इंजीनियरिंग कालेज, मद्रास ।

क्र० सं० कार्यकार्य प्रवर्तित प्राधिकरण का नाम

39. नेवेली में पूर्व वलित आर०सी० उल्टे रिण्ड स्लैबों का प्रयोग करते हुए 40 क्वार्टरों का निर्माण/नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन, नेवेली ।

40. इन्दौर में मलिनबस्ती निवासियों के लिए 83 टेकामैंटों का निर्माण/मध्य प्रदेश मलिनबस्ती उन्मूलन बोर्ड ।

41. आई०आई०टी०, नई दिल्ली में टाइप II के 48 क्वार्टरों का निर्माण/भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली ।

42. जिरा में दो मंजिले एक कमरे वाले 80 क्वार्टर तथा गुरदासपुर में दो कमरे वाले दुमंजिलें क्वार्टरों का निर्माण/पंजाब खण्ड उद्योग, चण्डीगढ़ ।

43. रुड़की विश्वविद्यालय के विद्यमान भवन में परीक्षा कक्ष का निर्माण/रुड़की विश्व-विद्यालय, रुड़की ।

केरल में नारियल उत्पादकों को जड़ सूखने की बीमारी से प्रभावित पौधों को उखाड़ने के लिए लिए सहायता

7274. **श्री बी०एस० विजयराघवन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में जड़ सूखने की बीमारी से प्रभावित नारियल के पौधों को उखाड़ने में नारियल उत्पादकों की सहायता करने के लिए छठी योजना के दौरान कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) अब तक कितने प्रतिशत पौधे उखाड़ें गये हैं;

(ग) सातवीं योजना के दौरान इन सम्बन्ध में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) छठी योजना के दौरान जड़ मुर्झान रोग से प्रभावित पामों को उखाड़ने लिए केरल में नारियल उत्पादकों को राज सहायता के रूप में नारियल विकास बोर्ड द्वारा 153 लाख रुपये की धनराशि वितरित की गई थी । इस परियोजना के तहत कुल 2.04 लाख पाम के वृक्ष उखाड़े गए है ।

(ग) तथा (घ) सातवीं योजना के लिए केरल में जड़ मुर्झान रोग से प्रभावित पामों को उखाड़ने के लिए कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है । तथापि 1985-86 के दौरान, इस परियोजना के तहत 44,000 पाम उखाड़ने की योजना बनाई गई थी।

[हिन्दी]

कृषि पर्यावरण एककों की स्थापना

7275. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान देश में कृषि पर्यावरण एककों की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक राज्य में ऐसे कितने एकक स्थापित करने का विचार है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

[अनुवाद]

गोवा, दमन और दीव के लिए औद्योगिक न्यायाधिकरण और श्रम न्यायालय

7276. **श्री शांता राम नायक** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र, गोवा, दमन और दीव में कोई औद्योगिक न्यायाधिकरण और श्रम न्यायालय की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके सदस्य कौन-कौन है तथा तत्सम्बन्धी अन्य ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इसमें कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

दूरदर्शन कार्यक्रम 'कहां गए वो लोग'

7277. **श्री शांता राम नायक** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन कार्यक्रम 'कहां गए वो लोग' की कितनी कड़ियां मंजूर की गई है; और

(ख) क्या दूरदर्शन का विचार स्वयं इस कार्यक्रम की इतनी कड़ी तैयार करने का है जिससे कि इस देश के सभी वयोवृद्ध स्वतन्त्रता सेनानियों को इस कार्यक्रम में शामिल किया जा सके ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) 'कहां गए वोह लोग' कार्यक्रम की 26 कड़ियां स्वीकृत की गई हैं।

(ख) दूरदर्शन स्वतन्त्रता संग्राम तथा स्वतन्त्रता सेनानियों के बारे में विभिन्न फारमेटों में कार्यक्रम तैयार करके टेलीकास्ट करता रहा है।

टी० वी० कार्यक्रम निर्माण केन्द्रों की स्थापना के लिए राज्यों का विभाजन

7278. **श्री शांता राम नायक :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने टी० वी० कार्यक्रम निर्माण केन्द्रों की स्थापना अथवा किसी अन्य प्रयोजन से राज्यों को बड़े और छोटे राज्यों में विभाजित किया है;

(ख) यदि हां, तो बड़े राज्य कौन से हैं और छोटे राज्य कौन से हैं; और

(ग) इस विभाजन प्रक्रिया में संघ राज्य क्षेत्रों का दर्जा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (ग) जी, नहीं। संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए, कार्यक्रमों के निर्माण के लिए सुविधाएं चरण-बद्ध ढंग से विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों की उन राजधानियों तथा कुछ अन्य शहरों में उपलब्ध की जा रही हैं, जहां ये सुविधाएं इस समय उपलब्ध नहीं हैं। सातवीं योजना के मुकम्मल हो जाने पर, इस प्रकार की सुविधाएं लक्षद्वीप तथा दादर, व नागर हवेली को छोड़कर अन्य सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों की राजधानियों में उपलब्ध होंगी।

एफ० एम० ट्रांसमीटरों की स्थापना

7279. **श्री शांता राम नायक :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक कितने एफ० एम० ट्रांसमीटर स्थापित किए गए हैं और उन्हें कहां-कहां स्थापित किया गया है; और

(ख) उन स्थानों की संख्या और नाम क्या हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान एफ० एम० ट्रांसमीटर स्थापित करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) चार फ्रिक्वेंसी माडुलेटिड ट्रांसमीटर, दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में एक एक, स्थापित किए गए हैं।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, आकाशवाणी का एफ० एम० ट्रांसमीटरों के साथ 92 नए रेडियो स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव हैं जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इसके अलावा, हैदराबाद, पटना, भोपाल, इन्दौर नागपुर, पुणे और चण्डीगढ़ के मौजूदा

वाणिज्यिक चैनल ट्रांसमीटरों को एफ० एम० ट्रांसमीटरों से बदलने का प्रस्ताव है। जलन्धर में एफ० एम० ट्रांसमीटर के साथ एक अतिरिक्त चैनल स्थापित करने की स्कीम भी आकाशवाणी की सातवीं योजना में शामिल की गई है।

विवरण

सातवीं योजना के दौरान एफ० एम० केन्द्रों की स्थापना करने के लिए चुने गए स्थान।

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	स्थान
1	2	3
2.	आन्ध्र प्रदेश	1. कोट्टागुडम
		2. तिरूपति
		3. वारंगल
		4. कुर्नूल
		5. निजामाबाद
		6. मार्कपुरम
		7. अनन्तपुर
2.	असम	8. जोरहाट
		9. नौगांग
		10. हाफ्लोंग
		11. धुबरी
3.	बिहार	12. डालटलगंज
		13. हजारीबाग
		14. पुर्णिया
		15. ससारम
		16. सिंहभूम
4.	गुजरात	17. गोधरा
		18. सूरत
5.	हरियाणा	19. कुरुक्षेत्र
		20. हिसार
6.	हिमाचल प्रदेश	21. धर्मशाला
		22. कुल्लू
		23. हमीरपुर

1	2	3
7.	जम्मू व कश्मीर	24. भदरवाह (दोडा)
		25. कठुआ
		26. पुंछ
8.	कर्नाटक	27. मरकारा
		28. हसन
		29. हासपेट
		30. बीजापुर
		31. चित्रदुर्ग
		32. कारवाड़
		33. रायचूर
9.	केरल	34. कन्नानौर
		35. कोचीन
		36. इद्दुकी
10.	मध्य प्रदेश	37. शहडोल
		38. शिवपुरी
		39. छिंदवाड़ा
		40. सागर
		41. बिलासपुर
		42. गुना
		43. बालाघाट
		44. रायगढ़
		45. पूर्वी निमाड़ (खंडवा)
		46. बेतुल
11.	महाराष्ट्र	47. कोल्हापुर
		48. धुले
		49. बीर
		50. चन्द्रपुर
		51. नांदेड
		52. अकोला
		53. ओसमानाबाद
		54. यवतमाल
		55. सतारा
		56. अहमदनगर
		57. नासिक

1	2	3
12.	मणिपुर	58. चुराचान्दपुर
13.	मेघालय	59. जोवाई
14.	नागालैंड	60. माकोकचुंग
15.	उड़ीसा	61. बारीपाडा
		62. बहरामपुर
		63. बोलंगीर
		64. राऊरकेला
16.	पंजाब	65. भटिंडा
		66. पटियाला
17.	राजस्थान	67. जैसलमेर
		68. माऊण्ट आबू
		69. चुरू
		70. बांसवाड़ा
		71. अलवर
		72. झालावाड़
		73. सवाई माधोपुर
		74. नागोर
		75. चित्तौड़गढ़
18.	तमिलनाडु	76. ओराकुमंड
		77. कोडैकनाल
19.	त्रिपुरा	78. कैलाशहर (उप-मण्डल)
		79. बेलोनिया (उप-मण्डल)
20.	उत्तर प्रदेश	80. ओबरा
		81. बरेली
		82. अलीगढ़
		83. फैजाबाद
		84. झांसी
21.	पश्चिम बंगाल	85. आसनसोल
		86. मुर्शीदाबाद

1	2	3
संघ शासित क्षेत्र		
1.	अरुणाचल प्रदेश	87. जीरो
2.	गोवा दमन और दीव	88. दमन
3.	मिजोरम	89. लुंगलेह
4.	पाण्डिचेरी	90. करैकल
	विविध भारतीय रिले केन्द्र	
	हिमाचल प्रदेश	91. कसौली
	उत्तर प्रदेश	92. मसूरी

महात्मा गांधी पर फिल्म

7280. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महात्मा गांधी की मृत्यु के 38 वर्ष पश्चात् भी सरकार ने किसी भारतीय फिल्म निर्माता को महात्मा गांधी के जीवन और सन्देश पर एक अच्छी किस्म की फिल्म बनाने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया है और सहायता नहीं दी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है; और

(ग) क्या अब सरकार का शीघ्र ऐसे कदम उठाने का विचार है जिस से कि महात्मा गांधी पर फिल्म बनाने के लिए कोई योग्य भारतीय फिल्म निर्माता प्रोत्साहित हो ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (ग) फीचर फिल्म 'गांधी" का सहनिर्माण एक भारतीय कम्पनी अर्थात् राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, के द्वारा किया गया था।

फिल्म प्रभाग ने महात्मा गांधी पर पांच लघु फिल्में अपने आप तथा एक लघु फिल्म गांधी स्मारक निधि के सहयोग से बनाई है। इसके अलावा, इस प्रभाग ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के विषय पर शृंखलाएं भी बनाई हैं। उनमें से कुछ भारत की स्वतंत्रता के लिए गांधी जी के योगदान का चित्रण करती है।

गांधी स्मारक निधि ने भी फिल्म प्रभाग के सहयोग से महात्मा गांधी पर एक रिकार्ड फिल्म बनाई है जो लगभग साढ़े पांच घंटे की है।

बाल चित्र समिति, भारत ने भी महात्मा गांधी पर दो फिल्में बनाई हैं।

[हिन्दी]

दिल्ली दूरदर्शन पर प्रसारित क्षेत्रीय फिल्मों के उप-शीर्षक

7281. **श्री आर० एम० भोये** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह है कि इस समय दिल्ली दूरदर्शन पर क्षेत्रीय फिल्मों के उप-शीर्षक केवल अंग्रेजी में ही दिखाये जाते हैं जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजी भाषा न जानने वाले करोड़ों टेलीविजन दर्शक उसके लाभ से वंचित रह जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का क्षेत्रीय फिल्मों के उप-शीर्षक राष्ट्र भाषा हिन्दी में देकरके दर्शकों का विभिन्न प्रदेशों की संस्कृति के बारे में ज्ञान बढ़ाने का विचार है क्योंकि इस समय इसका लाभ अंग्रेजी जानने वाले केवल कुछ व्यक्ति ही उठा सकते हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कठिनाइयां सामने आ रही हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां। दिल्ली से राष्ट्रीय संजाल पर क्षेत्रीय भाषाओं की फीचर फिल्मों को अंग्रेजी में उप-शीर्षकों के साथ टेलीकास्ट किया जा रहा है।

(ख) इस समय क्षेत्रीय भाषाओं की फीचर फिल्मों में हिन्दी में उप-शीर्षक देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) उप-शीर्षक देना उन क्षेत्रीय फिल्मों तक सीमित है, जो पुरस्कार विजेता सर्वोत्तम फिल्में होती है जिनके अंग्रेजी उप-शीर्षक उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा, फिल्म में हिन्दी में उप-शीर्षक देने में निम्नलिखित अड़चनें हैं :—

(क) इसमें निहित अधिक कार्य को पूरा करने के लिए समान सुविधाओं की कमी; और

(ख) यह अधिक समय लेने वाला, खर्चीला प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

सभी समस्या प्रधान गांवों को पेय-जल की सप्लाई

7282. **डा० वी० एल० शैलेश** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय पेय-जल पूर्ति और सफाई दशक (1981-90) के मध्यावधि में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पाया है कि भारत प्रति वर्ष औद्योगिक विवादों की तुलना में पानी से उत्पन्न होने वाले रोगों के कारण अधिक श्रम दिवस गंवा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में सभी "समस्या प्रधान गांवों" और नगरों/शहरों को "सुरक्षित" पेय-जल की सप्लाई के लिए कोई दीर्घावधि योजना तैयार की गई है; और

(ग)यदि हां, तो इसकी विस्तृत रूप रेखा क्या है और इसके अन्तर्गत पूंजीगत परिव्यय कितना है और इसे कितने चरणों में पूरा किया जाएगा ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) इस मंत्रालय के ध्यान में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है।

(ख) तथा (ग) अन्तर्राष्ट्रीय पेय-जल पूर्ति तथा स्वच्छता दशक (1981-1991) की राष्ट्रीय वृहत योजना में मूल रूप से विचार किया गया था कि 1991 तक 100 प्रतिशत शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या को स्वच्छ तथा पर्याप्त जलपूर्ति सुविधायें प्रदान कर दी जाएगी। इस दशक के संदर्भ में राज्यों द्वारा आरंभ किए गए कार्यक्रमों की मध्य दशक समीक्षा में यह बताया गया है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उपलब्ध कराये गए स्रोतों के मापदण्ड के मुताबिक मार्च, 1991 तक केवल 90 प्रतिशत शहरी जनसंख्या और 85 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को स्वच्छ और पर्याप्त पेय-जल सुविधायें मुहैया करना सम्भव हो पायेगा।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1980 में पता लगाये गए सभी समस्या ग्रस्त गांवों (लगभग 2.31 लाख गांवों) को लाभान्वित करने का उद्देश्य था। इसमें 31-3-1985 तक केवल लगभग 1.92 लाख गांवों को लाभान्वित किया जा सका, सातवीं योजना के दौरान बाकी लगभग 39,000 समस्याग्रस्त गांवों को लाभान्वित करना शेष है। ग्रामीण विकास विभाग ने बताया है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, उन समस्याग्रस्त गांवों को लाभान्वित करने में प्राथमिकता दी जाएगी, जिन्हें बाद में पता लगाये गए समस्याग्रस्त गांवों और आंशिक रूप से लाभान्वित गांव को संपूर्ण लाभान्वयन के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया गया है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, ग्रामीण जल-पूर्ति के लिए 3457.47 करोड़ रुपये का परिव्यय दिया गया है। (राज्य क्षेत्र की न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 2253.25 करोड़ रुपए और केन्द्रीय क्षेत्र की त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम जो ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रशासित किया जाता है, के अंन्तर्गत 1201.22 करोड़ रुपये (शहरी जलपूर्ति तथा स्वच्छता के लिए राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत सातवीं पंचवर्षीय योजना में 2935.64 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त शहरी जल-पूर्ति तथा स्वच्छता सहित शहरी अर्ध-संरचना के लिए प्रस्तावित वित्त संस्थान के लिए शहरी जलपूर्ति क्षेत्र से साम्य अंशदान 20 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है।

टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को चूना-पत्थर और कोकिंग कोयले का आयात करने की अनुमति

7283. **श्री बाला साहेब विखे पाटिल** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाटा आयरन और स्टील कंपनी को देश में निर्मित इस्पात की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से चूना-पत्थर और को कोकिंग कोयले का आयात करने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार बढ़िया किस्म का इस्पात आयात करने के बजाय उसका देश में ही निर्माण करने और फिर सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों द्वारा तैयार उत्पादों का विदेशों को निर्यात करने के लिए चूना-पत्थर कोकिंग कोयले जैसे बढ़िया किस्म के कच्चे माल का आयात करने पर विचार करेगी; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) टाटा आयरन एण्ड कम्पनी (टिस्को) को राख की कम मात्रा वाले कोककर कोयले तथा सिलिका की कम मात्रा वाले चूना-पत्थर का आयात करने के लिए कोई अनुमति प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। आयात नीति के अनुसार वास्तविक उपयोक्ता इन मदों का आयात खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत कर सकते हैं।

वर्ष 1986-87 के दौरान 'सेल" तथा "टिस्को" द्वारा इन दोनों कच्ची सामग्रियों का आयात करने की योजना है। "सेल" द्वारा लगभग 30.9 लाख टन कोककर कोयले का आयात करने की योजना है तथा "टिस्को" द्वारा लगभग 5 लाख टन कोककर कोयले का आयात करने की सम्भावना है। ट्रंक ऐसी सम्भावना है कि आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए देशीय स्रोतों से प्राप्त होने वाली सप्लाई पर्याप्त नहीं होगी अत: कोककर कोयले का आयात किया जा रहा है।

इस वर्ष के दौरान "सेल द्वारा भिलाई इस्पात कारखाने के एल० डी० कन्वर्टरों में इस्पात बनाने के लिए सिलिका कम मात्रा वाले 20000 टन चूना-पत्थर का आयात करने की योजना है। देश में इस प्रकार के बढ़िया क्वालिटी के चूना-पत्थर की पर्याप्त सप्लाई उपलब्ध नहीं है। इसी प्रकार "टिस्को" द्वारा अपने नव स्थापित एल० डी कन्वर्टर के लिए सिलिका की कम मात्रा वाले चूना-पत्थर का आयात करने की योजना है।

इन दोनों प्रकार की कच्ची सामग्रियों के आयात से इस्पात की क्वालिटी में सुधार करने में मदद मिलेगी।

भिलाई में उत्पादित प्लेटों की थोड़ी सी फालतू मात्रा के सम्भावित निर्यात के अलावा देशीय उत्पादन की खपत देश में ही हो जाएगी।

फसल ऋणों को बट्टे खाते में डालना

7284. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण ऋण समीक्षा समिति की सिफारिशों के अनुसार तीन वर्षों तक लगातार

सूखा पड़ने तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं से किसानों से प्रथम वर्ष की न चुकाई गई ऋण-राशि को बट्टे खाते में डाला जाना है;

(ख) क्या ऋण गारंटी तथा राहत कोष की अपर्याप्त व्यवस्था को देखते हुए किसानों के हित में किए गए इस सुझाव का कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस सुझाव को कार्यान्वित करने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति (1954) ने अल्पकालिक ऋणों को मध्यम कालिक ऋणों में बदलने के लिए एक राष्ट्रीय कृषि ऋण स्थिरिकरण निधि की स्थापना करने की सिफारिश की थी, ताकि ऋण की अदायगी की अवधि लम्बी हो सके और साथ ही कर्जदार प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल नष्ट हो जाने पर नया ऋण लेने का पात्र बन सके। समिति ने यह भी महसूस किया कि यदि प्राकृतिक आपदायें एक वर्ष से अधिक समय तक लगातार आती रहें तो परावर्तन द्वारा ऋण की अदायगी का समय बढ़ाना कोई राहत नहीं है। क्योंकि कर्ज लेने वालों पर ऋण का भार उनकी अदायगी की क्षमता से अधिक हो जाता है। इस उद्देश्य से समिति ने एक राष्ट्रीय कृषि ऋण राहत और गारण्टी निधि की स्थापना की सिफारिश की ताकि लगातार प्राकृतिक आपदायें आने के कारण वसूल न की जा सकने वाली रकम को बट्टे खाते में डाला जा सके। लेकिन, भारत सरकार ने उक्त राष्ट्रीय निधि को इस विचार से स्थापना नहीं की कि ऐसी निधि का सृजन राज्य सरकारों द्वारा किया जाना चाहिए और भारत सरकार, जब कभी जरूरी हो, ऐसी राज्यीय निधि के लिए तदर्थ आधार पर अंशदान दे सकती है।

(ख) और (ग) यह कहना सही नहीं है कि राज्यों की ऋण गारंटी और राहत निधियों में अपर्याप्त व्यवस्था के कारण किसानों की बकाया देय धन-राशियों को बट्टे खाते में डालने में कठिनाई हो रही है। साथ ही फसल नष्ट होने के कारण प्रभावित किसानों के लिए वैकल्पिक माध्यम उपलब्ध हैं।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केरल में नारियल के विकास के लिए योजना

7285. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केरल में नारियल के विकास के लिए 6 करोड़ रुपए लागत की एक योजना को स्वीकृति दी गई थी; और

(ख) क्या यदि हां, तो अब तक इस संबंध में कितनी राशि खर्च की गई और वर्ष 1985 में आरम्भ किए गए और पूरे किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) नारियल विकास बोर्ड ने विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत केरल के लिए 3.10 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव किया है। इसमें से नारियल विकास बोर्ड का अंश 1 78 करोड़ रुपए होगा।

(ख) नारियल विकास बोर्ड की विभिन्न परियोजनाओं और नारियल विकास की केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए केरल सरकार को 1985-86 के दौरान 83.74 लाख रुपये की धनराशि निर्मुक्त की गई। शुरू किए गए कार्यक्रम निम्न प्रकार हैं :—

(1) क्षेत्र का विस्तार करना;

(2) जड़-मुरझान रोग से ग्रस्त पाम को हटाने के लिए सहायता;

(3) सिंचाई सुविधाओं के लिए राज सहायता;

(4) परिसंस्करण की प्राथमिक गतिविधियों को बढ़ावा देना।

(5) संकर पौद का उत्पादन और वितरण;

(6) डी० टी० संकर फार्मों की स्थापना; और

(7) रोगग्रस्त वृक्षों को पुनः स्वस्थय बनाना।

नारियल तकनीक विकास केन्द्रों की स्थापना

7286. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नारियल तकनीक विकास केन्द्रों की स्थापना की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो केरल में ऐसे कितने केन्द्रों की स्थापना करने का विचार है; और

(ग) इस उद्देश्य के लिए कितनी राशि की स्वीकृति दी गई है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) : नारियल विकास बोर्ड द्वारा कोचीन स्थित मुख्यालय में एक नारियल प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र की स्थापना की गई है। इस प्रायोजन के लिए सातवीं योजना के दौरान 67.6 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है।

लघु इस्पात संयंत्र

7287. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कितने लघु इस्पात संयंत्रों में इस्पात का उत्पादन हो रहा है;

(ख) इन संयंत्रों में वर्ष 1984-85 तथा 1985-86 में प्रत्येक वर्ष इस्पात का उत्पादन कितना हुआ;

(ग) क्या वर्ष 1986-87 में किन्हीं नए इस्पात संयंत्रों में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो जाने की आशा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) इस समय देश में स्थापित 159 लघु इस्पात कारखाने हैं, जिनकी लाइसेंसीकृत क्षमता 47 लाख टन है।

(ख) इस्पात पिण्ड/बिलेटों का कुल उत्पादन नीचे दिया गया है—

वर्ष		उत्पादन (लाख टन)
1984-85	...	23
1985-86	...	28 (अनुमानित)

(ग) और (घ) : 13 लाख टन क्षमता की 37 इकाइयों को आशय-पत्र/औद्योगिक लाइसेंस दिए गए हैं। ये इकाइयां कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। इस समय यह बता पाना समय-पूर्व होगा कि इनमें से कितनी इकाइयां वर्ष 1986-87 में वाणिज्यक उत्पादन करना शुरू कर देंगी।

फसल बीमा योजना को सब्जियों पर लागू करना

7288. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार फसल बीमा योजना को जो इस वर्ष फलों पर लागू की गई है सब्जियों पर भी लागू करने का है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : इस समय सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

इन्दिरा आवास योजना का कार्यान्वयन

7289. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इंन्दिरा आवास योजना के कार्यान्वयन का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के कार्यान्वयन के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है;

(ग) उपरोक्त योजना के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में कितने मकानों का निर्माण करने का विचार है; और

(घ) उपरोक्त योजना से किन विभिन्न वर्गों के लोग लाभान्वित होंगे।

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1986-87 के लिए इंदिरा आवास योजना हेतु 125 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रस्ताव किया गया है।

(ग) राज्य/संघ शासित क्षेत्रों को आबंटन की निर्धारित धनराशि की सूचना दे दी गई है। इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत परियोजनाएं राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा तैयार की जाती हैं और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की केन्द्रीय समिति द्वारा इनका अनुमोदन किया जाता है। वर्ष 1986-87 हेतु परियोजनाएं राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा तैयार की जा रही हैं।

(घ) इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत लाभार्थी अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति के सदस्य एवं मुक्त किए बंधुआ मजदूर हैं।

सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्मित तथा आबंटन के लिए जारी किए गए मकान

7290. **श्री हरिहर सोरन** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली, नई दिल्ली में गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न श्रेणियों में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए कितने मकानों का निर्माण किया गया तथा आबंटन के लिए जारी किए गए; और

(ख) उपर्युक्त वर्षों के दौरान दिल्ली तथा नई दिल्ली में विभिन्न विशेष श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिए कितने मकानों का निर्माण किया गया तथा आबंटन के लिए जारी किए गए ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) :

(क)	टाइप	1983-84	1984-85	1985-86
	ए	15	—	217
	बी	372	535	592
	सी	801	1693	1329
	इ	—	63	—
योग :		1188	2291	2138
(ख) डाक व तार के लिए				
	ए	—	—	192
	बी	—	—	45
योग :	—	—	—	237

टाइप	1983-84	1984-85	1985-86
लोक सभा और राज्य सभा के लिए			
ए	16	—	—
बी	15	—	—
सी	—	60	—
योग :	31	60	—

जम्मू तथा काश्मीर में हुई दुर्घटना में मारे गए 40 उड़िया श्रमिक

7291. **श्री के० प्रधानी** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान, 24 मार्च, 1986 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में '40 उड़िया लेबरर्स किल्ड इन जे० एण्ड के० मिशहेप' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय द्वारा पता लगाए गए मामलों की सच्चाई क्या है;

(ग) इस मामले में उनके मंत्रालय द्वारा क्या सहायता दी गई है;

(घ) उक्त दुर्घटना में मारे गए उड़िया श्रमिकों के निर्धन परिवारों को मुआवजा के भुगतान सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) श्रमिकों के अन्तर-राज्यीय अभिगमन तथा उनके शोषण के विरुद्ध क्या निवारक उपाय किए गए हैं अथवा करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, हां ।

(ख) राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई है ।

(ग) और (घ) : प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ङ.) श्रमिकों के अन्तरराज्यीय प्रवासन पर रोक लगाने का प्रस्ताव नहीं है । अन्तरराज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें (अधिनियम, 1979 विशेषकर अन्तर-राज्यीय प्रवासी श्रमिकों के शोषण रोकने के लिए बनाया गया है । प्रवासी श्रमिकों को अन्य श्रम कानूनों का संरक्षण प्राप्त है ।

केरल में "काम के बदले अनाज कार्यक्रम' के लिए आवंटित गेहूं का खुले बाजार में बेचा जाना

7292. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी कोई शिकायत मिली है कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम के लिए दिए गए गेहूं को खुले बाजार में बेच दिया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केरल राज्य आवास बोर्ड द्वारा हुडको को दिया गया प्रस्ताव

7293. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य आवास बोर्ड ने हुडको को नये प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया गया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य (मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) तथा (ख) : जी, हां । केरल राज्य आवास बोर्ड द्वारा 15.55 करोड़ रुपये की ऋण-राशि के लिए हुडको को 18 योजनाएं

प्रस्तुत की गई हैं। राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण आवास के लिए निधियों के नियतन के अध्यधीन स्वीकृति हेतु 6 योजनाओं पर विचार किया जा रहा है। हुडको के संशोधित मार्ग निर्देशनों के अनुसार विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शेष 12 योजनायें अभिकरण के पास लम्बित पड़ी हुई हैं।

सर्वोत्तम प्रचार माध्यम के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

7294. **डा० के० जी० अदियोडी** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय एकता बढ़ाने तथा द्रुत सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों के बारे में योगदान करने वाले प्रचार माध्यम को प्रियदर्शिनी के नाम से प्रति वर्ष राज्यवार एक राष्ट्रीय पुरस्कार देने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : जी, नहीं।

महिलाओं की कार्य करने की दशा

7295. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महिलाओं की कार्य करने की दशा में सुधार करने के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के जेनेवा में हुए अधिवेशन के निर्णय की जानकारी है और यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ख) क्या भारत में महिलाओं की कार्य करने की दशा का कोई अध्ययन किया गया है और यदि हां, तो किन क्षेत्रों में कार्य दशा में सुधार करने की आवश्यकता है; और

(ग) क्या सरकार कार्य-दशाओं में सुधार करने के लिए कोई कदम उठा रही है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जून, 1985 में जेनेवा में हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 71 वें अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया था जो रोजगार में पुरुषों और महिलाओं के लिए समान अवसर और समान व्यवहार से सम्बन्धित था। इस प्रस्ताव में बेहतर रोजगार अवसर प्राप्त करने, रोजगार की शर्तों, आदि के मामले में पुरुषों और महिलाओं के बीच किसी प्रकार के भेदभाव को दूर करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। यह प्रस्ताव सदस्य देशों के लिए इसे अपनाने हेतु मार्ग-दर्शी सिद्धान्त के स्वरूप का है। भारत ने सम्मेलन में इस प्रस्ताव का समर्थन किया।

(ख) विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संगठनों तथा व्यक्तियों द्वारा भारत में महिलाओं की कार्य-दशाओं के बारे में अनेक अध्ययन किए गए। इन सभी अध्ययनों की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं :—

1. महिलाओं के रोजगार को बढ़ाये जाने की आवश्यकता है।
2. महिलाएं अधिकाशत: कम मजदूरी वाले व्यवसायों में काम करती हैं, उनकी मजदूरी स्तर में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता है :
3. महिला श्रमिकों में कौशल, प्रशिक्षण की कमी है और इसलिए उन्हें उच्चतर कौशल में प्रशिक्षण करने की आवश्यकता है।
4. महिलाओं को, विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र में, प्रसूति सुविधा लाभ और बालक देख-रेख सुविधाओं की आवश्यकता है।
5. महिला श्रमिक सामान्यत: असंगठित हैं और इसलिए उनमें समर्थता की कमी होती है। उन्हें संगठित करने की आवश्यकता है ताकि वे अपने अधिकारों की मांग कर सक।

(ग) जी, हां। सरकार ने महिला श्रमिकों की कामकाज की दशाओं में सुधार करने के लिए कदम उठाए हैं और कदम उठा रही हैं।

बंगलौर परिवहन सेवा के लिए विश्व बैंक की सहायता

7296. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने बंगलौर परिवहन सेवा में सुधार करने हेतु 250 करोड़ रुपए की विश्व बैंक की सहायता की स्वीकृति के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो वह प्रस्ताव कब भेजा था; और

(ग) उक्त योजना के लिए विश्व बैंक की सहायता प्राप्त करने हेतु कार्यवाही की गई है ?

शहरी विकास राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

[हिन्दी]

राजस्थान को ग्रामीण विकास के लिए विशेष सहायता

7297. **प्रो० निर्मला कुमारी शास्त्रावत** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार से वर्ष 1986-87 में ग्रामीण विकास के लिए विशेष सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार इस सूखा-ग्रस्त राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विशेष सहायता प्रदान करेगी; और

(ग) राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं तथा क्या इसे आयोग द्वारा मंजूरी दे दी गई है ?

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) से (ग) : ग्रामीण विकास विभाग को ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए विशेष सहायता देने हेतु राजस्थान सरकार से कोई विशेष अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है । इस मंत्रालय के राजस्थान में कार्यान्वित किए जा रहे मुख्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे– समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, मरुभूमि विकास कार्यक्रम नियमित कार्यक्रम हैं जिनके अन्तर्गत राज्यों को निर्धारित मान दण्ड के अनुसार निधियां आबंटित की जाती हैं। इन मानदण्डों के अनुसार, इन कार्यक्रमों के लिए वर्ष 1986-87 हेतु राजस्थान को केन्द्र का हिस्सा निम्न प्रकार है :

(लाख रुपये में)

कार्यक्रम	1986-87 के लिए निधियों का केन्द्रीय आबंटन
समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	1261.77
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	892.00
ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम	1941.00
सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम	225.00
मरुभूमि विकास कार्यक्रम	3000.00

नोट : ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम के लिए पूर्णतया केन्द्रीय सरकार द्वारा निधियां दी जाती हैं। अन्य कार्यक्रमों के मामले में राज्य सरकारों द्वारा बराबर की राशि उपलब्ध की जाती है। इसके अतिरिक्त, 1986-87 की पहली दो तिमाहियों के लिए राजस्थान सरकार को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक के लिए 19400 मीटरी टन खाद्यान्नों की मात्रा आबंटित की गई है। प्राकृतिक आपदाओं के सन्दर्भ में अपेक्षित कोई सहायता अभाव राहत के अन्तर्गत अग्रिम योजना सहायता के रूप में अलग से दी जाती है।राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त खाद्यान्न मुक्त करने का अनुरोध किया है और उसे 2 लाख मीटरी टन की मात्रा मंजूर कर दी गई है।

राजस्थान सरकार ने सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम का टोंक, भरतपुर, झालवाड़, अजमेर, सवाई माधोपुर तथा उदयपुर जिलों के 20 खण्डों में विस्तार करने के लिए और मरुभूमि विकास कार्यक्रम का सिरोही, जयपुर, अजमेर तथा उदयपुर के तटीय क्षेत्रों में विस्तार करने का अनुरोध किया है। सातवीं योजना के दौरान नए क्षेत्रों में कार्यक्रमों के विस्तार करने का कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

जहां तक सूखा राहत का सम्बन्ध है, राजस्थान को 1986-87 के लिए (30-6-86 तक) सूखा राहत हेतु 3659.00 लाख रुपए की धनराशि के व्यय की सीमा इस मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कर दी गई है।

[अनुवाद]

दूरदर्शन पर भाषा कार्यक्रमों को आबंटित समय

7298. **श्री मूल चन्द डागा : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी, 1986 के दौरान दूरदर्शन पर देश की विभिन्न भाषाओं/राज्यों की संस्कृति से संबंधित कार्यक्रमों के आबंटित/दिए गए समय का तथा प्रत्येक कार्यक्रम के प्रसारण पर हुए व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस सम्बन्ध में दूरदर्शन की क्या नीति है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान इस सम्बन्ध में क्या परिवर्तन किए गए हैं;

(घ) भाषा और राज्यों की संस्कृति से संबंधित कोई नया कार्यक्रम नियमित प्रदर्शन के लिए कैसे स्वीकार किया जाता है और इस बारे में किस स्तर पर निर्णय लिया जाता है; और

(ङ) गत दो वर्षों के दौरान स्वीकार किए गए नए कार्यक्रमों के नाम क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा की मेज पर रख दिया जाएगा।

पूर्वी गोदावरी जिले के मछुआरों की दयनीय स्थिति

7299. **डा० जी० विजयरामाराव**
डा० टी० कल्पना देवी } : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आन्ध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले से ऐसा कोई विस्तृत ज्ञापन मिला है जिसमें लगभग 1000 किलोमीटर लम्बी समुद्रतटीय पट्टी के अन्तर्गत समुद्रतटीय क्षेत्रों और उच्च भूमि क्षेत्रों में रहने वाले मछुआरों की समस्याओं और कठिनाइयों का उल्लेख किया गया है और जिन्हें लगातार विषम परिस्थितियों में काम करना पड़ता है और जो गरीब हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां। सरकार को आन्ध्र प्रदेश में मछुओं के लाभ के लिये कल्याणकारी योजनायें शुरू करने तथा मात्स्यकी के विकास के सम्बन्ध में श्री टी० एस० एल० नेक्कर, विधायक, ईस्ट गोदावरी जिला, आन्ध्र प्रदेश से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है। ज्ञापन में निम्नलिखित के प्रावधान हेतु अनुरोध किया गया : सम्पर्क सड़कों, जल आपूर्ति, चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं, आवास, शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं, प्रशिक्षण लेने के लिए मछुओं को छात्रवृत्ति, मत्स्य सम्बन्धी आवश्यक सामग्री, रियायती दरों पर आंगुलिक मछली की आपूर्ति, प्रकाश स्तम्भों की स्थापना, बीमा योजनाएं, जिला और राज्य मात्स्यकी सलाहकार समिति का गठन, मत्स्य बैंक की स्थापना आदि।

(ख) मात्स्यकी मूलतः राज्य का विषय है। ज्ञापन में उठाए गए लगभग सभी विषयों पर आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा कार्यवाही की जानी है। तथापि, केन्द्रीय सरकार राज्य में मछुओं के लाभ और मात्स्यकी के विकास के लिए राज्य सरकार के जरिए विभिन्न योजनायें क्रियान्वित कर रही हैं। मछुओं के लिए आवास, पेयजल आपूर्ति, शिक्षा सम्बन्धी सहायता और अन्य कल्याणकारी उपायों जैसी कल्याणकारी और नागरिक सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय मछुआ कल्याण निधि समिति रजिस्टर्ड की गई है। देश में सक्रिय मछुओं के लिए केन्द्रीय प्रायोजित सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना को भी क्रियान्वित किया जा रहा है। तथापि, आन्ध्र प्रदेश सरकार ने इस योजना को क्रियान्वित नहीं किया है, लेकिन पता चला है कि इस समय उन सक्रिय मछुओं के परिवारों, जिनकी मछली पकड़ते समय मौत होती है, की अनुग्रह राशि की अदायगी के लिए एक योजना मौजूद है। ज्ञापन में उठाए गए विभिन्न विषयों के सम्बन्ध में स्थिति श्री नेक्कर, विधायक को बता दी गई है।

[हिन्दी]

भाषा समाचार सेवा (लैंग्वेज न्यूज सर्विस)

7300. **श्री कुंवर राम** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भाषा समाचार सेवा शुरू करने के लिए प्रैस ट्रस्ट आफ इंडिया और

यूनाइटेड न्यूज आफ इंडिया को सहायता देने के लिए सहमत हो गई है;

(ख) क्या हिन्दुस्तान समाचार और समाचार भारती द्वारा प्रदान की जा रही भाषा समाचार सेवायें असंतोषजनक पाई गई हैं और आकाशवाणी तथा दूरदर्शन ने उनकी सेवायें लेने से इन्कार कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा भाषा समाचार प्राप्त करने हेतु क्या वैकल्पिक व्यवस्थायें दी गई हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं। सरकार ने पी० टी० आई० या यू० एन० आई० को भाषायी समाचार सेवा शुरू करने के लिए सहायता नहीं दी है।

(ख) जी, हां। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने इन एजेन्सियों की सेवा लेना 11.1.86 से बंद कर दिया है।

(ग) यू० एन० आई० ने "यूनिवार्ता" नाम से भाषायी समाचार सेवा शुरू की है। आकाशवाणी और दूरदर्शन ने उससे सेवा लेना शुरू कर दिया।

[अनुवाद]

दूरदर्शन द्वारा सरकारी क्षेत्र की भूमिका के बारे में रूपक प्रसारित करना

7301. **श्री वाई० एस० महाजन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 में दूरदर्शन द्वारा देश की अर्थव्यवस्था में सरकारी क्षेत्र की भूमिका से सम्बन्धित कितने रूपक प्रसारित किए गए थे; और

(ख) वर्ष 1985-86 में ऐसे कितने रूपक प्रसारित किए गए तथा वर्ष 1986-87 के लिए इस सम्बन्ध में क्या प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा की मेज पर रख दिया जायेगा।

कृषि विज्ञान केन्द्र, सिक्किम द्वारा किसानों को प्रशिक्षण

7302. **श्रीमती डी० के० भंडारी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिक्किम के कृषि विज्ञान केन्द्र में अभी तक किसानों के कितने समूहों को प्रशिक्षण दिया गया है; और

(ख) वर्ष 1985-86 तथा 1986-87 के लिए लाभ-भोगियों की संख्या तथा परिव्यय की राशि कितनी है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) 15 अप्रैल, 1986 तक कृषि विज्ञान केन्द्र सरमसा, सिक्किम में कृषकों के लिए कृषि और पशुपालन की विभिन्न शाखाओं में कुल मिलाकर 190 प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों/दौरों का आयोजन किया गया है।

(ख) 15 अप्रैल, 1986 तक कुल मिलाकर 2156 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है। 1985-86 के लिए 6.35 लाख रुपये के बजट की स्वीकृति दी गई थी वर्ष 1986-87 के लिए 5.90 लाख रु० का प्रस्ताव किया गया है।

सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत कर्नाटक को सहायता

7303. **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंह राज वाडियर** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत कर्नाटक को पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई;

(ख) उन क्षेत्रों में सूखा प्रवण लोगों की समस्याओं को कम करने के लिए उन वर्षों में क्या उपाय किए गये हैं; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों में कर्नाटक राज्य को केन्द्रीय सहायता के रूप में निम्नलिखित धनराशि मुक्त कर दी गई थी :—

(लाख रुपए में)

वित्तीय वर्ष		मुक्त की गई केन्द्रीय सहायता
1983-84	—	525
1984-85	—	525
1985-86	—	426

(ख) और (ग) : सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम के प्रयासों का मुख्य उद्देश्य पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखना तथा सूखे के प्रभाव को दूर करने के लिए भूमि, जल, पशुधन तथा मानवीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना तथा आधारभूत ढांचे के विकास हेतु समन्वित क्षेत्र दृष्टिकोण अपनाकर आय के असंतुलन को कम करना है। यह कार्यक्रम पूरक स्वरूप का है तथा वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के निर्धनता निवारण कार्यक्रम, अन्य राज्य/केन्द्रीय योजनाओं के साथ समन्वित करना होगा तथा अभाव राहत हेतु मुक्त की गई निधियों के साथ भी इसे मिलाना होगा।

कर्नाटक में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्य कार्य क्षेत्र ये हैं—भूमि तथा जल

संरक्षण कार्यों सहित कृषि, लघु सिंचाई, वन रोपण तथा पशुपालन। पिछले तीन वर्षों के दौरान मुख्य वास्तविक उपलब्धियां निम्नलिखित हैं :

कार्य क्षेत्र	1983-84	1984-85	1985-86 (अनन्तिम) (दिसम्बर 85 तक)
भूमि तथा नमी संरक्षण (हेक्टेयर)	2405	13271	3106
सिंचाई क्षमता का सृजन (हेक्टेयर)	3060	1443	2660
वानिकी तथा चरागाह विकास (हेक्टेयर)	3915	4293	3569
सृजित रोजगार (000, श्रमदिन)	1515	5295	2005

इसके अतिरिक्त, कर्नाटक राज्य को सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में अभाव राहत, रोजगार सृजन, पेयजल, कृषि निवेश, पशु संरक्षण, आदि के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में निम्नलिखित धनराशि भी मुक्त की गई थी।

वर्ष के लिए		(रुपये लाखों में)
1983-84	—	1079
1984-85	—	2973
1985-86	—	5313

मंगलौर में गोली संयंत्र की स्थापना

7304. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंगलौर में निर्माणाधीन गोली संयंत्र की अनुमानित लागत कितनी है;

(ख) उक्त गोली संयंत्र की क्षमता कितनी है;

(ग) उक्त गोली संयंत्र के कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(घ) इस गोली संयंत्र को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त): (क) मंगलौर स्थित पैलेट बनाने के संयंत्र की अनुमानित लागत 103.50 करोड़ रुपये है।

(ख) पैलेट बनाने के संयंत्र की वार्षिक क्षमता 30 लाख टन है।

(ग) पैलेट बनाने का संयंत्र पूरा हो चुका है तथा प्रारम्भिक परीक्षण के तौर पर इसे चालू कर दिया गया है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

कर्नाटक में तिलहनों का विकास

7305. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य में तिलहनों के विकास की भारी सम्भावना है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उक्त राज्य में तिलहनों के विकास के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना): (क) जी हां। तिलहन उगाने वाले प्रमुख राज्यों में से कर्नाटक एक है।

(ख) 1983-84 के दौरान, कर्नाटक राज्य में तीन केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं अर्थात् गहन तिलहन विकास कार्यक्रम, नये सिंचित क्षेत्रों में तिलहन का विस्तार और तिलहनों के विकास के लिए सूरजमुखी का विकास, चल रही हैं। 1984-85 से, सभी योजनाओं, को संघटित करके और पुनर्स्थापित करके एक सुसंहत राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना राज्य में चालू की गई थी, ताकि विभिन्न तिलहनों जैसे मूंगफली, सूरजमुखी, कुसुम, तिल, रामतिल, अलसी और अरण्डी का विकास हो सके। इस परियोजना के अन्तर्गत, तिलहनों की बेहतर खेती के लिए किसानों को प्रेरित करने की दृष्टि से आवश्यक आदानों के लिए विभिन्न प्रोत्साहन दिये जाते हैं।

राज्यों में शुष्क भूमि विकास परियोजनाएं

7306. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 और 1985-86 में शुष्क भूमि विकास परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई थी;

(ख) इस परियोजना के लिए कर्नाटक तथा अन्य राज्यों को कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) इन वर्षों के दौरान कर्नाटक तथा अन्य राज्यों में कार्यान्वित किए गए शुष्क भूमि का विकास परियोजना के कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) वर्ष 1984 85 और 1985-86 के दौरान बारानी भूमि विकास की दो योजनाएं क्रियान्वित की गई थी, अर्थात् (1) बारानी खेती के क्षेत्रों के लिए जल संरक्षण/उपयोग प्रौद्योगिकी का सम्बर्धन करने की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना, और (2) बीज व उर्वरक ड्रिलों को लोकप्रिय बनाने, उन्नत किस्में उगाने और उर्वरक का प्रयोग आदि की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना। इन योजनाओं के तहत निर्धारित की गई धनराशि संलग्न विवरण में दी गई है। कई अन्य योजनाओं के अलावा, जिनमें वर्षा सिंचित क्षेत्रों में पनधारा विकास तथा कांडी पनधारा का विश्व बैंक से सहायता प्राप्त मार्गदर्शी परियोजना तथा क्षेत्र विकास परियोजना शामिल है, राज्य/केन्द्रीय क्षेत्र के तहत इन वर्षों के दौरान ही क्रियान्वित की गई थी, जिसके तहत बारानी भूमि विकास संबंधी पहलू का भी ध्यान रखा गया था।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) विभिन्न बारानी क्षेत्रों के लिए उपलब्ध और उपयुक्त सुसंगत प्रौद्योगिकों को विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए लोकप्रिय बनाया गया है।

विवरण

(लाख रुपये में)

क्रम सं०	राज्य	1984-85 और 1985-86 के दौरान निर्मुक्त की गई धनराशि			
		बारानी खेती के क्षेत्रों के लिए जल सरक्षण/उपयोग प्रौद्योगिकी का प्रचार करने की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना		बीज व उर्वरक ड्रिलों को लोकप्रिय बनाने, उन्नत किस्में उगाने और उर्वरक का प्रयोग आदि की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना	
		1984–85	1985–86	1984–85	1985–86
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	5.050	4.00	12.47	9.770
2.	बिहार	5.050	—	—	—
3.	गुजरात	5.050	—	8.42	—
4.	हरियाणा	32.345	5.00	—	2.555
5.	हिमाचल प्रदेश	14.920	4.00	4.78	—

1 2	3	4	5	6
6. कर्नाटक	7.231	—	4.79	—
7. केरल	5.050	—	4.78	—
8. मध्य प्रदेश	20.412	—	19.24	—
9. महाराष्ट्र	5.050	2.00	4.78	—
10. उड़ीसा	5.050	—	4.78	—
11. पंजाब	5.050	—	—	0.552
12. राजस्थान	5.050	—	—	—
13. उत्तर प्रदेश	34.087	10.00	20.95	—
14. पश्चिम बंगाल	5.050	—	—	—
15. तमिलनाडु	5.050	—	—	—
	159.495	25.00	85.00	12.877

कुट्टानाड (केरल) में "सिल्वानिया" (अफ्रीकी पायल) द्वारा धान की फसल को नुकसान

7307. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि धान की फसल पर "सिल्वानिया" (अफ्रीकी पायल) के प्रकोप के कारण किसान को, धान की फसल पर अधिक हानि हो रही है;

(ख) क्या सरकार का सिल्विनिया को नष्ट करने का कोई विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस समस्या पर ध्यान देने और सिल्वानिया के प्रकोप से होने वाले नुकसान से किसानों को बचाने के लिए कोई उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सरकार को केरल के कुट्टानाड जिले में "सिल्वानिया" (अफ्रीकी पायल) के प्रकोप की जानकारी है ।

(ख) तथा (ग) राज्य सरकार ने इस प्रकोप को रोकने के लिए कदम उठाये हैं। राज्य सरकार के अनुसार, इस खरपतवार का नियन्त्रण करने के लिए खरपतवार नाशी दवाएं कारगर हैं, परन्तु विशेष परिस्थितिकी प्रणाली की दृष्टि से और सुरक्षित जल आपूर्ति न होने पर खरपतवारनाशी दवाओं की सिफारिश नहीं की जा सकती है। अतः इसका विकल्प केवल यान्त्रिक तंत्र को हटाना है। हाल ही में एक विदेशी घुण काईटोडागस "सिल्वानिया" की सहायता से जैव नियन्त्रण अपना करके इस खरपतवार को नियन्त्रित करने में सफलता प्राप्त हुई है।

केरल कृषि विश्वविद्यालय ने इस प्रयोग की सिफारिस की है और राज्य सरकार ने इस घुण के प्रयोग के बारे में किसानों को शिक्षित करने के लिए कार्यवाही पहले ही शुरू कर दी है। मार्च, 1986 के दौरान, राज्य सरकार ने कुट्टानाड क्षेत्र तथा अन्य जिलों के किसानों को "सिल्विनिया" घुण के 50,000 पैकेट वितरित किए। अब तक सूचित किए गए परिणाम उत्साहवर्धक हैं।

नारियल के पानी को बोतलों में भरने के सम्बन्ध में अनुसन्धान

7308. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कच्चे नारियल के पानी को बोतलों में भरकर बिना खराब हुए ताजा रखने के बारे में अनुसंधान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) कच्चे नारियल के पानी को बोतलों में भरना असंभाव्य आर्थिक प्रस्ताव है। तथापि पकी हुई गिरियों से नारियल के पानी को बोतलों में भरने के लिए, जो कि एक उप-उत्पाद है, क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला त्रिवेन्द्रम द्वारा एक प्रक्रिया विकसित की गई है, तथा इसे व्यापारिक उपयोग के लिए एक फर्म को पहले ही प्रस्तुत किया गया है।

मीठी ताड़ी को बोतलों में भरने के सम्बन्ध में अनुसन्धान

7309. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मीठी ताड़ी को जिसमें एल्कोहल नहीं होती, को बोतलों में भरने के सम्बन्ध में अनुसन्धान करने का है ताकि उसका मीठापन न हो और वह ताजी रहे; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) रसायन परिरक्षी के उपयोग तथा उष्मा बन्ध्यीकरण द्वारा भी भारत तथा श्रीलंका में पहले से ही कार्य किया गया है।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा बर्तनों तथा अन्य वस्तुओं का निर्माण

7310. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड बर्तनों और अन्य वस्तुओं का निर्माण करता है;

(ख) यदि हां, तो किस तरह के बर्तनों और वस्तुओं का निर्माण किया जाता है; और

(ग) क्या गैर सरकारी क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा निर्मित ऐसे बर्तनों की किस्म तथा मूल्यों में कोई अन्तर है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) जी नहीं, । स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड बर्तनों तथा अन्य उपकरणों का निर्माण नहीं कर रही है। परन्तु सेलम इस्पात कारखाने द्वारा उत्पादित ठंडे बेलित बेदाग इस्पात (स्टेनलेस स्टील) की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए "सेल" ने सेलम की बेदाग इस्पात की चादरों/क्वायलों से बर्तन जैसे डिनर सेट तथा अन्य भोजन के बर्तन बनाने के लिए कुछ लघु उद्योग इकाइयों की नियुक्ति की है। "सेल" द्वारा इन बर्तनों की खरीद-फरोख्त की जाती है।

(ग) सेलम की बेदाग इस्पात (स्टेनलेस स्टील) की क्वालिटी अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के तुल्य है और यह देश में सबसे बढ़िया है, अतः इससे बनाए गए बर्तन बढ़िया क्वालिटी के होंगे। इन किस्मों के उत्पादों की शुरूआत के पीछे एक उद्देश्य यह है कि घरेलू बाजार में उनकी उचित दर पर उपलब्धि सुनिश्चित की जा सकें और इस प्रकार के उपाय से मांग की प्रेरणा को भी सक्रिय रूप दिया जा सके।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की दोनिमलाई यूनिट में अयस्क उत्पादन

7313. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान कर्नाटक के वेल्लारी जिले में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की दोनिमलाई यूनिट में अयस्क का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या इस वर्ष के दौरान उक्त यूनिट के विस्तार के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के पास लम्बित पड़े हैं; और

(ग) दोनिमलाई खानों में इस समय कुल कितने श्रमिक हैं ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) पिछले वर्ष के दौरान नेशनल मिनरल डवलपमेंट कार्पोरेशन की दोणिमलै इकाई द्वारा कुल 23.30 लाख टन अयस्क का उत्पादन किया गया था।

(ख) जी नहीं।

(ग) 31-3-1986 की स्थिति के अनुसार नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन की दोणिमलै इकाई में कुल 1456 कर्मचारी हैं, जिनमें 104 कार्यपालक तथा 1322 गैर-कार्यपालक हैं।

कुद्रेमुख लौह अयस्क परियोजना

7314. **कुमारी डी० के० तारा देवी** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुद्रेमुख लौह अयस्क परियोजना कब और कितनी लागत से स्थापित की गई थी; और

(ख) इस पर अब तक कितना राशि निवेश किया गया है और उससे कितनी आय हुई है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) कुन्द्रेमुख लौह अयस्क परियोजना की स्थापना अप्रैल, 1976 में की गई थी। परियोजना की अनुमानित स्वीकृति पूंजी लागत 546.80 करोड़ रुपए है।

(ख) परियोजना पर 516.87 करोड़ रुपए का वास्तविक खर्च किया गया है। इस परियोजना को ईरान के साथ हुए करार के अन्तर्गत इस आधार पर कार्यान्वित किया गया था कि 21 वर्ष की अवधि में ईरान की इस्पात मिलों को प्रतिवर्ष 75 लाख टन की दर से लौह अयस्क सांद्रण की सप्लाई की जाएगी। चूंकि ईरान द्वारा करार पूरा न किए जाने के कारण कम्पनी को अपने उत्पादों जिनका उत्पादन विशेषकर ईरान को सप्लाई करने हेतु किया गया था, की बिक्री के लिए वैकल्पिक खरीददारों को पता लगाना पड़ा था। क्षमता का कम उपयोग होने के परिणामस्वरूप कम्पनी को घाटा हुआ।

विदेशी मत्स्य नौकाओं द्वारा झींगा मछली का पकड़ा जाना

7315. : **श्री सोमनाथ रथ** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान समुद्री कानूनों के अन्तर्गत सरकार को यह शक्ति प्राप्त है कि यदि विदेशी चार्टर मत्स्य नौकाएं झींगा मछली पकड़ती हैं, तो वह उनके चार्टर अधिकार रद्द कर दें;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विदेशी चार्टर मत्स्य नौकाएं हमारे समुद्री क्षेत्र से झींगा मछली पकड़कर ले जा रही हैं; और

(ग) हमारे मछुआरों के संरक्षण हेतु इस प्रकार के चार्टर अधिकारों को रद्द करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) भारत के समुद्री क्षेत्र (विदेशी जलयानों द्वारा मत्स्यन का विनियमन) नियम, 1982 के अनुसार, चार्टर्ड विदेशी मत्स्यन जलयानों द्वारा तटवर्ती क्षेत्र में झींगा मछली पकड़ने पर रोक लगी हुई है। इन नियमों का उल्लंघन करने पर दण्ड के रूप में जुर्माना किया जा सकता है और चार्टर परमिट रद्द किए जा सकते हैं। चार्टर्ड जलयानों द्वारा गहरे समुद्र में झींगा मछली पकड़ने पर कोई रोक नहीं है। चार्टर्ड जलयानों द्वारा बड़ी मात्रा में झींगा मछली पकड़े जाने की कोई सूचना नहीं मिली है।

(ग) चार्टर्ड जलयान चलाने के लिए सरकार द्वारा विनर्दिष्ट क्षेत्र द्वारा यह सुनिश्चित हो जाता है कि ऐसे जलयानों के चलने से परम्परागत मछुआरों तथा छोटी यांत्रिक नौकाएं चलाने वालों के हितों पर कोई असर न पड़े।

भारत के समुद्री क्षेत्र (विदेशी जलपानों द्वारा मत्स्यन का विनिमयन) अधिनियम 1981 और उसके अन्तर्गत बने नियमों से संबंधित प्रावधानों का उल्लंघन होने पर ही चार्टर परमिटों को रद्द किया जा सकता है।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड से पूंजी निवेश सहायता वापिस लेना

7316. **श्री पी० एम० सईद** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को दी जाने वाली पूंजी निवेश सहायता और ब्याज में छूट वापिस लेने का निर्णय किया है;

(ख) क्या इस बात की कोई जानकारी है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को आत्म-निर्भर होने के लिए वर्ष 1986-87 के दौरान कितना अतिरिक्त धन जुटाना पड़ेगा; और

(ग) सरकारी क्षेत्र के इस इस्पात उद्योग द्वारा वित्तीय समस्याओं से निपटने और उनका समाधान करने के लिए संयंत्र-वार क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) "सेल" के वर्ष 1986-87 के 540-96 करोड़ रुपए की स्वीकृत पूंजीगत योजनाओं के कार्यक्रम के लिए सरकार से कोई बजट सहायता लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इस कार्यक्रम के लिए धन राशि की आवश्यकता "सेल" के आन्तरिक संसाधनों से (240·96) करोड़ रुपए) तथा इस्पात विकास निधि से ऋण (300 करोड रुपए) लेकर पूरी करने की योजना है।

(ग) इस्पात कारखानों को और अधिक लाभप्रद बनाने तथा विभिन्न पूंजीगत योजनाओं पर धनराशि की आगे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक फालतू धन-राशि जुटाने के उद्देश्य से निम्नलिखित उपाय किए गए हैं किए जा रहे हैं :--

(i) कुल उत्पादन में वृद्धि और प्राडक्ट-मिक्स में परिवर्तन करके मांग के अनुरूप उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि।

(ii) तकनीकी-आर्थिक प्राचलों में सुधार तथा ऊंचा संरक्षण।

(iii) सभी उत्पादों के उत्पादन में सुधार तथा रद्दी और गौण माल की बेहतर प्राप्ति।

(iv) माल-सूचियों तथा कार्यकारी पूंजी में कमी।

(v) बेहतर उपलब्धि के लिए संयंत्रों तथा उपस्करों के रख-रखाव में सुधार।

(vi) गृहीत विद्युत उत्पादन में वृद्धि।

(vii) बेहतर क्वालिटी के आदानों की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई सुनिश्चित करना।

(viii) वर्तमान पुराने तथा अप्रचलित संयंत्रों/उपकरणों का आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकीय उन्नयन तथा नवीकरण।

(ix) अनुसंधान तथा विकास कार्य की गति तीव्र करने के प्रयास।

(x) प्रशासनिक व्यय पर नियन्त्रण।

(xi) कामगारों में जागरूकता लाने तथा दूसरे संयंत्रों/इकाइयों के कर्मचारियों में भागीदारी की भावना उत्पन्न करने के उद्देश्य से कार्य का नया माहौल बनाया जा रहा है। संगठनात्मक अनुशासन लागू किया जा रहा है।

सपरेटा दुग्ध चूर्ण का रक्षित पूल भण्डार

7317. **डा० टी० कल्पना देवी :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1985 के मध्य तक आपरेशन फ्लड-2 को दूसरे चरण में उक्त पूल के अन्तर्गत कुल 190,000 मिट्रिक टन सपरेटा दुग्ध चूर्ण तथा 36,000 मिट्रिक टन बटर ऑयल की व्यवस्था की जानी थी और वर्ष 1985 के मध्य तक दान में प्राप्त न होने वाली वस्तुओं को बिल्कुल नहीं लिया जाना था और यदि हां, तो वास्तविक उपलब्धि कितनी है; और

(ख) क्या वर्ष 1985 के मध्य तक उक्त रक्षित पूल भण्डार में 15,000 मिट्रिक टन सपरेटा दुग्ध चूर्ण तथा 7,000 मिट्रिक टन बटर/बटर ऑयल जमा किया जाना था, यदि हां, तो वास्तविक कितना होगा ?

कृषि सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) आपरेशन फ्लड-2 के तहत, यह प्रक्षेपित किया गया था कि 7 वर्ष की अवधि में 2,07,000 मीटरी टन सपरेटा दुग्ध चूर्ण तथा 56,000 मीटरी टन बटर आयल पूल बफर स्टाक में शामिल होगा। 1984-85 के दौरान भारतीय डेरी निगम को यूरोपीय आर्थिक समुदाय से 48969.278 मीटरी टन सपरेटा दुग्ध चूर्ण, 15859.397 मीटरी टन बटर आयल और 6421.050 मीटरी टन बटर प्राप्त हुआ।

(ख) आपरेशन के सातवें वर्ष में यह प्रक्षेपित किया गया है कि 15,000 मीटरी टन देशी अधिक प्राप्त सपरेटा दुग्ध चूर्ण तथा 7000 मीटरी टन समतुल्य संरक्षित बसा पूल बफर स्टाक में शामिल होगा। तथापि, 1984-85 के दौरान, 8177 मीटरी टन सपरेटा दुग्ध चूर्ण तथा 601 मीटरी टन सफेद मक्खन देशी सप्लायरों से प्राप्त हुआ जो उपहार के रूप में प्राप्त पण्य पदार्थों के साथ संचित हुआ था।

हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को जारी रखने की अनुमति

7319. **श्री वी० तुलसीराम :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, जिसका परिसमापन किया जाना था, को जारी रखने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो देश में उन इस्पात संयंत्रों के नाम क्या हैं जिन्होंने संरचना और उत्थापन कार्यों के लिए हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को क्रयादेश (आर्डर) दिए हैं और ये आर्डर कितने मूल्य के हैं;

(ग) आन्ध्र प्रदेश में ऐसे कितने इस्पात संयंत्र हैं और कम्पनी को इस प्रयोजन हेतु क्या काम सौंपा गया है;

(घ) इन आर्डरों से कम्पनी और इसके कर्मचारियों को किस हद तक सहायता मिली है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) पिछले कई वर्षों से हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड भारी संचित हानि तथा फालतू श्रमिकों की समस्याओं का सामना कर रहा है सरकार समस्या पर काबू पाने तथा इस समस्या के समाधान के लिए विभिन्न विकल्पों की जांच कर रही है।

(ख) : वर्ष 1972 से हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को इस्पात कारखानों से संविरचन तथा स्थापना सम्बन्धी कार्यों को लगभग 120 करोड़ रुपये मूल्य के क्रयादेश प्राप्त हुए हैं। इन कारखानों के नाम इस प्रकार हैं।

(i) बोकारो इस्पात कारखाना, बोकारो।
(ii) भिलाई इस्पात कारखाना, भिलाई।
(iii) दुर्गापुर इस्पात कारखाना, दुर्गापुर।
(iv) इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड, बर्नपुर।
(v) राउरकेला इस्पात कारखाना, राउरकेला।

(vi) सेलम इस्पात कारखाना और

(vii) विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना।

(ग) उपर्युक्त इस्पात कारखानों में से मात्र एक कारखाना नामतः विशाखापत्तनम इस्पात कारखाना आन्ध्र प्रदेश में है। कम्पनी को सौंपे गए कार्य इस प्रकार हैं :—

(i) सिविल कार्य;

(ii) इस्पात के ढांचों की सप्लाई, संविचरन तथा निर्माण; और

(iii) उपस्करों की सप्लाई तथा निर्माण कार्य।

(घ) इन आर्डरों से कम्पनी की एक इकाई की ऊपरी लागत के एक भाग को पूरा करने था। फालतू जन-शक्ति के एक हिस्से का लाभप्रद ढंग से उपयोग करने में सहायता मिली है।

दूध की मांग और खपत

7320. **श्रीमती शीला दीक्षित** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में दूध की प्रति व्यक्ति अद्यतन औसत खपत कितनी है;

(ख) क्या यह पर्याप्त है;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार को कब तक ऐसी स्थिति पैदा होने की आशा है जबकि स्वथ्य रहने के लिए दूध की पर्याप्त खपत हो सकेगी; और

(घ) दूध के न्यूनतम तथा अधिकतम प्रति व्यक्ति उपभोग वाले राज्यों के नाम क्या हैं?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) भारत में दूध की प्रति व्यक्ति औसत खपत सम्बन्धी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि भारत में 1984-85 में प्रति व्यक्ति प्रति दिन दूध की उपलब्धता का अनुमान 148 ग्राम लगाया गया था, जबकि भारतीय औसत अनुसंधान परिषद के प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 220 ग्राम की आवश्यकता की सिफारिश की थी।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना में लाए गए अनुमानों के अनुसार 1989-90 में दूध का उत्पादन 510 लाख मीटरी टन तक पहुंच आने की आशा है। इस प्रकार प्रति व्यक्ति प्रति दिन दूध की उपलब्धता 1989-90 में जनसंख्या 8160 लाख मानते हुए 171 ग्राम निकाली गई है।

(घ) प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता पंजाब में अधिकतम तथा नागालैंड में न्यूनतम है।

राज्य की राजधानियों में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करना

7321. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं जहां पर कोई दूरदर्शन केन्द्र नहीं है; और

(ख) इन राज्यों की राजधानियों में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) दूरदर्शन ट्रांसमीटर केन्द्र, पंजाब और हरियाणा की सांझी राजधानी (चण्डीगढ़) को छोड़कर, शेष सभी राज्यों की राजधानियों में पहले ही विद्यमान हैं। तथापि, चण्डीगढ़ में कसौली के उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर से दूरदर्शन सेवा प्राप्त होती है। दूरदर्शन की सातवीं योजना में चण्डीगढ़ में 100 वाट का ट्रांसमीटर तथा हरियाणा की राजधानी में 1किलोवाट का ट्रांसमीटर स्थापित करने की स्कीमें शामिल हैं। बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और त्रिपुरा को छोड़कर शेष सभी राज्यों की राजधानियों में दूरदर्शन स्टूडियो केन्द्र या तो पहले ही विद्यमान हैं या छठी योजना की चली आ रही स्कीमों के रूप में स्थापित किए जा रहे हैं। उक्त छः राज्यों की राजधानियों में भी दूरदर्शन स्टूडियो केन्द्रों की स्थापना करने की स्कीमें दूरदर्शन की सातवीं योजना में शामिल की गई हैं।

इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण

7322. **श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान के उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी मिशन ने इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिए हाल में भारत की यात्रा की थी यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) बातचीत के क्या निष्कर्ष निकले हैं और उस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) : जापान इण्टरनेशनल कारपोरेशन एजेन्सी (जे० आई० सी० ए०) से एक प्रारम्भिक सर्वेक्षण दल ने 26 जनवरी से 7 मार्च, 1986 तक भारत का दौरा किया था। यह बात मान ली गई थी कि जे० आई० सी० ए० "इस्को" के बर्नपुर के कारखाने के आधुनिकीकरण पर एक शक्यता रिपोर्ट तैयार करेगी। आशा है जे० आई० सी० ए० अप्रैल 1987 तक यह रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी।

इस्पात रोलिंग क्षमता

7323. **श्री यशवंत राव गडाख पाटिल** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय इस्पात पुनः रोलिंग की कितनी क्षमता उपलब्ध है और पुनः रोल की गई सामग्री की मांग कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार पुनः रोलिंग क्षमता का और विस्तार करने की अनुमति देने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) इस्पात विभाग द्वारा "पुनर्बेलन उद्योग, 1980" पर गठित तकनीकी समिति द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार 1061 पुनर्बेलन मिलों की वार्षिक क्षमता 206.8 लाख टन है। समिति द्वारा जिन इकाइयों की क्षमता का अनुमान नहीं लगाया गया है उनके आंकड़े उपलब्ध नहीं है। सातवीं पंचवर्षीय योजना पर गठित कार्यकारी दल ने वर्ष 1986-87 के दौरान 73 लाख टन अचपटे पुनर्बेलित उत्पादों की मांग का अनुमान लगाया था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) पुनर्बेलित उत्पादों की मांग की तुलना में देश में पुनर्बेलन के लिए आवश्यकता से अधिक क्षमता के लिए लाइसेंस दे दिए गए हैं। अतः सरकार सामान्यतः किसी नई क्षमता की स्थापना के पक्ष में नहीं है।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा वितरित धनराशि

7324. **श्री बाला साहेब विखे पाटिल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा वर्ष 1983-84, 1984-85 और 1985-86 के दौरान राज्य-वार कितनी धनराशि वितरित की गई है;

(ख) क्या पंजाब और हरियाणा को इस सहायता का हिसाब से अधिक भाग मिला है जबकि उड़ीसा और बिहार जैसे अविकसित राज्यों को कम भाग दिया गया है और यहां तक कि उन्हें उनका देय भाग भी नहीं मिला है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इस असंतुलन को ठीक करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है, और

(घ) क्या सरकार का विचार राज्यों को सहायता देने के लिए कोई निश्चित मार्ग निर्देश निर्धारित करने का भी है?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्यमंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख), (ग) और (घ) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम विभिन्न राज्यों में सहकारी संस्थाओं द्वारा तैयार की गई परियोजनाओं के आधार पर उन्हें सहायता प्रदान करता है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा दी गई कुल सहायता में अन्तर्राज्यीय विभिन्नता आ गई है और इस असन्तुलन को दूर करने के लिए निगम को प्रभावी उपाय करने के निर्देश दिये गए हैं। किए गए विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं : सहकारिता की दृष्टि से कम विकसित राज्यों के लिए विशेष योजना का कार्यान्वयन सहकारिता की दृष्टि से कम विकसित राज्यों की अधिक उदार शर्तों पर सहायता मुहैया कराना और सहकारिता की दृष्टि से कम विकसित राज्यों में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना ताकि परियोजना तैयार करने तथा कार्यान्वयन के प्रबोधन में आने वाली कठिनाइयां दूर हो सकें।

विवरण

(लाख रुपए)

क्रम सं०	राज्य का नाम	1983-84	1984-85	1985-86
1.	आन्ध्र प्रदेश	655.278	653.124	862.457
2.	असम	79.170	160.902	356.083
3.	बिहार	530.572	861.171	489.409
4.	गुजरात	257.875	353.244	523.439
5.	हरियाणा	559.882	211.370	65.595
6.	हिमाचल प्रदेश	222.686	209.288	262.494
7.	जम्मू व कश्मीर	15.790	—	—
8.	कर्नाटक	567.906	569.834	704.641
9.	केरल	183.349	140.310	512.832
10.	मध्य प्रदेश	1412.732	1346.527	1117.201
11.	महाराष्ट्र	2675.081	1426.260	1405.336
12.	मणिपुर	31.934	27.314	88.242
13.	मेघालय	17.815	19.648	13.144
14.	नागालैंड	29.000	—	—
15.	उड़ीसा	637.950	600.507	474.376

क्र० सं०	राज्य का नाम	1983-84	1984-85	1985-86
16.	पंजाब	1031.236	1013.650	808.231
1.	राजस्थान	830.150	518.634	804.688
18.	सिक्किम	17.000	40.000	0.049
19.	तमिलनाडु	505.310	823.162	515.820
20.	त्रिपुरा	35.020	95.924	45.978
21.	उत्तर प्रदेश	1890.693	2903.303	2090.278
22.	पश्चिम बंगाल	439.551	494.074	449.084
23.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	—	1.860	5.080
24.	पांडिचेरी	1.950	0.480	4.289
25.	चण्डीगढ़	0.600	—	—
26.	अन्य	106.104	440.466	433.830
	कुल	17725,634	12911,052	12032.576

बंगलौर में सरकारी कर्मचारियों को मकानों का आबंटन

7325. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर नगर में काम करने वाले केन्द्रीय सरकार के अनेक कर्मचारियों को मकानों का आबंटन प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार कर्नाटक सरकार से कहेगी कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर मकानों का आबंटन किया जाए ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) केवल आपसी प्रबन्ध के अन्तर्गत कुछ अपवादात्मक मामलों को छोड़कर राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को आवास आबंटित नहीं करती हैं। इसलिए, केन्द्रीय सरकार कर्नाटक सरकार से बंगलौर में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को आवास आबंटित करने हेतु आग्रह नहीं कर सकती।

सहकारी समितियों और वाणिज्यिक बैंकों में अल्पावधि ऋण

7326. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सहकारी समितियों और वाणिज्यिक बैंकों ने वर्ष 1985 के दौरान प्रत्येक राज्य में

किसानों को कितना अल्पावधि ऋण दिया है;

(ख) प्रत्येक राज्य में इस राशि में से एजेंसीवार कितनी राशि विस्तृत फसल ऋण बीमा योजना के अन्तर्गत दी गई;

(ग) क्या इसके अन्तर्गत दिये जाने वाले ऋण में कमी आई है और यदि हां, तो इस कमी के क्या कारण है; और

(घ) इसमें सुधार लाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सहकारी वर्ष 1984-85 (1 जुलाई, 1984 से 30 जून, 1985) के दौरान सहकारी ऋण संस्थाओं द्वारा जारी किए गए अल्पावधि ऋण के सम्बन्ध में राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण-1 में दी गई है। वर्ष 1984-85 के दौरान वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा अल्पावधि ऋण के रूप में अनुमानतः 1110 करोड़ रुपए की राशि दी गई। इस सम्बन्ध में राज्यवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(ख) खरीफ 1985 के दौरान 540.81 करोड़ रुपये की बीमाकृत राशि का कारोबार हुआ। यह राशि संस्थागत एजेंसियों द्वारा वितरित फसल ऋण का 150 प्रतिशत है। इसमें कवर किये गए राज्यवार आंकड़े संलग्न विवरण-2 में दिए गए हैं। फसल बीमा के कवरेज एजेंसीवार आंकड़े एकत्र नहीं किए गए, अतः ये उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) बीमा योजना केवल पांच फसलों यथा चावल, गेहूं, दलहन, तिलहन तथा कदन्न तक ही सीमित थी और वह भी उन क्षेत्रों में जहां फसल बीमें के कार्य के लिए 'परिभाषित क्षेत्र' अधिसूचित कर दिया गया था और उन राज्यों में जिन्होंने योजना को लागू किया था।

(घ) जिन राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों ने खरीफ 1985 से फसल बीमा योजना को लागू नहीं किया था, उनसे इस योजना को लागू करने का अनुरोध किया गया और केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के फलस्वरूप राजस्थान, जम्मू व कश्मीर, अन्दमान व निकोबार द्वीपसमूह और गोवा, दमन और दीव ने रबी 1985-86 से इस योजना को अमल में लाना शुरू कर दिया है।

विवरण-1

(रुपए करोड़ों में)

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	1984-85 के दौरान दिए गए ऋण (अनन्तिम)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	187.60
2.	असम	4.60
3.	बिहार	26.58
4.	गुजरात	166.74

1	2		3
5.	हरियाणा	...	175.82
6.	हिमाचल प्रदेश	...	3.51
7.	जम्मू व कश्मीर	...	4.31
8.	कर्नाटक	...	114.90
9.	केरल	...	390.00
10.	मध्य प्रदेश	...	167.31
11.	महाराष्ट्र	...	311.62
12.	मणिपुर	...	0.03
13.	मेघालय	...	1.19
14.	नागालैंड		2.00
15.	उड़ीसा	...	59.02
16.	पंजाब	...	332.83
17.	राजस्थान	...	97.39
18.	सिक्किम	...	0.12
19.	तमिलनाडु	...	110.80
20.	त्रिपुरा	...	0.35
21.	उत्तर प्रदेश	...	221.12
22.	पश्चिम बंगाल	...	42.00
संघ शासित क्षेत्र		...	
23.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	...	0.08
24.	अरुणाचल प्रदेश	...	0.15
25.	चण्डीगढ़	...	0.032
26.	दादरा और नगर हवेली	...	3.022
27.	दिल्ली	...	1.40
28.	गोवा दमन और दीव	...	0.48
29.	लक्षद्वीप	...	0.056

1	2		3
30.	मिजोरम	...	0.03
31.	पाण्डिचेरी	...	1.46
		योग	2333.56

विवरण-2

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम		बीमाकृत राशि (रुपयों में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	...	1,76,93,40,000
2.	बिहार	...	6,70,84,296
3.	गुजरात	...	1,09,46,10,000
4.	कर्नाटक	...	26,99,34,000
5.	केरल	...	7,33,11,019
6.	मध्य प्रदेश	...	14,02,35,000
7.	महाराष्ट्र	...	78,11,11,837
8.	उड़ीसा	...	17,53,24,359
9.	तमिलनाडु	...	18,49,62,141
10.	उत्तर प्रदेश	...	55,00,00,000
11.	पश्चिम बंगाल	...	29,48,11,804
12.	पाण्डिचेरी	...	73,94,984
		योग	5,40,81,19,440

भारतीय प्रसारण (कार्यक्रम) सेवा का गठन

7327. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय प्रसारण (कार्यक्रम) सेवा नाम से एक नई सेवा बनाई है अथवा बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो विभाग में इस समय ऊंचे ओहदों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों की स्थिति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां। सरकार ने भारतीय प्रसारण कार्यक्रम सेवा के नाम से एक नई समूह "क" केन्द्रीय सेवा का गठन करने का निर्णय लिया है [जिसमें इसी प्रकार की अन्य गैर-तकनीकी केन्द्रीय सेवाओं में पाये जाने वाले समतुल्य ग्रेड तथा वेतनमान होंगे। सेवा का अभी गठन नहीं हुआ है।

(ख) प्रस्तावित नियमों के अनुसार, आकाशवाणी दूरदर्शन के कार्यक्रम संवर्ग के उन सभी अधिकारियों को, जो प्रस्तावित सेवा मे शामिल किए जाने वाले वेतनमानों के पदों पर नियमित आधार पर नियुक्त हैं, नियत तारीख से नई सेवा के सदस्य माने जाने की संभावना है।

महाराष्ट्र में यातायात और परिवहन की समस्या से निपटने की योजना के लिए सहायता

7328. **श्री मुरलीधर माने** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को महाराष्ट्र सरकार से वहां की यातायात और परिवहन की समस्या से निपटने के लिए प्रस्ताव अथवा योजना प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई योजना के लिए सहायता देने के लिए सहमत हो गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य (मंत्री श्री दलबीर सिंह) : (क) तथा (ख) जी, हां। मैनखुर्द-बेलापुर रेलवे लाइन को पूरा करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से सहायता का अनुरोध किया था। वित्तीय सहायता की रूपात्मकताओं का आकलन किया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने बम्बई नगर परिवहन के बारे में विश्व बैंक सहायता प्राप्त करने हेतु एक प्रस्ताव भी भेजा है। कतिपय स्पष्टीकरण मांगे गए हैं जिनके प्राप्त होने पर ही विश्व बैंक की सहायता के लिए इस परियोजना को लेने की व्यवहार्यता पर विचार किया जा सकता है।

तूफान प्रभावित स्थानों में आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए धनराशि का उपयोग

7329. **श्री एस० पलाकोंड्रायुडू** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेल्लोर और चित्तूर जिलों के तूफान प्रभावित क्षेत्रों में बनाए जा रहे 116 आंगनबाड़ी केन्द्रों के सम्बन्ध में पुनर्विचार करने और आन्ध्र प्रदेश सरकार को धनराशि का उपयोग करने की अनुमति देने के बारे में केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकार से कोई पत्र प्राप्त हुआ है; और

(ख) स्वीकृति देने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क)जी हाँ। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने विशेष पोषक कार्यक्रमों के लिए स्वीकृत 62.28 लाख रुपए का 1984 के तूफान/बाढ़ के परिणामस्वरूप आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण करने हेतु उपयोग करने के सम्बन्ध में भारत सरकार की स्वीकृति के लिए अनुरोध किया है।

(ख) राज्य सरकार के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया है। विशेष पोषक कार्यक्रम जैसी मद के लिए विशेष रूप से निर्धारित केन्द्रीय सहायता की, जिसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों की मदद करना है, किसी और जगह उपयोग करने की स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकती। राहत सम्बन्धी उच्च स्तरीय समिति ने अन्त: क्षेत्रीय परिवर्तन के मामले पर विचार करते समय यह राय दी कि ऐसे परिवर्तनों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि इसके कारण सुस्थापित सिद्धान्तों से परे हटना होगा।

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : महोदय, भारत की रक्षा की दृष्टि से एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण मुद्दा उठाया जा रहा है.....

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर साहब मैं बिना किसी आधार के अनुमति नहीं दे सकता। आप अटकलें लगा रहे हैं। यह कोई तरीका नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। एच०बी०जे० पाइपलाइन का ठेका स्नैय प्रोगती को दिया जाना चाहिए था.....

अध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : आप हमेशा प्रो० मधु दंडवते को ऐसी फालतू बातें पूछने की अनुमति देते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आज मैंने उन्हें अनुमति नहीं दी है क्योंकि आज मुझे उनकी बात असंगत लगी।

प्रो० मधु दंडवते : श्रीमान तिवारी जी क्या आप समझते हैं कि रक्षा फालतू बात है ? क्या आप जानते हैं कि क्या प्रश्न पूछा जा रहा है ?

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय, आपने भारत-पाक सम्बन्धों पर चर्चा करने का वायदा किया था। कई घटनाएं हो रही हैं और स्थिति बिगड़ रही है, इसमें पाकिस्तान में लोकतंत्रीय शासन के लिए किया जा रहा संघर्ष भी शामिल है।

अध्यक्ष महोदय : आपको विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर वाद विवाद करने का मौका दिया गया था।

प्रो० के० के० तिवारी : हमने उस पर चर्चा की। बाद में हम उस पर वाद-विवाद करना चाहते हैं और आपने इसकी अनुमति देने का वायदा किया था। मेरे नोटिस के बारे में आपका क्या विनिर्णय है ?

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर बाद में बात करेंगे क्योंकि हम विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर वाद–विवाद कर चुके हैं। (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : पत्रकारों और गैर-पत्रकारों सम्बन्धी वेतन बोर्ड .....के कारण गम्भीर स्थिति पैदा हो गई है।

अध्यक्ष महोदय : आप कोई प्रस्ताव रख सकते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कृपया मेरी बात सुनिए। वेतन बोर्ड का निर्णय एकमत से दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप कोई प्रस्ताव रखिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने आपके समक्ष प्रस्ताव रखा है। पत्रकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो सदस्यों के विरोध की उपेक्षा करके उन्होंने बहुमत से निर्णय दे दिया है।

अध्यक्ष महोदय : हम तथ्यों का पता लगाएंगे। श्री कुलनदईवेलू।

श्री पी० कुलनदईवेलू (गोबिचेट्टिपालयम) : मैंने नियम 193.....के अधीन नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर विचार कर सकते हैं। इसमें कोई मुश्किल नहीं है।

श्री शांताराम नायक (पणजी) : खाना पकाने की गैस कम्पनियां.....

अध्यक्ष महोदय : इस तरह नहीं। आप मुझे कोई नोटिस दे सकते हैं। आप आकर मुझसे मिल सकते हैं। हम इस पर विचार करेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप उन्हें वक्तव्य देने के लिए कहिए और हमें बताइए कि वे क्या कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा।

श्री पी० कुलनदईवेलू : यह बहुत गंभीर मामला है.....

अध्यक्ष महोदय : श्रीमान कुलनदईवेलू, आप मुझे लिखित में दे सकते हैं। मैं इस पर विचार करूंगा, इतना ही काफी है। मैं यहां निर्णय नहीं ले सकता।

श्री पी० कुलनदईवेलू : मुझे अपनी बात तो कहने दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : कुछ कहने का प्रश्न ही नहीं उठता । व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है । श्री कुलनदईवेलू ने जो कुछ कहा, वह असंगत है । मैंने उनका विरोध किया है । इसकी अनुमति नहीं है ।

(व्यवधान)**

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा)— खड़े हुए ।

अध्यक्ष महोदय : श्री सैफुद्दीन हमें आज सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा करनी है ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मंत्री महोदय यहां उपस्थित हैं ; वह वक्तव्य दे सकते हैं·····

(व्यवधान)

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (संगरूर)—खड़े हुए ।

अध्यक्ष महोदय : श्री रामूवालिया, मुझे आपका पत्र मिला है और मैं इस पर विचार करूंगा ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : कृपया मुझे अनुमति दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है ।

(व्यवधान)**

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आप जो कुछ कह रहे हैं । वह मुझे स्वीकार नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : आप समझते नहीं है । श्री सैफुद्दीन, अपनी सीमा से बाहर मत जाइए। यह न तो विशेषाधिकार का प्रश्न है और न ही स्थगन से सम्बन्धित । इसकी अनुमति नहीं हैं ।

(व्यवधान)**

श्री रामप्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : बहुत ही गम्भीर स्थिति पैदा हो गयी है । यह बहुत दुर्भाग्य की बात है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिए । कृपया बैठ जाइए । श्रीमान चौधरी, मैं चाहता हूं कि आप एक बात समझ लीजिए । यदि आप कोई स्थगन प्रस्ताव रखते हैं, तो कृपया पहले नियम पढ़िए ।

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैं किसी भी तरह यह मामला उठाना चाहता हूं। उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए·····(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप जो चाहें वही प्रश्न नहीं पूछ सकते। यह बहुत खराब बात है। श्रीमान सैफुद्दीन, ठीक ढंग से पेश आईए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : वे कैसा व्यवहार कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : जब मैं बोल रहा हूं तो आपको बैठ जाना चाहिए। बस इतना ही पर्याप्त है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आप जो कुछ भी करते हैं, पहले नियम पढ़िए और फिर तदानुसार काम कीजिए। मैं किसी चर्चा के लिए मना नहीं कर रहा हूं। मैंने किसी चर्चा के लिए मना नहीं किया है। आपका प्रश्न संगत है। मैं इससे सहमत हूं। लेकिन आप इसे किसी दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं। यह स्थगन सम्बन्धी प्रश्न नहीं है। आप इसे आज सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा के समय पूछ सकते हैं। आप प्रश्न पूछ सकते हैं मैं इसकी अनुमति दूंगा।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : धन्यवाद महोदय।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : मेरे अनुरोध का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही उस पर ध्यान दिया है। मैं मामले पर विचार कर रहा हूं। मुझे आपका पत्र मिल गया है। मैं इस पर विचार कर रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : कलैक्टर ने दो एम०पीज० की बेईज्जती की है···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : फिर वही बात।

[अनुवाद]

मैं इसे तुरन्त नहीं कर सकता। मुझे तथ्यों का पता लगाना होगा।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : आपको हमारे अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी ऐसा ही करने की कोशिश कर रहा हूं। सब कुछ नियमानुसार होता है। मैं नियमानुसार चलूंगा। कृपया बैठ जाईए; अपना-अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव···रखा है···

अध्यक्ष महोदय : आप इस तरह नहीं कर सकते।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री बलवन्त सिंह रायूवालिया : हम किसके पास जाएं ? आपको हमारे अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। आप सभा के अभिरक्षक हैं···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : समाचार-पत्रों में कई बातें प्रकाशित हो रही हैं। मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। इसकी अनुमति नहीं है।

(व्यवधान) **

श्री राम प्यारे पनिका : यह बड़े दुर्भाग्य की बात है···

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिखित में दे सकते हैं। ऐसा महत्वपूर्ण मामला नहीं है।

श्री राम प्यारे पनिका : मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा। आप मेरा ध्यान इस तरह आकर्षित नहीं कर सकते।

श्री राम प्यारे पनिका : कृपया मेरी बात सुनिए।

अध्यक्ष महोदय : नहीं।

प्रो० मधु दंडवते : कृपया मेरी बात सुनिए ··(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह असंगत है। इसका कोई आधार नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : बिना सुने ही ··(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप आकर मुझे समझाइए कि आप क्या कह रहे हैं क्योंकि मैं समझता हूं कि यह असंगत है मुझे अपसे ऐसी आशा नहीं थी।

प्रो० मधु दंडवते : आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं ? यदि आप नाराज हैं तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमान, मैं नाराज नहीं हूं।

प्रो० मधु दंडवते : आप अपने अधिकारों का प्रयोग करते रहिए और कहिए कि आप मेरी बात नहीं सुनना चाहते। यदि आप मेरी बात नहीं सुनना चाहते तो मैं भी कुछ कहना नहीं चाहता।

अध्यक्ष महोदय : नहीं नहीं। यह कोई तरीका नहीं है। मैं आपकी बात तब सुनना चाहूंगा जब संगत होगी। आप मेरे पास आइए और मुझे समझाइए क्योंकि मैं नहीं समझता कि यह बात संगत हैं।

** कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री एच० के० एल० भगत।

12.06 म० प०

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्रालय के कार्यकरण की वर्ष 1986-87 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें

[अनुवाद]

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्रालय की वर्ष 1986-87 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 2517/86]

..... (व्यवधान)

श्री पी० कुलनदई बेलू (गोबियेट्टिपालयम) : महोदय, क्या आप नियम 193 के अंतर्गत अनुमति देने जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमान, आप मेरे पास आ सकते हैं। मैं आपकी बात सुनूंगा।

श्री पी० कुलनदईबेलू : महोदय, ठीक है।

श्री सुरेश कुरूप : सहायक प्रवर्तन निदेशालय ने समाचार पत्र में एक वक्तव्य दिया है .....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस तरह का कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। आप आकर मुझे मिल सकते हैं। यह कोई तरीका नहीं है

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं। इसकी अनुमति नहीं है।

(व्यवधान) **

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है। आप बैठ जाइए। अपना स्थान ग्रहण कीजिए...

(व्यवधान) **

अध्यक्ष महोदय : आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। कृपया श्री कुरूप

व्यवधान : **

अध्यक्ष महोदय : श्री खुर्शीद आलम खां।

** कार्यवाही कृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

1986-87 की वस्त्र मन्त्रालय कीअनुदानों की ब्यौरेवार मांगें

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : मैं 1986-87 की वस्त्र मंत्रालय की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं। **[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 2518/86]**

···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुरूप महोदय, क्या मुझे आपको बाहर जाने के लिए कहना पड़ेगा ?···

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया नहीं। कृपया बैठ जाइए। भगवान के लिए बैठ जाइए। आप आइए और इस पर चर्चा कीजिए। यह कोई तरीका नहीं है। आप इसे ऐसा नहीं कर सकते। कृपा करके इसे मत कीजिए।

श्री सुरेश कुरूप : मैंने नोटिस दिया है।·····**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : चाहे आपने नोटिस दिया है परन्तु आप आइए और मुझसे मिलिए। मुझे अभी यह निश्चित करना है। मैंने कभी भी आपको किसी भी बात के लिए मना नहीं किया है। आपका हमेशा स्वागत है।

श्री एच० ए० डोरा (श्रीकाकुलम) : महोदय तेलगू देशम् के बहुत से सदस्यों ने नोटिस दिया है···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : डोरा महोदय, आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है।

श्री एच० ए० डोरा : महोदय, व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : फिर यह क्या है ?

श्री एच० ए० डोरा : हमने एक नोटिस दिया है ··**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर चर्चा कर सकता हूं और आप मेरे पास आ सकते हैं। मैं सभा में यहां नोटिसों पर चर्चा नहीं करूंगा। यह नोटिसों पर चर्चा करने का स्थान नहीं है। आप मेरे पास आकर इस पर चर्चा कर सकते हैं। आप किसी भी समय आ सकते हैं। यह आपका कक्ष है·····

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : महोदय मैं आपकी सेवा में वहां हमेशा उपस्थित रहता हूं। आपका सेवक सदैव तत्पर है।

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

1986-87 की कल्याण मंत्रालय की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें

कल्याण मन्त्रालय की राज्य मन्त्री(डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी) : मैं 1986–87 की कल्याण मन्त्रालय की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभापटल पर रखती हूं। [ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 2519/86]

अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) केन्द्रीय (संशोधन) नियम 1986

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : मैं अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन) और सेवा शर्तें अधिनियम, 1979 की धारा 35 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) केन्द्रिय (संशोधन) नियम, 1986 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 25 फरवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 316 (अ); में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूं। [ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 2520/86]

1986-87 की वित्त मन्त्रालय की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें तथा 1986-87 की संसद, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के सचिवालयों और संघ लोक सेवा आयोग की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) वर्ष 1986–87 की वित्त मन्त्रालय की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) [ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 2521/86]

(2) वर्ष 1986–87 की संसद, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के सचिवालयों और संघ लोक सेवा आयोग को अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) [ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 2522/86]

वर्ष 1986-87 की महिला कल्याण विभाग की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें

शिक्षा और संस्कृत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : महोदय श्रीमती मारग्रेट अल्वा की ओर से मैं वर्ष 1986–87 की महिला कल्याण विभाग की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं। [ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०2523/86]

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत अधिसूचनायें, स्टेट फार्मस कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली के वर्ष 1984–85 के कार्यकारण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब को दर्शाने वाला विवरण आदि

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं—

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत उर्वरक (नियन्त्रण) (दूसरा संशोधन) आदेश 1986, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 19 मार्च 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का० नि० 508 (अ) में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०2524/86**]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) स्टेट फार्मस कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) स्टेट फार्मस कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रण–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [**ग्रन्थालय में रखे गये देखिए संख्या एल० टी० 2525/86**]

(4) (एक) नेशनल कोआपरेटिव लैंड डिवेलपमेंट बैंक्स फेडरेशन लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(दो) नेशनल कोआरेटिव लैंड डिवेलपमेंट बैंक्स फैडरेशन लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1984–85 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल कोआपरेटिव लैंड डिवेलपमेंट बैंक्स फैडरेशन लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1984–85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) [**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 2526/86**]

(5) (एक) नेशनल कोआपरेटिव टबैको ग्रोअरस फेडरेशन लिमिटेड, आणन्द के वर्ष 1983–84 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल कोआपरेटिव टबैको ग्रोअरस फेडरेशनलिमिटेड, आणन्द के वर्ष 1983–84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 2527/86]

(7) (एक) नेशनल फेडरेशन आफ लेबर कोआपरेटिव्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1984–85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल फेडरेशन आफ लेबर कोआपरेटिव्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखे गये देखिए संख्या एल० टी० 2528/86]

(9) (एक) नेशनल कोआपरेटिव डिवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल कोआपरेटिव डिवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल कोआपरेटिव डिवलपमेट कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०2529/86]

(11) (एक) नेशनल कोआरेटिव यूनियन आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल कोआपरेटिव यूनियन आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल कोआपरेटिव यूनियन आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 2530/86]

(13) (एक) नेशनल कोआपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल कोआपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल कोआपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 2531/86]

———

12.00 म० प०

प्राक्कलन समिति

28 वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही-सारांश

[अनुवाद]

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : मैं परिवहन मन्त्रालय-जल भू-तल परिवहन विभाग-पत्तनों पर भीड़-भाड़ के बारे में प्राक्कलन समिति का 28वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्सम्बन्धी बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं।

———

12.08 ½ म० प०

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : "शिक्षा की चुनौती एक नीति परिपेक्ष्य" नामक दस्तावेज लोक सभा में दिनांक 20 अगस्त 1985 को प्रस्तुत किया गया था। सदन में, इस दस्तावेज पर दिनांक 10, 11 और 12 दिसम्बर 1985 को चर्चा की गई थी।

शिक्षा नीति सम्बन्धी मुद्दों पर राष्ट्रव्यापी चर्चा हुई थी। इन चर्चाओं तथा विभिन्न अन्य संसूचनाओं के निष्कर्षों पर विचार करने के बाद मानव संसाधन विकास मन्त्रालय ने : राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 'एक प्रस्तुती' नामक एक दस्तवेज तैयार किया है, जो केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड और राष्ट्रीय विकास परिषद की क्रमशः 27-28 अप्रैल और 29-30 अप्रैल, 1986 को होने वाली बैठकों में एक चर्चा दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। इस दस्तावेज की प्रतियां संसद पुस्तकालय में माननीय सदस्यों की सूचनार्थ रखी जा रही है।

प्रारूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 से सम्बन्धित एक अन्तिम विवरण संसद के वर्तमान सत्र के दौरान इस सदन के सम्मुख विचार करने और अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

12.09 म०प०

नियम 377 के अधीन मामले

[हिन्दी]

(एक) मध्य-प्रदेश के प्रत्येक जिले में सरकारी क्षेत्र के उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता

श्री डाल चन्द्र जैन (दमोह) : अध्यक्ष महोदय मैं नियम 377 के अधीन लोकमहत्व के निम्न विषयों की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं :

बुन्देलखण्ड, मध्य-प्रदेश का भू भाग पिछड़ा एवं उद्योगविहीन तथा साधन-विहीन है। वहां की जनता के लिए अपना घर छोड़कर बड़े शहरों को भागना पड़ता है। जो वहां रह जाते हैं, वे चोरी, डकैती जैसे जुर्म में संलग्न हो जाते हैं जिससे वहां का वातावरण हमेशा भयग्रस्त बना रहता है।

अतः मेरा निवेदन है कि उसके विकास के लिए सरकारी क्षेत्र में प्रत्येक जिले में एक-एक बड़ा उद्योग स्थापित किया जाए और केन्द्रीय शासन हर तरह की सहूलियत स्थापित करने वालों को दे,

[श्री डाल चन्द्र जैन]

जिससे कि वहां का विकास हो सके और वहां की जनता को कार्य मिल सके तथा वे अपना घर-बार छोड़कर शहरों की ओर न भागें।

[अनुवाद]

(दो) बिहार में रोहतास उद्योग समूह को फिर से चालू करने की मांग

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : महोदय, रोहतास उद्योग समूह, डालमियां नगर, बिहार के अन्तर्गत कागज, सीमेंट, ऐस्बेस्टास, इस्पात, वनस्पति, इन्जीनियरिंग सामान इत्यादि आते हैं। यह बिहार का प्रमुख औद्योगिक समूह है जिसमें 8000 लोग कागज उद्योग में, 1200 सीमेंट उद्योग में, 600 ऐस्बेस्टास उद्योग में, 600 वनस्पति उद्योग में, 2000 सामान्य तथा अन्य कई उद्योगों में लगे हैं। इनकी कुल संख्या 15000 बैठती है।

उन्हें वेतन के रूप में लगभग एक करोड़ रुपये मिलते थे। औद्योगिक समूह अन्य मदों पर लगभग एक करोड़ रुपया व्यय करती थी। डिहरी बिहार के लाखों परिवार उससे आजीविका कमाते थे।

लगभग 3 वर्षों से उद्योग बन्द पड़े हैं। पता चला है कि इन उद्योगों पर 25 करोड़ रुपया बकाया है। अनुमान लगाया गया है कि इन उद्योगों को पुनः चालू करने के लिए 60 करोड़ रुपयों की आवश्यकता होगी।

इस समय वहां पर काम करने वाले सभी व्यक्ति भूखों मर रहे हैं। कुछ तो मर गये हैं। इन कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि उन्हें वेतन मजदूरी की अदायगी की जाए परन्तु यह अभी तक नहीं की गई है।

इस मामले में प्रधानमन्त्री, भारत सरकार के उद्योग मंत्री, बिहार के मुख्य मंत्री को अभ्यावेदन दिए गए थे। उद्योग समूहों के स्वामियों को कई पत्र लिखे गए थे कि उनके द्वारा स्थापित उद्योग डूब रहे हैं। परन्तु उन उद्योगों को पुनः शुरू करने के लिए कुछ नहीं किया गया।

अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि रोहतास उद्योग समूह को पुनः शुरू करने के लिए उचित कार्यवाही करें ताकि प्रभावी लोग अपनी आजीविका कमा सकें। यह मामला अविलंबनीय लोक महत्व का है।

(तीन) पुरी और नई दिल्ली के बीच चलने वाली 915 और 916 सुपर फास्ट रेलगाड़ियों का निर्धारित समय और मार्ग पहले जैसा करने की आवश्यकता

श्री चिन्तामणि जेना (बालासोर) : यात्रियों की तथा राज्य सरकार की चिरकालीन मांग को

पूरा करने के लिये रेलवे ने नवम्बर, 1984 से पवित्र तीर्थस्थल पूरी से नई दिल्ली के बीच सुपर फास्ट गाड़ी 915 तथा 916 चालू की जो राज्य की राजधानी भुवनेश्वर को संघ की राजधानी दिल्ली नई दिल्ली से जोड़ती है जो कि खड़कपुर अद्रा, गया, मुगलसराय, इलाहाबाद, कानपुर, तथा टुंडला के मार्ग से जाती है तथा 2136 किमी की यात्रा 33 घण्टों में पूरी करती है। चूंकि नीलांचल एक्सप्रैस नई दिल्ली रात को 9.30 बजे पहुंचती थी जिससे हजारों यात्रियों को कठिनाई होती थी। इसलिए हजारों यात्रियों द्वारा लगातार यह मांग की जा रही थी कि इन दोनों गाड़ियों का समय इस ढंग से निर्धारित किया जाए कि गाड़ी नं० 175 शाम 6.00 बजे से पहले नई दिल्ली पहुंच जाए ताकि दिल्ली के यात्रियों को अपने गन्तव्य स्थानों पर पहुंचने में दिक्कत न हो। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए 915/916 चालू की गई तथा उसका समय इस तरह से निर्धारित किया गया कि यह नई दिल्ली से 7.10 बजे चले तथा वापस नई दिल्ली 6.25 सायं पहुंचे जोकि यात्रियों के लिए अत्यन्त सुविधाजनक थी। परन्तु न जाने क्यों 1 अप्रैल 1969 को उसका समय बदल दिया गया जिससे यात्रियों में असंतोष फैल गया क्योंकि 915/916 गाड़ियां 33 घंटों के स्थान पर 36 घंटे लेने लगी तथा दिल्ली से 7.10 के स्थान पर 6 बजे चलने लगी तथा नई दिल्ली सायं 6.25 के स्थान पर 9.30 पहुंचने लगी। परन्तु वास्तव में यह 38 से 40 घटे लेती हैं क्योंकि गाड़ी नं० 915 नई दिल्ली प्रतिदिन 1½ से 3 घंटे लेट पहुंचती है। ऐसे ही गाड़ी नम्बर 916 पुरी प्रतिदिन 3-4 घंटे लेट पहुंचती है।

ऐसे हालात में मैं परिवहन मंत्री से निवेदन करता हूं कि रेलों के समय पर पुनर्विचार करें तथा 915/916 गाड़ियों का पहले वाला समय और मार्ग बहाल करें ताकि यात्रियों की वास्तविक कठिनाइयां दूर हों।

[हिन्दी]

(चार) दिल्ली के अनधिकृत बस्तियों के मकानों में और अनाज की गुदाई के लिए किसानों को बिजली देने की आवश्यकता

श्री भरत सिंह (बाह्य दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, आज देहली में अनाधिकृत कालोनियों में लाखों की संख्या में मकान बने हैं। 612 कालोनियों में कुछ पास हुई और कुछ कालोनी जिनके लिस्ट में नाम हैं, इनको अभी तक पास नहीं किया। इन कालोनियों में बिजली की लाइन नहीं मिलती जबकि सरकार की इतनी ही बिजली खर्च होती है। इनके बच्चे भी रात को बिजली की रोशनी में पढ़ना चाहते हैं। वह डेसू को मीटर का बिल देंगे जिससे डेसू को भी आमदनी होगी।

जो मकान 1981 के पहले बने हैं सरकार की तरफ से सर्वे कराकर इन सब को अधिकृत घोषित किया जाए और इन सब मकानों में लाइट दी जाए। 612 कालोनियों में जो बची हैं उनका सर्वे हो चुका है। इन्हें पास करके तुरन्त बिजली दी जाए। आजकल किसान फसल थ्रेशर से अनाज मंडियों में ले जा रहे हैं। शिकायत के दफ्तरों में तीन शिफ्ट, पिछले साल की तरह प्रबन्धक करें जिससे

[श्री भरत सिंह]

वर्ष से पहले गेहूं अपने घरों में ले जा सकें। वर्षा से अनाज खराब होता है। इस कारण किसान को बिजली हर वक्त मिलनी चाहिए।

[अनुवाद]

(पांच) अहमदनगर शहर को वायुदूत सेवा से जोड़ने की आवश्यकता

श्री यशवंतराव गड़ाख पाटिल (अहमदनगर) : अहमदनगर जिला महाराष्ट्र का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। महाराष्ट्र की 67 सहकारी चीनी फैक्टरियों में से 17 अहमदनगर जिले में स्थित हैं। इसके अलावा बहुत से अन्य उद्योग वहां पर स्थित हैं तथा कई नए स्थापित हो रहे हैं। जिला मुख्यालय अहमदनगर शहर में है। इस समय औद्योगिक विकास के कारण बढ़े हुए परिवहन के बावजूद यह विमान सेवा से नहीं जुड़ा है। बम्बई के साथ विमान सेवा के अभाव में लोगों को असुविधा होती है। अतः निवेदन है कि अहमदनगर को यथाशीघ्र वायुदूत सेवा से जोड़ा जाए।

(छः) आन्ध्र प्रदेश की पोलावरम परियोजना को शीघ्र स्वीकृति देने की आवश्यकता

श्री गोपाल कृष्ण थो. ा (काकीनाडा) : सरकार ने भूमिगत पानी के लिए "केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड" नाम से एक पृथक विभाग स्थापित किया है। इसका प्रमुख उद्देश्य भूमिजल को प्राप्त करना है। परन्तु धीरे-धीरे जल स्तर गिरता जा रहा है। पूरे आन्ध्र प्रदेश राज्य में बोर किए गए कुओं से परेशानी हो रही है। कुछ विशेषज्ञों ने राय दी है कि यदि पानी का बहाव हो तो खुदाई किए गए कुओं का स्तर नीचा नहीं जाएगा। आन्ध्र प्रदेश देश में सबसे अधिक चावल उत्पादन न करने वाला राज्य है। आन्ध्र प्रदेश में पर्याप्त जल संसाधन उपलब्ध हैं। उस जल को परियोजनाओं द्वारा जमा किया जाना चाहिए। पोलावरम् परियोजना उनमें से एक है। पोलावरम् की बांयी नहर से पूर्वी गोदावरी जिले तथा विशाखापत्तनम जिले के कुछ भागों को लाभ पहुचेगा। दांयी नहर से पश्चिमी गोदावरी जिले और कृष्णा जिले को लाभ पहुंचेगा। गोदावरी नदी में बांयी मुख्य नहर में हम विशाखापत्तनम तक नौवहन की सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं। इस परियोजना से हमें बिजली भी प्राप्त होगी। अतः कृपया पोलावरम् परियोजना को स्वीकृति प्रदान करें।

(सात) बंगलौर में डिजिटल इलैक्ट्रोनिक स्वीचिंग एक्विपमेंट फैक्टरी की एक रिकार्ड यूनिट स्थापित करने की आवश्यकता

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : महोदय, 1983 के शुरू में भारतीय टेलीफोन उद्योग, बंगलौर और संचार मंत्रालय ने 250 करोड़ रुपये की लागत से बंगलौर के आई० टी० आई० काम्पलैक्स में डिजीटल इलेक्ट्रानिक स्वीचिंग इक्विपमेंट फैक्टरी की स्थापना के लिए निर्णय

किया। आई० टी० आई० ने राज्य सरकार से भूमि, जल तथा बिजली देने का अनुरोध किया। कर्नाटक सरकार ने इन सभी तीनों आवश्यकताओं के लिए वचन दिया।

परन्तु सम्बन्धित मंत्रालय और आई० टी० आई० की सिफारिशों के बिल्कुल विपरीत सम्बन्धित मन्त्रालय की प्रशासनिक सिफारिश और तकनीकी राय को रद्द करते हुए उत्तर प्रदेश के गोंडा में फैक्टरी के लगाने का निर्णय लिया गया।

प्रधानमंत्री ने अपने 29-5-1985 के पत्र में आश्वासन दिया है कि बंगलौर से दूसरी ई० एस० एस० फैक्टरी को दूसरे स्थान पर ले जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

माननीय संचार मंत्री ने पिछले वर्ष अपने मन्त्रालय की मांगों के उत्तर में साफ-साफ बताया है कि जल्दी ही बंगलौर में ई० एस० एस० फैक्टरी स्थापित की जाएगी।

यह दुःख की बात है कि माननीय संचार मंत्री ने 8-4-1986 को एक पूरक उत्तर में बताया है कि धन की कमी के कारण बंगलौर में फैक्टरी को स्थापित नहीं किया जा सकता।

इस पर कर्नाटक के लोग बहुत भड़के हुए हैं। यदि इस फैक्टरी को स्थापित नहीं किया जाता है तो आई० टी० आई० में लगभग 5,000 से 6,000 मजदूरों की छटनी करनी पड़ेगी।

इसलिए मैं केन्द्र के वायदे को बरकरार रखने और बंगलौर में डिजीटल इलेक्ट्रानिक स्वीचिंग इक्वीपमेंट फैक्ट्री की दूसरी यूनिट को स्थापित करने का आग्रह करता हूं।

(आठ) राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों की सीमा पर अधूरी बनी सड़कों पर अवरुद्ध मार्गों को खोलने की आवश्यकता

श्री जुझार सिंह (झालावाड़) : महोदय, झालावाड़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र राजस्थान के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक है और मध्य प्रदेश की सीमा पर सबसे अधिक निकटतम स्थित है जो इसको तीनों तरफ से घेरे हुए हैं।

झालावाड़ निर्वाचन क्षेत्र भौगोलिक रूप में अपने राज्य की राजधानी भोपाल और राजस्थान राज्य के अधिकतर जिला शहरों की तुलना में यह इन्दौर, उज्जैन, मंदसोर, गुना ग्वालियर और भोपाल के भी नजदीक है। मध्य प्रदेश के साथ-साथ इसकी भौगोलिक निकटता तथा स्थिति को देखते हुए इसकी समृद्धि ज्यादातर इस बात पर निर्भर करती है कि इसका रास्ता मध्य प्रदेश के नगरों के साथ जोड़ा जाए और दाग, चौमेहला, लकानी, मनोहरथाना, पिरावा, छावरा, किशनगंज और शाहबाद तहसील में अधूरी पड़ी सड़कों को पूरा किया जाए।

इस क्षेत्र का अधिकतर भाग डाकुओं से भरा हुआ है अतः कानून और व्यवस्था तथा सुरक्षा की दृष्टि से यहां पर निर्बाध संचार व्यवस्था बनाए रखने की नीति अपनाने की आवश्यकता है। चूंकि

[श्री जुझार सिंह]

सड़क को पक्का करना अथवा दोनों तरफ से सड़क के बीच लुप्त सम्पर्क मार्गों को पूरा करने के लिए कुछ नहीं किया गया है इससे कोटा और झालावाड़ जिलों के विकास में बहुत हानि हुई है और कानून और व्यवस्था की स्थिति भी लगातार खतरनाक बनी हुई है।

इन तथ्यों और पिछड़े क्षेत्र के विकास के हित को ध्यान में रखते हुए मैं परिवहन मंत्री से इस राष्ट्रीय राजमार्ग को जल्दी पूरा करने और राजस्थान तथा मध्य प्रदेश राज्यों की सीमा पर बन्द रास्ता खोलने के लिए अनुरोध करता हूं।

12.23 म० प०

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1986-87

(एक) खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय—जारी

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मैं सदन का ध्यान इस बात की ओर दिलाता हूं कि खाद्य और पूर्ति मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों पर चर्चा चल रही है। हमें इसे शीघ्र समाप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। और इसके बाद हम सूचना और प्रसारण मंत्रालय से सम्बन्धित मांगों को आज रात्रि तक समाप्त करेंगे।

क्या ऐसा किया जा सकता है।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : अतः परसों हम कृषि लेंगे। मैं समझता हूं कि सदन मेरे साथ सहमत होगा। किसी भी समय, यदि आप देर तक बैठना चाहते हैं तो मुझे आपत्ति नहीं है। आप देर तक बैठ सकते हैं और कार्य समाप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।

श्री ए० के० पांजा : कृपया संक्षिप्त में बोलिए।

योजना मंत्रालय में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री ए० के० पांजा): धन्यवाद, महोदय। माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए अधिकतर मुद्दों पर मैंने बात की है। परन्तु इसकी जांच करने के बाद मैंने कुछ मुद्दों पर उत्तर देने की आवश्यकता समझी। मैं एक-एक करके उत्तर देता हूं क्योंकि समय कम है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र से माननीय सदस्य श्री चिगवांग कोनयक ने पहाड़ी क्षेत्र, आने-जाने की कठिनाइयों, विशेषतौर पर वर्षा के मौसम में कभी-कभी अनाज की कमी होने के बारे में मुद्दा उठाया। इस

स्थिति से निपटने के लिए हमने पूर्वोत्तर क्षेत्र में 24 स्थानों पर 1.53 लाख टन क्षमता के अतिरिक्त गोदाम बनाने का कार्यक्रम हाथ में लिया है जिसमें नागालैंड के लिए 0.30 लाख टन शामिल है। चूंकि माननीय सदस्य नागालैंड से हैं और उन्होंने इस विषय पर जोर दिया है इसलिए इस बात को भी लिया गया है। नागालैंड में मोकुकचांग, ह्युनसांग, मान और थोहिमा प्रत्येक में 5,000 टन क्षमता के गोदाम और दीमापुर में 10,000 टन क्षमता के गोदाम बनाने का प्रस्ताव है।

वास्तव में, पूर्वोत्तर क्षेत्र की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए हमने पूर्ति बढ़ाई है और हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि दो महीने के लिए आवश्यक अनाज हमेशा भंडार में उपलब्ध रहे।

1 फरवरी, 1984 को सुरक्षित अनाज का भंडार 65,750 मीट्रिक टन था। 1 फरवरी, 1985 को इसमें 79,080 तक की वृद्धि हुई और मुझे कहते हुए खुशी होती है कि 1 फरवरी, 1986 को हम इसे 1,84,570 कर सकते हैं, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र की समस्याओं का सामाधान करेगा।

दूसरी बात श्री सैयद मसुदल हुसैन ने उठाई थी कि हम इस सी० ए० पो० गोदाम प्रणाली क्यों अपनाने जा रहे हैं, इसके कारण तो सुविदित हैं। अच्छी खरीद और अच्छी फसल के कारण उपयोग किए जाने के बाद उपलब्ध अनाज को ढके हुए गोदाम में जहां तक रखने का सम्बन्ध है, उससे अधिक अनाज को सी० ए० पी० प्रणाली के अन्तर्गत रखना होगा। भारतीय खाद्य निगम की ढके हुए गोदाम की क्षमता कुल 209.1 लाख टन है।

1 जनवरी 1986 को हमने सी०ए०पी० प्रणाली के अन्तर्गत 40 लाख टन से कुछ अधिक रखा है जो एफ० सी० आई० के पास उपलब्ध था।

इसके ब्यौरे पहले से ही प्रश्न काल के दौरान मैंने एक प्रश्न के उत्तर में दिया था। अब मुझे विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री बी० वी० पाटिल ने अनाज की नीलामी को रोकने की बात कही। यह अब सबको पता है। हमने भी नीति मामले के रूप में कहा है—हमने इसको रोक दिया है क्योंकि 1 अप्रैल 1986 से आवश्यकता नहीं रही थी। खाद्य विभाग भी एन० आर० इ० पी० और आर० एल० ई० जी० पी० के अधीन 20 लाख टन चावल और गेहूं देने के लिए तैयार हो गया है।

श्रीमती बसव राजेश्वरी ने यह बात कही थी कि जहां तक सूखा क्षेत्रों का सम्बन्ध है, उसके लिए अधिक आवंटन किया जाए। जहां तक सूखा क्षेत्रों का सम्बन्ध है, जो स्टाक पहले से दिया जा रहा है उसके अतिरिक्त कृषि मंत्रालय ने राहत कार्यों में लगे मजदूरों को सस्ती दरों पर अनाज देने की एक योजना तैयार की है और सूखाग्रस्त क्षेत्र में जहां तक लोगों के इस कार्यक्रम के माध्यम से अनाज देने का सम्बन्ध है, राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों से अपनी आवश्यकताओं के बारे में

[श्री ए० के० पांजा]

बताने का अनुरोध किया गया है। हम इस पर व्यर्थ कर रहे हैं और जहां तक भंडार की स्थिति का सम्बन्ध है, कोई समस्या नहीं है। हमने तुरन्त सम्बन्धित प्रभावित क्षेत्रों से उत्तर प्राप्त किए हैं और सप्लाई शुरू की जाएगी।

दूसरा बहुत संगत मुद्दा श्रीमती प्रभावती गुप्ता ने बिहार के जन जातीय लोगों के बारे में उठाया था। मैंने इस पर विस्तार से विचार किया है। हमें पता चला है कि आई० टी० डी० पी० क्षेत्र में विशेष रूप से सस्ती दर पर अनाज सहित इस समय बिहार सरकार के लिए 25,000 टन चावल और 572,000 टन गेहूं का आवंटन है जिसका कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण किया जाना है। उपलब्ध सूचना के अनुसार 31.3.86 को हमने देखा कि 25.084 टन गेहूं और 1624 टन चावल पहले से ही बिहार सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में वितरण के लिए भेजा गया था।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : उड़ीसा के बारे में क्या स्थिति है?

श्री ए० के० पांजा : उड़ीसा के बारे में मुझे देखना होगा। यह प्रश्न बिहार के बारे में है।

जहां तक जनजातीय लोगों को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी का सम्बन्ध है, वर्तमान प्रणाली के अन्तर्गत यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और मुझे विश्वास है कि वे सुनिश्चित करेंगे कि जब हमने इसकी सप्लाई की है तो इसे लोगों को सप्लाई की जाएगी।

डा० दत्ता सामंत ने लेवी चीनी के वितरण का मुद्दा उठाया था। रिकार्ड बताते हैं कि राज्य सर कारों को आवंटन के लिए हर महीने 3.13 लाख टन चीनी दी जाती है।

जैसा कि हम राज्यवार कोटा पाते हैं, उसे 1 अक्तूबर, 1983 की जनसंख्या हेतु उपलब्ध कराने के लिये प्रति महीने प्रति व्यक्ति 425 ग्राम के आधार पर नियत किया गया है। पद्धति यह है कि 18 राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को इसे सीधे दिया जाता है तथा अन्य 13 राज्यों तथा संघ शासित क्षत्रों का जहां तक सम्बन्ध है, उनके लिए एफ० सी० आई० थोक विक्रेता है और उनको सप्लाई कर रहा है। 1 दिसम्बर, 1985 से लेवी चीनी की एक ही दर कर दी है और वह 4.80 रुपये प्रति किलो पर दी जा रही है।

श्री बालासाहिब विखे पाटिल जी ने सहकारी चीनी कारखानों के बारे में बात कही थी। यद्यपि नीति की अभी तक घोषणा नहीं की गई है फिर भी कुछ प्राथमिकताओं को पहले से ही नियत कर लिया गया है और महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्यों में सहकारिता के अच्छे कार्य को देखते हुए प्राथमिकताएं इस प्रकार से हैं। हम लाइसेंस जारी करने के लिए प्राथमिकता देते हैं—पहली श्रेणी सहकारिता है। दूसरे सरकारी क्षेत्र और तीसरे निजी क्षेत्र को लेते हैं। हालांकि उन्हें नई नीति की अन्य औपचारिकताओं का पालन करना होगा।

श्री सैयद हुसेन ने यह प्रश्न उठाया था कि जहां तक पश्चिम बंगाल राज्य का सम्बन्ध है, उसे अनाज का कम आवंटन किया जाता है। मैंने मामले की जांच की थी। मुझे पता चला कि जहां तक फरवरी के महीने में चावल के आवंटन तथा लाखों टनों को उठाने का सम्बन्ध है आवंटन 1.25 लाख टन किया गया था और केवल 0.48 लाख टन उठाया गया था। मार्च महीने के लिए 1.25 लाख टन चावल का आवंटन था और 0.48 लाख टन उठाया गया था।

12.32 म० प०

[श्रीमती बसवराजेश्वरी पीठासीन हुई]

फरवरी महीने में गेहूं का भी आवंटन 1.26 लाख टन था परन्तु 0.46 लाख टन उठाया गया था। मार्च महीने में 1.26 लाख टन का आवंटन था और केवल 0.46 लाख टन उठाया गया था। इसी तरह से हमें पता चलता है कि जहां तक पश्चिम बंगाल में फरवरी के महीने में आटा चक्की के लिए गेहूं के आवंटन का सम्बन्ध है यह 1.07 लाख टन है और 0.45 लाख टन उठाया गया था। मार्च का आवंटन 1.07 लाख टन था और 0.43 लाख टन उठाया गया था इसलिए हमें पता चलता है कि इसका कोई आधार नहीं है कि पश्चिम बंगाल को आवंटन की और आवश्यकता है। वास्तव में आंकड़े बताते हैं कि जो कुछ आवंटित किया गया था उसे उचित दर की दुकानों के माध्यम से सार्वजनिक वितरण के प्रयोजन के लिए नहीं लिया गया था। चावल के सम्बन्ध में भी यह राज्य मुख्य रूप से चावल की खपत वाला है—और आटे की चक्की के लिए आवंटित गेहूं को भी उन्होंने उपयोग नहीं किया।

एक माननीय सदस्य द्वारा विशेष राज सहायता देने की योजना के बारे में एक बात उठाई गई थी। जहां तक केन्द्र का सम्बन्ध है विशेष आर्थिक सहायता की योजना पहले से ही जानी जाती है। परन्तु मैं जोर देना चाहता हूं कि योजना के अन्तर्गत साधारण चावल 1.60 रुपया प्रति किलोग्राम से दिए जाते और खुदरा में इसको 1.85 रुपए की दर पर दिया जाता है। केन्द्र सरकार द्वारा गेहू का निर्गम मूल्य 1.25 रुपया प्रति किलोग्राम है और उपभोक्ता के लिए 1.50 रु० प्रति किलो ग्राम खुदरा मूल्य है।

हमें पता चला है कि जहां तक जन जातीय क्षेत्रों का सम्बन्ध है, जिसके बारे में सदस्यों ने पूछताछ की है आई० टी० डी० पी० तथा जन जातीय बाहुल्य वाले राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में रहने वाले 570 लाख लोगों को विशेष राज सहायता का लाभ मिलेगा।

जहां तक ग्रामीण रोजगार योजनाओं में लगे मजदूरों का संबंध है, हमने देखा है कि वर्ष के दौरान 20 लाख टन की मात्रा को कम कीमत पर काम के कार्यक्रमों के प्रयोजन के लिए 10000 कार्य के दिनों के लिए रखा गया है।

तीसरी श्रेणी बालकों, गर्भवती महिलाओं तथा दूध पिलाने वाली माताओं की है। हमें कल्याण विभाग के आंकड़ों से पता चलता है कि इस समय बालकों, गर्भवती महिलाओं और दूध

[श्री ए० के पांजा]

पिलाने वाली माताओं को आर्थिक सहायता की योजना में शामिल किया गया है और इनके लिए खाद्यान्न का आवंटन 1986-87 में 110 लाख टन से बढ़ाकर 140 लाख टन किया जा रहा है क्योंकि हम अधिक खाद्यान्न की वसूली कर रहे हैं। इसलिए, ये मुद्दे हैं। जिन पर मैं चाहता था .....

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : निगरानी की क्या बात है ? आपको कहना होगा कि राज्य सरकारें अपने दायित्वों का पालन ठीक ढंग से करें। सांपूर्ति तो आप कर रहे हैं और यश राज्य सरकारें कमा रही हैं। लेकिन इसे गरीब लोगों, जनजातीय लोगों बच्चों और स्त्रियों को उपलब्ध कराने के तरीके में राज्य सरकारों की अनेक त्रुटियां रही हैं।

श्री ए० के० पांजा : माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं। इसलिए हमने दस बातें लिखी हैं। मैं कहने जा रहा हूं कि आवंटन के बावजूद उनके द्वारा मांगी गई मात्रा के अनुसार हमारे द्वारा पूर्ति किए जाने के बावजूद भी हमें वितरण व्यवस्था के राज्य स्तर पर असफल हो जाने के निश्चित संकेत मिल रहे हैं। इसलिए, मैं आपके माध्यम से दस बातें सभापति महोदया, माननीय सदस्य गणों और राज्य सरकारों से भी कहना चाहता हूं, इन दस बातों का कड़ाई से पालन करना पड़ेगा और यदि इनका अनुपालन किया गया तो खाद्यान्न निश्चित रूप से उपभोक्ताओं के पास समय पर पहुंचेगा सर्वप्रथम खरीद का स्तर है। उन राज्यों से जहां से हम खरीद कर रहे हैं वसूली के स्तर को ऊंचा करना होगा। दूसरे कुछ राज्य कह रहे हैं कि केन्द्रीय सरकार और एफ०सी० आई० अच्छी कोटि का माल नहीं दे रहे हैं। हमारा कहना है कि एफ० सी० आई० और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों की संयुक्त निरीक्षण व्यवस्था हो तभी माल उठाया जाए, मैंने इस पर जोर दिया है, तृतीय बात यह है उचित मूल्य की दुकानें और खोले जाने तथा वितरण की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। 1981 की जनगणना के अनुसार 2000 की जनसंख्या पर एक उचित मूल्य की दुकान के हिसाब से अतिरिक्त 3,50,000 उचित मूल्य की दुकानों की आवश्यकता है। इस समय 3,25,000 हैं। उनमें से प्रमुख रूप से ऐसी दुकानों की कमी वाले राज्य हैं गुजरात तथा पश्चिमी बंगाल गुजरात के सम्बन्ध में यह कमी 6 307 दुकानों की तथा पं० बंगाल के सम्बन्ध में 7,584 की है। इसलिए इन विषयों पर गौर करने की आवश्यकता है और जहां तक उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरण व्यवस्था का सम्बन्ध है, इनमें सुधार किया जाना चाहिए। चौथी बात पर्याप्त भण्डार की है। पांचवी बात राज्यों द्वारा गुणवत्ता नियन्त्रण एवं आकस्मिक छापे मारना है। हमने मुख्य मन्त्रियों को गुणवत्ता नियन्त्रण तथा आकस्मिक छापे मारने के सम्बन्ध में अनेकों पत्र लिखे हैं। छठें, कुछ राज्यों में कानून और व्यवस्था की समस्या है, वहां उचित मूल्य की दुकानों के व्यापारियों एवं थोक व्यापारियों के असामाजिक तत्वों के साथ सम्बन्धों की शिकायत है। इस कानून और व्यवस्था की समस्या के प्रति हमने कुछ राज्यों का ध्यान खींचा है। सातवें, जनजातीय क्षेत्रों में यह दुकानें कम दरों पर खोली जानी चाहिए। तत्पश्चात् बच्चों, गर्भवती स्त्रियों एवं धायों के लिए मैं कह ही चुका हूं। नौवें, उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देना होगा। इस सम्बन्ध में सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों ने अनुकूल प्रतिक्रिया की है और

हम उपभोक्ता संरक्षण देने जा रहे हैं। दसवें अधिक विकास कार्यों द्वारा क्रय-शक्ति को बढ़ाना ये दस बातें हैं।

अब मैं कटौती प्रस्ताव पर आता हूं। प्रो० डी० एन० रेड्डी द्वारा रखे गए कटौती प्रस्ताव को, मैं समझता हूं कि निम्न कारणों से स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने यह बात उठाई है कि एफ० सी० आई०, खाद्य एवं पोषण बोर्ड तथा एफ० सी० आई० के प्रशासन को चुस्त बनाने की आवश्यकता है। ये कदम पहले ही उठा चुके हैं। पोषण शिक्षा कार्यक्रमों की संख्या 1984-85 में 14,833 से बढ़कर 1985-फरवरी 86 तक 1,548 हो गई। पोषण शिक्षा के विस्तार के लिए 1985-86 में तीन और सचल एकक चालू किए गए तथा एक अन्य चालू करने की प्रक्रिया जारी है।

खाद्य पदार्थों के सम्बन्ध में, कुछ दुखद समाचार है। बच्चों में अन्धापन रोकने के उद्देश्य से दुग्ध को विटामिन ए से युक्त करने के लिए ऐसी आशा है कि 1986-87 में पौष्टीकृत दुग्ध का उत्पादन अपने वर्तमान उत्पादन स्तर 11.5 लाख लीटर से 32 लाख लीटर प्रतिदिन हो जाएगा।

इस तरह यह वर्तमान उत्पादन स्तर 11.5 लाख लीटर से 1986-87 के अंत तक 32 लाख लीटर प्रतिदिन हो जाएगा लेकिन विटामिन की कमी के कारण बच्चों की अंधता को रोकने में लम्बा समय लगेगा। खाद्य एव पोषण बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है। सचल विस्तार एककों को पुनः कार्य में लगाया गया है। पोषण शिक्षा को व्यापक आधार प्रदान किया गया है। इसलिए कटौती प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

रेड्डी महोदय ने मिल्टोन प्लांटस के सम्बन्ध मे एक दूसरा मुद्दा उठाया है। सरकार ने राज्य सरकारों को सलाह दी है कि वे बड़ी संख्या से लाभ प्राप्त कर्ताओं का पता लगायें पोषणाहार कार्यक्रमों के अन्तर्गत मिल्टोन का अधिकाधिक प्रयोग कराए तथा वाणिज्यक बाजार का लाभ उठाया जाएगा।

दूसरा कटौती प्रस्ताव फल-उत्पादों के सम्बन्ध मे है। सभापति महोदया, इस क्षेत्र में भी प्रशासन को चुस्त बनाया गया है। जैसा कि आपको नीचे दिए गए आंकड़ों से पता लगेगा हमने फल उत्पाद आदेश 1955 को लागू किया है। 1984 में 7070 निरीक्षण किए गए थे तथा 1985 में इनकी संख्या 8885 थी। विश्लेषित किए गए नमूनों की संख्या जो इस आदेश को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक विशेषता है। 1984 में 21,172 तथा 1985 में 39,616 थी। आदेश के खण्डों का पालन न करने पर निरस्त किए गए लाइसेंसों की संख्या 1984 में 90 तथा 1985 में 222 थी।

विकेन्द्रीकरण करने और प्रभावी कदम उठाने के लिए दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास के क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारी उप निदेशकों को शक्तियां प्रदान की गई है। फलोत्पाद आदेश के कार्यान्वयन के लिए एक योजना बनाई जा रही है। जिससे इसे और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

[श्री ए० के० पांजा]

रेड्डी जी का दूसरा कटौती प्रस्ताव उपभोक्ता संरक्षण से सम्बन्धित था। उपभोक्ता संरक्षण की दिशा में हमने कदम उठाये हैं। उन्होंने स्वयं सेवी संगठनों पर जोर दिया है। वास्तव में, ख्याति प्राप्त संस्थाओं को वित्तीय सहायता के मामले में भी उच्च प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। एक उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना की गई है। उपभोक्ता संरक्षण को प्रभावी रूप देने के उद्देश्य से मेरे वरिष्ठ सहयोगी ने उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बैठकों का तीन बार आयोजन किया।

उपभोक्ता संरक्षण पर एक अखिल भारतीय गोष्ठी जनवरी, 1986 में आयोजित किया गया जिसमें विभिन्न स्थानों के लोगों ने भाग लिया। खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम एम० आर० टी० पी० अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम को समय-समय पर पुनरावलोकन किया गया है तथा समुचित संशोधन किये गये हैं। महोदया, उपभोक्ता संरक्षण के लिए आदर्श कानून लाया जाने वाला है। अन्य बातों के अलावा, इसकी सामान्य विशेषताएं हैं; प्रथम उपभोक्ता संरक्षण परिषद तथा द्वितीय उपभोक्ता विवाद निवारक मंच। इसके द्वारा उन्हें अपने मामले हमेशा अदालत या पन्च तक नहीं ले जाने पड़ते। इससे झगड़ों का समाधान विक्रेता उपभोक्ता तथा निर्माता से बातचीत करके किया जाता है। इन केन्द्रीय संगठनों को इन सबकी चिन्ता करने के लिए कहा गया है जिससे इसे प्रभावी रूप दिया जा सके। महोदया, जैसा कि मैं कह चुका हूं .....

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुर द्वार) : पश्चिम बंगाल के सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि चाय उद्योगों में काम कर रहे लोगों के लिए प्रति माह 6000 टन चावल की आवश्यकता होती है, लेकिन चाय उद्यानों में 50% कोटा कम कर दया है और कोई भी राज्य द्वारा छूट प्राप्त सामग्री यथा चीनी, मिट्टी का तेल, खाद्य तेल नहीं दिया जाता जो कि सम्पूर्ण भारत में वितरित किया जाता है। विशेषकर चाय उद्यानों को ये सुविधाएं नहीं प्रदान की गई है। क्या कारण हैं कृपया बतायें।

श्री ए० के० पांजा : सीदा सा कारण है। चाहे यह पश्चिम बंगाल हो या अन्य कोई जगह चाय उद्यानों को संपूर्ति करने का दायित्व राज्य सरकार का है।

श्री पीयूष तिरकी : पूरा कोटा नहीं दिया गया है।

श्री ए० के० पांजा : चावल का पूरा कोटा, मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य किस महीने की बात कर रहे हैं चावल का कोटा पश्चिम बंगाल (चाय उद्यान सहित) को मार्च महीने के लिए 1.25 लाख टन था। जिसमें केवल 48 लाख टन उठाया गया था। आप राज्य सरकार को इसे उठाने के लिए कहें।

श्री पीयूष तिरकी : मैं राज्य सहायता प्राप्त खाद्य वस्तुओं की बात कर रहा हूं।

श्री ए० के० पांजा : जहां तक दूसरी वस्तुओं का सम्बन्ध है, अन्य राज्यों की भांति इन्हें उचित दर की दुकानों में वितरण के लिए शामिल करना और तत्पश्चात् इनकी मांग करना पश्चिम बंगाल राज्य का काम है। यदि वह इसे शामिल नहीं करते तो यह हमारा दोष नहीं है। किसी भी ऐसी आवश्यक वस्तु को शामिल करना राज्य सरकार का कर्तव्य है जिसकी उचित दर दुकानों में आवश्यकता हो—जिस प्रकार कुछ राज्यों ने शामिल किया है और वह इसकी मांग करते हैं।

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : सभापति महोदय, क्या मैं निवेदन कर सकता हूं कि हम खाद्य तेल अथवा खाद्यानों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के लिए क्षेत्र-वार विचार नहीं करते हैं। पूरे राज्य को एक इकाई माना जाता है। हम राज्य कर्मचारियों के साथ चर्चा करते हैं और एक विशेष संख्या निर्धारित करते हैं। आयात स्थिति में कभी उन्हें अधिक मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। इसका भी ध्यान रखा जाता है और यह उन्हें उपलब्ध किया जाता है। फिर यह राज्यों पर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार इसका आवटन करते हैं और ऐसी स्थिति में हमारा कहीं वर्णन ही नहीं आता है। हम राज्य की आवश्यकता और इसकी जरूरतों की ओर ध्यान देते हैं और वे इन्हें उपलब्ध की जाती हैं।

श्री पीयूष तिरकी : चाय के बागानों को विशेष महत्व देना है।

श्री पी० शिवशंकर : कृपया राज्य सरकार से कहिए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : इसकी किस्म के बारे में आप क्या कहते हैं?

श्री ए० के० पांजा : संभवतया जब मैंने किस्म के बारे में बात की उस समय माननीय सदस्य उपस्थित नहीं थे। हमने राज्य सरकार से संयुक्त निरीक्षण के लिए कहा है। मैंने पश्चिम बंगाल के खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति मंत्री को लिखा है कि सामान लेने से पूर्व इसकी संयुक्त रूप से जांच करें क्योंकि सामान लेने के पश्चात् यह भारतीय खाद्य निगम की नहीं परन्तु उनकी अपनी जिम्मेवारी है। अन्त में यदि उपभोक्ता को बुरी किस्म का माल मिल जाए तो यह राज्य सरकार की जिम्मेवारी है।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : माल की किस्म की बात बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा क्यों है कि भारतीय खाद्य निगम कई बार खराब किस्म की चीजें देते हैं?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : इसका उत्तर पहले ही दिया गया है।

श्री पी० शिवशंकर : माननीय सदस्य कृपया इस बात को जान लें कि न मैं और न ही मेरा साथी राज्य सरकार के विरुद्ध आरोप लगा रहे हैं। होता क्या है कि बहुत से मामलों में जब वसूली की बात आती है तो हम कभी-कभी विशिष्ट खाद्यान्न घटिया दर्जे का खरीद लेते हैं। यह राज्यों द्वारा डाले गए दबाव के कारण है। हमें उस समय प्रसन्नता नहीं होती है जब हम घटिया खाद्यान्न प्राप्त करते हैं। यह राज्यों द्वारा डाले गए दबाव के कारण है। जब हम घटिया खाद्यान्न की वसूली करते हैं हमें कोई प्रसन्नता नहीं होती है। किन्तु राज्य कहते हैं, "देखिए! किसानों के सम्बन्ध में आपका क्या विचार है? यद्यपि यह थोड़ा घटिया है फिर भी कृपा करके इसे खरीद लें।" अतः कभी-कभी हमें उदारता से काम लेना पड़ता है। अब इसे भी कहीं भेजना है। यह सत्य है कि यह बुरा है किन्तु, शुरुआत ही गलत होती है। मैं माननीय मंत्री को आश्वासन देता हूं कि ऐसी बात नहीं है कि पूर्ति के मामले में पश्चिम बंगाल के विरुद्ध पक्षपात किया गया है। वास्तव में हम बराबर-बराबर देना चाहते हैं। और जब इसमें और अधिक खराबी हो जाती है, हमें यह आदेश मिले हैं कि इसे वापस लिया जाए और इसे चारे के तौर पर दिया जाए। मैं मानता हूं कि इस प्रणाली में कुछ कमियां हैं किन्तु, ऐसी बात नहीं है कि हर प्रकार से हमारी निन्दा की जाए। यह बात मैं वाद-विवाद का उत्तर देते समय कहूंगा।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : श्री पांजा बेवल हस्तक्षेप कर रहे हैं और वाद-विवाद का उत्तर नहीं दे रहे हैं। अतः कटौती प्रस्तावों के सम्बन्ध में बात न करें।

श्री पी० शिवशंकर : वह केवल मेरा भार कम कर रहे हैं।

श्री ए० के० पांजा : महोदय, यह कुछ बातें भी जिनके विषय में, मैं कुछ कहना चाहता था। मैं समझता हूं कि मैंने सदन में उठाए गए बहुत से मुद्दों के सम्बन्ध में कहने का निष्ठापूर्वक प्रयास किया है।

महोदय, दूसरी बात जिस पर मैं बल देना चाहता हूं वह यह है कि किसी भी सदस्य ने यह प्रश्न नहीं उठाया कि खाद्यान्न की अच्छी खरीद हुई है तथा पैदावार अच्छी होने के बावजूद क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा क्यों है कि कुछ स्थानों पर किसी प्रकार की अनियमितता हो रही है? कुछ अन्य स्थानों पर हमें अन्तिम प्रयोक्ता तक पहुंचने के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ाना होगा। विश्व बैंक ने अपने फरवरी अंक में भारत के सम्बन्ध में कुछ कहा है। यह विश्व बैंक द्वारा "गरीबी तथा भूख की स्थिति सम्बन्धी नीति" पर प्रकाशित एक पुस्तक है।

> "विकास तथा कृषि की प्रौद्योगिक प्रगति, निस्संदेह आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। उदाहरण के लिए भारत कृषि प्रौद्योगिकी तथा अन्य उत्पाद निवेश का लाभ उठाए बिना कृषि पैदावार बढ़ाने के लिए पुरानी खाद्य असुरक्षा नहीं रोक सकती। भारत में खाद्यान्न उत्पादन 1970 में 900 लाख टन से 1985 में 1300 टन तक बढ़ गया। इस अतिरिक्त खाद्य का मूल्य, यदि इसे आयात करना था तो 10 खरब डालर के

बराबर आ जाता। किसी और क्षेत्र में इस प्रकार खाद्य उत्पादन में बढ़ते हुए विकास जैसी प्रगति की कल्पना करना कठिन है जिससे खाद्य सुरक्षा हुई हो।"

अत: प्रथम रोक इस प्रकार से प्रभावशाली ढंग से दूर किया गया है कि उत्पादन ऐसा हुआ है कि हम विश्वास से यह कह सकते हैं कि हम अन्तिम उपभोक्ता की सेवा कर सकते हैं। दूसरा रोक उपयुक्त ढंग से हटाया गया है, अर्थात वितरण प्रणाली की व्यवस्था की गई है। वितरण प्रणाली की व्यवस्था 3,25,000 से अधिक उचित दर की दुकानों द्वारा की गई है जो पूरे देश में स्थापित की गई हैं। तीसरी बात यह कि जनता को यह उचित मूल्यों पर उपलब्ध की जा रही है और पूरे वाद-विवाद में सबसे अत्यन्त महत्वपूर्ण बात पर अधिक बल दिया गया है। अर्थात, जनता की क्रय-शक्ति को बढ़ाना, जो केवल विभिन्न विकास गतिविधियों को आरम्भ करने से संभव होगा।

महोदया, मैं अपनी बात अपने भाषण के प्रथम वाक्य से समाप्त करता हूं, जो स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा ने विचार व्यक्त करते हुए कहा था और उन्होंने कहा था, "अन्न, काम और उत्पादकता" और माननीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने नारे में जो शब्द और जोड़ दिये, अर्थात् "तेजी तथा कुशलता से"। अत: तेजी तथा कुशलता से खाद्य, काम तथा उत्पादकता की ओर ध्यान देना है और यदि इन बातों की ओर ध्यान देना है, तो खाद्य सुरक्षा की पूरी प्रणाली प्रभावशाली ढंग से लागू की जाएगी और निस्संदेह हम जाकर भारत की जनता से कह सकते हैं, "हां, हम सबको खाना मिलेगा और खाद्य प्रभावशाली सुरक्षा होगी।" इन शब्दों के साथ मैं इस वाद-विवाद में अपना हस्तक्षेप समाप्त करता हूं।

श्री विजय एन० पाटिल (इरन्वोस) : महोदया, मैं खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करने के लिए उठा हूं। मैं जानता हूं कि माननीय मन्त्री शीघ्र ही एक नई चीनी नीति ला रहे हैं। किन्तु जहां तक उपलब्ध आंकड़ों का सम्बन्ध है, चीनी उत्पादन से सम्बद्ध विभाग ने इस वर्ष के आंकड़े सही नहीं दिए हैं, क्योंकि मैं उस राज्य का हूं जो देश के चीनी के पूरे उत्पादन का लगभग 40 से 45% भाग पैदा करता है और बहुत से कारखानों को गन्ने के अभाव के कारण बन्द किया गया है। इसीलिए हमें इस वर्ष भी चीनी का आयात करना पड़ा। किन्तु भविष्य में हमारी नीति यह होगी कि चीनी के आयात को प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा। बार-बार विभिन्न राज्य चीनी की वसूली तथा लेवी चीनी का कोटा निर्धारित करने के लिए कृषि तथा मौसमी हालात पर निर्भर विभिन्न क्षेत्रों की मांग करते हैं। मैं माननीय मन्त्री से आग्रह करता हूं कि इसे प्राथमिकता के आधार पर लिया जाए ताकि चीनी की वसूली, कृषि-मौसम स्थिति आदि पर निर्भर उस क्षेत्र के किसानों को अपने गन्ने के लिए लाभकारी मूल्य प्राप्त हो। हम खाद्यान्नों में आत्म-निर्भर हैं। हमारे पास अच्छी सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में हम देखते हैं कि उचित दर दुकानों में 2.49 लाख से 3.20 लाख, अर्थात् 34 प्रतिशत वृद्धि हुई है। किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर उचित दर की दुकानें गैर सरकारी व्यक्तियों के हाथों में है; केवल 23 प्रतिशत उचित दर की दुकानें सहकारिता द्वारा चलाई जाती हैं। यह इसलिए क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामों में लोगों की सहकारिता सोसाइटियों के पास खाद्यान्न, चीनी, तेल खरीदने के लिए

[श्री विजय एन० पाटिल]

पर्याप्त धन नहीं है। इसलिए उचित दर की दुकानें गैर सरकारी व्यक्तियों द्वारा चलाई जाती हैं। मैं यह सुझाव दूंगा कि अन्य सहकारिताओं की भांति सरकार को इन सहकारिताओं को भी काफी हद तक राशि देनी चाहिए। उदाहरण के लिए यदि एक चीनी मिल आरम्भ करने के लिए एक करोड़ रुपए इकट्ठे किए जाते हैं, तो राज्य सरकार द्वारा शेयर पूंजी के तौर पर राज्य सरकार की ओर से लगभग 2 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। यदि किसी अर्ध शहरी अथवा ग्रामीण क्षेत्र में उपभोक्ता सहकारी समिति आरम्भ की जाती है और वह "शेयर" पूंजी के तौर पर 5 हजार या 10 हजार रुपए इकट्ठे करते हैं। तो कम से कम मेरे राज्य में सरकार की ओर से केवल 3000 रुपए की शेयर पूंजी का योगदान दिया जाता है। यह उपभोक्ता सहकारी समिति के सदस्यों से ली गई पूंजी से दुगुनी होनी चाहिए ताकि सहकारी समितियों की उचित दर की दुकानों द्वारा वस्तुओं के क्रय के लिए उपलब्ध पूंजी पर्याप्त हो और इसमें अधिक सहकारी समितियां भी जुट जाएं।

हमें इस बात की प्रसन्नता है कि खाद्यान्नों के भण्डार के लिए आप इस वर्ष 25 लाख टन क्षमता के भण्डार बना रहे हैं। किन्तु ऐसे भण्डार जो ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए हैं, जिनकी क्षमता 200 टन से 500 टन की है, ऐसी सहकारिता समितियों को पर्याप्त वित्तीय सहायता नहीं दी गई है। आर्थिक सहायता को भी बढ़ाया जाना चाहिए ताकि छोटे ग्रामों में भाण्डागार निगम तथा अन्य एजेन्सियों के इन भण्डारों की क्षमता के साथ बढ़ जाए। भारतीय खाद्य निगम के मामलों में भी हम देखते हैं कि भाण्डागार बनाए जा रहे हैं और कुछ व्यक्तियों को दिए गए भांडागारों पर कोई रोक नहीं। कुछ ऐसे व्यक्ति अथवा परिवार हैं जिन्हें एक ही समय 20-30 भाण्डागार दिए गए हैं, जबकि इसी क्षेत्र से और भी आवेदक हैं, जिन्हें भाण्डागारों के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाती है। यह भी एक मुद्दा है जिसकी पूछ-ताछ होनी चाहिए। ऐसा लगता है कि इसमें किसी प्रकार की बेईमानी है। किसी विशेष नगर अथवा कस्बे में कुछ अच्छे स्थान हैं। भारतीय खाद्य निगम द्वारा ठेके पर अथवा समझौते पर भांडागारों के निर्माण की संख्या पर प्रतिबन्ध होना चाहिए। उनकी संख्या सीमित होनी चाहिए।

तीसरी बात यह है कि जब हम तेल पर विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि यह ठीक है कि इस वर्ष हम तेल के आयात को नियन्त्रित कर सके हैं किन्तु साथ ही, स्वदेशी उत्पादन मे तेजी से वृद्धि की जाए और किसानों को दिए जाने वाला प्रोत्साहन विशेषकर उन किसानों को जो गर्मियों में मूंगफली का उत्पादन करते हैं, उसमें वृद्धि की जाए ताकि गर्मियों में मूंगफली के उत्पादन को बढ़ाया जा सके और आयात कोटे को घटाया जाए और विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है।

हमारा खाद्य तथा पूर्ति मन्त्रालय उपभोक्ताओं के हितों का ध्यान रखता है। मैं उन्हें एक और सुझाव देता हूं।

1.00 म० प०

उचित दर की दुकानों में कई बार जब पूछ-ताछ होती है, हम देखते हैं कि बहुत से जाली

कार्ड अथवा कार्डों पर अनेक नकली नाम होते हैं और इसमें अधिकतर उचित दर की दुकानों के मालिक संबद्ध होते हैं। ऐसे मामलों में, मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि यदि ऐसे व्यक्ति का नाम जिसकी दो वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी हो अथवा ऐसे व्यक्ति का नाम जो किसी दूसरे नगर में गया है, उसका नाम भी उस परिवार के राशन कार्ड में होता है, यह जिम्मेदारी उचित दर दुकान के मालिक की होनी चाहिए और उस विशेष अवधि के लिए ऐसा कोटा उस उचित दर दुकान के कोटे से घटाया जाना चाहिए और दुकान के मालिक को इसे खुले बाजार से खरीदने के लिए कहा जाना चाहिए। इस प्रकार कार्डों में जाली नाम जैसी बेईमानी को कम किया जा सकता है। अन्यथा, केवल पूछ-ताछ होती है और पूछताछ पूरी हो जाने के पश्चात कार्डों में दर्ज जाली नामों को काट दिया जाता है। यह सारा निरन्तर एक वर्ष अथवा दो वर्ष चलता रहता है और इसी समय के दौरान बहुत सी अनिवार्य वस्तुएं सरकारी मूल्य पर बेची जाती है और उचित दर दुकान के मालिक को लाभ पहुंचता है। इसीलिए मेरा सुझाव है कि कार्डों में जाली सदस्यता तथा बोगस नामों की सारी जिम्मेदारी उचित दर दुकान के मालिक पर ही होनी चाहिए और इस मामले में उन्हें दंड दिया जाना चाहिए। महोदया इन शब्दों के साथ मैं मांगों का समर्थन करता हूं, और मुझे बोलने का समय देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

श्री सी० अंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : सभापति जी, सदन में फूड एण्ड सिविल सप्लाइज मन्त्रालय की मांगों पर चर्चा चल रही है, मैं इनका समर्थन करने में असमर्थ हूं। उसका कारण यह है कि हमारे यहां उपभोक्ता के हितों को दृष्टि में रखकर निर्णय नहीं लिए जाते। जो अनाज पैदा करता है, उस किसान की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। प्रोड्यूसर के बारे में सोचने वाला यहां कोई नहीं है। एफ० सी० आई० के आंकड़ों से हमे पता चलता है कि सुपर-फाइन पैडी के दाम 150 रु० क्विंटल, फाइन पैडी के दाम 146 रु० क्विंटल तथा कौमन पैडी के दाम 140 रु० क्विंटल, एक साल के लिए, हमारे एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन ने तय किए हैं :

[अनुवाद]

यह लाभकारी मूल्य नहीं, समर्थन मूल्य है। समर्थन मूल्य और लाभकारी मूल्य में अन्तर है।

[हिन्दी]

ये सिर्फ, किसान जिस वक्त गिरता, मरता है, उस मरते हुए किसान को असरा-भर देते हैं, मगर ये रेम्यूनरेटिव प्राइस नहीं हैं। इस रेट पर भी एफ० सी० आई० किसान का गल्ला लेने के लिए तैयार नहीं होता। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं।

आन्ध्र प्रदेश में जनवरी माह में तूफान आया। उस समय वहां पैडी को खरीदने वाला कोई नहीं था। किसान रो रहा था लेकिन उसके आंसू पोंछने वाला कोई न था। मैंने केन्द्रीय मन्त्री जी को एक पत्र लिखा, जिसके उत्तर में मुझे यह जवाब मिला, जो मैं इस हाउस के सामने बताना चाहता हूं :

[श्री सी० अंगा रेड्डी]

[अनुवाद]

"इस समस्या की जांच के पश्चात् वर्तमान परिस्थितियों के अन्तर्गत राज्य सरकार को राज्य में क्षतिग्रस्त धान से प्राप्त चावल की वसूली का काम आरम्भ करने की अनुमति दे दी गई है। यह किसानों के लिए उनके धान को बेचने में सहायक होगा।"

[हिन्दी]

यह पत्र मुझे श्री ए० के० पांजा साहब से 11 मार्च को मिला, जबकि मैंने उन्हें फरवरी माह में चिट्ठी लिखी थी। जनवरी में तूफान से इतनी तबाही हुई आपको उसकी जानकारी थी, आप उससे बायो-गैस बना सकते थे, कर्नाटक या तमिलनाडु को भेज सकते थे, जहां उसकी आवश्यकता थी लेकिन हमारा किसान दो चीजों से बहुत परेशान है : एक तो तेलुगु देशम सरकार से जो वहां की प्रान्तीय सरकार है और दूसरे केन्द्रीय सरकार से, जिसने उसे दबा रखा है। उन दोनों के बीच में वह पिस रहा है। खुदा तो वर देने के लिए तैयार है, मगर पुजारी को वहा जाने का मौका ही नही मिलता है। आपने जोनल सिस्टम रद्द किया, मगर वहा प्रान्तीय सरकार ने उस सिस्टर को फिर से लागू कर दिया। पैडी एक जिले से दूसरे जिले में नहीं जा सकती, और एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में नहीं भेजी जा सकती। इस तरह दो तरीके से वहां किसान का नुकसान हो रहा है। एक ओर फूड कारपरेशिन ऑफ इण्डिया को उसे लेवी देनी पड़ती है और उसके साथ-साथ चाहे एग्रीमेंट प्राइस हो अथवा लेवी प्राइस हो अथवा और कुछ हो, हर मिलर को राज्य सरकार को 63 परसेंट आफ दी टोटल क्वान्टिटी, जितनी वह एफ० सी० आई० को देता है, उतनी देनी पड़ती है। इस कारण से राइस मिलसं बहुत परेशान हैं। इससे वह मिलें बन्द हो गई हैं। शिवशंकर जी बताते हैं कि मिलर बहुत खुश है, लेकिन कोई मिलर खुश नहीं है, पूरे मिलर बन्द हो गए हैं। मैं आपको आंकड़े बताना चाहता हूं—

पेड्डी का सपोर्ट प्राइस है 150 रुपये और मार्केट रेट जनवरी के आंकड़ों के मुताबिक आर्डिनरी चावल का 170 रुपये, फाइन का 175 रुपये और सुपर फाइन का 182 रुपये है जो कि हंसा और सुरेखा इत्यादि-इत्यादि का है।

एक क्विंटल राइस का रेट एफ० सी० आई० का 247.90 पैसे देना पड़ता है जो कि सुपर-फाइन का है।

फाइन राइस का एफ० सी० आई० को 241 देना पड़ता है। मिलर को यह राइस 100 के० जी० पड़ता है 289.76 इस तरह से 41.86 पैसे का लाभ होता है।

अगर 100 के० जी० एफ० सी० आई को देते हैं तो किलर को कंपलसरीली स्टेटगवर्नमेंट को 63 क्विंटल देना पड़ता है।

श्री पी० शिव शंकर : वह 12 लाख टन के लिए है।

श्री सी० जंगा रेड्डी : हमारे पीछे दो लोग पड़े हुए हैं। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों के बीच किसान पिसा जा रहा है। मिलर कहां जाता है ? मिलर को जो नुकसान होता है वह दूसरे में ले लेता है। जब भाव नहीं हैं तो वह पेडी के लिए कम देना है, इस तरह से मिलर का कुछ नहीं जाता, किसान का ही जाता है।

किसान पेड्डी को 3 महीने से ज्यादा नहीं रख सकता क्योंकि उसके पास गोदाम की फैसिलिटी नहीं रहती है। 6 महीने के बाद दाना खराब हो जाता है। इस तरह से 100 के० जी० राइस के लिए 41.86 एफ० सी० आई० में नुकसान होता है और राज्य सरकार में 255.90। उसमें उसको नुकसान होता है 33 एन० पी० इस तरह से टोटल में 63 पैसे पर के० जी० मिलर को नुकसान होता है।

मिलर इस तरह क्या करेगा। इतना देने पर ही राज्य सरकार उसको बेचने की अनुमति देती है। अगर उसको अनुमति नहीं मिलती तो पैड्डी कहां से खरीदता है। किसान का धान मार्केट में रहता है। मिलर बोलता है कि राज्य सरकार अनुमति नहीं दे रही, हम राइस कहां रखेंगे। राज्य सरकार कहती है कि एफ० सी० आई० को अगर 100 के० जी० देते है तो हमको 63 दे दो। लोकल बेचने के लिए 63 के० जी० देते हैं। जितना स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं, उतना लोकल को देना चाहिए। इस तरह से माल दूसरे जिलों में नहीं जा सकता। जितना एफ० सी० आई० को देते हैं उतना दूसरे स्टेट को दे सकते हैं। आजकल दूसरी स्टेट में भाव नहीं है। इसके कारण मिलर को नुकसान रहता है।

वह मार्केट में आकर कहता है कि भाव नहीं पड़ता है, 170 में दे दो। अब तो अकाल है, इसलिए कुछ लाभ हो सकता है, मगर इसके कारण नुकसान हो रहा है।

आप जानते हैं कि हर आदमी उपभोक्ता की ओर देखता है। कंज्यूमर को देखना चाहिए, हम भी कंज्यूमर हैं, 80 परसेंट कंज्यूमर भी किसान हैं। किसान आन्ध्र प्रदेश में अपना धान जल्दी बेच लेता है और श्रावण मास में जून, जुलाई और जुलाई, अगस्त में खुद भी चावल बाजार से खरीदता है। वह भी राशन-कार्ड लेकर दुकानों पर जाता है।

3 बार लैंड सीलिंग एक्ट आने के बाद और नक्सलवादियों के डर से कौन अपने धान को गोदाम में रखता है ? किसान को भी राइस खरीदना पड़ता है। 80 परसेंट उपभोक्ता में 60 परसेंट किसान होता है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप केवल एक ही मुद्दे पर बहस कर रहे हैं। अगले मुद्दे पर आइए।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : केन्द्र सरकार को 100 रुपये के० जी० और राज्य सरकार को 63

[श्री सी० जंगा रेड्डी]

रुपये के० जी० के रेट से चावल लेवी के रूप में देने के बाद ही वह मार्किट में अपना बचा हुआ चावल बेच सकता है। इससे उसको जो नुकसान हुआ उस नुकसान को पूरा करने के लिए बचे हुए चावल को मिलर ज्यादा दाम पर उस चावल को बेचता है। इससे खुले बाजार मे चावल 4 रुपये 20 पैसे तक बढ़ जाता है। राज्य सरकार उपभोक्ता को एक महीने में 25 किलो चावल दो रुपये के० जी० के हिसाब से देती है जबकि एक परिवार को कम से कम 50 किलो चावल की जरूरत होती है। राज्य सरकार केवल 25 किलो चावल एक परिवार को देती है। बाकी का 25 किलो चावल उसे खुले बाजार से काफी महंगा खरीदना पड़ता है। इस प्रकार इन दोनों को मिलाकर चावल की खरीदारी एक परिवार के लिए 150 रुपये पड़ जाती है।

मंत्री जी ने जो स्टेटमेंट दिया है कि हम राज्य सरकार को 94 करोड़ सबसिडी दे रहे हैं, यह सही नहीं है। आप यह सबसिडी सभी जगह दे रहे हैं।

श्री पी० शिवशंकर : यह केवल आन्ध्र प्रदेश को ही दे रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री सी० जंगा रेड्डी : खरीद की औसत लागत 2.39 रुपये प्रति किलो अथवा 239 रु० प्रति क्विंटल है। वसूली आनुषंगिक (1984-85 अखिल भारतीय) सांविधिक—0.14 रुपये तथा अन्य 0.03 रुपये; वितरण लागत—सांविधिक—0.42 रु० तथा अन्य 0.10 रुपये कुल लागत 3.08 रु० प्रति किलो है। बिक्री वसूली 2.27 रु० प्रति किलो है और राज सहायता 0.81 रु० प्रति किलो है। सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम को यह राज सहायता के रूप में दिया जाता है। इसी प्रकार जब हम 10 लाख टन का हिसाब लगाते हैं जो आन्ध्र प्रदेश को दिया गया था, वर्ष 1981 में यह 81 करोड़ रुपये अथवा यूं कहिए 91 करोड़ रुपये के बराबर आता है। यह राज सहायता भारतीय खाद्य निगम को दी गई थी और सीधे तौर पर राज्यों को नहीं।

[हिन्दी]

श्री पी० शिव शंकर : प्वाइंट यह है कि जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को देना चाहिए और जो लॉस होता है, वह एफ० सी० आई० को इसलिए देते हैं कि :

[अनुवाद]

मैं भारतीय खाद्य निगम नहीं परन्तु भारत सरकार को खाद्य विभाग कह रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री जी० जंगा रेड्डी : आपके गोडाउन में जाने के समय चावल का दाम 239 रुपये क्विंटल होता है और जब वह बाहर आता है तो उसका दाम 3 रुपए 8 पैसे होता है।

[अनुवाद]

केन्द्र सरकार भारतीय खाद्य निगम को दे रही है न कि राज्यों को; आप भारतीय खाद्य निगम के भण्डारों से दे रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री पी० शिव शंकर : हम जो लेते हैं और वह पैसा जो मिलर को देते हैं, उसके बाद मण्डी चार्जिस और सेल्स टेक्स आदि लगाते हैं। आप वह सारी चीजें इसमें जमा नहीं कर रहे हैं।

श्री सी० जंगा रेड्डी : आप सबसिडाइज करके 2 रुपये 27 पैसे में चावल बेचते हैं। मैसूर के मिलरों ने आपको पत्र भी लिखा। उसमें उन्होंने लिखा कि जिस वक्त आप चाहते हैं उस वक्त आपको लेवी रेट से चावल देते हैं। फिर एफ० सी० आई० के गोडाउन में 81 रुपए पर क्विंटल का जो नुक्सान हो रहा है, उसको आप क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि जो मिलर्स को आफर दे रहे हैं जिस प्राइस पर देना चाहते हैं उस प्राइस को जब चाहे देने के लिए वह तैयार हैं···

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपने पन्द्रह मिनट ले लिए हैं। कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए। मंत्री महोदय को उत्तर देना है।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : आप गोडाउन से जितनी प्राइस पर देने के लिए तैयार हैं मिलर्स उसके लिए तैयार हैं। यह 81 पैसा इस तरह से हम बचा सकते हैं। इसमें आन्ध्र प्रदेश मिलर्स एसोसिएशन वाले भी हैं, वारंगल वाले भी हैं और मैसूर वाले भी दिए हैं। यह तो उनका खास तौर से कहना है कि कलेक्टर जिस वक्त हमको तलब करता उस वक्त उतना राइस देने के लिए हम तैयार हैं जो रेट आपने फिक्स किया है उस रेट पर देने को तैयार है। तो आप उसको डाइरेक्ट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भेज दीजिए इस तरह से 90 करोड़ रुपया जो आन्ध्र प्रदेश को आपने लास के रूप में दिया है वह आप बचा सकते हैं।

श्री सी० माधव रेड्डी : मिल ओनर्स से बड़ी हमदर्दी है आपकी।

श्री सी० जंगा रेड्डी : मेरी मिल ओनर्स से हमदर्दी नहीं है। जैसा श्रीमान् जी बता रहे हैं, मैं मिल ओनर्स के हक में नहीं हूं। मगर पूरी मिल्स वहां क्लोज हो गई है। मैं मिलर नहीं हूं। मैं पैडी ग्रोअर हूं। मैं भी परेशान हूं, वह परेशान नहीं हैं···

श्री पी० शिव शंकर : वह भी पैडी ग्रोअर हैं।

श्री सी० जंगा रेड्डी : मिलर अगर पेडी ग्रो करता है और खुद मिलिंग करता है तब तो उसके लिए ठीक है । मिलर्स के हक में मैं नहीं बोल रहा हूं । मेरा कहना यह है कि इस तरह से आप सेव कर सकते हैं ।

[अनुवाद]

आप भंडारों में क्यों रखते हैं । मिल वाला तो लेने को तैयार है ।

[हिन्दी]

आप जो ले रहे हैं 2 रुपए 40 पैसे में और बेच रहे हैं 3 रुपए में यह आप सेव कर सकते हैं । 2-40 पर जनवरी में लेते हैं, जून में लेते हैं और आषाढ़ मास में लेते हैं । वह देने को तैयार है । तो आप उसको गोडाउन में क्यों रख रहे हैं ? इसकी वजह से मिलर परेशान हैं और पेडी ग्रोअर्स परेशान हैं ।···(व्यवधान)·· मैं बताना चाहता हूं कि आन्ध्र प्रदेश सरकार की पालिसी की वजह से पूरी मिलें वहां बन्द हो गई । आपने जो स्टेटमेंट दिया है वह सत्य से बिल्कुल दूर है । एन० टी० रामाराव की सरकार मिल ओनरों के हक में नहीं है लेकिन मिल ओनरों को नुकसान हुआ, यह मैं बताना चाहता हूं । वह मिल ओनर्स के ही नहीं, बल्कि पेडी-ग्रोअर्स के भी खिलाफ है । आप देखिए, यह चिट्ठी पहुंचने के बाद कुछ भी उन्होंने नहीं खरीदा है । वह कहते हैं कि जब आपने एक्सेप्ट किया है, प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं तो उनको जितना देना चाहिए वह दीजिए । जितना वह राइस चाहते हैं उतना राइस दीजिए ।···(व्यवधान)···

श्री पी० शिव शंकर : मैं आपसे सहमत हूं । इस हद तक माधव रेड्डी साहब को आप को जवाब देना चाहिए ।···(व्यवधान)

श्री सी० जंगा रेड्डी : जो खराब धान है उसका प्रोक्योरमेंट नहीं, जो अच्छा धान है उसका प्रोक्योरमेंट करेंगे । यह क्या नीति है, आपकी ? इस चिट्ठी का तो यही मतलब होगा । जिस वक्त किसान परेशान होता है तो हरयाने में, पंजाब में आपने लिया है, म्वायचिर पेडी लिया है । मगर आन्ध्र प्रदेश के किसानों को तबाह कर दिया है । हम तो यह चाहते हैं कि पालिसी एक होनी चाहिए ।

ग्राउन्ड नट भी हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं । आन्ध्र का किसान परेशान है और बंगलौर का संतुष्ट है । वहां पर पांच सौ रुपए या तीन चार सौ रुपए हैं । एन० टी० रामाराव ने आयल पर भी रेस्ट्रिक्शन लगा दिया । तो इन दोनों के बीच में किसान परेशान हैं । आप अच्छे हैं और वह अच्छे हैं । मगर दोनों के बीच में किसान परेशान है । मैं और एक बात पूछना चाहता हूं ·····(व्यवधान)···कल एन० टी० रामाराव ने आपके राजीव गांधी जी के खिलाफ एक स्टेटमेंट दिया था । इसमें कहा है :

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश सरकार को 60,840 टन सामान्य चावल दिए गए। क्या यह विशेष जनजातीय योजना अथवा साधारण योजना के अन्तर्गत है? कृपया आप इसे स्पष्ट कीजिए। यदि यह विशेष जनजातीय योजना के अन्तर्गत है तो यह जनजातियों को ही मिलना चाहिए। यदि यह विशेष जनजातीय योजना के अन्तर्गत नहीं हैं तो वे ठीक कह रहे हैं और आपकी बात गलत है।

[हिन्दी]

अब मैं आपको शुगर के बारे में दो बातें बताना चाहता हूं ···(व्यवधान)·····

शुगर की ईश्यू प्राइस एफ० सी० आई० से 3879 रुपए 40 नए पैसे पर मैट्रिक टन

[अनुवाद]

यह भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्य व्यापार निगम को दे दिया जा रहा है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा यह लागत राज्य व्यापार निगम को दी जाती है। भारतीय राज्य व्यापार निगम द्वारा राज सहायता सहित मूल्य क्या है? केवल 2250 रुपए। जिसका आशय यह है कि राज्य व्यापार निगम ·····(व्यवधान)

सभापति महोदय : मूल्यों का अन्तर बताने के लिए कोई समय नहीं है। कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री सी० अंगा रेड्डी : 3 रुपए 87 नए पैसे में एफ०सी० आई० वाले लेते हैं एस०टी०सी० से...(व्यवधान) और फिर 4 रु० 44 पैसे में बाहर देते हैं। इस तरह से आप शुगर में बहुत पैसा कमा रहे हैं। इसको कम करना चाहिए। 2 रुपए 25 पैसे में लेकर 5 रुपए 50 पैसे तक आप बेचते हैं। इतनी ज्यादा मुनाफाखोरी आप कर रहे हैं। केन्द्रीय सरकार को किस एक्ट में बन्द करना चाहिए—मुझे पता नहीं है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए। अन्यथा मैं अगले वक्ता का नाम बुलाऊंगी।

श्री सी० अंगा रेड्डी : आप उपभोक्ता से 125 प्रतिशत अधिक वसूल करते हैं। आपको 225

[श्री सी० जंगा रेड्डी]

रुपये मिल रहे हैं, और 520 रुपया में बेच रहे हैं, राज्य व्यापार निगम को 187 रुपये प्रति किलो मिल रहे हैं, उन्हें मजबूर किया जाता है, वह केवल भारतीय खाद्य निगम से राज्य व्यापार निगम को पत्र भेज रहे हैं। उन्हें प्रति किलो 187 रुपये मिलते हैं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : मैं अगले वक्ता का नाम बुलाऊंगी, कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री सी० जंगा रेड्डी : अतः इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है।

किसान को गन्ने के भाव ज्यादा मिलने चाहिए और शुगर का इम्पोर्ट कम होना चाहिए।

आपने जो मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री गिरधारी लाल डोगरा (उधमपुर) : महोदया, मैं आपका आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इन अनुदानों पर बोलने का अवसर दिया है।

चूंकि समय बहुत कम है, मैं केवल दो बातों की ओर माननीय मन्त्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक यह है कि जहां तक गेहूं का सम्बन्ध है, भंडार काफी हैं। इस बार फसल भी भरपूर हुई है। भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य निगमों के पास कोई भी भंडार नहीं है। यहां तक कि भारतीय खाद्य निगम का गेहूं बाहर खुले में पड़ा हुआ है और वह तिरपाल से ढका होता है। प्रादेशिक तथा राज्य निगमों के गेहूं का भी यही हाल है और अन्य एजेंसियां जो गेहूं की वसूली कर रही हैं वे भण्डारों को अच्छे ढंग से नहीं रख पाती हैं और किसान और उपभोक्ता दोनों को परेशानी हो रही है और जहां तक गेहूं का सम्बन्ध है इसमें मन्दी आई है। इन परिस्थितियों में अफसरशाही धीरे से कार्य कर रही है और कभी-कभी यह स्थिति का सामना करने में बहुत ही विलम्ब से कार्य कर रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो दूर-दराज के क्षेत्रों में आटे की मिलों की स्थापना करना चाहते हैं। उनके अपने भण्डार होंगे, नया भण्डार उनके पास चला जाएगा और वह आटा बनाएंगे और लोगों में बेच डालेंगे। और यदि किसी विशेष क्षेत्र में अधिक मिले हैं तो वहां अधिक प्रतियोगिता होगी जो उपभोक्ताओं के हित में होगा। इन परिस्थितियों में आटे की नई मिलों को खोलने में कोई रोक नहीं होनी चाहिये, जैसा मैंने कहा है, गेहूं दूर-दराज के क्षेत्रों में चला जाएगा, मिल-मालिक स्वयं इसे अपने भण्डारों में ले जाएंगे और वह उन क्षेत्रों में नए भण्डार से आटा देंगे। वर्तमान प्रणाली में केवल खराब भण्डार ही वहां भेजे जा रहे हैं। गेहूं भण्डारों के बाहर असुरक्षित ढंग से पड़ा हुआ

है और जनता को खराब भण्डार के लिए कीमत देनी पड़ती है। अत: मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस मामले में हस्तक्षेप करें और सुनिश्चित करें कि आवश्यक प्रतिबन्धों को हटाया जाए जिससे उन व्यक्तियों को दूर-दराज के क्षेत्रों में आटा मिलें खोलने का अवसर मिल सके। जो ऐसा चाहते हैं इससे अतिरिक्त रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। ऐसा करने से सरकारी वितरण प्रणाली के भण्डारों पर दवाब भी कम हो जाएगा और यदि इसमें स्पर्धा है तो बाजार में अच्छा आटा उपलब्ध होगा।

एक अन्य बात की ओर मैं माननीय मन्त्री का ध्यान दिलाना चाहूंगा। जहां तक अन्य खाद्य पदार्थों का सम्बन्ध है, आपके पास मानदण्ड हैं, किन्तु जहां तक आटे का सम्बन्ध है, आपके पास कोई ऐसा विशेष मानदण्ड नहीं है कि इसमें कितनी सूजी होनी चाहिए, कितना मैदा होना चाहिए, और कितना छिल्का हो। अच्छे आटे की कोई परिभाषा नहीं है। बाजार में जो कुछ बेचा जाता है उसमें से सारी सूजी और मैदा निकाल दिया जाता है। भूसा भी निकाल दिया जाता है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। भारत में अधिकतर नए रोग जो हैं, मेरे विचार में वह खुले बाजार में बेचे जाने वाले आटे के कारण हैं। मेरे विचार में यह धूल से थोड़ा अच्छा है क्योंकि इसमें कुछ नहीं रहता है। अत: मैं माननीय मन्त्री का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहूंगा कि वह सुनिश्चित करें कि आटे का कोई मानदंड निर्धारित किया जाए, ताकि सम्बद्ध विभाग इस बात की जांच करे और मिल-मालिकों द्वारा जो भी आटा दिया जाता है—केवल सरकारी एजेन्सियों द्वारा ही नहीं अपितु अन्य प्रकार से भी जिसकी बिक्री बाजार में हो रही है—उसमें न्यूनतम खाद्य मूल्य हो यह मिल मलिकों के विवेक पर नहीं छोड़ दिया जाना चाहिए। यही मुख्य बात मैं कहना चाहता था।

दूसरी बात यह है कि पिछड़े क्षेत्रों के लोग कम से कम मेरे राज्य में, दूर-दराज के क्षेत्रों से उस क्षेत्र के प्रत्येक हिस्से से सदा आपके मंत्रालय को लिखते हैं और जब आवेदन पत्र आते हैं तो इन्हें सिफारिशों के लिए राज्य सरकारों को वापस भेज दिया जाता है। जब राज्यों से सिफारिशें प्राप्त होती हैं तो फिर आवेदन पत्र राज्य को इस टिप्पणी के साथ वापस भेजा जाता है कि इन आवेदन पत्रों की पुन: जांच नई नीति के सन्दर्भ में की जाए। मुझे आश्चर्य है कि नई नीति क्या है जब गेहूं खराब हो रहा है, और जनता खराब गेहूं खा रही है। वे चाहते हैं कि नया भंडार दूर-दराज के क्षेत्रों को भेजा जाए। उन लोगों के लिए क्या कठिनाई है जो आपके सचिवालय में बैठे हैं? वे ऐसे लोगों के बीच रुकावट क्यों बन जाए जिनको अच्छा भोजन मिल रहा है, विशेषकर उनकी कीमत पर? इन दो बातों की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता था।

मेरे से पूर्व वक्ता, जो मांगों पर चर्चा कर रहे थे, ने कहा कि सरकार को चावल के भण्डार मिल-मलिकों के पास रखने चाहिए।

मैं उनके साथ सहमत नहीं हूं क्योंकि सरकारी माल को निजी पार्टियों की अभिरक्षा में रखने का अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। वे जिस तरह से सामान का व्यापार करना चाहते हैं कर

[श्री गिरधारी लाल डोगरा]

सकते हैं। मैं नहीं समझता, कि वे अनिश्चित समय तक अपने पास माल रखना चाहेंगे जैसा कि खाद्य निगम करता है। खाद्य निगम को ये स्टाक अपने गोदामों में रखना चाहिए और यह अच्छी बात है। उनको आर्थिक सहायता दी जाये। उन्हें उपभोक्ता केन्द्रों में इन स्टाकों को उपलब्ध कराना चाहिए। इसलिए मैं माननीय सदस्य के विचारों से सहमत नहीं हूं। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इसे पूरी तरह से देखेंगे और यदि वहां कोई भी रूकावट है तो इसे दूर करना चाहिए। परन्तु कोई भी यह समर्थन नहीं करेगा कि सरकार या भारतीय खाद्य निगम को अपना स्टाक मिल मालिकों या किसी अन्य के पास रखना चाहिए और जब कभी कुछ मांगे आती हैं तब इसे उपभोक्ता केन्द्रों पर भेज दिया जाना चाहिए। कम से कम मैं इसके समर्थन में नहीं हूं।

मुझे आशा है कि मेरे द्वारा दिए गए इन सभी सुझावों पर माननीय मन्त्री विचार करेंगे।

श्री के० एस० राव (मछलीपटनम) : सभापति महोदय, मैं खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। मैं माननीय मन्त्री के ध्यान में इस बारे में अपने कुछ विचार लाना चाहता हूं। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना के पीछे उद्देश्य अच्छा है। अभिप्राय यह है कि व्यापारियों द्वारा निर्धन लोगों का शोषण न किया जाये जो बहुत लाभ कमा रहे हैं और उपभोक्ताओं का शोषण कर रहे हैं। इसलिए भारतीय खाद्य निगम बनाया गया था और इससे जन साधारण का काफी भला हुआ है। बजट अधिकतर यह बताता है कि आर्थिक सहायता और अन्य व्यय के रूप में अर्थात् लगभग 1960 करोड़ रु०, यह केवल भारतीय खाद्य निगम को जाते है। अतः भारतीय खाद्य निगम को वास्तव में महत्व जाता है, यह किस प्रकार से व्यय कर रही है और किस ढंग से क्या वास्तव में लोगों को लाभ मिल रहा है जैसा कि भारत सरकार कल्पना करती हैं। भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण की विभिन्न वर्गों द्वारा आलोचना की गई है हांलाकि हमे अभी-कभी इसकी छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देना है। परन्तु यह तीसरे व्यक्ति को स्पष्ट रूप से यह प्रतीत होता है कि एफ० सी० आई० में कुछ गड़बड़ी है।

वास्तव में, जब मैंने खाद्य निगम को निर्माण लागत पर विचार किया तो खाद्य मंत्रालय की दूसरी शाखा केन्द्रीय भांडागार निगम की लागत भारतीय खाद्य निगम की तुलना में बहुत कम बताती है। जहां केन्द्रीय भांडागार निगम लगभग 300 रुपये या बाद में 400 रुपये प्रति टन की लागत से भण्डार क्षमता का निर्माण कर सकती है वहां भारतीय खाद्य निगम 600-700 रु० से अधिक खर्च कर रहा है। मैं माननीय मंत्री से विस्तार में जाने और यह पता लगाने का अनुरोध करता हूं कि क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा बनाये गये गोदामों के डिजाइन में कोई खराबी है या कोई और बात है।

इसी तरह कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक ने समाचार पत्रों में अनाज के भण्डारण के बारे में बार-बार विषय उठाया है कि अब सरकार के पास इतना अधिक अनाज है, यदि आने वाले वर्षों में दो खराब फसलें भी होती हैं तो भी हम सप्लाई को ठीक रख सकते हैं। अतः यह देश में स्पष्टरूप से अनाज की आत्मनिर्भरता बताता है।

इस आत्मनिर्भरता को देखते हुए मैं माननीय मंत्री से यह विचार करने का अनुरोध करता हूं कि क्या भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण में परिवर्तन करके इसे कुछ ऐसी वस्तुओं जो कम सप्लाई में हैं और क्या लोगों के लिए नियमित रूप से आवश्यक अन्य वस्तुओं की सप्लाई का काम इसे सौंपा जा सकता है।

जब माननीय मंत्री ने हस्तक्षेप किया तो उन्होंने विभिन्न प्रस्तावों को स्पष्ट किया जिन्हें वे शुरु करने जा रहे हैं विशेष रूप से उपभोक्ता को संरक्षा और उचित दर की दुकानों की संख्या को बढ़ाना तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करना जहां वास्तव में कार्यक्षमता को बढ़ाया जा सकता है तथा इन चीजों पर ध्यान केन्द्रित करके लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है।

दुर्भाग्यवश मुझे एक बार फिर कहना चाहिए जैसा कि मेरे माननीय दोस्त श्री सी० माधव रेड्डी कुछ दिन पहले बता रहे थे कि केवल मन्त्री जी के हस्तक्षेप के कारण विवाद उत्पन्न हुआ है। मुझे खेद है शायद इसकी गलत व्याख्या की गई है। केवल आन्ध्र प्रदेश में इस बारे में अधिक प्रचार तथा इसका केवल एक पहलू बताने और इसके सभी पहलुओं को न बताने के कारण अधिक क्षति हुई है मेरे दोस्त यह भी बता रहे थे कि राज्य में उनके नेता ने यह क्रांतिकारी निर्णय लिया था और पूरे देश को यह जानना चाहिए कि चावल के 1.90 रुपये की दर से देने का इरादा जो मौजूदा राज्य सरकार के 2 रुपए की दर से चावल देने के प्रस्ताव से 10 पैसे कम था तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू किया गया था। परन्तु बाद में यह उनकी खुशकिस्मती है कि वह सत्ता में आए और उन्होंने इस योजना का लाभ उठाया तथा चावल 2 रुपए की दर से दिया परन्तु फिर भी जैसा कि माननीय मन्त्री ने बताया इसके लिए 95 करोड़ रुपए की सबसिडी भारत सरकार द्वारा दी जाती है। लोगों को इसका ज्ञान नहीं था और जब उन्हें यह बताया गया तो यह कहा जाता है कि विवाद खड़ा कर दिया गया है। परन्तु ऐसा नहीं है। यदि तथ्य बताने को विवाद कहा जाता है तो और बात है। अन्यथा यह विवाद नहीं है। मुझे कहते हुए आश्चर्य होता है कि जब प्रधानमन्त्री जी ने हाल ही में मामला उठाया कि जनजातीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा चावल 1.85 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से सप्लाई किया जाता है तो उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उसे 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है उन्हें उत्तर दिया गया कि उन्हें तीन प्रकार का चावल सप्लाई किया गया मोटा बढ़िया और बहुत बढ़िया और उसको मिलाने से औसत भाव 2 रुपया 1 पैसा आता है और इस प्रकार उन्होंने एक पैसे की सबसिडी दी है। यह समझा जा सकता है कि उन्होंने वास्तव में विभिन्न किस्मों के चावल को मिलाकर वितरित नहीं किया। उन्होंने केवल कागज पर औसत मूल्य निकाल लिया और इस प्रकार उन्होंने उन गरीब जनजातीय लोगों को 1.85 रुपए प्रति किलो चावल प्राप्त करने के अधिकार से वंचित रखा और इस प्रकार सस्ते दर पर गरीब लोगों को मोटा चावल देने का सिद्धान्त ही विफल हो गया। फिर भी वह लोगों को यह दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि उन्होंने अच्छा काम किया है। किन्तु उन्हें यह डर है कि 1.85 रुपये की दर से चावल देने से पुनः भारत

[श्री के० एस० राव]

सरकार लोकप्रिय बन जायेंगी और इसका लाभ वह नहीं उठा सकेंगे। मुझे संदेह है कि भविष्य में भी यदि भारत सरकार मोटी चीनी 2-3 रुपये और बढ़िया चीनी 5-6 रुपये के हिसाब से देगी तो वे पुनः यही कहेंगे कि हमने सबको मिलाकर 4 रु० की दर से देंगे। अतः राज्य अधिकारियों को यह महसूस करना चाहिये कि सरकार का इरादा यह है कि गरीब लोगों को वह कम कीमत पर दी जाये और अमीर लोगों को अधिक कीमत पर परन्तु श्री जंगा रेड्डी बता रहे थे कि वे केवल 25 किलोग्राम जारी करते थे और एक परिवार के लिये वास्तविक मांग 50 किलोग्राम से अधिक है। परन्तु मैं श्री माधव रेड्डी जी के साथ सहमत हूं कि यदि जैसा कि राज्य सरकार ने बार-बार व्यक्त किया है कि वे अपने एजेंसियों के माध्यम से धान खरीदने की इच्छा करते हैं मैं मंत्री जी से यह देखने और राज्य सरकार को 22 लाख टन या इससे अधिक अपनी एजेंसियों के माध्यम से जैसा कि वे चाहते हैं खरीदने की मंजूरी देने का अनुरोध करता हूं कि विभिन्न कार्यक्रम के अन्तर्गत उसी मद को 2 रुपये प्रति किलोग्राम और मोटे चावल को 1.85 रुपये प्रति किलोग्राम की सप्लाई हो··· (व्यवधान) अन्यथा वे कहेंगे कि वे उनको अनुमति नहीं दे रहे हैं। हम इसे उनकी कार्यक्षमता पर छोड़ेंगे। यदि आवश्यक हुआ तो जैसा कि आन्ध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां अतिरिक्त अनाज होता है, भारत सरकार आन्ध्र प्रदेश सरकार से खरीदने और कुछ अन्य राज्यों को खरीद की लागत पर आधारित कीमत पर सप्लाई करने तथा जो कुछ उनके द्वारा प्रभावित अर्थव्यवस्था और लागत को मिलाकर करने को कह सकती है। ताकि माल ढोने, भण्डार की हानि सम्बद्ध उद्देश्य, अकुशलता और इन सभी आरोपों को राज्यों को अवसर दिए जाने के द्वारा हटाया जा सके। वास्तव में मई 1985 में पश्चिम बंगाल को इसके लिए अनुमति दी गई है। अतः इस प्रकार की उसी चीज का यहां भी प्रयास किया जा सकता है।

उचित दर की दुकानों की संख्या मे वृद्धि करनी होगी और मंत्री जी ने कहा है—मुझे इसके बारे में खुशी हुई है—कि वह इसकी संख्या को बढ़ाने के बारे में विचार कर रहे है। परन्तु मेरी यह राय है कि स्वैच्छिक संगठनों और सेवा संगठनों को इस मामले में आगे लाना चाहिये और उन्हें उत्तर-दायित्व के साथ-साथ कुछ वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए ताकि हम आवश्यक वस्तुओं को जन-साधारण को कम कीमत पर प्रभावी ढंग से उपलब्ध करने को सुनिश्चित कर सके जहां केवल लाभ ही आधार न हो और लोगों के लिये सेवा उपलब्ध हो।

जहां तक परेशान किये जाने का सम्बन्ध है इन चीजों को नियमित करने के लिए कई कानून हैं। परन्तु मैं चाहता हूं कि सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि छोटे-मोटे कारणों से उचित मूल्य की दुकानों के मालिकों अथवा छोटे व्यापारियों को इस आधार पर तंग न किया जाये कि 20 क्विंटल में 10 किलोग्राम या 5 क्विंटल चीनी में एक किलोग्राम चीनी का फर्क है।

यदि खाद्यान्नों की खरीद पर विशेष तौर पर फसल के समय उचित ध्यान दिया जाये तो किसान वर्ग को भी लाभ हो सकता है और उत्पादक को भी यह संतुष्टि मिलेगी कि उसे समय पर

उचित मूल्य मिल रहा है । यह खाद्यान्न सीधा राज्य सरकार को दिया जा रहा है, स्वैच्छिक संस्थाओं को दिया जा रहा है और उचित दर की दुकानों को दिया जा रहा है । हम देख सकते हैं कि ये खाद्यान्न जो स्थानीय खपत के लिए चाहिये इन स्वैच्छिक संस्थाओं, और उचित दर की दुकानों द्वारा जन साधारण को निर्धारित मूल्यों पर बेचे जा रहे हैं जिससे भण्डारण और परिवहन खर्चा भी घट गया है ।

हम देखते हैं कि हमारे पास खाद्यान्नों के अतिरिक्त भण्डार हैं । अत: भारत सरकार को उन विशेष वस्तुओं का पता लगाना चाहिए जिनका आधिक्य है और इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि ये वस्तुयें राज्य सरकार द्वारा निर्यात की जा रही हैं । आप राज्य सरकारों को अतिरिक्त वस्तुओं के निर्यात की अनुमति दे सकते हैं ।

गन्ने जैसी वस्तुओं पर आते हुए, हम पाते हैं कि गन्ने का उत्पादन 1982-83 में 822·30 लाख टन से कम होकर इस वर्ष 614·30 लाख टन हो गया है । हमें चीनी आयात करने में काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ी । यदि हम अपने किसान को केवल उचित मूल्य दे देते तो वह हमें उतनी मात्रा में चीनी दे देता जितनी हमारी आवश्यकता थी । इसी प्रकार सुबह यह कहा गया था कि हल्दी का भी निर्यात किया जा रहा है । मैं तीन दर्शकों से जानता हूं कि इसमें बहुत ज्यादा उतार-चढ़ाव थे, यहां तक कि 100% उतार-चढ़ाव था जिससे मुझे जानकारी मिली कि कुछ किसान दिवालिये हो गये हैं; उनको अपनी सारी सम्पत्ति बेचनी पड़ी है । मैं चाहता हूं कि मन्त्रालय को, किसानों के हितों के लिए ही नहीं किन्तु राष्ट्र हित के लिए भी ऐसी वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करने के लिए विचार करना चाहिए क्योंकि हम भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा कमा सकते हैं ।

इसी तरह खाद्यान्नों के आयात को भी तिलहनों की भांति सीमित किया जा सकता है । नि:सन्देह, मन्त्रालय इसे प्रोत्साहित करने के बारे में विचार कर रहा है और यह बड़े पैमाने पर किया जा सकता है । आन्ध्र-प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां वे खाद्यान्न जिनकी सप्लाई देश में कम है, पैदा किये जा सकते हैं क्योंकि आन्ध्र-प्रदेश का कृषक वर्ग आधुनिक प्रोद्योगिकी से बहुत प्रभावित एवं ग्रहणशील है और वे बहुत प्रगतिशील विचारों के लोग हैं इस क्षेत्र में भी वे कठिन परिश्रम करने को तैयार हैं । मैं अपने साथी श्री माधव रेड्डी को भी एक बात कहना चाहता हूं । उनके इस दावे के बावजूद कि भारत सरकार इस कार्यक्रम के सम्बन्ध में भी पक्ष-पात कर रही है, मुझे विश्वास है कि खाद्यान्नों की जारी की गई कुल मात्रा, जो 1,77,000 टन है, में से 60817 टन अकेले आन्ध्र-प्रदेशों के लिए जनजाति विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जारी की गई थी । किसी भी दूसरे राज्य को इतनी अधिक मात्रा नहीं दी गई थी । अन्य राज्यों को केवल 12000, 11000, 5000 तथा कुछ सौ टन खाद्यान्न दिया गया था । इतना मिलने पर भी वे जनजाति के लोगों को तय की गई कीमतों पर खाद्यान्न नहीं दे रहे हैं अपितु वे यह भी शिकायत कर रहे हैं कि भारत सरकार ने उनके साथ पक्षपात किया था । इसके लिए आपको यह जरूर समझना चाहिए कि क्या उनकी बात में कोई गहराई है, क्या उनकी बात में सच्चाई नजर आती है अथवा क्या वे अपनी राजनैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहते हैं ।

सभापति महोदय : कृपा करके अपना भाषण समाप्त कीजिए। अभी तीन वक्ता और हैं और मन्त्री महोदय को जवाब देना है।

श्री के० एस० राव : मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वे इस बात पर विचार करें कि जिस उद्देश्य को लेकर भारतीय खाद निगम की शुरूआत की गई है क्या वह अभी तक बरकरार है अथवा क्या इसमें कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है अथवा यदि आवश्यकता हुई तो इसे बन्द कर दिया जायेगा अथवा इसके माध्यम से लोगों के लिए आवश्यक अन्य वस्तुयें उपलब्ध करायी जाएंगी। कुछ मामलों में भारतीय खाद्य निगम के प्रबन्ध निदेशक ने इस बात का जिक्र किया है कि यदि इसे पांच साल तक भण्डार में रखा जाता है तो भण्डारण खर्च 300 रुपये प्रति क्विंटल आयेगा और किसी दिन यह बात भी सामने आ जायेगी कि खाद्यान्न के अतिरिक्त भण्डारों को सस्ते में बेचना भी उनके लिए समस्या बन गया है। अतः, क्योंकि खाद्यान्न के काफी भण्डार हैं, मेरे विचार में सरकार को सुरक्षित भण्डारों की मात्रा में और 'चल स्टाक' की मात्रा में भी संशोधन करने के बारे में विचार करना चाहिए ताकि इस अतिरिक्त खर्च को कम किया जा सके और राजकीय सहायता देने के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। अन्यथा जैसा कि मेरे एक अन्य साथी बता रहे थे कि राजकीय सहायता उत्पादक अथवा उपभोक्ता की अपेक्षा केवल भारतीय खाद्य निगम एवं अन्य संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए होगी।

यह अवसर देने के लिए मैं आपका शुक्र गुजार हूं। मुझे विश्वास है कि श्री शिवशंकर, जो अपने मन्त्रालय से सम्बन्धित समस्याओं की सूक्ष्म जानकारी रखते हैं के कार्यकाल में वे उन कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे और पूरी सहायता देंगे तथा इस बात का ध्यान रखेंगे कि भविष्य में भारतीय खाद निगम की कार्यप्रणाली पर कोई आरोप न लगाया जाये।

सभापति महोदय : तीन वक्ता हैं और माननीय मन्त्री महोदय दो बजे उत्तर देंगे। अतः अपने भाषण को जितना सम्भव हो सके उतना संक्षिप्त करने की कोशिश कीजिये।

श्री एन० डेनिस (नागरकोइल) : मांगों का समर्थन करते हुए मैं तीन बातें कहना चाहता हूं। खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुई है और केवल आत्मनिर्भरता ही प्राप्त नहीं की है किन्तु अतिरिक्त खाद्यान्न भी हैं। हालांकि स्थिति यह है जन साधारण की शिकायत है कि गरीबों को उचित दर पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध नहीं हैं। हमारे देश में लगभग आधे लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं तथा यह स्वाभाविक है कि अपनी आजीविका कमाने और क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए उनको कठिन परिश्रम करना पड़ता है। अपनी आजीविका कमाना और आवश्यक वस्तुओं की ऊंची कीमतें देना उनके लिए कठिन कार्य है। इसीलिए उन्हें आवश्यक वस्तुएं सुविधापूर्वक उपलब्ध कराई जानी चाहिये।

यह स्वाभाविक है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतों पर रोक लगाने और गरीब किसानों को बेईमान व्यापारियों के शोषण से बचाने के लिए एक तन्त्र के रूप में चुना गया है।

उचित दर की दुकानों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है और इनके द्वारा बिक्री के परिमाण में काफी वृद्धि हुई है। परन्तु वितरण प्रणाली के सम्बन्ध में बहुत कठिनाइयां हैं।

खरीद के सम्बन्ध में सरकार ने किसानों के लाभ की खातिर समर्थन मूल्य की नीति बनाई है। परन्तु खरीद केन्द्र देश के विभिन्न भागों में स्थित नहीं है। और किसान अपने उत्पादन को सुविधा पूर्वक नहीं बेच पाते हैं। खरीद केन्द्रों का विस्तार किया जाना चाहिए तथा जहां कहीं भी खरीद केन्द्र खोले जाने की गुंजाइश हो एवं खोलना सम्भव हों खोले जाने चाहिए।

यद्यपि भण्डार क्षमता में वृद्धि हुई है। परन्तु बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। रेलवे स्टेशनों और अन्य स्थानों पर खाद्यान हवा, धूप और बारिश में पड़े रहते हैं। इस प्रकार खाद्यान क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और मानव उपभोग के योग्य नहीं रहते। इसके कारण काफी नुकसान उठाना पड़ता है भण्डारण क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। राज्य भण्डार निगमों को उपयुक्त राजकीय सहायता देकर सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए।

वितरण प्रणाली के सम्बन्ध में एक तरफ तो यह प्रशंसनीय है क्योंकि खाद्यान्न बाढ़, सूखा तथा चक्रवात तथा अन्य प्राकृतिक विपत्तियों से प्रभावित क्षेत्रों में शीघ्र पहुचा दिये जाते हैं और ऐसी कोई खबर नहीं है कि खाद्यानों के अभाव में कोई व्यक्ति मरा हो। दूसरी ओर इस प्रणाली के कार्यकरण को सहज और कारगर बनाया जाना चाहिए तथा इसमें सुधार किया जाना चाहिए। इसमें कुछ कमियां हैं। भारतीय खाद्य निगम की कार्यप्रणाली में बहुत सुधार करना होगा। अब तक हो रही हानि बहुत अधिक है और इस सम्बन्ध में उनके द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण तथा कारण जनसाधारण का सन्देह तब तक दूर नहीं कर सकते जब तक कि इसकी कार्यप्रणाली में बेहतर परिणामों और निश्चित कार्यवाही द्वारा सुधार नहीं किया जाता। प्रत्येक स्तर पर हो रही हानि और लापरवाही का गहराई से अध्ययन किया जाना चाहिए और अविलम्ब उपचारात्मक उपाय दिये जाने चाहियें। लापरवाही अव्यवस्था और भ्रष्टाचार का पता लगाया जाना चाहिये और सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए।

मैं एक बात कहना चाहता हूं कि खरीद कीमत और उपभोक्ता खरीद कीमत में बहुत अधिक अन्तर है। किसान यह महसूस करता है कि उसे लाभकर कीमतें नहीं मिल रही हैं और उपभोक्ता को यह महसूस होता है कि आवश्यक वस्तुओं के लिए वह ऊंची कीमत दे रहा है। खरीद और सप्लाई के बीच बहुत सी ऐसी अवस्थाएं हैं जहां बहुत हानि होती है। इसका भार उपभोक्ता पर पड़ता है। और उत्पादक को भी कुछ नहीं मिलता है। इस पहलू पर गहराई से अध्ययन किया जाना चाहिए। और गलतियों को ठीक किया जाना चाहिए। सहकारी समितियों सहित कई संस्थाओं द्वारा वितरण किया जाता है। वही व्यक्ति लम्बे समय तक पदों पर बने रहते हैं और वे काला बाजारों में लिप्त हो होकर धनवान बन जाते हैं। कई स्थानों पर उचित दर की दुकानों वाले

[श्री एम० डेनिस]

चीनी और मिट्टी के तेल का सारा कोटा चोर बाजार में बेचते हैं तथा इसलिए ये वस्तुएं दूर पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वालों और जनसाधारण को नहीं मिल पाती हैं। वे घटिया मिलावट किए हुये क्षतिग्रस्त खाद्यानों का वितरण करते हैं जो मानव उपभोग के योग्य नहीं है। नाप-तोल भी कम होते हैं।

सीमेंट भी चोर बाजार में बेची जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के लिए सीमेंट प्राप्त करना बहुत कठिन है। यहां तक कि घरों की मरम्मत के लिए पांच बोरे सीमेंट लेने में भी चार पांच महीने लग जाते हैं और घर बनाने के लिए सीमेंट लेने में तीन-चार वर्ष लग जाते हैं। चोर बाजारियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जानी चाहिये और इसे बन्द करने के लिये कठोर नियम बनाने चाहिये।

खरीद के समय और वितरण के समय सरकारी संस्थओं को खाद्यानों की किस्म और मात्रा पर निगरानी रखनी चाहिये यदि खरीद के समय खाद्यानों की किस्म अच्छी नहीं है तो इसे मानव उपभोग के अयोग्य घोषित कर दिया जाना चाहिए और सप्लाई के समय भी इसका वितरण करने से रोक दिया जाना चाहिए चोर बाजारियों और मिलावट करने वालों को कठोर दण्ड दिया जाना चाहिए राज्यों को आवश्यक वस्तु अधिनियम और खाद मिलावट अधिनियम की धाराओं को लागू करने के निर्देश दिये जाने चाहिये। चोर बाजारी को रोकने के लिए छापे मारे जाने चाहिए और निरीक्षण किया जाना चाहिए।

मैं एक दो सुझाव देना चाहता हूं। माननीय मन्त्री महोदय ने कहा है कि 2000 लोगों के लिए एक उचित दर की दुकान खोली जाएगी। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में और वहां भी जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग पहाड़ी प्रदेशों में रहते हैं यह कम से कम 1000 व्यक्तियों के पीछे खोली जानी चाहिये। चलती फिरती दुकानों के सम्बन्ध में सरकार ने ये निर्देश दिए हैं कि चलती-फिरती दुकानें वहां खोली जानी चाहिये जहां इनकी आवश्यकता है। परन्तु सभी राज्य इसका अनुसरण नहीं कर रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में विशेष दुकानें खोले जाने सम्बन्धी केन्द्र सरकार के निर्देश का भी कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है। अतः व्यापारी लोग वहां मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं और मजदूरों को ऊंची कीमतें चुकानी पड़ रही हैं।

तमिलनाडु सरकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये खाद्यान्नों के अधिक कोटे की मांग को स्वीकृति दी जानी चाहिये। कन्याकुमारी जिले में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जो हमारे देश का सुदूर दक्षिण में पड़ने वाला जिला है, खाद्यान्नों की कमी है क्योंकि खाद्यान्नों के आवागमन पर प्रायः दोनों तरफ से तमिलनाडु की ओर से और केरल की ओर से प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। इसकी विशेष भौगोलिक और राजनैतिक स्थिति के कारण खाद्यान्नों के मामले में यह अभावग्रस्त और कठिनाई ग्रस्त क्षेत्र हैं। बाहरी बाजारों में चावलों की कीमतें सदा ही ऊंची रहती हैं।

यह कमी वाला क्षेत्र भी है। पहले प्रत्येक कार्डधारी को बड़ा हुआ हिस्सा मिलता था। किन्तु अब इसे घटाकर बहुत सीमित और निम्न स्तर पर कर दिया गया है। इसके अलावा, उचित कीमत की अधिक दुकानें खोलने की बजाय, उनकी संख्या यह दलील देकर कम कर दी गई है कि यह एक सीमावर्ती क्षेत्र है। इस प्रकार राज्य सरकार की नीति और अपर्याप्त पूर्ति के कारण लोगों को आवश्यक वस्तुयें नहीं मिलती और इस तरह उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

इस मामले से तमिलनाडु सरकार को अवगत कराया गया है और आन्दोलन भी किए गये हैं; लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए, माननीय मन्त्री तमिलनाडु सरकार को इस अवहेलना की धारणा को हटाने के लिए निर्देश दें और विशेष परिस्थितियों के कारण कार्डधारियों को जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उन्हें ध्यान में रखते हुए कार्डधारियों को बड़ा हुआ आवंटन दिया जाए।

[हिन्दी]

श्री भरत सिंह (बाह्य दिल्ली) : सभापति जी, खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदान मागों का मैं समर्थन करता हूं। समय कम होने की वजह से मैं दो-चार सुझाव ही आपके माध्यम से मंत्री जी को पेश करूंगा और मुझे उम्मीद है कि वे उन पर पूरा ध्यान देंगे। सबसे पहले मेरा सुझाव है कि इस मन्त्रालय को एफ० सी० आई० की कार्य पद्धति में सुधार लाना चाहिए। जिस वक्त किसानों की फसल खलिहानों से मण्डियों में आती है, उस वक्त खरीद के लिए सरकारी अफसर मौके पर नहीं पहुंचते और व्यापारी लोग उस अनाज को बहुत सस्ते दामों पर खरीद लेते हैं। वे बाद में उसी अनाज को एफ० सी० आई० को बेच देते हैं और इस तरह बीच में काफी मुनाफा कमा लेते हैं। इसलिए सबसे पहला मेरा सुझाव है कि जिस वक्त फसल निकलकर आती है, उससे पहले हर मण्डी में, हर मार्केट में एफ० सी० आई० की तरफ से आफिसर पहुंच जाने चाहिए जिससे कि किसानों को अपना अनाज बेचने में कोई परेशानी न हो और उनको ठीक दाम मिल सके। यह बात जरूर है कि जब एफ० सी० आई० के अधिकारी वहां मौके पर गेहूं खरीदने नहीं जायें तो गेहूं का मूल्य बहुत ही कम मिलता है और वह गेहूं सड़कों पर ही खराब हो जाता है।

दूसरा सुझाव मेरा यह है कि जिस वक्त गेहूं की खरीदारी हो जाती है तो उसको बारिश से बचाने के लिए किसी अच्छी जगह रखा जाना चाहिए जिससे कि वह खराब न होने पाए। गोदामों में भी उसको बारिश से बचाने की व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि मैं अक्सर ऐसी चर्चाएं सुनता हूं कि गोदामों में भी अनाज खराब हो जाता है, सड़ जाता है और फिर उसे बाद में बांट देना पड़ता है, फेंकना पड़ता है। इस किस्म की स्थिति न आने देने के लिए आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। आपके पास वैज्ञानिक हैं, आप शोध करवाइए कि कैसे हम गोदामों को ठीक रख सकते हैं, उनमें

[श्री भरत सिंह]

रखे अनाज की सुरक्षा के लिए कौन सी विधि अपनाई जाए जिससे उसकी हिफाजत सही तरीके से हो सके और उसे बारिश, चूहों, कीड़ों से बचाने के लिए गोदामों को किस तरह से बनाना चाहिए ताकि अनाज की सही देख-रेख भी हो सके।

आपने देखा होगा कि जब हमारे फेयर प्राइस शोप्स वाले गोदामों में गेहूं लेने जाते हैं तो उनको वहां से सड़ा हुआ गेहूं कभी-कभी मिलता है जिसको उपभोक्ता लेने के लिए तैयार नहीं होते और इस तरह फेयर प्राइस शोप्स वाले भी परेशान होते हैं, बदनाम होते हैं और उपभोक्ताओं को भी शिकायत रहती है कि हमें इन दुकानों से सड़ा हुआ गेहूं सप्लाई किया जाता है। मैं चाहूंगा कि गोदामों में अनाज को सेफ रखने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे गोदामों में अनाज को बारिश से बचाने के लिए उसके ऊपर त्रिपाल डाल दी जाती हैं लेकिन इसके बावजूद भी अनाज बारिश से भीग जाता है और सड़ जाता है। इसलिए हमें तिरपाल के स्थान पर अनाज को सुरक्षित रखने के लिए अन्य कोई विधि अपनानी चाहिए। गोदामों का निर्माण इस ढंग से किया जाना चाहिए ताकि अनाज चूहों, कीड़ों और सीलन से बच सके।

आजकल किसान के सामने एक समस्या यह भी आती है कि जब वे अपना अनाज लेकर मण्डियों में पहुंचते हैं तो एफ० सी० आई० के अधिकारी या कर्मचारी वहां नहीं होते। हमारे बहुत से बड़े गांवों में लाखों मन अनाज पैदा होता है इसलिए मैं चाहता हूं कि हर मण्डी में एफ० सी० आई० के अधिकारियों या कर्मचारियों को पहुंचना चाहिए और कांटे से पूरा तोल कर किसान का गल्ला खरीद लेना चाहिए। एक परेशानी यह भी आती है कि किसान को उसके अनाज के पैसे काफी दिनों बाद मिलते हैं जब कि कुछ किसान नकद पैसे लेना चाहते हैं। मैं चाहूंगा कि एफ० सी० आई० ऐसी व्यवस्था करें कि जिस वक्त उसके अधिकारी किसानों से अनाज लेते हैं, उतने ही दाम का वे किसान के नाम चेक ईश्यू कर दें जिसको वे अपने नजदीक के किसी बैंक की शाखा में जाकर कैश करवा लें। इससे किसान भी खुश होगा और सभी को सहूलियत भी होगी। इससे किसान को विश्वास रहेगा कि चाहे जिस भाव पर सरकार उसका अनाज खरीदती है, उसे पैसे नकद मिल जाते हैं।

कुछ समय पहले इसी हाउस में चावल और कपास के बारे में चर्चा हुई थी। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी को ध्यान रखना चाहिए कि जहां कहीं भी कोई फसल आती है, उससे पहले सारे इंतजाम पूरे हो जाने चाहिए, फसल के खरीदने, सेम्पल देखने और दूसरी सभी व्यवस्थाएं काफी पहले पूरी हो जानी चाहिए।

एक दिक्कत हमारे सामने यह आती है कि मार्केट या बाजार में, बारिश से अनाज भीग जाता है और सड़ जाता है, खराब हो जाता है। मैं चाहता हूं कि सरकार की तरफ से ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि किसी भी मार्केट में अनाज की खुले में बिक्री न हो और अनाज के ऊपर कोई शैल्टर या साया ऐसा होना चाहिए ताकि धूप और बारिश से अनाज की रक्षा की जा सके।

2.00 म० प०

मेरा कहना यह है कि जिस तरह से दिल्ली में चलती-फिरती दुकानें हैं, उनकी सुविधा बड़े-बड़े गांव तक भी मिलनी चाहिए। मैं दिल्ली का रहने वाला हूं और किसानों, हरिजनों, झुग्गी-झोंपड़ी वालों का नुमाइन्दा हूं। बी० डी० ओ० वगैरह कई किस्म के लोग मेरे पास आते हैं। बड़े-बड़े कस्बों में फेयर प्राइस शाप की तरफ से जो ट्रक आते हैं, वह ठीक रेट पर सामान देते हैं, लोग उससे खुश होते हैं, लेकिन यह चलती फिरती दुकानें गांव में भी जानी चाहिए जिससे लोगों को फायदा मिले।

दिल्ली में राशन बांटने का प्रबन्ध ठीक है, मैं उसको अच्छा बताऊंगा, खराब नहीं बताऊंगा। दिल्ली में जगह-जगह फेयर प्राइस शाप्स हैं, और गरीबों को वहां से ठीक प्रकार से सामान मिलता है।

मैंने कई बार देखा है कि एफ० सी० आई० में हड़ताल हो जाती है और राशन का गेहूं दुकानों को नहीं मिलता। इस तरह से हड़ताल के कारण 15-15 दिन लोगों को राशन नहीं मिलता है। मैं मन्त्री महोदय से कहूंगा कि वह इस तरफ ध्यान दें। अगर कोई ऐसी बात है तो आपको किसी भी प्रकार फेयर प्राइस शाप्स पर एफ० सी० आई० से सामान पहुंचाना चाहिए।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : सभापति महोदय, सबसे पहली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार की एक अच्छी नीति के फलस्वरूप इस संगठन का निर्माण किया गया था। यह संगठन किसानों को बिचौलियों से बचाने के लिए कायम किया गया था और साथ ही साथ देश के नागरिकों के लिए खाद्य आपूर्ति का भंडारण करना भी इसका काम था। एक राज्य से सामान दूसरे राज्य को ले जाना भी इसका काम था। सरकार ने इस संस्था के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन जो देखने को मिला है, वह यह है कि इस संस्था में जो काम करने वाले हैं, वह पूरी तरह से रुपए की पूजा करने के धन्धे में लगे हुए हैं और इसी के गन्दे खेल खेल रहे हैं। वह अपनी सारी जिम्मेदारी को भूल बैठे हैं।

2.02 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

मैं प्रमाण के साथ इस बात को रखना चाहता हूं। एफ० सी० आई० को सबसीडी इस प्रकार मिली है—1980-81 में 650 करोड़, 1981-82 में 700 करोड़ 1982-83 में 710 करोड़, 1983-84 में 835 करोड़, 1984-85 में 1100 करोड़ और 1985-86 में 1500 करोड़ हम आकलित करते हैं कि इस अन्दाजे से इनको मिल रही है। इस सबसीडी में शार्ट्रेज, परिवहन घाटा, चोरी, उठाईगिरी, गबन सब को छोड़ दिया गया है। ये चीजें इसमें सम्मिलित नहीं हैं।

[श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह]

इस संस्था की जो भंडारण की क्षमता है और उसमें जो घाटा है, वह इस प्रकार है। इस संस्था की भंडारण की क्षमता 260 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा की है। विगत 5 सालों में सरकारी सूचना के अनुसार घाटा निम्नलिखित है और प्रशासनिक घाटा इस प्रकार है :—

वर्ष	भंडारण व परिवहन का घाटा	अन्य प्रशासनिक घाटा
1981-82	140 करोड़	12 करोड़
1982-83	160 करोड़	12.5 करोड़
1983-84	180 करोड़	13 करोड़
1984-85	200 करोड़	15.5 करोड़
1985-86	220 करोड़	17.5 करोड़।

इनके घाटे का यह हिसाब है। लोग सरकार की अक्षमता से फायदा उठाते हैं और इसे अंधकार में रखते हैं। हमारे यहां जो भंडारण की शार्टेज है, लेकिन इनका जो कहना है, वह बिल्कुल गलत है। आपने एक नया फार्मूला निकाला है। विगत साल 27 मिट्रिक टन गेहूं चावल की कमी दिखलाई है जिसकी कीमत साढे 600 करोड़ है। यह सारी राशि राइट-आफ देने के बाद अतिरिक्त सबसिडी में नहीं आएगी। यदि ऐसा है तो समय रहते इन हानियों को दूर क्यों नहीं किया गया और सरकार को किस कारण से अन्धकार में रखा गया।

अधिकारियों की लापरवाही से करीब 40 हजार मिट्रिक टन खाद्यान्न 1.6.85 से 31.3.86 के बीच में वर्षा और बाढ़ से नष्ट हो गया जिसकी कीमत करीब 45 करोड़ रुपया थी। किसान के घर में जो कुछ पैदा होता है, उसकी हिफाजत के लिए एक परिवार में एक आदमी को जिम्मेदारी दी जाती है। लेकिन इतने बड़े भंडारण की जिम्मेदारी किस पर सौंपी गई? मंत्री जी को इसका जवाब अवश्य देना होगा।

विगत कई वर्षों से बोरे के क्रय में भयंकर गड़बड़ी की जा रही है। प्रत्येक बोरा 1.023 किलो का होना चाहिए जबकि 800 ग्राम का ही बोरा लिया जा रहा है। इस क्रय की चोरी को खाद्य निगम के वरीय पदाधिकारीगण, आपूर्ति निष्पादन के निदेशक प्रमुख एवं मिल मालिक, आपूर्तिकर्त्ता आपस में मिलकर बांट लेते हैं। ऐसी लूट हर साल करोड़ों रुपयों की होती है।

एफ० सी० आई० के अधिकारियों ने हजारों टन घटिया क्वालिटी के परमल चावल का क्रय किया और बाद में अनुपयुक्त पाकर हाल ही में उसे नीलाम कर दिया जिसके फलस्वरूप देश को करोड़ों रुपए की हानि उठानी पड़ी। इस घटिया किस्म के चावल को स्वीकार करने के कौन दोषी अधिकारी हैं और उनके खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

आज जो क्रय और विक्रय की मानोपली है, इसको तोड़ा जाए और राज्य सरकार की क्रय-विक्रय करने वाली जो संस्था है, उसको डायरेक्ट सबसिडी दी जाए। डायरेक्ट सबसिडी देने पर वह स्वयं पंजाब या कर्नाटक से खरीद कर सकता है। कर्नाटक में अरहर की जो दाल सड़ रही है, डायरेक्ट सबसिडी मिलने से, उसको डायरेक्ट खरीदा जा सकता है।

इन्हीं शब्दों के साथ यह जो 2-3 सवाल मैंने उठाए हैं, मैं ऐसा समझता हूं कि मन्त्री महोदय उन सवालों का जरूर उत्तर देंगे।

[अनुवाद]

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : सभापति महोदय, श्रीमन्, सबसे पहले मैं उन माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस वाद-विवाद में भाग लिया है और महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। मैंने देखा है कि बहुत से माननीय सदस्यों ने विशेष रूप से भारतीय खाद्य निगम की प्रबन्ध व्यवस्था और कार्य विधि की, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और गन्ना उत्पादकों द्वारा झेली गयी कठिनाईयों, इत्यादि की बड़ी आलोचना की है। उन्होंने महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। मैं यह बात रिकार्ड में लाना चाहता हूं कि पेश किए सभी सुझावों पर ध्यान दिया गया है। कई सुझावों की गहराई से जांच करने की आवश्यकता है। निश्चिततया हम इन सुझावों को देखेंगे और इस लिए जब दिये गए सुझावों का सवाल आता है तो मैं इसका श्रेय नहीं लूंगा।

आलोचना के भिन्न-भिन्न मुद्दे, विशेषकर वे मुख्य मुद्दे जो माननीय सदस्यों ने व्यक्तिगत रूप से उठाए हैं, मेरे माननीय साथी ने उनका उत्तर देने का प्रयास किया है। इस प्रकार के वाद-विवाद में प्रत्येक बात का उत्तर देना सम्भव नहीं है,इसलिए जहां तक सम्भव हो सके उन्होंने कई महत्त्वपूर्ण उठाए मुद्दों का जवाब देने पर काफी ध्यान दिया है और इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। विभिन्न माननीय सदस्यों की तरफ से उठाये गये भिन्न-भिन्न सवालों का जवाब देकर उन्होंने मेरा भार हल्का कर दिया है।

इस लिए, मैं अब खाद्य विभाग की सम्पूर्ण कार्यविधि और कमजोरियों तथा उपलब्धियों के बारे में भी एक विस्तृत ढंग से आगे बढ़ूंगा जिससे कि अन्तिम विश्लेषण के दौरान, जो सवाल विभिन्न माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गए हैं और जो मेरे माननीय साथी द्वारा छूट गये हैं, वे अपने आप हल हो जाएंगे।

[श्री पी० शिव शंकर]

श्रीमान, जैसाकि सदन को इस बात की जानकारी हैं कि खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय की मांगें बजट के मद 42 और 43 के तहत आती हैं, यह अच्छा है कि विस्तार में जाने से पहले, मैं स्पष्टतया यह प्रस्तुत करना चाहता हूं कि खाद्य विभाग को कौन-सा कठिन कार्य करना पड़ता है। और किन-किन कठिनाइयों का सामना भी करता रहा है। मैं थोड़ी देर बाद में इस बारे में विस्तार से बताऊंगा। किन्तु जैसाकि मैंने कहा है और इस अवस्था में वांछनीय भी है कि खाद्य विभाग कौन से निश्चित कर्तव्य करता है इस बारे में मुझे स्पष्ट रूप से आगे आना चाहिए।

खाद्य विभाग को देश की खाद्य अर्थव्यवस्था के प्रबन्धक की जिम्मेवारी निभानी पड़ती है। इस कठिन कार्य को करने के लिए विभाग कई उलझन भरे कार्य करता है। यह खाद्यान्नों की वसूली करता है, इनका अपेक्षित संग्रह करता है, और भण्डार बनाये रखता है। इनके भण्डारण का प्रतिबन्ध करता है। देश के विभिन्न भागों में इनके समयानुसार लाने और ले जाने का प्रबन्ध करता है और राजकीय तथा दूसरी भिन्न-भिन्न वितरण एजेंसियों को वितरण के लिए खाद्यान्न प्रदान करता है। यह उत्पादन, भण्डार और कीमत स्तर पर सूक्ष्म तथा निरन्तर निगरानी रखता है जिससे कि देश के विभिन्न भागों में उचित कीमतों पर खाद्यान्नों की पर्याप्त उपलब्धि बनाई रखी जा सके।

श्रीमान, खाद्य विभाग के कार्यों के संबंध में जो इसे करने पड़ते हैं स्थिति को स्पष्ट बनाने के लिए मैंने अपनी बात प्रारम्भ कर दी है, और सिर्फ माननीय सदस्यों को स्मरण कराने तथा उनके ध्यान में लाने के लिए मैं यह बताता हूं कि खाद्य विभाग को बहुत अधिक कार्य करना पड़ता है। इस कठिन कार्य में खाद्य विभाग का सबसे महत्त्वपूर्ण अंग जो इस भारी कर्तव्य को निभाने के लिए बनाया गया है, भारतीय खाद्य निगम है। मैं माननीय सदस्यों को खाद्य विभाग तथा भारतीय खाद्य निगम की कार्यविधि की सराहना करने के लिए अनुरोध करता हूं। ये दो वे विभाग हैं जिनके बारे में बहुत अधिक आलोचना की गयी है। इसलिए मैं एक बहुत महत्त्वपूर्ण अनुरोध कर रहा हूं कि माननीय सदस्यों ने इन दो विभागों के भारी उत्तरदायित्वों तथा सौंपे गये जटिल कर्तव्यों को अपने ध्यान में रखते हुये इनकी सराहना करनी चाहिए। भारतीय खाद्य निगम के कार्य काफी हद तक वे कार्य हैं जो मूलतः खाद्य विभाग को सौंपे गए थे। यह निगम भण्डार करने और उसे बनाये रखने के लिए बड़ी मात्रा में खाद्यान्नों की खरीद करता है। यह उनके भण्डारण समयानुसार लाने ले जाने तथा वितरण एजेंसियों को अनाज मुहैया कराने का प्रबन्ध करता है। जैसा कि मैंने कहा, यह एक मामूली कार्य नहीं है—निःस्सन्देह एक बहुत भारी कार्य है और ऐसी पृष्ठ भूमि में जहां कुप्रबन्ध, नुकसान और बरबादी, अभाव भ्रष्टाचार, अकार्यकुशलता पर्याप्त भण्डारण सुविधाओं की कमी जिसे खाद्यान्नों को खुले में रखना पड़ता है, मिलावट जिससे किस्म घटिया हो जाती है इत्यादि को लेकर आलोचना की गई है, मैं यह कहता हूं कि जिन दुर्बलताओं को यह संगठन भुगत रहा है। मैं उनको कम नहीं बता रहा हूं। मैं इस बारे में सचेत हूं कि जो आलोचना माननीय सदस्यों ने की है उसमें सच्चाई है। किन्तु, अब बात यह है कि, क्या इस विभाग की इस हद तक निन्दा की जाये कि जो कठिन कार्य इस पर सौंपे गए हैं उनको किये बगैर यह पूर्णतया पंगु बन जाये, यह ऐसा

मामला है जिस पर मैं सदन को विचार विमर्श करने के लिए कहता हूं। मैं जानता हूं, मैं किसी भी बात को नहीं छुपा रहा हूं। मुझे यह भी पता है कि इसमें कुछ कमियां हैं। कुछ समय से इस संगठन में कमियां घुस आयी हैं। किन्तु, मुझे यह अवश्य कहना चाहिए कि भारतीय खाद्य निगम में प्रत्येक व्यक्ति इतना बुरा नहीं है जैसी कि आलोचना की गई है। मैं व्यक्तिगत तौर पर यह महसूस करता हूं कि इसमें अच्छे अधिकारी भी हैं जो निस्सन्देह देश की सेवा करना चाहते हैं। यह सत्य है कि कुछ खराब लोगों के कारण यह संगठन बदनाम होता है। किन्तु मैं माननीय सदस्यों को इस संगठन द्वारा भारी जिम्मेदारी लिए जाने पर भी उनके द्वारा की गई आलोचना पर समझने, विचार करने और विश्लेषण करने के लिए अनुरोध करता हूं।

जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं सिर्फ तर्क देते हुए पर्दा डालना नहीं चाहता जैसा कि मेरे माननीय मित्र—तेलुगु देशम दल के नेता ने कहा है कि चतुर तर्कों से कोई भी टालने की कोशिश कर सकता है। जहां भी कोई गलती होगी में खुले रूप से यह मानूंगा कि यहां गलती है।

इसलिए यही वह बात है जिसकी शायद जांच की जानी चाहिए। और यही कारण है कि मैं अवश्य ही यह निवेदन करूंगा कि मैं यह इन्कार करने की स्थिति में नहीं हूं कि विभिन्न वर्गों से जो आलोचनायें की गई है उनमें बल है।

श्री पी० कुलनईवेलू (गोबिचिट्टपालयम) : इसके लिए बचाव के क्या उपाय हैं।

श्री पी० शिवशंकर : आप मुझे समाप्त करने दें। मैंने अभी शुरू किया है।

श्री पी० कुलनदईवेलू : आपने स्वयं स्वीकार किया है कि इनमें धोकेबाज लोग भी हैं। आप उन्हें कैसे नियंत्रित करने जा रहे हैं।

श्री पी० शिवशंकर : क्या मैं आपसे अनुरोध कर सकता हूं कि जब तक मैं अपना उत्तर समाप्त न कर लूं आप इन्तजार करें ? यदि आप हर बात पर हस्तक्षेप करेंगे तो आप मुझसे उत्तर की आशा नहीं कर सकते हैं।

इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप कृपया कुछ एक कतिपय पहलुओं पर ध्यान दें, ताकि यह स्पष्ट हो जाये कि कौन सा कार्य विभाग और भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया गया है; कहां तक इससे इस देश के लोगों का हित साधन हो पाया है और कहां तक उन आशाओं, आकांक्षाओं को पूरा कर पाये हैं जो हमने इस विभाग और संगठन से की थी।

माननीय सदस्यों को मालूम है कि जब हमने खाद्य उत्पादन के आंकड़ों की जांच की तो

[श्री पी० शिवशंकर]

उसमें अपूर्व वृद्धि पाई। मैं पृष्ठभूमि बता रहा हूं ताकि माननीय सदस्य इसकी सराहना कर सकें। माननीय सदस्यों को मालूम है कि 1983–84 में हमने 152.507 लाख टन का रिकार्ड खाद्य उत्पादन किया। 1984–85 में यह 1460 लाख टन है। 1985–86 के लिए अनुमान है कि ये आंकड़े वैसे ही रहेंगे। यह उचित ही कहा गया था कि 900 लाख टन से यह रिकार्ड उत्पादन तक बढ़ाया जायेगा अब यही वह उत्पादन है जिसकी व्यवस्था की जानी है और जिसका प्रमुख भाग गेहूं और चावल है। इसी की व्यवस्था कीजानी है। इसी का भण्डारण किया जाना है तथा इसी को स्थान-स्थान पर पहुंचाना है ताकि समस्तदेश में फैले समाज के विभिन्न तबकों की आवश्यकता को पूरा किया जा सके और फिर हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि इस प्रणाली से लोगों को संतोष हो।

यद्यपि पिछले दो वर्षों के दौरान उत्पादन चरम उत्पादक वर्ष 1983-48 के मुकाबले थोड़ा कम हुआ फिर भी खाद्यान्नों की उपलब्धता में कोई फर्क नहीं पड़ा है। मैं ये निवेदन सिर्फ यह बताने के लिए कर रहा हूं कि खाद्य विभाग और भारतीय खाद्य निगम अपने कर्तव्य को पूरा करने में लगे हुए हैं। मैं इससे आगे नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि इस मामले को अधिक तूल देने का मतलब भी विभिन्न परिणामों के साथ धोखा करना है।

इस कीर्तिमान उत्पादन के कारण सार्वजनिक स्टाक भी बढ़ गए हैं। 1-7-1985 को ये स्टाक 1-7-1984 के केवल 228.9 लाख टन के मुकाबले चरम स्तर पर 286.5 लाख टन थे। ये आंकड़े 100 लाख टन के इच्छित संरक्षित भन्डार के स्तर से और किसी भी वर्ष के एक जुलाई तक 114 लाख टन के चल स्टाक से अधिक है।

मैं अधिक बिस्तार में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि मेरे सहयोगी द्वारा भी काफी कुछ कहा जा चुका है। मैं विभिन्न पहलुओं जितना कम से कम और संक्षिप्त हो सके बोलने का प्रयत्न करूंगा ताकि मैं सभा का समय बरबाद न कर पाऊं और मैं यह भी सुनिश्चित करने की कोशिश करूंगा कि मैं उठाए गए विभिन्न पहलुओं पर उत्तर दूं। इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न रिकार्ड स्टाक को बनाये रखने संबंधित है, खाद्य विभाग और इसरे संलग्न अर्थात भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण को भी देखना है। अत: मैं शीघ्र ही उस भंडारण क्षमता के प्रश्न पर जो हमने विकसित की है आता हूं। सर्वप्रथम मैं यह बताने की कोशिश करूंगा कि रिकार्ड उत्पादन के कारण हमने रिकार्ड भण्डारण को करने की कोशिश की है। फिर जब भण्डारण क्षमता का सवाल आता है तो 1984-85 में ही भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय भण्डागार निगम और राज्य भण्डागार निगम ने 1983-84 के मुकाबले 11 लाख टन की अतिरिक्त भण्डारण क्षमता का निर्माण किया हैं जबकि वे केवल 7.09 लाख टन की भन्डारण क्षमता का ही निर्माण कर सकते थे। इससे पता चलता है कि 7 लाख टन से 11 लाख टन पर आना एक अच्छी वृद्धि है। हमने अच्छा कार्य किया है। 1985–86 में यह अनुमान है कि हम 16.95 लाख टन तक भण्डारण क्षमता का निर्माण कर पायेंगे और आज स्थिति यह है कि 1–1–86 को कुल भन्डारण क्षमता 209.10 लाख टन है। यही वह विस्तृत

मापदण्ड है जिसे मैं समझता हूं कि मुझे सभा के ध्यान में लाना चाहिए। इसी से ऐसा मालूम पड़ता है कि क्या वास्तव में यह विभाग इस सभा द्वारा उनके बारे में बनाए गए विश्वास को उन कतिपय अपेक्षाओं को पूरा करने की दिशा मे कार्य कर रहा है।

श्री सी० माधव रेड्डी : क्या यह किराए पर ली गई भण्डारण क्षमता सहित है?

श्री पी० शिवशंकर : क्या आप ब्यौरा चाहेंगे? जहां तक 11 लाख टन का सम्बन्ध है यह पूरी तरह से भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय भन्डागार निगम और राज्य भण्डागार निगमों की अपनी क्षमता है, यह खाद्य विभाग का कार्य निष्पादन है तथा किराये पर ली गई भण्डारण क्षमता से इसे कोई मतलब नहीं है। मैं केवल जो हमने किया है उसका जिक्र कर रहा हूं। मुझे मालूम है कि इसमें किराए पर ली गई भण्डारण क्षमता शामिल नहीं करनी चाहिए, यही कारण है कि मैं ऐसा कह रहा हूं। इसलिए यह स्थिति है। स्टाक के परीक्षण में भी सुधार हुआ है और मुझे इस समय सभा के ध्यान में यह बात लाना चाहिए। जब स्टाक के परीक्षण से सम्बन्धित उपायों की बात आती है और इन्हीं अच्छे परीक्षण उपायों के परिणाम स्वरूप गेहूं की निम्न किस्म के स्टाक में काफी कमी आई है। 30-1-1984 को स्टाक के अन्तिम दो ग्रेडों 'सी' और 'डी' का 12.95 लाख टन का स्टाक था जो कि कुल स्टाक का 11.1 प्रतिशत था। अब यह 31-1-85 को घटकर 6.04 लाख टन तक रह गया है और प्रतिशत भी कम होकर 11 से 5.7 रह गई है।

जहां तक समर्थन मूल्य पर आधारित खरीद का सवाल है यह1984-85 में 1983-84 के 170.7 लाख टन के मुकाबले 203.5 लाख टन थी।

मेरा अभिप्राय केवल यह बताने का है कि सालों-साल भारतीय खाद्य निगम की गतिविधियों में बढ़ोत्तरी हुई है ताकि यह देश के लोगों की समुचित सेवा के लिए उपलब्ध हो सके। यही बात बताने के लिए मैं इसे पेश करने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने अपने निवेदन में पहले ही यह स्वीकार किया है कि कमियों के होते हुए भी और माननीय सदस्यों की इस आलोचना की सत्यता में न जाते हुए कि क्या यह विभाग और यह भारतीय निगम ठीक प्रकार से ससज्जित है या नहीं मैं ये सांख्यिकिक आंकड़े माननीय सदस्यों को इसलिए दे रहा हूं ताकि वे स्वयं मन्त्रालय के साथ-साथ भारतीय खाद्य निगम की उपलब्धियों के बारे में जान सकें। जहां तक प्रबन्ध का सम्बन्ध है, मेरे साथी ने कुछ विवरण दिए हैं क्योंकि उत्पादन के सन्दर्भ में, भण्डारण क्षमता को बढ़ाने के सन्दर्भ में, खरीद से सम्बन्धित गतिविधियों के सन्दर्भ में जिनमें बहुत तेजी से वृद्धि की गई है, के बारे में कहने के उपरान्त माननीय सदस्यों के ध्यान में यह बात लाना मेरा कर्तव्य है कि इसके प्रबन्ध के सन्दर्भ में क्या स्थिति है। मेरे साथी ने इसके बारे में कहा है। परन्तु इसमें मेरे निवेदन का जिक्र है यही कारण है कि मैं इसे सभा के ध्यान में ला रहा हूं। 1979-80 में भारतीय

[श्री पी० शिवशंकर]

खाद्य निगम 4329 करोड़ रुपये मूल्य के खाद्यान्नों की व्यवस्था कर रहा था। 1984-85 में इसने 7559 करोड़ रुपए मूल्य के खाद्यान्नों की व्यवस्था की। इन पांच से छः वर्षों के अन्दर 3000 करोड़ रुपये की कीमत से अधिक की वृद्धि हुई। जब ऐसा हुआ तो कर्मचारियों की क्या स्थिति है? कर्मचारियों की स्थिति यह है कि 1979-80 जब भारतीय खाद्य निगम ने 4329.45 करोड़ रुपयों के खाद्यान्नों की व्यवस्था की तब कुल 73,640 कर्मचारी थे। जब 1984-85 में इसकी गतिविधियां वस्तुतः दुगुनी हो गई, यद्यपि एकदम दुगुनी तो नहीं हुई अर्थात 7558.74 करोड़ रुपए मूल्य के खाद्यान्नों की व्यवस्था की गई तो कर्मचारी घट कर 72,158 ही रह गए। यहां मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि हम कम लोगों से अधिक कार्य कर रहे हैं। मैं आपके सामने पूरी स्थिति इसलिए रख रहा हूं ताकि माननीय सदस्यों को वास्तविक स्थिति का पता चले मैंने पहले ही खामियों के बावत कहा है। मुझे इन्हें दोहराने की आवश्यकता नहीं है। अतः जब आप भारतीय खाद्य निगम के कम किए गए कर्मचारियों द्वारा निष्पादित कार्य का अवलोकन करें तो मैं कहूंगा कि मैं इन खामियों के बावजूद उन्हें प्रशंसा के पात्र समझता हूं। मैं उनका भी जिक्र करूंगा।

जब खाद्यान्नों के लाने-ले जाने से सम्बन्धित प्रश्न उठता है तो उसकी स्थिति यह है कि इस निगम के सम्बन्ध में अभी काफी कुछ कार्य करना है 1985 में यह 150 लाख टन खाद्यान्न को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सफल हुआ है। मैं विशेष रूप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर विचार किया जाना है क्योंकि प्रमुख क्षेत्र जिनसे होकर हमें खाद्यान्न लाना ले-जाना है वे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश हैं। 1985 में पंजाब, हरियाणा, और उत्तर प्रदेश से 131 लाख टन खाद्यान्न को लाया ले जाया गया जबकि 1984 में 94 लाख टन लाया ले जाया गया था। मैं ये यह दिखाने के लिए बता रहा हूं कि क्या मेरे लोग ठीक प्रकार से कार्य कर रहे हैं या वे ऐसे बिगड़े बच्चे हैं जिन्हे हमेशा चाबुक दिखानी पड़ती है। इस वर्ष जनवरी में हम जनवरी 1985 के केवल 10 लाख टन के मुकाबले 13.36 लाख टन खाद्यान्नों को लाने ले जाने की व्यवस्था कर पाए हैं। इस वर्ष फरवरी में फरवरी 1985 के 9.10 लाख टन के मुकाबले 13.67 लाख टन खाद्यान्न लाया ले जाया गया। मार्च में हम मार्च 1985 के 11.10 लाख टन की तुलना में 14.35 लाख टन खाद्यान्न को ला ले जा पाए हैं।

श्रीमान् जी, अतिरिक्त भण्डार को, विशेषकर गेहूं के भण्डार को समाप्त करने के लिए हमने अनेकों उपाय किये हैं। हमने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गेहूं का मासिकआवंटन बढ़ा दिया है, 10-81-984 से 31-3-1986 तक आटा चक्कियों के लिए गेहूं का निर्गम मूल्य घटाकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली मूल्य के बराबर कर दिया है, आटा चक्कियों को लाईसेंस प्राप्त अपनी मासिक क्षमता से 50 प्रतिशत अधिक उत्पादन करने की अनुमति दी गयी है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटन बढ़ा दिया गया है, जिस पर मैं बाद में चर्चा करूंगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से कार्डधारियों को बिना किसी मात्रा

की सीमा के गेहूं दिया गया है गेहूं मैदा, सूजी तथा संपूर्णाहार-आटा के निर्यात की अनुमति प्रदान की गयी है तथा गेहूं के निर्यात की अनुमति देने के अलावा भारतीय खाद्य निगम को खुले बाजार में गेहूं बेचने की अनुमति प्रदान की गयी है। ये कदम अतिरिक्त भण्डार को समाप्त करने के लिए उठाये हैं। क्योंकि जब स्टाक की खरीद की गई तो गेहूं, चावल की तुलना में बहुत अधिक खरीद लिया गया जैसा कि मैं बता चुका हूं कि चावल सम्पूर्ण राशि की तुलना में 10·7 मिलियन टन खरीदा गया।

एक माननीय सदस्य : उत्पादकों की मदद के लिए।

श्री पी० शिव शंकर : यह सही है। वास्तव में वस्तुस्थिति यह है कि उत्पादन बहुत अधिक हो गया है और उत्पादकों को क्रेता नहीं मिल रहे हैं तो ऐसी स्थिति में खरीदारी करने के लिए अनेक मिन्नतें करनी पड़ी हैं। सम्पूर्ण नीति को ध्यान में रखकर खरीदारी करनी पड़ती है जैसे कि मैंने अभी विभागीय कर्तव्यों की बात कही है। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा—क्योंकि संपूर्ति किये गये गेहूं और चावल की किस्म के घटिया होने की बड़ी आलोचना की गई थी, माननीय सदस्यों तथा बहुत से सार्वजनिक संगठनों को चाहिए कि वे अनुरोध करते हैं कि चारे खाद्यान्न और चावल फालतू पड़ा बेकार हो रहा है तो भारतीय खाद्यान्न निगम को उत्पादकों की सहायता करने के लिए इसे खरीदना चाहिए। हमें यही करना है हम यही करते है मैं मानता हूं कि कभी-कभी घटिया अनाज खरीद लिया जाता है। ऐसा उत्पादकों के व्यापक हितों को ध्यान में रखकर किया जाता है।

एक माननीय सदस्य : केवल थोड़ा सा।

श्री पी० शिव शंकर : मैं शीघ्र ही इस विषय पर आ रहा हूं क्योंकि जो हानियां हुई उनके सन्दर्भ में बहुत अधिक आलोचना की गयी है। इस विषय को मैं उन्मुक्त रूप से माननीय सदस्यों के सामने रख रहा हूं जिससे वे स्वयं विनिश्चय करें। मैं अपने पक्ष को ऊँचा कहकर अनावश्यक आलोचना को आमंत्रित नहीं करना चाहूंगा ऐसा संभव नहीं हो सकता कि मेरे कहे एक-एक शब्द से आप सहमत ही हो, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि मेरे विभाग से सम्बन्धित कुछ भी गड़बड़ी है, मैं यह कहने वाला पहला व्यक्ति हूं कि यह गलत है·····(व्यवधान)

श्री पी० कुलनदईवेलू : आप किसानों से सीधे अनाज नहीं खरीद रहे हैं। यह एक बड़ी समस्या है। आप बिचौलियों के द्वारा यह कर रहे हैं।

श्री पी० शिव शंकर : बात यह है। मैं सदन के सामने यह खुला प्रस्ताव रख रहा हूं—कि यदि कोई सरकार यह कहें कि वह उत्पादकों से इन्हें लेने के लिए व्यवस्था कर देगी तो मैं निश्चित

[श्री पी० शिव शंकर]

रूप से उसकी मदद करूंगा, एक कृषक से दूसरे कृषक के पास जाना हमारे अधिकारियों के लिए असंभव है·····(व्यवधान)

श्री के० एस० राव : भारतीय कपास निगम भी इसी तरह से कार्य कर रही है।

श्री पी० शिव शंकर : मैं अन्य सरकारों की बात नहीं कर रहा हूं मैं कह रहा हूं कि राज्य सरकारों, को मदद करनी चाहिए·····(व्यवधान)

श्री पी० कुलनदईवेलू : प्रत्येक निगम इसी ढंग से कार्य कर रहा है·····(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : भारतीय खाद्य निगम को किसानों से सीधे खरीद करनी चाहिए (व्यवधान)

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : आप इस क्षेत्र में किसानों से सीधे खरीद क्यों नहीं करते ? आपने लगभग तीन साल पहले किसानों से सीधी खरीद की थी।

श्री पी० शिव शंकर : बात यह है। इसको कार्यान्वित करने में बहुत सी मुश्किलें आती हैं। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि यदि वे मुझे ठोस सुझाव दे सकें तो मैं निश्चित रूप से उन पर विचार करूंगा। ऐसा न समझें कि मैं विषयान्तर करने की कोशिश कर रहा हूं। किसी भी उद्यम में जिसे आप सुझायेंगे कुछ निहित कठिनाइयां होती हैं उनका विवेक से सामना और निपटारा करना पड़ता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम मुख्य रूप से इसी विषय पर विचार कर रहे हैं। वास्तव में, मैं इन विषयों की चर्चा प्रधानमन्त्री जी से करता रहा हूं और प्रधानमन्त्री जी भी बहुत अधिक चिन्तित रहे हैं। उन्हें निश्चित रूप से अहसास है कि निम्नतम वर्ग अर्थात उत्पादकों को लाभ पहुंचाया जाना चाहिए। वह इन विषयों के सम्बन्ध में सार्वजनिक रूप से कहते रहे हैं। इसका उन्होंने विस्तारपूर्वक अध्ययन किया और कहा 'देखो हमें यह करना है।'

सचमुच प्रधानमन्त्री जी के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। गुंटूर में उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से फरमाया। तम्बाकू उत्पादकों तथा कपास उत्पादकों के लिए उन्होंने कुछ उपायों की घोषणा की। इस अवसर पर मैं यह निवेदन कर रहा हूं। यदि उत्पादकों से सीधे संपर्क करने की बात आती है और माननीय सदस्य इतने ही क्षुब्ध हैं तो मैं इस बात की सराहना करूंगा कि वे ठोस सुझाव दें मैं निश्चित तौर पर आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम इस पर ध्यान देंगे और विचार करेंगे।

वह विषय जिस की अधिक आलोचना की गयी थी वह क्षतियों के सन्दर्भ में था। भारतीय खाद्य निगम द्वारा माल के लदान-उतार और अपनाये गये तरीकों पर विस्तार से विवरण दे चुका हैं। इस पृष्ठ भूमि में आप इन सब पर विचार करिए। मैं नहीं कहता कि सुधार की कोई गुंजा-

इश नहीं है। सुधार की गुंजाइश है। हमें और अधिक अच्छा करना चाहिए। मैं आपसे केवल हानि पर विचार करने के लिए अनुनयपूर्वक कहता हूं कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्वाहित किए गये दायित्वों की पृष्ठभूमि में निगम को खाद्यान्न की क्षति उठानी पड़ रही है। मैं इसे नहीं दोहराऊंगा क्योंकि इससे कोई भला नहीं होगा। माननीय सदस्यों ने ठीक कहा कि 1982 83 में 2.37 प्रतिशत की क्षति उठानी पड़ी। लेकिन 1984-85 में हम इसे नीचे घटाकर 2.11 प्रतिशत तक ले आये तथा 1984-85 में पुनः घटाकर 1.94 प्रतिशत तक ले आये। खाद्यान्न के स्तर व मूल्य का विवरण हम पहले ही दे चुके हैं।

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी (हिन्दुपुर) : रुपयों में बतायें।

श्री पी० शिव शंकर कृपया आप थोड़ा इन्तजार करेंगे ? मैं सभी चीजें स्पष्ट कर दूंगा। कृपया थोड़ा धैर्य रखिए जब तक कि मैं इस विषय पर पूरी बात न कह लूं। मैंने बताया कि1984-85 में भण्डार में 1.94 प्रतिशत क्षति का मामला है। जहां तक मात्रा की बात है यह क्षति 5.72 लाख टन थी। लेकिन परिमाण को दृष्टि में रखते हुए इसकी प्रशंसा करनी पड़ेगी जैसा कि मैं कह ही चुका हूं यदि मूलतः आप 5.72 लाख टन मात्रा की बात सोचे तो कोई भी देखकर यह कहेगा कि यह मात्रा अत्यधिक है। हां, वास्तव में ऐसा लगता भी है। भारतीय खाद्य निगम लाखों टन 280 लाख टन, की खरीददारी और भण्डारण कर रहा है। 5.72 लाख टन क्षति की बात है। मैं नहीं कहता कि यह सुधार का एक उदाहरण है। आप अब भी इसे घटा सकते हैं। इसलिए इस तथ्य को आपके सामने लाना पड़ा कि प्रतिवर्ष क्षति का प्रतिशत घटता जा रहा है। इस सुधार की प्रशंसा करनी ही पड़ेगी। मैं केवल यह निवेदन कर रहा हूं कि आप भी उनके कार्य की हल्की सी सराहना भी करिए। आप उनके द्वारा किए जा रहे बुरे प्रदर्शन की क्यों आलोचना करते हैं।

(व्यवधान)

श्री पी० कुलनवईवेलू : इसका उल्लेख करना हमारा अनिवार्य कर्तव्य है।

श्री पी० शिव शंकर : यह बिल्कुल ठीक है। ऐसा है लेकिन यह इस प्रकार का संगठन है जिसका कार्यक्षेत्र बहुत बड़ा है। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, सौंपा गया कार्य बहुत ही जटिल और व्यापक है। आप ऐसी आशा नहीं कर सकते कि हरेक मेरी तरह आदर्शवादी होगा, मैं न भी सही इसका श्रेय मैं आपको देता हूं। मैं यह कहने जा रहा हूं कि प्रत्येक चीज के अच्छे और बुरे दो पहलू हैं और जब हर चीज के अच्छे और बुरे दो पहलू हैं तो आप भी उपलब्धियों पर विचार करिए। इसीलिए मैं दोनों पक्ष आपके सामने रख रहा हूं। जब आप लाखों टनों के आंकड़ों में बात करते हैं तो यह केवल 5.72 लाख टन ही है। प्रतिशत वार इनमें कमी हो रही है, मैं इस सदन को आश्वासन देता हूं कि मेरा विभाग और भारतीय खाद्य निगम इसे और अधिक कम करने के लिए हर प्रयास करेगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं अपने विभाग और भारतीय खाद्य निगम की खामियों

[श्री पी० शिव शंकर]

को कम करके कह रहा हूं, जिन्हें मैं पहले ही कह चुका हूं। श्रीमन इसी पृष्ठभूमि में, खाद्यानों के मूल्यों पर दृष्टिपात करने पर माननीय सदस्य ठीक ही क्षुब्ध थे। वे यह कहते हुए क्षुब्ध थे कि देखो 1984-85 में 122 करोड़ की क्षति हुई।

वास्तव में, मैंने स्वयं इसे सभा के समक्ष रखा है, मैंने इसे छिपाया नहीं, जब मैं एक प्रश्न विशेष का उत्तर दे रहा था, तो मैंने सोचा कि मुझे सभा को अपनी वास्तविक स्थित बतानी चाहिए। परन्तु जब मैंने यह कहकर कि भारतीय खाद्य निगम के कार्य में पर्याप्त सुधार की जरूरत है। इसे सभा पर छोड़ दिया था तो माननीय सदस्यों को इसकी कदर करनी चाहिए थी मैं सिर्फ कदर कह रहा हूं मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप हमारी प्रशंसा अवश्य करें और इतनी अधिक करें जितनी के हम अधिकारी नहीं हैं। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि जो कार्य भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जाता है तथा उसे जो घाटा हुआ है उसे आप समझें।

महोदय, मैं इसमें नहीं जाना चाहता। वास्तव में मैं एक बात कहना चाहूंगा जो शायद माननीय सदस्य इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मैं अपने अधिकारियों की गलत रूप से प्रशंसा कर रहा हूं, परन्तु मैं उनकी भी कुछ हद तक बड़ाई करना चाहूंगा क्योंकि घाटे इत्यादि के प्रश्न पर मैं काफी हद तक आपसे भी सहमत हुआ हूं।

महोदय, भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्नों के खरीददारी, भंडारण तथा वितरण करने के अलावा खाद वितरण तथा सैनिक खरीददारी भी करती रही है। इसके अतिरिक्त, यह इस प्रकार के छोटे कार्य भी करती रही है, और मैं कहूंगा कि इन कार्यों के करने से यह थोड़ा लाभ भी अर्जित तीकर रही है क्योंकि जहां तक खाद्यान्नों के कार्यों का प्रश्न है, यह लाभ का विषय नहीं है, यह एक सेवा की तरह का कार्य है और जो भी घाटा होता है उस सीमा तक भारत सरकार आर्थिक सहायता देती है, परन्तु अगर दूसरे कार्यों की तरफ जैसे सैनिक खरीददारी तथा उर्वरक वितरण देखें तो वे बहुत थोड़ा सा लाभ कमा रहे हैं। निसन्देह मैं इसमें नहीं जाना चाहता। वास्तव में माननीय सदस्य ने जो एक और मुद्दा उठाया था, उसकी प्रशंसा करेंगे।

श्री सी० अंगा रेड्डी : महोदय सिवाय चीनी के।

श्री पी० शिव शंकर : माननीय सदस्यों ने भ्रष्टाचार पर चिन्ता व्यक्त की थी तथा सरकार क्या कदम उठा रही थी अथवा स्वयं भारतीय खाद्य निगम क्या कदम उठा रहा था, अनुशासनात्मक कार्यवाहियों आदि के संदर्भ में। मैं बहुत अधिक विवरण में नहीं जाऊंगा परन्तु जहां तक 1985 का सम्बन्ध है, मैं कुछ आंकड़े देकर, सिर्फ यह जताने के लिए कि हम मामले पर चुप नहीं बैठे अगले मामले पर बात करूंगा। जब हमें यह पता लगता है कि लोग अपने कार्य निर्धारित नियमों के अनुरूप नहीं कर रहे हैं, और यदि वे इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं जिससे विभिन्न निर्धारित नियमों,

विनियमों आदि का स्तर प्रभावित होता है, तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाती है । 1985 की स्थिति जो मुझे माननीय सदस्यों की सूचना में लानी है, बड़े मामले जिनमें कार्यवाही की गयी है उनकी कुल संख्या 430 है । यह 430 कर्मियों के हैं । छोटे मामलों का जहां तक सम्बन्ध है मैं 778 लोगों के विरुद्ध कुल 348 मामलों में कार्यवाही की गयी थीं । यह ठीक है कि जब हम 72000 कर्मचारियों की संख्या की हैं तो हमें यह निराशाजनक लगता है परन्तु यह कहना चाहता हूं कि भारतीय खाद्य निगम अपने प्रयासों में ढील नहीं दे रहा है । इन्हें अभी और बढ़ाया जा सकता है । मैंने पहले ही उन्हें सलाह दी है कि, यहां माननीय सदस्यों तथा बाहरी एजेंसियों द्वारा जो भावनायें व्यक्त की गयीं हैं उनको ध्यान में रखते हुए, हमें अवसरानुकूल कार्य करना होगा और मुझे विश्वास है कि अधिकारियों ने जो कुछ भी हो रहा है उसकी आलोचना को जो आपने की है तथा बाहर से भी जो हुई है, उसको नोट कर लिया है और हम निश्चय ही स्थिति में सुधार लायेंगे ।

मैं विवरण में, कौन सा वर्ग इत्यादि में नही जाना चाहूंगा । हमने वितरण को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं । इसके बारे में थोड़ा सा मेरे साथी ने बताया है । उन्होंने सभा को कुछ विवरण भी दिया है । परन्तु मैं यह कह सकता हूं कि हमने विभिन्न राज्यों के आवंटन में छूट को उदार बनाया है । कार्डधारी अपना गेहूं का राशन बिना किसी सीमा के ले सकते हैं । आटा मिलों को अपनी क्षमता का 125 प्रतिशत तक पीसने की अनुमति दी गई थी जिसे बाद में बढ़ाकर 150 प्रतिशत कर दिया गया था ताकि देश में गेहूं उत्पादन की उपलब्धता को बढ़ाया जा सके ।

माननीय सदस्यों को मालूम है कि 19 नवम्बर 1985के प्रधानमन्त्री जी ने समाज के कमजोर वर्गों को खाद्यान्न वितरण करने के उद्देश्य से तीन कल्याणकारी योजनाओं को, खाद्यान्नों के वितरण की योजना और विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में रियायती दर पर, शुरू किया था । इस योजना के अन्तर्गत आदिवासी क्षेत्र के उपभोक्ताओं को गेहूं 1.50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से दिया जाता है और सामान्य चावल 1.85 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से दिया जाता है । इसका हिसाब यह है कि केन्द्र इसे 1.60 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से देता है और उसमें 25 पैसे राज्य सरकार के प्रशासनिक खर्च के लिए जोड़े जाते हैं । इस योजना से 5 करोड़ 70 लाख लोगों को फायदा होता है ।

(2) एन० आर० ई० पी० और आर० एल० ई० जी० पी० कार्यक्रमों के तहत अधिक लोगों को शामिल करने के लिए राज्य सरकारों को अतिरिक्त खाद्यान्न दिया जाता है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त लाभदायक रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकें तथा ग्रामीण ढांचे को शक्तिशाली बनाने के लिए टिकाऊ संपत्ति बनाई जा सके ।

(3) छोटे बच्चों, गर्भवती स्त्रियों और दूध पिलाने वाली माताओं के लिए अनुपूरक पौष्टिक कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त सहायता दी जा रही है । इन उपायों के परिणामस्वरूप सार्वजनिक वितरण

[श्री पी० शिव शंकर]

प्रणाली से खाद्यान्नों की बिक्री 1984 के 133.3 लाख टन से बढ़कर 1985 में 155 लाख टन हो गई है।

एक पहलू जो इससे सम्बन्धित है, जिसे मैं सभा की जानकारी में लाना जरूरी समझता हूं, यह है कि वर्ष 1986-87 के लिए खाद्य विभाग विस्तृत ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम अर्थात् एन० आर० ई० पी० और आर० एल० ई० जी० पी० में उपयोग करने हेतु 20 लाख टन खाद्यान्न जिसमें 14 लाख टन गेहूं और 6 लाख टन चावल है, आवंटित करने के लिए सहमत हो गया है।

विभाग ने—विशेष रूप से मैं भारतीय खाद्य निगम का उल्लेख कर रहा हूं—भारतीय खाद्य निगम ने स्टाफ को प्रशिक्षित करना भी शुरू किया है। वास्तव में, भारतीय खाद्य निगम का दिल्ली में केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान है तथा दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान भी हैं। औसत रूप से, 300 अधिकारी प्रति वर्ष केन्द्रीय संस्थान में प्रशिक्षण पा रहे हैं; इसी तरह से 250-300 अधिकारी प्रति वर्ष प्रत्येक क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण पा रहे हैं। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में सामान्य प्रबन्ध, कार्मिक प्रबन्ध, औद्योगिक संबंध, भंडारण, कृषि खरीद और बिक्री गुणवत्ता नियंत्रण, वित्त, लेखा-जोखा, ढुलाई, जांच-पड़ताल और सुरक्षा शामिल हैं। भारतीय खाद्य निगम, इसके अलावा, इन अधिकारियों को दूसरे प्रशिक्षण संस्थानों जैसे भारतीय प्रबन्ध संस्थान, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद और प्रबन्ध विकास संस्थानों में नामांकित करता है।

माननीय सदस्यों ने खराब किस्म के खाद्यान्नों का भी जिक्र किया है। मैंने अपना निवेदन खासतौर से इस पहलू पर बात करते हुए आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। वास्तव में, गुणवत्ता की शिकायत के कारण हैं (क) निर्धारित मापदंड से निम्न स्तर—खरीददारी के बारे में, मैंने पहले ही बता दिया है और अधिक बताने की मुझे जरूरत नहीं हैं—(ख) असंतोषजनक प्रबन्ध और ढुलाई (ग) सी० ए० पी० भंडारण तथा (घ) बेईमान लोगों द्वारा मिलावट। इन कारणों के परिणामस्वरूप घटिया किस्म के अनाज के बारे में शिकायतों को दूर करने के लिए विभिन्न कार्यवाइयां की जा रही है। और मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि मेरे साथी ने पहले ही इनके बारे में उल्लेख कर दिया है।

आम प्रश्न पर, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में अनाज के जमा स्टाक से संबन्धित है, मैं एक बात कहना चाहूंगा। वास्तव में, यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां आवश्यकता है। कुछ माननीय सदस्यों ने इस पर भी ध्यान दिलाया है और मेरा निवेदन है कि हमने विशेष ध्यान दिया है कि इस क्षेत्र में भंडारण ठीक प्रकार से हो और 1 फरवरी, 1986 को हमारे पास 18,04,000.5 टन अनाज का भंडार था ताकि जब कभी कोई कठिनाई आये तो लोगों की सहायता की जा सके।

श्री विनेश गोस्वामी (गौहाटी) : क्योंकि आपने पूर्वोत्तर क्षेत्र का उल्लेख किया है, क्या मैं एक मिनट के लिए हस्तक्षेप कर सकता हूं ? असम सरकार ने रेगुलेटिड मार्किट डवलपमेंट प्रोजेक्ट आफ असम नामक एक परियोजना केन्द्रीय मन्त्रालय को भेजी है। असम सरकार बहुत इच्छुक है कि इस परियोजना को जल्दी से जल्दी स्वीकृत कर दिया जाये। वास्तव में हमारे कृषि मन्त्री इस समय यहां मौजूद हैं और वह परियोजना को तुरन्त स्वीकृत करने में बहुत इच्छुक है। क्या आप मुझे इसके बारे में बतायेंगे ?

श्री पी० शिव शंकर : यह अभी हाल ही में प्राप्त हुई है। इस पर गौर किया जा रहा है और हम इस पर ध्यान देंगे। वास्तव में, पक्ष-विपक्ष के सभी पहलुओं पर विचार करना होगा।

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : आपने अभी कहा कि राज्यों को की जाने वाली खाद्यान्नों की सप्लाई निम्न स्तर की किस्म की है। जम्मू और कश्मीर में यह मेरा अनुभव है कि हजारों क्विंटल अनाज गोदामों में भर दिया जाता है और भारतीय खाद्य निगम उसको वापस नहीं ले रहा है तथा जम्मू और कश्मीर सरकार के राजस्व को घाटा हो रहा है। इस बारे में आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ? यह मेरा गत 15 वर्षों का अनुभव है। यह मामला बार-बार, जब मैं एम० एल० ए० था, तो विधानसभा में उठाया जाता था। भारतीय खाद्य निगम के विरुद्ध हमारा यह आरोप रहा है कि यह अच्छी किस्म का खाद्यान्न सप्लाई नहीं करता जिसके परिणामस्वरूप जम्मू और कश्मीर राज्य के राजस्व को भारी नुकसान हुआ है। आप क्या कार्यवाही करने जा रहे है ?

श्री पी० शिव शंकर : मुझे नहीं मालूम। अगर कोई बात है तो मैं निश्चय ही उस पर गौर करूंगा।

3.00 म० प०

इसके बाद, मैं मुख्य बात पर आता हूं जिसे तेलगूदेशम दल के नेता ने उठाया है और उन्होंने विस्तारपूर्वक बात कही हैं और मैं कहूंगा कि उन्होंने ठीक तथ्य दिए हैं। वास्तव में, मैं एक स्पष्टीकरण देने का हकदार हूं क्योंकि वास्तव में उस समय जब इस मामले को उठाया गया था तो मैंने उनसे निवेदन किया था कि जब वह इस तरीके से मामले को उठायेंगे तो मुझे उत्तर देना पड़ेगा। अत: मुझे उत्तर देना पड़ेगा।

मैं इस सम्बन्ध में अपनी बात थोड़े से अलग दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर कहूंगा। मेरा दृष्टिकोण में राज्य सरकारों और केन्द्रिय सरकार के कार्यों के बीच हमारे संविधानिक ढांचे में सामंजस्य है। यह बात अलग है कि वास्तविकता में और व्यवहारिकता में कार्य करने के ढंग में कुछ भिन्नताओं के परिणामस्वरूप, यहां-वहां कठिनाईयां पैदा हो सकती है। मैं इस बात से इन्कार नहीं कर रहा हूं। परन्तु मैं यह जरूर कहूंगा कि जहां तक संवैधानिक ढांचे का सम्बन्ध है, इसमें विभिन्न

[श्री पी० शिव शंकर]

क्षेत्रों के बीच, जिनसे मिलकर भारत का संघ बना है, सामंजस्य का ध्यान रखा गया है। क्यों मैं विशेष रूप से इसका जिक्र कर रहा हूं इसका कारण है कि 1983 में और बाद में 1984–85 में आन्ध्र प्रदेश के लोगों ने हमारे दल को मत नहीं दिया है और हम लोगों की इच्छा के सामने अपना सिर झुकाते हैं। परन्तु फिर जो बात उठती रही है और जिसके बारे में मैं कहना चाहूंगा क्योंकि मैं ही वही व्यक्ति हूं जिसने आन्ध्र प्रदेश में 2 रूपये किलोग्राम की योजना पर विवरण देने के बारे में चर्चा शुरू की थी। जो होता रहा है वह था कि इस संवैधानिक ढांचे में हमसे सामंजस्य बनाए रखने की आशा की जाती है और यह एक ऐसा देश है जिसमें भिन्न-भिन्न धर्मों, भिन्न-भिन्न क्षेत्रों, भिन्न-भिन्न भाषाओं और हजारों जातियों और उपजातियों के लोग रहते हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने सामंजस्य की वास्तव में आशा की थी परन्तु अब सवाल यह है कि जब कोई विशेष दल किसी राज्य में सत्ता में आता है तो उसे मोटे तौर पर न केवल राज्य के लोगों की तरफ अपने दायित्व को निभाना पड़ता है और मेरे विचार से—शायद दूसरी तरफ के माननीय सदस्य सहमत हो अथवा नहीं—परन्तु मेरे ख्याल से उस दल को ठीक प्रकार से कार्य करने के लिए एक सामान्य सम्पर्क भी स्थापित करना होता है—मैं इसे कहूंगा–केन्द्र के साथ तथा विभिन्न दलों के साथ ताकि संवैधानिक योजना में गड़बड़ न हो।

बार-बार क्या होता रहा है, जब कभी केन्द्र सरकार के खिलाफ आरोप लगाए गए, मैंने व्यक्तिगत रूप से यह महसूस किया कि इससे एक-दूसरे के बीच थोड़ा अलगाव पैदा हो सकता है, और यह कहा गया था और मैं भी स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, हालांकि मैं इस मामले पर थोड़ा अधिक बोल रहा हूंगा, परन्तु जब बार-बार यह कहा जाता था कि हम कांग्रेसी लोग 'बैंडीकूट हैं और हम सब भ्रष्ट हैं—यह बात समाचार पत्रों में आई है मैं यह कह सकता हूं कि प्रत्येक जगह और प्रत्येक दल में अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के लोग होते हैं और आप उन सबको एक ही तरह से नहीं कह सकते—मैं कहूंगा कि मेरा जैसा व्यक्ति तथा हमारे में से कुछ लोग, और मुझे पक्का विश्वास है कि हमारे में से काफी लोग, अगर आप खुली जांच करवाना चाहें तो, तैयार हैं। तब मैंने सोचा कि जब यह कहा गया है, जहां तक केन्द्र का सम्बन्ध है, कि केन्द्र राज्य एवं राज्य के लोगों के प्रति पूर्णतया प्रतिकूल दृष्टिकोण अपना रहा है और जब इसका प्रचार किया जाता है तो स्वाभाविक ही मुझे केन्द्र सरकार का प्रतिनिधि होने के नाते केन्द्र सरकार का केस सामने रखना होगा। मैं लोगों के सामने गया और उन्हें बताया कि इसमें कितनी रियायत है और केन्द्र का 2 रुपए किलोग्राम की योजना में कितनी सहायता दे रहा है। मैंने यह मामला लोगों के सामने रखा।

मैंने इसके उस भाग को स्पष्ट करने की चेष्टा की थी और ऐसा करते समय मैंने यह कहा था। जब मैंने सर्वोत्तम किस्म के बारे में यह बताया था कि उसकी खरीद पर 3.23 प्रति किलो का

प्रभार पड़ता है तब यह बात कही गई थी कि भारतीय खाद्य निगम की अक्षमता देखिए। भारतीय खाद्य निगम का प्रशासन ठीक नहीं है।" तब मैंने आगे बढ़कर यह बात कही थी और मैं इस बात से इनकार भी नहीं करता। मैंने यह कहा था कि "यदि यह स्थिति है और यदि खाद्य निगम के पूरे विभाग के कार्य पर ही कालिख पोतनी है तो ऐसी स्थिति जहां तक हमारा सम्बन्ध है, मैं यदि कोई प्रस्ताव आएगा तो मैं उस पर विचार करने को तैयार हूं; लेवी मूल्य पर पूरा कार्यक्रम चलायें और हम उसके रास्ते में नही आयेंगे।" वास्तव में उसका यह उत्तर मिला था कि यह कोई खाद्य और नागरिक आपूर्ति मन्त्री अथवा सरकार की जेब से थोड़े ही जा रहा है। इसके सन्दर्भ में जो उत्तर मिला, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है और इसके बारे में मेरे मन में जो विचार आए थे, मैं उसे प्रकट करूंगा। मुझे विश्वास है कि यहां जितने भी माननीय मंत्रीगण बैठे हैं, वे मुझ पर इस बात का दोष नहीं लगायेंगे कि मैंने किसी भी नेता का नाम लिया है। किन्तु उसके सम्बन्ध में जो नीति निर्धारित की गई है, उसके बारे में कुछ कहने का अधिकार है। और मैं तत्सम्बन्धी नीति भाग को ही स्पष्ट करने की चेष्टा कर रहा था। अब मैं इसके बारे में कुछ न कहकर उठाए गए मुद्दे पर ही सीधा आता हूं भारत सरकार के आचरण को स्पष्ट करने के लिए मैं सभा में मन्च का उपयोग करूंगा।

आज यह स्थिति है कि 2 रुपये प्रति कि०ग्रा० कार्यक्रम के लिए राज्य सरकार को 22 लाख टन की आवश्यकता है। मेरे संगठन के बारे में जो आरोप लगाए गए हैं, उसके बारे में न तो मुझे कुछ कहना है और न मैं उन्हें वापिस ले रहा हूं। विरोधी दल के माननीय सदस्य संभवतः मेरी इस बात से सहमत होंगे कि मैंने नागरिक आपूर्ति विभाग के कार्यकरण के बारे में कोई बात कही है। मैंने उसके बारे में एक भी शब्द नहीं कहा क्योंकि सामान्य रूप से मैं अधिकारियों पर कोई आरोप नहीं लगा सकता हूं। अपितु मैं इसके बारे में भी कुछ नहीं कहना चाहता हूं कि यह विभाग किस कार्य कुशलता से कार्य कर रहा है तथा न इसके बारे में कि राज्य की 2 रुपए प्रति किलो की योजना को पूरी तरह से कार्यान्वित किया जा रहा है और जो व्यक्ति इसके पाने में अधिकारी हैं, उनके हितों की रक्षा की जा रही है, अथवा नहीं। और न मैं इस प्रश्न पर बात करने जा रहा हूं कि यह सभी लोगों को प्राप्त हो रहा है अथवा नहीं आदि-आदि। मैं इन सभी मुद्दों को छोड़ रहा हूं। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं; राज्य सरकार ने इस योजना के लिए 22 लाख टन की मांग की है। मूल्य के बारे में स्थिति यह है कि जहां तक केन्द्र का सम्बन्ध है, भारतीय खाद्य निगम अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भारत सरकार पर सामान्य किस्म से चावल का मूल्य 3 रुपए 11 पैसे पड़ता है जबकि राज्य सरकार को उसे 2 रु० 31 पैसे प्रति किलो सप्लाई किया जा रहा है। इसी प्रकार उत्तम किस्म के चावल का मूल्य हमें 3 रू०17 पैसे पड़ता है जिसे राज्य को 2 रु०43 पैसे कि० सप्लाई किया जा रहा है। अति उत्तम किस्म का चावल हमें 3 रु०23 पैसे प्रति किलो पड़ता है जबकि राज्यों को वह 2 रू० 58पैसे प्रति कि०ग्रा० की दर पर सप्लाई किया जा रहा है। मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। इसका

[श्री पी० शिव शंकर]

सम्बन्ध उस 10 लाख टन चावल से है जिसे भारतीय खाद्य निगम लगभग 15 लाख टन चावल की खरीद करके उसमें से दो तिहाई हिस्सा राज्य सरकार को सप्लाई कर देता है। वास्तविकता यह है कि विरोधी दल के माननीय सदस्यों को पता है कि यह सारे कार्य-कलाप आंध्र प्रदेश चावल खरीद लेवी आदेश, 1984 के आधार पर किए जाते हैं जो राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है हालांकि यह आदेश केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति से जारी किया गया है (व्यवधान) इस मामले को बहुत ही समुचित ढंग से निपटाने के लिए मैं तेलुगु देशम पार्टी के नेता को बधाई देता हूं क्योंकि उन्होंने तथ्यों को बहुत ही स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया है। मैं यह निवेदन करने का प्रयत्न कर रहा हूं.....

एक माननीय सदस्य : सभा का नेता अथवा राज्य का नेता ?

श्री पी० शिव शंकर : मैंने यहां सभा के नेता के बारे में कहा था। मेरे विचार से वह वही है जिसने यह मुद्दा उठाया था। मैंने तेलुगु देशम पार्टी के नेता के बारे में कहा था। (व्यवधान) श्री माधव रेड्डी ने ठीक ही कहा था, मैं इसके बारे में निश्चित नहीं हूं कि कितना किन्तु मेरा अनुमान है कि शेष 12 लाख टन वे समझौता मूल्य पर मिल मालिकों से खरीद रहे हैं जो निश्चित रूप 10 रू० से 12 रू० या 10 रू० से 15 रू० अधिक हो सकती है अर्थात् भारतीय खाद्य निगम के विक्रय मूल्य से 8 रू० से 15 रू० अधिक हो सकता है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि उन्होंने दो तरह के तर्क दिए हैं। एक तो यह है कि "आप लेवी मूल्य पर 12 लाख टन चावल खरीदने की अनुमति क्यों नहीं देते हैं ?" और दूसरा यह है कि "भारतीय रिजर्व बैंक हमें जो ऋण देती है, वह 17 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर के बजाये 14 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज की दर से क्यों नहीं देता है ?" ये दो मुद्दे उठाये गए हैं और उन्हें स्पष्ट करना मेरा कर्त्तव्य है। इसलिए मैं इस मुद्दे को स्पष्ट कर रहा हूं।

जैसा कि मैं कह चुका हूं, लेवी आदेश के खण्ड 3 में यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि भारतीय खाद्य निगम या उस राज्य के निगम का नागरिक आपूर्ति विभाग उसकी खरीद कर सकता है। इस विशेष राज्य में यह भिन्न बात है कि राज्य सरकार के आदेश पर भारतीय खाद्य निगम खरीद कर सकता है। किन्तु उनके पास यह भी विकल्प है कि यदि वे चाहें तो वे स्वयं भी खरीद सकते हैं। और इस खण्ड 3 के अनुसार आप भारतीय खाद्य निगम द्वारा आज की जा रही खरीद के बराबर 50 प्रतिशत मात्रा लेवी मूल्य पर खरीद सकते हैं। समझौते के अनुसार हम जितनी मात्रा में खरीद करते हैं उसकी दो-तिहाई मात्रा हम राज्य सरकार को दे देते हैं और शेष एक-तिहाई हम अपने पास रख लेते हैं जिससे अन्य राज्यों की आवश्यकतानुसार हम उनकी सहायता कर सकें। इस हिसाब से वे 17 लाख टन खरीद सकते थे जैसा कि पिछले वर्ष भी उन्होंने 17 लाख टन की खरीद की थी। किन्तु यह समस्या को देखने का एक तरफ दृष्टिकोण है। मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा जो मुद्दा उठाया गया है, मैं उसके बारे में ही कहूंगा। मुद्दा यह है कि प्रतिशत 50 के बजाए, आपको

12 लाख टन और चाहिए तो यह मात्रा खाद्यान्न अथवा चावल के 75 और 80 प्रतिशत के बीच आएगी। मैं कहना चाहूंगा कि यदि आप 12 लाख टन भी खरीद लेंगे तो स्थिति यही रहेगी। कृपया इस पर विचार कीजिए। मैं इस पर विचार-विमर्श करने को तैयार हूं। इसलिए मैंने उस दिन भी कहा था कि कृपया पूरी अर्थ व्यवस्था के बारे मे विचार कीजिए और हम इस विचार-विमर्श करने को तैयार हैं।" स्थिति यह होगी कि लेवी मूल्य से 8 से 15 रू० प्रति क्वींटल के अन्तर पर जब आप 12 लाख टन चावल समझौता मूल्य पर खरीदेंगे तब उस चावल का जिसे पड़ौसी राज्य निर्यात करेंगे, उन सम्बन्धित राज्यों में मूल्य बढ़ जाएगा। और यह स्थिति चलती रहेगी। मैं इसका कारण भी बता रहा हूं और यही कारण है कि मैंने आरम्भ में ही कहा था कि खाद्य विभाग का एक कार्य पूरे देश में मूल्य को स्थाई बनाये रखना भी है।

श्री सी० माधव रेड्डी : राज्य सरकार के साथ न्याय करने के लिए आप राज्य सरकार के अधिकारियों को आमन्त्रित करके उनसे बातचीत क्यों नहीं करते ?

श्री पी० शिव शंकर : श्री माधव रेड्डी, इसीलिए तो मैं आपको नुक्ते बता रहा हूं जिससे आप उनके माध्यम से बात कर सकें। यही बात उस दिन भी मैंने कही थी। आप आर्थिक रूप से विचार करें। अन्ततोगत्वा आप और हम दोनों ही जन कल्याण के कार्यों में लगे हुए हैं इसके बारे में दो राय नहीं हो सकती हैं। हम गलत प्रयोजन के कार्य नहीं करते। यदि एक बार हमने किसी प्रयोजन के लिए कोई गलत कार्य आरम्भ किया तो इसका प्रभाव स्वयं संविधान के उपबन्धों पर भी पड़ेगा। मैं बैठ जाने को तैयार और इसीलिए मैंने उस दिन भी कहा था जब मैं एक बार कह चुका हूं तब आप और क्या चाहते हैं ? सारी खरीददारी आप कीजिए। मैंने यह भी कहा था कि अपनी स्वेच्छा से नहीं, किन्तु यदि आप चाहें तो मैं भारतीय खाद्य निगम की दुकान बन्द करने को तैयार हूं। यदि आप चाहें और यदि आपके विचार में हम बुरे हैं तो हम अलग हटने को तैयार हैं। और यदि हमें किसी वस्तु की आवश्यकता हुई तो मैं उसे खुले बाजार से खरीदने को तैयार हूं। इस बात पर भी विचार कर लीजिए। किन्तु इसके परिणाम के बारे में भी सोच लीजिए। मैं जो कुछ कर रहा हूं वह क्षणिक नहीं है और मैं समय से प्रेरित होकर कह रहा हूं। आपको बहुत हानि उठानी पड़ेगी और आपकी अर्थव्यवस्था क्षण भर में नष्ट-भ्रष्ट हो जाएगी।

कृपया विस्तार पूर्वक विचार कीजिए। मैं अपने प्रधानमन्त्री को इससे सहमत होने के लिए कहूंगा। किन्तु आप इस बात पर विचार कर लीजिए कि आप राज्य को कितना भारी आर्थिक नुकसान पहुंचायेंगे। आप हिसाब लगाकर देख लें। मैं हिसाब लगा चुका हूं। और इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले विचार करने को कहा था। अब आप उसे भूल जाइये। मैं एक विभिन्न दृष्टिकोण रख रहा हूं।

यदि हम आपको अनुमति दे देंगे तो यह स्थिति होगी। इस आदेश में संशोधन करके ही हम आपको अनुमति दे सकते हैं। मान लीजिए हमने आपको अनुमति दे दी भी तो स्थिति यह होगी कि

[श्री पी० शिव शंकर]

खुले बाजार में राज्य में और राज्य के बाहर चावल के मूल्य इतने अधिक बढ़ जायेंगे कि एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। यह बात मुझे सबसे पहले आपको बता देनी चाहिए।

जिस वर्ष पैदावार कम होती है खरीद के लिए माल भी कम उपलब्ध हो पाता है। खरीद के लिए माल तो कम उपलब्ध होता है किन्तु आपकी आवश्यकता बढ़ी हुई होती हैं, यह कोई विभाजन का प्रश्न तो है नहीं। या तो इसकी गति धीमी होगी या बढ़ जाएगी। ऐसी स्थिति में यदि आपको 12 लाख टन या उससे कुछ और अधिक मात्रा में खरीद करने की अनुमति दे दी जाती है, तो उस वर्ष भारतीय खाद्य निगम की खरीद कम हो जाएगी। ऐसी स्थिति में आप स्वयं ही विचार कर लें कि कीमत कितनी अधिक बढ़ जाएगी।

तीसरे, आप वर्तमान समय की भी समस्या के बारे में विचार करें। आज की स्थिति यह है कि सारे दक्षिणी राज्यों में सूखे की स्थिति निरन्तर बने रहने के कारण मोटे अनाज पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। जिस वर्ष सूखा पड़ता है उस वर्ष मोटा अनाज कम पैदा होता है और चावल की मांग बढ़ जाती है। जब चावल की मांग बढ़ जाती है जैसा कि इस वर्ष भी हुआ है, मूल्य और अधिक बढ़ जाते हैं। श्री माधव रेड्डी जी, इन सब समस्याओं को ध्यान में रखना पड़ता है। हम लोगों को एक दूसरे पर आरोप लगाने की बजाय व्यावहारिक बनने का प्रयत्न करना चाहिए। एक दूसरे पर दोषारोपण करने से कोई लाभ नहीं होगा।

हमें इस मामले पर और गहराई से सोचना चाहिए। अन्ततोगत्वा केन्द्रीय सरकार दिल से लोगों का कल्याण करना चाहती है। यदि ऐसा हो तो हम मामले को कितनी अच्छी तरह सुलझा सकते हैं और यदि आप ठोस कारण बनायें तो हम इस पर चर्चा कर सकते हैं।

श्री के०रामचन्द्र रेड्डी(हिन्दूपुर) : क्या आप यह कहना चाहते हैं कि पूरे देश में चावल की कीमतें एक समान है? (**व्यवधान**).....

श्री पी० शिव शंकर : मैं यह नहीं कह रहा हूं। मुझे खेद है कि आपकी बात नहीं समझ पाया किन्तु मैंने यह कहा था कि पूरे देश में इसकी कीमतें समान हैं? मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही कि आप मुझमें दोष निकाल सकें। मैंने यह कहा था कि जहां तक नीति का सम्बन्ध है, इस बारे में विभाग को देखना या सुनिश्चित करना है। अनाज को लाने-ले जाने सम्बन्धी पहलू को ही लीजिए। जैसा कि मैंने कहा कि पंजाब में गेहूं और चावल अधिक होता है, हम वहां से अनाज को लाते हैं और उस अनाज को केरल तक पहुंचाते हैं, उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं। स्वाभाविक है कि ऐसा कोई नहीं कह सकता तथा यह.....

श्री अमर राय प्रधान (कूचबिहार) : मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप खाद्यानों को लाने ले जाने सम्बन्धी महा समानीकरण नीति को लागू करेंगे ?

श्री पी० शिव शंकर : मेरे विचार से मुझे अपने मित्र के साथ इसकी चर्चा करनी होगी। मैं समझता हूं कि प्रो० दंडवते जी इस मामले पर प्रकाश डालेंगे।

मैं आपका ध्यान दूसरे इस मुद्दे की ओर दिलाना चाहता हूं कि इस तरह की परिस्थिति में जब उत्पादन कम हो जाता है अथवा जहां सूखा पड़ने से मोटे अनाजों पर बुरा प्रभाव पड़ता है और इसके कारण चावल की मांग बढ़ जाती है और 12 लाख टन चावल लेवी मूल्य पर प्राप्त करने की अनुमति देनी पड़ती है, तब आप भी राज सहायता बढ़ाने पर विचार कर सकते हैं। वास्तव में मैं इसका पता लगाने की कोशिश कर रहा था। मूल्यों की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह करीब 70 करोड़ रुपए बैठती है।

एक अन्य प्रश्न के सम्बन्ध में दूसरे मुद्दे का उत्तर देना चाहता हूं, कि श्री जंगा रेड्डी ने जिस मामले का समर्थन किया है मुझे उसके प्रति भी थोड़ी सहानुभूति होनी चाहिए वह मिल मलिकों के बारे में कहने की कोशिश कर रहे थे।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : मैंने मिलर्स के बारे में नहीं कहा। मैंने किसानों के बारे में बात की थी।

श्री पी० शिव शंकर : बात करते हुए आपने यह भी कहा था।

श्री सी० जंगा रेड्डी : प्री-इन्डिपेंडेंस पीरियड में हम लेवी के खिलाफ लड़े थे और आपने लेवी इम्पोज कर दी। लेवी की वजह से किसानों का नुकसान होता है।

श्री पी० शिव शंकर : मैं आपको एक बात बता दूं। अगर लेवी न हो, तो आन्ध्र प्रदेश जैसी स्टेट के अन्दर मुसीबत हो जाएगी। पैडी जिस प्राइस पर मिलनी चाहिए, उससे कम प्राइस पर बह जाएगी और मिडिलमैन आपको मुसीबत में डालेंगे।

श्री सी० जंगा रेड्डी : यह आप उनको बताइए।···(व्यवधान)···आन्ध्र प्रदेश सरकार ने पैडी मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है और इसके कारण किसानों को नुकसान हो रहा है। केन्द्रीय सरकार ने मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन खत्म कर दी है लेकिन राज्य सरकार ने रखी है। ···(व्यवधान)···

श्री पी० शिव शंकर : मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता।

[श्री पी० शिव शंकर]

[अनुवाद]

मैं तो यह कहूंगा कि—यह एक मुद्दा ही बता रहा हूं—इसे एक तर्क नहीं माना जा सकता--जहां तक 12 लाख टन चावलों का सम्बन्ध है, जो कि राज्य सरकार वसूल करती है, राज्य सरकार के पास तय मूल्यों पर मिल-मलिकों से चावल खरीदते समय उसके भंडारण की सुविधायें नहीं होती । आप मिल-मलिकों को चावल वहां भेजने के लिए कह रहे हैं । स्थिति यह होगी कि यह कैसे होगा कि एक बार आप मिल-मालिकों से 75% से 80% तक चावल लेने जा रहे हैं । श्री जंगा रेड्डी ने एक तर्क यह दिया था कि उनकी बात में कुछ हद तक सच्चाई है—कई मिल-मलिकों ने मिलें बन्द कर दी हैं । उसके अतिरिक्त मान लीजिए वह आपको सुविधा नहीं देते, तो उसके प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया है ? आपने क्या प्रबन्ध किए हैं ? यही कारण है कि मैं उसे स्वीकार कर रहा हूं । लेकिन मैं इसे मूल तर्क के रूप में नहीं रख रहा हूं । किन्तु प्रासंगिक मामलों पर भी विचार किया जाएगा । ये मामले मात्र स्थिति को स्पष्ट करने के उद्देश्य सामने लाए गए हैं । जहां तक केन्द्र का सम्बन्ध है, सरकार ने आपको लेवी मूल्य पर 12 लाख टन चावल वसूल करने से मना नहीं किया है । इन तर्कों में सार है। जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं इसकी जांच करने के लिए तैयार हूं और इसका कोई रास्ता निकाला जा सकता है । वास्तव में अंत में मैं श्री जंगा रेड्डी द्वारा उठाए गए मुद्दे का जवाब देना चाहता हूं और उन्होंने विभिन्न पहलुओं का विस्तार से जिक्र किया है । उन्होंने मुझे अखबार की जो कतरन दी थी वह मुझसे किसी ने ले लिया है।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी (मन्दसोर) : जब जंगा रेड्डी साहब का मामला आता है, तभी आपके पेपर गुम हो जाते हैं। इनके साथ यही झगड़ा है ।

[अनुवाद]

श्री पी० शिव शंकर : श्री जंगा रेड्डी 20 अप्रैल, 1986 का दैनिक 'हिन्दू' में प्रकाशित लेख पर टिप्पणी करने की कोशिश कर रहे थे । वास्तव में, मैं यह न्यूनाधिक रूप से मुख्यमन्त्री के वक्तव्य का, जिन्होंने प्रधानमन्त्री द्वारा गुंटूर में दिए गए वक्तव्य का स्पष्टीकरण दिया था, पुनरुत्तर है । मेरा यह निवेदन है कि जहां तक इस लेख का सम्बन्ध है, वह विस्तार में बताया गया है और कहा गया है···ठीक है, मैं यह मामला उठाना चाहता हूं किन्तु मैं नहीं समझता कि मैं उस मुद्दे का उत्तर दे पाऊंगा । इसमें कहा गया है कि जनजातीय योजना के अंतर्गत राज्य को प्रतिवर्ष जो 2,11,200 टन चावल सप्लाई किए जाते हैं उसकी कीमत 1 रुपया 60 पैसे जमा 25 पैसे प्रति किलोग्राम है । यह साधारण चावल है। बढ़िया चावल की कीमत 1.85 रुपए जमा 25 पैसे प्रति किलो है । उन्होंने

यह बात कही है और राज्य सरकार चावल बेचकर ऐसा करती है। उन्होंने यह तर्क रखा था। यह चावल अनुसूचित जातियों के लिए कम मूल्य पर बेचे जाने चाहिए। इसे 2 रुपए प्रति किलो बेचकर राज्य सरकार अनुचित रूप से 17 करोड़ रुपए का लाभ कमा रही है। उन्होंने यही लिखा है। लेकिन मैं इस मुद्दे का जवाब देना नहीं चाहता।

एक माननीय सदस्य : यह ठीक नहीं है।

श्री पी० शिव शंकर : उन्होंने मुझसे यह पूछा था कि हमें सप्लाई किए जाने वाले साधारण, बढ़िया और बहुत बढ़िया चावलों का अनुपात क्या है ?

एक माननीय सदस्य : यह बिल्कुल असंगत है।

श्री पी० शिव शंकर : यह बिल्कुल संगत है, यह तथ्य है। राज्य सरकार के साथ हुए समझौते के अनुसार, तीन तरह के चावल 1 : 4 : 5 के अनुपात से सप्लाई किए जाते हैं। यह स्थिति है और इस मामले पर उन्होंने विस्तार में कहा है। संभवतः तेलुगू देशम पार्टी के नेता को इस पर विचार करना होगा और श्री जंगा रेड्डी को उत्तर देना होगा।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : मैंने आपसे कहा था कि यह जो 2.11 लाख टन राइस दिया है, इसकी हमको डिटेल्स चाहिए।

[अनुवाद]

श्री पी० शिव शंकर : वह आंकड़े इस समय मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन मैं आपको आंकड़े बताऊंगा। मैं इसकी जांच करूंगा कि क्या चावल उसी अनुपात में सप्लाई किए गए जिस अनुपात से किए जाने चाहिए अथवा इसमें कुछ फर्क है।

मैं इस बारे में आगे और कुछ नहीं कहना चाहता, मैं तो कहूंगा.....

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : हम यह जानना चाहते हैं कि 160 रुपये के भाव से खरीदकर क्या वे 200 रुपये के भाव से बेच सकते हैं ? उनको 185 रुपये किलो के हिसाब से बेचना चाहिए, इसलिए हमको डिटेल्स चाहिए। जो वेरायटी आप ट्राइबल स्पेशल स्कीम में देते हैं वह कितनी-कितनी कौन-सी वेरायटी है, यह हमको पता चलना चाहिए।

श्री पी० शिव शंकर : मैं निवेदन करूं कि इस वक्त मैं डिटेल्स देने की पोजीशन में नहीं हूं कि कितनी कौन सी वेरायटी है। उसमें थोड़ी बहुत कामन वेरायटी जरूर है जो 160 रुपए के हिसाब से सप्लाई होती है और 185 रुपये के हिसाब से उनको बेचना चाहिए था, लेकिन 2 रुपये किलो के हिसाब से बेचा है, अभी डिटेल्स मैं नहीं बतला सकता ।

[अनुवाद]

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : आपने जो अनुपात बताया है, उसी ही अनुपात में चावल सप्लाई किए गए हैं।

श्री पी० शिव शंकर : उन्होंने मुझसे यह पूछा था कि ये 2,11,200 टन चावल किस अनुपात में दिए गए हैं। चावल 17600 टन प्रतिमाह की दर से सप्लाई किये जाते हैं। यह मात्रा उसी आधार पर निकाली गई हैं। मैं आपको जवाब दूंगा। मैं इस पर विचार करूंगा और इसका पता लगाऊंगा ।

मैं समझता हूं मोटे रूप से मैंने सभी पहलुओं का उत्तर दे दिया है। मैं अपने सहयोगी का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हस्तक्षेप करके माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गये विभिन्न प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश की है। मैंने स्थिति को विस्तार से स्पष्ट कर दिया है। अपनी बात खत्म करने से पहले, मेरा माननीय सदस्यों से पुनः अनुरोध है कि विभाग तथा भारतीय खाद्य निगम के कठिन कार्यकरण को समझना चाहिए। अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि यह ठीक से काम नहीं कर रहा। हम यह देखने का पूरा प्रयास करेंगे कि विभाग तथा निगम की गतिविधियां बढ़ें ।

इन शब्दों के साथ, मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वह मेरे मन्त्रालय की मांगें पारित करें।

सभापति महोदय : अब मैं खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों के बारे में रखे गए सभी कटौती प्रस्तावों को सभा में मतदान के लिए एक साथ रहता हूं, जब तक कोई सदस्य यह न चाहे कि उसका कोई कटौती प्रस्ताव अलग से रखा जाए।

कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : मैं अब खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों को सभा में मतदान के लिए रखूंगा ।

प्रश्न यह है :

"कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 में खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 42 और 43 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धित राशियों से अनाधिक सम्बधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1986-87 के लिए खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मन्त्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगें

मांग संख्या	मांग का नाम	13 मार्च, 1986 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि		सदन द्वारा स्वीकृत अनुदानों की मांग की राशि	
(1)	(2)	(3)		(4)	
		राजस्व रु०	पूंजी रु०	राजस्व रु०	पूंजी रु०
	खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मन्त्रालय				
42.	खाद्य विभाग	3,07,78,33,000	18,96,29,000	15,39,01,69,000	94,81,44,000
43.	नागरिक पूर्ति विभाग	3,91,08,000	1,75,84,000	19,55,42,000	8,79,17,000

(दो) सूचना और प्रसारण मंत्रालय

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 66 से 68 पर चर्चा और मतदान करेगी। इसके लिए छः घंटे का समय नियत किया गया है।

सदन में उपस्थित जिन माननीय सदस्यों के इस मन्त्रालय की अनुदानों कीमांगों सम्बन्धी कटौती प्रस्ताव परिचालित किए जा चुके हैं, वे यदि अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं तो वे इसकी सूचना सभा पटल अधिकारी को 15 मिनट के भीतर भेज दें जिनमें उन कटौती प्रस्तावों की संख्यायें लिखी हों जिन्हें वे प्रस्तुत करना चाहते हैं। केवल उन्हीं कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत किया गया माना जाएगा।

इस प्रकार प्रस्तुत किए गए कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्याओं को दर्शाने वाली एक सूची सूचना-पट पर लगा दी जाएगी। यदि किसी सदस्य को उस सूची में कोई गलती मिले तो उसे उसकी सूचना अविलम्ब सभा पटल पर कार्यरत अधिकारी को देनी चाहिए।

लोकसभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1986-87 के लिए सूचना और प्रसारण मन्त्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगें (सामान्य)

मांग संख्या	मांग का नाम	13 मार्च, 1986 को सदन द्वारा स्वीकृति लेखानुदान की मांग की राशि		सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की राशि	
1	2	3		4	
		राजस्व रु०	पूंजी रु०	राजस्व रु०	पूंजी रु०
सूचना और प्रसारण मन्त्रालय					
66.	सूचना और प्रसारण मन्त्रालय	32,32,000	—	1,61,60,000	—

1	2	3		4
67.	सूचना और प्रचार	8,26,14,000	49,03,000	41,30,68,000	2,45,17,000
68.	प्रसारण	39,11,88,000	34,42,26,000	195,59,39,000	2,22,70,50,000

सभापति महोदय : जैसा कि पहले घोषणा की गई है कि सभा की कार्यवाही आज इस कार्य को समाप्त करने के लिए देर तक चलेगी ।

श्री श्रीहरि राव (राजामुन्द्री) : सभापति महोदय, सूचना और प्रसारण मन्त्रालय द्वारा इलेक्ट्रानिक माध्यम विशेषकर दूरदर्शन को दिए जा रहे महत्व का मैं स्वागत करता हूं क्योंकि हमारे जैसे विशाल राष्ट्र में जहां अनपढ़ लोगों की संख्या अधिक है, विकास और सामाजिक परिवर्तन के लिए दूरदर्शन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है । अत: मुझे इस बारे में बिल्कुल खेद नहीं है कि सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के बजट का आधा से ज्यादा हिस्सा दूरदर्शन पर खर्च होता है । इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा दूरदर्शन को दिए जा रहे महत्व के लिए धन्यवाद देता हूं ।

इस सन्दर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि प्राथमिकतायें उलझी हुई हैं और अपनाए जा रहे रवैये में कमियां हैं । उदाहरण के तौर पर दूरदर्शन नेटवर्क का प्रसार एशियाई खेलों के लिए किया गया, ना कि किसी सामाजिक या आर्थिक उद्देश्य के लिए ।

इसके परिणाम स्वरूप हार्डवेयर पर तो जोर दिया गया लेकिन साफ्टवेयर की पूरी तरह अनदेखीकी गई । सरकार की रुचि अधिक से अधिक ट्रांसमीटर खोलने में रही ताकि स्वस्थ कार्यक्रम पेश करने में इसके परिणामस्वरूप घटिया कार्यक्रम दिखाए गए और संकीर्ण दलगत नीति से प्रेरित उद्देश्य के लिए माध्यम का दुरुपयोग किया गया और जनता को निराशा हुई ।

3.36 म० प०

[श्री एम० वेंकटरत्नम पीठासीन हुए ।]

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय का दावा है कि देश की 70% जनसंख्या को दूरदर्शन सुविधा उपलब्ध है । ये आंकड़े दूरदर्शन ट्रांसमीटरों की परिधि के अन्तर्गत आये भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या को आधार मानकर निकाले गये हैं । लेकिन यह नहीं है । उदाहरण के तौर पर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र राजामुन्दरी में, 30 कि०मी० की दूरी तक कार्य कर सकने वाला कमशक्ति का ट्रांसमीटर लगा हुआ है । लेकिन वास्तव में 5 कि०मी० दूरी पर भी कार्यक्रम स्पष्ट नहीं दिखाई देते ।

[श्री हरिहर राव]

रंगीन दूरदर्शन तो काम ही नहीं करता। 10 कि०मी० या उससे दूर तो यह दशा और भी खराब है। इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली से प्रसारित होने वाले 70% से अधिक कार्यक्रम हिन्दी में होते हैं, जिनका आनन्द आम लोग नहीं उठा सकते। श्रीमन्, आप उस स्थिति का अंदाजा लगाएं, कि हजारों रु० खर्च करके भी, खेल कार्यक्रम के अलावा वे अन्य किसी कार्यक्रम का मजा ही नहीं ले सकते! आन्ध्र प्रदेश के अलावा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु और पूर्वोत्तर राज्यों में भी जहां पर अधिकतर लोग हिन्दी नहीं जानते यही स्थिति है, क्योंकि उत्तरी भारत पर आधारित कार्यक्रमों को न तो ज्यादातर वहां समझा या पसन्द किया जाता है। दूरदर्शन से यह आशा की जाती है कि वह राष्ट्रीय एकता का साधन होगा, लेकिन इसकी बजाय वह देश को विखराव के रास्ते पर ले जा रहा है। जब कार्यक्रम अस्पष्ट और रद्दी आ रहे हों तो दर्शक को रोष माना स्वाभाविक ही है।

टी० वी० सैटों की कीमत भी इतनी अधिक है कि केवल अमीर लोग ही उसे खरीद सकते हैं। गरीब लोग, विशेष कर ग्रामवासी सामुदायिक सैटों के माध्यम से ही कार्यक्रम देख सकते हैं। ये सैट भी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं। उदाहरण के तौर पर आन्ध्र प्रदेश में 20,000 पंचायत गांव हैं। इनमें से केवल 640 गांवों में ही टी० वी० सैट हैं। अगर केन्द्र और राज्य सरकार कुछ राज सहायता दे तो ये पंचायतें टी० वी० सैटों का खर्चा वहन कर सकती हैं। और उनकी देख-रेख कर सकती है। पिछले वर्ष सूचना मन्त्रियों के सम्मेलन में आन्ध्र प्रदेश ने राज सहायता देने की योजना का प्रस्ताव किया था, लेकिन केन्द्र सरकार ने उसे स्वीकार नहीं किया।

श्रीमन्, जहां तक कार्यक्रमों का सम्बन्ध है, प्रायोजित कार्यक्रमों के नाम पर उपभोक्तावाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक ओर जहां ग्रामवासियों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, वहां वे शैम्पू, नहाने का सामान, बालों के लोशन और पेय पदार्थ (कैम्पा कोला आदि) में कैसे दिलचस्पी ले सकता है। सारा झुकाव ही शहरी अमीर लोगों की ओर है। गरीब लोगों को प्रलोभन दिया जा रहा है कि वे इन वस्तुओं को खरीदें, जोकि वे नहीं कर सकते। यह सामाजिक परिवर्तन नहीं है।

श्रीमन्, आन्ध्र प्रदेश में एक और समस्या है। हैदराबाद से प्रसारित तेलुगु कार्यक्रम राज्य के अन्य भागों के दर्शकों तक नहीं पहुंच पाते। क्योंकि ये भाग दिल्ली से राष्ट्रीय कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। सरकार माइक्रो लिंक की बात करती है, ताकि इन्सेट–1–सी के छोड़े जाने के बाद राज्य की राजधानियों से स्थानीय कार्यक्रम प्रसारित किए जा सकें।

मेरे एक विशिष्ट प्रश्न के उत्तर में मन्त्री महोदय ने कहा था कि; 1990 के आरम्भ में इन्सेट–II उपग्रह के काम करने के पश्चात् ही आन्ध्र प्रदेश में पूर्ण उपग्रह पर आधारित प्राइमरी

सेवा आरम्भ की जा सकती है। लेकिन इस समस्या को जल्दी हल करने के और भी बेहतर रास्ते हैं।

आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक जैसे अत्यधिक प्रभावित प्रदेशों के लिए इन्सेट–1 सी के 12 सी.बी. ट्रांसपोन्डरों के दो भागों का प्रयोग चार विभिन्न टी०वी० चैनलों को चालू करने के लिए किया जा सकता है।

अहमदाबाद के 'स्पेस एपलीकेशन सेन्टर' ने इसकी व्यवहार्यता का पता लगाया है। कर्नाटक के मुख्यमन्त्री ने इस आशय का प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को भेजा है।

जोशी समिति की रिपोर्ट में भी, जिस पर सरकार अभी विचार कर रही है, इसका समर्थन किया गया है। उपग्रह लिंक सस्ता पड़ेगा और ज्यादा भरोसे भी हैं। जो राज्य इसका प्रयोग करेंगे उन्हें इस हेतु पैसे देने में भी कोई मुश्किल नहीं होगी।

मैं कुछ विशिष्ट कार्यक्रमों का जिक्र करना चाहता हूं—समाचारों का प्रयोग दल प्रचार के लिए किया जाता है। उदाहरण के तौर पर जब तक प्रधानमन्त्री ने कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश का दौरा नहीं किया, समाचारों में विस्तार से वहां पड़े सूखे का जिक्र नहीं किया गया। उनके दौरे के पश्चात ही इसे दूरदर्शन पर दिखाया गया। दूरदर्शन को सूखे की स्थिति की कोई परवाह नहीं है, लेकिन अगर प्रधान मन्त्री प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर लेते हैं तो अपने नेता के चित्र के साथ इसे बार-बार दिखाया जाता है।

दूरदर्शन के लिए उन लाखों लोगों का कोई महत्व नहीं है जो इस प्रकार की स्थिति से जूझ रहें हैं।

उदाहरण के तौर पर, आन्ध्र प्रदेश में दो रुपए के एक किलो चावल देने की योजना, सस्ते कपड़े और आवास कार्यक्रमों में काफी सफलता मिली है। उनसे गरीबों को सीधे लाभ मिलता है। मैं माननीय मन्त्री से पूछना चाहता हूं कि क्या दूरदर्शन ने इस ओर ध्यान दिया है। इसी प्रकार आप जानते ही हैं कि बम्बई में हुए कांग्रेस शताब्दी समारोह को दूरदर्शन पर कितना समय दिया गया, लेकिन हमारे दल के हैदराबाद में हुए महानाडू को दिखाया तक नहीं गया। श्रीमन् तीन लाख लोगों ने पीले वस्त्र पहन इसमें भाग लिया और इस विशाल रैली में 13 दलों के नेताओं ने भाग लिया। इसमें सात लाख लोगों ने भाग लिया, लेकिन इस विशाल कार्यक्रमों को दूरदर्शन ने कुछ ही सेकिंड में दिखा दिया, यह स्थिति है।

एक अन्य घटना अर्थात् पिछले माह तिहाड़ जेल से चार्ल्स शोभराज के भाग जाने की घटना को लीजिए। मन्त्री महोदय ने समय पर इस समाचार को न दिखाये जाने की घटना की जांच के आदेश दिए थे। लेकिन यह जांच भी कुछ उन अधिकारियों ने ही की जो ये चाहते थे कि

[श्री हरिहर राव]

इस समाचार को प्रसारित न किया जाए। क्या मन्त्री महोदय ने पता लगाया है कि वे अधिकारी ऐसा क्यों चाहते थे? दूरदर्शन में व्यवसायिक प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, क्योंकि दूरदर्शन के लिए भी समाचारों का संकलन केन्द्रीय सूचना सेवा के अधिकारी करते हैं। लेकिन सारी शक्तियां नौकरशाहों तथा अन्य ऐसे अधिकारियों के पास रहती हैं, जिन्हें समाचारों के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं हैं। वे अपने राजनीतिज्ञ मालिकों को खुश करने में ही लगे रहते हैं।

मुझे बताया गया है कि दूरदर्शन कार्यक्रमों सम्बन्धी निर्देश महानिदेशक ड्यूटी अधिकारियों को देते हैं न कि समाचार सम्पादकों को। इसलिए शोभराज की खबर नही दी गई। दूसरे शब्दों में जब तक दूरदर्शन के ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जाता और ये अपने उपभोक्ताओं के प्रति उत्तरदायी नहीं बनाया जाएगा तब तक इसमें सुधार नहीं आ सकता। इस सन्दर्भ में मैं एक लेख से उद्धरण देना चाहता हूं। इसमें कहा गया है:

> "..... क्या संस्थापकों ने इस टिप्पणी की ओर विचार व्यक्त किए हैं? हां। 3 जुलाई 1947 को समिति की बैठक जवाहर लाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई। उनके अलावा इसमें डा० राजेन्द्र प्रसाद और एन० गोपालस्वामी अयंगर मौजूद थे। इस बैठक की कार्यवाही सारांश में लिखा है—डा० पट्टाभि सीतारमेय्या....."
> वह आन्ध्र प्रदेश के थे।
>
> "डा० पट्टभि सीतारमेय्या के टिप्पण पर, जिसमें प्रसारण को समवर्ती विधायी सूची में रखने का प्रस्ताव था, विचार किया गया। समिति का विचार था कि सारे देश में प्रसारण के नियन्त्रण सम्बन्धी सारी शक्तियां पूर्ववत् केन्द्र के पास ही रहनी चाहिए और तदनुसार निश्चय किया गया कि यह मद संघीय सूची में ही रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे प्रान्तों तथा राज्यों को स्वयं अपने प्रसारण केन्द्र संचालित करने की अनुमति पर कोई असर नहीं पड़ेगा जैसा कि अभी भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 129 में प्रावधान है।"

वर्गीस समिति, चन्दा समिति और जोशी समिति ने, जिनमें से अन्तिम दो समितियां कांग्रेस शासन ने स्थापित की थी, प्रसारण के प्रशासन को विकेन्द्रीकृत करने और उसके संचालन के लिए स्वायत्त शासी निगमों की स्थापना करने की सिफारिश की है। लेकिन सरकार राजनैतिक कारणों से इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। वैयक्तिक नेतृत्व को उभारने के लिए इस माध्यम का प्रयोग करना अच्छी बात नहीं है। इससे न केवल मददाताओं द्वारा दिए जाने वाले धन का ही दुरुपयोग होता है बल्कि एक अच्छे माध्यम का भी दुरुपयोग होता है।

हमें बार-बार यह बताया जाता है कि प्रधानमन्त्री दूरदर्शन पर अपनी छवि बार-बार दिखाये जाने के विरुद्ध हैं और यह उनकी इच्छा के बिना किया जा रहा है। हम नहीं जानते, यह कैसे सम्भव है। उदाहरण के तौर पर, जिस दिन दूरदर्शन पर स्वीडिश प्रधानमन्त्री श्री ओल्फ पाल्मे की हत्या की घोषणा की गई थी, उस दिन हमारे प्रधानमन्त्री को पांच मिनट तक श्रद्धांजलि देते हुए दिखाया गया था। ऐसा लगता था कि श्री पाल्मे की महानता उनकी हमारे प्रधानमन्त्री से दोस्ती के कारण थी। रिपोर्ट में मात्र यह कहा गया था कि राष्ट्रपति और प्रधानमन्त्री ने इस हत्या पर शोक व्यक्त किया है और उसके बाद श्री राजीव गांधी को लगातार बोलते हुए दिखाया गया। स्पष्टतः दूरदर्शन प्रधानमन्त्री के हिस्सा लिए बिना यह कार्य नहीं कर सकता था। इसी प्रकार, कोई कार्य जिसमें मंत्रियों या सचिवों द्वारा हिस्सा लिया जाता है तो यह समाचार योग्य बन जाता है।

अगर आप दूरदर्शन में आना चाहते हैं आप तो किसी मन्त्री को या कम से कम दूरदर्शन के महानिदेशक को पहुंच कीजिए।

व्यावसायिकता के विषय में, केन्द्रीय सूचना सेवा अधिकारियों के साथ बुरी तरह व्यवहार किया जाता है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयन किए जाने से पहले केन्द्रीय सूचना सेवा अधिकारियों को पत्रकार के अनुभव की आवश्यकता होती है। लेकिन अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों का जिनका भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेश सेवा आदि में चयन नहीं हुआ उन्हें भी केन्द्रीय सूचना सेवा में उच्च पदों पर रख लिया जाता है। इस प्रकार व्यावसायिक पत्रकारों को केन्द्रीय सूचना सेवा में रहने और आने का कोई प्रलोभन नहीं होता।

प्रचार संगठन क्षेत्र को पर्याप्त निधियां नहीं दी जाती। यह संगठन इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि यह न केवल सरकार को पुनर्निवेशन करता है बल्कि आन्तरिक वैयक्तिक संचार व्यवस्था का भी एक स्रोत है। हमारे जैसे देश में जहां अधिकतर लोग ग्रामीण और अनपढ़ हैं, आन्तरिक वैयक्तिक संचार व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। मैं मन्त्री जी से इसकी उपेक्षा न करने का अनुरोध करता हूं।

केवल दूरदर्शन ही राष्ट्रीय एकता के लिए सहायक उपकरण है। खेती और फैक्टरियों में हुई उन्नति और सामाजिक परिवर्तन के लिए इसका उचित प्रयोग बहुत लाभदायक है। इसके लिए देश के प्रत्येक जिले में मैं मन्त्री जी से एक निम्न शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर लगाने का अनुरोध करता हूं। विशेषतया आन्ध्र प्रदेश में श्री काकुलम, विजयानगरम् पश्चिम गोदावरी गंटूर ओंगोल, खम्मम, नालगोंडा, आदिलाबाद जहां टी. वी. ट्रांसमीटर नहीं है। पश्चिम गोदावरी में पोलोकोल एक टी. वी. ट्रांसमीटर स्थापित करने के लिए आदर्श स्थान है। जिसमें नासूपुरम, भीमवरम, धनुकु, रायोल, अमोलापुरम् आदि स्थानों पर भी प्रसारण होगा और इन स्थानों के लोगों के बहुत दिन के संजोए सपने पूरे होंगे। अगर ऐसा सम्भव नहीं है तो कृपया राजामुंदरी प्रसारण शक्ति को बढ़ा दीजिए। या पूरा उपयोग करवाएं वह ट्रांसमीटर राजामुंदरी का 60 कि०मी० तक का क्षेत्र जो मेरा ऐतिहासिक निर्वाचन क्षेत्र है, को भी प्रसारण सुविधा दे सकेगी। यह किंग राजा राव नरेन्द्र और श्री

[श्री हरिहर राव]

नानया जो एक बड़े लेखक थे राज्य करते थे। वह इसी स्थान के थे और उन्होंने महाभारत जैसे बड़े महाकाव्य का तेलुगू भाषा में अनुवाद किया और यह स्थान आजादी आन्दोलन के सबसे बड़े नेता श्री टी. प्रकाशन की गतिविधियों का भी केन्द्र स्थान रहा है और यह स्थल एक महान् व्यक्ति श्री वीरहेलीगाम से सम्बन्धित है जिसने कई बड़े सामाजिक सुधार जैसे विधवा विवाह आदि जैसे कार्य किये हैं, और राजामुंदरी जनजातीय पट्टी के चार राज्यों जैसे आन्ध्र प्रदेश उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बहुत ही पास है। अतः मैं मन्त्री जी से यहां की संस्कृति कलाकारों और जनजातीय लोगों को शिक्षित करने में प्रोत्साहन देने का अनुरोध करता हूं, राजामुंदरी पर रेडियो स्टेशन बहुत जरूरी है।

विजयवाड़ा पर टी. वी. स्टूडियो को सातवीं योजना के अन्तर्गत रखा गया है और उन्होंने पहले ही इसकी स्थापना के लिए वचन दिया है क्योंकि विजयवाड़ा टी. वी. पारेषण पहाड़ की चोटी पर स्थापित किया है। इससे बहुत से क्षेत्रों में प्रसारण हो सकता है। विजयवाड़ा केन्द्र में कलाकार और अखिल भारतीय प्रसारण है। विजयवाड़ा कई पुरस्कार प्राप्त कर रहा था। कूचीपूड़ी नृत्य का कृष्णा जिले से उद्गम हुआ है। विजयवाड़ा पर टी. वी. स्टूडियो सांस्कृतिक कार्यक्रमों और अधिक से अधिक कृषि सम्बन्धी कार्यक्रमों के प्रसारण में सहायता करेगा। अतः मैं सरकार से जितनी जल्दी हो सके। विजयवाड़ा पर टी. वी. स्टूडियो सांस्कृतिक कार्यक्रमों और अधिक से अधिक कृषि सम्बन्धी कार्यक्रमों के प्रसारण में सहायता करेगा। अतः मैं सरकार से जितनी जल्दी हो सके विजयवाड़ा पर टी. वी. स्टूडियो के निर्माण का अनुरोध करता हूं। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी (मन्दसौर) : माननीय सभापति जी, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं और आभार मानता हूं कि सूचना और प्रसारण मन्त्रालय की मांगों पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय इतना संवेदनशील मन्त्रालय है और इस पर कहने को मेरे पास बहुत सी बातें हैं। मैं आपके माध्यम से सदन में बैठे हुए मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं कि सदस्यों के पास कहने को बहुत है और उनके पास कहने को बहुत है। सवाल साधनों और समय का है। मैं कुछ बातें अपनी ओर से और कुछ बातें अपने मित्रों की ओर से रखूंगा। सबसे पहले खुद की तरफ से और अपने मित्रों की तरफ से कुछ बातों के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। सन् 1984 से सूचना प्रसारण मंत्रालय ने एक काम देश में शुरू किया। उसने 116 टेलीविजन प्रतिदिन रिले केन्द्र प्रति एक दिन के हिसाब से एक साथ शुरू किए। आप जब एक केन्द्र रोज बना रहे थे तो देश को

मालूम नहीं था कि आप अपनी योजना के अन्तर्गत बना रहे हैं। देश यह समझ रहा था कि आप इस गति से चलते रहेंगे और जब काम बन्द हुआ और अगली योजना का काम शुरू हुआ तो लोगों को ऐसा लगा कि जिन को मिल गया उनको टेलीविजन मिल गया और जिनको नहीं मिला पता नहीं कब मिलेगा। आपका जो नोट हमारे पास इस सम्बन्ध में आया है, उसमें आपने कहा है कि छठी योजना पूरी होने पर 70 परसेंट टेलीविजन कवरेज देश को दिए गए। सातवीं योजना का एक साल निकल चुका है, बाकी चार साल में आप करीब 15-17 परसेंट कवरेज देंगे। शेष बचा हुआ देश का 15 परसेंट हिस्सा आठवीं योजना में लेंगे, यानि कि 9 वर्ष में आप शेष भारत को पूरा कवर करेंगे।

सभापति महोदय, मैं मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं कि लोग इतना इन्तजार नहीं करेंगे। प्रधानमन्त्री जी को धन्यवाद कि उन्होंने इस साल आपका पैसा दुगुना कर दिया। हम लोगों ने उनसे लिखा-पढ़ी की और उनसे इस बारे में निवेदन किया। हम राजीव जी के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने ज्यादा पैसा दिया। सच मानिए, यह सदन मेरी बात को गम्भीरता से ले। मैं विनोद के तौर पर नहीं बल्कि बहुत गम्भीर होकर कहता हूं कि आज हमारे देहात का किसान दो ही सवाल करता है। पहला सवाल यह करता है कि हमें पीने का पानी कब तक मिलेगा, दूसरा कहता कि चलो हम जिन्दा रह लेंगे, आप हमें यह बताओ कि टेलीविजन कब आएगा ?

सभापति महोदय, देश की आकांक्षायें इतनी बढ़ गई हैं कि देश अब 9 वर्ष तक इन्तजार नहीं कर सकेगा। देश की प्रतीक्षा के साथ खिलवाड़ शुरू हुआ कि प्राइवेट डिस्क लगा-लगा कर लोगों ने धन्धा शुरू कर दिया। आप झालावाड़ से चित्तौड़ की पट्टी तक चले जाइए, आपको कहीं सरकारी टेलीविजन देखने को नहीं मिलेगा। तब भी सैकड़ों गावों में टेलीविजन लगा जरूर मिल जाएगा क्योंकि लोगों ने प्राइवेट डिस्क लगा-लगा कर धंधा शुरू कर दिया है। वह एक-एक कनेक्शन पर ढाई-और तीन-तीन हजार रुपया लेते हैं। इस तरह का व्यापार शुरू हो गया है। सरकार इस चीज को नहीं देखेगी तो उनका शोषण होता रहेगा। मन्त्री जी इस धंधे को देखें और कृपा करें कि पूरे देश का टेलीविजन कवरेज जल्दी हो सके।

हमारे देश में आपके पास अच्छे सुलझे अफसरों की टीम है। जो अफसर आपके पास हैं, वह सक्षम और संतुलित हैं। उनके पास बुद्धि और विवेक है और दूरदर्शन के लिए दूरगामी दृष्टि भी है।

400 म० प०

मैं पहले तो यह निवेदन करूंगा कि इसका कवरेज ऐसा कीजिएगा कि पूरे देश को मिल सके और लोगों को ऐसा लगे कि आपने कार्यक्रम बन्द नहीं किया है, आपकी गति बराबर चल रही है। दो तीन बातों के लिए मैं गाडगिल साहब, आपको निजी तौर पर धन्यवाद देना चाहूंगा और पूरे देश

[श्री बाल कवि बैरागी]

का ध्यान सदन के माध्यम से दिलाना चाहूंगा कि हमारे देश के इतिहास में कई सूचना मन्त्री याद रखे जाएंगे। एक तो केसकर साहब को लोग याद करते हैं हम आपके लिए शुभ कामना करते हैं। आपको दो तीन बातों के लिए याद किया जायेगा। आपने कुछ काम तो ऐसा कर दिया है कि आप कह नहीं पाते लेकिन हम महसूस करते हैं। आप पहले सूचना मन्त्री हैं इस देश में कि जिन्होंने मीडिया को बौद्धिक स्पर्श दिया। इसके पहले यह माध्यम केवल मनोरंजन और सूचना का साधन था। लेकिन पहली बार उसमें बौद्धिकता की खेती आपने की। मैं दो तीन उदाहरण देना चाहता हूं। आप पहले मन्त्री हैं कि जिन्होंने ग्रेट मास्टर्स प्रोग्राम शुरू किया। हमारे देश के बड़े-बड़े कलाकार किस सीमा तक शताब्दियों तक याद रखे जाएं इसके लिए आपने दस्तावेजों में उनको स्थान दे दिया। सौ-सौ वर्षों तक हम उनको जिन्दा चलते-फिरते देख सकेंगे। उनका रिकार्ड बना रहेगा।

यही काम आपने इधर किया, ओरल हिस्ट्री का प्रोजेक्ट शुरू किया आकाशवाणी और टेलीविज़न के माध्यम से। हम आपका आभार मानते हैं। लेकिन चुपचाप आपने एक काम कर दिया कि कल जब टेलीविज़न लोगों ने देखना शुरू किया—मेरे यहां टेलीविज़न सेट है नहीं, लेकिन मुझे मालूम पड़ा कि कल जब टेलीविज़न चला तो उस पर कबड्डी चल रही थी। अभी तक तो हम क्रिकेट को टेलीविजन पर देखते आ रहे थे। आपने कबड्डी भी शुरू कर दिया, इसके लिए आपका शुक्रिया। यह बहुत अच्छा काम आपने किया। हम तो चाहते हैं कि देहातों में खेला जाने वाला गिल्ली डंडा भी आप टेलीविज़न पर प्रदर्शित करें। खुशी होती है कि कम से कम आपने भारतीय स्पोर्ट्स और उन खेलों को टेलीविजन पर स्थान दिया जो आज तक नेगलेक्टेड थे, जिनकी तरफ कोई देखता नहीं था। हमारे मित्र कहते हैं कि आपने टेलीविज़न का शहरीकरण किया। गाडगिल साहब, आप वह सूचना मन्त्री माने जाएंगे जिन्होंने टेलीविजन और मीडिया के देहातीकरण की शुरूआत की। आप पहले मन्त्री हैं और यह कहने में मुझे फख्र है, मैं गर्व महसूस करता हूं। आपने ही आकाशवाणी पर प्रति घंटा सुबह 6 बजे से रात बारह बजे तक न्यूज़ ब्लेटिन शुरू किया है।

आपने एक काम और शुरू कर दिया, उसके लिए मैं बहुत आभार मानता हूं, आपने फीस पर से प्रतिबन्ध हटा दिया। पहले आकाशवाणी पर लोग जाते थे लेकिन स्टूडियो जाने आने का खर्चा नहीं निकलता था। लेकिन आपने स्टेशन डाइरेक्टर को यह अधिकार दे दिया कि जितना आपकी मर्जी उतना दो, पचास रुपए दो या पांच सौ रुपये दो। यह अच्छा काम किया। हम इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपका यह प्रगतिशील नज़रिया देना रहेगा। आप कलाकारों और देश की जनता की महत्वाकांक्षा का बराबर आकलन करते रहेंगे।

कुछ छोटी मोटी बातें और कहने को हैं। मैं छठी सातवीं कक्षा में जब ज्योमेट्री पढ़ता था तो एक थ्यौरम हमारे टीचर पढ़ाया करते थे कि किसी त्रिभुज के तीनो कोणों का योग दो समकोण के बराबर हो तो वह त्रिभुज बराबर होता है। .....(व्यवधान).....मैं आपसे निवेदन करूंगा

कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर और तीनों कोणों का योग दो समकोण के बराबर न हो तो ज्योमैट्री गलत होती है। आपके पास तीन कोण हैं। एक टेलीविजन है, दूसरा आकाशवाणी है और तीसरा प्रैस है। मैं फिल्मों को टेलीविजन से जोड़ कर देखता हूं। इन तीनों कोणों का योग दो समकोण के बराबर न होने से हमें लगता है कि हमारी ज्योमेट्री गड़बड़ चल रही है। कुछ काम कुछ ऐसा कर दीजिए कि जिससे हम आपको और ज्यादा आदर के साथ याद कर सकें और आपका स्थान बहुत ऊंचे सूचना मंत्रियों में शामिल हो।

मैं उदाहरण के लिए आपको बताऊं, एक तो अभी सितम्बर में हमारा नया इनसेट (सी) आकाश में उड़ेगा और जल्दी ही पांच छः महीनों में अपनी पोजीशन ले लेगा। इनसेट (बी) से हम अभी तक काम ले रहे हैं। यानी मार्च 1987 के बाद आप उससे कुछ काम कर पाएंगे। यह मेरी जानकारी है। वह 11 चेनेल्स आप को देगा। तो 11 चेनल अगर आपको मिले तो मैं सारे सदन की तरफ से आपसे निवेदन करूंगा कि इन चैनल्स पर आप हिन्दी और अंग्रेजी का ध्यान रखें या न रखें यह तो बाद की बात है, हमारी आपकी बहस चलती रहेगी, लेकिन उसमें थोड़ा सा भोजपुरी का ध्यान रखिएं, थोड़ा सा मराठी का ध्यान रखिये, थोड़ा तमिल का ध्यान रखिये, थोड़ा तेलगू का ध्यान रखिये, निमाही का ध्यान रखिये, मालवी का ध्यान रखिये। (व्यवधान) ···राजस्थानी और मैथिली का ध्यान रखिये, इनका आप विशेष ध्यान रखिये। ···(व्यवधान) · भोजपुरी में कह चुका, कितनी बार कहलवाएंगे— गंगा मैया तोहे पियरी चढ़इबे। मैं निवेदन करूंगा कि 11 चेनल का उपयोग आप उस दिशा में कीजिएगा ताकि देश के लोगों को लगे कि आप उनसे जुड़े हुए हैं। आंचलिक भाषा और बोलियों के लिये इन चेनल्स का प्रयोग करें।

रंगीन स्टूडियो आपने शुरू किया, आपको धन्यवाद। कुछ और शुरू कर देंगे उसके लिए भी धन्यवाद। लेकिन इस दिशा में आपको थोड़ा गतिशील होकर सोचना चाहिये। जैसा मैंने कहा लोग इन्तजार नहीं करने वाले हैं। टेलीविजन की मांग के आधार पर लोग हमको जगह-जगह घेर लेंगे। वह समय आने वाला है। कुछ बातें मैं कहूंगा आपसे और शायद आपके टेलीविजन के आफिसर्स तक मेरी बातें पहुंच जाय।

आपने कई सीरियल्स शुरू किये, शुक्रिया आपका। लेकिन क्या मैं पूछूं "कृष्णावतार" क्या सोचकर शुरू कर दिया आपने? अगर भगवान कृष्ण भी देख लेते उसको तो आपको बर्खास्त कर देते। आपने ध्यान ही नहीं रखा। ऐसा कार्यक्रम आपने दे दिया। कभी-कभी ऐसा लगता है हम कहां चले जा रहे हैं?

मैं एक निवेदन आपसे टेलीविजन के रेफेन्स में खास तौर से करना चाहता हूं। आप गम्भीरता से उस पर ध्यान दें और हो सके तो आज ही आर्डर करें और यहां भी घोषणा करें। टेलीविजन आपका सपूत बेटा है, कमाऊ बेटा है लेकिन वह रोज ही विवाद के घेरे में फंस जाता है।

[श्री बाल कवि बैरागी]

यह सपूत बेटा है, कमा कर आपको देता है विज्ञापनों के माध्यम से। तीन प्रकार के विज्ञापनों पर आप नये सिरे से सोचिये। नेत्रदान का विज्ञापन है तो कृपा करके आप उस पर कन्सेशन दीजिए, माफ कर दीजिए। एक विज्ञापन रक्तदान का हो तो उस पर भी आप कोई फीस मत लीजिए। एक विज्ञापन ऐन्टीएडिक्ट्स का आता है तो उस पर भी आप पैसा मांगते हैं। एक तरफ तो आप देश की पीढ़ियों को सुधारने की बात करते हैं और दूसरी तरफ इस पर पैसा वसूल करना चाहते हैं। इन तीनों कोटि के विज्ञापनों को आप माफ कर दीजिये, आपका बड़ा अहसान होगा हम पर।

गाडगिल साहब, इस सदन के माध्यम से एक बात मैं विशेष तौर से आपसे कहना चाहूंगा। चांद की तरह से आपका यश तो चमक रहा है, चांदनी भी चल रही है लेकिन चांद में धब्बे हैं। आपके यश पर भी एक धब्बा लग रहा है। हिन्दी की दो एजेंसीज/ आपके कार्यकाल में बन्द हुई हैं। समाचार भारती और हिन्दुस्तान समाचार पी. टी. आई. तो आपने शुरू की हिन्दी में, हम स्वागत करते हैं। लेकिन जहां तक हमारी जानकारी है—पता नहीं कन्फर्म होता है या नहीं—पी. टी. आई. की हिन्दी सेवा में सम्पादक बनाकर डा० वेद प्रताप वैदिक को आप ले गये हैं। मैं धन्यवाद और बधाई दोनों देना चाहता हूं, बहुत सही व्यक्ति आपको मिला है आप उपयोग कीजिए लेकिन एक बात कहूं उस कमेटी के हिन्दी चयन के सिलसिले में आपने सबसे बढ़िया कमेटी बनाई है। खन्ना जी राजेन्द्र माथुर और भाटिया जी इतने बढ़िया आदमी उसमें रखे गये हैं लेकिन उस कमेटी को भी आपके लोगों ने धोखा दे दिया है। कुछ ऐसे लोग उसमें पहुंच गये हैं जो अगर वहां नहीं जाते तो हिन्दी की ज्यादा सेवा करते। मैं आपके चैम्बर में आकर पर्सनली इस मामले में बात कर सकता हूं, मैं चाहूंगा आप समय दें। मैं यहां पर सदन के समय का दुरूपयोग नहीं करूंगा लेकिन आपको सूचना दे रहा हूं कि उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ है।

एक अर्ज और करूंगा। आपके पास एक और क्षेत्र है समाचार पत्रों का। मैं समाचार पत्रों के लिये आपसे कहना चाहता हूं कि जर्नलिज्म का देहातों तक विकास हुआ है। शहर ही नहीं, देहात तक पत्रकारिता पहुंची है। देहातों में भी पत्रकारिता का विकास हो रहा है। छोटे और मध्यम दर्जे के समाचार-पत्र विकसित हो रहे हैं, लेकिन इनके लिए आपके पास न्यूज़-प्रिन्ट की क्या नीति है ? बड़ों को तो आप पाल लेते हैं लेकिन यदि आपके सामने छोटे आदमी का दम घुट कर वह मर जाए तो सूचना मंत्री महोदय को यह शोभा नही देगा। आप कृपा करके इस सदन में इसी सत्र में घोषित कीजिएगा कि इस सम्बन्ध मे आपकी पालसी क्या है। मझोले अखबार और छोटे अखबार जिन्दा रहते हैं या नहीं—यह बड़ी महत्वपूर्ण बात होगी।

मैं आपसे एक और अपील करना चाहता हूं। हो सके तो आप मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखिएगा बल्कि उनको बुलाइये, अपनी चाय भी पिलाइये; सरकार की चाय तो पिलायेंगे ही, और

उनसे कहिएगा, आपका कहना वे मानते हैं, आपकी बात तो वे मान लेंगे ऐसा मेरा विश्वास है, कि देहात के स्तर तक प्रदेश-प्रदेश में जो भी पत्रकार हो उनके रहने के लिये हाउसिंग की योजना और उनकी पेंशन की पुख्ता व्यवस्था कर दी जाये। इसकी गारन्टी होनी चाहिये। यह आप उनकी बहुत बड़ी सेवा करेंगे। इस पर आप थोड़ा सा विचार जरूर कीजिएगा, मैं आपका बड़ा आभार मानूंगा।

मैं आपसे एक और अर्ज करूं। आर्टिस्ट रोज आते हैं, मुझसे मिलते हैं और बात-चीत करते हैं लेकिन मैं थोड़ा सा संकेत दे दूं कि एक भी कलाकार ऐसा नहीं है जो आपसे खुश हो—वह चाहे तानपुरा बजाता हो या गाता हो। उनके मन में कहीं न कहीं खराश है। वह कलाकार चाहे फिल्म का हो, चाहे टेलिविजन का हो और चाहे आकाशवाणी का हो—उनको लगता है उसके साथ आप न्याय नहीं कर पा रहे हैं। आप थोड़ा बैठकर उनसे चर्चा कीजियेगा और कुछ न कुछ उनके लिए कीजियेगा।

फिल्म के बारे में दत्त साहब यहां पर हैं, वे कुछ न कुछ कहेंगे, मुझे विश्वास है कि उन्हें समय मिलेगा, वे प्रामाणिक स्तर पर बात कर सकेंगे। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि पी० टी० आई० की हिन्दी सेवा आपने शुरू की है तो उसका विकास करें, उनको सहायता दिलायें।

एक निवेदन और करूं। चूंकि अपने-अपने क्षेत्र की बातें लोग कर रहे हैं इसलिए मैं भी कुछ कहूंगा। मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि जावरा में बस्टर लगाना पड़ता है। रतलाम में टी० वी० स्टेशन की शक्ति थोड़ी सी गति बढ़ा दीजिएगा स्टेशन थोड़ा सा पावरफुल कर दीजिएगा। कोटा स्टेशन को बढ़ा दीजिएगा, उदयपुर को बढ़ा दीजिएगा। मंदसौर और नीमच हैं भी छोटे से स्टेशन दे दीजिएगा तो हमारा काम चल जाएगा। सातवीं योजना में आपने दोनों स्टेशन मंजूर कर लिए हैं इसके लिये मैं कृतज्ञ हूं हम छोटे-छोटे स्टेशन आपसे चाहते हैं। झालावाड़ में दे दीजिये। चित्तौड़ में बढ़ा दे दीजिएगा ताकि ऐसा लगे कि हम और आप जुड़े हुए है एक दूसरे से और काम ठीक चल रहा है।

इन शब्दों के साथ मैं आपको बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो छोटी-छोटी बातें मैंने कही है उन पर आप विचार करेंगे। मैं एक बार फिर प्रधानमन्त्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी बात सुनी और आप तक पहुंचाई।

सभापति जी, मैं अपनी बात समाप्त करते हुए और आपका आभार मानते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि आपका कार्यकाल यशस्वी रहे, इसके लिये पूरा सदन आपके साथ है। एक मित्र ने भाषा

[श्री बाल कवि बैरागी]

की बात कही, कोई भाषा वाली बात नहीं है, आप पांच-छः घण्टे कैसे हिन्दी में बात करते हैं, आपका कैसे काम चलता है। मैं सच कहूंगा, अगर उधर की बात करें, तो देश को हम उत्तर या दक्षिण में बांटना नहीं चाहते हैं, न हमें शोभा देता है। भारत एक है यहां से वहां तक। मैं आपसे सच कहूं, हमारे क्षेत्र में कृषि दर्शन के अलावा लोग दूसरा कोई कार्यक्रम नहीं देखते हैं। क्या करें? आपकी भाषा समझ में नहीं आती है। आपकी अंग्रेजी हमारे पल्ले नहीं पड़ती है। मैं मेरी मां को क्या समझाऊं कि वे क्या बोल रहे हैं। आप बंगला में जाइये, तमिल में जाइये, कन्नड़ में जाइये, आप डायलैक्स में जाइये। वहां तक तो चलेगा लेकिन जो भाषा इस देश से निश्चित जाने वाली है, उस भाषा को आप टेलीविजन के माध्यम से कैसे रोक लेंगे। अंग्रेजी को इस देश से जाना है, वह जायेगी, लेकिन पता नहीं हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता कितनी लेकर जायेगी। थोड़ी हमें चिन्ता तो जरूर है, लेकिन शोकमग्न नहीं है।

मैं आकाशवाणी के मामले में एक उदाहरण देकर बैठ जाऊंगा। वह एक उदाहरण पर्याप्त होगा। आपका आकाशवाणी अविश्वस्त क्यों लगता है। आप खुद क्यों बी०बी०सी० सुनते हैं। उसको सुनने की क्या आवश्यकता है। जो देश हमारी भावनाओं के साथ न्याय नहीं कर सका, उसकी सूचनाओं पर हम विश्वास करते हैं। क्या आवश्यकता है? मैं हरिद्वार में था। मैंने खुद अपने कानों से सुना है, आपका संवाददाता वहां समाचार देता है और आकाशवाणी वहां से समाचार प्रसारण कर देती है। समाचार बन जाता है। शोभना नारायण और बिरजू महाराज का कार्यक्रम हो गया। उस बुलेटिन की जांच करवाइए। यह शिकायत नहीं है, सूचना है। शोभना नारायण हरिद्वार के प्लेटफार्म तक तो ठीक है, लेकिन वह जमीन पर भी उतरा ही नहीं और आकाशवाणी ने समाचार दे दिया। बिरजू महाराज के एक कदम पर, एक ताल पर, एक लय पर घुंघरू नहीं बजा और आकाशवाणी ने समाचार दे दिया। ऐसे अविश्वसनीय समाचार वहां से देंगे, तो आपके मीडिया पर कैसे विश्वास होगा हम मीडिया पर अधिक विश्वास बनाने के लिए आप दूर देहात तक जाने वाले लोगों को जरा सभाल कर रखिए। उनकी सूचनाओं पर सही जांच करवाकर काम करने की कृपा करिये।

इन शब्दों के साथ, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपके नेतृत्व में इस देश में हम सब लोग इस मीडिया का सही उपयोग कर रहे हैं। देश का किसान यह मानेगा कि यह मीडिया उसके हित में है। यह मनोरंजन का मीडिया नहीं है, बल्कि वस्तुतः देश के विकास का मीडिया है। इस उम्मीद के साथ राजीव जी के नेतृत्व में इक्कीसवी सदी में आपके साथ चल रहे हैं। मैं आपको बधाई देकर मांगों का समर्थन करता हूं। "इति"

[अनुवाद]

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी०एन० गाडगिल) : मैं केवल स्पष्ट करना चाहता हूं। मैं उत्तर नहीं दे रहा हूं। नेत्रदान, रक्तदान, दवाइयों, कैंसर और संक्रामक रोगों के टीकों के बारे में आकाशवाणी तथा दूरदर्शन से मुफ्त विज्ञापन दिए जाते हैं।

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागाओ) : सभापति महोदय, धन्यवाद आपने मुझे बोलने के लिए निमन्त्रित किया।

सभापति महोदय, सूचना व प्रसारण मंत्रालय की गतिविधियां चहुमुखी है। दूरदर्शन व रेडियो जनसंचार व जनसम्पर्क के साधन है। निःसन्देह दूरदर्शन उस समय बहुत ही संवेदनशील है और कई कारणों से चिरकाल तक सबसे अधिक संवेदनशील रहेगा। इसकी मुख्य कारण यह केवल सुनाई देने वाला नहीं बल्कि दृश्य भी है, और इसलिए महोदय, मैं दूरदर्शन के प्रश्न को दृष्टि में रखते हुए कुछ मुद्दे प्रस्तुत कर रहा हूं। आरम्भ में मैं गाडगिल मन्त्री और श्री वसन्तसाठे के बाद के पूर्व मन्त्रियों को दूरदर्शन की गतिविधियों और इस मंत्रालय के विस्तार एवं विकास के आश्चर्य-जनक कार्यों के लिए धन्यवाद देता हूं।

मैं और मेरे अधिकतर साथी इस सदन में उपस्थित थे। जब श्री बसन्तसाठे ने रंगीन टेलिविजन की चर्चा के लिए विचार रखा। हम जानते हैं तब कितनी आलोचना हुई थी, उपहास भी हुआ था, समाचार पत्रों में कार्टून भी निकले थे और आलोचना भी की गई थी और इसी सदन में उन पर उपहासों के अम्बार लगे थे। लेकिन अब हम महसूस करते हैं कि निर्णय ठीक था और साहसी था। दूरदर्शिता सफल रही और मनोरंजन में बढ़ोतरी के कारण रंगीन टेलिविजन अधिक बिके। इसकी उन्नति और प्रक्रिया एक मन्त्री से दूसरे मन्त्री श्री गाडगिल तक रही और उनके अधीन इसके कार्यक्रमों और गतिविधियां बढ़ गई।

महोदय, इन प्रशंसायुक्त शब्दों को कहने के बाद क्या मैं अपने भाषण का सारांश दे सकता हूं (व्यवधान) महोदय दूरदर्शन के माध्यम से संचार व्यवस्था पर एक मूलभूत प्रतिवेदन प्रसारित हुआ था। जो 1980 का है और इस प्रतिवेदन को अन्तर्राष्ट्रीय संचार समस्या आयोग ने तैयार किया था जिसे आमतौर से अन्य ब्रिज कमीशन के नाम से जाना जाता है। हमारे पास एक बहुत अच्छी रिपोर्ट जिसे आम तौर पर जो इसी रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है जो कि दो खण्डों में सभा पटल पर रखी गयी थी, और जो टेलीविजन के क्षेत्र में भारतीय सर्वांगीण स्वरूप के रूप में जानी जाती है। यह दूरदर्शन के कार्यक्रमों की विषय वस्तु के बारे में कार्यकारी दल की रिपोर्ट है। अब मैं जानना चाहता हूं तथा मुझे विश्वास है कि सभा भी जानना चाहती है कि सरकार ने इस उत्तम जोशी रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की है। मैं इस रिपोर्ट का इस तथ्य के सन्दर्भ में उल्लेख कर रहा था कि इन दोनों आयोगों ने बताया है कि जबकि आप 'हार्डवेयर' अर्थात उपकरणों का पर्याप्त विकास कर : हैं तो आप अक्सर साफ्टवेयर अर्थात कार्यक्रमों की विषयवस्तु की आप उपेक्षा करते हैं। मुझे आशंका है कि भारतीय दूरदर्शन की यही स्थिति है। हार्डवेयर के विकास की

[श्री एडुआर्डो फेलीरो]

गति—समूचे देश में स्थापित ट्रांसमीटरों की संख्या और खरीदे गए उपकरणों के साथ-साथ दूरदर्शन कार्यक्रमों की विषयवस्तु और इस कार्यक्रम को तैयार करने में लगे लोगों के प्रशिक्षण के मामले में प्रगति नहीं हुई है। जिसे हम सभी दूरदर्शन पर देखते हैं, समाचार हैं। उसमें आप देखते हैं कि किस प्रकार हमने कार्यक्रमों की विषय वस्तु तथा प्राशिक्षण की उपेक्षा की है। दूरदर्शन में व्यवसायिकता का अभाव है। समाचार पढ़ने वाले परदे पर इस तरह आते हैं जैसे कि वे काठ के पुतले हों। वे प्रायः शब्दों का उच्चारण भी अच्छी तरह से नहीं करते हैं। इस बारे में काफी आलोचना हुई है। अक्सर आप देखते हैं कि टेलिविजन समाचार वाचक एक दूसरे को देखते रहते हैं। कई बार जो कुछ दूरदर्शन में दिखाया जाता है उसकी कही जाने वाली बात संगति नहीं होती। अब वास्तव में क्या हो रहा है? दूरदर्शन के लिए कोई पृथक समाचार विभाग नहीं है। समाचार अक्षरशः रेडियो से लिए जाते हैं जो कि नितान्त अव्यवसायिक बात है। दूरदर्शन में शब्दों का उतना महत्त्व नहीं है। यह उसका श्रव्य भाग नहीं है। शब्द आवश्यक हैं परन्तु उनकी दृश्यों के साथ संगति होनी चाहिए। ऐसी स्थिति पैदा करनी·····

प्रो० एन० जी० रंगा (गुन्टूर) : उन्हें अधिक स्पष्ट उच्चारण करना चाहिए।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : उन्हें अधिक स्पष्ट तथा समुचित रूप से उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक दिन के समाचारों में बहुत से शब्दों का गलत उच्चारण होता है। दर्जनों शब्दों का दूषित उच्चारण होता है। टेलीविजन समाचार वाचक तथा समाचार विभाग से संबद्ध व्यक्ति अव्यवसायिक है। ऐसा लगता है कि वे पहली बार दूरदर्शन के पर्दे पर आये हैं तथा समाचारों को पढ़ रहे हैं। किसी भी देश में, जहां व्यावसायिकों का न्यूनतम स्तर होता है, ऐसा नहीं होता। एक समाचार पढ़ने वाला घंटों पहले पहुंचता है। समाचार वास्तव में पढ़े जाते हैं। वे भली प्रकार पढ़ते हैं। वे पूरी चीज को पढ़ते हैं। केवल तभी समाचार पढ़े जाते हैं। परन्तु हमारे दूरदर्शन के समाचार विभाग में ऐसा नहीं होता है। जैसाकि मैंने बताया है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह प्रचार माध्यम एकदम भिन्न है, हमारे दूरदर्शन में एक पृथक समाचार विभाग होना चाहिए। मूलतः यह माध्यम दृश्य है जबकि रेडियो पूर्णतः श्रव्य है।

पूरे दूरदर्शन में भ्रष्टाचार तथा पक्षपात के मामलों के बहुत से आरोप हैं। इस मामले में मैं विस्तार से नहीं जाना चाहता, क्योंकि भ्रष्टाचार तथा पक्षपात के मामलों को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा सकता है। अनेक आरोप लगाए जा सकते हैं। अधिकांश मामलों में ऐसा ही होता है। ये जीवन के सभी क्षेत्रों में व्याप्त हैं। मैं संसद में कोई सनसनी नहीं पैदा करना चाहता, क्योंकि मामलों के बारे में मेरी ऐसी प्रवृत्ति नहीं रही। परन्तु इस बात पर कम से कम बल दिया जाना चाहिए क्योंकि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने कम से कम एक व्यक्ति में रुचि ली है। उस व्यक्ति को निलंबित नहीं किया गया परन्तु कुछ प्रमाण मिला है। इस समय यह नहीं कहा जा सकता कि वह व्यक्ति दोषी है या नहीं। परन्तु फिर भी स्वच्छ प्रशासन के लिए वचनबद्ध इस स्वच्छ सरकार में पक्षपात या भ्रष्टाचार का मामले नहीं बढ़ने दिए जाने चाहिए।

फिर महोदय, मूलतः प्रश्न यह है कि बिचौलियों को अवसर नहीं दिया जाना चाहिए।

दूरदर्शन के वरिष्ठ अधिकारियों का उन व्यक्तियों के साथ सीधा सम्पर्क होना चाहिए जो वास्तव में कार्य करते हैं और रचना तैयार करते हैं।

इससे पहले कि मैं प्रायोजित कार्यक्रमों को लूं मैं इस बात का अवश्य उल्लेख करना चाहूंगा कि हमें दूरदर्शन व्यवस्था के सभी क्षत्रों में अधिक व्यावसायिकता लाने की आवश्यकता है। इस समय हमारे पास कैमरामैन नहीं हैं। आपने बहुत अधिक दूरदर्शन केन्द्र खोल दिए हैं। अच्छे स्वर के एक दूरदर्शन केन्द्र को 40-50 कैमरामैनों की आवश्यकता होती है। इतने कैमरामैन कहां से आयेंगे? केवल दो-तीन संस्थाएं हैं जो इस तरह के कार्मिकों को तैयार करती हैं। दो निजी क्षेत्र में हैं—एक मद्रास में तथा दूसरी बंगलौर में है। इसके अलावा पुणे में फिल्म संस्थान है। परन्तु समूचे भारत में स्थित इन सभी दूरदर्शन केन्द्रों को कैमरामैन उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त नहीं है। परिणाम यह होता है कि अब दूरदर्शन इनको पुणे में तीन महीने का त्वरित प्रशिक्षण दे रहा है जबकि प्रशिक्षण तीन वर्ष का है। इससे पता चलता है कि किस तरह का कार्य हम कर रहे है। हम दूरदर्शन में शीघ्र तैयार किए गए कार्मिक नियुक्त कर रहे हैं। जिस पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए तीन वर्ष चाहिए वह तीन महीने का किया जा रहा है। तो आप देख सकते है कि वे किस लायक होंगे। हमें अवश्य ही दूरदर्शन प्रशिक्षण संस्थान खोलना चाहिए। हमें विश्वविद्यालयों में सिनेमा, उत्पादन, निर्देशन और सभी संबद्ध कार्यकलाप के पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करनी चाहिए।

जोशी समिति ने जिस बात का उल्लेख किया है तथा जिस ओर ध्यान दिलाया है वह इन प्रायोजित धारावाहिक कार्यक्रमों और विज्ञापन कार्यक्रमों के इतनी अधिक मात्रा में आने से उत्पन्न बड़ा खतरा है। आज दूरदर्शन में क्या हो रहा है। कार्यक्रमों की किस्म पर ध्यान दीजिए। सबसे घटिया किस्म के कार्यक्रम वे हैं जो कि विकास कार्यक्रमों से संबंधित हैं, जिनके प्रति हम वचन-बद्ध हैं। इससे भी बढ़कर मनोरंजन कार्यक्रम प्रायोजित कार्यक्रम और धारावाहिक कार्यक्रम होंगे और सबसे बढ़कर विज्ञापन कार्यक्रम होंगे।

विज्ञापन कार्यक्रम तो स्वयं इतने काफी रंगीन, जोरदार और नाटकीयता से भरपूर होते हैं कि सभी पर उनका अधिक प्रभाव पड़ता है। इसका क्या परिणाम है। गांव के किसी व्यक्ति पर इसका क्या प्रभाव हो सकता है क्योंकि यह राष्ट्रीय कार्यक्रम है। गांव में उसके पास पीने का पानी नहीं है जबकि वह दूरदर्शन पर एक अर्धनग्न सुन्दर विवाह योग्य लड़की को किसी साबुन से नहाते और काफी जल फैलते हुए देखता है।

आपके या हमारे गांव के किसी व्यक्ति पर उस समय क्या प्रभाव हो सकता है जब वह देखता है कि शीतल पेय बार-2 उन महिलाओं से प्राप्त होता है जो किसी किस्ती से समुद्र में कूदती है और शीतल पेय पीने वाला ठीक उसके पीछे कूदता है? आपके मन में क्या विचार पैदा होंगे। (व्यवधान) जिन व्यक्तियों को दो समय का भोजन भी उपलब्ध नहीं है उनके लिए दो मिनट में बनने वाले नूडल्स का क्या महत्व है? मेडीसन एवेन्यू जैसे प्रचार के तरीके हमारे लोगों के साथ खिलवाड़ करने वाले हैं। हम उनकी उम्मीदों को बढ़ा रहे हैं। हम निराशा की भावना उत्पन्न कर रहे हैं। हम इन लोगों को बता रहे हैं कि इस तरह की जिंदगी है। ये चीजें हमें सुख प्रदान करती हैं। यह

[श्री एडुआर्डो फैलीरो]

जीने का तरीका है। हम उसे सुझाव दे रहे हैं कि तुम किसी भी तरह धन प्राप्त करो और पेय पदार्थों और साबुनों का प्रयोग करो और सुख भोगो। यह संस्कृति पर सबसे बुरी तरह का आक्रमण है। यह सांस्कृतिक आघात है। यह हमारे समाज को असंगठित कर रहा है। जब हम मितव्ययता की बात कर रहे हैं तब इस तरह के विज्ञापन दूरदर्शन पर करने की क्या आवश्यकता है। जो कुछ हम कर रहे हैं वह वस्तुओं का विक्रय करना ही नहीं है। हम अपने समाज को समूचे मूल्यों, समूची संकल्पना और जीवन की पूरी संकल्पना को कुछ शहरी लोगों के हित के लिए लुटा रहे हैं।

हमारे पास एक विज्ञापन संहिता होनी चाहिए। मैं इस समय यह नहीं कहूंगा कि हमें विज्ञापनों पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि दूरदर्शन की आय का यह एक साधन है। कहीं न कहीं से तो धन आना ही चाहिए। जिन लोगों के पास क्रय शक्ति है तथा सैकड़ों किस्म के उत्पादन हैं, जोकि एक ही प्रकार के हैं, जिनमें से वे किसी भी तरह का चुनाव करके उन्हें खरीद सकते हैं, ऐसे उपभोक्ता समाज के लिए तो "मैडीसन नीति शायद सही हो सकती है।

उनके लिए तो यह सही है परन्तु हमारे समाज में यह एक सांस्कृतिक आघात है जिसका हमें मुकाबला करना चाहिए। अभी पिछले दिन मैंने दूरदर्शन के मुख्य द्वार पर गांधी जी की प्रसिद्ध उक्ति को पढ़ा कि सभी सांस्कृतियों के लिए हमें अपनी खिड़कियां खुली रखनी चाहिए, ताकि सभी संस्कृतियों का आगमन होता रहे सांस्कृतिक संघर्ष के लिए नहीं जोकि लोगों के युवा लोगों के तथा पूरे देश की आम जनता के हृदय पर चोट करता है, और इस प्रकार वे अच्छी-अच्छी चीजों को जो उनके उपभोग के लिए प्रदर्शित की जाती हैं, खरीद नहीं सकते।

जहां तक प्रायोजित कार्यक्रमों की बात है, किसी गांव के व्यक्ति के लिए इसका क्या मतलब है। इसके अलावा 'पोप म्यूजिक' क्या है ? जो आप दूरदर्शन पर दिखाते हैं। यह 'पोप म्यूजिक' एक पाश्चात्य संस्कृति है, ऐसा मैं नहीं कहूंगा क्योंकि मैं पाश्चात्य सभ्यता का प्रशंसक हूं। मैं समझता हूं हमारे अनेक मूल्य—विद्रोह करने का मूल्य, अन्याय के विरुद्ध लड़ने, समानता के मूल्य हमने पश्चिमी सभ्यता से लिए हैं। परन्तु समाप्त हो रही पश्चिमी सभ्यता के ये साह्लोन्मुख पूंजीवादी मूल्य हैं जिन्हें आप दूरदर्शन पर देखते हैं। चमड़े के वस्त्र पहने मनुष्यों का प्रदर्शन करते हैं मनुष्यों को पशु का रूप देते हैं। इस 'पाप म्यूजिक' के द्वारा दूरदर्शन पर हम इस प्रकार की छवि अपने युवकों को दिखाते हैं और यह हमारे देश के बच्चों के लिए अच्छी चीज नहीं है। यहां पर मैं यह कहना पसंद करूंगा कि दूरदर्शन को समाज के विभिन्न वर्गों, कर्मकारों, गृहणियों का, युवा व्यक्तियों का, सेवानिवृत्त व्यक्तियों का ध्यान रखना चाहिए परन्तु युवा वर्ग पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। आप समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए एक समान अवसर और समय नहीं दे सकते। परन्तु हमारे युवा वर्ग पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। दूरदर्शन में हमें कल के नेताओं, भावी शासकों पर ध्यान देना चाहिए। उन्हें उचित मूल्यों के साथ ओत-प्रोत किया जाना चाहिए। प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि क्या दूरदर्शन पर समुचित मूल्य दर्शाए जाते हैं ? क्या प्रायोजित कार्यक्रम समुचित मूल्यों को दर्शाते हैं ? क्या ये वे मूल्य हैं जो श्रीमती इंदिरा गांधी ने दूरदर्शन शुरू करते समय बताए थे। क्या ये मूल्य देश के भविष्य के लिए हमारे स्वप्नों के अनुरूप हैं। प्रायोजित कार्य-

क्रमों के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि ये बहुत अच्छे कार्यक्रम हैं। फिर भी सभी कार्यक्रम रंगहीन नहीं हैं। वास्तव में बहुत सी बातें अच्छी हैं और आज जबकि हम दूरदर्शन की बात करते हैं वह इसलिए कि आज दूरदर्शन एक वास्तविकता बन गया है जोकि 5-6 वर्ष पूर्व नहीं था। 'रजनी' जैसे कार्यक्रम अत्यन्त रचनात्मक कार्यक्रम है वे बहुत श्रेष्ठ कार्यक्रम हैं। 'जनवाणी' भी ऐसा ही कार्यक्रम है। अन्य देशों का उदाहरण लेकर उनमें पर्याप्त सुधार लाया जा सकता है। जनवाणी हमारा मौलिक कार्यक्रम नहीं है। यह अन्य देशों में चल रहा है जिनसे हम शिक्षा ले सकते हैं। समाजवादी देशों में ऐसे कार्यक्रम विद्यमान हैं। केवल उनका रूप मित्र है। मंत्री महोदय के साथ जिरह करने के स्थान पर—आप टेलीफोन बूथों को देखते हैं—कार्यक्रम के चलते हुए लोगों से प्रश्न पूछने को कहा जाता है तथा उन प्रश्नों में से कुछ को उत्तर के लिए चुन लिया जाता है तथा उन्हें तुरन्त उत्तर के लिए मंत्री महोदय के पास भेज दिया जाता है। इस प्रश्न को पूछने वाला व्यक्ति वहां उपस्थित नहीं होता परन्तु उसने वही प्रश्न पूछा था तथा वह कार्यक्रम देख रहा होता है। अतः कई तरीकों से रुचि पैदा की जा सकती है। राष्ट्रीय कार्यक्रम के संदर्भ में यह तकनीक का प्रश्न है।

जबकि हम विशिष्ट जनता की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं जो कि खतरनाक बात है। मैं एक बात और करना चाहता हूं। आप धर्म तथा धार्मिक प्रथाओं पर अधिक बल दे रहे हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा : आप उससे बच नहीं सकते।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : एक धर्म-निरपेक्ष समाज में धर्म के लिए कोई स्थान नहीं है। आज हम विभाजक व्यक्तियों की बात करते हैं। आज देश में सबसे बड़ी विभाजक शक्ति धर्म है। समाचारों में आप देखते हैं किसी संत का या तो जन्म दिन है अथवा किसी संत की पुण्य तिथि है। चाहे वह संत ईसाई धर्म का हो, मुस्लिम हो अथवा हिन्दू या जैनी हो। परन्तु प्रति दिन समाचारों में संत को दिखाया जाता है।

मैं किसी ऐसे धर्म-निरपेक्ष समाज अथवा सरकार को नहीं जानता जो संतों, अवतारों, धार्मिक उत्सवों आदि को इस तरह अपने संचार माध्यमों में स्थान देते हैं, जैसे कि हम देते हैं। हमारे समाचारों में, कार्यक्रमो में इनका जिक्र होता है। ये पृथकतावादी शक्तियां हैं···(व्यवधान) मैं सदा ही रंगा जी की बात से सहमत रहा हूं किन्तु यहां मेरा विचार अलग है। मैं कहता हूं कि धर्म पृथकतावादी ताकत है। जब आप किसी धर्म-विशेष के किसी संत को देखते हैं, तो आप जो कि इस समय सोच रहे हैं कि हम केवल भारतीय हैं और एक ही मिट्टी से उत्पन्न हुए हैं, स्वयं को अलग महसूस करते हैं। शायद रंगा जी को ऐसा न लगता हो। वह इन सब बातों से ऊपर हैं। किन्तु आम आदमी कैसा है? आपको इस धर्म से किस प्रकार की भावनायें प्राप्त हो रही हैं? धर्म-निरपेक्ष राष्ट्र में धर्म का कोई स्थान नहीं। धर्म हमारे देश में सबसे बड़ी अलगर्मववादी ताकत है और आप इसे दूरदर्शन से अलग रखें। यह न केवल धर्म है, यह न केवल अन्धकार में रहने वाले व्यक्ति की भावनायें हैं। अन्धकार में रहना हमारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किस प्रकार मेल खाएगा जिसके बारे में हम बातें करते हैं? यह न केवल धर्म है; न केवल अन्धकार में रहना बल्कि सीधे साम्प्रदायिकतावाद है,

[श्री एडुआर्डो फैलीरो]

जो हमें कुछ कार्यक्रमों में दिखाया जाता है। उस दिन मैं एक कार्यक्रम देख रहा था। मैं कार्यक्रमों में रुचि लेता हूं। कार्यक्रम अच्छे होते हैं। किन्तु मुझे खेद है कि दूरदर्शन में बच्चों के कार्यक्रम में भी साम्प्रदायिकता होती है। मैं इस बारे में अधिक बात नहीं करना चाहता। मैं मन्त्री जी को उतने उदाहरण दे सकता हूं जितने वे चाहें। कुछ कार्यक्रमों में निश्चित रूप से साम्प्रदायिक भाव होते हैं, जो मैंने देख हैं। अतः सरकार को इस बात को उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए कि ऐसे धार्मिक कार्यक्रम दूरदर्शन पर न दिखाये जायें, कम-से-कम बड़े पैमाने पर नहीं। हम सभी एक हैं। इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता कि मैं ईसाई हूं। हिन्दू मुस्लिम मेरा कोई भी धर्म नहीं है। मैं स्वयं अज्ञेयवादी हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि धर्म एक अलगाववादी ताकत है। मैं जानता हूं कि धर्म आदमी को आदमी से अलग करता है। हम दूसरे व्यक्ति को एक इंसान के रूप में नहीं देखते बल्कि उसमें केवल धर्म देखते हैं। हमने ऐसा समाज नहीं बनाना चाहा था। इसलिए आप इसे दूरदर्शन से दूर रखें।

महोदय, दूरदर्शन की बात करते समय हम रेडियो को न भूलें। यह समझना एक भूल होगी कि दूरदर्शन का विकास होने के कारण रेडियो को लोग भूल जायेंगे। रेडियो में शुरू से ही कुछ ऐसी मजबूती है जो दूरदर्शन में नहीं। गृहिणी घर में काम करते समय रेडियो सुनती है। वह टी० वी० नहीं देख सकती। दूकान में, सार्वजनिक स्थान में, कारखाने में और दफ्तर का समय पूरा हो जाने के बाद लोग रेडियो सुनते हैं क्योंकि इस वक्त वह टी० वी० नहीं देख सकते। मैं कहना चाहता हूं कि हमें आकाशवाणी को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि हम पड़ोसी देशों तथा अन्य देशों में भी कार्यक्रम सुन सकें। यहां तक कि हमारे आस-पास के छोटे देशों में भी अधिक मजबूत प्रसारण क्षमता है। हम भी आकाशवाणी को इतना मजबूत बनायें कि वे सीमा से यथा-सम्भव दूरी तक का प्रसारण कर सकें।

दूरदर्शन पर कार्यक्रमों की चर्चा करते समय मैं गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के सम्मेलन का उल्लेख करना चाहता हूं जो अभी कल ही समाप्त हुआ है और उसमें अन्य प्रतिनिधियों की भांति दक्षिण—दक्षिण सहयोग की काफी चर्चा की है। समय आ गया है कि हम परिवर्तन के लिए कुछ करें। हम दूरदर्शन पर विकासशील देशों से लेकर फिल्में दिखा सकते हैं। एशिया, विकासशील देश, अफ्रीका तथा लेटीन अमरीका से बड़ी संख्या में फिल्में उपलब्ध हो सकती हैं। हम वह फिल्में दिखायें। हम समाजवादी देशों से भी फिल्में लेकर दिखा सकते हैं। हम पश्चिमी देशों से लेकर फिल्में दिखा सकते हैं जिनके अनेक अवसर प्राप्त होंगे और जो हमारे संदर्भ में इतनी सुसंगत नहीं हैं और हमारा समाज जिनके बारे में अभी तक सपने ही देखता है।

मेरे साथी ने 'इनसेट' का उल्लेख किया है। 'इनसेट' भारतीय प्रौद्योगिकी की उपलब्धि का कमाल है। इसका डिजाइन भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया गया है तथा उनके द्वारा ही इसका निर्माण किया गया है। विश्व में बहुत कम देश, यहां तक कि विकसित देशों भी बहुत कम देशों ने यह उपलब्धि प्राप्त की है। यह हमारे लिए गर्व की बात है। हमें अपने वैज्ञानिकों को बधाई देनी

चाहिए जिन्होंने अन्तरिक्ष सम्बन्धी मामलों में इतनी उपलब्धि पाई है। वे किसी से कम नहीं हैं। इनसेट 1-बी का, जिससे राष्ट्रीय नेटवर्क के कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं, जीवन काल मध्य सितम्बर में समाप्त हो रहा है। इनसेट 1-सी की डिलीवरी अमेरिकी चैलेंजर द्वारा की जानी थी, जिसका कक्षा में पहुंचने से पूर्व ही विस्फोट हो गया। अब चूंकि चैलेंजर का विस्फोट हो चुका है, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इनसेट 1-सी को छोड़ने के लिए कोई प्रबन्ध किए हैं ताकि हमारे कार्यक्रमों पर कोई प्रभाव न पड़े?

महोदय, समाचार पत्र अत्यन्त महत्वपूर्ण माध्यम हैं। हम उनके बारे में अधिक बात नहीं करते क्योंकि वे भी हमारी तरह अधिक संवेदनशील हैं। उन्होंने शानदार काम किया है। किन्तु इनमें भी कुछ गलत लोग हैं और इसलिए मैं कहता हूं कि हमें समाचार सैंसर की व्यवस्था नहीं रखनी चाहिए, बिहार में जो प्रयोग किया गया, उस तरह की कोई व्यवस्था नहीं अपनानी चाहिए क्योंकि वह प्रयोग पूरी तरह त्याग दिया गया था। किन्तु स्वयं समाचार-पत्रों को एक ऐसी आचार संहिता तैयार करनी चाहिए ताकि ये गलत लोग काम न कर सकें। हमें मालूम हुआ है कि बड़े समाचार-पत्र राज्यों की राजधानियों में भी जाते हैं। तो क्षेत्रीय समाचार-पत्रों का क्या होगा? ये बड़े समाचार-पत्र सभी जगह जाते हैं तो क्षेत्रीय समाचार-पत्रों को नुकसान उठाना होगा। क्षेत्रीय समाचार-पत्र वास्तव में महत्वपूर्ण हैं जो इस देश के लोगों को उनकी क्षेत्रीय भाषाओं में जानकारी देते हैं। इन्हें मजबूत बनाना चाहिए, यदि आवश्यक हो तो वित्तीय रूप से भी। मेरा सुझाव है कि फिल्म विकास निगम की भांति छोटे भाषाई समाचार-पत्रों को वित्तीय सहायता देने के लिए एक समाचार-पत्र विकास निगम बनाया जाना चाहिए।

आज के समाचार पत्रों में एक बुरी खबर छपी है जो समाचार पत्रों तथा समाचार एजेंसियों में कार्यरत वेतन भोगी तथा स्वतन्त्र पत्रकारों को अन्तरिम राहत के बारे में है। उन्होंने बछावत वेतन बोर्ड के समक्ष अन्तरिम राहत का एक निश्चित रूप रखा था। जब कभी किसी उद्योग का मजदूरी बोर्ड बनता है तो कुछ महीनों में अन्तरिम राहत की घोषणा की जाती है और पत्रकारों के मामले में भी यह अपवाद नहीं है। बछावत वेतन बोर्ड कई माह पूर्व गठित किया गया था। उन्होंने कोई घोषणा करने में काफी समय लगा दिया और जब उन्होंने घोषणा की भी तो केवल 7 प्रतिशत अथवा ऐसी ही कुछ थोड़ी सी राशि थी, जबकि पत्रकारों ने न्यूनतम 10 से 20 प्रतिशत राहत की मांग की थी और उन्होंने इसके समर्थन में कुछ तथ्य भी रखे थे। एक तो बछावत बोर्ड ने बहुत देर से रिपोर्ट दी है और दूसरे सरकार द्वारा समाचार पत्रों तथा समाचार एजेंसियों में श्रमजीवी और गैर श्रमजीवी पत्रकारों के साथ किए गए इस अन्याय को समाप्त करने के लिए शीघ्र कुछ किया जाना चाहिए।

मैं एक बात कहना चाहता हूं। समाचार पत्रों को निरंतर विरोधी रवैया नहीं अपनाना चाहिए। जब कभी सरकार द्वारा कुछ अच्छे काम किए जाते हैं तो केवल उसकी हर जगह आलोचना करने की अपेक्षा उन्हें लोगों के सामने लाना चाहिए। इसी प्रकार दूरदर्शन तथा आकाशवाणी भी केवल सरकार को समर्थन देने के ही साधन नहीं होने चाहिए, जो कि वह है भी नहीं क्योंकि वहां रचनात्मक एवं सकारात्मक आलोचना की भी अनुमति दी जा रही है।

[श्री एडुआर्डो फैलीरो]

हमें दूरदर्शन में काम कर रहे लोगों के लिए अवश्य कुछ करना चाहिए। कार्यक्रम इतने खराब क्यों होते हैं ? क्योंकि वहां काम करने वाले लोगों को कम वेतन दिया जाता है। दूरदर्शन में सरकारी कर्मचारी के तौर पर कार्यरत एक व्यक्ति के वेतन और कहीं बाहर काम करके उसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले वेतन में तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि बाहर उसे तीन से चार गुना अधिक वेतन प्राप्त होता है। स्वाभाविक है कि कार्यक्रम खराब बनते हैं। इस क्षेत्र में कोई विशिष्टीकरण नहीं है, चाहे वह विषय सम्बन्धी हो या क्षेत्र सम्बन्धी। अब आकाशवाणी में 20 वर्षों से कार्यरत स्टेशन डायरेक्टर को अचानक दूरदर्शन में स्टेशन डायरेक्टर बना दिया जाता है। वह एकदम उस माध्यम के लिए कैसे काम कर सकता है जिसके बारे में उसे बिल्कुल जानकारी नहीं है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी इसमें उच्च स्थान पर आते हैं। वे तो वहां स्थायी रूप से नहीं रहते, जब पदोन्नत होते है तो वहां से चले जाते हैं। सेवाओं में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि विशिष्टीकरण हो, और जब वे विशेषज्ञ हो जायें तो उन्हें भरोसा होना चाहिए कि उन्हे बेहतर वेतन तथा निश्चित पदोन्नति मिलेगी ताकि उनमें उत्साह रहे।

यदि आप इस प्रकार काम करें ता मुझे यकीन है कि इतने तेजस्वी, सक्रिय एवं सक्षम मंत्री के नेतृत्व में हम इन माध्यमों द्वारा देश को राष्ट्रीय प्रयासों से धर्मनिरपेक्ष वैज्ञानिक एवं एकता के दृष्टिकोण की ओर ले जायेंगे।

श्रीमती किशोरी सिंह (वैशाली) : महोदय, सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय सरकार की अत्यन्त महत्वपूर्ण शाखा है। इस मंत्रालय पर रेडियो तथा दूरदर्शन के माध्यम से लोगों में विकास तथा सामाजिक एवं राजनैतिक समस्याओं के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने की जिम्मेदारी है।

हमारे देश को न केवल विघटनकारी ताकतों के कारण बल्कि अभाव में रह रहे लोगों के कारण भी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। हम इन माध्यमों के जरिए देश में एकता और अखण्डता की भावना पैदा करना चाहते हैं और गरीबी तथा अभाव को समाप्त करने के लिए किए गए विभिन्न उपायों की सक्षमता में विश्वास जगा सकते हैं।

यह बात सर्वमान्य है कि शिक्षा के बिना वह चाहे औपचारिक हो या अनौपचारिक, हम देश को आगे बढ़ाने के लिए लोगों की शक्ति पर भरोसा नहीं कर सकते। रेडियों तथा दूरदर्शन शिक्षा, कृषि, तथा विकास सम्बन्धी कार्यों तथा अन्य समस्याओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

इसलिए मंत्रालय को 1985-86 में 112 करोड़ की तुलना में 1986-87 में उससे दो गुना से अधिक अर्थात् 242 करोड़ की धनराशि मिली है। यह हमारी सरकार की सूचना की शक्ति तथा क्षमता के प्रति समय रखने की भावना की द्योतक है। एक समय यह कहा जाता था कि "जानकारी में ही शक्ति है।" किन्तु अब हम ऐसी स्थिति की ओर अग्रसर हैं जिसमें सूचना ही शक्ति है। हमें इसका मतलब सही ढंग से समझना होगा; तब हम हालात पर पूरी तरह काबू पा जायेंगे, अन्यथा हम "सूचना-क्रांति" के दास बनकर रह जायेंगे।

1982 में टी० वी० के 25 अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटरों की स्थापना से हमें उपग्रह पर

आधारित संचार व्यवस्था की क्षमता का पता चला। ऐसे 180 स्टेशन बनाने के लिए मैं सरकार को बधाई देती हूं। मैं सुझाव देती हूं कि इनकी संख्या बढ़ाकर प्रत्येक राज्य में 400 कर दी जाये ताकि सभी जिलों में एक स्टेशन रहे। इसके लिए केवल 100 करोड़ रुपये की जरूरत होगी पर इससे बहुत फायदा होगा।

टेलीविजन से जागरुकता बढ़ती है—जोकि 70 प्रतिशत निरक्षर जनता वाले देश के लिए जरूरी है। जनता को साक्षर करने का जो कार्यक्रम जारी है उसकी लागत हजारों करोड़ बैठेगी पर जन जागरण कार्यक्रम पर कुछ हजार करोड़ रुपये ही खर्च होंगे।

जन जागरण कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए टेलीविजन को इस कार्यक्रम पर अवश्य ध्यान देना चाहिए जिसके लिए हमारे पास·····

(एक) हर गांव में एक टेलीविजन सैट, खासकर बड़े पर्दे का होना चाहिए।

(दो) देश भर में प्रसारण के लिए कम शक्ति के ट्रांसमीटर और उच्च शक्ति के ट्रांसमीटर होने चाहिए। मुझे मालूम है कि सरकार की इस सम्बन्ध में योजना है।

(तीन) हर भाषा में प्रसारण। टेलीविजन पर भी त्रि-स्तरीय प्रसारण कार्यक्रम लागू होना चाहिए।

(चार) उपयुक्त साप्टवेयर। बहुत से धारावाहिक दिखाए जा रहे हैं पर 'रजनी' और 'खानदान' जैसे कुछ कार्यक्रमों को छोड़कर अन्य संतोषजनक नहीं हैं।

जैसा कि स्वयं प्रधान मन्त्री ने टिप्पणी की है, समाचार का प्रसारण भी स्तर के अनुरूप नहीं है। खेद की बात है कि जोशी समिति की रिपोर्ट पर कार्यवाही नहीं की गई है।

यहां मैं मन्त्री जी का ध्यान 13 अप्रैल के टाईम्स आफ इंडिया की रविवारीय पत्रिका में श्री खालिद मोहम्मद लिखित एक लेख की ओर दिला दूं अगर उन्होंने अब तक उसे न देखा हो। मेरा सुझाव है कि लेख में लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की जानी चाहिए और अगर उन आरोपों में कुछ आधार हो तो उपयुक्त कार्यवाही की जाए।

टेलीविजन का बहुत आकर्षण है पर हमें रेडियो की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। सुना हुआ शब्द अधिक महत्व रखता है। हमारे पूर्वजों ने भी "श्रुति" को "स्मृति" से अधिक महत्व दिया था। इस मामले में "श्रुति" रेडियो है। कुछ बातों में आकाशवाणी की क्षमता टेलीविजन से अधिक है। हमने गाय चराने वाले लड़के या हलवाहे को गले में रेडियो लटकाए गाना या समाचार आदि सुनते देखा है। हर क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा में प्रसारण के लिए नीति सम्बन्धी निर्णय लिया जाना चाहिए ताकि ये प्रसारण लोकप्रिय बने रह सकें।

प्रसारण लोगों के मूल्यों को बनाने और रूपरेखा देने में मदद करता है। टेलीविजन और

[श्रीमती किशोरी सिंह]

रेडियो के माध्यम से वे महसूस कर सकते हैं कि राष्ट्र-निर्माण में उनकी भी भागी दारिता है और जीवन के अर्थ को गहराई से समझ कर वे समाज में अन्याय और असमानता को कम करने में सक्रिय तौर पर सहायता कर सकते हैं।

सरकार का लक्ष्य यह होना चाहिए कि देश के सभी हिस्सों तक उसकी पहुंच हो और इसमें भी उन सीमावर्ती क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए जो कि अब पड़ौसी राज्यों के रेडियो द्वारा किए जाने वाले प्रोपेगंडा के शिकार हो गए हैं, ताकि वहां के लोग हमारे संगीत, समाचार और अन्य कार्यक्रमों को सुन सकें।

मुझे खुशी है कि सातवीं योजना में 700 करोड़ रुपये की अनुमाति लागत पर रेडियो नेटवर्क में विस्तार किया जाएगा।

मेरा सुझाव है कि आकाशवाणी को अपने मीडियम वेव ब्राडकास्ट पर अधिक ध्यान देना चाहिए जोकि एक बैंड के रेडियो के सीमाक्षेत्र के अन्तर्गत है।

फ्रीक्विंसी मोडयूलेटर ट्रांसमीटर बॉड्कास्ट लगाए जा रहे हैं पर प्रस्ताव है कि इन्हें 4 से बढ़ाकर 8 किया जाए। शहरी क्षेत्रों के बजाय ये ब्राडकास्ट ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए जाने चाहिए।

बिहार के बहुत से हिस्से प्रसारण की सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आते। बहुत से हिस्सों में प्रसारण साफ नहीं आ पाता। भाजिका जैसी बहुत सी स्थानीय भाषाओं में प्रसारण नहीं होता जबकि इसके लिए मैं बहुत सालों से मंत्रालय से अनुरोध कर रही हूं। मेरा सुझाव है कि एक दूसरा चैनल बनाया जाए। मुझे बताया गया है कि दूरदर्शन के पास अपना समाचार कक्ष हो गया है। अब तक इसके पास अलग से समाचार प्रभाग नहीं था। अपने समाचार बुलेटिनों के लिए उसे आकाशवाणी पर निर्भर रहना पड़ता है। प्रधान मन्त्री के अनुसार ये ऐसे प्रेस रिलीज लगते हैं जिनमें दृश्य सामग्री अधिक नहीं होती। दृश्यों के लिए उपकरण स्थल पर फोटों के लिए व्यक्तिगत क्षमता आदि सहित व्यापक समाचार नेटवर्क की जरूरत होती है। इसके लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा आकाशवाणी-दूरदर्शन का एक मिला-जुला समाचार संवर्ग जरूरी है क्योंकि आगामी वर्षों में मनोरंजन, समाचार, शिक्षा, कृषि और राष्ट्रीय विकास के अन्य घटकों के प्रचार के लिए रेडियो और टेलीविजन सेवा का बहुत विस्तार किया जाएगा।

इस सबके लिए बहुत अधिक व्यवसायिकरण की जरूरत है। मुझे बताया गया है कि व्यवसायी निर्णय लेने के लिए स्वतन्त्र नहीं है। बहुत हस्तक्षेप किया जाता है या हस्तक्षेप का भय बना रहता है जो कि व्यवसायिक योग्यता के विकास में प्रेरक नहीं है।

मन्त्रियों के भाषण और उनके द्वारा किए जाने वाले उद्घाटनों, भारतीय त्यौहारों, मन्दिरों, मेलों आदि को दिखाने के अलावा टेलीविजन कैमरा को जाकर यह भी पता लगाना चाहिए कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और अन्य परियोजनाओं

का क्या हो रहा है। टेलीविजन को दिखाना चाहिए कि गांवों में क्या परिवर्तन हो रहा है। इससे जागरूकता पैदा होगी कि सरकार क्या कर रही है और अभी भी गरीबी और अभाव में रहने वालों की आशा और प्रेरणा को बनाए रखने में सहायता मिलेगी।

कमेंटेटरों और चर्चा में भाग लेने वालों का चयन विचारों के आदान-प्रदान की उनकी क्षमता के आधार पर किया जाएं न कि उनके नाम और दर्जे के कारण। जरूरी नहीं है कि एक अच्छा पत्रकार एक अच्छा टी० वी० समाचार कमेंटेटर-सी हो। लिखना और बोलना संचार की दो विभिन्न किस्में हैं। जैसा कि प्रधान मंत्री जी कह चुके हैं टेलीविजन साक्षात्कार अक्सर नीरस होते हैं इसलिए कुछ सक्रिय कमेंटेटर और साक्षात्कार कर्त्ता लाईए। क्विज टाईम कन्टेस्ट का संचालन करने वाले सिद्धार्थ बसु को देखिए। उन्होंने क्यूज शो को कितना जीवंत बना दिया है। दूरदर्शन को करार के आधार पर रोजगार देकर भी ऐसे प्रतिभा सम्पन्न लोगों की खोज करनी चाहिए। पुराने पत्रकारों के बजाय दूरदर्शन को कालेज के छात्र छात्राओं में ऐसे लोगों की खोज करनी चाहिए। युवाओं को लाकर प्रशिक्षित करिए। इससे आपको योग्य, मूल और जीवत कमेंटेटर और साक्षात्कार-कर्त्ता मिल जाएंगे। यहां तक की समाचार वाचकों का चयन भी योग्यता के आधार पर किया जाना चाहिए। समाचार पत्रों में, खासकर अमिता मलिक द्वारा, पक्षपात की शिकायतें की गई हैं। इसकी जांच की जानी चाहिए।

फिल्मों के स्तर को सुधारने के लिए राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने बहुत कुछ किया है पर अच्छी फिल्मों को अच्छे थियेटर नहीं मिलते। पहले कम लागत पर निर्मित और मानक डिजायन के छोटे थियेटरों को प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव था। मालूम नहीं उस प्रस्ताव का क्या हुआ।

दूरदर्शन ने अच्छी फिल्मों के प्रीमियर दिखाकर अच्छा काम किया है पर "नई दिल्ली टाईम्स" फिल्म न दिखाने से इसकी ख्याति को क्षति पहुची है। अच्छी फिल्मों में भी बलात्कार, फांसी आदि के ऐसे दृश्य दिखाए जाते है जिन्हें दिखाने से बचा जा सकता है। इसी तरह एक ही बात दिखाई जाती है जैसे सभी जमीदार भ्रष्ट और तानाशाह होते हैं। इससे गलत प्रभाव पड़ता है और तनाव और हिंसा बढ़ती है।

दूरदर्शन पर वस्तुओं की बिक्री बढ़ाने के दिए गए ऐसे विज्ञापनों पर भी कुछ प्रतिबन्ध लगाने की जरूरत है जैसे कि किसी ब्रांड विशेष के साबुन से फिल्म तारिका का रंग गोरा हो सकता है।

दीर्घकालीन अखबारी कागज नीति के बारे में आश्वासन दिया गया है। सरकार को अखबारी कागज को प्रजातन्त्र का कच्चा माल समझना चाहिए और पर्याप्त विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करनी चाहिए। समाचारपत्र विविधता और विस्तार के एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं। सरकारी नीति को इसे प्रोत्साहित करना चाहिए न कि इसे निरुत्साहित करना चाहिए। इसी बीच सरकार को हिन्दी समाचार एजेंसी के उन कर्मचारियों के लिए कुछ करना चाहिए जिनके समक्ष नौकरी से हाथ धो बैठने का खतरा है। इनमें से कुछ को आकाशवाणी में खपाया जा सकता है।

[श्रीमती किशोरी सिंह]

अब चंद शब्द आकाशवाणी के कर्मचारियों, कार्यक्रम अधिकारी और कार्यक्रम तैयार करने वालों के बारे में सरकार संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरती करके अखिल भारतीय सेवा की तरह एक भारतीय प्रसारण सेवा का गठन करने पर विचार कर रही है। मैं जानना चाहती हूं कि मौजूदा कर्मचारियों का क्या होगा। अगर उन्हें खपा भी लिया गया तो कार्यक्रम निर्माताओं के पदोन्नति के अवसर तो बन्द हो जाएंगे। मैं समझती हूं कि अधिकारी वर्ग में चयन ग्रेड पदों पर इनकी भरती की जाती है। माननीय मन्त्री से मेरा अनुरोध है कि इस पर विचार किया जाए और हमें बताया जाए कि सेवा को बनाने के बारे में कब तक निर्णय ले लिया जाएगा।

अन्त में मेरा निवेदन है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन को नौकरशाही के शिकंजे से बचाया जाए और व्यवसायिककरण को प्रोत्साहित और पुरस्कृत किया जाए। प्रधान मन्त्री जी भी यही चाहते हैं।

बिहार के बारे में चन्द शब्द। 100 स्टूडियो बनाने का प्रस्ताव है। क्या मैं अनुरोध कर सकती हूं कि मुजफ्फरनगर में भी एक स्टूडियो होना चाहिए? मन्त्री जी की तीन स्तरीय नीति के अन्तर्गत मुजफ्फरनगर में एक स्टूडियो की व्यवस्था करनी चाहिए। यह उत्तरी बिहार का केन्द्रीय स्थल है और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सेवा कर सकता है। इन शब्दों के साथ मैं सूचना और प्रसारण मन्त्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों का समर्थन करती हूं।

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : आदरणीय सभापति महोदय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के कार्य की बड़ी सतर्कता से मूल्यांकन करने की जरूरत है क्योंकि इस मन्त्रालय का 14 मीडिया यूनिटों से प्रत्यक्ष सम्बन्ध है। इनमें से दो आकाशवाणी और दूरदर्शन है जो देश के राष्ट्रीय जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

महोदय, दूरदर्शन का विस्तार हो रहा है और हर रोज अधिक से अधिक दर्शक इसके कार्यक्रम देख रहे हैं। यह सर्वाधिक व्यापक और लोकप्रिय माध्यम बन गया है। भारतीय समाज के विकास में रुचि रखने वालों को जनसंचार के इस माध्यम के रवैय और जिस दिशा में यह जा रहा है उसे लेकर चिन्ता है।

महोदय, बहुत कम लोगों को स्मरण होगा कि स्वर्गीय डा० विक्रम साराभाई ने ही भारत जैसे अल्प विकसित देश के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए एक साधन के रूप में इस माध्यम की क्षमता को महसूस किया था। हमारे देश में, टेलीविजन की एक सकारात्मक भूमिका है। यह एक ऐसा एकमात्र सर्वाधिक प्रभावशाली माध्यम हो सकता है जिसके माध्यम से अनौपचारिक शिक्षा दी जा सकती है। इस शक्तिशाली माध्यम का उपयोग अनौपचारिक शिक्षा के कारगर माध्यम के तौर पर और निरक्षरता के बंधनों को पार करने के लिए सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह विकास कार्यों के बारे में सूचना और योजनाओं आदि की नई तकनीकी के बारे में सम्भावनाओं और सूचनाएं दे सकता है। कार्यक्रमों का उपयोग पिछड़े और अतार्किक विश्वास और दृष्टिकोण के स्थान पर स्वास्थ्यपूर्ण और प्रगतिशील मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है।

महोदय, इस माध्यम का उपयोग सत्तारूढ़ वर्ग द्वारा अपनी विचारधारा के प्रचार के लिए भी किया जा सकता है ताकि लोग यथास्थिति को स्वीकार कर ले और परिवर्तन के विचारों को त्याग दें।

महोदय, सरकार का दावा है कि टी० वी० नेटवर्क के अन्तर्गत 70% जनता को शामिल कर लिया गया है। लेकिन कार्यक्रम शहरी मध्यम वर्ग पर आधारित होते हैं। कार्यक्रमों को इस तरह से तैयार किया जाता है कि उससे सकारात्मक के बजाय नकारात्मक और हानिकारक प्रभाव अधिक पड़ता है। अधिकतर सभी कार्यक्रमों में पूंजीवादी समर्थक मूल्यों का प्रतिपादन किया जाता है।

मेरे माननीय मित्र श्री फैलीरो जी ने पहले ही बता दिया है कि दूरदर्शन धर्म के प्रति किस तरह का दृष्टिकोण अपनाता है। धर्म निरपेक्षता के नाम पर वे सभी प्रकार के धर्मों और धार्मिक विश्वासों को महत्व देते हैं, जो वास्तव में साम्प्रदायिक भावनाओं को उभारता है। समस्त देश में इस महत्वपूर्ण घटना की घोषणा करने के लिए दूरदर्शन के सभी कर्मचारी रामजन्म भूमि मन्दिर के सामने बड़ी उत्सुकता से इन्तजार कर रहे थे कि इस मन्दिर को एक विशेष सम्प्रदाय के लिए खोला जा रहा है। इस घटना ने सारे देश में साम्प्रदायिक उत्तेजना को उभारा।

इसके बाद, दूरदर्शन पर औरत को किस तरह प्रदर्शित किया जाता है ? उनके कार्यक्रमों और विज्ञापनों से यह धारणा बनती है कि हमारे समाज में औरतों को अधीनस्थ की भूमिका निभाने की ही नियति है। आप रजनी वाले कार्यक्रम का उल्लेख कर सकते हैं जिसके बारे में भी मेरे माननीय मित्र श्री फैलीरो जी ने जिक्र किया है। इस कार्यक्रम की विषयवस्तु क्या है ? यह एक प्रगतिशील कार्यक्रम नहीं है। इसमें एक औरत होती है जो अकेले ही हमारे समाज की सभी बुराइयों के विरुद्ध लड़ती है और किसी की सहानुभूति के बिना विजयी होती है। सारा समाज उसके खिलाफ है। निःसन्देह यह सभी प्रकार के संगठित आन्दोलनों और जनता के सभी प्रकार के संगठित आन्दोलनों के खिलाफ अत्याधुनिक प्रचार है। इस कार्यक्रम की यही विषयवस्तु है। यह एक प्रगतिशील कार्यक्रम नहीं है क्योंकि यह एक औरत का चित्रण करता है।

अपने पैसे बनाने के चाव में दूरदर्शन स्थूल प्रकार के उपभोक्तावाद को बढ़ावा देने के लिए एक साधन बन गया है। इसके विज्ञापन यह सब कुछ प्रकट करते हैं। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने दूरदर्शन पर यूनियन कार्बाइड के उत्पादों के विज्ञापन की अनुमति क्यों दी है। वे यह कहेंगे कि यूनियन कार्बाइड वाले पैसा दे रहे हैं, किन्तु धन कमाने के और भी कई ढंग हैं। आपने यूनियन कार्बाइड के उत्पादों के विज्ञापन की अनुमति क्यों दी हैं, जिस कम्पनी ने भोपाल में हजारों लोगों को मार दिया ? दूरदर्शन में इस प्रकार की विज्ञापन प्रवृत्ति है : मैं इस मामले में आगे विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं।

एक अन्य खामी जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं वह यह है कि कार्यक्रम दिल्ली में केन्द्रीकरण होते हैं। केरल में एक दर्शक को इसलिए कार्यक्रम देखना पड़ता है क्योंकि उसने एक टेलीविजन खरीद रखा है; हालांकि कार्यक्रम का उसकी संस्कृति अथवा भाषा से कोई भी सम्बन्ध नहीं

[श्री सुरेश कुरूप]

होता है। अगर लोगों के लिए कोई भला कार्य करना चाहते हैं तो स्थानीय कार्यक्रमों को बढ़ावा देना चाहिए। यह मैं एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं। केरल में, त्रिवेन्द्रम प्रसारण केन्द्र की क्षमता बहुत सीमित है और साथ वाले जिले के दर्शक मलयालम भाषा कार्यक्रम नहीं देख पाते हैं, किन्तु वे दिल्ली से प्रसारित कार्यक्रम को देखते हैं।

जिस खेड़ा परियोजना के सबसे अधिक मूल परीक्षण का लोगों ने हार्दिक स्वागत किया था, उसे भी पहले से रद्द कर दिया गया है। इस परियोजना का सभी ने स्वागत किया था। मन्त्री महोदय को यह स्पष्ट करना चाहिए कि किन परिस्थितियों में इसे रद्द कर दिया गया था और फिर से क्यों प्रयास नहीं किया गया। जैसा कि जोशी समिति के प्रतिवेदन में कहा गया है कि दूरदर्शन के लिए एक भारतीय व्यक्तित्व के विकास के लिए, इस तरह के स्थानीय कार्यक्रम जो लोगों की समस्याओं से सम्बन्ध रखते हैं को बढ़ावा देना चाहिए। दूरदर्शन को लोगों

5.00 म० प० की समस्याओं का प्रसारण करना चाहिए और अब स्थिति क्या है ? जब तक प्रधान मन्त्री दौरा नहीं करते तब तक दूरदर्शन को सूखा पड़ने या बाढ़ों का पता नहीं चलता है। और यहां भी, दूरदर्शन बाढ़ अथवा सूखे के कारण लोगों की कठिनाइयों की बजाए प्रधान मन्त्री की छवि का प्रसारण करता है।

(व्यवधान)

किसी क्षेत्र में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की उपस्थिति के बिना भी दूरदर्शन वहां बाढ़ और सूखे पर ध्यान क्यों नहीं देता है। अगर वे अपने कार्यक्रमों की लोगों द्वारा स्वीकृति चाहते हैं तो उन्हें जनता की समस्याओं को निरन्तर प्रसारित करना चाहिए। इन सब बातों के लिए कार्यक्रम में सुधार लाना चाहिए। दूरदर्शन को कम से कम आकाशवाणी के सम्वाददाताओं पर निर्भर रहना छोड़ देना चाहिए। मेरे माननीन सहयोगी द्वारा भी इस मुद्दे का जिक्र किया गया था। आकाशवाणी के लिए रिपोर्टिंग करना दूरदर्शन के लिए रिपोर्टिंग करने से बिल्कुल भिन्न है। इस प्रकार, दूरदर्शन के पास अपने सम्वाददाताओं का दल होना चाहिए और अधिक से अधिक पेशेवरों को इसमें आने के लिए उत्साहित करना चाहिए।

अब, किस निश्चित प्रयोजन के लिए सरकार इस माध्यम का उपयोग कर रही हैं ? वे इसे अपने संकीर्ण पक्षपात पूर्ण कारणों के लिए उपयोग करते हैं। हमारे देश में, दूरदर्शन नेटवर्क विस्तार में धन की कमी की वजह से कभी भी देरी नहीं की गयी। ऐसा इस कारण नहीं है कि सरकार विकास की गतिविधियों के लिए बहुत उत्सुक है, किन्तु इसलिए कि वे कुछ व्यक्तियों और सत्तारूढ़ दल की छवि को दर्शाना चाहते हैं।

5.02 म० प०

[श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए]

श्रीमान दूरदर्शन में कुछ कार्यक्रमों की घोषणा की जाती है और उनका व्यापक प्रचार भी किया जाता है और फिर अज्ञात कारणों की वजह से कार्यक्रमों को रद्द कर दिया जाता है। यहां

पर न्यू दिल्ली टाइम्स फिल्म के रद्द करने के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। दूरदर्शन निदेशक भी इस बारे में कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सके है। इसके बाद, श्री कुन्दन शाह की फिल्म के साथ क्या हुआ ? स्वयं दूरदर्शन ने इस परियोजना का कार्य उनको सौंपा था किन्तु अब वे इसका प्रसारण नहीं कर रहे हैं ! इस मामले का क्या हुआ ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : कौन सी फिल्म ?

श्री सुरेश कुरूप : 'द पुलिस स्टेशन'।

श्री वी० एन० गाडगिल : इस कभी स्वीकार नहीं किया गया था।

श्री सुरेश कुरूप : आपने ही उनको यह कार्य सौंपा था।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : मैंने आपसे उनके साथ बात करने के लिए अनुरोध किया था किन्तु आपने ऐसा नहीं किया।

श्री सुरेश कुरूप : कीमतों में बढ़ोत्तरी के खिलाफ दिल्ली बन्द के बारे में दूरदर्शन ने खबरों को पेश करने के संबंध में अनुचित पक्षपात दिखा कर अपने पिछले कार्यों को मात दे दी और खबरों के साथ खिलवाड़ करने का यह एक शर्मनाक कार्य था। और कुछ मुख्य घटनाओं की रिपोर्ट देने में दूरदर्शन असफल रहा। गत गुरुवार को यहां दिल्ली में एक बहुत बड़ी घटना हुई। देश के विभिन्न भागों से मुस्लिम औरतें यहां आयी और संसद भवन के सामने तथाकथित मुस्लिम महिला संरक्षण विधेयक के विरुद्ध प्रदर्शन किया और यद्यपि इस बारे में संगठन कर्त्ताओं द्वारा पर्याप्त सूचना दी गयी थी किन्तु दूरदर्शन ने इस पर रिपोर्ट देने से इन्कार कर दिया। और उसी समय इस विधेयक के समर्थन में एक मामूली प्रदर्शन भी हुआ और इसका अनुचित प्रचार किया गया।

श्री वी० एन० गाडगिल : इसका प्रसारण नहीं किया गया था।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यह दिखाया तो नहीं गया था किन्तु इसका समाचार दिया गया था। दोनों दिन मैंने अच्छी तरह समाचार सुने थे और हम यह समझ सकते हैं कि आप किसका पक्ष ले रहे है।

श्री सुरेश कुरूप : प्रत्येक खबर तथा प्रत्येक घटना जो सत्तारूढ़ दल के बारे में स्पष्टवादी है उसको कम महत्व दिया जाता है, मोड़ा जाता है और अनिच्छा से उसका समाचार दिया जाता है। आकाशवाणी तथा दूरदर्शन की खबरों को बार-बार मोड़ने की उपलब्धता उस सत्य को हमारे सामने लाती है कि इस संचार के माध्यम पर सरकार का नियंत्रण हमेशा गलत खबर देने के लिए एक लाइसेंस के रूप में उपयोग किया जाता है। और यह राजकोष के खर्चे पर किया जाता है ! अधिकारियों तथा सरकार को यह महसूस करना चाहिए कि दूरदर्शन माननीय प्रधान मंत्री की 'मिस्टर क्लीन' की छवि प्रसारित करने के लिए नहीं है।

[श्री सुरेश कुरूप]

प्रश्न यह है कि क्या आप इसे हमारे देश के लाखों लोगों की दशा सुधारने के लिए एक माध्यम के रूप में उपयोग करने के लिए तैयार हैं जैसी कि विक्रम सारा भाई जैसे महानुभावों ने कल्पना की थी ? अगर आप इस पर गम्भीरता से विचार कर रहे है तो आपको तुरंत ही श्री पी० सी० जोशी समिति के प्रतिवेदन को कार्यान्वित करना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषणा समाप्त करता हूं।

श्री सुनील दत्त (बम्बई उत्तर पश्चिम) : सभापति महोदय, श्रीमान् मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर इस पुनीत सदन में बोलने का अवसर दिया। किन्तु श्रीमान मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मुझे थोड़ा सा समय और दें, एक संसद सदस्य के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो इस मंत्रालय से पिछले तीस वर्षों से सम्बद्ध रहा है।

सभापति महोदय : ठीक है आपको समय मिलेगा।

श्री सुनील दत्त : क्योंकि जब भी आप घंटी बजायेंगे मेरे दिल की धड़कन बन्द हो जायेगी। जैसा कि आप जानते हैं मैं एक भावुक अभिनेता हूं और इस तरह मेरे विचारों की निरंतरता समाप्त हो जायेगी।

सभापति महोदय : आपका समय दिया जायेगा।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : रंगमंच में तो आप तीन-तीन घंटियों के आदि हैं।

श्री सुनील दत्त : बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं इस विषय पर इसलिए बोलना चाहता हूं क्योंकि यह विषय मेरे दिल में बसा हुआ है और इसका संबंध फिल्मों, रेडियो तथा प्रेस माध्यम से है। किन्तु आज मैं फिल्मों के बारे में नहीं बोलूंगा क्योंकि इस विषय पर मैं पहले अपने विचार प्रकट कर चुका हूं। आज मैं ऐसे माध्यम पर अपने विचार व्यक्त करूंगा जो आजकल हमारे देश में एक बहुत महत्वपूर्ण वस्तु बन गया है, उस छोटे से डिब्बे के बारे में प्रत्येक परिवार का सदस्य बन गया है और वह छोटा सा डिब्बा जो हमारे देश के लाखों बच्चों और देशवासियों के दिमागों का विकास कर रहा है और वह साधन दूरदर्शन है। हमारे देश में इसका उदगम 27 वर्ष पहले हुआ था। आज वह छोटा सा डिब्बा पूरा सन्दूक बन गया है। अब यह वयस्क हो गया है। और सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक अर्थात 1990 तक इसके लिए प्रस्तावित 700 करोड़ रुपये से हमारे पास 376 प्रसारण केन्द्र, 48 कार्यक्रम निर्माण केन्द्र होंगे और हमारे देश की 80 प्रतिशत जनता की इस माध्यम तक पहुंच हो जाएगी। इस मंत्रालय ने महत्वाकांक्षी कार्यक्रम निर्धारित किये हैं। उन्होंने विस्तार सम्बन्धी कई कार्यक्रम निर्धारित किये हैं और अगर वे उनको पूर्णतया लागू कर सकेंगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि वे सुन्दर ढंग से यह कार्य करने के योग्य होंगे। इस सदन में कुछ प्रमुख सदस्यों से मैंने सुना है कि कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में कई कठिनाइयां रही हैं और हम

इससे सहमत भी हैं कि कठिनाइयां रही हैं। किन्तु मुझे पता लगा है कि हमारी राष्ट्रीय नेटवर्क सेवा में राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए केवल 155 मिनट हैं जबकि प्रादेशिक कार्यक्रमों के लिए हमारे पास प्रतिदिन 3 घण्टे का बहुत अधिक समय है। इस प्रकार हम प्रादेशिक कार्यक्रमों कोटाल नहीं रहे हैं। जिस वस्तु के लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया गया है और जिसके लिए मैं मंत्रालय माननीय मंत्री और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री की प्रशंसा करना चाहता हूं उन्होंने भारतीय टेलीविजन के लिए संयुक्त रूप से भारी प्रयास किया है। यहां लाये गये और संस्थापित किये गये सभी उपकरण बहुत बढ़िया हैं। आजकल जिस एकमात्र समस्या का हम सामना कर रहे हैं वह टेलीविजन के लिए साफ्टवेयर की कमी की है। और श्रीमान, 'साफ्टवेयर' के लिए हमने जोशी आयोग की नियुक्ति की थी जिसने पहले से ही यह रिपोर्ट दे दी है कि किस तरह के 'साफ्टवेयर' होने चाहिए। अगर आपने 80 प्रतिशत जनता तक यह सुविधा पहुंचानी है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और उपयुक्त किस्म के 'साफ्टवेयर' की उपलब्धि करानी पड़ेगी। और यह 80 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है। मेरा सदन से अनुरोध है कि हमें एकजुट होकर ऐसे 'साफ्टवेयर' की उपलब्धता करानी चाहिए। जिससे हमें विश्वास है कि हम देश के गरीब से गरीब लोगों का उत्थान कर सकेंगे।

हमारे समाज में केवल 2 प्रतिशत विशिष्ट वर्ग के व्यक्ति हैं। अगर आप मुझसे पूछे तो उन्हें दूरदर्शन की आवश्यकता नहीं है। उनमें से प्रत्येक के घर में विडियो टेप रिकार्डर होता है। उनके पास जितने वे चाहे उतने विडियो कैसेट है। वे अपने टेलिविजन में उनको भरते हैं और अपने घरों में अपना मनोरंजन करते हैं।

परन्तु इस माध्यम का प्रयोग केवल मनोरंजन के लिए ही नहीं किया जाना चाहिए इस माध्यम का उपयोग देश की जनता को शिक्षित करने के लिए किया जाना चाहिए देश के गरीब लोग व गांवों की औरतों को शिक्षित करने के लिए किया जाना चाहिए ताकि वे यह जान सके कि उचित स्वच्छता क्या है ? उचित रहन-सहन क्या हैं, शिक्षा क्या है।

आज हमारे देश में लोग नारों और भाषणों से उकता चुके है। कोई भी भाषणों को सुनना पसन्द नहीं करेगा। लोग उसे देखेगे जो कि कुछ मनोरंजक हो। इसलिए हमें उन्हें मनोरंजन कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षित करना चाहिए।

जैसा आप जानते हैं जब एक छोटा बच्चा खाना नहीं खाता तो उसकी मां सभी सम्भव तरीके से उसे खिलाना चाहती है उसमें चीनी या शहद आदि रखके ताकि बच्चा दूध पिये और उसका विकास हो और वह एक शक्तिशाली व्यक्ति बने। मैं सदन से यह अपील करता हूं कि इस माध्यम का अर्थात टी० वी० का भी इसी प्रकार प्रयोग करना चाहिए।

हम मनोरंजन के बारे में बहुत कठोर या सख्त नहीं हो सकते। मैं नही जानता कि मनोरंजन के सम्बन्ध में लोगों की अवधारणा क्या है ? जब मैं महाभारत पढ़ता हूं तो मेरा मनोरंजन होता है। जब मैं रामायण पढ़ता हूं तो मेरा मनोरंजन होता है। यदि आप सन्तुष्ट है तो आपका मनोरंजन हो रहा है।

[श्री सुनील दत्त]

मुझे याद है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी ने एक बार बुद्धिजीवियों की सभा में क्या कहा था। उन्होंने कहा था "मैं इन बुद्धिजीवियों से अपील करती हूं कि उन्हें झोपड़-पट्टियों में अवश्य जाना चाहिए, उन्हें गांवों में जाना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए कि उनकी समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए।" शुरू में झोपड़-पट्टियों और गांवों में रहने वालों को बुद्धिजीवियों की भाषा समझना कठिन हो सकता है परन्तु यदि वे बार-बार जाते हैं तो झोपड़-पट्टियों के लोग उनकी भाषा समझना शुरू कर देंगे और वे अच्छे मनुष्य बन जायेंगे। हमें थोड़ी-थोड़ी मात्रा में शिक्षा देनी चाहिए।

परन्तु कार्यक्रम बनाने के लिए हमारे पास उचित व्यक्ति होने चाहिए। यह सबसे आवश्यक है। अन्यथा यह छोटा बक्स एक शेर है यदि इस शेर को उचित ढंग से खाना नहीं मिला तो यह नरभक्षी बन जायेगा और जब यह नरभक्षी बन जायेगा तो इसे नियन्त्रित करना बहुत कठिन हो जायेगा इसलिए इस शेर के नरभक्षी बनने से पहले उचित बातों को करना हमारा कर्त्तव्य है इस शेर के लिए उचित कार्यक्रम जुटाना हमारा कर्त्तव्य है जो कि हम इस टी०वी० को बनाना चाहते हैं।

मेरे कुछ सुझाव हैं जो मैं सदन के समक्ष रखना चाहूंगा। यह मंत्रालय ठीक था जब तक कि फिल्म, रेडियो व प्रैसमीडिया इसके साथ थे। आज हमारे पास दूरदर्शन है जिसके लिए बहुत से कार्यक्रमों को तैयार किया जा रहा है जिसका उल्लेख जोशी आयोग की रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजों में किया गया है जिन्हें मैं पढ़ चुका हूं। मुझे मालूम है कि बहुत से प्रतिष्ठान और बहुत से उत्पादन-गृह पहले से ही हैं। इस विशाल टी०वी० के जाल का पोषण करने के लिए हमें बहुत से सामान की आवश्यकता पड़ेगी। भारतीय टी०वी० अपने आप में ही एक विभाग है। इस सदन से मेरा अनुरोध है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय का टी०वी० के आने के साथ ही दर्जा बढ़ाया जाना चाहिए और इसे पूर्ण मंत्रालय बनाना चाहिए। वरना इस मन्त्रालय के लिए इस विशाल कार्य का प्रबन्ध करना कठिन हो जायेगा। आप यह अन्दाजा नहीं लगा सकते हैं कि देश के भिन्न-भिन्न भागों में रहने वाले विभिन्न भाषायें बोलने वाले, अलग-अलग रीति-रिवाजों वाले लोगों को उनकी रुचि के अनुसार कार्यक्रम दिखाना कितना कठिन है। हमें अलग-अलग भाषाओं में कार्यक्रम बनाने पड़ते हैं हमें क्षेत्रीय कार्यक्रम बनाने पड़ते हैं वैज्ञानिक एवं शैक्षणिक कार्यक्रम बनाने पड़ते हैं। यह एक बहुत बड़ा प्रयत्न है। इसीलिए मेरा अनुरोध है कि इस मन्त्रालय का दर्जा बढ़ाया जाना चाहिए और इसे पूर्ण मन्त्रालय बनाया जाना चाहिए ताकि इसके कन्धे पर जो भारी बोझ रखा गया है उसे यह वहन कर सके।

सभी मन्त्रालयों के पास दूरदर्शन के लिए फिल्में बनाने के कार्यक्रम हैं परन्तु उनके कार्यक्रमों का आयोजन सूचना और प्रसारण मन्त्रालय का कार्य होना चाहिए। यदि सभी मंत्रालय फिल्म बनाना शुरू कर देंगे तो वे अपने कार्यक्रम कैसे लागू करेंगे। उन्हें अपने कार्यक्रम अवश्य ही लागू करने चाहिए। इसीलिए सभी मंत्रालयों को अपने विचार, अपने कार्यक्रमों की योजना सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय को उनके लिए फिल्म बनाने के लिए देनी चाहिए।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि यह एक श्रेष्ठ संस्थान होना चाहिए। यदि हम अपने टी०वी० को जल्दी ही 21वीं शताब्दी में ले जाना चाहते हैं तो हमारा एक उच्च कोटि का संस्थान होना चाहिए जहां हमें कल टी०वी० व्यवसाय के लोगों को यह सिखाना चाहिए कि कैमरे के सामने कैसे आयें, कैमरे के सामने कैसे व्यवहार करें; कैसे सही तरीके से बातचीत करें। हमें कैमरे की नई तकनीक सिखानी चाहिए, आवाज की नई तकनीक सिखानी चाहिए। ये सभी तकनीक और प्रौद्योगिकी इस संस्थान में सिखानी चाहिए और इसे जल्दी से जल्दी लिया जाना चाहिए।

वह पैसा जो दूरदर्शन फीचर फिल्मों के लिए दे रहा है मूंगफली की तरह है। हमारे देश की 70% जनसंख्या 70 करोड़ लोग एक फिल्म या दूरदर्शन देखते हैं और उस फीचर फिल्म के लिए वे फिल्म उत्पादक को 3 या 4 लाख रुपया देते हैं जोकि फिल्म की श्रेणी पर निर्भर करता है। यदि आप मूंगफली खरीदना चाहते हैं तो आपको कम से कम 20 नये पैसे देने पड़ते हैं। परन्तु इसका खर्च तो प्रति व्यक्ति 20 पैसे से भी कम हो सकता है। मेरा तर्क है कि इन फीचर फिल्मों के लिए जो कि कठिनाई से बनाई जाती हैं, जिसे विडियो लुटेरा खा रहा है और आज फिल्म उद्योग के समक्ष समस्याओं के साथ, ए बी और सी तीनों श्रेणी की फिल्मों के लिए कीमत बढ़ाई जानी चाहिए।

सांस्कृतिक पहलुओं, क्षेत्रीय पहलुओं और कार्मिक पहलुओं पर जोर देना महत्वपूर्ण है परन्तु प्रश्न यह है कि किस सीमा तक। धर्म निरपेक्षता का अर्थ यह नहीं है कि हमारा कोई धर्म नहीं है इसके विपरीत इसका अभिप्राय है कि हमारा धर्म है परन्तु धर्म को अनावश्यक महत्व देना, बुरी बात है। यदि आप गलत महत्व देते हैं तो वह भी बुरा है। मै निश्चित रूप से सूचना व प्रसारण मन्त्रालय से सहमत हूं और माननीय मन्त्री जी का आदर करता हूं कि वे चार्ल्स शोभराज को महत्व नहीं देते। वास्तव में मुझे बुरा लगा जब मैंने समाचार पत्र के मुख्य शीर्षकों में देखा कि चार्ल्स शोभराज जेल से भाग गया। इसे ऐसे होना चाहिए था कि जेल अधिकारियों की उपेक्षा के कारण एक अपराधी जेल से भाग गया। क्या आप भी चार्ल्स शोभराज को उतना महत्व देते हैं? यही हमारी प्रैस गलती करती है। मैं एक उदाहरण दूंगा। मैं मध्य प्रदेश के नालों में एक फिल्म के लिए शूटिंग कर रहा था। कुछ व्यक्ति आये और उन्होंने मुझे रामसिंह नामक एक डाकू के बारे में एक कहानी सुनाई। राम सिंह सेना से भाग गया और एक डाकू बन गया। वह लोगों को मारता था और अगले दिन स्थानीय समाचार पत्रों में पं० नेहरू और जो कुछ उन्होंने किया उसके बारे में समाचार आता था और उस डाकू राम सिंह के बारे में भी कि उसने कैसे 4 आदमियों को मारा व 2 औरतों का अपहरण किया। तब वह चारपाई पर बैठकर सभी डाकूओं को बुलाता और उन्हें समाचार पढ़कर सुनाता। वह उन्हें बताया करता था कि "देखो यह पं० जवाहर लाल नेहरू के बारे में समाचार है और इससे अगली खबर मेरे बारे में है।" मैं समझता हूं कि प्रैस को इन बातों को इस प्रकार नहीं लेना चाहिए। मेरा सदन से अनुरोध है कि हमें चार्ल्स शोभराज को महत्व दिये जाने पर जोर नहीं देना चाहिए। उसे क्यों महत्व दिया जाए? वह एक साधारण अपराधी है। इस समाचार को छोटा होना चाहिए था। परन्तु मैंने अखबार में देखा कि उसे मुख्य शीर्षक प्राप्त है और आज भी उस व्यक्ति को मुख्य शीर्षक मिल रहा है। यह दिखाता है कि आप अपराधियों को महत्व देते हैं परन्तु जो व्यक्ति वास्तव में अच्छा काम करते हैं उनके

[श्री सुनील दत्त]

लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं ! क्या लाभ है ? (व्यवधान) सारे समाचार-पत्र अपराधियों की खबरों से भरे पड़े हैं और जो व्यक्ति अच्छा कार्य करते हैं उन्हें कोई महत्व नहीं दिया जा रहा। कोई भी व्यक्ति मदर टरेसा के बारे में नहीं लिखता। कोई भी व्यक्ति नोबल पुरस्कार विजेता श्री चन्द्रशेखर के बारे में नहीं लिखता जो कि मन से एक सच्चे भारतीय हैं। हमें इन लोगों के बारे में पढ़ना चाहिए और बातें करनी चाहिए।

दोबारा फिर मैं·····कहता हूं कि यह माध्यम हमारे देश की बहुत बड़ी धरोहर है। इस धरोहर का हमें अधिकतम लाभ उठाना चाहिए। इस माध्यम के द्वारा, शिक्षा एवं शिक्षा संस्थाओं की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली ढंग से गरीबी, गांवों की समस्यायें अज्ञानता आदि को मिटाया जा सकता है और यदि इस माध्यम को उचित ढंग से लिया जाता है, अच्छी प्रकार इसकी देखभाल की जाती है और सही ढंग से प्रस्तुत किया जाता है तो यह निश्चित रूप से देश को 21वीं शताब्दी में ले जायेगा।

अन्त में, मैं एक अन्य बात का पक्ष लेना चाहूंगा। दूसरे पक्ष के सदस्यों ने कहा है कि इस माध्यम का प्रयोग प्रधान मंत्री को दिखाने के लिए किया जा रहा है। मैं कहता हूं कि वे देश के प्रधानमंत्री हैं, कांग्रेस (आई०) के प्रधानमंत्री नहीं हैं। संसार में हर जगह चाहे वह समाजवादी देश हो या पूंजीवादी, यदि एक व्यक्ति राज्य का मुखिया है तो उसे आदर मिलता है। मैं इसे अधिक स्पष्ट करना चाहता हूं कि श्री राजीव गांधी को प्रचार नहीं चाहिए वे देश के प्रधानमंत्री हैं। लोग प्रधान मन्त्री को प्रचार व आदर दे रहे हैं न कि राजीव गांधी को।

मैं फिर कहता हूं कि इस माध्यम को गम्भीरता से लिया जाना चाहिए और मैं हर व्यक्ति से सहयोग देने का अनुरोध करता हूं ताकि इस माध्यम को वास्तव में लाभदायक बनाया जा सके।

डा० फूलरेणु गुहा (कन्टई) : मैं माननीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री द्वारा इस सदन में प्रस्तुत की गई अनुदान की मांगों का समर्थन करती हूं।

मैं मन्त्रालय को कार्य की मात्रा तथा गुण दोनों पहलुओं से विस्तार के लिए बधाई देती हूं। परन्तु पिछले कुछ वर्षों में जहां तक इस मन्त्रालय के नियंत्रणाधीन विभिन्न प्रचार माध्यमों जैसे आकाशवाणी, दूरदर्शन, प्रैस सूचना ब्यूरो, विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार महानिदेशालय एवं दूसरे विभागों के प्रबन्ध का संबंध है, सरकार द्वारा जो प्रचार किया जाता है और जो कुछ वास्तव में हो रहा है उसमें भारी अन्तर है। मैं इस तथ्य से इन्कार नहीं करती कि हमारे देश में जनसंचार के साधनों का काफी विस्तार हुआ है, विशेषकर दो साधनों रेडियो व टी०वी० का। नये रेडियो-स्टेशन खोले गये हैं और टी०वी० ट्रांसमीटर लगाये गये हैं। मैं यह सुझाव देना चाहती हूं कि टी०वी० और विशेषकर रेडियो में उच्च दक्षता प्राप्त व्यक्तियों को लगाया जाना चाहिए। मैं महसूस करती हूं कि जिस नीति का अब अनुसरण किया जा रहा है उस पर दोबारा विचार करने की आवश्यकता है। मेरा सुझाव है कि सरकार द्वारा एक सांस्कृतिक आयोग की स्थापना

की जानी चाहिए जिसमें विभिन्न विभागों और मन्त्रालयों का प्रतिनिधित्व हो। मैं अन्य राज्यों के बारे में नहीं जानती। परन्तु मेरे राज्य पश्चिमी बंगाल में सुबह ग्रामीण व्यक्तियों एवं किसानों के लिए कुछ कार्यक्रम होते हैं।

मैं जानना चाहती हूं कि किस किसान या ग्रामीण के पास इतना समय है कि वह सुबह रेडियो को सुने।

प्रौढ़ शिक्षा या कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रमों को समस्त देश में कम से कम एक सप्ताह में दो बार दूरदर्शन और रेडियो द्वारा दिखाया जाना चाहिए क्योंकि ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं। परन्तु मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि दूरदर्शन और रेडियो के पास प्रौढ़ साक्षरता या कार्यात्मक/साक्षरता या अन्य इस प्रकार के कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त समय नहीं है।

मैं एक और बात भी कहना चाहती हूं। लोगों की सामान्यत: यह धारणा है कि सभी सरकारी क्षेत्रों के उपक्रम ठीक प्रकार कार्य नहीं कर रहे हैं। मैं सुझाव देती हूं कि सरकारी क्षेत्र की सफलता के बारे में कोई समाचार होना चाहिए। यह कहानियों में या उदाहरणों के रूप में होना चाहिए न कि एक पंक्ति के समाचार के रूप में। मैं यह भी सुझाव देना चाहती हूं कि सफल सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर लघु फीचर फिल्मों द्वारा प्रकाश डालना चाहिए।

हमारे देश में फीचर फिल्मों के उत्पादन में बढ़ोत्तरी हुई है परन्तु उनमें से कुछ जैसे होने चाहिए थे वैसे नहीं हैं। फिल्मों के सेन्सर के लिए एक ही तरह का मानक तरीका होना चाहिए। साथ-साथ एक ऐसा प्रभावी तन्त्र भी होना चाहिए जो बेईमान फिल्म निर्माताओं के कार्य को बंद कर सके। कुछ बेईमान फिल्म निर्माता स्थापित मानकों की परवाह नहीं करते हैं परन्तु वे फिल्म केवल पैसा कमाने के लिए बनाते हैं। यह बन्द किया जाना चाहिए। मेरा माननीय मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि वे इसका ध्यान रखें। कभी-कभी कुछ फिल्में केवल वयस्कों के लिए ही बनाई जाती हैं परन्तु वास्तव में क्या होता है ? यहां तक कि बच्चे भी प्रवेश करने के लिए टिकट पा लेते·····(व्यवधान) कई फिल्मों का उद्देश्य केवल कामवासना ही होता है। हम निश्चित ही इसका विरोध करते हैं। हम इसके बारे में काफी समय से लड़ रहे हैं परन्तु फिर भी ऐसा हो रहा है। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगी कि इस प्रवृति को रोकें। यह हमारे देश के बच्चों के लिए जो हमारे देश के भविष्य के नागरिक हैं, हानिकारक है।

हम चाहते हैं कि हमारे लोग ज्यादा से ज्यादा साक्षर हों। इसके लिए राष्ट्रीय भाषाओं के समाचार पत्र लोगों को कम कीमत पर उपलब्ध होने चाहिएं। अत: एक नीति बनायी जानी है जिसके द्वारा छोटे और मझौले समाचार पत्रों को अखबारी कागज कम दाम पर उपलब्ध हो सके ताकि वे समाचार पत्रों को कम कीमत पर बेच सकें। यदि हम वास्तव में यह चाहते हैं कि हमारे सारे लोग अगली शताब्दी तक साक्षर हो जायें तो हमें ये सब कार्यक्रम चलाने चाहिए।

इनसे व्यापक विविधता वाले विशाल देश में हम सूचना के तीन आधार भूत सिद्धांतों अर्थात शिक्षा और मनोरंजन को अपना सकते हैं, जिनका कि इतने बड़े स्तर पर इस प्रकार से

[डा० फूलरेणु गुहा]

अन्य किसी भी ऐजेन्सी द्वारा प्रबन्ध नहीं किया जा सकता है जितना कि इस मन्त्रालय ने किया है। पहाड़ों में, दूरदराज के स्थानों में या अन्य स्थानों पर जहां इनका पहुंचना साल के कई महीनों तक सम्भव नहीं होता है वहां केवल रेडियो ही इन लोगों की कुछ आवश्यकताओं को पूरा करता है। यद्यपि, मैं समझती हूं कि उन क्षेत्रों में लोगों के लिए कुछ सुधार किया जाना चाहिए परन्तु अभी तक यह नहीं किया गया है। मैं समझती हूं कि अधिक रुचिकर कार्यक्रम इन लोगों के लिए तैयार किये जाने चाहिए।

मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि वे स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान हमारे देश के स्वतन्त्रता सैनानियों के द्वारा किये गये बलिदानों की लोगों को जानकारी दें। सिपाही विद्रोह से लेकर हमारे स्वतन्त्रता आन्दोलन तक सभी तथ्य आपस में सम्बन्धित होने चाहिए। इस सम्बन्ध में यह बात आपके ध्यान में लाते हुए मुझे बहुत खेद है कि स्वतन्त्रता आन्दोलन पर बनी हमारी कुछ फिल्में सही तथ्य पेश नहीं करती हैं। बहुत से स्वतन्त्रता सैनानी जीवित नहीं हैं परन्तु कुछ अभी तक जीवित हैं। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि जब कभी कोई फिल्म स्वतन्त्रता सैनानियों अथवा स्वतन्त्रता आन्दोलन की किसी घटना को चित्रित करे तो इसे निकाले जाने से पहले कुछ स्वतन्त्रता सैनानियों को दिखा देना चाहिए।

विभिन्न राज्यों के कवियों, लेखकों, गायकों, मुद्रकों नृतकों को दूरदर्शन और रेडियो के माध्यम से देश के दूसरे भागों के लोगों से परिचित कराना चाहिए। उनके जीवन, उनके कार्य को दूसरे राज्यों के लोगों से सहानुभूति पूर्वक परिचित कराना चाहिए। विभिन्न क्षेत्रों की पुरानी दस्तकारी को दूरदर्शन और रेडियो पर दिखाना चाहिए। दूरदर्शन और रेडियो देश की संस्कृति और राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रचार माध्यम हैं। देश की एकता के लिए एक तरीका जो हम उपयोग कर सकते हैं वह यह है कि एक भाषा में किये गये कार्य का अनुवाद दूसरी भाषा में किया जाये और इसे रेडियो और दूरदर्शन के माध्यम से प्रसारित किया जाये।

महोदय, अन्तत: मैं आपके माध्यम से माननीय राज्य मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगी कि वे एक राष्ट्रीय संचार नीति बनायें। महोदय यही उचित समय है कि देश की एक राष्ट्रीय संचार नीति हो।

इन शब्दों के साथ, मैं इस मंत्रालय की मांगों का समर्थन करती हूं। धन्यवाद।

सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : सभापति महोदय, माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री इतने अच्छे आदमी हैं कि मैं चाहता हूं कि उन्हें उनके कार्यभार से मुक्त कर दिया जाये। परन्तु सभापति महोदय मैं यह बहुत महसूस करता हूं कि लोकतंत्र के कार्य संचालन में शायद सूचना मंत्रालय को कोई स्थान नहीं है। सूचना के निर्बाध प्रवाह को रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम यह मानते हैं कि सूचना ही शक्ति है और प्रचार माध्यम इतना शक्तिशाली है कि यह परछाई को भी वास्तविकता में बदल सकता है। यह लोगों को असमंजस में डाल सकता है; यह लोगों को

सम्मोहित कर सकता है; यह लोगों को यह विश्वास कराने के लिए सम्मोहित कर सकता है कि हमारा अस्तित्व है ही नहीं। और मैं ऐसे मंत्री को, ऐसे लोकतन्त्र को पसंद नहीं करता हूं जिसके पास इस प्रकार की शक्तियां हों।

महोदय, रिपोर्ट के अनुसार मंत्रालय का कार्य यह है कि वह लोगों को जानकारी दे, शिक्षित करे और उनका मनोरंजन करे। जो कुछ मैं देखता हूं उससे लगता है कि उनकी कोई कार्य निष्पति नहीं है बल्कि वे लोगों के दिमाग में अपनी बात को भरते हैं। वे शिक्षित नहीं करते हैं अपितु गुमराह करते हैं। वे मनोरंजन नहीं करते हैं। मैं समझता हूं कि प्रचार माध्यम का दुरुपयोग ही रहा है और यह काफी समय से मनोरंजन का साधन नहीं रहा है। वे निश्चय ही छवि निखारने का कार्य करते हैं और वे दल के अनुरूप प्रचार करते हैं; और व्यक्तित्वों को उभारते हैं और यदि यही सूचना मंत्रालय का कार्य है तो मैं इसका विरोध करना चाहूंगा।

अब, रिपोर्ट के अनुसार भी यह सरकार और लोगों के मध्य श्रव्य दृश्य सम्पर्क है। वास्तव में यह लोगों और नेताओं और कभी-कभी सूचना मन्त्री के बीच श्रव्य और दृश्य सम्पर्क के अलावा कुछ की नहीं है। मुझे उनसे बहुत अधिक सहानुभूति है। वह अपना कार्य यथा शक्ति अच्छे ढंग से करते हैं और कभी-कभी उनकी कम प्रदर्शन के लिए आलोचना होती है और कभी-कभी उनकी अधिक प्रदर्शन के लिए आलोचना होती है। और वे यह नहीं जानते है कि कहां तक सीमित रहना है और कैसे संतुलन बनाना है। पीछे बैठे बच्चे उनकी उपलब्धता को अच्छी प्रकार आंकते हैं और वे मेडिसन्स ऐवेन्यूज से अवगत हैं और यहां तक कि उन्हें उनकी तरह से सक्षम सूचना मंत्री की आवश्यकता है जिनमें कई प्रकार की कमियां हों।

सभापति महोदय, एक और गंभीर बात यह है कि आज की प्रचार माध्यम नीति राज्य द्वारा नियन्त्रण किये जाने के सिद्धान्त पर आधारित है। मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि राज्यों द्वारा इस पर नियन्त्रण हो। मेरा मतलब केन्द्र के नियंत्रण से है और इसका एक ऐसी बात पर विशेष जोर देने, एक ऐसे सिद्धांत और एक ऐसी बात को प्राथमिकता देने से सम्बन्धित है जिसका विकास और वास्तविकताओं अथवा विकासशील स्थिति की आवश्यकताओं से कोई सम्बन्ध न हो। एक शब्द में कहना चाहूंगा कि प्रचार माध्यम नीति न्यायोचित नहीं है साथ-साथ जनता तथा भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए है। मैं यह कहना चाहूंगा कि भारत में प्रत्येक भाषा रेडियो या दूरदर्शन के किसी एक सेवा केन्द्र या दूसरे के अन्तर्गत एक भाषाई अल्पसंख्यक के रूप में है और सम्भवतः देश के हर स्थान से हमें विशेष प्रसारण स्टेशन के सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत रह रहे भाषाई अल्पसंख्यकों के दावों के बारे में यह शिकायत मिलती है कि उनकी अवहेलना की जा रही है। और मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय किसी स्टेशन के अन्तर्गत रह रहे भाषाई अल्पसंख्यकों के अनुसार उपलब्ध समय का विभाजन करने के सिद्धांत निश्चित करें तथा उनकी वैध आकांक्षाओं को पूरा करें।

महोदय, जैसा कि कई मित्रों ने कहा है रेडियो से प्रसारित किये जाने वाले समाचारों पर विश्वास नहीं किया जाता है। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा परन्तु सच्चाई यही है कि हमारे

[सैयद शाहबुद्दीन]

देश के बहुत से लोग रेडियो पर विश्वास नहीं करते हैं और रेडियो कभी कभी घुमा-फिराकर समाचार देता है। कभी-कभी घटना स्थल पर पहुंचने में बहुत देरी हो जाती है और इसीलिए लोगों को विदेशी केन्द्रों पर निर्भर रहना पड़ता है। यदि आप वार्ताओं और चर्चाओं को लें तो देखेंगे कि भाग लेने वालों का चयन में बहुत हेराफेरी की जाती है और कभी कभी आलेख प्रस्तुत करने के तथा टेप करने के बाद भी उसमें चुपके से कांट-छांट की जाती है और गुप्त तरीके से सेंसर किया जाता है।

मैं मन्त्री महोदय को कई उदाहरण दे सकता हूं परन्तु मेरे पास उन्हें सभा के समक्ष रखने के लिए समय नहीं है। देश में प्रतिभा की कमी नहीं है और मैं समझता हूं कि यदि प्रचार माध्यम का समुचित उपयोग किया जाना है तो इसके पूरी तरह से भिन्न आधार होने चाहिए, वक्ता का चयन चर्चाओं में भाग लेने वालों का चयन अधिक व्यापक आधार पर होना चाहिए और इसमें किसी तरह की कांट-छांट नहीं होनी चाहिए।

जहां तक विदेश सेवाओं का सम्बन्ध है मैं जानता हूं कि हमारे स्पष्ट रूप से दो प्रकार के श्रोतागण हैं भारतीय मूल के लोग और विदेशी श्रोतागण। मैं चाहूंगा कि माननीय मन्त्री महोदय हमें यह बतायें कि क्या उनके पास इस बात को प्रमाणित करने के लिए कोई वैज्ञानिक सर्वेक्षण है कि हमारी विदेश सेवायें जो कि विदेशी भाषा के जानने वालों के लिए है वे भारतीय मूल के लोगों के कार्यक्रमों से भिन्न है और उनकी कोई प्रासंगिकता है। क्या उनकी मांग की जाती है या वे सुने जाते हैं ? जहां तक मैं कुछ विदेशी देशों के बारे में जानता हूं मैं नहीं समझता कि हमारा प्रयत्न वास्तव में सराहनीय है। इस ओर कुछ किये जाने की आवश्यकता है। महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि जहां तक दूरदर्शन का सवाल है मैं समझता हूं कि देश में पूरी तरह से एक नयी संस्कृति का प्रचार किया जा रहा है। मुझे माननीय सदस्य श्री फैलीरो की आलोचना बहुत पसंद है परन्तु वे प्रसंग से थोड़ा बाहर चले गये हैं। दूरदर्शन विज्ञापनों के लिए नहीं है बल्कि विज्ञापन दूरदर्शन के लिए है। यह सुन्दर लोगों के लिए है और वे उन सुन्दर वस्तुओं को बेचते हैं जिनसे जीवन अधिक आकर्षक बनता है। यही दूरदर्शन का प्रमुख उद्देश्य है। यह एक बुद्धिजीवी दृष्टिकोण है जिसे मैं समझता हूं कि यद्यपि श्री फैलीरो की आलोचना पूरी तरह से वैध है तथापि वे असली मुद्दा छोड़ गये है और मैं नहीं समझता कि माननीय मन्त्री महोदय उनकी इस मामले में कोई सहायता करेंगे।

महोदय, मैं यह भी देखता हूं कि गैर-सरकारी निर्माताओं का चयन भी आश्चर्यजनक है। कभी-कभी किसी को अधिक सहायता देने के लिए उसके सभी प्रकार के कार्यक्रम ले लिये जाते हैं तथा सोप आपेरा और सभी तरह के बेकार कार्यक्रम जिनका वास्तव में जीवन से कोई ताल-मेल नहीं है, भी ले लिए जाते हैं। जब गंभीर कार्यक्रम होते हैं तो यदि निर्माता थोड़ा अपनी लीक से हट जाये तो उसके करार का नवीकरण नहीं किया जाता है। पुन: मुझे उदाहरण नहीं देने हैं। मै निश्चित हूं कि माननीय मन्त्री महोदय इन सब बातों से वाकिफ हैं। मैं चाहता हूं

कि वे दूरदर्शन के माध्यम से हमारे समाज के दुख को दर्शायें और हमारे समाज की बुराइयों को दिखायें।

सभापति महोदय, सूरज की रोशनी सर्वोत्तम रोगाणु रोधक है। इंग्लैण्ड ने रंग भेद के विरुद्ध लड़ाई की।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : अर्थात् एस० ओ० एन० !

सैयद शाहबुद्दीन : और अमरीकियों ने अपने समाज की बहुत सी बुराइयों को सूचना के माध्यम से प्रकाश में लाकर लड़ाई लड़ी है। हम भी ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं ? हमारे देश में इतने अधिक सामाजिक हिंसा के कई मामले हुए हैं। मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या रेडियो या दूरदर्शन के दल कभी मौके पर गये हैं उन्होंने कभी पीड़ितों से साक्षात्कार किया है और कभी इन घटनाओं से सम्बन्धित व्यथा और त्रासदी के बारे में लोगों का ध्यान आकर्षित किया है ताकि लोग इस बात पर शर्मिन्दा हों कि भारतीय ही भारतीयों के साथ क्या कर रहे हैं ? क्या यह कार्य दूरदर्शन द्वारा नहीं किया जा सकता है ? यदि आप इस प्रकार के सामाजिकता से संबद्ध कार्यक्रम हर सप्ताह करें तो मैं दूरदर्शन को न्यायोचित ठहराऊंगा। दुर्भाग्यवश आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। जैसा कि मेरे दोस्त श्री फैलीरो ने कहा है दूरदर्शन हमारे सामने ऐसा संसार रखता है। जोकि वास्तविकता से बहुत दूर है जो असंतोष पैदा करता है और मैं नहीं समझता कि दूरदर्शन कोई सामाजिक दायित्व निभाता है सिवाय इसके कि वही चीज जानबूझकर की जाती है।

जहां तक प्रैस का संबंध है मैं माननीय मन्त्री महोदय को याद दिलाना चाहूंगा कि दूसरे प्रैस आयोग की रिपोर्ट का क्या हुआ ? आप रिपोर्ट पर विचार करने में कितना समय लेंगे ? सिफारिशें कब प्रकाश में आयेंगी और कार्यान्वित की जायेगी ? आपने श्रमजीवी पत्रकारों के लिए क्या किया है ? आज हर कोई पालेकर फैसले के बारे में भूल चुका है। क्या यह पूरी तरह कार्यान्वित किया गया है ? मैं जानना चाहूंगा कि बड़े प्रेस के अनधिकृत विस्तार के फलस्वरूप देश के लघु प्रैस, क्षेत्रीय प्रैस, स्थानीय प्रैस के धीरे-धीरे समाप्त होने से रोकने के लिए आपने कुछ किया है ? बड़ी प्रैस राष्ट्रीय प्रैस नहीं है क्योंकि देश का इस पर स्वामित्व नहीं है।

यह कुछ निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में है। और आप प्रैस को दबाये रखने के लिए अखबारी कागज का प्रयोग करते हैं जिससे वे सब आप के नियन्त्रण में रहें। अगर हम पर्याप्त मात्रा में अखबारी कागज का उत्पादन नहीं कर सकते तो आपको पहले से ही इसकी आवश्यकता का अनुमान लगा लेना चाहिए। अखबारी कागज पर सीमा शुल्क हटा लेना चाहिए क्योंकि यह सूचना प्रदान करने के लिए है और उद्योगों के लिए कच्चा माल है और आप लाइसेंस प्रणाली के बिना कर सकते हैं लाइसेंस प्रणाली से प्रैस की स्वतन्त्रता का दमन होता है।

सभापति महोदय, प्रकाशन विभाग ने पिछले वर्ष 85 पुस्तकों को प्रकाशित करके एक शानदार कार्य किया है। लेकिन इन 85 पुस्तकों के विषय भिन्न-भिन्न नहीं हैं क्योंकि एक तीर्थंक

[सैयद शाहबुद्दीन]

को एक से अधिक भाषा में छापा गया है और स्वतन्त्र भारत में अंग्रेजी पर दिये जा रहे जोर का अनुमान लगाइये। इन पुस्तकों में एक चौथाई पुस्तकें अंग्रेजी में हैं और निस्सन्देह 47 हिन्दी में हैं। जो संघ की राजभाषा एवं राष्ट्र को जोड़ने वाली भाषा है और बाकी 18 पुस्तकें, देश की उन भाषाओं में है जिनका संविधान की 8वीं सूची में उल्लेख किया गया है। सभापति महोदय, क्या यह ठीक है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा।

मैं केवल कुछ विशेष मुद्दों का उल्लेख कर रहा हूं। जहां तक पत्रिकाओं का सम्बन्ध है; वे कई पत्रिकाएं छाप रहे हैं। 'योजना' के 12 संस्करण हैं। मै अपने मित्र श्री फैलीरो से सहमत नहीं हूं, कि धर्म की उपेक्षा की जा सकती है। भारत एक धार्मिक समाज है। लोग धर्म में विश्वास करते हैं। लेकिन 'योजना' धर्म और इससे सम्बन्धित संस्थाओं की अवहेलना करने के लिए एक विशेष अंक प्रकाशित कर रहा है। क्या आपने नास्तिकता का प्रचार करने का कार्य हाल में ले लिया है। मै नहीं सोचता कि यह उचित है। सरकार को लोगों की संवेदनशीलता और भावुकता की ओर ध्यान देना चाहिए था। लेकिन यहां मैं यह कहना चाहता हूं कि आपकी पत्रिकाएं बहुत आकर्षक भी नहीं हैं। वे बिकती नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी सभा को बताएँ कि इन पत्रिकाओं के कितने क्रेता ग्राहक हैं क्या किसी बाजार में उनका प्रमुख स्थान है ?

जहां तक फोटो प्रभाग का सम्बन्ध है, मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि इसका कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है। वास्तव में यह बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन, क्या इसका पर्याप्त कम्प्यूटरीकरण हो चुका है। यदि मैं किसी ऐतिहासिक अवसर का ऐतिहासिक चित्र मांगू तो क्या आप मुझे इसे तुरन्त उपलब्ध करा सकेंगे। मैंने फोटो प्रभाग से ऐतिहासिक फोटो एक दो अवसरों पर मांगे थे परन्तु फोटो प्रभाग चित्र मुझे उपलब्ध नहीं करा सका और मेरा अनुरोध पूरा करने में असमर्थ रहा।

फिल्मों के सम्बन्ध में, मैं अपनी महिला सहयोगी द्वारा, जो मेरे से पहले बोली हैं, की गई आलोचना से सहमत हूं। हमारे सेंसरशिप नियम हैं इन नियमों में सुधार की आवश्यकता है, मार्ग दर्शी सिद्धान्तों में सुधार की आवश्यकता है क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज हमारी फिल्मों में नग्नता और अश्लीलता बढ़ती जा रही है। सम्भवतः यह उस उच्च समाज की वर्जनहीनता को दर्शाता है जिसके लिए यह कार्य कर रहा है। इसे रोकना चाहिए और एक दूसरा विरोध है जो मैंने इसमें देखा है। एक ओर तो आप अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह आयोजित करते हैं, दूसरी ओर आप तीसरे विश्व सहित विश्व के अन्य भागों के सिनेमा कला बेहतरीन उदाहरणों को पर्दे पर देखने या दिखाने की आज्ञा नहीं देते हैं। मैं नहीं समझता फिल्म समारोहों से तब तक कैसे कोई लाभ हो सकता है जब तक आप पूरे विश्व से अच्छी फिल्में आयात करने की नीति नहीं बनाते। आपके पास बाल फिल्म समिति है लेकिन यह पूरे वर्ष कुछ नहीं करती है। आपके पास फिल्म विकास निगम है। भारत में एक वर्ष में 800 फिल्में तैयार होती हैं तो यह केवल 10 फिल्मों को वित्तीय सहायता देती है। इस का क्या प्रभाव हो सकता है ? निश्चय ही, कम से कम फिल्मी दुनिया पर सरकार का इतना प्रभाव नहीं है।

मैं केवल एक मिनट और लूंगा प्रेस सूचना ब्यूरो का कार्य करने का अनोखा ढंग है। यह कहता है कि सरकार की जानकारी के लिए एक दैनिक डायजेस्ट निकलता है कि सरकार की नीतियों और कार्यों के प्रति लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। लेकिन यह किस पर आधारित होता है। यह महानगरों में केवल अंग्रेजी दैनिक पत्रों पर आधारित होता है स्थानीय क्षेत्रीय, भाषीय समाचार पत्रों की पूर्णतया उपेक्षा की जाती है। वे कौन सी कतरने भेजते हैं वे 14.7 लाख अंग्रेजी की कतरने और 1.27 लाख हिन्दी की कतरनें भेजते हैं और किसी अन्य भाषा में कोई कतरनें नहीं भेजते हैं। कितनी अजीब बात है ?

प्रो० एन०जी० रंगा : बहुत अच्छा।

प्रो० मधु दण्डवते : बहुत अच्छा नहीं, यह बहुत बुरा है।

प्रो० एन०जी० रंगा : बहुत अच्छा मुद्दा उठाया गया है।

सैयद शाहबुद्दीन : मैं आपसे थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए कहूंगा।

समाचार पत्रों के पंजीकरण के लिए आपका एक विभाग है, जो भ्रष्टाचार का अड्डा है और आप अप्रयुक्त व छोड़े हुए शीर्षकों को प्रकाशित नहीं करते हैं आपने कहा कि आपने इस वर्ष 3,788 शीर्षकों को स्वीकृति दी है। कृपया हमें बताएँ कितने अनरोध आपके पास आये और प्रत्येक अनुरोध में कितने शीर्षक प्रस्तुत किये गये। सम्भवत: यह 3000 शीर्षकों से अभिप्राय 5000 शीर्षकों से है क्योंकि आपने वर्षों से शीर्षक नहीं निकाले हैं। कानून के अनुसार आपको व रद्द किये गये शीर्षकों को निकालना चाहिए था और उन सभी शीर्षकों को जारी करना चाहिए था जो लम्बे समय से प्रयोग में नहीं लाये जा रहे हैं या अब प्रचलित नहीं हैं।

अन्त में, मैं इस श्रव्य दृश्य प्रचार के महत्वपूर्ण विभाग पर बोलूंगा यह सरकार द्वारा नियन्त्रण करने का अन्य उपकरण है। यह भ्रष्टाचार का एक दूसरा अड्डा है। यह संरक्षण देने का दूसरा केन्द्र है। अब आप कुछ समाचार पत्रों को कुछ विज्ञापन देते हैं। मैं एक सुझाव देना चाहूंगा मैं प्रतिदिन समाचार पत्रों में स्वायतशासी निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पूरे पृष्ठ के विज्ञापन देखता हूं जिनमें आवेदन-पत्र का पाठ भी दिया हुआ होता है। मैं नहीं जानता ऐसा क्यों हो रहा है। एक साधारण घोषणा क्यों नहीं की जा सकती ? और अभ्यार्थी सम्बन्धित व्यक्ति को लिखकर आवेदन-पत्र की एक प्रति मंगा सकते हैं। मैं नहीं समझता सार्वजनिक धन के दुरुपयोग की आज्ञा क्यों दी जाती है ? लेकिन वास्तव में सार्वजनिक धन की आपको कोई परवाह नहीं है।

अन्त में, मेरे विचार में पत्रिकाओं का चयन राजनीतिक आधार पर किया जाता है। आप जब चाहे उन्हें निकाल सकते हैं जब चाहे उन्हें ले सकते हैं।

एक अन्तिम मुद्दा मंत्रालय के प्रशासन के बारे में है। मंत्री जी आपके पास कई संवर्ग अच्छे या बुरे, संगठित या असंगठित हैं और कुछ और बन रहे हैं। लेकिन मुझ पर विश्वास कीजिए

[सैयद शाहबुद्दीन]

मंत्रालय में बहुत असंतोष है। दुर्भाग्यवश कुल कला संवर्ग मंत्रालय पर हावी है और उसको चला रहे हैं।

मुझे मालूम है कि समस्या यह है कि जब पेशेवर लोग अफसरशाही के खिलाफ बोलते हैं, तो उनकी भी इच्छा होती है कि उन्हें संवर्ग में सम्मिलित किया जाए और कोई दूसरी अफसरशाही भी कायम हो जाये। लेकिन कहीं पर कुछ समाधान ढूंढ़ना पड़ेगा। 1980 में एक सलाहकार समिति का गठन किया गया था। पिछले पांच वर्षों से वह क्या कर रही है इसने 6 रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं। आप उन्हें एक निर्धारित समय क्यों नहीं देते और उनसे काम करने के लिए क्यों नहीं कहते ? उन्हें राष्ट्रीय निकाय पर जीवित क्यों रहने देना चाहिए। मैं सुझाव दूंगा कि या आप उन्हें कोई विशेष कार्य दें या उन्हें बन्द कर दें। आप मन्त्रालय के कार्य को मजबूत करें और पेशेवर कलाकारों को कार्य करने का अवसर प्रदान करें। लेकिन उन्हें एक ओर नौकरशाही न बनने दें।

श्री वी०एन० गाडगिल : मैं इस समय एक स्पष्टीकरण देना चाहूंगा। कुछ सदस्यों ने सेंसर बोर्ड के बारे में बोला है। मन्त्रालयों के हाल ही में किए गए पुनर्गठन में जब संसाधन विकास मंत्रालय का गठन हुआ था तो सेंसर बोर्ड को संस्कृति विभाग में स्थानान्तरित कर दिया गया था और अब मैं इस विषय को नहीं देख रहा हूं (व्यवधान) मैं आपके विचार उन तक पहुंचा दूंगा। दूसरा श्रमजीवी पत्रकारों का जहां तक सम्बन्ध है, इसको श्रम मंत्रालय देखता है। वह सीधा मेरे अधीन नहीं है उसका मेरा सीधा सम्पर्क नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : आपने इससे छुटकारा पा लिया है।

सभापति महोदय : अब श्री विपिनपाल दास बोलेंगे।

श्री विपिनपाल दास (तेजपुर) : श्रीमन्, सूचना और प्रसारण मन्त्रालय उन मामलों को देखता है जो देश के वर्तमान और भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन लोगों का केवल मनोरंजन ही नहीं करते और न ही केवल प्रतिदिन समाचारों का प्रसारण करते हैं बल्कि इसके साथ विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को शिक्षित भी करते ह। यह एक बहुत अच्छी बात है कि दूरदर्शन और आकाशवाणी लगभग सारे देश में प्रसारण करते हैं, जिसमें पहाड़ी और ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल हैं। उनका उत्तरदायित्व देश में और देश के बाहर होने वाली घटनाओं से परिचित करवाना ही नहीं बल्कि लोगों को राष्ट्र द्वारा अपनाए गये आदर्शों और नियमों के अनुसार तैयार करना भी है। इसलिए इन जन संचार साधनों को केवल मनोरंजन और समाचार प्रसारण के लिए ही प्रयोग नहीं करना है बल्कि शान्ति और सौहार्द लाने के लिए भी प्रयोग करना है। और इन सबसे अधिक राष्ट्रीय एकता और अखण्डता के लिए प्रयोग करना है। लेकिन मुझे कहते हुए खेद हो रहा है कि न आकाशवाणी और न ही दूरदर्शन इस कार्य में अभी तक बहुत प्रभावशाली सिद्ध नहीं हुए हैं—मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इस ओर ध्यान देंगे। वे हमारी विकास गतिविधियों को प्रकाश में लाने में असफल रहे हैं और हमारे लोग, जैसे वैज्ञानिक, तकनीशियन, किसान,

अध्यापक, कार्यकर्ता, कलाकार और सब लोग, जो सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक विकास में देश को आगे ले जाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं उन्हें प्रकाश में लाने में उतना सफल नहीं हुआ है जितनी उनसे अपेक्षा थी। उनके द्वारा प्रसारित कुछ कार्यक्रम या तो अधिक लाभदायक नहीं होते या देश की आवश्यतानुसार नहीं होते, जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है। हमारे देश के लोगों में वैज्ञानिक रुचि पैदा करने के लिए जो हमारे देश को 21वीं सदी में ले जाने के लिए बहुत आवश्यक है, दूरदर्शन तथा आकाशवाणी ने विशेष कुछ नहीं किया है।

समाचार पत्र पढ़ने वालों के विषय में मेरे पास कुछ कहने के लिए है, लेकिन समय अभाव के कारण मैं कुछ नहीं कहना चाहता निश्चित्य रूप से। यह वास्तव में उतना अच्छा नहीं है जितना हम आशा करते हैं। फिर भी मैं एक मुद्दे का जिसे आकाशवाणी एवं दूरदर्शन पर 'चर्चा' कहा जाता है उल्लेख करना चाहूंगा। हाल ही के महत्वपूर्ण विषयों पर बहस के लिए तीन या चार व्यक्तियों को बुलाया जाता है। क्या होता है अगर एक हिस्सा लेने वाला अपना दृष्टिकोण रखना चाहता है तो इससे पूर्व कि वे अपना दृष्टिकोण पूरा करें दूसरा व्यक्ति उसकी बात को काट देता है और सारा वार्तालाप विषय से हट जाता है।···

प्रो० एन०जी० रंगा : जैसा हम संसद में करते हैं।

श्री बिपिनपाल दास : इस ढंग से आधे घण्टे की चर्चा से किसी को कोई लाभ नहीं होता है। इसलिए यदि इसमें सुधार हो सकता है तो कृपया सुधार कीजिए। अन्यथा इसे बन्द कीजिए और इसके स्थान पर एक विशेषज्ञ द्वारा विषय विशेष पर एक बुद्धिमता पूर्ण भाषण लोगों के लिए अधिक लाभदायक होगा या किसी विशेष विषय पर लोगों को शिक्षित करने के लिए किसी प्रकार की संगोष्ठी का आयोजन करना चाहिए। यह 'चर्चा' कार्यक्रम मैंने कई बार सुना है और यह बिल्कुल बेकार है। यद्यपि इसमें भाग लेने वाले व्यक्ति बड़े विद्वान होते हैं परन्तु हर बार यह मुख्य मुद्दे से भटक जाते हैं···

प्रो० मधु दण्डवते : यह विद्वतापूर्ण हस्तक्षेप होता है।

श्री बिपिनपाल दास : ऐसी कुछ चर्चाओं में मैंने भी भाग लिया है और मैंने भी यही अनुभव किया है कि इसका कोई लाभ नहीं है।

महोदय, मैं राष्ट्र भाषा हिन्दी एक पक्का समर्थक हूं और मैं चाहता हूं इसे राष्ट्र भाषा के रूप में जल्दी क्रियान्वित किया जाए। मैं क्रिकेट का भी बहुत प्रेमी हूं और यदि समय उपलब्ध हो तो दूरदर्शन और रेडियो पर अधिकतर क्रिकेट नहीं छोड़ता लेकिन बहुत ही विनम्रता से मैं प्रार्थना करता हूं कि हिन्दी और अंग्रेजी साथ-साथ नहीं बोलनी चाहिए क्योंकि हिन्दी के प्रत्येक वाक्य में 5 या 6 शब्द अंग्रेजी के होते हैं।

उसको ऐसा करना ही पड़ेगा। 'मिड ऑन,' 'मिड ऑफ,' 'कवर,' 'बालिंग,' 'एल० बी० डब्ल्यू०', जैसे शब्दों के कोई सही हिन्दी समानार्थक शब्द नहीं हैं और उस व्यक्ति को प्रत्येक वाक्य में कुछ अंग्रेजी शब्दों का उपयोग करना पड़ता है·····

श्री एडुआर्डो फैलीरो : क्रिकेट की कमेंटरी का प्रसारण बन्द कर दिया जाना चाहिए।

श्री बिपिनपाल दास : इसके बाद कमेंटेटर क्रिकेट बाल को 'गेम' कहता है.....

श्री रामसिंह यादव (अलवर) : यह 'गेंद' है। यह हिन्दी शब्द है।

श्री बिपिनपाल दास : हर समय 'गेम' सुनाई देता है। फिर भी इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मेरे पास इन आंखों देखा हालों के बारे में और कुछ बताने को है।

इस प्रकार के आंखों देखा हाल में दूसरी त्रुटि यह है कि हिन्दी और अंग्रेजी दोनों वृत्तांत प्रसारक प्रत्येक मिनट खेल की प्रगति को बताने की बजाय वे क्रिकेट के इतिहास पर ज्ञानवान भाषण देने पर कुछ समय बर्बाद करते हैं। तब क्या होता है ? जो लोग दूरदर्शन पर खेल देखना चाहते हैं वे अच्छी तरह से खेल देख सकते हैं। परन्तु यदि मैं साईकिल या मोटर साईकिल पर जाता हूं और एक रेडियो की दुकान पर रुकता हूं तथा स्कोर जानने का प्रयास करता हूं, बालिंग कौन कर रहा है, बैटिंग कौन कर रहा है ? इस समय क्या स्कोर है। मैं इसको 5 या 10 मिनट में जानना चाहता हूं। परन्तु मुझे स्कोर, कौन बालिंग कर रहा है तथा कौन बैटिंग कर रहा है को जानने के लिए 10 मिनट तक प्रतीक्षा करनी होती है और इस तरह का आंखों देखा हाल ठीक नहीं है। इसमें सुधार होना चाहिए। मैं केवल यही बात बताना चाहता हूं।

दूसरा मुद्दा यह है कि आप दूरदर्शन में विज्ञापन दिखाते हैं। परन्तु बदकिस्मती से मन्त्री जी विज्ञापन कभी-कभी तनावपूर्ण स्थिति पर आते हैं। जब आदमी बालिंग करता है। मेरी तरह व्यक्ति यह जानना चाहता है कि बाल को क्या हुआ, वह किस प्रकार से बाल करता है, बैट्समैन किस प्रकार से बैट पकड़ता है, वह बैट को किस प्रकार से रखता है, वह किस दिशा में मारता है या वह इसे नहीं मारता है। मैं पूरे दृश्य को प्रत्येक सैकण्ड में देखना चाहता हूं। इस प्रकार की कठिन स्थिति में विज्ञापन बाधा डालता है। पूरा दृश्य चला जाता है, पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। मंत्री महोदय मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि चाय के समय और दोपहर के भोजन के समय (व्यवधान) या जब साइड में परिवर्तन हो तब कृपया करके विज्ञापन दें उन्हें अन्यथा बेचैन नहीं करना चाहिए। मेरे जैसे लोग बहुत बोर होते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : एक बार जब विजयी स्ट्रोक लगाया गया था तो हमने पाया कि वह जोश से भरे हुए थे।

श्री बिपिनपाल दास : आकाशवाणी में जो संगीत, नृत्य और नाटक प्रसारित किये जाते हैं या जिन्हें दूरदर्शन पर दिखाया जाता है वे भी कभी-कभी निम्न स्तर के होते हैं और इस प्रयोजन को पूरा करने में असफल होते हैं जिनके लिए ये बने हुए हैं।

(व्यवधान)

अश्लील और अपराध दृश्य इस प्रकार से आम हो गए हैं कि चार्ल्स शोभराज और उसकी तरह के मामलों के बारे में आश्चर्य होना नई बात नहीं है। इसको रोकना चाहिए और सभी

अश्लील, अपराध तथा हिंसा के दृश्य थे। यदि आकाशवाणी में रोक नहीं लगाई जाती तो कम से कम दूरदर्शन में पूरी तरह से रोक लगाई जानी चाहिए। इसी तरह हर चीज सम्प्रदाय भावनाओं को भी प्रोत्साहित करती है। मैं इस मामले में श्री फैलीरो के साथ पूरी तरह से सहमत हूं। धर्म निरपेक्षवाद धर्म के विरुद्ध नहीं है। परन्तु इसको समाज के किसी विशेष सामुदायिक वर्ग या समुदाय हिंसा को भड़काने के लिए अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। कार्यक्रम के समय भी विस्मयजनक है। आपके पास युवाओं के लिए विज्ञान और विज्ञानिक विषयों पर कार्यक्रम हैं। यह किस समय दिखाया या प्रसारित किया जाता है। 12 बजे, 2 बजे पर जब छात्र स्कूल या कालेज में होते हैं। यह कार्यक्रम रेडियो पर कभी-कभी उस समय प्रसारित किया जाता है जबकि वास्तविक सुनने वाले इसे नहीं सुनते हैं जिनसे सुनने की आशा की जाती है।

महोदय, अब मैं सिनेमा पर आता हूं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सिनेमा हमारे लोगों के मनोरंजन में और कभी-कभी उनकी शिक्षा में भी बहुत महान भूमिका अदा कर रहा है। परन्तु यहां भी अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता हो गई है। मेरा सुझाव है कि अधिनियम में इस प्रकार से संशोधन किया जाए जिससे कि अश्लील, साम्प्रदायिक, अपराध और हिंसा के दृश्यों पर पूरी तरह से रोक लग जाए। जब तक आप ऐसा नहीं करते तब तक देश में शांति और सामान्य स्थिति स्थापित नहीं की जा सकती। आप दंगे और गुण्डागर्दी को रोक नहीं सकते। अतः ये सभी चीजें—सामुदायिक, अपराध और हिंसा के दृश्यों को पूरी तरह से सिनेमा में रोकना चाहिए। मेरी समझ में नहीं आता कि इन दृश्यों के बिना कोई भी एक अच्छी फिल्म क्यों नहीं बना सकता। मैं जानता हूं कि बड़े निर्देशक अच्छी फिल्मों को बनाते हैं। अभी भी श्री सत्यजीत रे इस प्रकार के दृश्यों के बिना इस समय अच्छी फिल्में बना रहे हैं। इसलिए इसको रोकना चाहिए। जब तक ये दो उपाय तुरन्त नहीं लिए जाते तब तक हमारे युवाओं के विचार एक सीमा में प्रदूषित होते रहेंगे और विभिन्न सामाजिक समस्याएं पैदा करते रहेंगे जो आज देखने में आती हैं।

6.00 म०प०

वास्तव में, इस प्रकार के युवाओं के लिए इस प्रकार की फिल्में प्रशिक्षण और प्रोत्साहन का स्रोत बन गया है जो अस्वस्थ, समाज-रोधी, पथभ्रष्ट करना अमानुषिक मनोवृत्ति विकसित करता है।

मैं समाचार-पत्रों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं लोकतन्त्रवादी के रूप में मैं समाचार-पत्रों की स्वतंत्रता का सम्मान करता हूं। उन्होंने भी आजादी की लड़ाई में महान भूमिका अदा की थी। परन्तु मुझे राष्ट्रीय हित में कहना चाहिए कि भारतीय समाचार-पत्र देश में विशाल विकासात्मक गतिविधियों को इतना महत्व नहीं देती जितना कि दिया जाना चाहिए। यदि आप किसी भी समाचार पत्र के मुख्य पृष्ठ पर नजर डालें तो आप या तो राजनीतिक या कानून और व्यवस्था की समस्या या कुछ सनसनी खेज खबर पाओगे जो केवल सामाजिक जीवन या मानव स्वभाव का केवल अंधकारपूर्ण की ओर ले जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कुछ समाचार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि जनसाधारण को यह बताना चाहिए कि समाज में वास्तविक रूप से क्या हो रहा है। परन्तु हमारे किसानों, श्रमिक वर्ग, वैज्ञानिक, अध्यापक, तकनीकी, डाक्टर और अन्य

[श्री बिपिनपाल दास]

सभी के प्रयासों को विफल कर दिया जाता है जो पूरी तरह से सभी दिशाओं में देश को आगे ले जाना चाहते हैं जो वास्तव में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत खेदजनक बात है। मुझे आशा है कि समाचार पत्र के विद्वान लोग हमारे देश की सामाजिक-आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के साथ इस पर पर्याप्त ध्यान देंगे।

समाचार पत्रों की स्वतन्त्रता का मतलब संपादकों और सवाददाताओं की स्वतन्त्रता है···

एक माननीय सदस्य : समय विस्तार को बढ़ाने की क्या स्थिति है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री एच०के०एल० भगत) : मुझे बताया गया है कि माननीय अध्यक्ष ने सुबह कहा है कि बहस जब तक समाप्त नहीं हो जाती तब तक चलता रहेगा। सभा निरन्तर बैठेगी क्योंकि कई वक्ताओं को बोलना है।

श्री बिपिनपाल दास : समाचार पत्रों की स्वतन्त्रता का अर्थ है संपादकों और संवाद-दाताओं की स्वतन्त्रता। इसका अर्थ समाचार पत्रों के मालिकों की स्वतन्त्रता नहीं है। वास्तव में मैं चाहता हूं कि समाचार पत्रों को समाचार पत्र मालिकों के नियंत्रण से पूर्णतया मुक्त कर दिया जाये और उन्हें पत्रकारों की सहकारी समिति द्वारा चलाया जाये। अन्यथा समाचार पत्र वाणिज्यिक आधार पर काम करते रहेंगे और समाज तथा राष्ट्र के प्रति सही प्रकार से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकेंगे। स्थानीय भाषा समाचार पत्र को हर तरह से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। श्रमजीवी पत्रकारों की काम की शर्तों को भी सुधारा जाना चाहिए—हांलाकि यह कहा गया है कि यह श्रम मंत्रालय की जिम्मेदारी है।

मुझे समाचार पत्रों के बारे में कुछ और भी कहना है परन्तु समय की कमी के कारण मैं नही कहूंगा। मैं आखिरी बात कहूंगा और बैठ जाऊंगा और यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के बारे में है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में आकाशवाणी तथा दूरदर्शन नेटवर्क के विस्तार के कार्यक्रम को शुरू करने के लिए मुझे माननीय मंत्री को धन्यवाद देना चाहिए। मैं खुश हूंगा यदि वाद-विवाद के उत्तर के दौरान माननीय मंत्री यह बताते हैं कि उनके या उनके मंत्रालय के पास पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेडियो तथा दूरदर्शन सुविधाएं स्थापित करने के लिए कौन से ठोस प्रस्ताव है, मंत्री जी को इस मुद्दे को नोट करना चाहिए। परन्तु व्यवस्था या प्रबंध में जो कुछ कमियां हैं, उन्हें मुझे उनको बताना चाहिए। ग्वाहाटी स्टेशन से प्रसारण होने वाले कार्यक्रम की आवाज तेजपुर में केवल 113 मील दूरी पर, या ग्वाहाटी से 100 मील से अधिक दूर किसी भी स्थान पर नहीं सुनाई देती है। जबकि चीन और बंगला देश से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम हमेशा पूरी आवाज में सुनाई देते हैं।

मैं नहीं जानता कि ग्वाहाटी ट्रांसमीटर इतना कम शक्ति का क्यों है। पूर्वीक्षेत्र में शिलांग, कोहिमा, इम्फाल, सिल्चर, इटानगर, ऐजल और डिबरूगढ़ स्टेशन भी कम शक्ति के हैं। इससे पता चलता है कि मंत्रालय इस क्षेत्र के लोगों के साथ उचित व्यवहार नहीं कर रहा

है। मैं माननीय मंत्री से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि इस क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण स्टेशनों के ट्रांसमीटर अधिक शक्तिशाली बनाएं जाये ताकि वहां रहने वाले लोग चीन या बंगला देश से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से प्रभावित न हो सकें।

श्रीमती शीला दीक्षित (कन्नौज) : सभापति महोदय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का मैं समर्थन करती हूं। सबसे पहले मैं सूचना और प्रसारण मंत्री जी को पिछले वर्ष व्यापक विस्तार करने तथा अपने मंत्रालय में नये जीवन का संचार करने के लिए बधाई देती हूं।

मैं दूरदर्शन से अपनी बात शुरू करती हूं। दूरदर्शन बहुत महत्वपूर्ण साधन है जैसाकि विभिन्न सदस्यों ने पहले ही बताया है। यह प्रत्येक के घर पहुंच गया है। प्रत्येक परिवार में यह पहुंच गया है; यह दादा-दादी, माता-पिता, बच्चों, छात्रों के प्रत्येक आयु वर्ग में पहुंच गया है। इसलिए यह बहुत शक्तिशाली और बहुत महत्वपूर्ण साधन है। इसने बहुत अच्छा काम किया है। इसने बहुत सुधार किया है और हमें इस बारे में मंत्री जी को बहुत बधाई देनी है।

परन्तु उसी समय मैं कुछ अन्य बातें कहना चाहती हूं। उसमें से एक धारावाहिक की नई संकल्पना के बारे में है जिसे दिखाया जा रहा है। मैं समझती हूं कि दूरदर्शन पर इस समय लगभग 25 धारावाहिक दिखाये जा रहे हैं। मैं महसूस करती हूं कि ये दकियानूसी धारावाहिक घटिया हो गए हैं। जितने अधिक धारावाहिक हम प्राप्त कर रहे हैं वैसे-वैसे उनका स्तर गिरता जा रहा है। हमने कुछ बहुत अच्छे धारावाहिकों से शुरू किया था परन्तु हम देखते हैं कि हम ऐसे धारावाहिकों को शामिल कर रहे हैं जिनका स्तर किसी भी तरह से ठीक नहीं है।

मैं विशेष रूप से एक धारावाहिक का उल्लेख करना चाहती हूं जिसको हाल ही में शुरू किया गया है। यह महत्वपूर्ण घटनाओं पर आधारित है जो स्वतन्त्रता आंदोलन के दौरान हुए थे। वे महत्वपूर्ण घटनाएं, स्वतन्त्रता सैनानियों के महत्वपूर्ण चरित्र को दर्शाती है। उद्देश्य बहुत अच्छा है, संकल्पना बहुत अच्छी है, बहुत शिक्षाप्रद है और इसको ऐसा होना चाहिए। परन्तु मुझे संदेह है कि निर्माण की गुणवत्ता इतनी घटिया है, बातचीत, उपयोग की गई भाषा, उसे फिल्माने का ढंग, आवाजें, सेट प्रत्येक चीज इतनी अप्रेरक है कि मेरे अपने परिवार में मेरे बच्चे कहते हैं कि यह बहुत अच्छी कहानी है; परन्तु उन्होंने (अर्थात दूरदर्शन) इसे त्रुटिपूर्ण किया था इसका महत्व ठीक नहीं है या सौंदर्यवादी महत्व पर्याप्त ठीक नहीं है अत: प्रभाव किसी भी तरह से प्रेरक नहीं है, यह वास्तव में नीरस है।

चित्रहार कार्यक्रम के प्रति हमारी दूसरी आलोचना है। मुझे बताया गया है कि यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण और सबसे अधिक लोकप्रिय कार्यक्रम है। परन्तु यह संस्कृति की विशेष रूप से महिलाओं की असभ्यता चित्रित करता है। जिस तरह के दृश्य वहां दिखाए जाते हैं, संगीत जिसे सुना जाता है, मैं बिलकुल निश्चित हूं कि ऐसी कई फिल्में है जिनमें अधिक अच्छा संगीत है और अधिक अच्छे दृश्य है जो महिलाओं को साज सौन्दर्य के रूप में प्रदर्शित नहीं करते हैं। यदि इन विज्ञापन फर्मों पर कुछ सेन्सर लगाया जाए जो कि चित्रहार को प्रायोजित करती है तो मैं समझती हूं कि यह लोकप्रिय कार्यक्रम सुधर सकेगा।

[श्रीमती शीला दीक्षित]

दूसरी बात मैं बच्चों के कार्यक्रम के बारे में बताना चाहती हूं। यदि इन कार्यक्रमों को देखने का किसी को मौका मिले तो वे इन्हें बहुत अधिक नीरस और पूरी तरह से कल्पना रहित पाएंगे। वहां आपने एक या दो कार्यक्रमों में युवाओं के साथ बच्चों के वर्ग को देखा है जो कहानियां बताते हैं जिसे बहुत नीरसता में बताया जाता है। उपदेशात्मकता के एक तरीके से गायब किया जाता है जिससे कि कैमरा के सामने बैठे कार्यक्रम में बच्चे भी दिलचस्पी नहीं रखते। इसलिए सुनने वालों और जो बच्चे अपने घरों में कार्यक्रम देखते हैं, उनके लिए मैं आश्चर्य होती हूं। इन कार्यक्रमों में बच्चों के बारे में थोड़ा-सा उन्हें लिप्त करना, थोड़ी अधिक कल्पना, थोड़ा-सा स्पष्टीकरण तथा उपदेशात्मकता होनी चाहिए।

मैं आपको फिल्मों के बारे में कुछ बताना चाहती हूं। अधिकतर फिल्में बम्बई में बनाई जाती हैं और बम्बई इस प्रकार की फिल्मों के लिए बदनाम है।

एक माननीय सदस्य : श्री दण्डवते को इस पर आपत्ति है।

प्रो० मधु दण्डवते : बम्बई का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

(व्यवधान)

श्रीमती शीला दीक्षित : अच्छा, बम्बई फिल्म उद्योग या चाहे जो कुछ भी आप इसे कहें···

राष्ट्रीय चलचित्र निगम ने कई अच्छी फिल्म बनाई हैं, जिनमें से कई को हम देखना चाहते हैं, परन्तु उन्हें देखने का मौका नहीं मिलता। मेरा सुझाव है कि राष्ट्रीय चलचित्र विकास निगम के अपने छोटे-छोटे थियेटर होने चाहिए जिन्हें आर्ट थियेटर कहा जा सके तथा उनमें चार सौ से पाँच सौ व्यक्तियों के बैठने की क्षमता हो ताकि जो व्यक्ति इन फिल्मों को देखना चाहते हैं वे देख सकें। अगर आर्ट फिल्मों को दिखाने के लिए इस तरह के थियेटर हमारे पास होते हैं तो हममें से बहुत से लोग सरकार के आभारी होते। हमें अच्छी फिल्मों के बारे में तभी पता चलता है जब कभी भी उनको अन्तर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय या फिर कोई अन्य पुरस्कार मिलता है ऐसी फिल्मों को भी इन थियेटरों में दिखाया जा सकता है तथा जिस उद्देश्य को लेकर यह फिल्म बनाई जाती हैं वह भी पूरा होगा।

माननीय सभापति महोदय, चलचित्रों का आयात करना भी एक समस्या है। हम देखते हैं कि कई फिल्मों का आयात किया जा रहा है। कुछ इटली में बनी फिल्में हैं तथा कुछ फ्रांसीसी, परन्तु हम विदेशी मुद्रा को क्यों इस तरह की फिल्मों का आयात करने में बर्बाद कर रहे हैं? सिर्फ अच्छी फिल्मों का ही आयात किया जाना चाहिए। जो फिल्में हम आयात करें उनका स्तर बहुत अच्छा होना चाहिए। हम चाहे कम फिल्में आयात करें परन्तु उनका स्तर बहुत अच्छा होना चाहिए।

एक और मुख्य क्षेत्र जिससे हम अपने विचार बनाते हैं या राष्ट्र की विचारधारा की अभिव्यक्ति होती है वह है प्रेस । आपने इस बात पर ध्यान भी दिया है या नहीं, बड़े-बड़े राष्ट्रीय दैनिक समाचार-पत्रों ने साम्प्रदायिकता का पुट देना शुरू कर दिया है। टेलीग्राफ में छपे कई लेख मैंने पढ़े हैं उदाहरण के लिए उनमें मैंने देखा कि इस तरह की बातें लिखी गई हैं जिनसे लगता है कि किसी खास सम्प्रदाय के प्रति पक्षपात या उसका विरोध किया जा रहा है। अतः राष्ट्रीयता एवं देश भक्ति की भावना के साथ एक प्रकार की आचारसंहिता भी होनी चाहिए तथा इस भावना के विरुद्ध कुछ भी बात छापने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं जानती क्या हम इसके लिए कोई विधेयक ला सकते हैं या फिर कोई प्रवर्तनीय संहिता बना सकते हैं परन्तु इसकी आज सख्त आवश्यकता है। इस तरह की बातों के छपने से हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। चाहे हम कितने भी पढ़े-लिखे और समझदार क्यों न हों परन्तु छपे हुए शब्द ज्यादा ताकतवर होते हैं तथा पढ़ने वालों के मस्तिष्क पर छाप छोड़ जाते हैं। इस तरह के लेखों एवं समाचारों को छापने से रोका जाना चाहिए।

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर बोलने के लिए मुझे अनुमति दिए जाने के लिए मैं धन्यवाद करती हूं।

प्रो० एन०जी०रंगा (गुंटूर) : माननीय सभापति महोदय, प्रारम्भ में, मैं तीन माननीय महिला सदस्यों का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने इस चर्चा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैं अपने कुछ मित्रों, श्री फैलीरो तथा सैयद शाहबुद्दीन को बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने काफी अध्ययन करके चर्चा में भाग लिया यद्यपि उनके द्वारा उठाये गये कुछ मुद्दों से मैं सहमत नहीं हूं।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री को भी मैं बधाई देना चाहता हूं तथा उन्होंने जिस कुशल ढंग से इन तीनों सेवाओं की गतिविधियों को प्रस्तुत किया है तथा पूछे गये कठिन एवं मुश्किल अनुपूरक प्रश्न का भी उत्तर दिया। वे एक कुशल मंत्री हैं तथा इस कठिन मंत्रालय का प्रबन्धन उन्होंने काफी अच्छी तरह सम्भाला है।

महोदय, आज यही आलोचना की गई है कि जानकारी देने के तीन बड़े स्रोतों की शक्ति का सरकार दुरुपयोग कर रही है, यह कोई नई बात नहीं है। जब मैं विपक्ष में स्वतंत्र दल का नेता था, जो मुझे ऐसी आलोचनाएं सुनने को अवसर मिला था। जब मैं राज्य सभा में कांग्रेस (ई) का विपक्ष के रूप में नेता था तब भी मैंने ऐसी ही आलोचना होती देखी थी। जब आप सत्ता में थे, मेरे माननीय सहयोगी, प्रो० मधु दण्डवते तथा अन्य लोग जब सत्ता में थे, इसी तरह की गलतियां करते थे, दोष लगाते थे जो कि वर्तमान मंत्रालय पर लगाया जा रहा है। यह कोई नई बात नहीं है क्योंकि यह मंत्रालय भारत सरकार के सभी मंत्रालयों से ज्यादा संवेदनशील है। एक तो यह है कि यही एक ऐसा मंत्रालय है जहां पर गलती निकालना व पकड़ना किसी के लिए भी आसान है तथा फिर मंत्रालय की निंदा करना, मंत्रियों के लिए, और संबंधित मंत्री के लिए इस प्रकार की स्थिति से बाहर निकल पाना व अपना बचाव करना मुश्किल हो जाता है। अतः इस मुश्किल स्थिति के बावजूद भी संबंधित मंत्री जी इसका सामना कर रहे हैं, यह मंत्री जी मेरे बड़े मित्र के सुपुत्र भी हैं जो कि मेरे साथ स्वतंत्रता सेनानी तथा उन दिनों में मेरे सहयोगी

[प्रो० एन०जी० रंगा]

एवं कांग्रेस दल के सचिव भी थे। मंत्री जी ने अपनी कुशलता दिखाई है इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। मैं उनके पूर्वाधिकारी तथा मेरे मित्र श्री एच०के०एल० भगत को भी बधाई दूंगा। जिन्हें इस मंत्रालय के प्रभारी होने का सौभाग्य प्राप्त था। उस समय इंदिरा जी ने अपना सारा ध्यान इस मंत्रालय की ओर लगा दिया तथा एक ही वर्ष में बल्कि छः महीने में ही इसके लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान कर दिया। इसका उद्देश्य था देश में दूरदर्शन की गतिविधियों का विस्तार करना। मैं इसकी तकनीकी बातों को नहीं लूंगा जिसके बारे में मेरे मित्र श्री फैलीरो ने पहले ही इतने अच्छे एवं सुदृढ़ तरीके से बताया है सिवाय एक बात छोड़ दी है वह है धर्म संबंधी।

महोदय, बिना धर्म के आप किसी भी प्रकार का ड्रामा, किसी भी रुचि का कार्यक्रम देश में हजारों लाखों लोगों, जनजातियों के लोगों के लिए नहीं दिखा सकते। सभी तरह के अन्य लोग हिन्दू, मुसलमान तथा सिक्ख···हैं···हाल ही में पंजाब में किस तरह की समस्या थी? बहुत से शहरों जैसे कि गुजरात आदि में धर्म के कारण बहुत सी दिक्कत हुई। परन्तु इसके साथ ही धर्म की अच्छाइयां भी बहुत हैं। परन्तु इसकी महत्ता पर विशेष जोर प्रसारण एजेंसी यानि दूरदर्शन के अलावा और कौन दे सकता है। अतः हमें जहां तक हो सके दूरदर्शन प्रसारण का उपयोग इस तरह से करना चाहिए ताकि अत्यधिक धार्मिक विचारों के लोग अन्य धर्म के व्यक्तियों के साथ मिलनसारी का वातावरण पैदा कर सकें। हमें इस तरह की भावना पैदा करनी है तथा ऐसा किया भी जा रहा है। मैं चाहूंगा कि इस पर ज्यादा जोर दिया जाये। आप कह सकते हैं कि सभी धर्मों पर प्रतिबन्ध लगा दीजिए। जी हां, आप ऐसा कर सकते हैं। परन्तु ऐसी स्थिति में आप भारत से बाहर होंगे। इसके बाद मेरे माननीय मित्रों को प्रधान मंत्री जी को दूरदर्शन पर दिखाये जाने पर आपत्ति है। क्या वे उनकी सुन्दर आकृति से ईर्ष्या करते हैं। मैं नहीं जानता। परन्तु स्वाभाविक है कि आप प्रधान मंत्री को कैसे छोड़ सकते हैं। वे ही तो लोगों के दुःखों को देखेंगे। क्या आपने जनजातियों के लोगों, झुग्गी-झोंपड़ियों में रहने वालों, निर्धनतम व्यक्तियों के बीच प्रधान मंत्री को जाते देखा है? क्या वे हमसे मिलते वक्त उनसे ही चिंतित होते हैं जितने कि उनसे मिलते वक्त? कोई भी व्यक्ति उनसे ईर्ष्या कर सकता है, उन लोगों से भी ईर्ष्या कर सकता है। क्या आप कभी भी प्रधान मंत्री के इतने नजदीक जा सके हैं जितने कि वे जनजातियों के लोगों के निकट हैं? वह क्या इस तरह वहां जाते हैं? वह वहां पर सिर्फ अपने आपको दिखाने के लिए नहीं जाते परन्तु अपने आपको इस बात से अवगत कराने कि वहां रहने वाले लोगों की क्या तकलीफें हैं, वे क्या चाहते हैं तथा वे क्या कहना चाहते हैं आदि आदि? ये लोग जब प्रधान मंत्री से बात करते हैं तो कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र होते हैं जबकि मुझसे आपसे या फिर अन्य किसी मंत्री गण से कुछ कहने में वे इतने स्वतंत्र नहीं होंगे क्योंकि वे प्रधान मंत्री को अपना पुत्र समझते हैं अपना ही युवक, अपना ही व्यक्ति धरती माता का पुत्र तथा भविष्य का युवा अतः उनका वहां जाना देश के लिए इतना ज्यादा लाभप्रद है तथा दूरदर्शन जो प्रचार कर रहा है वह देश में राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय भावना तथा राष्ट्रीय जीवन के संरचनात्मक पहलू के विकास की ओर ही है। मैं इस बारे में बिल्कुल भी शर्मिन्दा नहीं हूं। इसलिए मेरे मित्र श्री सुनील दत्त ने इस विषय में जो कठोर रवैया अपनाया है मैं उसका समर्थन करता हूं।

मेरे अलावा अन्य सभी साफ्टवेयर के बारे में ज्यादा जानते हैं। अब मैं हार्डवेयर की बात करता हूं। यहां पर मैं अपने असम के मित्र की कही गई बात से सहमत हूं। मैं ऐसा हमेशा से कहता रहा हूं। मैं भगत जी से भी यह बात कहता रहा हूं। पूर्वोत्तर सीमाओं के लिए ज्यादा कार्य करने की आवश्यकता है। काफी कुछ किया जा चुका है। मैं उन्हें धन्यवाद करता हूं। परन्तु बहुत कुछ किया जाना बाकी है न सिर्फ वहां पर ही बल्कि सभी सीमाओं पर और अगर आपके पास धनराशि नहीं है तो भगवान के लिए आप रक्षा सेनाओं के लिए जो पैसा दिया जाता है उसमें से कुछ बचाईए। चाहे जो कुछ भी आप रक्षा सेनाओं को दे चुके हैं। उसमे से जितना आप बचा सकते हैं बचाईए, इसमें से काफी पैसा बचाया जा सकता है। इंदिरा जी इसे करने की कोशिश कर रही थीं तथा आपको इसे करने में सफलता प्राप्त होनी चाहिए। इसके द्वारा आपको दस, बीस, तीस या चालीस करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी जिसे आप अन्य क्षेत्रों के विकास पर खर्च कर सकते हैं।

ऐसा किये जाने के बाद, मैं चाहता हूं कि सम्पूर्ण देश में 'हार्डवेयर' का विकास किया जाये। मेरे माननीय मित्र ने अभी-अभी कहा कि भारत के प्रत्येक भाग में इसका विकास हो चुका है। अभी नहीं। यह कहना तो वैसा ही है कि प्राथमिक शिक्षा सभी जगह प्रदान की जा रही है। सन् 2000 तक भी हमारे यहां 25 प्रतिशत व्यक्ति निरक्षर होंगे। मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं। यह माध्यम है जिसके द्वारा आप निरक्षर, स्कूल छोड़ कर जाने वाले विद्यार्थियों तथा जो स्कूलों में नहीं है उन तक पहुंच सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि टी०वी० सेट दो तरह से उपलब्ध कराये जायें, एक तो मुफ्त दूसरा रियायती दरों पर, स्कूलों, सहकारी समितियों, उचित दर की दुकानों, डाकघरों पंचायत कार्यालयों आदि में टी०वी० उपलब्ध कराया जाना चाहिए तथा सामूहिक एजेन्सियों, सामाजिक एजेन्सियों को भी आप इसे उपलब्ध करा सकते हैं। जहां पर लोग बिना रोक-टोक इसे देख सकते हैं।

स्कूलों में अगर आप टी०वी० सेटों की सप्लाई करेंगे तो बीच में शिक्षा छोड़ देने वाले विद्यार्थियों की संख्या में कमी आयेगी। ये लोग सुबह से ही कार्यक्रम देख सकेंगे तथा इसके बाद लन्च के घण्टे में। इससे छात्र घर जाने के बजाय स्कूल में रहना पसन्द करेंगे। ऐसा किया जाना चाहिए। टी०वी० सेट मुफ्त उपलब्ध कराये जाने चाहिएं। इनकी कीमतों में कमी की जानी चाहिए इस पर किसी का उत्पादन शुल्क, बिक्री या अन्य कर नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त टी०वी० सेटों के उत्पादन का विकेन्द्रीकरण होना चाहिए तथा साथ ही इस तरह से इसे समेकित करना चाहिए कि यह कुटीर उद्योग या फिर लघु स्तर का उद्योग बन जाये। कीमतें कम की जानी चाहिए। तथा उस कीमत पर प्रत्येक जिले में हजारों की संख्या में तथा प्रत्येक राज्य में लाखों की संख्या में सरकार को इनकी खरीद करनी चाहिए। तथा इस तरह से एक वर्ष की अवधि में ही आपके पास कई लाख टी०वी० सेट होंगे तथा अगर आप इसे बढ़ाते जायें तो आपके पास श्रुतपंडोरा होगा जैसा कि पहले भी मैंने एक बार कहा था। नेत्रपंडोरा अलग चीज है। इनके माध्यम से आप पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों के लिए स्कूलों की मदद से और बिना मदद के इनको शिक्षा देने में समर्थ हो सकेंगे। बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने वालों की संख्या में भी कमी आयेगी। इस दिशा में मैं चाहता हूं कि सरकार आगे बढ़े, इस दिशा में हमने ज्यादा प्रगति नहीं की है। अगर वह इस बात को

[प्रो० एन०जी० रंगा]

कहेंगे कि सातवीं योजना में उनके पास पर्याप्त धन नहीं है। तो मैं मंत्री जी की इस बात से सहमत नहीं हूं। इसीलिए मैंने रक्षा बलों के बारे में सोचा। आप किसी भी अन्य मंत्रालय के बारे में कहिये, अधिकतर मंत्रालय इसमें दिलचस्पी लेंगे तथा इस तरीके से नये मंत्रालय के विकास कार्यों में सबसे ज्यादा योगदान एक मात्र इसी चीज से होगा तथा यह मंत्रालय का कितना शानदार विचार है, मानव संबंधों का विकास करना। यह सर्वांगीण मंत्रालय है; मानव संबंधों का विकास इसी के द्वारा किया जा सकता है।

मेरे मित्र प्रेस, रेडियो तथा दूरदर्शन के तकनीकी पहलुओं के बारे में बात करते रहे हैं। मैं उनके केवल प्रबन्धकीय पहलुओं पर कुछ कहना चाहूंगा। हमने इन सभी विकासोन्मुखी विभागों के प्रबन्धकीय पहलू के महत्व को कम आंककर बड़ी भारी गलती की है। प्रबंधकीय पहलू अपने आपमें एक कला है। यही कारण है कि हमारे विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले विषयों में से कारोबार प्रशासन भी एक विषय है और भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा ऐसे सभी लोग अन्य लोगों की तुलना में कहीं आगे हैं, क्योंकि लोगों की समस्याओं से निपटना होता है।

कलाकार अत्यन्त संवेदनशील होते हैं और आसानी से उत्तेजित हो जाते हैं और पत्रकार भी बहुत अधिक उत्तेजित होने वाले व्यक्तियों में से हैं और ऐसे लोगों से निपटने के लिए व्यक्ति में प्रबंधकीय क्षमता होनी चाहिए। सबसे अधिक क्षमता किन लोगों के पास संभव है? यह क्षमता इन अधिकारियों के पास है और हमें इनमें दोष नहीं निकालने चाहिए, लेकिन साथ ही हमें इनसे संतुष्ट भी नहीं होना चाहिए। हमें ऐसे लोगों का एक विशेष संवर्ग बनाना चाहिए जो आसानी से उत्तेजित होने वाले और एक दम परेशान होने वाले व्यक्तियों को नियंत्रित कर सकें। मैं चाहता हूं कि सरकार इस दिशा में कार्यवाही करे।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि हिंसा हमारे समाज में सिनेमा के माध्यम से, चाहे वह दूरदर्शन पर क्यों न दिखाया जाता हो, सभ्यता की आड़ में प्रवेश कर रही है। दूसरी चीज, सांप्रदायिक उन्माद है, हमें इनका मुकाबला करना होगा। इनका मुकाबला प्रेस द्वारा किया जा सकता है। लेकिन सरकार इन तीन एजेन्सियों के माध्यम से यथासंभव अधिक योगदान दे सकती है।

अब मैं प्रेस के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। हम प्रेस से किस प्रकार निपट सकते हैं। मेरे माननीय मित्र श्री जवाहरलाल नेहरू, आदि की बातें कर रहे थे। मुझे सोवियत रूस से काफी साहित्य प्राप्त होता है। हमें सबसे अधिक किसका नाम सदैव देखने को मिलता है। यह नाम है गोर्बाच्योव का; जब चीन की बात आती है तो जियोपिंग का नाम आता है। इससे पहले माओ का नाम आता था और किसी का नहीं। यह उनके लिए अच्छी बात हो सकती है। यह जरूरी नहीं कि हमारे लिए भी अच्छी बात हो सकती है। कम से कम यह बातें हमारे लिए विष नहीं हैं। यदि हमारे प्रधान मंत्री को दिखाया जाता है तो अन्य नेताओं को भी दिखाया जाता है अगर दण्डवते जी को दिखाया है तो श्री वाजपेयी और अन्य लोगों को भी दिखाया जाता है। श्री चन्द्रशेखर जब पद-यात्रा पर थे तो उन्हें भी दिखाया जाता था।

यह एक बढ़िया प्रणाली है। फिर भी यदि साम्यवादी दल इस प्रकार की आपत्ति करता है तो यह अत्यन्त आश्चर्यजनक एवं घोर असंगत है। मैं इसके बारे में और अधिक कहना नहीं चाहता और न ही इस प्रकार की आलोचना को कोई महत्व ही देना चाहता हूं। आप आगे बढ़ें, सारी शक्ति आप में निहित है।

6.29 म०प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

* श्री ए०सी० षण्मुख (बेल्लोर) : सभापति महोदय, मैं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करते हुए अपने दल आल इंडिया अन्ना डी०एम०के० की ओर से कुछ सुझाव देना चाहता हूं। सातवीं पंचवर्षीय योजना को देखने से पता चलता है कि दूरदर्शन के लिए 700 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है और आकाशवाणी के लिए भी 700 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है। मुझे प्रसन्नता है कि दूरदर्शन एवं रेडियो को बराबर महत्व दिया गया है। यदि 7वीं पंचवर्षीय योजना के अधीन दूरदर्शन के मुकाबले में आकाशवाणी के लिए कम राशि आवंटित की जाती तो मैं उसका विरोध करता। यह बात निर्विवाद है कि दूरदर्शन की पहुंच देश के केवल 20% लोगों तक है और वह भी शहरों में। दूरदर्शन सभी गांवों तक नहीं पहुंच सकता जबकि रेडियो गांवों तक पहुंच गया है और सस्ता होता है। दूरदर्शन मंहगा है एवं विलासिता की वस्तु है। रेडियो के ऊपर कही गई बातें गांव के लोग आसानी से समझ जाते हैं और दूरदर्शन की बातें उनकी समझ से बाहर रहती हैं। अतः मैं आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के लिए योजना के अंतर्गत किए गए विधिसंगत आवंटन की सराहना करता हूं। बेहतर होता यदि आकाशवाणी के लिए और अधिक राशि आवंटित की गई होती।

मद्रास दूरदर्शन के लिए दूसरे चैनल की मांग लम्बे समय से चलती आ रही है। मद्रास दूरदर्शन के लिए दूसरे चैनल की स्वीकृति अवश्य की जानी चाहिए।

मुझे यह कहना पड़ता है कि दूरदर्शन एवं आकाशवाणी केन्द्रीय सरकार के रक्षित अंग हैं। मेरा यह सुझाव है कि राजीव गांधी के शासन में राज्य सरकारों को दूरदर्शन और रेडियो को संभालने की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। यह कहना सही नहीं है कि केवल केन्द्रीय सरकार में ही दूरदर्शन एवं रेडियो को संभालने की क्षमता है। यह कदम सही नहीं है कि राज्यों को दूरदर्शन और रेडियो के संचालन का अधिकार नहीं है। इस तर्क में कोई बल नहीं है। राज्य सरकारें देश में संघीय शासन का अंग है। केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों के साथ मिलकर इस अधिकार का प्रयोग करना चाहिए।

जहां तक मद्रास दूरदर्शन का संबंध है, मैं मन्त्री महोदय के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि जब भी कोई केन्द्रीय मन्त्री मद्रास आता है तो मद्रास दूरदर्शन उन्हें विशेष महत्व देता है। वह उनके सारे कार्यक्रमों को दिखाते हैं। केवल केन्द्रीय मंत्रियों के मामले में ही ऐसा

* मूलतः तमिल में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

सोमवार, 21 अप्रैल, 1986 । 1 वैशाख, 1908 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ 1, पंक्ति 5 और नीचे से पंक्ति 5 में क्रमश: 'निधन सम्बन्धी उल्लेख' और 'प्रश्नों के मौखिक उत्तर' शीर्षकों के दोनों ओर से कोष्ठकों का लोप करिये ।

पृष्ठ 20, नीचे से पंक्ति 5, शीर्षक में 'उके' के पश्चात् 'देना' जोड़िये ।

पृष्ठ 63, नीचे से पंक्ति 7, 'किया गया है' के स्थान पर 'किया है' पढ़िये ।

पृष्ठ 63, नीचे से पंक्ति 6, 'यदि कोई' के स्थान पर 'यदि मंत्रालय द्वारा कोई' पढ़िये ।

पृष्ठ 103, नीचे से पंक्ति 13, शीर्षक में 'द्वारा नमूने' के स्थान पर 'द्वारा नये नमूने' पढ़िये ।

पृष्ठ 129, पंक्ति 13, 'श्री के.सी. शेखरगौड' के स्थान पर 'श्री के.वी. शेखरगौडा' पढ़िये ।

पृष्ठ 195, पंक्ति 13, शीर्षक में 'लिए लिए सहायता' के स्थान पर 'लिए सहायता' पढ़िये ।

पृष्ठ 245, पंक्ति 21, 'दिल्ली के' के स्थान पर 'दिल्ली की' पढ़िये ।

पृष्ठ 304, 306, 308, प्रथम पंक्ति, '(श्री हरिहर राव)' के स्थान पर '(श्री हरि राव)' पढ़िये ।

[श्री ए०सी षण्मुख]

नहीं है। जब केन्द्र सरकार के अधिकारी मद्रास आते हैं तो टेलिविजन पर उनका प्रचार किया जाता है। बात यहीं समाप्त नहीं हो जाती है। जब केन्द्रीय अधिकारियों की पत्नियां किन्हीं समारोहों में भाग लेती हैं तो मद्रास टेलिविजन उन्हें बहुत महत्व देता है। यह सचमुच खेद की बात है कि तमिलनाडु से निर्वाचित 39 संसद सदस्यों की गतिविधियों को मद्रास टेलिविजन पर आधा मिनट तक भी नहीं दिखाया गया। यहां तक कि जब संसद सदस्य केन्द्र सरकार के समारोह में भाग लेते हैं तो उनकी तस्वीर एक सैकंड के लिए भी नहीं दिखाई जाती है। वास्तव में मद्रास टेलिविजन ऐसा करने से डरता है।

मद्रास टेलिविजन पर हर रोज 20 सूत्री कार्यक्रम और इसके कार्यान्वयन के बारे में बताया जाता है। इसे प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही ऐसी अन्य महत्वपूर्ण समाज कल्याण योजनाओं को कोई महत्व नहीं दिया जाता। उदाहरण के लिए तमिलनाडु सरकार एक वर्ष में 250 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली पौष्टिक आहार की एक योजना को कार्यान्वित कर रही है। तेलगू योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। सोवियत संघ और अन्य समाजवादी देशों में ऐसा नहीं है। तमिलनाडु के गांवों में प्रत्येक घर में निःशुल्क बिजली सप्लाई की जाती है। लेकिन आकाशवाणी या टेलिविजन राज्य सरकार की ऐसी महत्वपूर्ण गतिविधियों का प्रसारण या प्रदर्शन करने की ओर ध्यान ही नहीं देते। भारत के प्रधान मन्त्री के लिए किए जा रहे प्रचार का जिक्र किया गया था। राष्ट्र के प्रधानमंत्री का जो प्रचार किया जा रहा है, हमारी उस बारे में दो रायें नहीं हैं। राष्ट्र के प्रधानमंत्री को इतना महत्व दिया जाना चाहिए। साथ ही राज्य की राजधानी के दूरदर्शन केन्द्र को राज्य के मुख्यमन्त्री और अन्य मंत्रियों की गतिविधियों को भी उतना ही महत्व देना चाहिए। रेडियो और टेलिविजन केवल केन्द्र सरकार के प्रवक्ता नहीं हो सकते।

परिवार नियोजन कार्यक्रम का आवश्यक प्रचार किया जा रहा है। यहां यह बताना होगा कि परिवार नियोजन योजनाओं के कार्यान्वयन के मामले में तमिलनाडु अन्य राज्यों के लिए एक पथप्रदर्शक है। रेडियो और टेलिविजन तमिलनाडु की परिवार नियोजन के लिए किए गए प्रयासों में प्राप्त सफलता का प्रसारण क्यों नहीं करते। इसलिए मेरी मांग है कि जब मद्रास टेलिविजन पर दूसरा चैनल शुरू किया जाए तो इस पर केवल राज्य सरकार की गतिविधियां ही दिखाई जाएं। पहला चैनल केन्द्र सरकार के लिए रखा जा सकता है। राज्य की राजधानी में दूसरे चैनल पर राज्य सरकार के बारे में ही बताया जाना चाहिए। आपने दिल्ली तथा बम्बई में दूसरा चैनल शुरू किया हुआ है। कलकत्ता तथा मद्रास महानगरों में भी दूसरा चैनल शुरू किया जाना चाहिए। आप राज्य में शुरू किए जा रहे दूसरे चैनल को तमिलनाडु में भी शुरू करने का प्रयास कर सकते हैं और उसके बाद आप अन्य राज्यों में इसे शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपको इसके कार्यकरण का अनुभव हो गया होगा। इससे राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक पहुंच पाएगी। यदि राज्य को इसके लिए 25 करोड़ रुपए भी आवंटित किए जाते हैं तो यह पर्याप्त है। मेरा प्रधान मन्त्री तथा माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री जी से अनुरोध है कि

मद्रास में दूसरे चैनल की स्वीकृति देने के बाद इसे राज्य सरकार की देखरेख में रखा जाना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि यदि राज्य सरकार को यह काम सौंपा गया तो राष्ट्र की अखंडता या एकता के लिए कोई संकट पैदा हो जाएगा।

दिल्ली या इसके आस-पास जो कुछ भी हो रहा है उसे टेलिविजन पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत दिखाया जाता है। कांग्रेस पार्टी के समारोह राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंग बन गए हैं। यहां तक कि यदि युवा कांग्रेस का नेता तालुक स्तर पर भी कोई काम करता है तो वह टेलिविजन के लिए राष्ट्रीय महत्व का विषय बन जाता है। लेकिन जिन राज्यों में कांग्रेस के अलावा अन्य दल सत्ता में हैं, वहां की गतिविधियों तथा ऐसे दलों के संसद सदस्यों को टेलिविजन पर कोई महत्व नहीं दिया जाता। जब हैदराबाद में तेलगु देशम पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा था तब टी०वी या रेडियो द्वारा इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। इसी तरह जब जनता पाटी, सी०पी०एम० या सी०पी०आई० या आल इंडिया अन्ना डी०एम०के० राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करता है तो दूरदर्शन उस ओर बिलकुल ध्यान नहीं देता। हाल ही में आल इंडिया अन्ना डी०एम०के० दल ने अपनी कार्यकारी परिषद की बैठक तथा जनरल काउंसिल की बैठक आयोजित की। टी०वी० या रेडियो ने उस समारोह की ओर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं समझी। आकाशवाणी या रेडियो यह नहीं सोचते कि राजनैतिक दल लोकतन्त्र का आवश्यक अंग हैं।

अधिकारी केन्द्र सरकार के समारोह तथा पदाधिकारियों पर प्रकाश डालने के लिए एक दूसरे के साथ विचार विमर्श करते हैं। वे केन्द्र की गतिविधियों को अत्यधिक महत्व देते हैं। वे केन्द्र में अपने राजनैतिक अधिकारियों की चापलूसी करते रहते हैं। मेरा मांग है कि रेडियो तथा टेलिविजन को सप्ताह में कम से कम एक बार राज्य सरकारों की गतिविधियों पर प्रकाश डालना चाहिए। पहले फिल्म डिवीजन केन्द्र तो केन्द्रीय सरकार के अधीन था। अब राज्य सरकारें भी सूचना फिल्में दिखाती हैं और वे बहुत लोकप्रिय हैं। वास्तव में, उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं। विदेशों में विशेषकर यूरोप में दूरदर्शन, रेलवे, विद्युत विभाग, आदि गैर-सरकारी क्षेत्र में आते हैं। मैं यह मांग नहीं कर रहा हूं कि टी०वी० तथा रेडियो को गैर-सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाना चाहिए। मैं यह भी चाहता हूं कि यह जिम्मेदारी राज्य सरकारों को सौंपी जाए।

जोशी समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाना चाहिए। इसी तरह काफी समय पूर्व चंदा समिति ने आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के लिए एक स्वायत्त निगम बनाने की सिफारिश की थी। मैं चाहता हूं कि ऐसा किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राष्ट्रीय महत्व के विषयों के प्रसारण में पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपनाया जाएगा। स्वायत्त निगमों को केन्द्र के शक्तिशाली लोगों से कोई खतरा नहीं होगा और वे उन पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे।

वेलोर में 1 किलोवाट की क्षमता वाला एक कम शक्ति वाला ट्रांसमीटर है। इसे बढ़ाकर 10 किलोवाट की क्षमता वाला दूरदर्शन केन्द्र बनाया जा सकता है। यह आश्वासन दिया गया था कि 1985 के अंत तक कोडइकनाल में 10 किलोवाट की क्षमता वाला टी०वी० केन्द्र खोल दिया जाएगा। ऐसा अभी तक नहीं किया गया है। मैं चाहता हूं कि यह काम भी शीघ्र किया जाना

[श्री ए०सी० वष्मुख]

चाहिए। देश के प्रत्येक जिला मुख्यालय में कम शक्ति वाला एक ट्रांसमीटर लगाया जाना चाहिए, ताकि लोगों की भलाई के लिए जो आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं उन्हें टेलिविजन पर दिखाया जा सके। केवल तभी ग्रामीण क्षेत्रों को इसके अंतर्गत लाया जा सकेगा। कोलम्बो रेडियो तथा दूरदर्शन भारत विरोधी प्रचार कर रहे हैं। यह केन्द्र इतने सशक्त हैं कि समस्त तमिलनाडु में इस प्रकार का भारत विरोधी प्रचार छाया हुआ है। कोलम्बो प्रसारण आसानी से दिल्ली में सुना जा सकता है, किंतु, तमिलनाडु से कोई प्रसारण दिल्ली में नहीं सुना जा सकता अथवा दिल्ली का कोई प्रसारण भोपाल में नहीं सुनाई देता। कन्याकुमारी में उच्च शक्ति वाला दूरदर्शन तथा रेडियो प्रासारण केन्द्र स्थापित होना चाहिए जहां से श्रीलंका की जनता के प्रति हमारा दृष्टिकोण प्रसारित किया जाए।

अपना भाषण पूरा करने से पूर्व, मुझे यह कहना पड़ रहा है कि आकाशवाणी और टी०वी० और विशेषकर टी०वी० हिन्दी को थोपने का माध्यम बन गए हैं। मैं इसलिए यह आरोप लगाना चाहता हूं क्योंकि राष्ट्रीय कार्यक्रम के नाम पर हिन्दी थोपी जा रही है। आप कैसे इस बात की आशा करते हैं हिन्दी न जानने वाले लोग हिन्दी में प्रसारित कार्यक्रम समझ सकेंगे ? वह ऐसे कार्यक्रमों का आनन्द नहीं ले सकते हैं। रेडियो और दूरदर्शन को पूरे देश में हिन्दी का प्रचार करने के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाना चाहिए। राष्ट्रीय कार्यक्रम में क्षेत्रीय भाषाओं को भी महत्व दिया जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री शांताराम नायक (पणजी) : उचित या अनुचित रूप में, मेरा यह विचार था कि हमारे सूचना तथा प्रसारण मंत्री सबसे अधिक धनवान मंत्रियों में से हैं केवल इस कारण से कि इनकी अन्य मन्त्रियों की भांति कोई वित्तीय समस्या नहीं है, जैसे कि आपके पास आपका अपना धन है जो आपने विज्ञापनों द्वारा प्राप्त किया है—करोड़ों रुपये—और वास्तव में आप इसके हकदार हैं। अत: इस सम्बन्ध में मैं अपने साथी श्री फैलीरो द्वारा विज्ञापनों के सम्बन्ध में उठाये गए मुद्दों के बारे में कहना चाहूंगा, इसमें निस्संदेह, इसके कुछ कुपरिणाम भी हैं, किंतु जब तक हमारे पास ये विज्ञापन नहीं होंगे, हम टी०वी० की नेटवर्क को नहीं बढ़ा सकेंगे। यदि विज्ञापनों का विरोध करना है तो इनका पूर्ण रूप से विरोध होना चाहिए। एक पहलू से मुझे भी इस बात का अनुभव हो रहा है कि यह विज्ञापन भी अधिक बढ़ गए हैं क्योंकि इनसे किसी वस्तु का मूल्य भी बढ़ जाता है। विज्ञापन के बिना यदि किसी विशेष वस्तु का मूल्य 1 रु० है तो विज्ञान के साथ इसका मूल्य 10 रु० होगा। इस प्रकार मुझे भी इसमें एक आपत्ति है। किंतु आखिर सारा विश्व विज्ञापनों से ही चलता है। अत: इस प्रकार यह संसार जो विज्ञापन (दिखावे) का संसार है, उपभोक्ता उत्पाद विज्ञापन द्वारा ही बेचे जाते हैं; और दूरदर्शन से इसका भाग नहीं छीना जाना चाहिए; और यदि दूरदर्शन को यह भाग नहीं मिलता है, तो क्या होगा कि अन्त में समाचार पत्रों को लाभ मिलेगा, सिनेमा घरों के अपने विज्ञापन होंगे। केवल सरकारी प्रचार माध्यम विज्ञापनों से महरूम हो जायेंगे। यह उचित नहीं है।

अत:, अब जो यह बॉक्स है जिसे कभी मूर्ख बॉक्स कहा जाता है, अब मूर्ख बॉक्स नहीं

रहेगा; यह मूर्ख बॉक्स नहीं है; भविष्य में यह एक बहुत ही बुद्धिमान बॉक्स होगा, किंतु उसमें कुछ दशक लग जायेंगे। उस प्रकार से तो यह बहुत महत्वपूर्ण है।

वर्तमान दशक, दूरदर्शन का दशक है। पहले इस देश में सिनेमा के अनेक दशक चले, किंतु 1981 से लेकर यह दशक दूरदर्शन का दशक रहा है। जहां तक दूरदर्शन द्वारा प्रसारित शृंखलाओं का सम्बन्ध है मैं यह कहूंगा कि मैं बहुत संतुष्ट हूं; संतुष्टि की प्रतिशतता असंतुष्टि से अधिक है। समाचार पत्रों में भी कभी आलोचक स्तंभों में, बुरी तरह धारावाहिकों की आलोचना होती रहती है। 20 प्रतिशत धारावाहिक ऐसे हैं जिन्हें आप बुरे कह सकते हैं, किंतु दूरदर्शन से प्रसारित 80 प्रतिशत धारावाहिकों से मैं संतुष्ट हूं। जहां तक इन धारावाहिकों के विस्तार का सम्बन्ध है आपके मंत्रालय में एक प्रकार की प्रणाली होनी चाहिए जो यह निर्धारित करें कि क्या इन धारावाहिकों को जारी रखना है अथवा नहीं और इस प्रकार का मत वह सीधे जनता से प्राप्त करें। और इससे आपको यह देखने के लिए निर्देश मिलेगा कि जो धारावाहिक चल रहे हैं क्या उन्हें जारी रखा जाए अथवा नहीं। आपसे अन्धविश्वास का पर्दाफाश करके एक अच्छा काम किया है। मैं हर समय इस विषय पर कहता रहा हूं; पिछली बार भी मैंने इस मंत्रालय की मांग पर यह मुद्दा उठाया था। मैंने इस बात बल दिया कि आपका मंत्रालय इस बात की ओर ध्यान दे कि ऐसा कोई धारावाहिक, कोई कार्यक्रम हो, जिससे जनता को अन्धविश्वास से छुटकारा दिलाया जा सके। आपने इस प्रकार का कार्यक्रम छोटी बड़ी बातें आरंभ किया है। रजनी एक अच्छा कार्यक्रम है। इस बात पर बल दिया गया है कि अन्धविश्वास कितना बुरा है। यह भी श्री फैलीरो के पक्ष में जाता है। मैं इस मुद्दे पर उनसे पूरी तरह से सहमत हूं। निस्संदेह हमारा देश धर्म-निपक्ष देश है, किंतु हम सभी धार्मिक बातों का प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं जिससे भावनाएं जागृत होती हैं। धर्म व्यक्तियों की निजी बात होनी चाहिए सरकारी माध्यम इसे स्पष्ट नहीं करें। हम यह कहें कि हम सभी के धर्मों को अभिव्यक्त कर रहे हैं; हम सभी धर्मों की बातें कर रहे हैं। वह बात नहीं है। हम ऐसी कोई भूमिका न निभाएं जिससे धर्म अथवा धार्मिक कार्यक्रम अभिव्यक्त हों; गैर-सरकारी व्यक्ति इसे गैर-सरकारी संस्थाओं की तरह करें।

यद्यपि बहुत से मुद्दों पर बात हुई है, किंतु किसी ने भी छाया गीत के पहलू के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा। प्रारम्भिक स्तर पर देखने वाली चीज वास्तव में छाया गीत और फीचर फिल्में ही हैं। मैं यह कहता हूं कि कार्यक्रम में अच्छी प्रकार के अधिक गाने शामिल किए जाएं। निस्संदेह, हाल ही में आपने ऐसा करना आरंभ किया है। कुछ पुरानी फिल्मों के गाने भी प्रसारित हुए हैं। किंतु मैं देखता हूं कि "सी" और "डी" श्रेणी की फिल्मों के भी कुछ गीत प्रसारित किये जाते हैं जो नहीं होना चाहिए। फिल्मी गानों के सम्बन्ध में एक प्रकार से संतुलन किया जाता है। मैं आपको एक सीधी सी बात बताता हूं। यदि कोई ऐसा फिल्मी गीत प्रसारित होता है जिसमें श्री सुनील दत्त भाग ले रहे हैं, तो दूरदर्शन अधिकारी यह सोचते हैं कि अमिताभ बच्चन अप्रसन्न होंगे। अतः वह भी उनका एक फिल्मी गीत प्रसारित करते हैं और उसके पश्चात् वैजयन्तीमाला का भी एक। इस प्रकार एक छाया गीत या चित्रहार कार्यक्रम में वे तीनों संसद सदस्यों के फिल्मी गीत दिखाएंगे जिससे किसी भी संसद सदस्य के प्रति भेद-भाव नहीं हो।

[श्री शांताराम नायक]

अन्त में आकाशवाणी के समाचार के सम्बन्ध में, मुझे नहीं मालूम कि मैं कहां तक इस संबंध में कुछ कहूं। किन्तु एक बात है कि संसद में हम जो कुछ करें वह जनता को मालूम होना चाहिए। वास्तव में मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है। आकाशवाणी का 2 म०प० समाचार बुलिटिन प्रश्न काल के संबंध में पर्याप्त समाचार नहीं देता है। दूसरे, जब आकाशवाणी को प्रतीत होता है कि मंत्री द्वारा किसी प्रश्न का उत्तर महत्वपूर्ण है, तब वह प्रश्न पूछने वाले का नाम बताये बिना ही उत्तर बताएंगे। ऐसा क्यों हो ? यदि आकाशवाणी वाले देखते हैं कि मंत्री द्वारा कोई विशेष उत्तर प्रसारण के लिए महत्वपूर्ण है, तो मंत्री के नाम के साथ प्रश्न करने वाले का नाम भी दिया जाना चाहिए।

आकाशवाणी समाचार द्वारा संसदीय कार्यवाही की "कवरेज" की कुल प्रतिशतता बढ़ाई जानी चाहिए। कभी-कभी छोटे समाचार मदों में बल्गारिया, निकारागुआ आदि को प्राथमिकता दी जाती है और संसद में प्रश्न काल को नहीं। संसद में क्या होता है, यह बात समाचार में नहीं होगी।

प्रत्येक व्यक्ति ने समाचारों के महत्व के बारे में कहा है। कुछ दिन पहले जब श्री सिद्धार्थ शंकर राय पंजाब के राज्यपाल नियुक्त हुए, मैंने यह बात बी०बी०सी० से सुनी। आकाशवाणी ने यह समाचार दो घंटे पश्चात् प्रसारित किया। बी०बी०सी० द्वारा इस विषय पर समीक्षा भी आकाशवाणी के समाचार प्रसारण से पूर्व आया। इन बातों की ओर हमें ध्यान देना चाहिए।

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय से सम्बद्ध अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

मैं विभाग की प्राप्तियों और भविष्य में क्या किया जाएगा इस सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए माननीय मंत्री को बधाई देता हूं। जैसा आप जानते हैं, हम चीन गए थे। वहां दूरदर्शन और रेडियो को परिवार नियोजन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए प्रयोग किया जाता है। निकट भविष्य में हमारा देश विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश होगा और चीन से भी आगे निकल जाएगा। अतः प्रचार माध्यमों द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रमों को दर्शाया जाये जिससे जनता में जागरुकता उत्पन्न हो सके। दूरदर्शन और रेडियो एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि वह कुछ नहीं कर रहे हैं। किंतु वह जो कर रहे हैं, अपर्याप्त है।

हम अन्य देशों में भी गए हैं। हमने देखा है कि कुछ देशों में सदन की कार्यवाही भी दूरदर्शन पर दर्शाई जाती है। यहां भी कार्यवाही का कोई अंश दूरदर्शन से प्रसारित हो सकता है जिससे जनता को यह मालूम होगा कि संसद में क्या कुछ हो रहा है और उनके प्रतिनिधि सदन में क्या कर रहे हैं। इसी प्रकार गरीबी से ऊपर उठाने के कार्यक्रम इस प्रकार रेडियो तथा दूरदर्शन से प्रसारित होने चाहिए जिससे सामान्य व्यक्ति शिक्षित हो। उसको यह बात समय में आ जानी

चाहिए कि यह कार्यक्रम क्या है और उसको उन कार्यक्रमों से कैसे लाभ मिलेगा। यदि उसको इन कार्यक्रमों का ज्ञान है, तो इस प्रकार की आलोचना कि कार्यक्रमों को कार्यान्वित नहीं किया जाता है, और जनता को उनका लाभ नहीं मिल रहा है, अथवा उनका शोषण हो रहा है, अथवा बिचौलियों को लाभ मिल रहा है, बहुत हद तक दूर की जाएगी। माननीय मंत्री के इस ओर ध्यान देना चाहिए। विपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि प्रधान मंत्री को दूरदर्शन पर दर्शाया जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि और किसको दूरदर्शन पर दर्शाया जाना चाहिए ? सरकार ही तो कार्य कर रही है और जो जनता को इसकी योजनाओं तथा कार्यक्रमों के सम्बन्ध में बता देगी तथा इन कार्यक्रमों और योजनाओं को किस प्रकार कार्यान्वित किया जाएगा। जब तक प्रधान मंत्री तथा अन्य मंत्री सभाओं को संबोधित नहीं करते और जनता को सरकार की नीति के संबंध में और योजनाओं के कार्यान्वियन के सम्बन्ध में नहीं बता दें, तो मेरा विचार है कि सामान्य व्यक्ति के लिए बनाई गई नीति अथवा कार्यक्रम ठप्प हो जाएंगे। इस प्रकार, केवल आलोचना के लिए आलोचना करने का कोई मतलब नहीं है।

मेरे चुनाव क्षेत्र और गंजाम जिले के एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करते हुए, मैं माननीय मंत्री का ध्यान वर्ष 1985-86 के मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन के परिशिष्ट-पांच की ओर दिलाना चाहता हूं। इसमें सातवीं योजना में प्रस्तावित रेडियो स्टेशनों की एक सूची है। ऐसा कहा जाता है कि उड़ीसा में गंजाम जिले में बहरामपुर में एक रेडियो स्टेशन खोला जाएगा। यह एक प्रकार से गंजम जिले की जनता की बहुत समय की एक बड़े रेडियो स्टेशन की मांग के लिए क्षमा-याचना होगी। अतः मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस बात की ओर पुनः ध्यान दें और बहरामपुर में एक बड़ा रेडियो स्टेशन स्थापित करें। गंजाम जिला उड़ीसा में शिक्षा केन्द्र रहा है भंजनगर उड़ीसा के कवि सम्राट उपेन्द्रभंज का जन्म स्थान है, और आस्का के निकट काली सूरजनगर कवि, सूरज बलदेव का जन्म-स्थान है। स्थानीय रेडियो स्टेशन इस क्षेत्र को कला तथा संस्कृति के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए है और यह लगभग 40 किलोमीटर के क्षेत्र में जनता की सेवा करेगा। बहरामपुर में इस प्रकार का स्थानीय केन्द्र बनाने का क्या अर्थ है ? बहरामपुर आंध्र प्रदेश से सात मील दूर जिले के कोने में तट के समीप स्थित है। स्थानीय रेडियो स्टेशन किस प्रकार से यह उद्देश्य पूरा करेगा ? यहां तक कि जिस उद्देश्य से स्थानीय रेडियो स्टेशन स्थापित होता है वह भी पूरा नहीं होगा यदि यह बहरामपुर में स्थापित किया जाए। यह तो या भंजनगर अथवा आस्का में होना चाहिए। यदि यह स्थानीय रेडियो स्टेशन आस्का अथवा भंजनगर में स्थापित किया जाए, तो इससे बहरामपुर की भारी जनता को भी लाभ होगा। अतः यदि हम किसी विशेष स्थान पर रेडियो स्टेशन बना रहे हैं, हमें भौगोलिक स्थिति भी देखनी चाहिए और यह भी देखना चाहिए कि यह किस प्रकार अधिक जनता की अच्छी प्रकार सेवा कर पाएगा। केवल इस कारण से कि बरहामपुर एक शहर है, केवल कुछ अधिकारियों के हित के लिए स्थानीय रेडियो स्टेशन इस स्थान पर नहीं स्थापित किया जाना चाहिए। इसे ग्रामोन्मुख होना चाहिए। सारा उद्देश्य ही नष्ट हो जायेगा यदि ऐसे स्थान पर रेडियो स्टेशन स्थापित किया गया जहां पर इसकी आवाश्यकता नहीं है तो यह कला और संस्कृति की उन्नति में सहायक नहीं होगा।

[श्री सोम नाथ रथ]

इसी प्रकार, बरहामपुर में एक कम शक्ति का टी०वी० स्टेशन स्थापित किया गया है लेकिन इस टी०वी० स्टेशन से किसको लाभ पहुंचता है ? एक ओर कार्यक्रम समुद्र की ओर जाते हैं तथा दूसरी ओर आन्ध्र प्रदेश की ओर। गंजम के लोगों को इस टी०वी० स्टेशन से लाभ नहीं पहुंचता। इसे या तो भंजनगर या आस्का में स्थापित किया जाना चाहिए जो विशेष रूप से गंजम जिले की एवं सामान्यतः उड़ीसा संस्कृति और विरासत के केन्द्र है।

तृतीय वे शक्तबनी में एक दूरदर्शन केन्द्र बनाने जा रहे हैं। मेरे सहयोगी श्री दिगाल, जो संसद सदस्य हैं, के गंजम जिले के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक विधान सभाई हिस्सा है—भंगनगर। फूलबनी जिले के कलिंग में एक दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने के लिए हम दोनों ने मंत्री महोदय से अनुरोध किया। यह एक मध्यवर्ती स्थान है इससे न केवल फूलबनी को लाभ होगा बल्कि कोरापुट की तरह गंजम जिले को भी लाभ होगा। दूरदर्शन केन्द्र उच्च शक्ति वाला होना चाहिए न कि कम शक्ति वाला। अतः इन विषयों पर मंत्री महोदय को विचार करने की आवश्यकता है। मैं अनुरोध करता हूं कि इस पर पुनरावलोकन करें और अधिसंख्य लोगों के लाभ के लिए आवश्यक कार्यवाही करें।

श्री बिनेश गोस्वामी (गौहाटी) : सभापति महोदय, हम आज मंत्रालय के लिए अनुदानों पर चर्चा कर रहे हैं, जिसका जनमत को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण स्थान है। सचमुच वह समय दूर नहीं जब एक राजनीतिज्ञ को अभिनेता बनना पड़ेगा यदि वह राजनीतिक जीवन में बना रहना चाहता है।

महोदय, मैं सदन को अपना एक अजीब अनुभव बता सकता हूं। मैं संयुक्त राज्य अमेरिका में था जब केनैडी और निक्सन के बीच बड़ी गम्भीरता से चुनाव लड़ा गया। दोनों में बराबरी की टक्कर थी इसकी चर्चा टेलीविजन में भी हुई। सुन्दर आकृति और अभिनेता की तरह लगने वाले केनैडी ने टेलीविजन पर आकर ऐसी धाक जमाई कि अगले ही दिन निक्सन की लोकप्रियता मतदान लेखा-चित्र पर 30 प्रतिशत घट गयी। आज दूरदर्शन माध्यम अन्य क्षेत्रों में विस्तार पाकर अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करने जा रहा है।

महोदय, मैं इस वाद-विवाद में नहीं जाऊंगा कि दूरदर्शन तथा रेडियो प्रधानमंत्री की छवि निखार रहे है या नहीं। लेकिन पिछले अनुभवों के सम्बन्ध में यह तथ्य बना ही रहेगा कि संचार साधन कतई निष्पक्ष नहीं रहे हैं तथा देश में हुई घटनाओं की जानकारी ऐसी दी है जिन पर विश्वसनीयता नहीं रही। महोदय, असम आन्दोलन के दौरान राज्य में हुई घटनाओं को कुछ इस प्रकार प्रदर्शित किया गया कि लोगों ने आल इंडिया रेडियो तथा टी०वी० को सुनना बन्द कर दिया और बी०बी०सी० सुनना शुरू किया। इसे मैं दुखद बात मानता हूं। यह स्थिति की गंभीरता है। मुझसे पहले बोलने वाले वक्ता महोदय अभी स्मरण करा रहे थे कि श्री सिद्धार्थ शंकर राय की नियुक्ति की घोषणा आल इंडिया रेडियो से पहले बी०बी०सी० ने की। मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय पिछली बातों को भूलकर और आल इंडिया रेडियो तथा दूरदर्शन की साख को पुनःस्थापित करेंगे।।

श्री सन्तोष मोहन देव (सिल्चर) : असम समझौते के बाद इसकी प्रतिपूर्ति की गयी है।

श्री विनेश गोस्वामी : मैं अकेले असम की बात नहीं कर रहा हूं। मैं जो भी कह रहा हूं वह यह कि आल इंडिया रेडियो तथा दूरदर्शन में लोगों की विश्वसनीयता हो। क्योंकि यदि विश्वसनीयता खो गई तो इस संचार माध्यम की प्रभाविकता खो जायेगी। महोदय, कुछ तुलनायें की गई हैं। ये सत्य है कि हमने दूरदर्शन की संख्या में खूब विस्तार किया है लेकिन जहां तक गुणवत्ता की बात है यह स्थिर बनी हुई है या घटी है। हमें अच्छे धारावाहिक सीरियल भी तैयार करने में समर्थ नहीं हो सके हैं। गाडगिल महोदय संभवतः इस बात से सहमत होंगे कि टी०वी० धारावाहिक सीरियलों का स्तर गिरा है। हम न केवल उत्तम कोटि के धारावाहिक सीरियल तैयार कर पाये हैं बल्कि अन्य देशों से लाई गई फिल्मों या धारावाहिकों को भी हमने भोंडा बना डाला हैं। मैं एक उदाहरण दूंगा। मैंने एक सुन्दर फिल्म देखी और आशा करता हूं कि गाडगिल महोदय ने भी देखी होगी। यह ट्वेल्व ऐन्ग्री मैन की कहानी पर आधारित फिल्म का हिन्दी संस्करण थी। जिसमें हैनरी फोन्डा महोदय ने अभिनय किया था। इसे हमारे दूरदर्शन पर दिखाया गया था। मैं सोचता हूं वह भट्टाचार्य या बसुचटर्जी ने इसे तैयार किया था। इस सुन्दर ट्वेल्व एन्ग्री मैन फिल्म में न्यायालय कक्ष जहां ज्यूरी के 12 सदस्य बैठे थे, के पांच दृश्य थे। इसकी सारी विषय वस्तु को भोंडा कर दिया गया तथा उसका प्रभाव जाता रहा।

बच्चों की फिल्मों में भी कुछ बाल चरित्र होते हैं परन्तु विषय हमेशा वयस्कों का रहता है। कल ही या परसों मैंने बच्चों की एक फिल्म देखी। उसमें कुछ तस्कर अंडमान जा रहे थे और एक बच्चे का पीछा कर रहे थे। हम बच्चों की, कोरिया या चीन की तरह, जहां फिल्म की विषय वस्तु बच्चों से सम्बन्धित होती है, सीदी-सादी फिल्में क्यों नहीं बनाते ? उदाहरण के लिए कुछ समय पहले हम अपने टी०वी० पर कोरिया या चीन मुझे याद नहीं की एक फिल्म देख रहे थे जिसमें बच्चे कुछ छोटे-2 जानवरों के साथ खेल रहे थे। मैं चाहता हूं कि हमारी फिल्मों में यही कुछ होना चाहिए।

7.00 म०प०

मेरे मित्र श्री विपिनपाल दास ने क्रिकेट की बात की। क्रिकेट में भी आप एक चीज पायेंगे कि रेडियो पर सुनाये गये और टेलीविजन पर दिखाये गये खेल के आंखों देखा हाल सुनाने में कोई अन्तर नहीं है। टी०वी० पर 'वर्णनकार' कमेंनटेटर कुछ इस तरह बोलेंगे मानो वे रेडियो पर कमेन्ट्री कर रहे हों इसका परिणाम यह होता है कि हमारे देखने के क्रम में बाधा पड़ती है और किये जा रहे वर्णन से ऊब होने लगती है। यदि आप अपने देश में और विदेशों में क्रिकेट के कार्यक्रमों के दिखाये जाने की तुलना करें तो आप पायेंगे कि हम क्रिकेट को उस रूप में नहीं दिखा सकते जिस रूप में इसे दिखाया जाना चाहिए ! गेंद की चाल को कभी नहीं दिखाया जाता। कभी-कभी रन लेने के चक्कर में आउट होते समय दर्शक देखना चाहता है कि बल्लेबाज कहां है, स्टम्प कब फेंके गये। मैंने देखा है कि गेंद फेंकते गेंदबाज या क्षेत्र रक्षक के केवल हाथ दिखाये जाते हैं इससे आप यह नहीं जान सकते कि खिलाड़ी कैसे आउट हो गया।

मुझे विश्वास है कि मन्त्रालय इन पहलुओं पर ध्यान देगा। ये धारावाहिक पाश्चात्य प्रभाव के कारण पूर्ण रूप से शहरी कुलीनों के लिए होकर रह गये हैं। किसी भी धारावाहिक में आप

[श्री दिनेश गोस्वामी]

भारत की मूल्यात्मा नहीं पायेंगे दुर्भाग्य से हम बम्बई मसाला फिल्मों को यह कहकर आलोचना करते हैं कि उनमें देश की कृत्रिम तसवीर दी जाती है। जिसके परिणामस्वरूप हम युवा पीढ़ी को पलायन की ओर प्रेरित कर रहे हैं। टी०वी० धारावाहिकों ने भी यही मार्ग पकड़ लिया है। यदि हम इस धारा को रोकने के लिए कुछ नहीं करते तो दूरदर्शन भी बम्बइया फिल्मों का संस्करण हो जायेगी जिसका इस देश में बम्बइया फिल्मों से भी अधिक हानिकारक प्रभाव होगा।

इस प्रकार मैं यह उम्मीद करता हूं कि आप इस संबंध में कुछ करेंगे। मुझे यह देखकर भी दुख है कि बम्बई के फिल्म अभिनेता, टी०वी० के पर्दे पर आ आ रहे हैं। मैं बम्बई फिल्म अभिनेताओं के विरुद्ध नहीं हूं परन्तु अपनी छवि प्रस्तुत करने का उनके पास अपना क्षेत्र है। इस देश में असंख्य कलाकार हैं सैकड़ों, हजारों प्रतिभाशाली कलाकार हैं जिनके पास स्वयं को प्रदर्शित करने के लिए माध्यम नहीं है। मैं समझता हूं कि टी०वी० को उन लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए जो फिल्म उद्योग में नहीं गये हैं, परन्तु जिनमें टी०वी० के बहुत अच्छे कलाकार होने की क्षमता मौजूद है।

जहां तक फिल्म का सम्बंध है सेंसर व्यवस्था आपके हाथ में नहीं है, मैं कुछ नहीं कहना चाहता परन्तु आप कृपया करके एक सन्देश मानव संसाधन मंत्रालय को दे दीजिये। मैं आपसे सेंसर व्यवस्था की अवेधता या अनियमितताओं के बारे में शिकायत करना नहीं चाहता ये सभी शिकायतें की जाती हैं, परन्तु प्रत्येक 'यू' श्रेणी की फिल्म में 'ए' श्रेणी का ट्रेलर दिखाया जाता है। 'यू' फिल्म बच्चों के लिए भी हो सकती है परन्तु ट्रेलर 'ऐ' होता है क्योंकि ट्रेलर में क्या होता है? नग्नता के अत्यधिक आकर्षक दृश्य होते हैं, इससे परिणामस्वरूप यदि आप अपने बच्चे के साथ फिल्म देखने के लिए सिनेमा हाल जाते हैं तो जहां तक फिल्म का सम्बन्ध है उसमें चाहे कुछ भी आपत्तिजनक न हो परन्तु ट्रेलर ऐसा होता है कि आप अपने बच्चे के साथ बैठ नहीं सकते। इसी-लिए मैं अनुरोध करूंगा कि यदि कोई 'यू' फिल्म बच्चों के लिए दिखाई जाती है तो उसमें 'ए' ट्रेलर नहीं दिखाया जाना चाहिये।

जहां तक प्रैस का सम्बन्ध है आपने जिम्मेदारी फिर किसी अन्य मंत्रालय अर्थात् श्रम मंत्रालय पर डाल दी है। इसीलिए मैं कुछ अधिक नहीं कहूंगा परन्तु भारतीय प्रैस शहरी दृष्टि कोण से अधिक नियन्त्रित है। भारतीय प्रैस दिल्ली कलकत्ता, मद्रास और बम्बई के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। भारतीय प्रैस सम्पूर्ण भारत की प्रैस नहीं है और इसीलिए क्षेत्रीय प्रैस को प्रोत्साहन देना महत्वपूर्ण हैं और क्षेत्रीय प्रैसों के मालिक अखबारी कागज सम्बन्धी नीति व अन्य समस्यओं के कारण बहुत कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं और मुझे आशा है कि सरकार की एक दूरदर्शी नीति होनी चाहिए ताकि क्षेत्रीय प्रेस को प्रोत्साहन मिल सके।

वास्तव में, अन्त में मुझे अपने मित्र श्री एस०एम० देव के साथ उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र के विषय पर आना पड़ेगा। उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र एक कठिन क्षेत्र है, एक ऐसा क्षेत्र है जहां नौ-जवानों के मन में अलगाव की भावनाएं हैं और जहां कुछ राज्यों में पृथकतावादी आन्दोलन हुए हैं। जो भी हो अखण्डता हमेशा द्विमार्गी प्रक्रिया है और इसीलिए आपको इस ओर विशेष ध्यान देना आरम्भ करना चाहिए। मैं केवल उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र की ही बात नहीं कर रहा हूं। हमारे मंत्रालय द्वारा इस

देश के असुरक्षित क्षेत्र को पहचाना जाना चाहिये और विशेष कदम उठाये जाने चाहिए और यह देखना चाहिए कि प्रेस और आपका मंत्रालय एकता की भावना जागृत करने में सक्रिय भूमिका अदा करता है। यह एक द्विमार्गी प्रक्रिया है। देश के उस भाग के लोगों को अवश्य ही यह अनुभव करना चाहिए कि वे भारतीय मुख्य धारा के अभिन्न अंग है और देश के अन्य भाग के लोगो को भी इसके बदले में उन्हें यह महसूस कराना चाहिए कि वे भी उस भाग के लोगों के साथ हैं। मैं आपका आभारी हूं कि आपने कुछ प्रोत्साहन दिया है, यह हमें मिला है मैं समझता हूं कि टी०वी० पर आधे घण्टे या 15 मिनट का एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र की बहुत अच्छी सांस्कृतिक भूमिका है और आप जानते हैं वहां विभिन्न प्रकार की जनसंख्या अरुणाचल, प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, नेफा और मिजोरम में है।

इसीलिए जो मैं कहना चाहूंगा वह यह है कि आप वहां की सम्भावनाओं का विस्तार करें। परन्तु केवल विस्तार से काम नहीं चलेगा। उस क्षेत्र के लिए आपकी दूरदर्शी योजना भी अवश्य होनी चाहिए। मान लीजिये आप टी०वी० प्रसारण को विस्तृत कर देते हैं और यह नहीं देखते कि इन क्षेत्रों के नौ-जवान वास्तव में इसका लाभ नहीं उठाते हैं, तब इसका बुरा असर पड़ेगा। इसीलिए अब से आगे, आपकी विस्तार के लिए दूरदर्शी योजना होनी चाहिए और उसी समय आपको नौजवानों को तकनीकी दिशा में ऐसा प्रशिक्षण देना चाहिए जो हार्डवेयर तथा सोफ्टवेयर दोनों पहलुओं को पूरा करें। मुझे यकीन है कि इस मामले में मंत्रालय एक उचित दिशा लेगा।

मुझे यकीन है जहां तक उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र की प्रगति का सम्बन्ध है श्री संतोष मोहन देव के क्षेत्र का मंत्रालय ध्यान रखेगा क्योंकि मैं जानता हूं कि वह एक ऐसे सदस्य हैं जो इसे नहीं छोड़ेंगे। परन्तु कृपया सारे उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र के लिए एक दूरदर्शी योजना तैयार कीजिए और अन्य क्षेत्रों के लिए भी जो कि किसी सीमा तक असुरक्षित हैं।

[हिन्दी]

श्री अजीज कुरैशी (सतना) : सभापति महोदय, मैं इन मांगों का समर्थन करने खड़ा हुआ हूं। इस मंत्रालय की तरक्की और उन्नति के लिए मैं माननीय मंत्री जी को हार्दिक बधाई देता हूं। जो रिपोर्ट उन्होंने प्रस्तुत की है, उसमें जो उपलब्धियां दिखाई हैं उन उपलब्धियों के लिए भी मैं उनको मुबारकबाद देता हूं।

लेकिन माननीय मंत्री जी कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें मैं माननीय सभापति महोदय के माध्यम से आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि मध्यप्रदेश को टी०वी० के विस्तार में जितना हिस्सा मिलना चाहिए था उतना हिस्सा आपका मंत्रालय मध्यप्रदेश को नहीं दे पाया है। मध्यप्रदेश में सतना एक बहुत ही धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर है। जहां हजारों टूरिस्ट्स आते हैं। वहां हमारी तरफ से काफी गुजारिश के बाद भी टी०वी० स्टेशन की स्थापना नहीं हो पाई है। हालांकि प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने वहां के लोगों के साथ हमदर्दी दिखाते हुए यह आश्वासन दिया था कि वे सतना में टी०वी० स्टेशन की स्थापना के बारे में विचार करेंगी और इससे लोगों को यकीन हो गया था कि वहां जल्दी ही टी०वी० स्टेशन की स्थापना हो जायेगी। लेकिन खेद है कि वहां आज तक टी०वी० स्टेशन की स्थापना नहीं हो पायी

[श्री अजीज कुरैशी]

है। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप सतना में टी०वी० स्टेशन की स्थापना के बारे में विचार करें।

सतना के करीब एक बहुत ऊंची पहाड़ी मैहर एक ऐतिहासिक नगरी है। जहां शारदा माता का मन्दिर है। इसलिए वहां के लोगों का यह विचार है कि अगर उस पहाड़ी पर रिले स्टेशन की स्थापना की जाए तो खजुराहो, पन्ना, सतना के आसपास के सारे इलाके कवर हो सकते है। आप इस बात का सर्वे अपने मंत्रालय द्वारा करा कर वहां टी०वी० स्टेशन की स्थापना करें।

दूसरी बात मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि अभी हमारे साथियों ने भी बहुत सी बातें कहीं, मैं भी कहना चाहूंगा कि टी०वी० पर आने वाले सीरियल और टेली-फिल्म्स के बारे में आम लोगों में यह विचार है कि जितना करप्शन, जितना भ्रष्टाचार दूरदर्शन में है उतना शायद आपको और कहीं नहीं मिलेगा। आपकी बहुत सी मेगजींस पब्लिश होती है। यह दुर्भाग्य की बात है कि "इंडिया टुडे" ने अपने एक अंक में कीमत तक दी हुई है कि अगर कोई फिल्म पास करानी हो तो इतना रुपया देना पड़ेगा, अगर कोई सीरियल पास कराना हो इतना रुपया देना पड़ेगा। आपके दूरदर्शन के लोग यह पैसा मांगते हैं। उनकी रकम बंधी हुई है। जब तक कोई प्रोड्यूसर दूरदर्शन के अधिकारी को उतनी रकम नहीं देता उसका कोई प्रोग्राम टी०वी० पर नहीं दिखाया जा सकता है। यह बड़ी दुखदायी और खेदजनक बात है।

अब मैं आपके सामने इस देश के बहुत ही विद्वान् लेखक, कलाकार, पत्रकार श्री के०ए० अब्बास जो पिछले 50 साल से इस देश की सेवा कर रहे हैं और जिनकें आर्ट, काबलियत, क्रियेटिव कांट्रीब्यूशन की सिर्फ न हिन्दुस्तान में बल्कि सारी दुनिया में कद्र होती है और जिनको सारी दुनिया मानती है, उनके बारे में कहना चाहूंगा। जब से श्री सत्यजीत रे को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाने लगा उससे दस साल पहले अब्बास साहब की फिल्म "धरती के लाल" इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टीवल में चुनी गयी थी और वह आज भी फ्रांस की आरकाईव्ज में रखी हुई है। उसके दस साल के बाद ही सत्यजीत रे को दुनिया में जाना जाने लगा। सभापति महोदय, उन के०ए० अब्बास ने एक टेलिफिल्म बनाने के लिए दूरदर्शन अधिकारियों को एक स्क्रिप्ट दिया।

मैं पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि उनके एक एसोसिएट प्रोड्यूसर से जो उनके घनिष्ठ संबंधी भी हैं, लेकिन उनसे खुले तौर से रकम मांगी गई, रुपया मांगा गया, रिश्वत मांगी गई और उनसे कहा गया कि जब तक इस राशि को नहीं देंगे, रिश्वत नहीं देंगे तब तक कोई ताकत नहीं है, के०ए० अब्बास हों या कोई और हों, वह फिल्म बना लें। जब मुझें मालूम हुआ तो उसके बारे में मैंने प्राइम-मिनिस्टिर को लिखा, उनको खत लिखा। दुःख की बात है कि के०ए० अब्बास जैसा आदमी, जिसने सारे भारत में प्रगति और क्रान्ति के विचारों का झंडा फहराया, 50 वर्षों तक सेवा की, उसके साथ अगर यह व्यवहार होता है तो इतिहास हम लोगो को माफ नहीं करेगा। प्रधानमंत्री जी ने कृपा करके मुझे लिखा कि मैंने इन्फर्मेशन मिनिस्टर को लिख दिया है और वे तुरन्त ही इस बारे में कार्यवाही करके जो भी बात होगी, उसकी आपको इत्तिला देंगे, लेकिन मैंने प्रधानमंत्री जी को यह भी लिखा था कि मैं आपको लिख रहा हूं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि

ब्यूरोक्रेसी, जिसके चंगुल में देश फसा हुआ है, वह कभी इसको होने नहीं देगी। वह हर मुमकिन कोशिश करेगी, इनसरमाउंटेबल ओब्स्टीकल्स रास्ते में लाएगी, रुकावटें पैदा करेगी और इस काम को नहीं होने देगी और वही हुआ। दो रोज पहले मुझे माननीय मंत्री जी का पत्र मिला, जिसमें उन्होंने लिखा कि तीन बार उसका अध्ययन किया गया, स्क्रिप्ट को दिखवाया गया, लेकिन उसकी रिपोर्ट यही आई कि के०ए० अब्बास की स्क्रिप्ट इस काबिल नहीं है कि टेलीविजन के अंदर, दूरदर्शन के अंदर उसकी फिल्म बनाई जाए। इतना ही नहीं बल्कि मंत्रालय ने मुझे लिखा है कि मंत्रालय में भी उसका अध्ययन कराया गया, उनकी भी यही रिपोर्ट है। मैं पूछना चाहूंगा कि कौन हैं वे लोग —

[अनुवाद]

ऊंचे स्थानों पर बैठे छोटे लोग श्री के०ए० अब्बास जैसे महान व्यक्ति की रचना की जांच करने के लिए सक्षम नहीं है।

[हिन्दी]

अगर आपमें शक्ति है, आपके अंदर ईमानदारी है तो बुलाइए डा० मुल्कराज आनंद को, बुलाइए हरिवंश राय बच्चन को, बुलाइए अमृता प्रीतम को, बुलाइए किसी विद्वान को, बुलाइए सत्यजीत रे को, बुलाइए शांताराम को और उनको यह स्क्रिप्ट दीजिए और फिर उनकी राय देखिए क्या होती है और आपकी राय क्या है। अगर यह नहीं कर सकते तो मैं चैलेंज करता हूं कि उस स्क्रिप्ट को और आपके अधिकारियों की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को दीजिए और फिर देखिए कितने पापियों को आपने पनाह दे रखी है अपने मंत्रालय के अंदर। जब तक आप उसका आपरेशन, मेजर आपरेशन नहीं करेंगे, तब तक तारीख और इतिहास आपको माफ नहीं कर पाएगा, यह मुल्क आपको माफ नहीं कर पाएगा।

सभापति महोदय, यह बहुत शर्मनाक, बहुत खेदजनक, बहुत चिंताजनक बात है, सारे देश के लिए और सारे देश के नेताओं के लिए, उन आर्टिस्टों के लिए, उन कलाकारों के लिए, जिनके पास भ्रष्ट अधिकारियों को देने के लिए रिश्वत के रुपए नहीं हैं। आज वे लोग मायूस हो जाएंगे, वे ही मायूस नहीं होंगे, बल्कि सारा देश मायूस हो जाएगा और अगर आप जैसा मंत्री, जिससे बहुत बड़ी आशाएं हैं, बड़ी उम्मीदें हैं सरेंडर कर देगा इस ब्यूरोक्रेसी के आगे तो शायद बहुत बुरा समय आने वाला है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप दोबारा इस पर गौर करें और अगर आप गौर न कर पाएं तो हमको सोचना पड़ेगा कि इस पूरी कार्यप्रणाली को बदलने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, इसको हम देखेंगे।

सभापति महोदय, दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जो टी०वी० आर्टिस्ट हैं, म्यूजरीडर हैं इनके साथ जितना एक्सप्लाएटेशन आपके अधिकारी करते हैं, उसकी शायद मिशाल नहीं मिलती। दुख की बात है, खेद की बात है कि टी०वी० आर्टिस्ट्स, म्यूज रीडर्स का और दूसरे लोगों का कोई प्रमोशन चैनल नहीं है। आपके यहां इनका एक्सप्लाएटेशन होता है और जो लोग अपने आपसे अपने बासेस के आगे सरेण्डर करते हैं, वही खुश रहते हैं, बाकियों को परेशान किया जाता है, ह्रास किया जाता है, तकलीफें दी जाती हैं, इसेल्ट की जाती है, ह्यूमिलिएट किया जाता है, मैं चाहूंगा कि इस ओर ध्यान दें और बाकायदा इनका प्रमोशन चैनल बनाएं और इनको बासेस के आतंक से, शोषण से सुरक्षित रखें, महफूज रखें तो आपकी बड़ी कृपा होगी।

[श्री अजीज कुरैशी]

सभापति महोदय, एडवर्टीजमेंट्स की बात की गई, इश्तहारों की बात की गई जो हमारे टी०वी० पर दिखाए जाते हैं। मैं उनके बारे में बात नहीं करूंगा कि क्रिकेट कामेंट्री चल रही है और बीच में कोई एडवर्टीजमेंट आ गया, मैं इससे ज्यादा माकूल बात करना चाहूंगा। बड़ी खुशी की बात है कि आपने संस्कृति के, कल्चर के, धर्म के, सभ्यता के बहुत सीरियल शुरू किए हैं, जो सारे देश के लोग देखते हैं और देश के लगभग 70 प्रतिशत देखने वाले आपके ग्रामीण क्षेत्रों के हैं, गांवों के हैं। मैं चाहूंगा कि क्या धर्म के बारे में, रामायण का, गीता का या और इस प्रकार का आपका कोई प्रोग्राम आ रहा है, होता यह है कि गांव के लोग देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं और इंटरप्शन होता है, मालूम होता है मैंगी-मैंगी-मैंगी ! कैडबरीज चाकलेट, हारलिक्स, बोर्नवीटा, ये क्या मजाक कर रहे हैं ? गांव के बच्चे जो जिंदगी भर दो वक्त की रोटी को तरसते हैं, सारी जिंदगी में वे कभी कैडबरीज का मुंह नहीं देख पाते हैं।

सारी जिंदगी जिनको मालूम नहीं हो पायेगा कि मैंगी क्या है, सारी जिंदगी जो बोर्नविटा और हारलिक्स के डिब्बे और शीशी की सूरत नहीं देख पायेंगे। वे क्या सोचते होंगे, कितनी महरूमी, कितने फ्रस्ट्रेशन के जज्बात उनके दिल में पैदा होते होंगे। इसकी तरफ आप देखिए और ध्यान दीजिए और अपने विज्ञापनों की नीति में सुधार कीजिए। दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा, जैसा कि हमारे दोस्तों ने कहा अध्योया के मामले में, राम-जन्म भूमि के मामले में, आपके टी०वी० का जो रोल रहा है, उससे ज्यादा दर्दनाक, शर्मनाक और चिंताजनक रोल शायद कभी नहीं हो पायेगा। सारे देश के अंदर रायट्स हुए, झगड़े हुए, लगता था कि टी०वी० वाले इंतजार में थे कि उस सारे एपीसोड को एक मख्सूस ऐन्गिल के साथ दिखाएं जिससे सारे देश के अन्दर नफरत, घृणा और झगड़े की भावना बढ़े। जैसा कि और सदस्यों ने कहा, मैं भी चाहूंगा कि इसकी छान-बीन करें और कड़ी कार्यवाही करें क्योंकि हमारा सेक्युलर किरदार जितना मजरूह हुआ, जख्मी हुआ, उससे बुरी मिसाल भारत के इतिहास में हमको नहीं मिल पायेगी।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा। अभी हमारे एक साथी, मैम्बर आफ पार्लियामेंट जो बड़े मशहूर आर्टिस्ट हैं, श्री सुनील दत्त, उन्होंने फिल्म प्रोड्यूसर्स को जो आप तीन, चार या पांच लाख रुपये देते हैं, उसको बढ़ाने की बात कही। आप उसे बढ़ाइये, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरी ख्वाहिश थी, इच्छा थी कि वह बात करते उन हजारों एक्स्ट्राज की, जिनका शोषण करके यह सारी फिल्म इंडस्ट्री चल रही है और जिनके संरक्षण के लिए न आपका मंत्रालय और न ये प्रोड्यूसर आज तक कोई काम कर पाए। मैं चाहता था कि वे बात करते उन एजेड और बूढ़े आर्टिस्ट्स की जो आउट आफ डेट हो जाते हैं। और इन्हें कोई पूछने वाला नहीं होता।

[अनुवाद]

वह बिना आदर के बिना रोये गाये मरा। कोई आंसू बहाने का कष्ट भी नहीं करना चाहता।

[हिन्दी]

मैं चाहूंगा कि आपका मंत्रालय इसका अध्ययन करे और फिल्म इंडस्ट्री के अन्दर हमारे

एक्सट्राज की सुरक्षा और संरक्षण के लिए कोई ऐसा काम करे जिससे जो लोग फिल्म बनाएंगे, उसका एक, तीन, पांच, सात या दस परमेंट जो भी उचित हो, वह राशि उन प्रोड्यूसर्स को उन एक्स्ट्राज बेनीफिट फण्ड में देनी पड़ेगी। जो राशि आप फिल्म में तय करते हैं, उस राशि का एक मख्सूस हिस्सा इस बेनीफिट फण्ड में देना पड़ेगा। यही फण्ड एक्स्ट्राज के लिए बूढ़े और एजेड आर्टिस्ट के लिए इस्तेमाल हो जाए ताकि उनका संरक्षण हो और समाज के अंदर शोषण न हो पाए। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इतना समय दिया। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी मेरी इन बातों पर ध्यान दें और जल्दी से कार्यवाही करें जिससे हम सबको संतोष हो सके।

[अनुवाद]

***श्री आर० जीवरत्नम** (आरकोनम) : सभापति महोदय, सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की वर्ष 1986-87 के लिए अनुदानों की मांगों का पूरा समर्थन करने के बाद मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में दूरदर्शन के लिए 700 करोड़ रुपये जो नियत किये गये हैं उसका मैं स्वागत करता हूं। ऐसा समझा जाता है कि सातवीं योजना के अंत तक 80% जनसंख्या टी०वी० कार्यक्रम देख सकेगी। दूरदर्शन केवल मनोरंजन का ही साधन नहीं है हमारे देश में स्वतंत्रता के 39 वर्षों के बाद भी 70% लोग अनपढ़ हैं। निरक्षरता दूर करने के लिए दूरदर्शन एक सशक्त माध्यम हैं। मेरा सुझाव है कि प्रौढ़ शिक्षा के उद्देश्यों के लिए दूरदर्शन को पाठ प्रसारित करने चाहिए। दूरदर्शन की प्रगति से देश में रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है। अधिक टी०वी० सेटों का उत्पादन किया जायेगा टी०वी० सेटों की मरम्मत व रखरखाव के लिए तकनीकी रूप से दक्ष नौ जवानों की आवश्यकता होगी। मेरा सुझाव है कि सम्पूर्ण देश में टी०वी० सेटों के रखरखाव के लिए आई०टी०आई० को अधिक युवकों को प्रशिक्षण देना चाहिए।

पूरे देश में 1985 के अंत तक हमारे पास 179 टी०वी० ट्रांसमीटर थे जिनमें से 44 उच्च शक्ति ट्रांसमीटर थे और बाकी 135 निम्न शक्ति के थे। तमिलनाडु में हमारे पास मद्रास व कोडी-कनाल में उच्च शक्ति के ट्रांसमीटर हैं। अन्य छः कस्बों में निम्न शक्ति के ट्रांसमीटर है। वेल्लोर में एक कम शक्ति वाला ट्रांसमीटर सेन्टर है। वेल्लोर में हमारा संसार प्रसिद्ध क्रिस्चन मिशन हस्पताल हैं। वेल्लोर और संलग्न क्षेत्रों से संसार के बहुत से देशों को चमड़ा और चमड़ा उत्पाद का निर्यात किया जाता है। इसीलिए मैं मांग करता हूं कि एक 10 किलोवाट ट्रांसमीटर के साथ पूरी तरह सुसज्जित टी०वी० स्टेशन की वेल्लोर में स्थापना की जानी चाहिये। इस काम के लिए आवश्यक धन का निर्धारण किया जाना चाहिए।

टूटीकोरीन, उद्कमण्डलम् और कोडियाकनाल मे नये रेडियो स्टेशन की स्थापना के प्रस्ताव का मैं स्वागत करता हूं। इस अवसर पर मैं यह मांग करता हूं कि वेल्लोर के निकट इलागिरी में एक रेडियो स्टेशन की स्थापना अवश्य की जानी चाहिए ताकि वेल्लोर को संसार के प्रसारण नक्शे पर ला सके। वेल्लोर में पी०आई०बी० दफ्तर व क्षेत्र प्रचार दफ्तर हैं। मद्रास से गुडियाधम होते हुए बैंगलोर जाने वाली माइक्रोवेव को गुडियाधम पर रोका जाना चाहिए और तब इसे वेल्लोर ले जाया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि इसमें केवल 90,000 रुपये का खर्च

*मूलतः तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री आर० जीवरत्नम]

आयेगा। केन्द्र सरकार के लिए यह खर्च कोई बड़ी बात नहीं है। यह भी मैं जानता हूं कि वेल्लोर के कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर सेन्टर ने इस कार्य के लिए प्रस्ताव रखा है। मैं यह चाहता हूं कि आप इस ओर जल्दी ध्यान दें।

मद्रास टी०वी० पूर्ण रूपेण रंगीन टी०वी० स्टेशन होना चाहिए। मद्रास टी०वी० के लिए दूसरे चैनल की अनुमति भी मिलनी चाहिए। तमिलनाडू की देश में सबसे बड़ी समुन्दतट रेखा है। तट पर जगह-जगह चक्रवात चेतावनी केन्द्रों की स्थापना की जानी चाहिए ताकि तमिलनाडू के आल इंडिया रेडियो स्टेशन से चक्रवात चेतावनी को प्रसारित किया जा सके। मैं चाहता हूं कि कुद्दालौर व रामनाथपुरम में ए०आई०आर० के ऐसे प्रसारण केन्द्रों की स्थापना करनी चाहिए।

महोदय तमिलनाडू कोलम्बो रेडियो की प्रसारण क्षमता के अन्दर है। कोलम्बो का टी०वी० प्रसारण भी तमिलनाडू से देखा जा सकता है। मैं चाहता हूं कि टूटीकोरिन में कोलम्बो रेडियो के प्रसारण को रोकने के लिए उच्च शक्ति के रेडियो स्टेशन की स्थापना की जानी चाहिए। हम हर समय कोलम्बो रेडियो से तमिल विरोधी प्रसारण नहीं सुन सकते।

मैं समझता हूं कि श्रव्य-दृश्य प्रचार के महानिदेशालय को जल्दी ही बन्द किये जाने की सम्भावना बन रही है। यह महानिदेशालय क्षेत्रीय भाषाओं के साप्ताहिक व मासिक पत्रिकाओं के अलावा सारे देश में छोटे व क्षेत्रीय भाषा के अखबारों को सरकारी विज्ञापनों का उचित वितरण सुनिश्चित करता है। डी०ए०वी०पी० के दफ्तर को बन्द करने से ऐसे छोटे अखबारों व पत्रिकाओं पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। मुझे यह भी बताया गया है कि सरकारी विज्ञापन को निजी क्षेत्रों में विज्ञापन करने वाली कम्पनियों को दे दिया जायेगा। पहले ही परिवार कल्याण योजनाओं के विज्ञापन व गंगा-सफाई के विज्ञापन निजी विज्ञापन कम्पनियों को दिया जा चुके हैं। इस भूमिका में मैं डी०ए०वी०पी० को बन्द करने का समर्थन नहीं करता। मेरा सुझाव है कि डी०ए०वी०पी० की कार्यवाही को पुर्नगठित किया जाए और यदि आवश्यक हो, तो डी०ए०वी०पी० का पुर्नगठन भी किया जाना चाहिए परन्तु किसी भी कीमत पर इसे बन्द नहीं करना चाहिए।

ऐसा भी मैं समझता हूं कि सारे देश में प्रैस सूचना ब्यूरो व इसके 35 शाखा केन्द्रों को भी बन्द किये जाने की सम्भावना है। पी०आई०वी० एक सफेद हाथी है जो कोई कार्य नहीं करता। पी०आई०वी० द्वारा किया जाने वाले खर्च को अनुदान रूप में पी०टी०आई० व यू०एन०आई० सूचना केन्द्रों को देना चाहिए। वे अच्छा कार्य कर रहे हैं, और सारे संसार में उनके कार्यालय हैं वास्तव में मेरा सुझाव है कि पी०टी०आई० व यू०एन०आई० सूचना केन्द्रों के विस्तार के लिए अधिक धन जुटाया जाना चाहिए। पी०आई०वी० को बन्द करने का मैं समर्थन करता हूं। मैं मंत्रालय के प्रशासकीय खर्चे को 50% कम किये जाने के प्रयत्न का स्वागत करता हूं।

महोदय मेरी मांग है कि टी०वी० को प्रतिदिन अपने कार्यक्रमों की शुरूआत राष्ट्र-पिता महात्मा गांधी की पूरी तस्वीर दिखाने के बाद करनी चाहिए। इससे देश की नौजवान पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी इसी प्रकार राष्ट्रीय नेताओं जैसे पं० नेहरू, राजाजी, सुभाष चन्द्र बोस कामराज, सत्यामूर्ति की जीवनी व कार्यों की लघु फिल्म प्रति सप्ताह टी०वी० पर दिखाई जानी चाहिए ताकि एकता की भावना को बढ़ावा मिले। गांधी जी के उपदेशों को भी नियमित रूप से टी०वी० से प्रसारित किया जाना चाहिए। क्षेत्रीय टी०वी० केन्द्रों में समय-समय पर उस क्षेत्र के स्वतंत्रता सैनानियों का वृत्त चित्र दिखाया जाना चाहिए। ये फिल्में क्षेत्रीय भाषा में ही होनी चाहिये। इससे यह आश्वासन मिलेगा कि क्षेत्रीय राजनैतिक दलों की अधिक संख्या में वृद्धि नहीं हो रही है। इस प्रकार टी०वी० व रेडियो की राष्ट्रीय एकता और अखण्डता को बढ़ाने के लिए जागरूक प्रयत्न किया जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : सभापति महोदय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित मूल प्रश्नों पर आने से पहले मैं माननीय मंत्री से श्रमजीवी पत्रकारों के बारे में दिये गये निर्णय के प्रश्न पर श्रम मंत्रालय से बातचीत करने का निवेदन करूंगी । हो सकता है कि सीधे तौर पर आपके मंत्रालय की यह जिम्मेदारी न हों परन्तु यह आपके मंत्रालय से संबंधित उद्योग है । अत: मैं आशा करती हूं कि आप ऐसा करेंगे ।

मेरे पास सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का विरोध करने का कारण हैं इसलिए नहीं कि मेरा हमारे कुशल मंत्री महोदय से कोई झगड़ा है बल्कि उन नयी बातों के कारण जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय में हो रही है । प्रो० रंगा ने कहा है : हम हमेशा आलोचना करते है इसमें नयापन क्या है ?'' मैं मंत्री महोदय से यह समझने का निवेदन करूंगा कि नये तौर-तरीके, नयी संस्कृति, जिसे आधुनिक सोफ्टवेयर के माध्यम से प्रचारित किया जा रहा है, जो एक नये प्रकार की है, के बारे में जो आलोचना आज इस सभा में की जा रही है, वह बहुत ही संगत है । दूरदर्शन का यह माध्यम जिसका बहुत तेजी से विकास हो रहा है और संभवत: अधिक लोगों तक पहुंचेगा, बहुत ही अधिक प्रभावशाली होगा । अत: यह बहुत ही आवश्यक है कि आज जो प्रभाव पड़ रहा है उस पर समग्र रूप से विचार किया जाये । मैं इसे आकस्मिक बात नहीं समझती कि आज जोशी समिति की सिफारिशें धूल चाट रही हैं । जोशी समिति ने वास्तव में मुख्य बल इसी बात की तरफ दिया था जिस पर हमारे दूरदर्शन को ध्यान देना चाहिए, और मैं इसे आकस्मिक बात नहीं समझती कि इसे व्यावहारिक रूप से छोड़ दिया गया है । मैं इस पर बाद में बात करूंगी ।

दूरदर्शन के नये व्यावसायीकरण से जो कुछ हुआ है अब इसके बारे में देखते है । लगभग प्रत्येक व्यक्ति ने विज्ञापनों के बारे में कहा है । ये विज्ञापन किसके लिए हैं ? परन्तु हमारे देश की अधिकांश जनता में प्रचलित जीवन के तौर-तरीकों से इन विज्ञापनों का लेना देना है ? उनके लिए यह बिल्कुल असंगत है । उनका मुख्य बल है; 'नीकि-ताशा खरीदये', 'यह प्रेशर कुकर खरीदये,' अप्रवर्शित नारियों से अधिक सुन्दर नजर आने के लिए खूबसूरत प्रसाधनों कों खरीदये; इत्यादि । यह कौनसा जीवन का तौर तरीका है जिसका आप दूरदर्शन पर हर समय प्रचार करते रहते हैं ? क्या इसका युवाओं पर बुरा असर नहीं होता ? इनका उन पर असर पड़ता है—और इनका निश्चित तौर पर उद्देश्य है—हमारे युवाओं को बदलना । उस प्रश्न को देखिये जो बार बार धार्मिक उत्सवों के दिखाने के बारे में उठाया गया है । मैं नास्तिक हूं या नहीं, मतलब नहीं है । मेरा अस्तित्व है प्रत्येक व्यक्ति जनता है । यह बात मायने नहीं रखती । इन धार्मिक कार्यक्रमों को बार-बार दिखाने से लोगों पर समग्र रूप से क्या प्रभाव पड़ा है ? इसमें शक नहीं है कि इससे उनमें रूढ़िवादिता बढ़ रही हैं, यह सामान्य रूढ़िवादिता को बढ़ा रही है, जिससे आज देश की एकता को खतरा पैदा हो गया है वे इसके प्रति लगाव पैदा कर रहे हैं । वे धार्मिक कट्टरपन को भी बढ़ावा दे रहे है । मेरे मित्र श्री कुरूप ने बताया है तथा अभी अभी एक दूसरे माननीय सदस्य ने भी राम जन्म भूमि के कार्यक्रम के बारे में बताया है । इससे बहुत अधिक धार्मिक तनाव उत्पन्न हुआ ।

काफी दिन हुए चैतन्य का 500वां जन्म दिवस मनाया गया था । चैतन्य धार्मिक महात्माओं में एक बहुत ही दिलचस्प महात्मा थे । अगर आप इतने धार्मिक हैं और महान धार्मिक मूल्यों को बताना चाहते हैं तो क्या मैं जान सकता हूं कि अपने दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए चैतन्य की जाति और सांप्रदायिकता की भावनाओं से मुक्ति, तत्कालीन ब्राह्मणों द्वारा निर्धनों के अहित में लागू धार्मिक परम्पराओं को लोकतंत्रीय बनाने के उनके प्रयासों को उजागर करने के लिए इस अवसर का प्रयोग क्यों नहीं किया गया ? मैंने चैतन्य के कार्यक्रम को बहुत ही आलोचनात्मक ढंग मूल्यांकन किया । मैंने देखा कि ये बातें उसमें नहीं थीं । क्यों ?

[श्रीमती गीता मुखर्जी]

अगर आप धर्म को वास्तव में नये मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको ऐसा करना चाहिए था। इन सब कार्यक्रमों को इच्छा से या अनिच्छा से, जान बूझकर या अनजाने में इस प्रकार से दिखाया जाता हैं जिससे धार्मिक रुढ़िवादिता और धार्मिक वर्गवाद को बढ़ावा मिलता है।

इसी कारण मैंने कहा है कि आज सभा में जो अलोचना हुई है; उसमें कुछ नयापन है। लोग इस बहुत ही शक्तिशाली प्रचार माध्यम द्वारा उत्पन्न किये जा रहे नये प्रभाव की आलोचना करने के प्रयास कर रहे। और मैं कह सकता हूं कतिपय अन्य बातें भी सामने आयी हैं।

उदाहरण के तौर पर हाल ही में दूरदर्शन ने 'दी ग्रेनाड़ा टी० वी० सीरिल' नामक सीरियल दिखाया था। यह ब्रिटेन से आया था और इसका नाम रखा गया था "दी ज्यूल इन दी क्राउन"। इस "ज्यूल इन दी क्राउन' को देखने पर मैंने सोचा कि अब हमें ब्रिटिश साम्राज्यवाद हमारे देश में उनके अत्याचारों के इतिहास को फिर से समझना होगा। अब हमें केवल यह पढ़ना होगा कि कुछ अच्छे ब्रिटिश लोग थे। ऐसा नहीं हैं कि ब्रिटिश लोग अच्छे नहीं थे; परन्तु क्या यह हमारे उपनिवेशीय समय का सार है? आप किस की छवि दिखाने जा रहे हैं, साम्राज्यवाद विरोधी या कुछ और दिखाना चाहते हैं?

एक और दिलचस्पी सीरियल एक अश्वेत शिशु के बारे में था जिसका संयुक्त राज्य अमरीका में एक श्वेत परिवार द्वारा अच्छी तरह से पालन पोषण किया जा रहा है। हमें और कुछ देखने को नहीं मिला। संयुक्त राज्य अमरीका अपने अल्प संख्यक श्वेतों को सता रहा है जिसके बारे में हमने 'नाम' में भी विरोध प्रकट किया था। बंगला में हम 'मैसूर' कहते हैं—जेठ—उसका नाम नहीं लिया जा सकता। अतः अक्सर हम संयुक्त राज्य अमरीका का नाम नहीं लेते, परन्तु कम से कम संकेतिक आलोचना तो करते हैं। किस को नहीं मालूम कि उस देश में अश्वेतों पर अत्याचार किया जाता है? क्या रंगभेद के भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए अपने लोगों को शिक्षित करने का यह तरीका है? इस प्रकार की बातों को प्रोत्साहित किया जाता है।

पागलपन का भी तो कोई तरीका होता है। कुछ बातें हैं जिन्हें हतोत्साहित किया जा रहा है। उदारण के तौर पर, भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा अहमदाबाद में एक कार्यक्रम चलाया जा रहा था। यह दूरदर्शन कार्यक्रम वास्तव में निम्नतम स्तर पर लोगों को लाया था, क्योंकि स्वयं ग्रामीण भी इसमें भाग ले रहे थे। अब इसे नहीं दिखाया जा रहा है। अकसर कम से कम प्रोग्राम हमें अब अकसर देखने को नहीं मिलता। हो सकता है कि सिद्धांत रूप से इसे बन्द न भी किया एक उच्च शक्ति प्राप्त स्टेशन बन गया है। सिर्फ गया हो।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : वही कार्यक्रम जो 'पिज' से प्रदर्शित किया जाता था अब वह अहमदाबाद से प्रदर्शित किया जाता है क्योंकि अहमदाबाद यही अंतर है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : परन्तु यह कार्यक्रम हमें बहुत अधिक देखने को नहीं मिलता मुझे नहीं मालूम क्यों। मेरे विचार से इसे हतोत्साहित किया गया है।

अब मैं जनवाणी को लेती हूं। एक समय था जब लोग इसे पसन्द करते थे। परन्तु कार्यक्रम को लोगों की इच्छाओं के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। अब लगभग सभी साधारण प्रश्न पूछे जाते हैं ताकि मंत्रियों को कोई परेशानी न हो। सभी कुछ पूर्व नियोजित होता है। इस कार्यक्रम को

भी जिस पर लोगों का कुछ विश्वास था, आप इसे अविश्वास की हद तक गिरा रहे हैं। इसका कुल प्रभाव क्या पड़ा है ? मेरी राय में कुल प्रभाव है—इस तथ्य के बावजूद कि कभी कभी अच्छे कार्यक्रम दिखाये जाते हैं—कि ये सभी कार्यक्रम लोगों की चेतना को जड़ बनाने की दृष्टि से दिखाये जाते है, उनके ध्यान को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक वास्तविकताओं से मोड़ कर जनता को निःसहाय बनाने का प्रयास है। यह एक ऐसा दिमागी प्रबन्ध हैं जिसके द्वारा एक तानाशाही शासन लाने की स्थितियां उत्पन्न की जा सके। इसीलिए मैं कह रही हूं कि हमारे देश द्वारा पोषित मूल्यों, उदाहरणतः, धर्म निरपेक्षता को उजागर नहीं किया जा रहा है। जिन मूल्यों को दिखाया जा रहा है वे घिसे पिटे और वास्तविकता से बहुत दूर हैं।

क्या मैं जान सकती हूं कि आप अपने दूरदर्शन और रेडियो के प्रतिनिधियों को गांवों में क्यों नहीं भेजते जो लोगों से सीधे पूछे कि गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम की वहां क्या स्थिति है। उन्हें इन लोगों के साथ बातचीत करनी चाहिए। उन्हें बताने दिया जाये कि किस को लाभ प्राप्त हो रहा है तथा अधिकारी तंत्र उनसे कैसा व्यवहार कर रहा है। उन्हें अपनी बातें कहने दी जाये तब वे सामाजिक न्याय के लिए लड़ेंगे। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं। यह मेरा आरोप है। यदि शुरू से चली आ रही यह प्रवृत्ति नहीं बदलेगी तो हम अधोगति को प्राप्त होंगे।

एक शब्द महिलाओं के बारे में कहना चाहती हूं आप महिलाओं को अपमानजनक दशा में दिखा रहे हैं। मुझे दूसरों की बातों को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। शीला जी ने चित्रहार, और 'चित्रमाला' में अश्लीलता का उल्लेख किया है। जब हमारी संस्कृति में बहुत सी अच्छी बाते है तब इस तरह के 'चित्रहार' ओर 'चित्रमाला' कार्यक्रम क्यों चलाए जा रहें हैं। इन्हें हटाया जाये। अश्लील विज्ञापनों और मनोरंजन हेतु महिलाओं के चित्रों का उपयोग करने देने के अलावा आप महिलाओं को संसद द्वारा पारित कानूनों को क्रियान्वित करने के लिए संघर्ष करने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु क्या कर रहे हैं।

मैंने कार्यक्रमों की कार्यान्वित और आने वाली कठिनाइयों के बारे में दूरदर्शन पर सीधे चर्चा करने का प्रस्ताव किया है। महिलाओं को जानकारी दी जाये कि कौन से नए कानून पास किए गए हैं बजाए उसके कि हमेशा निकी ताशा और कुछ साबुन तथा सौंदर्य प्रसाधनों के सम्बन्ध देखा और सुना जाये। इसको बजाए टेलिविजन पर इस आशा की घोषणाएं की जाए। दहेज प्रथा समाप्त करो। महिलाओं को जलाना बन्द करो। बड़े दुःख के साथ मैं यह कहना चाहती हूं कि अब समय आ गया है कि इस सारी प्रवृत्ति को समाप्त किया जाए।

मैं समझती हूं कि आप डी० ए० वी० पी० विज्ञापनों को गैर-सहकारी क्षेत्र को दे रहे हैं। क्या यह सत्य है। मुझे मालूम नहीं है। अब क्या आपने यह निर्णय किया है कि यह गैर-सरकारी प्रबन्ध में होना चाहिए। स्थिति क्या है ? क्या आप सभी असफल हो गए हैं ? क्या आप समाप्त हो गए हो जिससे आपके विज्ञापन गैर-सरकारी हाथों में जाते है ? मैं वास्तव में यह जानना चाहती हूं कि विचार क्या है ? यदि में गलत समझ रही हूं तो मैं बहुत खुश होऊंगी।

[श्रीमती गीता मुखर्जी]

अखिर में मैं यह कहना पसन्द करूंगी कि हमारे लिए यह बहुत आवश्यक है कि पूर्वी क्षेत्र में शक्तिशाली ट्रांसमीटर लगाए जाएं। उन क्षेत्रों के लोगों को मैं हमेशा बंगला देश द्वारा प्रसारित दूरदर्शन कार्यक्रमों को देखते हुए तथा बंगला देश के रेडियो को सुनते हुए पाता हूं। क्या इसका यह मतलब है कि उनके कार्यक्रम गुणात्मक दृष्टि से हमारे कार्यक्रमों की तुलना में अच्छे है अथवा क्या हमारे प्रसारण उन स्थानों तक पहुच नही पाते। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगी कि इस पर ज्यादा ध्यान दिया जाए।

अन्त में मैं प्रादेशिक कार्यक्रमों और भाषायी कार्यक्रमों का उल्लेख करना चाहती हूं। महोदय, स्थानीय प्रतिभाओं की उपेक्षा की जा रही है। यहां सभी मामलों के बारे में शिकायते हैं। भ्रष्टाचार की शिकायते, रिश्वत का लिया दिया जाना। कार्यक्रमों का चयन और उनका प्रसारण भी पक्षपात पूर्ण ढंग से किया जाता है। इससे बढ़कर स्थानीय प्रतिभाओं की खोज नहीं की जाती और जहां वे उपलब्ध होती है, उन पर कतई विचार नहीं किया जाता। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि सलाहकार समिति में गैर-सरकारी व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाए जो कि वास्तव में व्यावसायिक दृष्टि से तथा सामाजिक अभिवचनों की दृष्टि से भी सहायता कर सकते हैं। तथा वे इन चीजों का पहले से अनुमान लगाकर दूरदर्शन कार्यक्रमों में नयी गति दे सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री माणिकराव होडल्या गावीत (नन्दुरबार) : सभापति महोदय, मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुदानों की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इनकी मांगों का समर्थन करते हुए मैं मंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं। हमारे देश में दूरदर्शन की सेवा के द्वारा राष्ट्रीय कार्यक्रम, सामाजिक परिवर्तन के कार्यक्रम, राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन देने के कार्यक्रम, लोगों के मन में वैज्ञानिक चेतना जगाने के कार्यक्रम, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार कल्याण, कृषि उत्पादन, महिलाओं, बच्चों तथा गरीब वर्गों के कल्याण, ग्रामीण विकास के कार्यक्रम, 20 सूत्री कार्यक्रम, खेलकूद में दिलचस्पी बढ़ाने के कार्यक्रम, देश की कला और सांस्कृतिक धरोहर के कार्यक्रम, राष्ट्रीय बचत और शिक्षा तथा और भी अच्छे-अच्छे बहुत से कार्यक्रम दिखाए जाते हैं। इन सभी कार्यक्रमों का फायदा शहरी क्षेत्र में और शहर से 25 किलोमीटर की एरिया में रहने वाले लोगों को मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों, पिछड़े हुए इलाकों और आदिवासी क्षेत्र के लोगों को दूरदर्शन का लाभ नहीं मिल रहा है। मैं आप के माध्यम से मंत्री जी से नम्र निवेदन करूंगा कि मेरा निर्वाचक क्षेत्र नन्दुरबार पूरा आदिवासी क्षेत्र है, यह धूलिया जिले में आता है। धूलिया जिले के दो संसद सदस्य हैं। हम दोनों आदिवासी हैं। यानी पूरा धूलिया जिला आदिवासियों की बस्ती है। लेकिन हमारे यहां सिर्फ धूलिया शहर और 23 किलोमीटर एरिया कवर करने वाला टी० वी० सेंटर है। जिले में दस तहसीलें हैं। इनमें से जिले के हेडक्वार्टर धूलिया शहर में ही टी० वी० की सुविधा है। बाकी पूरे ग्रामीण विभाग, आदिवासी विभाग और 9 तहसीलों में टी० वी० की सुविधा नहीं है।

हमारे देश के प्रधान मंत्री आदरणीय राजीव गांधी ने कई बार देशवासियों को कहा है कि

देश के पिछड़े हुए विभाग और आदिवासी विभाग का विकास करना है, वहां के लोगों को आगे लाना है। सभी कार्यक्रम तेजी से बढ़ाने हैं, ऐसा कहते हैं और वे कार्यक्रम लागू भी हुए हैं। लेकिन आदिवासी क्षेत्रों में टी० वी० का प्रोग्राम अभी तक शुरू नहीं हुआ। सातवीं योजना में सूचना और प्रसारण मंत्रालय को दूरदर्शन के लिए 1471.51 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था है। उसमें 700 करोड़ से, मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि धूलिया जिले के सभी लोगों को टी० वी० का प्रोग्राम देखने को मिले, ऐसी सुविधा उपलब्ध करें। उसके लिए इस भाग में उच्च शक्ति का ट्रांसमीटर केन्द्र लगाया जाय।

नंदुरबार आदिवासी विभाग गुजरात मध्य प्रदेश राज्यों के बार्डर पर है। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के आदिवासियों को इसी टी० वी० केन्द्र का लाभ होगा। दूरदर्शन केन्द्र जहां लगाए जा रहे हैं उसमें नदुरबार का नाम नहीं है। मुझे 1984 में सरकार की ओर से लिखित आश्वासन मिला है। यह आश्वासन पूरा किया जाय ऐसी मेरी प्रार्थना है। लिखित भी मेरे पास है उसे मन्त्री जी को दिखाऊंगा। मैं मंत्री जी से पुनः निवेदन करूंगा कि आदिवासी क्षेत्रों में टी० वी० प्रोग्राम की सुविधा प्रदान करने की कृपा करें। आज के सभी टी० वी० कार्यक्रमों को देखने का मौका आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उपलब्ध होना चाहिए, यही मैं प्रार्थना करता हूं।

एक बार फिर मैं मंत्री जी को अच्छे-अच्छे कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूं तथा आदिवासी क्षेत्रों की ओर उनका ध्यान विशेष रूप के दिलाते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

***श्री राधाकान्त डिगाल** (फूलबनी) : सभापति महोदय, मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मांगों के बारे में बोलते हुए मैं एक संस्कृत का श्लोक उद्धृत करना पसन्द करूंगा जिसका अर्थ इस प्रकार है, "हम सभी खुश रहें, हम सब चिंताओं से मुक्त रहें, हम सब सुरक्षित रहें, हम फलों की इच्छा किए बिना अपने कर्त्तव्य का पालन करें।" महोदय, उड़ीसा में पुरी भगवान जगन्नाथ का निवास स्थान है लेकिन भगवान जगन्नाथ पुरी की ही जनता के कल्याण पर ही ध्यान नहीं देते अपितु वे अपनी दयालुता पूरे देश के प्रति प्रदर्शित करते हैं। उसी प्रकार जैसे कि हमारे वी० एन० गाडगिल पूरे देश के मंत्री हैं। इसलिए उन्हें दूरदर्शन देखने वाली देश के विभिन्न भागों की पूरी जनता के प्रति बराबर सहानुभूति दिखानी चाहिए तथा समान अवसर देने चाहिए।

महोदय, दूरदर्शन आज के नए युग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सूचना और प्रसारण मंत्री श्री गाडगिल ने लोकसभा में बताया कि देश की सातवीं योजना के अंतर्गत दूरदर्शन के विकास और विस्तार के लिए सात सौ करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। यदि हम सूचना और प्रसारण मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट को देखें तो हमें पता चलता है कि 1984-85 और 1985-1986 में

*मूलतः उड़िया में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री राधाकान्त डिगाल]

दूरदर्शन द्वारा अर्जित राजस्व में वृद्धि हुई है। विज्ञापनों तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त आय जो वर्ष 1984-85 में 31 करोड़ थी वह 1985-86 में बढ़कर लगभग 55 करोड़ हो गई।

महोदय, देश के विभिन्न क्षेत्रों के विकास के साथ ही टेलीविजन की मांग भी बढ़ी है। इसलिए सरकार नए दूरदर्शन केन्द्र खोलने का प्रयास कर रही है। लेकिन इस संदर्भ में मैं आपसे निवेदन करता हूं कि नए दूरदर्शन केन्द्र खोलते समय पिछड़े और आदिम जाति क्षेत्रों को मुख्य प्राथमिकता दी जाये।

जहां तक उड़ीसा का संबंध है, उस राज्य में दूरदर्शन प्रसारण कतई संतोषजनक नहीं है। जहां तक दूरदर्शन सुविधाओं की उपलब्धता का सम्बन्ध है, उड़ीसा अन्य राज्यों की तुलना में बहुत पिछड़ा हुआ है। पिछली सरकारों ने उड़ीसा में दूरदर्शन प्रसारण को बढ़ाने में जरा भी उत्सुकता नहीं दिखाई थी। महोदय, केवल एक ही दूरदर्शन केन्द्र संबलपुर में खोला गया था। लेकिन अब कटक में भी एक अन्य दूरदर्शन केंद्र खोला गया है। इसके अतिरिक्त सरकार 7वीं योजना के दौरान उड़ीसा में कुछ अन्य दूरदर्शन केंद्रों के विस्तार करने की योजना है। इस संदर्भ में फूलबनी के बारे में मैं कुछ कहना पसंद करूंगा। मैं उस जिले का प्रतिनिधि हूं। यह एक छोटा और पिछड़ा हुआ जिला है। फूलबनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र बालनगिर और गंजम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों को फूलबनी के साथ जोड़कर बनाया गया है। इस क्षेत्र के लोगों की नए दूरदर्शन केन्द्रों के सम्बन्ध में एक समान मांग है। इस क्षेत्र के लोग फूलबनी में टेलिविजन केन्द्र की स्थापना की मांग करते आ रहे हैं। जब हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी इस क्षेत्र के दौरे पर गई थी तो फूलबनी के लोगों ने उनके समक्ष भी अपनी मांग रखी। उन्होंने जनता को आश्वासन दिया था कि इस दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। मैंने कई बार सदन के अन्दर और बाहर मांग की थी कि हमारी स्वर्गीय प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासनों को कार्यान्वित किया जाए। मैने अपने प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी को इस मामले पर विचार करने के लिए पत्र लिखा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि माननीय प्रधान मंत्री और सूचना तथा प्रसारण मंत्री फूलबनी में एक दूरदर्शन केंद्र की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए सहमत हो गए हैं। यह भी प्रसन्नता की बात है कि सरकार का देश के प्रत्येक जिले में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। मुझे मंत्री जी को इस बात का पुन: अनुरोध करने का अवसर प्राप्त हुआ है कि फूलबनी को भी उस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया जाए।

महोदय, मुझे उड़ीसा के संबंध में और भी कुछ बातें कहनी हैं। देश के महत्त्वपूर्ण नगरों तथा राज्यों की राजधानियों को "माइक्रोवेव" अथवा उपग्रह द्वारा दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क कार्यक्रम के लिए दूरदर्शन केन्द्र, नई दिल्ली के साथ जोड़ दिया गया है। अत: भुवनेश्वर में प्रस्तावित स्टूडियो परिसर को दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली के साथ जोड़ा जाना चाहिए।

संबलपुर दूरदर्शन केन्द्र में स्टूडियो सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने राज्य सरकार को आश्वासन दिया था कि दूरदर्शन केन्द्र संबलपुर को, जिसके कार्यक्रमों की पूर्ति इस समय कटक के स्टूडियो द्वारा की जाती है, अब स्टूडियो व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी।

यह परियोजना "इनसैट" के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र को उचित सेवा उपलब्ध कराने के लिए "इनसैट" योजना के अन्तर्गत लाई गई। किंतु इस सुझाव को अभी तक लागू नहीं किया गया है। मैं मांग करता हूं कि भारत सरकार इस मामले में शीघ्र निर्णय ले और संबलपुर में जहां ट्रांसमीटर स्थापित है दूरदर्शन स्टूडियो उपलब्ध कराएं।

महोदय, यदि मैं रेडियो नेटवर्क का कोई उल्लेख नहीं करता तो मैं समझता हूं कि मैं अपना कर्त्तव्य निभाने में असफल रहूंगा। इस मुद्दे पर बोलते हुए मैं ऐसे क्षेत्रों में रेडियो स्टेशनों की स्थापना के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूंगा, जहां अभी इनकी स्थापना नहीं हुई है। पिछले कई सालों से उड़ीसा राज्य सरकार भारत सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिला रही है कि उड़ीसा राज्य के अधिकतर क्षेत्र जहां जनजातीय लोग रहते हैं और अविकसित हैं वे आकाशवाणी की "कवरेज" से बाहर हैं। इसके परिणामस्वरूप उड़ीसा सरकार ऐसे अगम्य तथा अविकसित क्षेत्रों में, जहां अधिक प्रयासों द्वारा विकास कार्य को तेज करने की आवश्यकता है, जनसंचार के इस प्रभावशाली माध्यम का प्रयोग नहीं कर सकती हैं। फूलबनी, बोलनगीर और कालाहांडी जिले सुदूर क्षेत्र हैं और यहां अधिकतर जनजातीय लोग रहते हैं। इन क्षेत्रों में रेडियो नेटवर्क का विस्तार करने की आवश्यकता है। फूलबनी में रेडियो स्टेशन स्थापित होना चाहिए जो बहुत से निकटवर्ती क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। छठी योजना में भवानीपुर, बोलनगीर, क्योंझरगढ़, बारीपाडा, बालासोर, बरहामपुर तथा उड़ीसा के कुछ अन्य स्थानों पर रेडियो स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव था। किंतु खेद की बात यह है कि इस प्रस्ताव को अभी तक लागू नहीं किया गया है। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि शीघ्र कार्यवाही करें ताकि इस प्रस्ताव को कम से कम सातवीं योजना अवधि के दौरान लागू किया जाए।

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं आप को धन्यवाद देता हूं कि आप ने मुझे बोलने का समय दिया है, और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : सभापति जी, पहली बात यह है कि अगर वर्किंग जर्नलिस्ट का ताल्लुक आपके साथ बराएरास्त नहीं है, लेबर मिनिस्ट्री से ताल्लुक रखता है, तो उनकी जो समस्यायें हैं, वर्किंग जर्नलिस्ट के एवार्ड वगैरह के मामलात वजीरे मेहनत का है, उनके मसायल बहुत ही गम्भीर है, तो उनकी समस्याओं को हल करने का फर्ज जितना आप कर आयद होता है, उतना ही लेबर मिनिस्ट्री पर है। हिन्द समाचार और समाचार भारती— इन दो एजेंसियों के टूट जाने से चार सौ के करीब उनके मुलाजिम बेकार हो गए हैं, जिनके लिए आपने भरोसा दिलाया था और बजीरे मेहनत ने भी कि उनके मुतालबात का खयाल करके उनके रोजगार का इन्तजाम कर दिया जाएगा, लेकिन उनमें से सिर्फ 33 आदमियों को पी० टी० आई० ने कबूल कर लिया है और बाकी अभी तक भी बेरोजगार है। इस तरफ आपको तवज्जह देनी चाहिए।

एक बात मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि इस वक्त बी० बी० सी०, लंदन का जो मयार

[श्री अब्दुल रसीद काबुली]

है, वह मुल्क हमारे मुल्क के मुकाबले में हर लिहाज से छोटा मुल्क है, बी० बी० सी० ओवर सर्विसेज का जो स्टैंडर्ड है, उसके मुकाबले में हम अभी तक पीछे हैं। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे टी० वी० और समाचार की जो सर्विसेज हैं, उसमें हमने अभी तक तवाजुन कायम नहीं रखा है जिसमें कि अपोजीशन और हुकमरान पार्टी के साथ बराबर का इन्साफ हो। मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि मेरी जमानत नैशनल कान्फ्रेंस इलाकाई जमाअत है और नेशनल कांफ्रेंस बारहा यह तजुर्बा कर चुकी है जम्मू व काश्मीर में कि आपका जो रेडियो और टेलीविजन है, वह उसके साथ इन्साफ नहीं कर रहा है। बड़ी जमाअत होने के बावजूद हमारी बहुत पहले से यह शिकायत रही है और अब भी है कि हमारे साथ इन्साफ नहीं किया जा रहा है और न्यूज बुलेटिन में चाहे टी० वी० में हो और चाहे रेडियो में हो, जितना अधिकार, जितना हक हमको मिलना चाहिए था, वह नहीं मिल रहा है और उसके मुकाबले में जो आपकी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसकी न्यूज ज्यादा बढ़ा-चढ़ाकर न्यूज बुलेटिन में जा रही हैं। हमारा यह जाती तजुर्बा है और मैं इसको आपके नोटिस में लाना चाहूंगा।

मैं यह भी बताना चाहूंगा कि टी० वी० और आल इण्डिया रेडियो ने कई मामलात में हमको जहनी तकलीफ पहुंचाई है और बहुत हद तक हमारा नुकसान किया है, खास तौर से बाबरी मस्जिद और राम जन्म भूमि के मामले में। जो आपके टेलीविजन के द्वारा उस दिन पूरे हिन्दुस्तान में कोमी सतेह पर, इसके बारे में कहा गया। मजिस्ट्रेट का जो फैसला उसे खोलने का हुआ और जिस तरीके से बाबरी मस्जिद और राम जन्म भूमि के मामले में उस पर अमल हुआ, जो कुछ भी वहां पर हुआ, उसकी तस्वीर, उसका सारा प्रोग्राम दूरदर्शन पर दिखाया, मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान में उससे दो फिरकों के दर्म्यान तनाव बढ़ गया और आगे चलकर जो फसादात हुए खासतौर से यू० पी०, मध्य प्रदेश और बिहार में, इनके लिए मैं समझता हूं कि बड़ी हद तक आपकी टी० वी० की वह खबर जिम्मेवार है क्योंकि इसने एक गड़ा शोक दिया। एक कम्युनिटी में से कुछ फेनेटिक्स इससे एन्क्रज हुए और दूसरी कम्युनिटी में से एक तबके ने यह कहा कि हमारी हार हुई है और हमारे साथ नाइन्साफी हुई है और अखबारात वगैरह में जो इसकी चर्चा हुई, उसके नतायज हमारे सामने आए हैं। मैं समझता हूं कि इस मामले में बड़ी ज्यादती हुई है और आपको इसकी तहकीकात करनी चाहिए। पार्लियामेंट में इस वक्त इस पर चर्चा हो रही है और मैं यह चाहूंगा कि मंत्री जी अपने उत्तर में इसका जरूर जिक्र करें।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि जम्मू व काश्मीर में भी कुछ वाकयात हुए। हमारे यहां चाहे बाबरी मस्जिद की बात कहिए या जम्मू में कुछ वाकयात के बारे में कहिए, जो शिव सेना ने वहां पर कराए और इस कारण काश्मीर में भी कुछ फसादात हो गए। मुझे इसका बड़ा दुःख है और मेरी जमाअत ने इसके बारे में सख्त इल्फाज में एन्टी-नेशनल एलिमेंट्स की मजम्मत की है, उनकी मुखालफत की है लेकिन मैं यह भी अर्ज करना चाहूंगा कि जो वहां पर वाकयात हुए, उनको आपके टी० वी० ने और आपके मुकामी रेडियो ने बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया। जो आपके कोरसपोंडेंट्स श्रीनगर में और जम्मू में हैं, उन्होंने यह खबर आल इंडिया रेडियो को दी और टी० वी० को दी और रेडियो और टी० वी० के द्वारा पूरे हिन्दुस्तान में यह खबर लोगों तक पहुंची और ऐसा लगा

कि क्या अनन्तनाग और क्या काश्मीर, सारी रियासत जल रही है और आग वहां उठ रही है और सैकड़ों आदमियों की जानें जा रही हैं और उनके असबाब का जो नुकसान हुआ, उसका कोई हिसाब नहीं है लेकिन मैं मंत्री महोदय से अर्ज करना चाहूंगा कि टोटल पर्सपेक्टिव में इसको देखा जाए। जो वाकयात हुए वे अनन्तनाग डिस्ट्रिक्ट के सिर्फ चार, पांच गांवों में हुए और हमारे यहा 14 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। 14 डिस्ट्रिक्ट्स में से सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ चार, पांच विलेजेज में फसादात हुए और उसमें मुस्लिम मेजोरिटी ने अपने हिन्दू भाइयों की जान व माल की दिलो-जान से हिफाजत की और उसका नतीजा यह सामने आया कि वहां एक भी आदमी कत्ल नहीं हुआ, एक भी आदमी नहीं मरा और एक आदमी को खराश नहीं लगी लेकिन हमारी इमेज को बहुत नुक्सान पहुंचा है क्योंकि जम्मू व काश्मीर सेकूलरइज्म का एक बुनियादी पत्थर है हिन्दुस्तान में, न सिर्फ कांस्टीट्यूशन में बल्कि पूरे नक्शे में। टी० वी० और रेडियो द्वारा नुकसान हुआ और फिर नेशनल न्यूज मीडिया जो है, जो अखबारात हैं, उन्होंने देखा-देखी, यह न्यूज पूरे मुल्क में पहुंचा

8.00 म० प०

दी। उससे कितना नुकसान हमारा हुआ। तीन साल से पंजाब में जो हालात चल रहे हैं उनसे कश्मीर को बहुत नुकसान हो रहा है। हमारा टूरिज्म बिल्कुल तबाह हो गया है। वहां का कारोबार ठप्प पड़ गया है। हैण्डीक्राफ्ट की तिजारत तबाह हो चुकी है। लेकिन इससे भी ज्यादा हमारी जो आम्बो-रफ्ट पर, हमारी इंडस्ट्री जो है, उस पर भी काफी असर हुआ है।

लेकिन यह खुशी की बात है कि तीन साल के बाद, हमारे मतालबे पर, हमारी कोशिशों के नतीजे के तौर पर हमारी यूनियन गवर्नमेंट ने इस बात को तस्लीम कर लिया कि जो गलत सरकार या गलत गवर्नमेंट वहां कायम हुई थी, वह ला एण्ड आर्डर को कंट्रोल नहीं कर पाई और उसको वहां रहने का कोई अधिकार नहीं है। उस गवर्नमेंट को आपने तोड़ दिया, उसको डिस्मिस कर दिया जिसके लिए हम आपको शुक्रिया अदा कर दिया। लेकिन इस वक्त तक वहां का टूरिज्म नहीं पनप रहा है। वहां टूरिस्ट्स नहीं जा रहे हैं और इसकी वजह से वहां के लोगों को काम नहीं मिल रहा है। इसका दोषी कौन है ? इसके लिए आपके दूरदर्शन, आपके रेडियो के लोगों की बराबर की जिम्मेदारी है। मैं चाहूंगा कि आप इसकी पूरी तहकीकात करें।

आपके जो वहां कोरेस्पोंडेंस बैठे हैं, उन लोगों ने ऐसा गलत काम क्यों किया ? मैं मानता हूं कि वे किसी एक खास फिरके से ताल्लुक रखते होंगे लेकिन उनको उस एक फिरके के हित में ही नहीं, पूरे हिन्दुस्तान के हित में सोचना चाहिए। उनका किसी एक फिरके से ताल्लुक रखना, और उनके अपने कुछ जजबात होना एक अलग बात है लेकिन उन्होंने जो सारे मुल्क में गलत खबर भेजी, पहले आपके यहां के रेडियो और टेलीविजन को भेजी, उसके बाद पूरे हिन्दुस्तान को भेजी गयी उससे हमें कितना नुकसान हुआ, हमारी इमेज कितनी तबाह हो गयी, यह मैं आपको बताना चाहता हूं।

जम्मू-कश्मीर में जो कौम अक्सीरियल में है, वह पूरे हिन्दुस्तान में अकलीयत में है। हमारी नेशनल कांफ्रेंस का और कश्मीर के लोगों का सेक्युलरिज्म का वेस बहुत मजबूत रहा है। जब मुल्क बंट गया, तक्सीम हो गया तो हमने हिन्दुस्तान के हक में फैसला दिया। जम्मू कश्मीर के जो मुसलमान थे, जो वहां मेजोरिटी में थे उन्हें सेक्युलरिज्म पर विश्वास और भरोसा है और इसीलिए वे हिन्दुस्तान का हिस्सा बनकर रह गये। क्या आपने इस प्रोपेगण्डे को, जिसको बदकिस्मती से यहां से बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया गया, जिससे हमारा नुकसान हुआ, रोकने की कोशिश की ? इससे न सिर्फ नेशनल लेवल पर, बल्कि वैनलअक्वामी सतह के ऊपर लोग यह कहते हैं कि यहां का मुसलमान हिन्दुस्तान के साथ नहीं रहना चाहता है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ऐसे जहरीली प्रोपेगण्डे से हमारे मुल्क के बारे में तोड़फोड़ की कार्यवाही की कोशिश हो रही है ताकि मुल्क के हिस्से कर दिए जाएं। जैसे पंजाब का सिलसिला हुआ, असम में हुआ। हमारे नार्थ ईस्टर्न प्रोविंसिज में जो हो रहा है और यह आवाज उठायी जा रही है कि किसी खास कम्युनिटी के लोगों को बाहर कर दिया जाए,

[श्री अब्दुल रशीद काबुली]

उनको निकाल दिया जाए। इससे दूसरी ताकतों को प्रोपेगण्डा करने का मौका मिलता है। क्या मंत्री जी आपको भी ऐसी शिकायत आयी है ? मैं मंत्री जी से यह चाहूंगा कि वे इस बारे में तहकीकात करें और जो भी अफसरान दोषी हों, मुलजिम हों ऐसे प्रोपेगण्डे के लिए उनके खिलाफ आप कोई एक्शन लें। ऐसे प्रोपेगण्डे ने हमारे टूरिज्म को नुकसान पहुंचाया है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए और उनको सख्त सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने नेशनल इमेज को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है और कश्मीर को भी नुकसान पहुंचाया है। इस तरह से पूरे मुल्क का नुकसान किया है।

एक बात मैं दूरदर्शन के कमर्शियल प्रोग्राम्स के बारे में कहूंगा। इस बारे में और भी मेम्बरान पार्लिमेंट ने कहा है। दूरदर्शन पर जो ऐसे प्रोग्राम हो रहे हैं, सीरियल हो रहे हैं जिनके बारे में हिन्दुस्तान टाइम्स के सण्डे एडीशन में छपा है कि उनके लिए किस तरह का भ्रष्टाचार और करप्शन हो रहा है। यह खालिद महमूद ने लिखा है। इस तरह की जो गलत बातें दूरदर्शन में हो रही हैं उनके बारे में आप तहकीकात करें ताकि यह कुछ गलत हाथों में पड़ कर हमारा नुकसान न कर दे। जो ये बातें सामने आ रही हैं इनमें मुझे बहुत हद तक वजन दिखायी देता है। आप इसकी तह में जाकर तहकीकात करें।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा। जहां तक हमारे लोकल न्यूज पेपर्स का ताल्लुक है उनके बारे में मेरा तजुर्बा है कि हमारी एजूकेशन को हमारी संस्कृति को जो बढ़ावा मिलना चाहिए और उनको बढ़ावा मिलने के जो तरीके हैं उनको इन अखबारों से बहुत मदद मिलती है। आप अखबारात को, लैंगुएज न्यूज पेपर्स को न्यूज प्रिन्ट का कोटा देते हैं, उनको जो एडवरटाईजमेंट देते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि ये एडवर्टीजमेंट, इश्तहारात और जो न्यूज प्रिंट दिए जाते हैं, उससे पोलिटिकल प्रेशर उन पर बढ़ा दिया जाता है और इस तरीके से उन अखबारात को चाहे वह स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे केन्द्र सरकार हो, उन अखबारात को मखसूस अपने लिए, अपने मकासिद के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनका इनीशिएटिव मर जाता है, जिससे वह तरक्की रुक जाती है, जिनमें वे अखबारात अहम रोल अदा करते हैं, इसके लिए आपको ही कुछ करना पड़ेगा। पंजाबी, बंगाली, असमी, कश्मीरी, तमिल, तेलगू, उड़िया, ये सारी हमारी जबानें हैं जो असल में हमारी जुबानें हैं, जिनमें हमारा कल्चर है, जिनमें हमारी तहजीब है, हमारी संस्कृति है और जिनके द्वारा हम तरक्की कर सकते हैं और अपने बच्चों को इन मादरी जुबानों में तालीम दिलाकर, उनकी आंखें खोलकर, उनको एजूकेट करके, तरबियत करके ही हिन्दुस्तान की तरक्की कर सकते हैं, हर मरकज पर तरक्की कर सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती से ये लैंग्वेज पेपर्स आज मर रहे हैं, लैंग्वेज पेपर्स आपके हाथ का खिलौना बन रहे हैं, इनको खिलौना मत बनने दिया जाए, ये तरक्की की, विकास की एक बहुत बड़ी कड़ी बन सकते हैं और इनके ऊपर जो दबाव है, न्यूजप्रिंट या एडवर्टीजमेंट के माध्यम से जो इनका एक्सप्लाइटेशन हो रहा है, इसको बंद कर दीजिए। मेरी आपसे यही प्रार्थना है।

आखिर में मैं इतना कहूंगा, फिल्म्स का जहां तक ताल्लक है, जो टी० वी० में दिखा रहे हैं, जो एडवर्टीजमेंट्स दिखा रहे हैं, ये हमारे हिन्दुस्तान की संस्कृति के मुताबिक नहीं है। ये गिने-चुने लोग जो आसूदाहाल हैं, जो खुशहाल कहलाते हैं, उनके दिल और जजबात की, उनकी हौसलाकी के लिए कुछ फायदेमंद हो सकते हैं, उनकी कुछ तसल्ली हो सकती है, लेकिन हिन्दुस्तान की मेजारिटी गरीब लोगों की है, पसमादा लोगों, उनको आगे बढ़ाने के लिए ही आपके सारे प्रोग्राम्स का मकसद होना चाहिए। उनको बेकारी, गुरबत की बीमारी, उज्जड़पन और जहालत से निकालने की दिशा में हमको कदम बढ़ाने चाहिए और इस किस्म की फिल्में बनानी चाहिएं। जिस तरह के मसाले भरकर और जिस तरह के एडवर्टीजमेंट्स हम आज टी० वी० पर दिखा रहे हैं, इनसे बहुत नकसान हो रहा है। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप नेशनल पालिसी इसके लिए बना दीजिए और सही मार्ग पर टी० वी० फिल्मों को लाइए।

شری عبدالرشید کابلی (سری نگر) : سبھاپتی جی۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر ورکنگ جرنلسٹ کا تعلق آپ کے ساتھ براہ راست نہیں ہے لیبر منسٹری سے تعلق رکھتا ہے۔ تو ان کی جو سمیائیں ہیں ورکنگ جرنلسٹ کے ایوارڈ وغیرہ کے معاملات وزیر محنت کا ہے ان کے مسائل بہت ہی گمبھیر ہیں تو ان کی سمیاؤں کو حل کرنے کا فرض جتنا آپ پر عاید ہوتا ہے اتنا ہی لیبر منسٹری پر ہے۔ ہندسماچار اور سماچار بھارتی۔ ان دو ایجنسیوں کے ٹوٹ جانے سے چار سو کے قریب ان کے ملازم بیکار ہو گئے ہیں۔ جن کے لیے آپ نے بھروسہ دلایا تھا اور وزیر محنت نے بھی کہ ان کے مطالبات کا خیال کر کے اُن کے روزگار کا انتظام کر دیا جائیگا۔ لیکن ان میں سے صرف ۳۳ آدمیوں کو پی۔ ٹی آئی نے قبول کر لیا ہے اور باقی ابھی تک بھی بے روزگار ہے۔ اس طرف آپ کو توجہ دینی چاہیئے۔

ایک بات میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس وقت بی بی سی لندن کا جو معیار ہے وہ ملک ہمارے ملک کے مقابلے میں ہر لحاظ سے چھوٹا ملک ہے۔ بی بی سی اور سروے لینس کا جو اسٹینڈرڈ ہے اس کے مقابلے میں ابھی تک پیچھے ہیں۔ مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ٹی وی اور سماچار کی جو سروے لینس ہیں اس میں ہم نے ابھی تک توازن قایم نہیں رکھا ہے۔ جس میں کہ اپوزیشن اور حکمراں پارٹی کے ساتھ برابر برابر کا انصاف ہو۔ میں منتری مہودے کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری جماعت نیشنل کانفرنس علاقائی جماعت ہے اور نیشنل کانفرنس بارہا یہ تجربہ کر چکی ہے کہ جموں و کشمیر میں کہ آپ کا ریڈیو اور ٹیلی ویژن ہے وہ اس کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا ہے۔ بڑی جماعت ہونے کے باوجود ہماری بہت پہلے سے یہ شکایت رہی ہے اور اب بھی ہے کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا جا رہا ہے اور نیوز بلیٹن میں چاہے ٹی وی میں ہو اور چاہے ریڈیو میں ہو جتنا ادھیکار جتنا حق ہم کو ملنا چاہیے تھا وہ نہیں مل رہا ہے اور اس کے مقابلے میں جو آپ کی پارٹی ہے کانگریس پارٹی اس کی نیوز زیادہ بڑھا چڑھا کر نیوز بلیٹن میں آ رہی ہیں۔ ہمارا یہ ذاتی تجربہ ہے اور میں اسکو آپ کے نوٹس میں لانا چاہوں گا۔

میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ٹی وی اور آل انڈیا ریڈیو نے کئی معاملات میں ہم کو ذہنی تکلیف پہنچائی ہے اور بہت حد تک ہمارا نقصان کیا ہے خاص طور سے بابری مسجد اور رام جنم بھومی کے معاملے میں۔ آپ کے ٹیلی وژن کے دوارا اس دن پورے ہندوستان میں قومی سطح پر اس کے بارے میں کہا گیا۔ مجسٹریٹ کا جو فیصلہ اسے کھولنے کا ہوا اور جس طریقے سے بابری مسجد اور رام جنم بھومی کے معاملے میں اس پر عمل ہوا جو کچھ بھی وہاں پر ہوا اس کی تصویر اس کا سارا پروگرام دوردرشن پر دکھایا میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں اس سے دو فرقوں کے درمیان تناؤ بڑھ گیا اور آگے چل کر جو فسادات ہوئے خاص طور سے یوپی، مدھیہ پردیش اور بہار میں ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی حد تک آپ کی ٹی وی کی وہ خبر ذمہ دار ہے کیونکہ اس نے ایک بڑا اثر دیا۔ ایک کمیونٹی میں سے کچھ فیکٹس اس سے انکریز ہوئے اور دوسری کمیونٹی میں سے ایک طبقے نے یہ کہا کہ ہماری ہار ہوئی ہے اور ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اور اخبارات وغیرہ میں جو اس کی چرچا ہوئی اس کے نتائج ہمارے سامنے آئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں بڑی زیادتی ہوئی ہے اور آپ کو اس کی تحقیقات کرنی چاہیئے۔ پارلیمنٹ میں اس وقت اسپیچ چرچا ہو رہی ہے اور میں یہ چاہوں گا کہ منتری جی اپنے انتر میں اس کا ذکر ضرور کریں۔

دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جموں و کشمیر میں بھی کچھ واقعات ہوئے۔ ہمارے یہاں چاہے بابری مسجد کی بات کہیے یا جموں میں کچھ واقعات کے بارے میں کہیئے جو شیوسینا نے وہاں پر کرائے اور اس کا رن کشمیر میں بھی کچھ فسادات ہو گئے۔ مجھے اس کا بڑا دکھ ہے اور میری جماعت نے اس کے بارے میں سخت الفاظ میں، اینٹی نیشنل ایلیمنٹس کی مذمت کی ہے ان کی مخالفت کی ہے لیکن میں یہ بھی عرض کرتا چاہوں گا کہ جو وہاں پر واقعات ہوئے ان کو آپ کے ٹی وی نے اور آپ کے متعلقہ ریڈیو نے بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔ جو آپ کے کارسپونڈنٹس سری نگر میں اور جموں میں ہیں

انہوں نے یہ خبر آل انڈیا ریڈیو کو دی اور ٹی وی کو دی اور ریڈیو اور ٹی وی کے
دوارا پورے ہندوستان میں یہ خبر لوگوں تک پہنچی اور ایسا لگا کہ کیا
اننت ناگ اور کیا کشمیر ساری ریاست جل رہی ہے اور آگ وہاں
اٹھ رہی ہے اور سینکڑوں آدمیوں کی جانیں جا رہی ہیں اور ان کے اسباب
کا جو نقصان ہوا اس کا کوئی حساب نہیں ہے لیکن میں نتری مہودے سے
عرض کرنا چاہوں گا کہ ٹوٹل پرسپیکٹیو میں اس کو دیکھا جائے۔ جو واقعات
ہوئے وہ اننت ناگ ڈسٹرکٹ کے صرف چار پانچ گاؤں میں ہوئے
اور ہمارے یہاں ۱۴ ڈسٹرکٹس ہیں۔ ۱۴ ڈسٹرکٹس میں سے صرف
ایک ڈسٹرکٹ میں صرف چار پانچ ولیجز میں فسادات ہوئے اور اس میں
مسلم میجارٹی نے اپنے ہندو بھائیوں کی جان و مال کی دل و جان سے حفاظت
کی اور اس کا نتیجہ یہ سامنے آیا کہ وہاں ایک بھی آدمی قتل نہیں ہوا ایک بھی
آدمی نہیں مرا اور ایک آدمی کو خراش نہیں لگی لیکن ہماری امیج کو بہت نقصان
پہنچا ہے کیونکہ جموں و کشمیر سیکولرزم کا ایک بنیادی پتھر ہے ہندوستان میں
نہ صرف کانسٹی ٹیوشن میں بلکہ پورے نقشہ میں۔ ٹی وی اور ریڈیو دوارا
نقصان ہوا اور پھر نیشنل نیوز میڈیا جو ہے جو اخبارات ہیں انہوں نے دیکھا
دیکھی یہ نیوز پورے ملک میں پہنچا دی اور پورے ہندوستان میں پہنچا دی۔
اس سے کتنا ہمارا نقصان ہوا۔ تین سال سے پنجاب میں جو حالات چل
رہے ہیں ان سے کشمیر کو بہت نقصان ہو رہا ہے۔ ہمارا ٹورزم بالکل تباہ
ہو گیا ہے۔ وہاں کا کاروبار بالکل ٹھپ پڑ گیا ہے۔ ہینڈی کرافٹ کی
تجارت تباہ ہو چکی ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ ہماری جو انڈسٹریلائزیشن
پر ہماری انڈسٹری جو ہے اس پر بھی کافی اثر ہوا ہے۔

لیکن یہ خوشی کی بات ہے کہ تین سال کے بعد ہمارے مطالبہ پر ہماری
کوششوں کے نتیجے کے طور پر ہماری یونین گورنمنٹ نے اس بات کو تسلیم
کر لیا ہے کہ جو غلط سرکار یا غلط گورنمنٹ وہاں قائم ہوئی تھی وہ لا اینڈ آرڈر
کو کنٹرول نہیں کر پائی۔ اور اس کو وہاں رہنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے۔

इस गवर्नमेंट को आपने तोड़ दिया इस को डिसमिस कर दिया जिस के लिये हम ने आपको शुक्रिया अदा कर दिया। लेकिन इस वक्त तक वहां का टूरिज्म नहीं पनप रहा है। वहां टूरिस्ट्स नहीं जा रहे हैं और इस की वजह से वहां के लोगों को काम नहीं मिल रहा है। इस का दोष किस को है इस के लिये आपके दूरदर्शन आपके रेडियो के लोगों की बराबर की जिम्मेदारी है। मैं चाहूंगा कि आप इस की पूरी तहकीकात करें।

आपके जो वहां कारस्पोंडेंट्स बैठे हैं उन लोगों ने ऐसा गलत काम क्यों किया। मैं मानता हूं कि वह किसी एक खास फिरके से ताल्लुक रखते होंगे लेकिन उन को इस एक फिरके के बारे में ही नहीं पूरे हिन्दुस्तान के बारे में सोचना चाहिये। उन का किसी एक फिरके से ताल्लुक रखना और उन के अपने कुछ जज्बात होना एक अलग बात है लेकिन उन्होंने हमारे मुल्क में गलत खबर भेजी पहले आपके यहां के रेडियो और टेलीविजन को भेजी इस के बाद पूरे हिन्दुस्तान को भेजी गईं इस से हमें कितना नुकसान हुआ हमारी इमेज कितनी तबाह हो गई यह मैं आप को बताना चाहता हूं।

जम्मू व कश्मीर में जो कौम अक्सरियत में है वह पूरे हिन्दुस्तान में अकलियत में है। हमारी नेशनल कान्फ्रेंस का और कश्मीर के लोगों का सेकुलरिज्म का भी बहुत मजबूत रहा है। जब मुल्क बंट गया तकसीम हो गया तो हम ने हिन्दुस्तान के हक में फैसला दिया। जम्मू व कश्मीर के जो मुसलमान थे जो वहां मेजारिटी में थे उन्हें सेकुलरिज्म पर भरोसा है और इसलिये वह हिन्दुस्तान का हिस्सा बन कर रहे गये। क्या आपने इस प्रोपेगेंडे को जिस को बदकिस्मती से यहां से बढ़ावा देकर पेश किया गया जिस से हमारा नुकसान हुआ रोकने की कोशिश की। इस से न सिर्फ नेशनल लेवल पर बल्कि इंटरनेशनल सतह के ऊपर लोग यह कहते हैं कि यहां का मुसलमान हिन्दुस्तान के साथ नहीं रहना चाहता है बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ऐसे जहरीले प्रोपेगेंडे से हमारे मुल्क के बारे में तोड़ फोड़ की

कार्रवाई की कोशिश हो रही है ताकि ये ग्रुप्स के हाथ में दे दिये जायें। जैसे पंजाब का सिलसिला था आसाम में हुआ। हमारे नार्थ ईस्टर्न प्रोविंसेज में जो हो रहा है और यह आवाज उठाई जा रही है कि किसी खास कम्युनिटी के लोगों को बाहर कर दिया जाये उन को निकाल दिया जाये। इस से दूसरी ताकतों को प्रोपेगंडा करने का मौका मिलता है। क्या मंत्री जी आप को भी ऐसी शिकायत आई है। मैं मंत्री जी से यह चाहूंगा कि वह इस बारे में तहकीकात करें और जो भी अफसरान दोषी हों जिम्मेदार हों ऐसे प्रोपेगंडे के लिये उन के खिलाफ आप कोई एक्शन लें। ऐसे प्रोपेगंडे ने हमारे टूरिज्म को नुकसान पहुंचाया है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिये और उन को सख्त सजा मिलनी चाहिये। इन्हों ने नेशनल इमेज को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है और कश्मीर को भी नुकसान पहुंचाया है। इस तरह से पूरे मुल्क का नुकसान किया है।

एक बात मैं दूरदर्शन के कमर्शल प्रोग्राम्स के बारे में कहूंगा। इस बारे में और भी ममबरान पार्लियामेंट ने कहा है। दूरदर्शन पर जो ऐसे प्रोग्राम हो रहे हैं सेंसर नहीं हो रहे हैं जिन के बारे में हिन्दुस्तान टाइम्स के सन्डे एडीशन में छपा है कि उन के लिये किस तरह का भ्रष्टाचार और करप्शन हो रहा है। यह खालिद मोहम्मद ने लिखा है। इस तरह की जो गलत बातें दूरदर्शन में हो रही हैं उन के बारे में आप तहकीकात करें ताकि यह कुछ गलत हाथों में पड़ कर हमारा नुकसान न कर दे। जो ये बातें सामने आ रही हैं उन में मुझे बहुत मदतक वजन दिखाई देता है। आप इस की तह में जा कर तहकीकात करें।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा जहां तक हमारे लोकल न्यूज पेपर्स का तअल्लुक है उन के बारे में मेरा तजुर्बा है कि हमारी एजुकेशन को हमारी

سنسکرتی کو جو بڑھاوا ملنا چاہیئے اور ان کو بڑھاوا ملنے کے جو طریقے ہیں ان کو ان اخباروں سے بہت مدد ملتی ہے۔ آپ اخبارات کو لینگویج نیوز پیپرس کو نیوز پرنٹ کا کوٹہ دیتے ہیں۔ ان کو جو ایڈورٹائزمینٹ دیتے ہیں۔ لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ ایڈورٹیزمینٹ اشتہارات اور جو نیوز پرنٹ دیتے جاتے ہیں اس سے پولیٹکل پریشر ان پر بڑھا دیا جاتا ہے اور اس طریقے سے ان اخبارات کو چاہے وہ اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن ہو چاہے کیندر سرکار ہو ان اخبارات کو مخصوص اپنے لیئے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے میں جس سے ان کا انیشیٹو مر جاتا ہے جس سے وہ ترقی رک جاتی ہے جن میں وہ اخبارات اہم رول ادا کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو ہی کچھ کرنا پڑیگا۔ پنجابی بنگالی آسامی کشمیری تمل تیلگو اڑیا یہ ساری ساری زبانیں ہیں جو اصل میں ہماری زبانیں ہیں۔ جن میں ہمارا کلچر ہے جن میں ہماری تہذیب ہے۔ ہماری سنسکرتی ہے اور جن کے دوارا ہم ترقی کر سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو ان مادری زبانوں میں تعلیم دلا کر ان کی آنکھیں کھول کر ان کو ایجوکیٹ کر کے تربیت کر کے ہی

ہندوستان کی ترقی کر سکتے ہیں۔ ہر مرکز پر ترقی کر سکتے ہیں لیکن بدقسمتی سے یہ لنگوتج پیپرس آج مر رہے ہیں لینگوتج پیپرس آپ کے ہاتھ کا کھلونہ بن رہے ہیں۔ ان کو کھلونہ مت بننے دیا جائے یہ ترقی کی وکاس کی ایک بہت بڑی کڑی بن سکتے ہیں اور ان کے اوپر جو دباؤ سے نیوز پرنٹ یا ایڈورٹیزمنٹس کے مادھیم سے جو ان کا ایکسپلائٹیشن ہو رہا ہے اس کو بند کر دیجیے۔ میری آپ سے یہی پرارتھنا ہے۔

آخر میں میں اتنا کہوں گا کہ فلم کا جہاں تک تعلق ہے جو ٹی وی میں دکھا رہے ہیں جو ایڈورٹیزمنٹس دکھا رہے ہیں یہ ہمارے ہندوستان کی سنسکرتی کے مطابق نہیں ہے۔ یہ گنے چنے لوگ جو آسودہ حال ہیں جو خوشحال کہلاتے ہیں ان کے دل اور جذبات کی ان کی ہوس ناکی کے لیے کچھ فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔ ان کی کچھ تسلی ہو سکتی ہے لیکن ہندوستان کی میجارٹی غریب لوگوں کی ہے پس ماندہ لوگوں کی ہے

ان کو آگے بڑھانے کے لیے ہی آپ کے سارے پروگرامس کا مقصد ہونا چاہیئے۔ ان کو بیکاری غربت کی بیماری اجڈپن اور جہالت سے نکالنے کی دشا میں ہم کو قدم بڑھانے چاہیے۔ اور اس قسم کی فلمیں بنانی چاہیے جس طرح کے مسالے بھر کر اور جس طرح کے ایڈورٹیزمنٹس ہم آج ٹی وی پر دکھا رہے ہیں ان سے بہت نقصان ہو رہا ہے۔ میری آپ سے یہی پرارتھنا ہے کہ آپ نیشنل پالیسی اس کے لیے بنا دیجیے اور صحیح مارگ پر ٹی وی فلموں کو لائیے۔

[अनुवाद]

श्री भोलानाथ सेन (कलकत्ता दक्षिण) : वाद-विवाद के अन्त में मैं मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं आशा करता था कि मांगें बहुत ज्यादा होंगी। किंतु, यह केवल दूरदर्शन के विषय में ही है। आप पीछे बैठकर आगे देखते हैं और दूर बैठकर सामने देखते हैं—यही दूरदर्शन है।

मैं हमेशा धर्म के बारे में सुनता रहा हूं। मैं इस सदन की ओर देख रहा था। हर स्थान पर उपनिषद् के श्लोक लिखे हुए हैं। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है हम कहते हैं राम नाम सत्य है। जब कोई साम्यवादी महिला विवाह करती है तो उस समय वह शंख का बना हुआ कंगन पहनती है और मांग में सिंदूर लगाती है। हर स्थान पर गीतों में, वस्तुकला में, मन्दिरों में और चित्रकारी आदि में आप को धर्म दिखाई देगा। महात्मा गांधी ने कहा था रघु पति राघव राजा राम। उसमें उन्होंने कहा ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। यह धर्मनिर्पेक्षता है। इस मामले में हमें भावुक नहीं होना चाहिए। जब पोप आए, दूरदर्शन पर उन्हें दिखाया गया। जब कलकत्ता मैदान में ईद नमाज होती है, तो वह दूरदर्शन पर दिखाई जाती है मैंने यह स्वयं दूरदर्शन पर देखी है। जब काली की प्रतिमा को गंगा में प्रवाहित किया जाता है तो उसे भी दूरदर्शन पर दिखाया जाता है। मैंने स्वयं यह देखा है। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। वास्तव में मैं इस का समर्थन करता हूं। संभवत: इस संबंध में थोड़ा सा संतुलन होना चाहिए।

जब प्रधान मंत्री, फ्रांस, अमेरिका अथवा बहामास तथा अन्य स्थानों पर "चोगम" की बैठक में भाग लेने गए तो दूरदर्शन ने इसे दिखाया। किंतु क्या हुआ? प्रधान मंत्री कुछ वरिष्ठ व्यक्तियों को बोथा के साथ बात करने के लिए दक्षिण अफ्रीका भेजने का प्रयास क्यों कर रहे थे? क्या कारण है कि दक्षिण अफ्रीका के साथ हमारे राजनयिक संबंध नहीं हैं? इग्लैंड में, दूरदर्शन पर काले लोगों पर दिन प्रति दिन किए जाने वाले अत्याचारों को भी दिखाया गया और तत्पश्चात् श्री बोथा ने कहा, सभी पर प्रतिबन्ध लगाया जाता है; किसी को भी चित्र लेने की अनुमति नहीं दी जाती है। इसी दौरान इंग्लैंड वाले इतने उत्तेजित हो गए कि उन्होंने श्री मण्डेला की जो कारावास में हैं एक प्रतिमा लंदन में स्थापित कर दी। और इसका उद्घाटन उनकी अपनी पुत्री द्वारा किया गया। इसे प्रजातंत्र कहते हैं। इसे लोगों के प्रति सरकार की अभिव्यक्ति कहा जा सकता है। आज सरकार क्या कर रही है? उनका धर्म निरपेक्षता में प्रजातंत्र में और सब की स्वतंत्रता में विश्वास है। गुट निरपेक्ष देश कहलाने वाले तीसरे विश्व के देशों में क्या हो रहा है? अगर आप इग्लैंड जाए, अमरीका जाएं तो पाएंगे कि लोग भूख से होने वाली मौतों और भुखमरी के प्रति जागरूक हैं और वे उन देशों, वहां के आदमी औरतों और बच्चों को पैसा और सहायता दे रहे हैं। हम भी उनका साथ देना चाहते हैं। हमारा अस्तित्व केवल हमारे लिए नहीं है, हमारा अस्तित्व विकासशील देशों और गरीब राष्ट्रों के लिए भी है। हम चाहे कितना भी बोलें पर इसी शक्तिशाली मशीनरी के माध्यम से ही हम जान सकते है कि विश्व के विभिन्न भागों में खासकर गरीब देशों में क्या हो रहा है। प्रेस के माध्यम से या इस सदन में किए गए आह्वान के प्रति लोगों की क्या प्रतिक्रिया होगी? लोग सोच रहे हैं कि चाहे वे कहीं भी हो—चीन, सोवियत संघ

[श्री भोला नाथ सेन]

क्यूबा आदि में—वे स्वर्ग में रह रहे हैं। आपने देखा होगा कि चीन में क्या हो रहा है। ब्रिटेन ने टेलीविजन में वह सब दिखाया गया है। अगर आप उन कार्यक्रमों को देखें तो पाएंगे कि जहां तक बहुत से देशों में जीवन स्तर का संबंध है हम कहीं बेहतर ढंग से काम कर रहे हैं। इस सबको स्पष्ट कौन करेगा ? केवल टेलीविजन कर सकता है। यह देश अफवाहों से बहुत अधिक प्रभावित होता है। इसलिए टेलीविजन देश में लोगों को सत्य से अवगत करा सकता है। अफवाह फैलती जा रही कि रूस, चीन और क्यूबा में सब कुछ ठीक है। सच का पता लगाने के लिए हमारे पास तो साधन नहीं है। हम उसका पता नहीं लगा सकते। हम केवल टेलिविजन के माध्यम से सत्य को देख और उसका पता लगा सकते हैं। अमरीका में भी रूस की तरह ही तकलीफें हैं। चीन में भी दुःख हैं। हम अगले 14 सालों में 21वीं सदी में प्रवेश करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम अपना सिर ऊंचा करके नए युग में प्रवेश करना चाहते हैं।

टेलीविजन पर विज्ञापनों को दिखाने के मापदंड से मुझे हैरानी होती है। क्या वे गरीबों के लिए टूथ ब्रश के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए नाम की दातुन दिखाते हैं न कि टूथ ब्रश या टूथ पेस्ट को ? यह किस प्रकार की विचारधारा है। कहा जाता है कि हमारे 90 या 60% लोग गरीब हैं। साबुन उनके लिए महत्व नहीं रखता। क्या वे कभी नहीं जानेंगे कि साबुन क्या होता है ? क्या उनमें आधुनिक जीवन जीने और उसके लिए काम करने की इच्छा कभी नहीं होगी ? नीम की दातुन से दांत साफ करना यह सब क्या है ? क्या विज्ञापन ऐसा होना चाहिए ? मैं उसे समझ नहीं पाता। क्या हम पीछे लौट रहे हैं ? क्या हम वास्तविकता की बात करते हैं या महज आलोचना के लिए सरकार की आलोचना करते हैं। महोदय, मैं आपके माध्यम से सूचना और प्रसारण मंत्रालय और मंत्री महोदय को बधाई देता हूं कि वह विज्ञापन के मामले में वास्तव में बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है। मैं उनसे सहमत हूं कि विज्ञापन बेतरतीब ढंग से नहीं दिखा कर उपयुक्त समय पर दिखाए जाने चाहिए। वैसे अधिकारियों को सोचना चाहिए कि विज्ञापन कब दिखाए जाने चाहिए। मैं आपको बता दूं कि मैं खुद उदारीकरण में विश्वास रखता हूं। मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं कि इस देश में 76 करोड़ लोग—हो सकता है 80 करोड़ लोग—रह रहे हैं और इस शताब्दी के अन्त तक हमारे यहां चीन से भी अधिक जनसंख्या हो जाएगी। इतने सालों के दौरान क्या हुआ है ? कितने लोग एक मध्यमवर्गीय परिवार से ऊपर उठ पाए हैं ? अगर आप आंकड़ों को ले तो पाएंगे कि 20 करोड़ व्यक्ति ऊपर उठे हैं। अब वे 5 रु० दैनिक पर नहीं बल्कि एक-दो या तीन हजार मासिक पर रह रहे हैं। क्या आपको यूरोप के किसी देश में 20 करोड़ व्यक्ति उसी जीवन स्तर के मिलेंगे जैसे हमारे देश में हैं। अब हमने इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है खुली आंखों से भविष्य के बारे में सोच सकते हैं कि यहां जो कुछ हो रहा है उससे हम भी एक दिन साबुन, स्नान और थोड़ा सा आराम प्राप्त करेंगे।

समय क्योंकि थोड़ा है इसलिए मैं केवल कुछ बातें और कहूंगा। एक तो यह कि हमारे देश में एक समस्या बेरोजगारी, अत्यधिक बेरोजगारी, की है। लेकिन कानून—इतना पेचीदा है कि अगर हमारे वित्त मंत्री भी एक युवक को व्यापार के लिए पैसा देना चाहें तो उस युवक को पता नहीं

चलेगा कि वह उस पैसे का क्या करे। अन्ततः वह पैसा वापिस नहीं करेगा। अगर आप उसे पढ़ाएगें तो कृषि एकमात्र विषय नहीं है। शहरी लोगों की सोचिए। शहरी बेरोजगारों के बारे में सोचिए। आप उन्हें पैसा दे रहे हैं आप उन्हें ऋण दे रहे हैं। कृपया उनकी सहायता करिए कि बेहतर ढंग से काम कैसे किया जा सकता है और अधिक पैसा कैसे कमाया जा सकता है। उन्हें उसी तरह पढ़ाइए जैसे सावेजनित विश्वविद्यालय में शिक्षा दी जाती है। अगर जरूरी है तो उन्हें सुबह पढ़ाइए। निश्चित समय पर उन्हें ऐसी विभिन्न शिक्षा दीजिए जिसे 5,000 रुपए या 25,000 रुपए से शुरू किया जा सकता हो। वह करेंगे। हमारे लोगों ने किया है। वे इसे थोड़े ही समय में बेहतर ढंग से करना सीख लेंगे।

मेरा अंतिम मुद्दा यह है। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता श्रीमती गीता मुखर्जी ने भी इस मुद्दे के बारे में बोला है। मैं अंडमान गया था। पोर्ट ब्लेयर में मैं रेडियो पर कलकत्ता को नहीं सुन सकने पर रेडियो और टेलिविजन पर बंगलादेश को सुन और देख सका। कलकत्ता में अपने घर में अचानक एक दिन मैंने पाया कि मैं टेलिविजन पर ढाका से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम देख सकता हूं—बहरहाल यह मौसम पर निर्भर करता है। पर हम रेडियो को इस तरह से क्यों नहीं कर सकते उसे कम से कम इतना शक्तिशाली क्यों नहीं बना सकते कि अगर कोई व्यक्ति उड़यिा में कुछ सुनना चाहता हो तो वह कटक स्टेशन को लगाकर सुन ले? अगर वह मराठी में कुछ सुनना चाहता है तो महाराष्ट्र स्टेशन को लगाकर सुन ले। इस तरह का कुछ किया जाना चाहिए। यहां बहुत से राज्य हैं। बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। बहुत सी संस्कृतियां परस्पर मिलने की स्थिति में हैं। तो हम ऐसा कर सकते हैं।

मेरा अन्तिम मुद्दा यह है। हम हिमालय के इस दौर से हर शहर में सभी स्टेशनों पर से रेडियो और टेलीविजन सुन और देख सकें। हम रेडियो ही नहीं सुन सकें बल्कि टेलिविजन भी देख सकें। मेरा विचार है कि ऐसा परीक्षण किया जाना चाहिए। मालूम नहीं मंत्री जी ऐसा क्यों नहीं कर सकते। शायद पैसा कारण हो। लेकिन मंत्री जी यहां हैं। वह एक अनुभवी व्यक्ति हैं। मुझे विश्वास है कि वह इस मामले में हमारी सहायता कर सकते हैं। हमें प्रसन्न करने के लिए ही नहीं बल्कि प्रसन्न बनाए रहने के लिए सहायता कर सकते हैं। मैं हार्दिक रूप से अनुदानों की मांग का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री डाल चन्द्र जैन (दमोह) : आदरणीय सभापति महोदय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की जो मांग प्रस्तुत की गई हैं मैं उसका समर्थन करता हूं। हमारे सूचना और प्रसारण मन्त्री जी जिस ढंग से इस विभाग का संचालन कर रहे हैं उसके लिए मैं उनको बधाई भी देना चाहता हूं। लेकिन कुछ बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक मुस्लिम शायर ने कहा है कि

"मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना
हिन्दी हैं हम वतन हैं हिन्दुस्तान हमारा।

[श्री डाल चन्द्र जैन]

मैं यह कहना चाहता हूं हमारा देश एक धर्म-निरपेक्ष राज्य है । हमको धार्मिक कार्यक्रम दिखाने की कोई हिचक नहीं होनी चाहिए और जितने भी हिन्दुस्तान के धर्म हैं उनकी जो भी अच्छी से अच्छी बातें हैं उनको हमको दिखाना चाहिए । हमारे देश में सबसे सस्ता मनोरंजक और शिक्षा का साधन दूरदर्शन और आकाशवाणी है । आकाशवाणी का तो हम समझते हैं इस देश के शत-प्रतिशत लोगों को लाभ मिलता है, लेकिन दूरदर्शन का लाभ हमारी करीब-करीब 25 प्रतिशत जनता को भी नहीं मिलता है।

मैं मध्य प्रदेश के बुन्देलखण्ड भू-भाग की बात कहना चाहता हूं । वहां खजुराहो, छत्तरपुर, टीकमगढ़, पन्ना और दमोह जो संसदीय क्षेत्र हैं वहां दूरदर्शन का लाभ किसी भी प्रकार से नहीं पहुंच पाता है । मैं मंत्री महोदय से खास तौर से कहना चाहूंगा कि वह वहां एक शक्तिशाली दूरदर्शन का ट्रांसमीटर स्थापित करें जिससे कम से कम यह जो बुन्देलखण्ड की पिछड़ी हुई कांस्टीट्यूऐंसीज हैं, जहां की आबादी में लगभग 40 प्रतिशत हरिजन और आदिवासियों की है, वहां इनको दूरदर्शन का लाभ मिल सके और वे इससे शिक्षा के साथ-साथ मनोरंजन भी प्राप्त कर सकें । एक बात मैं प्रोग्राम्स के बारे में कहना चाहता हूं ।

दूरदर्शन के कई प्रोग्राम्स तो बहुत अच्छे और शिक्षाप्रद होते हैं, कुछ फिल्में भी अच्छे स्तर की दिखाई जाती हैं लेकिन उनमें अभी कुछ और अच्छे कार्यक्रम सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता है । जिनमें हमें शिक्षा मिले कि एक आदर्श डाक्टर कैसा हो सकता है, आदर्श विद्यार्थी कैसा हो सकता है, आदर्श शिक्षक कैसा हो सकता है, आदर्श वकील कैसा हो सकता है और आदर्श नागरिक में क्या-क्या गुण होते हैं । मेरा ख्याल है कि ऐसे कार्यक्रमों का आम जनता पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा । अभी दूरदर्शन पर फिल्म "नासूर" दिखाई गई थी जिसमें एक आदर्श डाक्टर और एक व्यावसायिक डाक्टर, दोनों का उत्तम चित्रण किया गया था । उस फिल्म की आम जनता ने बहुत सराहना की थी । मैं चाहता हूं कि दूरदर्शन से ऐसी फिल्में ही दिखानी चाहिए ।

आज दुनिया में बड़ी उथल-पुथल मची हुई है । ऐसे समय में दूरदर्शन के माध्यम से पंचशील के सिद्धांतों का प्रसार, अहिंसा और शाकाहार का प्रचार भी मनोरंजन के साथ साथ किया जाए । ऐसे कार्यक्रम बनाए जाए जिनमें इन बातों का भी समावेश हो और जिनसे हमारे जीवन में कुछ शिक्षा मिलती हो । हमें आदर्श जीवन और उच्च-विचारों की प्रेरणा मिलती हो । हर धर्म में जितने उच्च विचार है, सिद्धान्त हैं, उनका निरूपण इस ढंग से किया जाए ताकि वे लोगों को रुचिकर लगें और आम जनता उनसे लाभान्वित हो ।

मैं पुन: मन्त्री महोदय को बधाई देने के साथ निवेदन करना चाहूंगा कि देश के तमाम पिछड़े इलाकों में दूरदर्शन केन्द्र अविलम्ब स्थापित किए जाएं । यदि धनाभाव की समस्या हो तो मैं सुझाव देना चाहूंगा कि जिस तरह रुरल इलैक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन ने बौंड जारी करके इस कार्य में तेजी लाई है, उसी तरह सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी बौंड़ जारी करके धन जुटा सकता है ।

उससे हमारी जनता को निश्चित रूप से लाभ पहुंचेगा और उसके साथ हमारी आय का स्त्रोत भी बढ़ेगा, जिस तरह एडवर्टाइजमैंट से हमें आमदनी हो रही है, जैसे-जैसे लोगों की रुचि बढ़ेगी, वैसे-वैसे और लोगों को लाभ होगा।

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : सभपति जी, सारे लोगों ने दूरदर्शन के सम्बन्ध में ही अपने विचार यहां व्यक्त किए, उनका ध्यान अधिकतर टी० वी० तक ही सीमित रहा, मैं उसको छोड़कर, रजिस्ट्रर ऑफ न्यूजपेपर्स के सम्बन्ध में दो-चार बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं लोक सभा में पिछले साल ही आया हूं और हमें अक्सर उनको डिक्लेयरेशन के लिए चिट्ठी लिखते रहना पड़ता है। आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु या कर्नाटक से उनके पास बहुत सी चिट्ठियां आती हैं और सभी में एक ही शिकायत होती है कि हमें दिल्ली से डिक्लेयरेशन नहीं मिलता और जब हम लोग दिल्ली में जाकर मालूम करते हैं कि क्या बात है तो हमें पता चलता है कि हमारे पत्र ही गायब कर दिए जाते हैं या 5-5 या 6-6 साल तक वे ऐसे ही पड़े रहते हैं। जब भी उनका ध्यान आकर्षित कराया जाता है तो वे कहते हैं, हमें आपके पत्रादि नहीं मिल रहे हैं, यदि आपके पास उनकी प्रतिलिपि हो तो हमें दीजिए तो हम डिक्लेयरेशन दे देंगे। रजिस्ट्रार ऑफ न्यूजपेपर्स के कार्यालय में लाखों पत्र आते हैं, आखिर वे करते क्या हैं, उन पत्रों पर कोई ध्यान नहीं देता। आपके आफिसर वहां किस लिए बैठे हैं, जो उन पत्रों पर कोई ध्यान नहीं देता। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि यदि सम्भव हो तो दक्षिण भारत के लिए हैदराबाद या मद्रास में डिप्टी रजिस्ट्रार का एक कार्यालय स्थापित कर दिया जाए जो जल्दी-से-जल्दी छोटे-छोटे पेपर वालों को, पत्रिकाओं को, वीकली, बाई-वीकली, पाक्षिक अथवा मासिक पत्रों को वहीं बैठकर डिक्लेयरेशन दे सके। उनको दिल्ली आना न पड़े और उनकी चिट्ठियां यहां 5-5 साल तक पैन्डिंग न रहें। लोग हमें हमेशा तंग करते रहते हैं कि क्या हुआ, अभी तक हमें डिक्लेयरेशन नहीं मिला। मैं चाहता हूं कि इस ओर ध्यान दे कर आप उचित कदम उठायें। या तो यहां एक सूची बनाई जाए और जितनी एप्लीकेशन्स आती हैं, उनका रिकार्ड रखा जाए। मैंने स्वयं अंगोल की एक पत्रिका के सम्बन्ध में तीन पत्र लिखे, अच्छमपेट तहसील, महबूब नगर के नगनूर नामक स्थान के ए० के० विश्वनाथन नामक लड़के के बारे में कई पत्र लिखे परन्तु उनमें से किसी का उत्तर मुझे अब तक नहीं मिला। वे देते ही नहीं और कहते हैं कि साहब, आपके पास उनकी प्रतिलिपि हो तो हमें दीजिए। कभी कहते हैं कि यह पत्र तेलगू में आया है, हमारे पास व्यवस्था नहीं है, या पाक्षिक का नाम तेलगू में है और यहां पर तेलगू जानने वाले नहीं है। मैं चाहता हूं कि वहां पर हर भाषा के लोग लगाए जाने चाहिए।

इतना ही मैं आप पर असर डालना चाहता हूं कि आप जल्दी-से-जल्दी उसको करवाइये।

छोटी पत्रिकाओं और छोटे-छोटे अखबारों को आपको सबसीड़ी देनी चाहिए। आप फिल्मों को 4,4 और 5,5 लाख रुपया दे रहे हैं तो छोटी पत्रिकाओं को जो जिला स्तर, तहसील स्तर और तालुका स्तर पर राज्य भाषा में चलती हैं, उसके लिए भी आपको सबसीड़ी देनी चाहिए और उन्हें ज्यादा एडवर्टाइजमैंट देने चाहिए। छोटी तहलील के लेवल के काम के लिए बड़े-बड़े अखबारों,

हिन्दुस्तान टाइम्स और दूसरे अखबारों को देने से क्या है । आल इंडिया सर्कुलेशन की क्या जरूरत है ? एडवर्टाइजमैंट लोकल पेपरों देना चाहिए ताकि लोग पेपर को पढ़ सकें ।

हो सकता है कि हर आदमी टी० वी० न देख सकता हो, लेकिन कम-से-कम पेपर तो गांव-गांव में पढ़ सकता है । इसलिए इसको चेंज करना होगा । आप एडवर्टाइजमैंट लोकल और रीजनल पेपर्स में दीजिए ।

आपने इंडस्ट्रियल बैलट पर टी० वी० सैंटर खोलने का वायदा किया है । 50 परसैंट वहां पर देने के लिए तैयार हैं जैसे रामगुंडम, आपने एम० टी० पी० सी० और एफ० सी०आई० और सिंगरैणी कोयलरीज खोली हैं । हम 50 परसैंट देने के लिए तैयार हैं, मगर आपके डायरेक्टर साहब बोलते हैं कि पूरा दें । अगर हम पूरा देंगे तो आप किस लिए हैं ? आपको पूरा लगाना चाहिए क्योंकि इंडस्ट्रियल मजदूरों के कार्यक्रम के लिए हम लगाना चाहते हैं । मेरा निवेदन है कि इंडस्ट्रियल बैल्ट के रामगुंडम, गोदावरकनी, वेलमपेल्ली, कोत्तागुडम और विशाखापत्तनम में जगह-जगह आपकी टी० वी० सैंटर खोलने चाहिये ।

आपने मुझे चिट्ठी लिखी, बहुत खुशी है कि आप आदिलाबाद में टी० वी० सैंटर खोलने वाले हैं । इसको जल्दी-से-जल्दी खोलना चाहिए ।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे हैदराबाद में मुझे तो खैर, टी० वी० देखने का मौका ही नहीं मिलता, लेकिन अगर कभी टी० वी० देखने बैठे भी तो उस पर तस्वीर ठीक नहीं आती है, स्क्रीनिंग करते रहते हैं । पता नहीं इसका क्या कारण है ? आप ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम दिखाना चाहते हैं, पिक्चर बनाना चाहते हैं लेकिन बताइये कि किस प्रकार का पिक्चर बनाना चाहते हैं ? मेरा निवेदन है कि आप पावरफुल ट्रांसमीटर लगाइए ताकि लोग पिक्चर वगैरा अच्छे ढंग से देख सकें, बेशक 1 घंटे के लिए ही प्रोग्राम आये मगर अच्छा दिखाइये ।

टी० वी० पर जो फिल्म आती हैं, मेहरबानी करके उसमें क्रिमिनल फिल्म मत दिखाइये । उनसे बच्चे चोरी और रेप करना सीख रहे हैं । एडवर्टाइजमैंट में औरतों को नंगा दिखाना स्टार्ट करते हैं वह लाइफबाय साबुन के एडवर्टाइजमैंट में देखा जा सकता है । बच्चे जब पिक्चर देखते हैं तो बीच-बीच में बच्चों को नंगी औरत देखना पड़ता है । यह क्या है ? मैं समझता हूं कि ऐसे एडवर्टाइजमैंट से पैसा कमाना हमारे माधव रेड्डी जी के कहने के अनुसार बराबरी करना होता है । इसलिए ज्यादा कमर्शियल नहीं होना चाहिए । हमको लिब्रेलाइज करना चाहिए । हमको अपनी संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए । स्त्री की भी मानवता और मानव की रक्षा करनी चाहिए ।

पार्लियामैंट की जो संसदीय समीक्षा आती है वह रात को साढ़े 11 बजे आती है । उस समय उसको कौन सुनता है ? जरा आप इसे जल्दी से बताइये । 7 बजे या 8 बजे दीजिये, लेकिन आप साढ़े 11 बजे देते हैं, इससे आश्चर्य होता है । इसके साथ ही संसदीय समीक्षा रीजनल लैंगुएज में राज्य-भाषा में कम-से-कम सुबह देनी चाहिए । उसका अनुवाद करके लोगों के सामने ठीक ढंग से किसी जर्नलिस्ट को रखना चाहिए ।

सैंसर बोर्ड के बारे में भी मैं दुःख के साथ कहना चाहता हूं।

श्री वी० एन० गाडगिल : वह हमारे पास नहीं है। नरसिंह राव साहब के पास है।

श्री सी० अंगा रेड्डी : ठीक है आप जरा उनको यह पास-आन कीजिए। नरसिंह राव जी हमारे यहां के मन्त्री हैं। कभी-कभी हमको पता ही नहीं चलता कि फिल्म में क्या है। मलयालम की पिक्चर पूरी नंगी बताते हैं। आप किसी वाल-पोस्टर को देखें तो परेशान हो जायेंगे। सिनेमा देखने के पहले ही आदमी को ,सिनेमा देखे जैसा हो जाता है। इसलिए जरा सैंसर बोर्ड को ठीक कीजिए। इतना कह कर आप ने मुझे जो समय दिया उसके लिए मैं आप का बड़ा आभार प्रकट करता हूं।

एक चीज और है कि यह क्रिकेट मैच दिखाना जरा बन्द कीजिए। क्रिकेट मैच क्यों दिखाते हैं? आफिस के दिन लोग वहीं बैठते हैं, लंच खाते हैं और तीन बजे तक बैठे रहते हैं। कोई आफिसर काम नहीं करता है। सारे यही काम करते हैं मैच देखने का। क्रिकेट के पीछे पड़े रहते हैं। औरत हों, बच्चे हो, गांव के लोग हों डंडा लेकर और बाल लेकर मारते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि यह क्रिकेट मैच कोई पुराना मैच नहीं है। हमारे देहातों में गिल्ली डंडा खेलते थे। वही यह है। इसलिए मैं चाहता हूं कि क्रिकेट को मत दिखाइए टी० वी० पर क्यों कि लोगों का समय खराब हो रहा है। आफिसर लोग हमेशा यही चर्चा करते रहते हैं। इसलिए आप दूरदर्शन पर इस को दिखाने की कोशिश मत कीजिए।

श्री के० डी० सुल्तानपुरी (शिमला) : सभापति महोदय, माननीय मन्त्री जी द्वारा जो यहां सूचना और प्रसारण मन्त्रालय की मांगें प्रस्तुत हुई हैं उनका समर्थन करने के लिए में खड़ा हुआ हूं। मैं समझता हूं कि आज सारे देश के अन्दर जिस तरह से दूरदर्शन का प्रसार हुआ है उसके लिए यह मन्त्रालय बधाई का पात्र है। कई बातें यहां कही गई है। वह लोगों के अपने मुख्तलिफ विचार हैं और मंत्री जी के पास आने चाहिए थे। लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि जिस तरह के सारे देश के अन्दर हमारे दूरदर्शन ने काम किया है उसमें किसी एक वर्ग को ही नहीं बल्कि सभी वर्गों को चाहे वह किसान का काम करने वाले लोग हैं उनको उत्साह मिला, चाहे उनकी भूमि में जो पैदावार होती है। उसके बारे में जानकारी फर्टिलाइजर के बारे में जानकारी, इरीगेशन के बारे में जानकारी दी जाती है और उसी तरह से हमारी जितनी पार्टियां हैं चाहे वह एक-एक दो-दो मैम्बर्स की पार्टी है उनका भी प्रचार दूरदर्शन के द्वारा किया जाता है। यह कहना बिल्कुल गलत है कि हम को इग्नोर करके जो यह बड़ी पार्टी है इसी को दिखाया जाता है।

मैं कहना चाहता हूं कि प्रधान मन्त्री जी की जो छवि है उसको कोई भी राष्ट्र इस तरह से कम नहीं दिखाता है जिस तरह से हमारे राष्ट्र में कम दिखाई जाती है। मैं समझता हूं कि उसको अधिक मात्रा में दिखाया जाना चाहिए। हम इस राष्ट्र को तभी आगे ले जा सकते हैं जब हमारे राष्ट्र के प्रधान मन्त्री की छवि अच्छी हो। लेकिन ये जो हमारे विपक्ष के लोग हैं इनको यह नाराजगी है कि हमको नहीं दिखाया जाता। पहले तो आप सबको इकट्ठा होना चाहिए। मगर ये कोई तो

[श्री के० डी० सुल्तानपुरी]

कहीं से, कोई कहीं से छोटी-छोटी पार्टी बनाकर बैठे हुए हैं और सब पार्टियों का प्रचार चाहे एलेक्शन में खड़े होते हैं या वह यहां कोई भाषण देते हैं सबका प्रचार किया जाता है।

इसके साथ-साथ यह बात यहां कही गई कि दूरदर्शन के द्वारा बड़ी भारी हमने आगे तरक्की की है और प्रधान मन्त्री जी के बारे में भी कई बातें आई। हमारे नेशनल कान्फरेंस के भाई कह रहे थे और उन्होंने यह कहा अपने शब्दों में कि कश्मीर के बारे में कश्मीर में सिर्फ आप की पार्टी का बोलबाला दिखाया जाता है। यह राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्र में जो कुछ खराबी किसी तबके की तरफ से होती है उसकी जानकारी प्राप्त करना हर नागरिक का फर्ज है कि वह सारे राष्ट्र को बताए। वहां के जो रिपोर्टर थे उन्होंने कोई भी इस तरह की रिपोर्ट नहीं की है, कोई इस तरह का उदाहरण उन्होंने पेश नहीं किया कि नाजायज तौर पर सरकार को इस तरह की बातें कहना ठीक नहीं है। जो सही बातें वहां हुई हैं उनका प्रचार राष्ट्र के अन्दर किया जाय तो उससे हमें जानकारी मिलती है।

पंजाब के अन्दर भी जिस तरह की हवा पैदा की गई है, मैं यह कह सकता हूं कि पंजाब के अन्दर जो ये चन्द एक फिरकापरस्ती ताकतें और जो कश्मीर में ट्रेनिंग कराने वाले लोग जो बाहर के देशों से वहां पनाह लेते रहे और वहां पर निवास करते रहे, उनकी तरफ से ये सारे काम होते रहे। इस बात को हम जानते हैं जो पड़ोसी इलाके के रहने वाले हैं और मैं यह कह सकता हूं कि हमारी सरकार ने वक्त के मुताबिक ठीक निर्णय लिया, ठीक वक्त पर ठीक काम किया है, इसके लिए उसकी सराहना होनी चाहिए। मैं इस बात के लिए मन्त्री जी को बधाई देता हूं, उन्होंने हिमाचल प्रदेश में कसौली, शिमला में भी स्टूडियो की बात कही है लेकिन मैंने बजट के कागजात को देखा है, इसमें एस्टिमेट तो लगाया गया है लेकिन खर्च का कोई ब्यौरा नहीं है। पेज 70 पर, पेज 58 पर एस्टिमेट तो लिखा हुआ है लेकिन यह खर्चा 1986-87 में नहीं हो पायेगा और इस तरह से आगे चलकर मशीनरी और दूसरी चीजों की कास्ट बढ़ती चली जायेगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जैसे हमारे यहां लाहौल स्पीति, कन्नौर वगैरह है याजो रामपुर है वहां पर आप टी० वी० टावर लगायें ताकि वहां ट्राइबल एरियाज में प्रचार का साधन बन सके और जनता लाभान्वित हो सके।

आपके मन्त्रालय में जो ठेकेदारी सिस्टम है कि एनाउन्सर ठेके पर आते हैं, पैसा लेते हैं और चले जाते हैं, मैं समझता हूं उनको आप अपने यहां रेग्युलर करिए। उनको आप रेग्युलरली पे कीजिए ताकि उनको अच्छी सैलरी मिल सके और आपके यहां अच्छे एनाउन्सरों का सेलेक्शन हो सके और वे अच्छा काम भी कर सकें। आप कहीं से प्रोफेसर ढूंढते हैं, कहीं से साइंटिस्ट ढूंढते हैं और फिर उनसे आप सवाल जवाब करेंगे इससे अच्छा तो यह है कि जो हमारे यहां अच्छे साइंटिस्ट या दूसरे लोग हैं उनको पक्के तौर पर भर्ती कर लिया जाए।

रेडियो के बारे में यहां पर कहा गया कि गांवों में रेडियो का प्रचार नहीं है लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि आज जो रोड़ी कूटने वाला मजदूर भी है उसके पास भी रेडियो रहता है और वह भी देश की खबरें सुनता है। इसलिए मैं समझता हूं यह कहना ठीक नहीं होगा कि गांवों में छोटे-

छोटे अखबार देने चाहिए। ऐसे पेपर्स जो कि फिरकापरस्ती का प्रचार करते हों। मैं तो कहता हूं कि अगर राष्ट्र को हमें आगे ले जाना है तो जो हमारे बड़े अखबार हैं, राष्ट्रीय अखबार हैं, जैसे "हिन्दुस्तान टाइम्स" है या इंडियन एक्सप्रेस है इनको राष्ट्रीयता के प्रचार पर जोर देना चाहिए, देश में राष्ट्रीय भावना पैदा करनी चाहिए ताकि हमारा देश मजबूत हो सके।

एक माननीय सदस्य ने यहां पर कहा कि बी० बी० सी० से बड़ी अच्छी खबरें आती हैं, वहां से बड़ी अच्छी ब्राडकास्टिंग होती है। ये तो सुनते ही हैं बी० बी० सी० को, आकाशवाणी को सुनते ही नहीं हैं। इनका देश की खबरों से कोई ताल्लुक ही नहीं है। मैं तो कहता हूं सभी देश-वासियों को आकाशवाणी की खबरें सुननी चाहिए कि हमारे राष्ट्र में क्या हो रहा है और हमारे राष्ट्र के नेता क्या कहते हैं। हमारे अपोजीशन के नेता भी बोलते हैं उनको भी सुनना चाहिए।

अभी समाचार भारती के बारे में कहा गया तो यह ठीक है कि उसकी मदद होनी चाहिए और उसमें जो कर्मचारी हैं उनको जो भी लाभ आप दे सकते हैं वह देना चाहिए। काबुली साहब ने कहा था तो यह मदद होनी चाहिए।

यह जो नयी तकनीक हमारे देश में आ रही है—चाहे उद्योग के बारे में या कृषि के बारे में—उसके प्रचार के माध्यम से ही लोगों को जानकारी प्राप्त होती है। कई दोस्तों ने कहा कि प्रचार के लिए जो एडवर्टीजमेन्ट्स आते हैं वह विज्ञापन नहीं होने चाहिए। लेकिन विज्ञापनों के माध्यम से ही तो इनको कमाई होती है। मैं बाहर की कन्ट्रीज की बात करता हूं वहां पर ये विज्ञापन बहुत दिखाए जाते हैं जैसे कि ट्रैक्टर इतनी फसल पैदा कर सकता है, इतना काम कर सकता है और यह काम कर सकता है। हमारे देश में भी ये सारे उपकरण और सारी चीजें बन रही हैं इसलिए यह कहना ठीक नहीं होगा कि इनको नहीं दिखाया जाना चाहिए। कोई भी काम जो देश में अच्छा होता है या अच्छे बिजनेसमेन का एडवर्टीजमेन्ट हो तो उसको दिखाने से लाभ होता है।

कई और चीजें कही गई जैसे कि कई नंगी फोटोज दिखा दी जाती है तो कई हमारे एम० पीज भी यहां पर आधे नंगे आते हैं, ऊपर कमीज कुर्ता पहनकर नहीं आते हैं, सिर्फ धोती पहनकर आते हैं। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि दूरदर्शन वाले इस तरह से नंगी फोटो दिखा देते हैं। आपको अपने आपको ठीक करना पड़ेगा, तब जाकर परिस्थिति में कुछ सुधार आएगा। जहां बूढ़े कलाकारों, बुजुर्ग कलाकारों का सवाल है, उनसे बेशक आप बाहर गाइडलाइन लें, लेकिन नौजवान कलाकारों को भरती होनी चाहिए। ताकि लोगों की नजर वे कलाकार आयें। बाहर की कन्ट्रीज में मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा है। यदि कोई नाचने वाला कलाकार है, अच्छा कलाकार है, उसको इन्ट्रोड्यूस करना चाहिए। आपने एक दिन में एक टी० वी० टावर को स्थापित किया है यानी उसका उद्घाटन किया है। इस दिशा में आपने बहुत अच्छा कदम उठाया है। सारे देश के अन्दर एक जैसा काम हो रहा है। आप बधाई के पात्र हैं। जहां तक पैसे की कमी का सवाल है, मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री से निवेदन करना चाहूंगा कि वे ज्यादा से ज्यादा पैसा इस काम के लिए दें क्योंकि यह काम राष्ट्र की भलाई के लिए है और राष्ट्र इससे आगे बढ़ेगा।

[श्री के० डी० सुल्तानपुरी]

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए, मांगों का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री एम० रघुमा रेड्डी (नलगोंडा) : महोदय मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदान मांगों का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं दूरदर्शन और रेडियो के कार्य निष्पादन से खुश नही हूं। पिछले बजट सत्र के दौरान मैंने इस मामले को उठाया था कि दूरदर्शन और रेडियो को स्वायत्त निकाय के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए। लेकिन माननीय मंत्री ने इसे अस्वीकार कर दिया। मेरा गैर सरकारी विधेयक नामंजूर कर दिया। अब मैं इस मामले को दोबारा नहीं उठाऊंगा। मैं जानता हूं कि मंत्री जी से हमें किस प्रकार का जवाब मिलेगा। पर माननीय मंत्री इसे स्वायत्त निकाय बनाने के लिए इसे लागू क्यों नहीं कर रहे हैं। वह इस मामले को ले क्यों नहीं रहे हैं। श्री जोशी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को कूड़ेदान में फेंक दिया गया है। मालूम नहीं आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं।

दूरदर्शन और रेडियो का प्रमुख लक्ष्य लोगो का मनोरंजन करना है। मुझे आपके कार्यक्रमों में कोई मनोरंजन नजर नहीं आता सिवाय इसके कि सत्तारूढ़ दल का प्रचार किया जाता है और राजीव गांधी या कभी-कभी गाडगिल जी के दर्शन कराए जाते हैं। इसके अलावा टेलिविजन और रेडियो पर हम कोई और महत्वपूर्ण कार्यक्रम नहीं देखते। रेडियो पर प्रसारित होने वाले समाचार तथा अन्य कार्यक्रम स्तरीय नहीं होते। उनसे केवल समय जाया होता है। भारत में विभिन्न जगहों पर भिन्न-भिन्न संस्कृतियां है। भिन्न-भिन्न राज्य हैं और लोगों की समझने की क्षमता भी अलग-अलग है।

ग्रामीण किसी तरह का मनोरंजन पसन्द करते हैं तो शहरी किसी और तरह का। लेकिन हमारे पास एक चेनल होने के कारण ऐसा सम्भव नहीं है। अभी-अभी श्री रेड्डी ने इस बारे में कहा। कुछ लोग क्रिकेट पसन्द करते हैं तो कुछ कोई और खेल। लेकिन इसका यह मतलब नहीं हैं कि सभी लोगों को क्रिकेट पसन्द है। ग्रामीण क्षेत्रों में हम उसे टेलिविजन पर देखना चाहते हैं पर एक चेनल के कारण हमें मजबूरन क्रिकेट देखना पड़ता है। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में हम ग्रामीण कार्यक्रम, ग्रामीण विकास कार्यक्रम, स्वच्छता कार्यक्रम आदि देखना चाहते हैं पर जो लोग इन कार्यक्रमों को देखने में रूचि नहीं रखते उन्हें ये कार्यक्रम बाध्य होकर देखने पड़ते हैं। आजकल टेलिविजन और रेडियो विलासिता की वस्तुएं नहीं हैं। ये महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं। हमारे देश के विकास में वे आज एक आधारभूत जरूरतें हो गई हैं। सातवीं योजना के दौरान कुछ धनराशि की व्यवस्था की गई है और मुझे आशा है कि कुछ किया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य से इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि आप इसे दो और तीन चेनल का कैसे बनाएंगे। मैंने एक समाचार पत्र में पढ़ा है कि केवल बम्बई कलकत्ता और मद्रास में ही दो चेनल की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य से पांचवे सबसे बड़े शहर हैदराबाद पर विचार नहीं किया गया है। मैं कारणों को नहीं जानता। मैं माननीय मंत्री जी द्वारा उन कारणों को बताये जाने की करता हूं।

ग्रामीण समस्याओं को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। आजकल ग्रामीण युवकों का मस्तिष्क विभिन्न कारणो से अन्य दिशा में लगाया जा रहा है। वे कार्यक्रम जिन्हें आप अपना रहे हैं, ग्रामीण युवाओं और जनता को आकर्षक लगने चाहिए; वे शिक्षाप्रद हों तथा ग्रामीण जनता और युवाओं को वह दिशा-निर्देश करें। कहानियां एवं अन्य कार्यक्रम ऐसे होने चाहिएं जिससे वे इनसे कुछ सीख सकें। जैसा कि श्री जंगा रेड्डी ने कहा, उन्हे बलात्कार दृश्यों या आतंकवादी आक्रमणों तथा इसी तरह की अन्य चीजें देखने के लिए प्रलोभित नहीं किया जाना चाहिए; इस प्रकार के दृश्यों से बचना चाहिए। केवल शिक्षात्मक ढंग की तस्वीरें दिखाई जानी चाहिए। चयनित की गयी कहानियां ग्राम्य विषयवस्तु या ग्राम्य पृष्ठभूमि की होनी चाहिए। कार्यक्रम वास्तव में शिक्षात्मक ही होने चाहिए। दुर्भाग्यवश उन सबका प्रबन्ध नौकरशाहों द्वारा किया जाता है जो इस विषय में रूचि नहीं रखते। इस प्रकार के लोगों को वहां रखा जाता है। प्रतिभा सम्पन्न लोगों की उपेक्षा की जाती है। दुर्भाग्य से पेशेवर लोगों को प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है। भर्ती के सम्बन्ध में भी, जब भी, जब एक बार कोई व्यक्ति निदेशक का पद ग्रहण कर लेता है तो अपने सगे-सम्बन्धियों की भर्ती करता रहता है। प्रतिभा सम्पन्न व्यक्तियों की उपेक्षा की जाती है और उन्हें कोई अवसर नही दिया जाता। प्रतिभाली व्यक्तियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए तथा कुछ अवसर दिए जाने चाहिए।

हम सब शिक्षा की बात कर रहे हैं। हम हर गाँव को अच्छे अध्यापक तक नहीं दे सकते। हम कम से कम कुछ अच्छे अध्यापक तो नियुक्त कर सकते है तथा उनके पाठों को स्टूडियो में रिकार्ड कर सकते हैं तथा उन पाठों को रेडियो पर प्रसारित तथा टी० वी० पर दिखा सकते हैं। इससे लोग कुछ सीखेंगे।

यह वीडियो-युग है। वीडियो टेप का प्रयोग किया जा सकता है। बहुत सी वीडियो फिल्मों को प्राप्त कर उन्हें दिखाया जा सकता है। विभिन्न विषयों पर तैयार की गई इन फिल्मों को आप इच्छुक व्यक्तियों को बेच सकते है। ये न केवल शिक्षा बल्कि राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय विषयों पर भी हो सकती हैं। आप कहानियां दिखा सकते हैं, सामान्य ज्ञान जैसी शिक्षात्मक ढंग की चीजें भी दिखा सकते हैं। आप वीडियो टेप भी तैयार करवा सकते हैं और उन्हें बेच सकते है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इन्हें खरीदने के लिए तैयार हैं। उन्हें कम दर पर ग्रामीण क्षेत्रों में बेचा जा सकता है।

जब रंगीन टी० वी० की शुरूआत हुई थी तो बहुत से लोगों ने इसकी आलोचना की थी। लेकिन आज रंगीन टी० वी० हमारे लिए बहुत सहत्वपूर्ण हो गया है। यदि आप कृषि सम्बन्धी कोई कार्यक्रम दिखाते हैं तो बीज अथवा कीटनाशको का रंग टी० वी० पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

आन्ध्र प्रदेश के सम्बन्ध में, मैं कहना चाहता हूं कि तेलगू लोगों के प्रति कुछ उपेक्षा बरती गयी है। अभी हाल में 19 अप्रैल को तेलगू चल चित्र पल्लातूर फिल्म टी० वी० दिखाई जानी थी लेकिन फिल्म शुरू होने के एक घंटा पहले इसे रद्द कर दिया गया। मैं नहीं जानता कि किन कारणों

[श्री एम० रघुमा रेड्डी]

से ऐसा किया गया। उस तस्वीर में हीरो की भूमिका हमारे मुख्य मंत्री जी ने की है। यही कारण-- मैं नहीं जानता। आपके अधिकारियों ने इसे रद्द कर दिया। मैं नहीं जानता कि इसका कोई अन्य कारण है। मैं माननीय मंत्री से सत्यतापूर्ण उत्तर चाहता हूं।

नलगोंडा चुनाव क्षेत्र, जिसका मैं पिछले डेढ़ साल से प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, मैं एक कम शक्ति का ट्रांसमीटर तथा एक टी० वी० प्रसारण केन्द्र की स्थापना की मांग करता रहा हूं। मंत्री महोदय हमेशा वचन देते रहे है कि ऐसा किया जायेगा परन्तु अभी हाल ही में एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में, जिसे मैं सुनकर चकित हुआ, उन्होंने कहा चूंकि नलगोंडा हैदराबाद से 110 कि०मी० दूर है, इसलिए वहां इसे स्थापित करना सम्भव नहीं हैं। नलगोंडा के दूसरे हिस्सों का क्या होगा ? 15 तालुके और 59 मण्डल है। नलगोंडा से दूसरे सीमावर्ती क्षेत्रों की दूरी 80 कि० मी० है। इन क्षेत्रों का क्या होगा ? एक तरफ नागार्जुन सागर क्षेत्र है, तत्पश्चात डिन्डी तथा मरियालगुडा क्षेत्र है। आप केवल ठीक नलगोंडा की ही बात कर रहे हैं।

नलगोंडा तक में भी लोगों को साफ तस्वीरे नहीं दिखायी पड़ती हैं। अतः मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूगा कि इसे उच्च प्राथमिकता दें क्योंकि प्रत्येक जिला मुख्यालय में एक टी० वी० प्रसारण केन्द्र है। केवल मेरे जिले में ही कोई टी० वी० प्रसारण केन्द्र नहीं है। अतः में मंत्री महोदय से इस पर विचार करने के लिए अनुरोध करूंगा। वहां के लोग आप की ओर देख रहे हैं। कृपया इन लोगों की उपेक्षा न करे और नलगोंडा के लोगों के प्रति पक्षपात न दिखाये।

हैदराबाद के लिए दोहरी लाइन चैनल की व्यवस्था की जानी चाहिए। न केवल हैदराबाद के लिए बल्कि सभी बड़े कस्बों के लिए दोहरी लाइन चैनल की सुविधा होनी चाहिए। मैं सोचता हूं कि हमारे जैसे विकास शीलक राष्ट्र के लिए यह आवश्यक है। मैं आशा करता हूं आप इन सब पर विचार करेंगे।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों पर इतनी देर के बाद कुछ बोलने के लिए अवसर प्रदान करने हेतु आपको धन्यवाद देता हूं। बड़ी देर हो गई है। 9.00 बजने वाले हैं तथा सदन में उपस्थिति बहुत कम होगी। अतः मैं नहीं सोचता कि ऐसे में भाषण करना अच्छा रहेगा। प्रत्युत में माननीय मन्त्री जी की जानकारी में कुछ समस्याएं लाना चाहूंगा और कुछ सुझाव भी देना चाहूंगा।

महोदय, यह एक महत्वपूर्ण मन्त्रालय है जो प्रेस, सिनेमा टी० वी० दूरदर्शन रेडियो तथा आकाशवाणी का काम देखता है। जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व में हमारा लोकतंत्र सबसे बड़ा है और लोकतंत्र में प्रेस को फोर्थ एस्टेट कहा जाता है। यह महत्वर्ण संचार प्रणाली इस मन्त्रालय के अन्तरगत आती है। आगे, दूरदर्शन तथा आकाशवाणी को हमारे जैसे समाज में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है।

मैं प्रसन्न हूं कि जनप्रिय भूतपूर्व प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में 1980 से दूरदर्शन

और आकाशवाणी के क्षेत्र ने बडी उन्नति की है। दूरदर्शन और आकाशवाणी उपयोगिता और आवश्यकता पर पहले के वक्ताओ ने, जिन्होने इन पर विस्तार से बोला, बहुत सही प्रकाश डाला है। अत: समयाभाव का ध्यान रखते हुये मुझे इस पर आगे कहने की आवश्यकता नहीं है।

महोदय, यह जानकार हर्ष हुआ है कि 1980 से इस क्षेत्र मे देश ने गुणात्मक और संख्यात्मक दोनों दृष्टि से वृद्धि की है। वर्तमान सरकार ने भी इसे जारी रखा है। इस संवेदनशील मन्त्रालय को अति योग्य एवं निपुणता से संभालने के लिए मैं मन्त्री महोदय को बधाई देता हूं।

विभिन्नता के बीच एकता बनाए रखना हमारे राष्ट्र की प्राथमिक आवश्यकता है तथा इसे किसी सीमा तक रेडियो तथा टी० वी० द्वारा करना है। वास्तव में इस प्रशंसनीय उद्देश्य को पूरा करने के लिए दूरदर्शन तथा आकाशवाणी बहुत सार्थक भूमिका अदा कर रहे हैं।

मैं अपने राज्य उड़ीसा की कुछ समस्या को माननीय मन्त्री की जानकारी में लाना चाहूंगा और सुझाव देना चाहूंगा कि उनका कैसे समाधान किया जा सकता है। पहले, मैं माननीय गाडगिल महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि समस्याओं से परिचित होने के लिए यथासम्भव शीघ्र उड़ीसा आयें इन समस्याओं के सम्बन्ध में हमारी उनसे बातचीत हुई है। यद्यपि उनको वहां जाने का कार्यक्रम तय था, लेकिन वह जा नहीं पाये।

अगर मैं यह कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि विभिन्न कारणों की वजह से उड़ीसा को उसका वाजिब हिस्सा नहीं मिला है, या उसकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया है, जैसा कि होना चाहिए। हमारे यहां केवल एक दूरदर्शन केन्द्र संबलपुर में हैं। अब इसके साथ एक कटक में और है। नाम संबलपुर दूरदर्शन केन्द्र हैं परन्तु क्या आपको पता है कि इस दूरदर्शन केन्द्र के लिए स्टुडियो कहां स्थित है? यह कटक में है जो संबलपुर दूरदर्शन केन्द्र से 280 किलोमीटर दूर है। यह कितनी अजीब सी बात है? कार्यक्रम और समन्वय को देखते हुए बहुत सी कठिनाइयां हैं। कलाकारों को जिन्हें संबलपुर क्षेत्र से बुलाया जाता है—संबलपुर संस्कृति में समृद्ध है—वे अकेले जाते हैं और अपने साथी का कटक में प्रबन्ध करते हैं जो उन्हें मुश्किल से प्राप्त हो पाते हैं। इसके अतिरिक्त यात्रा भत्ता केवल गायक को दिया जाता है।

और महोदय, संबलपुर में एक पुराना कैमरा है। आधुनिक कैमरा जिसे उसी विदेशी एजेंसी द्वारा सप्लाई किया गया है कटक में रखा गया है। संबलपुर में बहुत सारी सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं। राउरकेला इस्पात संयंत्र भी पास में है। संबलपुर का कैमरा ठीक से कार्य भी नहीं करता और हम देखते हैं कि दूरदर्शन पर कार्यक्रम एक माह के अन्तराल पर दिखाये जाते हैं। हमने इस बात को पहले भी उठाया है। इस पर जल्दी से ध्यान दिया जाना चाहिए। स्टुडियो संबलपुर में होना चाहिए जहां पर हमारा दूरदर्शन केन्द्र हैं।

मैंने विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा कार्यक्रम के बारे में की गई आलोचना को सुना है। मुझे समझ नहीं आता कि एक ही प्रकार के आरोपों को बार-बार क्यों दोहराया जाता है। गत

[श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही]

वर्ष दूरदर्शन और आकाशवाणी की स्वायतता के बारे में एक विशेष वाद-विवाद हुआ था और मन्त्री महोदय ने बड़ी कुशलता के साथ उस वाद-विवाद का उत्तर देते हुए बताया था कि किस प्रकार से वर्तमान प्रणाली बेहतर है। हम जानते हैं कि जब रंगीन टी० वी० शुरू किया गया था तब भी इसका विरोध किया गया था परन्तु अब इसे स्वीकार किया जा रहा है। रंगीन टी० वी० बहुत लोकप्रिय बनता जा रहा है। परन्तु मेरी शिकायत यह है कि जब बजट प्रस्तुत किया गया था तब हमने देखा उस समय आयोजित सभी "प्रतिक्रिया कार्यक्रमों" में विरोधी लोगों का बोलबाला था। वास्तव में सत्ताधारी दल के सदस्यों की तुलना में उन्हें अधिक समय मिलता है।

महोदय, जनवाणी कार्यक्रम एक अच्छा कार्यक्रम है। यह बहुत लोकप्रिय है। इसे टी० वी० को उद्देश्यपूर्ण बनाने की दृष्टि से प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे सिर्फ अच्छी बातों का ही पता नहीं चलता बल्कि सरकार की अगर कोई कमी होती है तो उसका भी पता चलता है। जनता से सुझाव भी प्राप्त किए जाते हैं।

महोदय, मेरा सुझाव है कि दूरदर्शन कार्यक्रमों के समयों में सुधार करना चाहिए। कमन्ट्री के बारे में। आजकल हम देखते हैं कि लोग दूरदर्शन कार्यक्रम देखते समय साथ-साथ रेडियो को भी सुनते हैं।

9.00 म० प०

वे दूरदर्शन कार्यक्रम की तस्वीर को देखने के साथ-साथ रेडियो को सुनते हैं। क्यों ? मैं श्री जंगा रेड्डी की बात से सहमत हूं। जो उन्होंने कहा है उस पर कुछ पुनर्विचार किया जाना चाहिए। यह विचार करने योग्य है। अब हम सभी जानते हैं कि खेलों का, क्रिकेट मैचों सहित, आंखों देखा हाल दूरदर्शन पर दिन में काम-काज के समय प्रसारित किया जाता है। ऐसे कार्यक्रमों को खेल खेलने के समय रिकार्ड किया जा सकता है और उसे रात को दूरदर्शन पर प्रसारित किया जा सकता है ताकि कार्यालयों तथा कारखानों का कार्य प्रभावित न हो। इसके अलावा, दर्शक अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ घर पर टी० वी० कार्यक्रम का आनन्द ले सकते हैं। पुरी के विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का भी सीधा प्रसारण किया जाना चाहिए।

धर्म के बारे में पूर्व-वक्ताओं द्वारा काफी कुछ कहा गया है। महोदय, हमारा देश धर्म-निरपेक्ष है। परन्तु यह गैर-धार्मिक नहीं है। यहां धर्म महान् भूमिका अदा करता है। आवश्यकता इस बात की है कि सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। रथ यात्रा पर कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लगभग दस लाख लोग एकत्रित होते हैं। इस प्रकार से देश की एकता और अखंडता मजबूत होती है।

महोदय, हमें अपने देश की हर कीमत पर रक्षा करनी है। पुरी की रथ यात्रा का सीधा प्रसारण करने से राष्ट्रीय एकता को निश्चय ही काफी बल मिलेगा।

रेडियो के बारे में, मैं एक या दो बातों का उल्लेख करना चाहूंगा। इस समय संबलपुर में

कोई समाचार प्रभाग नहीं है। मैं सरकार से संबलपुर में एक समाचार प्रभाग खोलने पर जितना जल्दी हो सके विचार करने का निवेदन करूंगा ताकि इस रेडियो स्टेशन से स्थानीय समाचार प्रसारित किये जा सकें। इस समय स्थानीय गतिविधियों को रेडियो स्टेशन से प्रसारित नहीं किया जाता है। इसके अलावा कलाकारों की स्थानीय प्रतिभा को उभारने के लिए ठोस प्रयास किए जाने चाहिए ताकि उन्हें रेडियो और दूरदर्शन दोनों पर मौके दिए जा सकें।

महोदय, सरकार को अच्छी तथा चरित्र का निर्माण करने वाली फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहन देना चाहिए। ऐसी फिल्मों का निर्माण किया जाये जिन्हें माता-पिता और बच्चे एक साथ घर में बैठकर टी० वी० सैट पर देख सकें। ऐसी फिल्में जो एकता को बढ़ावा नहीं दे सकती तथा ड्यूटी और सेवा के प्रति निष्ठा उत्पन्न नहीं कर सकतीं उन्हें प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। उन फिल्मों को जो युवा पुरुषों और स्त्रियों के चरित्र का निर्माण करती हैं प्रोत्साहन देना चाहिए। हमारा राष्ट्रीय उद्देश्य लोकतांत्रिक समाजवाद हैं और इससे लोगों के दिमाग में राष्ट्रीयता की भावना भी पैदा होनी चाहिए। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक तरीका है ठीक प्रकार की फिल्मों का निर्माण।

सभापति महोदय, कई अवसरों पर इस सभा में गरीबी दूर करने के कार्यक्रमों पर काफी चर्चा की गई है। इस सम्बन्ध में बहुत सी प्रभावशाली बातें कही गयीं हैं। अब हमें उन लोगों को उठाना है जो गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं। परन्तु कई कारणों की वजह से गरीबों के कष्टों का पूरी तरह से निवारण नहीं किया गया है। अत: काफी प्रचार की आवश्यकता है। यह कार्य रेडियो और दूरदर्शन के माध्यम से बेहतर रूप से किया जा सकता है। इन कार्यक्रमों में लोगों का सहयोग लेना होगा और इस लक्ष्य के लिए दूरदर्शन और रेडियो को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए।

महोदय, सेक्स और हिंसा से पूर्ण फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए ताकि लोगों पर, विशेषकर युवा पुरुषों और स्त्रियों के दिमागों पर पड़ने वाले कुप्रभाव से बचा जा सके। सभापति महोदय, दूरदर्शन और रेडियो नेटवर्क के मामले में उड़ीसा बहुत पीछे रह गया है। अत: अधिक दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना करके जल्दी से जल्दी दूरदर्शन नेटवर्क का विस्तार किया जाना चाहिए तथा उड़ीसा मुख्यालयों में जल्दी से जल्दी रेडियो ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने चाहिए। इस सम्बन्ध में, मैं माननीय मन्त्री से उड़ीसा का दौरा करने का निवेदन करूंगा ताकि वह उड़ीसा राज्य में रेडियो और दूरदर्शन नेटवर्क के कम प्रसार के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें।

अन्त में मैं कहूंगा कि छोटे और मझौले समाचार पत्रों को अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और यह प्रोत्सान अधिक विज्ञापन देकर तथा पर्याप्त मात्रा में अखबारी कागज समय पर देकर दिया जा सकता है। दूरदर्शन पर प्रात: कालीन समाचार सेवा होनी चाहिए ताकि किसी को प्रात: समाचारों के लिए रेडियो पर निर्भर न करना पड़े। इस संदर्भ में, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि

[श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही]

पी० आई० बी० को प्रत्येक राज्य में अधिक प्रभाग खोलने चाहिए और ऐसा एक प्रभाग संबलपुर में खोला जाना चाहिए।

सभापति महोदय : पाणिग्रही जी, कृपया अपनी बात समाप्त करके बैठ जाइये। कुछ भी कार्यवादी-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)**

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : इन शब्दों के साथ, मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री के० आर० नटराजन (डिन्डिगुल) : सभापति महोदय, मैं अखिल भारतीय अन्ना द्रमुक की ओर से सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। फिर भी इस विषय पर मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा।

मंत्रालय के अधीन विभिन्न प्रसार माध्यम हैं अर्थात् आकाशवाणी, दूरदर्शन, प्रेस इंफार-मेशन ब्यूरो, फिल्म प्रभाग तथा विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय इत्यादि।

रेडियो और दूरदर्शन ऐसे महत्वपूर्ण माध्यम हैं। जहां तक रेडियो का संबंध है, काफी संख्या में रेडियो स्टेशन खोले गये थे परन्तु दूरदर्शन केन्द्र अभी बहुत नहीं हैं।

विभिन्न ए० आई० आर० स्टेशनों में मीडियम वेव ट्रांसमीशन है। भिन्न-भिन्न भागों में रहने वाले लोग भिन्न-भिन्न स्टेशनों के कार्यक्रमों का आनन्द नहीं उठा पाते क्योंकि मीडियम वेव ट्रांसमीशन सेवा कमजोर और अपर्याप्त है। अत: मीडियम वेव ट्रांसमीशन में सुधार किया जाना चाहिए।

जहां तक दूरदर्शन नेटवर्क का संबंध हैं, इसमें काफी सुधार की आवश्यकता है।

राज्यों के भिन्न-भिन्न भागों के ए० आई० आर० स्टेशन ठीक से कार्य कर रहे हैं। प्रत्येक ए० आई० आर० स्टेशन संबंधित क्षेत्रीय भाषाओं में स्थानीय लोगों को सूचित शिक्षित और संतुष्ट करने के लिए कार्यक्रम प्रसारित करता है। अत: सामान्य तौर पर भिन्न ए० आई० आर० स्टेशनों के कार्यक्रमों का लोग आनन्द उठाते हैं। ए० आई० आर० स्टेशनों में, कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है ताकि लोग शिक्षा, संस्कृति और सभ्यता के बारे में नवीनतम जानकारी प्राप्त कर सकें। ए० आई० आर० में काफी संख्या में चैनल हैं अत: श्रोतागण अपनी पसन्द का चैनल सुन सकते हैं।

दूरदर्शन स्टेशन सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थापित नहीं किए गये हैं। दिल्ली और बम्बई

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

दूरदर्शन के सिवाय अन्य दूरदर्शन स्टेशनों पर सिर्फ एक चैनल है, उदाहरण के तौर पर मद्रास दूरदर्शन स्टेशनों में केवल एक चैनल है। इसके अलावा, यह टी० वी० स्टेशन लगभग सारा समय केवल राष्ट्रीय कार्यक्रमों को प्रसारित करता रहता है, अर्थात् दिल्ली के कार्यक्रमों को। यह प्रसारण तामिलनाडु के लोगों की पसंद को पूरा नहीं करता। अगर यह ए० आई० आर० की तरह से तमिल में हो तो लोग कार्यक्रमों का आनन्द लेंगे। वे हिन्दी नहीं समझ पाते हैं। हिन्दी में कार्यक्रमों के प्रसारण की इस व्यवस्था से स्वाभाविक ही हिन्दी के खिलाफ घृणा पैदा होती है। इस स्थिति का कुछ लोग तमिलनाडु में नाजायज फायदा उठा रहे हैं। मद्रास, त्रिची और अन्य स्टेशनों पर ए० आई० आर० से तमिल में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है, अत: वे हिन्दी के खिलाफ घृणा पैदा नहीं करते। यह राष्ट्रीय एकता पैदा करता है। अत: ए० आई० आर० कार्यक्रमों की व्यवस्था को दूरदर्शन स्टेशनों पर भी अपनाया जाना चाहिए।

तामिलनाडु में कोडइकनाल दूरदर्शन स्टेशन सिर्फ दिल्ली दूरदर्शन स्टेशन के कार्यक्रमों को प्रसारित करता है जो अधिकतर हिन्दी में होते हैं। अत: तामिलनाडु के दक्षिणी जिलों के लोग इन कार्यक्रमों का आनन्द नहीं उठा पाते। कम से कम, मद्रास टी० वी० कार्यक्रमों को टी० वी० स्टेशन कोडइकनाल के माध्यम से प्रसारित किया जाये।

इस संबंध में, मैं माननीय मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे पत्र के जवाब में उन्होंने कहा है कि मद्रास टी० वी० कार्यक्रमों को माइक्रोवेव लिंक कनेक्शन के पश्चात् 1986 वर्ष की समाप्ति से पहले कोडइकनाल टी० स्टेशन के माध्यम से प्रसारित किया जा सकता है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री अपना वायदा पूरा करेंगे।

जहां तक कथा चित्रों का संबंध है, हमारे देश में कथा चित्रों के निर्माण में वृद्धि हुई है।

सिनेमा या फिल्म एक राज्य विषय है परन्तु सैंसर और प्रदर्शित की जाने वाली फिल्मों को प्रमाण पत्र देने का कार्य केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में है। दक्षिण में एक बात है, विशेषकर तमिलनाडु में दक्षिण का काफी कुछ फिल्मों को कथा-चित्र का दर्जा किसी न किसी आधार पर नहीं दिया जाता है। मैं माननीय मंत्री से इस बात को खत्म करने के लिए कुछ करने का निवेदन करता हूं।

सभापति महोदय : माननीय मंत्री अब उत्तर दे सकते हैं।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : महोदय, मैं अपने मंत्रालय के कार्य की समालोचनात्मक प्रशंसा करने के लिए सभा का आभारी हूं।

सभापति महोदय : आप अपना उत्तर अगली बार जारी रख सकते हैं। सभा बुधवार, 23 अप्रैल 1986 को 11 बजे म० पू० समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

9.10 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार 23 अप्रैल, 1986/3 वैशाख, 1908 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

———

मुद्रक : आकाशदीप प्रिन्टर्स, 20 दरियागंज, दिल्ली-2